

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



कोचीन
शिपयार्ड
लिमिटेड



भारत का
अभिमान

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21



विषयवस्तु

क्यू आर कोड स्कैन करें या हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।



<https://cochinshipyard.in/>



दूरदेशी बयान

इस रिपोर्ट में कुछ सूचनाओं में दूरदेशी बयान शामिल हो सकते हैं। जिसमें कंपनी की अपेक्षित वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम, व्यावसायिक योजनाओं और संभावनाओं आदि के बारे में विवरण शामिल है और यह आमतौर पर 'विश्वास', 'योजना', 'अनुमानित', 'जारी', 'अनुमान', 'उम्मीद', 'हो सकता है', 'इच्छा' या अन्य समान शब्दों जैसे दूरदेशी शब्दों से पहचाने जाते हैं। दूरदेशी बयान ऐसे बयानों के आधार पर धारणा या आधार पर निर्भर है। हमने इन धारणाओं या आधारों को अच्छे विश्वास में चुना है, और हम मानते हैं कि वे सभी वस्तुगत पहलुओं में उचित हैं। हालांकि, हम सावधान करते हैं कि वास्तविक परिणाम, प्रदर्शन या उपलब्धियाँ ऐसे दूरदेशी बयानों में व्यक्त या निहित से प्रत्यक्ष रूप से भिन्न हो सकती हैं। नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं या अन्यथा के परिणाम स्वरूप, हम किसी भी दूरदेशी बयान को अद्यतन या संशोधित करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेते हैं।

निगमित अवलोकन

- 02 हमारे बारे में
- 04 गुणग्राह्यता
- 06 वैश्विक ग्राहक पदचिह्न और अखिल भारतीय मौजूदगी
- 09 हमारा प्रस्ताव
- 10 भारत में निर्मित, भारत के लिए निर्मित वायुयान वाहक
- 12 मुख्य विस्तार परियोजनाएँ
- 14 चुनौतियों के बीच सतत कार्य निष्पादन
- 16 वर्ष के दौरान कार्य निष्पादन विशिष्टताएँ
- 18 अध्यक्षीय भाषण
- 24 निदेशक मंडल
- 26 हमारे लोग
- 28 सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण
- 29 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व
- 30 निगमित सूचना

सांविधिक रिपोर्ट

- 31 निदेशक की रिपोर्ट
- 88 निगमित शासन पर रिपोर्ट
- 111 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
- 120 व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

- 130 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलॉन)
- 139 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिपणियाँ (स्टैंडअलॉन)
- 140 स्टैंडअलॉन तुलन पत्र
- 204 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित)
- 209 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिपणियाँ (समेकित)
- 210 समेकित तुलन पत्र

सूचना

275

हमारे बारे में

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को वर्ष 1972 में पूर्ण स्वामित्व वाली भारत सरकार कंपनी के रूप में सम्मिलित किया गया था। हाल ही में भारत सरकार के पास कंपनी में 72.86% इक्विटी शेयर पूंजी है। वर्तमान में भारत सरकार कंपनी के 72.86% इक्विटी शेयर धारित करता है। पिछले चार दशकों में, कंपनी भारतीय पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में एक अग्रदूत के रूप में उभरी है और वैश्विक पोत निर्माण के मोर्चे पर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी भी है।

कंपनी ने भारते के कुछ सबसे बड़े पोतों का निर्माण और मरम्मत किया है और वर्तमान में भारतीय नौसेना के लिए प्रतिष्ठित स्वदेशी विमान वाहक का निर्माण कर रही है। इन वर्षों में, सीएसएल ने सफलतापूर्वक बाजारों के पोत निर्माण आवश्यकताओं में उतार-चढ़ाव का जवाब दिया है और प्लेटफॉर्म सप्लाय जहाजों (पीएसवी), और एंकर हैंडलिंग टग सप्लाय जहाजों (एचटीएस) जैसे छोटे और अधिक तकनीकी रूप से परिष्कृत जहाजों के लिए थोक वाहक के निर्माण से विकसित हुआ है। सीएसएल ने उद्योग में कई प्रमुख प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ काम किया है जिनमें रोल्स रॉयस मरीन (नॉर्वे), जीटीटी (फ्रांस), वॉर्ड ग्रुप (नॉर्वे) आदि शामिल हैं। सीएसएल ने नॉर्वे, नेथरलैंड्स, सैप्रस, यूएसए, जर्मनी, डेनमार्क/बहामास, साउदी अरब और यूएई में कुछ सबसे अधिक मांग वाले ग्राहकों को 47 जहाजों का निर्यात किया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारी विश्वसनीयता में इजाफा किया है। आंतरिक मोर्चे पर हमारे प्रमुख पोत निर्माण ग्राहकों में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, लक्षद्वीप सरकार, विविध पत्तन न्यास, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, अंडमान व निकोबार प्रशासन, दीपरस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय और जिंडाल स्टील वर्क्स ग्रुप शामिल हैं। सीएसएल ने तेल अन्वेषण उद्योग के पोतों के उन्नयन के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के जहाजों की मरम्मत और पोतों का समय-समय पर रखरखाव एवं जीवन विस्तार भी किया है। सीएसएल हाल ही में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करनेवाला शिपयार्डों में से एक है।



निर्मित और सुपुर्द किए जहाज
(मार्च 31, 2021 तक कुल)



16

बड़े जहाज

35

अपतटीय सहायक जहाज

83

छोटे और मध्यम जहाज

20

रक्षा जहाज

गुणग्राह्यता



दूरदर्शिता

- अग्र श्रेणी के वाणिज्य और नौसेना पोतों, अपतटीय यानों और संरचनाओं के निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिमत शिपयार्ड के रूप में प्रसिद्ध हो जाना।
- परिवर्तन/ उन्नयन सहित पोत मरम्मत के लिए भारत में बाजार अग्रणी बनना।

- हमारे मूल्यवान ग्राहक द्वारा हमारी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करना, हमारी नैतिकता के लिए सम्मान किया जाना और हमारी सेवा उत्कृष्टता के लिए भरोसा करना।



दौत्य

- अंतर्राष्ट्रीय मानक पर अपतटीय संरचना तथा यानों का निर्माण एवं मरम्मत करना और मूल्य पर जुड़नेवाली इंजीनियरी सेवाएं प्रदान करना।
- प्रतियोगितात्मक पर्यावरण में निगमित संवृद्धि कायम रखना।
- एक उत्तरदायी निगमित नागरिक बनने के लिए आदतों को स्वीकार करना और लेना।



उद्देश्य

- प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं क्षमता संवर्धन के जरिए पोत निर्माण व पोत मरम्मत गतिविधियाँ कायम रखना और बढ़ाना।
- नई सुविधाओं की स्थापना सहित शिपयार्ड की गतिविधियों के विकास/ विविधीकरण के लिए लगातार प्रयत्न करना।
- पोत निर्माण प्रक्रिया की उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास कार्यान्वित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्किंग की ओर जाने हेतु, भारत में अनुवर्तित सर्वश्रेष्ठ पोत निर्माण मानकों के साथ बैंचमार्क करना।

- सुधरे विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना।
- साफ एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए उत्कृष्ट आदत अपनाना। क्षमता को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के लिए आक्रामक बोली लगाने से रुका काम समय कम करना और आदेश प्राप्त करना।

- सकारात्मक ग्राहक उन्मुख पहलुओं को सुनिश्चित करना।
- सीएसआर और धारणीयता परियोजनाओं तथा निगमित शासन सिद्धांतों के अनुपालन के जरिए एक उत्तरदायी निगमित नागरिक धारणा निर्मित करना।

वैश्विक ग्राहक पदचिह्न एवं अखिल भारतीय मौजूदगी



(सीएमएसआरयू)

(सीकेएसआरयू)
(एचसीएसएल)

(टीएसएल)

(सीएनएसआरयू)

(आईएसआरएफ)
(सीएसएल, कोच्ची)

नॉर्वे

जर्मनी

यूएसए

नेथरलैंड्स

सेप्रस

अबुधावी

भारत

बहामास

जहा

हमारी सुविधाएँ

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल, कोच्ची)
ड्राई डॉक 1 : 255x43x9 मीटर
ड्राई डॉक 2 : 270x45x12 मीटर
ड्राई डॉक 3: 310x75/60x13 मीटर (नई)
वर्ध : 1.3 कि.मी.

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा
(आईएसआरएफ), कोच्ची

पोत उत्पापक : 6000टी (130x25 मी)
6 कार्य स्थान
सर्मापित शॉप फ्लव मैरीटाइम पार्क

सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट
(सीएमएसआरयू), मुंबई
ड्राई डॉक : 300x30x9 मीटर
एफ्लोट मरम्मत के लिए 1 कि.मी.वर्ध

सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट
(सीकेएसआरयू), कोलकाता
ड्राई डॉक : 172x23x8 मीटर (2सं.)

सीएसएल अंडमान व निकोबार पोत मरम्मत
यूनिट (सीएनएसआरयू), पोर्ट ब्लेयर
ड्राई डॉक : 88x20x7 मीटर
ड्राई डॉक : 68x16x5 मीटर
स्लिपवे : 25x8 मीटर (5सं.)

हमारी पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियां

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल),
कोलकाता
अंतर्देशीय जहाजों का सहायक यार्ड
स्लिपवे : 136x40 मीटर
3 आउटफिटिंग जेड्डी

टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल), माल्पे
मध्यम आकार के जहाजों के लिए सहायक यार्ड
स्लिपवे : 96x22 मीटर

हमारा प्रस्ताव

मूलभूत

उत्पाद श्रेणी

पोत निर्माण

रक्षा

- वायुयान वाहक
- अगली पीढ़ी मिसाइल वेसल
- आंटी सबमराइन वारफेयर शालो वाटर क्राफ्ट
- प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जहाज़
- फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जहाज़

वाणिज्यिक

- तेल टैंकर
- बल्क कैरियर
- ड्रेजर
- यात्री जहाज़
- टग
- विशेष उद्देश्य जहाज़
- डेक कार्गो/जैकट लॉच बार्ज

अपतटीय

- प्लैटफार्म सप्लाय जहाज़
- ऐंकर हैडलिंग/ टग सप्लाय वेसल
- बहु उद्देशीय जहाज़

- फास्ट पतरोल जहाज़
- हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल
- अपतटीय पतरोल जहाज़
- प्रदूषण नियंत्रण जहाज़

- विद्युत स्वायत्त पोत
- विद्युत यात्री फेरी
- रो-रो जहाज़
- रो-पैक्स जहाज़
- मत्स्य ग्रहण का विशेष जहाज़
- समुद्री एंबुलेंस


- सपोर्ट जहाज़ों का विशेषीकृत निर्माण

पोत मरम्मत

- वायुयान वाहकों और अन्य रक्षा जहाज़ों का अनुरक्षण और मरम्मत।
- टैकर्स, बल्क कैरियर, सभी प्रकार के वाणिज्यिक और विशेषीकृत जहाज़।
- तेल रिग उन्नयन, मरम्मत परियोजनाएं और रूपांतरण।

अन्य

- समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण
- रणनीतिक और उन्नत समाधान



भारत में निर्मित और भारत के लिए निर्मित वायुयान वाहक

भारतीय नौसेना के लिए सीएसएल द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का सबसे जटिल युद्धपोत ने अगस्त 2021 में अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया। स्वदेशी विमानवाहक पोत पहला विमानवाहक पोत है, जिसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो भारत को जटिल विमान वाहक बनाने में सक्षम देशों की एक उत्कृष्ट संघ में शामिल करता है। वाहक एक छोटा तैरता हुआ शहर है, जिसमें एक फ्लाइट डेक क्षेत्र होता है, जो दो फुटबॉल मैदानों के आकार को कवर करता है, जिसमें लगभग 2000 कि.मी. केबल बिछाने और 120 कि.मी. पाइपिंग होती है। देश में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत आईएसी, भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का सच्चा प्रतिबिंब है।

आईएसी आँकड़े

1,700

नाविक गण

14

डेक

2,300

कम्पार्टमेंट

कार्य निष्पादन

28

नोट

उच्चतम गति

18

नोट

सामान्य गति

7,500

समुद्री मील

स्थायित्व

आयाम

262

मी.

लंबाई

62

मी.

चौड़ाई

59

मी.

ऊँचाई

40,000

टन

विस्थापन

मुख्य विस्तार परियोजनाएं

नई सूखी - गोदी

सीएसएल एक नई सूखी-गोदी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। 600 टन गैट्री क्रैन सहित 310 x 75/60 x 13 मीटर मापने वाली नई सूखी-गोदी 70000 टन विस्थापन के विमान वाहक, जैक-अप रिसाव, एलएनजी जहाज़, स्वेज़मेक्स आदि तक के जहाज़ों के संभालने में सक्षम होगा।

हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं

जून 2018 में शुरू की गई निर्माण गतिविधियाँ कोविड-19 महामारी के कारण हुए झटके के बावजूद आगे बढ़ रही हैं। भूतल सुधार कार्य, कॉफरडेम कार्य, डॉक वॉल शीट पाइल स्थापना कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा, लगभग 70% आरसीसी पाइलिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इस सुविधा को वित्त वर्ष 2022-23 में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।



अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ)

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) सीएसएल में मौजूदा पोत मरम्मत सुविधा का आधुनिकीकरण और विस्तार करेगी। आईएसआरएफ में छह कार्य स्टेशनों और संबद्ध सुविधाओं सहित 130 x 25 मीटर तक के जहाज़ों के लिए 6000 टन शिपलिफ्ट शामिल है। लगभग 1500 मीटर की कुल आउटफिटिंग बर्थ।

हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं


आईएसआरएफ परियोजना का निर्माण कार्य, जो नवंबर 2017 में शुरू हुआ था, कोविड-19 महामारी के कारण हुए झटके के बावजूद प्रगति कर रहा है। 100% पाइलिंग का काम और डेक कंक्रिटिंग का 87% से अधिक काम पूरा हो चुका है। यह सुविधा कैलेंडर वर्ष 2022 के उत्तरार्ध में चालू होने की उम्मीद है।




चुनौतियों के बीच सतत कार्य निष्पादन

वित्तीय विशिष्टताएं


कुल कारोबार (₹ करोड़ में)




कर पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)




निवल मूल्य (₹ करोड़ में)




कर पूर्व लाभ (₹ करोड़ में)



ईपीएस (₹)



नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)



10 वर्ष निष्पादन विशेषताएं

मुख्य सूचकांक	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
ईपीएस (₹ प्रति शेयर)	46.38	48.48	35.72	31.03	28.39	24.07	20.75	17.15	16.35	15.21
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ईबीडीआईटी/सकल कुल बिक्री %	32.43	27.95	26.97	27.76	26.35	23.52	22.81	20.37	20.45	20.21
निवल लाभ गुंजाइश %	21.64	18.63	16.23	16.85	15.62	13.73	12.64	11.75	11.92	12.27
निवल मूल्य पर विवरणी %	15.34	17.09	14.44	12.19	15.85	15.09	15.06	14.15	15.76	16.40
उपयोगित पूंजी पर विवरणी %	15.56	16.85	15.94	12.35	15.39	16.15	14.50	13.97	19.08	18.76

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
कुल बिक्री	2818.90	3422.49	2965.60	2355.12	2058.87	1993.45	1859.51	1652.66	1554.16	1404.85
कुल आय	3012.76	3669.99	3192.89	2544.28	2217.50	2107.37	1952.97	1728.64	1642.33	1481.54
कर पूर्व लाभ	810.59	863.43	751.38	604.86	493.40	419.65	367.56	290.96	275.55	252.97
मूल्यहास एवं बढ़े खाता	53.07	48.73	34.16	37.51	38.51	37.19	38.33	26.43	19.22	18.07
कर के बाद लाभ	610.10	637.69	481.18	396.75	321.55	273.79	235.07	194.24	185.27	172.33
इक्विटी शेयर पूंजी	131.54	131.54	131.54	135.94	113.28	113.28	113.28	113.28	113.28	113.28
आरक्षण एवं अधिशेष	3846.03	3600.25	3200.54	3119.93	1915.30	1701.05	1447.79	1239.25	1062.42	898.41
निवल मूल्य	3977.57	3731.80	3332.08	3255.87	2028.58	1814.33	1561.07	1352.53	1175.70	1050.83
सकल अचल परिसंपत्तियां	903.96	853.82	426.69	369.79	357.72	569.53	636.84	602.38	444.35	376.73
निवल अचल परिसंपत्तियां	698.41	696.54	313.03	284.47	302.85	296.44	377.44	383.41	247.30	192.61
कर्मचारियों की सं.	1727	1710	1744	1781	1829	1671	1786	1751	1656	1900

वर्ष के दौरान कार्य निष्पादन विशिष्टताएं

जुलाई 15, 2020

दो और समान जहाजों के निर्माण के विकल्प के साथ 2 स्वायत्त इलेक्ट्रिक फेरी के निर्माण के लिए अस्को मैरीटाइम ए एस, नॉर्वे के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया।

अगस्त 24, 2020

श्री अलकेश कुमार शर्मा आई ए एस, प्रबंध निदेशक, केएमआरएल और श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीएसएल की उपस्थिति में कोच्ची मेट्रो के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यात्री नौकाओं के एल्यूमीनियम पतवार की प्लेट कटिंग।

अगस्त 27, 2020

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरल के माननीय मुख्य मंत्री श्री पिणराई विजयन द्वारा मत्स्य विभाग, केरल सरकार के लिए 1 समुद्री एम्बुलेस नाव की सुपुर्दगी और फ्लैग-ऑफ।

सितंबर 28, 2020

सीएसएल ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए 2 रो-रो जहाज वितरित किए।

अक्टूबर 07, 2020

भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ग्रीनको सिल्वर रेंटिंग का प्रमाणन, ग्रीनको रेंटिंग हासिल करने वाली नौवहन क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई।

अक्टूबर 27, 2020

सीएसएल ने प्रशिक्षण और कौशल विकास के अलावा डिजाइन, पोत निर्माण, पोत की मरम्मत, समुद्री उपकरण निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए फिनकैंटिप्री, इटली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

नवंबर 12, 2020

श्रीमती रमीता के, वैज्ञानिक जी, एनपीओएल (डीआरडीओ), श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीएसएल की सुपत्नी द्वारा जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट के लिए 28000 डीडब्ल्यूटी मिनी जनरल कार्गो जहाजों का शुभारंभ किया।

नवंबर 12, 2020

श्रीमती रमीता के, वैज्ञानिक जी, एनपीओएल (डीआरडीओ), श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीएसएल की सुपत्नी द्वारा सीमा सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय) के लिए 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट वेसल लॉन्च किए गए।

नवंबर 12, 2020

श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीएसएल द्वारा जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए 28000 डीडब्ल्यूटी मिनी जनरल कार्गो जहाजों का कील लगाना।

नवंबर 25, 2020

श्री टोरबॉर्न जोहानसन, अस्को बोर्ड के अध्यक्ष और सुरेश बाबु एन वी, निदेशक (प्रचालन), सीएसएल द्वारा संयुक्त रूप से मेसर्स अस्को मैरीटाइम एएस, नॉर्वे के लिए 2 अस्को ऑटोबार्ज एस पी की प्लेट कटिंग।

नवंबर 30, 2020

वाइस एडमिरल ए के चावला, पीवीएसएम, एवीएसएम एन एम, वीएसएम, एडीसी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग- इन- चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान और श्री मधु एस नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीएसएल की उपस्थिति में स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी) के बेसिन परीक्षणों का सफल समापन।

दिसंबर 01, 2020

वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार पीवीएसएम, एवीएसएम वीएसएम, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ द्वारा भारतीय नौसेना के लिए 1 एंटी सबमराइन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का स्टील कटिंग।

दिसंबर 23, 2020

सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट और एचसीएसएल उपलब्ध संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं के प्रभावी उपयोग के लिए सीएसएल ने हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल), सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

जनवरी 28, 2021

श्रीमती जे मेसीकुट्टी अम्मा, माननीय मत्स्यपालन, हार्बर इंजीनियरिंग और काजू उद्योग, मंत्री, केरल सरकार द्वारा मत्स्य पालन विभाग, केरल सरकार के लिए 2 समुद्री एम्बुलेस बोट के फ्लैग ऑफ और जहाज सुपुर्दगी।

फरवरी 14, 2021

श्री नरेंद्र मोदी भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सीएसएल के नए समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, विज्ञान सागर का उद्घाटन।

फरवरी 24, 2021

सीएसएल ने विश्वस्तरीय ड्रेजर बनाने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माननीय राज्यमंत्री श्री मनसुख एल मंडाविया की उपस्थिति में ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आई एच सी हॉलैंड बी वी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

फरवरी 26, 2021

सीएसएल ने टग, अंतर्देशीय जहाज, हार्बर क्राफ्ट्स और विशेषीकृत जहाज के लिए डिजाइन और परामर्श सेवाओं के लिए रॉबर्ट एलन लिमिटेड, कैनडा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मार्च 05, 2021

भारतीय नौसेना के लिए 3 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स के ब्लॉक निर्माण का प्रारंभ।

मार्च 27, 2021

सीएसएल ने अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए सिंधु नामक 1500 यात्रियों एवं 150 टन कार्गो वेसल सुपुर्द किया।

मार्च 31, 2021

श्री अलकेश कुमार शर्मा, आईएस, प्रबंध निदेशक, के एम आर एल और मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीएसएल की उपस्थिति में कोच्ची मेट्रो के लिए 1 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पैसेंजर बोट का जलावतरण।



अध्यक्षीय भाषण



प्रिय शेयरधारकों,

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। समीक्षाधीन वर्ष बड़े पैमाने पर मानवता और अर्थ व्यवस्थाओं के लिए अत्यंत कठिन रहा है। वैश्विक जीडीपी हास के साथ, दुनिया भर के व्यवसायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोरोनावायरस महामारी ने व्यवसायों को आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स व्यवधानों, नकदी प्राप्ति के मुद्दों आदि की एक जटिल श्रृंखला से जूझने के लिए छोड़ दिया है। विभिन्न उपायों जैसे कि रोकथाम के उपायों को लागू करना, संचालन को लगातार पुनर्व्यवस्थित करना, नकदी पर कड़ा नियंत्रण रखना, विवेकाधीन खर्च में कटौती करना आदि के जरिए कंपनियों ने बदलते बाजार की गतिशीलता - न्यू नॉर्मल के अनुकूल होने की कोशिश की है।

पुनर्विलोकन का वर्ष

सीएसएल के लिए भी यह एक कठिन वर्ष रहा है। जैसा कि वर्ष की शुरुआत वायरस के दुर्भाग्यपूर्ण प्रकोप के साथ हुई, कई रोकथाम उपायों को लागू किया गया, जिसमें सामाजिक दूरी, दूरस्थ कार्य और प्रचालन को बंद करना शामिल था। इससे वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रभाव पड़ा, लेकिन हम फुर्ती के साथ प्रचालन और प्रभावी प्रतिक्रिया रणनीति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करके संकट से उबरने में कामयाब रहे।

दिनांक 06 मई 2020 से कंपनी ने पूरे स्थायी कर्मचारियों के साथ कोची के मुख्य यार्ड में अपना परिचालन फिर से शुरू किया। हमें अपने

2,819

प्रचालन से राजस्व
(₹ करोड़ में)

610

कर पश्चात लाभ
(₹ करोड़ में)

“अगस्त 2021 में, सीएसएल द्वारा निर्मित स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी) अपने पहले समुद्री परीक्षणों के लिए आगे बढ़ा, जिससे भारत स्वदेशी रूप से एक विमान वाहक पोत विकसित करने के लिए दुनिया के चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया।”

पूरे प्रचालन को दो पारियों में कुछ अधिव्यापन के साथ पुनर्व्यवस्थित करना पड़ा। तीन दशकों से पूरे इस मोड में काम न करने के कारण यह बदलाव हमारे लिए काफी चुनौतिपूर्ण था। इस तरह की प्रतिकूलताओं को अपनी प्रगति में लेते हुए, हमने सतत विकास की दिशा में नई संभावनाएं और नियत रास्ते तलाशे।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय मामलों की बात करें तो, प्रचालन से हमारे राजस्व ने रु. 2819 करोड़ का आंकड़ा दर्ज किया। कर पश्चात लाभ ने पिछले वर्ष के रु. 638 करोड़ की तुलना में रु. 610 करोड़ का आंकड़ा दर्शाया। यदि यह एक महामारी वर्ष नहीं होता, तो, हमें अपने अखिल भारतीय परिचालन के स्तर पर उच्च परिचालन राजस्व की उम्मीद होती। इस तथ्य के बावजूद, कर के बाद लाभ मार्जिन पिछले वर्ष के 18.63% की तुलना में वर्ष के लिए 21.64% स्थिर रहा। नकदी को मोर्चा पर हम मजबूत बने हुए हैं। हालांकि महामारी के कारण कुछ ग्राहकों से प्राप्य राशि एकत्र करने में कठिनाईयां आई हैं। लेकिन कंपनी की नकदी की स्थिति अपरिवर्तित रही। मार्च 2021 में, लंबी अवधि के उधार के संबंध में हमारी क्रेडिट रेटिंग को केयर द्वारा एएए से एएए में उन्नत किया गया था, जो सीएसएल की विशेष नकदी शक्ति को दर्शाता है। यह हमें ऋण चुकौती से किसी भी संभावित प्रभाव से बचने की स्थिति में रखता है। कुल मिलाकर सीएसएल संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है।

उपलब्धियाँ

वर्ष के दौरान, सीएसएल ने 13 जहाजों जैसे कि, अंडमान व निकोबार प्रशासन के लिए 500 यात्री जहाज, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए रो-रो फेरी, केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए समुद्री एम्बुलेंस नाव, तमिलनाडु के लाभार्थियों के लिए विशेषीकृत मत्स्य पालन नौकाएं और भारतीय नौसेना के लिए ब्राउज एवं पॉटून वितरित किया। सीएसएल ने मई 2021 में जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवट लिमिटेड को 4 मिनो बल्क कैरियर में से एक को भी सुपुर्द किया गया।

अगस्त 2021 में, सीएसएल द्वारा निर्मित स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी) अपने पहले समुद्री परीक्षणों के लिए आगे बढ़ा, जिससे भारत स्वदेशी रूप से एक विमान वाहक पोत विकसित करने के लिए दुनिया के चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया। समुद्री परीक्षणों के दौरान, विभिन्न नौचालन संचार और पतवार उपकरणों के परीक्षणों के अलावा, प्रणोदन संयंत्रों को समुद्र में कठोर परीक्षण के लिए रखा गया था। इस कठिन समय के दौरान समुद्री परीक्षणों के पहले दौर का सफल समापन सीएसएल के साथ-साथ पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

सीएसएल ने संधारणीय व्यापार कार्यों का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता से सिल्वर रेटिंग के साथ ग्रीनको प्रमाणीकरण के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा प्रमाणित होने वाली पोत परिवहन क्षेत्र में पहली कंपनी बनने का गौरव अर्जित किया। ग्रीनको सिल्वर रेटिंग से सीएसएल के लिए पारिस्थितिक रूप से स्थायी व्यापार विकास के लिए एक मजबूत दीर्घकालीक रोडमैप तैयार करने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।

अध्यक्षीय भाषण

विस्तार योजनाएं

सीएसएल अपनी दो प्रमुख विस्तार परियोजनाओं अर्थात् नई ड्राई डॉक और आईएसआरएफ को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है। दुर्भाग्य से, कोविड-19 महामारी के कारण दोनों परियोजनाओं के तहत कार्य योजना के अनुसार गति नहीं पकड़ सके। इसके अलावा, आईएसआरएफ परियोजना पर, टर्नकी ठेकेदार को किसी और कारणों से वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, और इससे परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई है। हालांकि, उपरोक्त के बावजूद, 100% समुद्री पाइलिंग कार्य और 87% से अधिक डेक कंक्रिटिंग कार्य पूरे हो चुके हैं और विभिन्न औद्योगिक भवन पूर्ण होने के उन्नत चरणों में है। यह सुविधा कैलेंडर वर्ष 2022 के उत्तरार्ध के दौरान चालू होने की उम्मीद है। नई सूखी गोदी परियोजना के संबंध में, लगभग 70% आरसीसी पाइलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, जमीनी सुधार कार्य, कॉफरडैम कार्य, डॉक वॉल शीट पाइल स्थापना कार्य भी पूरा कर लिया गया है। हालांकि अभी कठिनाइयां हैं, हमने दिसंबर 2022 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

पिछले दो वर्षों से, सीएसएल भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट रेखाओं में विस्तार कर रहा है और मुंबई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में पोत मरम्मत इकाइयों की स्थापना की है। वर्ष के दौरान महामारी में पोत मरम्मत इकाइयों में प्रचालन को प्रभावित किया था और मुंबई इकाई 20 जहाजों की मरम्मत कर सकती थी और कोलकाता इकाई ने 3 परियोजनाएं शुरू की थी। पोत मरम्मत इकाइयों में प्रचालन में तेजी लाने

के लिए श्रमशक्ति को तैनात करने की प्रक्रिया चालू है। पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए पोर्ट ब्लेयर में अधिकारियों के प्रारंभिक सेट को तैनात किया गया है और हम जल्द ही पोर्ट ब्लेयर में प्रचालन शुरू करने की उम्मीद करते हैं।

सितंबर 2020 के दौरान, सीएसएल ने वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से टेवमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) का अधिग्रहण किया, जिससे यह सीएसएल की दूसरी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। अधिग्रहण के बाद, कर्मियों के प्रारंभिक सेट का प्रचालन फिर से शुरू करने के लिए तैनात किया गया है और आवश्यक श्रमशक्ति की भर्ती की प्रक्रिया अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। माल्पे में टीएसएल की बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया उन्नत चरण में है और हैंगरकड़ा सुविधा को जुलाई 2021 के अंत से चालू कर दिया गया है। टीएसएल एक सुगठित यार्ड है जो विशेष छोटे और मध्यम आकार के जहाजों के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त है और सीएसएल, टीएसएल के माध्यम से नए बाजारों में प्रवेश करने की उम्मीद करता है।

सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने अपनी परियोजना चरण के माध्यम से केवल मामूली देरी के साथ उड़ान भरी। महामारी संबंधी कठिनाइयों और चक्रवातों से उत्पन्न समस्याओं के बावजूद, एचसीएसएल की नजीरगंज इकाई में नए यार्ड का निर्माण अंतिम चरण में है और सितंबर 2021 में परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा। यार्ड को अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए डिजाइन किया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि भारत सरकार/ भारतीय

अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे प्रयासों से इस खंड में विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

कंपनी की लंबी अवधि की रणनीति के अनुरूप, कोचीन शिपयार्ड स्ट्रैटिजिक एवं एडवांस्ड सॉल्यूशनस (सी-एसएएस) नामक एक समर्पित प्रभाग का गठन किया गया था, जो मौजूदा पोत निर्माण और पोत मरम्मत संविभाग से परे नई राजस्व सृजन धाराओं को हासिल करने और समुद्री क्षेत्र में सीएसएल उद्यम को रणनीतिक और ज्ञान संचालित भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए है। पोत निर्माण और पोत मरम्मत की मुख्य गतिविधियाँ प्रचालन क्षमता और राजस्व में वृद्धि पर केंद्रित प्रयासों के साथ बनी रहेंगी, नई धारा (धाराएं) राजस्व सृजन की संभावनाओं को और बढ़ाएंगी।

पोत निर्माण और पोत मरम्मत, भौगोलिक विस्तार और सी-एसएएस के गठन में ये सभी पहलें कंपनी के दीर्घकालिक रणनीतिक कार्य, कृत्र 2030 के अनुरूप है, जो हमने पिछले दो वर्षों से हमारे साथ रहे बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ काम करने और विकास के लिए नए व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाया।

निगमित शासन

कंपनी ने अच्छे निगमित प्रशासन प्रथाओं का पालन करना जारी रखा है। कंपनी निदेशक मंडल की संरचना, जैसे कि एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और सांविधिक समितियों से संबंधित परिणामी अनुपालन को छोड़कर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015

“वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने 27 वार्षिक समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान को एक नए 70000 व.फु. के ज्ञान और कौशल विकास केंद्र विज्ञान सागर में स्थानांतरित कर दिया, जो 3.5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है।”

के लागू विनियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित प्रशासन पर दिशा निर्देशों का अनुपालन करती है। सीएसएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है और कंपनी ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पद को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचनाएं प्रदान की है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिसके बाद सांविधिक समितियों का भी पुनर्गठन किया जाएगा। कंपनी इस संबंध में डीपीई द्वारा सिफारिश किए अनुसार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर निगमित प्रशासन पर अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है। निगमित शासन पर रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

मानव संसाधन विकास

लोग हमारी कंपनी में एक बड़ी ताकत रहे हैं, और हम लगातार उनके कौशल विकसित करने और कैरियर में आगे बढ़ने में मदद करने के तरीकों की तलाश करते हैं। इसके अलावा, उनका स्वास्थ्य और कल्याण भी हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। महामारी के दौरान हमने सभी प्रचालन क्षेत्रों में सख्त स्वास्थ्य उपायों को लागू किया। इस तथ्य के बावजूद कि हमारे प्रचालन में कई कोविड मामले सामने आए, ज्यादातर केरल से, हमने स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा और अपने कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम उपचार प्रदान किया। नए सामान्य व्यापार परिदृश्य में, कार्यबल के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम वर्चुवल माध्यम पर आयोजित किए गए थे। ऐसे

समय में जब कोविड-19 महामारी ने संस्थानों को कार्यक्रमों में कटौती करने के लिए मजबूर किया, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया। इनमें आईएसओ 45001:2018 में प्रशिक्षण, विविध प्रबंधन कार्यक्रम, जिसमें विलय, अधिग्रहण और पुनर्गठन, अनुबंध प्रबंधन जोखिम प्रबंधन के साथ प्रचालन फोकस संतुलन जैसे विषय शामिल हैं और प्रमुख संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रम, जैसे आईआईएम, आईएसबी और तकनीकी कार्यक्रम जैसे पोत डिजाइन में हाइड्रोडायनामिक्स, जिसका आयोजन प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे एमएआरआईएन, एमस्टर्डन संचालित किया जाता है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों को अनुकूलित आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण भी दिया गया।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने 27 वार्षिक समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान को एक नए 70000 व.फु.के ज्ञान और कौशल विकास केंद्र विज्ञान सागर में स्थानांतरित कर दिया, जो 3.5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 14, 2021 को विज्ञान सागर राष्ट्र को समर्पित किया। सुविधाओं का उपयोग कंपनी के कार्यबल के आंतरिक प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा।

कौशल भारत पहल के हिस्से के रूप में, सीएसएल सालाना आधार पर इंजीनियरिंग और व्यावसायिक धाराओं में लगभग 200 स्नातक और डिप्लोमा धारक को शिक्षता प्रशिक्षण योजना के तहत हर वर्ष विविध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से 300 आईटीआई ट्रेड शिक्षुओं को प्रशिक्षित करती है।

अध्यक्षीय भाषण

औद्योगिक संबंध

मार्च 2021 में, सीएसएल में ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, जिसमें 2 यूनियनों अर्थात् कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी संघ (सीएसईएफ) और कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी संगठन (सीएसईओ) ने मान्यता के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार मान्यता का दर्ज हासिल किया है। मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों ने कंपनी की बढ़ी हुई उत्पादकता और आर्थिक स्थिरता के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा का प्रदर्शन जारी रखा और पूरे वर्ष औद्योगिक संबंधों का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा। विभिन्न स्वेच्छिक योजनाओं के माध्यम से कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण का भी अच्छी तरह से ध्यान रखा गया।

अनुसंधान और विकास

मौजूदा उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं को बेहतर बनाने और दुनिया भर में नए बाजार क्षेत्रों में हमारे प्रवेश का समर्थन करने के लिए हमारे ज्ञान आधार का विस्तार करने हेतु सीएसएल लगातार औद्योगिक अनुसंधान, प्रयोगात्मक विकास और प्रक्रिया नवाचार में लगे हुए हैं। वर्ष के दौरान, मुख्य रूप से वेल्लिंग प्रक्रिया का विकास और वेल्डर की योग्यता के क्षेत्र में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ शुरू की गई हैं।

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली

सीएसएल ने आईएसओ 9001:2005 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानकों के तहत अपनी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखा। सीएसएल ने सितंबर 2020 में अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन

प्रणाली को नवीनतम आईएसओ 45001:2018 में उन्नत किया।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु. 14.80 करोड़ के लक्षित अनिवार्य सीएसआर के सामने रु. 15.27 करोड़ खर्च किए गए हैं। कंपनी ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल और पोषण विषय पर ध्यान केंद्रित किया और 48 परियोजनाओं के तहत अपनी कुल सीएसआर निधि का लगभग 59% खर्च किया। आगे, आकांक्षी जिला, वयनाड में सीएसएल ने 8 परियोजनाओं को प्रतिबद्ध किया है, जो मुख्य रूप से रु. 244.00 लाख रुपए के कुल बजट के साथ आदिवासी समुदाय के लाभ के लिए था, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है और वर्ष के दौरान रु. 71.00 लाख की राशि वितरित की गई है।

कोविड-19 का प्रतिरोध

हम अपने आसपास के समुदाय और पर्यावरण में अंतर पैदा करने का प्रयास करते हैं। कोविड-19 और चिकित्सा सहायता की बढ़ती मांग के जवाब में, कोचीन शिपयार्ड ने केरल के पांच सरकारी अस्पतालों में केंद्रीकृत ऑक्सीजन वितरण सुविधाओं की स्थापना के लिए 50 लाख रुपए आर्बिटिट किए हैं। हम समुदाय का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कोविड-19 के खिलाफ और अधिक मजबूती से सामने आए हैं और अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के लिए उन्हें सशक्त बनाने के तरीकों की लगातार तलाश कर रहे हैं। हमने अपने सभी कर्मचारियों सहित उनके परिवार के सदस्यों और कोच्ची में हमारे मुख्य यार्ड के आसपास के समुदाय के लिए टीकाकरण अभियान चलाया और परीक्षण के समय में समुदाय की सहायता के लिए सभी समर्थन दिया।

सम्मान

कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमओयू मापदंडों के संदर्भ में अपना असाधारण प्रदर्शन जारी रखा। हालांकि, एमओयू के तहत अंतिम रैंटिंग अभी प्राप्त नहीं हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी के प्रयासों को भी समाज/ प्राधिकारियों द्वारा पुरस्कारों के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें अन्य बातों के साथ- साथ, दलाल स्ट्रीच इन्वेस्टमेंट जर्नल द्वारा वर्ष के लिए सबसे तेजी से बढ़ती मिनिरत्न निर्माण कंपनी के लिए स्थापित रोल ऑफ ऑनर पुरस्कार, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्स्टाइल और कयर में सहसे बड़े कारखानों की श्रेणी के तहच कारखानों और वॉयलर विभाग, केरल सरकार से सुरक्षा पुरस्कार, सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार 2021 और राजभाषा कार्यान्वयन के लिए विविध पुरस्कार शामिल हैं।

दृष्टिकोण

हमारे जैविक मोर्चे पर हमारे संगठन में सूक्ष्म परिवर्तन करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में हमने पोत निर्माण और पोत मरम्मत के अपने मुख्य क्षेत्रों से विविधता लाने के प्रयास में सी-एसएएस (कोचीन शिपयार्ड स्ट्रेटजिक एंड एडवांस सॉल्यूशन्स) नामक एक नए प्रभाग की संरचना की। हम विद्युत गतिशीलता में उच्च क्षमतावाले इस नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए तत्पर हैं क्योंकि हम समुद्री विस्तार के भीतर विद्युत गतिशीलता में अग्रदूत हैं।

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहले भी हमारे व्यवसाय के लिए नए रास्ते बना रही हैं। हमने इटली के फिनकैंटिएरी ग्रुप , जो यूरोप में एक अग्रणी पोत निर्माण प्रौद्योगिकी समूह है, के साथ एक व्यापक समझौता ज्ञापन संपन्न किया, जिसमें दीर्घकालिक

“मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहले भी हमारे व्यवसाय के लिए नए रास्ते बना रही हैं। हमने इटली के फिनकैंटिएरी ग्रुप, जो यूरोप में एक अग्रणी पोत निर्माण प्रौद्योगिकी समूह है, के साथ एक व्यापक समझौता ज्ञापन संपन्न किया, जिसमें दीर्घकालिक सहयोग के विभिन्न संभावित क्षेत्रों को शामिल किया गया है।”

सहयोग के विभिन्न संभावित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। मुझे आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय बाजार के लिए सीएसएल में ट्रेजर बनाने के लिए, मेसर्स आईएचसी हॉलैंड, जो दुनिया की मुख्य ट्रेजर टेक्नॉलजी कंपनी है, के साथ सहयोग को सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमने कैनडा के प्रतिष्ठित टग और वर्कबोट डिजाइनर मेसर्स रॉबर्ट एलन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया, जिनके जहाज़ अक्सर खंड में तल चिह्न निर्धारित करते हैं।

हमारे पोत निर्माण के मोर्चे पर हमारे पास लगभग रु. 11,700/- करोड़ की आदेश पुस्तिका है। इसके अलावा, सीएसएल अगली पीढ़ी के मिसाइल वेसल के लिए भारतीय नौसेना के 6 जहाज़ निविदा में एल 1 के रूप में उभरा है, जिसकी कीमत लगभग रु. 10000 करोड़ है और जल्द ही औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। हम यूरोप से संभावित आदेश सहित अन्य परियोजनाओं पर भी आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे पोत निर्माण खंड के लिए समग्र दृष्टिकोण सकारात्मक है।

कोच्ची में मुख्य यार्ड में हमारी पोत मरम्मत सेवाओं के लिए मजबूत मांग दिखाई दे रही है, और इस तथ्य को देखते हुए कि मुंबई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में इकाइयां पूरी तरह स्टैडअलॉन राजस्व केंद्र के रूप में कार्य करेगी, पोत मरम्मत खंड में मजबूत विकास का वादा जारी है।

अभिस्वीकृति

मुझे सीएसएल का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है, जबकि हम मूल्य प्रदान करने और राष्ट्र की सेवा में कंपनी के 50 गौरवशाली वर्षों का जश्न मना रहे हैं। मैं वास्तव में भारत सरकार से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने विश्वास जताया और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल को आगे 5 साल के लिए बढ़ाया। कोचीन शिपयार्ड को मार्च 1972 में निगमित किया गया था और तब से कंपनी ने अपने दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ कई गुना वृद्धि की है। सीएसएल के लिए यह कभी भी आसान नहीं रहा और कंपनी ने विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया जिसने कंपनी को वैश्विक ग्राहकों के साथ खरोच से एक बहु स्थानीय कंपनी के रूप में विकसित करने में सक्षम बनाया। सीएसएल ने बेहद चुनौतिपूर्ण और प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में अपने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और क्षमताओं को चित्रित करके अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे अपने कैरियर की शुरुआत से ही सीएसएल से जुड़ने और कंपनी के साथ आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला है। अपनी यात्रा के इस चरण में, मुझे बेहद खुशी है कि सीएसएल एक सूक्ष्म परिवर्तन में सतत विकास को लक्षित कर रहा है एक अच्छी तरह से तैयार की गई रणनीतिक योजना के साथ नई प्रौद्योगिकी के रास्ते तलाश रहा है।

मैं इस अवसर को, संगठन को सही दिशा में ले जाने में मेरे साथी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के प्रयासों, उनकी प्रतिबद्धता और समर्थन को अभिस्वीकृत करने के लिए लेता हूँ। मैं पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, भारत सरकार, केरल सरकार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अंडमान व निकोबार प्रशासन के अन्य कार्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने शेरर धारकों, ग्राहकों और अपने सभी कर्मचारियों के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने हमें अपना सभी विश्वास और समर्थन प्रदान किया।

धन्यवाद,

जय हिंद

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

निदेशक मंडल



श्री मधु एस नायर जनवरी 01, 2016 को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय, भारत से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया है। शिपयार्ड प्रबंधन के संपूर्ण पहुँच में जून 1988 को कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में नियुक्त होने के बाद से उनके पास कंपनी के साथ 33 साल से अधिक पेशेवर अनुभव है। वे अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ गठजोड़ करने में महत्वपूर्ण चालक थे। जब वे विपणन प्रभाग का नेतृत्व कर रहे थे, तब अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध हासिल करने में माहिर और लघु पोत प्रभाग की संकल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में, सीएसएल एक बहुत ही सफल प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद एक सूचीबद्ध कंपनी बन गई। अपने कार्यकाल के दौरान, सीएसएल ने ₹2769 करोड़ की दो बड़ी विस्तार परियोजनाओं का दायित्व लिया है। इसके अलावा सीएसएल कोलकाता में सहायक कंपनी स्थापित करके अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन पोत खंड में प्रवेश कर रहा है। सीएसएल ने भारत के प्रमुख पोर्ट ट्रस्टों अर्थात् मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के साथ पोत मरम्मत परिस्थितिकी तंत्र के विकास और संचालन के लिए और उन बंदरगाहों में अलग इकाइयां स्थापित करने के लिए गठबंधन किया है। सीएसएल ने भी पोर्ट ब्लेयर में एक इकाई भी स्थापित की। वे कुरे, जापान से आईएचआई शिपयार्ड में पोत निर्माण प्रणाली में प्रशिक्षित हैं और समुद्री व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (ओवीटीए), टॉकियो और ओसाका अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, ओसाका जापान में जे आई सी ए विशेषीकृत प्रशिक्षण और जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर के दौरान जॉइनिंग और वेल्लिंग अनुसंधान में शोध किया। वे विभिन्न व्यावसायिक निकायों के सदस्य हैं जिसमें दि

रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स, यू के (आरआईएनए), भारत के इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स शामिल है, और वर्तमान में इंडो जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स केरल (आईएनजेएसीके) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। उन्हें जनता की शक्ति में एक मज़बूत विश्वास है और उसके द्वारा कल्पना की गई “लोक पहले नीति” का उद्देश्य सीएसएल को एक ज्ञान संगठन में शामिल करना है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, के अध्यक्ष भी है।



श्री बिजोय भास्कर अप्रैल 05, 2018 से कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ प्रौद्योगिकी (मेकानिकल) में स्नातक उपाधि प्राप्त की है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से प्रौद्योगिकी (मेकानिकल) में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ऑपन युनिवर्सिटी से प्रबंधन में उच्च डिप्लोमा पूरा कर लिया है। उन्होंने जून 29, 1988 को कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में कंपनी में कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें वर्ष 2014 में केरल प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा “वर्ष का प्रबंधक पुरस्कार” से सम्मानित किया गया। उन्हें कंपनी में 33 वर्ष का कार्य अनुभव है जहां वे कंपनी के पोत डिजाइन, पोत निर्माण, आउट फिट और पोत मरम्मत प्रभागों में शामिल हुए थे। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और टेवमा शिपयार्ड्स लिमिटेड, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के निदेशक भी है।



श्री जोस वी जे अगस्त 2019 से कंपनी के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं और सरकारी लॉ कॉलेज से कानून में डिग्री भी हासिल की है। उन्हें विविध क्षेत्र जैसे कि : वित्तीय प्रबंधन, रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 30 वर्षों का कार्यानुभव है। वे कंपनी के सूचना प्रणाली विभाग के भी मुख्य हैं। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और टेवमा शिपयार्ड्स लिमिटेड, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के निदेशक भी है।



श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस फरवरी 03, 2020 से भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी के एक अंशकालिक सरकारी (नामिती) निदेशक हैं। वे 1988 बैच के मध्यप्रदेश के आईएएस अधिकारी हैं। श्री संजय बंदोपाध्याय वर्तमान में भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय के अपर सचिव के पद पर तैनात हैं और पोर्ट्स, नौवहन, पोत निर्माण एवं पुनर्चक्रण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संधियों, एड-टू-नेवीगेशन आदि से संबंधित सभी नीतियों, संचालन और विकास कार्यों को सौंपा गया है। अतिरिक्त सचिव के रूप में उन्होंने पोतों के पुनर्चक्रण विधेयक 2019

के पारित होने और हांगकांग सम्मेलन के अनुसमर्थन को समन्वित किया। वे नए व्यापारी पोत बिल, एड-टू-नेवीगेशन बिल और भारतीय पोर्ट बिल के प्रासूपण का भी समन्वय कर रहे हैं।

उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से संचार प्रौद्योगिकी और रडार इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि और इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की है। पूर्व में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों दोनों में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर रहे, यानी, मध्यप्रदेश सरकार की तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के मुख्य सचिव, राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और अनुसंधान व विकास संरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) (भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऊर्जा सचिव (ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा), मध्य प्रदेश सरकार, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्य (वित्त) और मध्यप्रदेश सरकार के अपर सचिव। एनएटीआरआईपी के सीईओ के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, उन्हें भारत में ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए परीक्षण और अनुसंधान व विकास सुविधाओं के डिजाइन, योजना, प्रापण, निर्माण व कमीशनिंग, क्रैश जांच और डेटा विश्लेषण, परीक्षण व्यवस्था और विनियमों का विकास संबंधी कार्य सौंपा गया। इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में, उन्हें सड़क परिवहन नीति, सड़क सुरक्षा, मोटर वाहन अधिनियम, राष्ट्रीय परमिट, परिवहन विकास परिषद (टीडीसी), सड़क परिवहन निगम अधिनियम और सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम आदि कार्य सौंपा गया। वे मंत्री मंडल में पेश करने हेतु नए सड़क परिवहन और सुरक्षा बिल के प्रासूपण का भी समन्वय कर रहे थे।

उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है, जैसे भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ नागरिक केंद्रीय सेवा के लिए ‘वाहन’ यातायात पंजीकरण और परमिट प्रणाली को कार्यान्वित करने हेतु ‘प्लेटिनम आइकॉन वेब रत्न पुरस्कार 2012’, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य स्कूल पोर्टल और प्रबंधन के लिए प्रस्तुत ई-गवर्नेंस (स्वर्ण), वर्ष 2009-10 हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार, इंडिया टेक फाउंडेशन 2007 - ऊर्जा विभाग में भारत में दूसरा सर्वश्रेष्ठ सुधार राज्य।



श्री ज्योतिलाल के आर आईएएस केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामिती) निदेशक हैं। उन्हें अगस्त 24, 2020 से बोर्ड में फिर से नियुक्त किया गया। उन्हें आईआईटी चेन्नई से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेकनोलॉजी की उपाधि है। वे 1993 बैच (केरल केडर) के एक आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने केरल सरकार के विभिन्न विभागों जैसे भूमि राजस्व प्रबंधन और जिला प्रशासन, मत्स्य पालन / कृषि और सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले आदि में काम किया है। वर्तमान में वे केरल सरकार के प्रधान सचिव (परिवहन) के पद पर तैनात हैं।

हमारे लोग

मानव संसाधन दूरदर्शिता

निगमित मिशन वक्तव्यों में निहित लक्ष्यों और उद्देश्यों से निर्गत होकर, शिपयार्ड की सामरिक मानव संसाधन परिकल्पना एक अनोखी संस्था का निर्माण करने के लिए प्रयास करना है जो यार्ड के कार्यबल के कार्य जीवन की गुणवत्ता में सर्वांगीण सुधार के लिए रचनात्मकता, नवाचार, प्रौद्योगिकी, व्यापार और अच्छे निगमित प्रशासन प्रथाओं को एकीकृत करती है।

मानव संसाधन मिशन

यार्ड में काम करने वाले सभी अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए एक जीवंत मंच प्रदान करना और व्यक्ति और संगठन दोनों के लिए सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करें।

मानव संसाधन नीति

मानव संसाधन नीतियां मानव संसाधन का सही मिलाव, उनका सशक्तिकरण और संवर्धन प्रदान करने की ओर उन्मुख हैं ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों और परिणामों को पूरा किया जा सके।

लक्ष्य

विकास, मान्यता, पुरस्कार, प्रेरणा, क्षमता निर्माण, प्रतिबद्धता और स्वस्थ नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को सुनिश्चित करने वाले प्रदर्शन के आधार पर मानव संसाधन नीतियों को लागू / परिचय / और योजना बनाना।

सीएसएल दृष्टिकोण

कोचीन शिपयार्ड मानता है कि सभी संसाधनों के बीच यह शिपयार्ड का प्रचुर पेशेवर, कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन (एचआर) है जो शिपयार्ड को लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए प्रेरित कर रहा है और एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने में सीएसएल की सहायता कर रहा है। सीएसएल का मानव संसाधन कंपनी के व्यवसाय रणनीति का एक एहम हिस्सा है। सीएसएल में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली प्रक्रियाओं

और दृष्टिकोण को कर्मचारी कल्याण और निष्पादन को अधिकतम करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। कंपनी मानव संसाधन, भर्ती, प्रशिक्षण और विकास, निष्पादन मूल्यांकन और पुरस्कारों के प्रभावी प्रबंधन और विकास पर केंद्रित है। मानव संसाधन संगठनात्मक परिवर्तन और संगठन में एक स्वस्थ नियोक्ता कर्मचारी संबंध का वातावरण बनाए रखने से संबद्ध है।



हमारी श्रमशक्ति

1727

397 कार्यपालक,
156 पर्यवेक्षक और
1174 कामगार

(दिनांक 31 मार्च 2021 तक)

सांस्कृतिक क्षमताएं

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए निम्नलिखित चार सांस्कृतिक क्षमताएं की पहचान की है।



ज्ञान ग्रहण और कौशल संवर्धन

कार्यबल और युवा पीढ़ियों के बीच ज्ञान विकसित करने और कौशल को उन्नत करने के कंपनी के दृढ़ विश्वास के अनुरूप, एक ज्ञान और कौशल विकास विज्ञान सागर की स्थापना 27.50 करोड़ की लागत से 70000 वर्ग फुट कैंपस के साथ 3.5 एकड़ में फैले क्षेत्र में की गई थी। देश के प्रीमियम मैरीटाइम अध्ययन केंद्र विज्ञान सागर का उद्देश्य क्षेत्र में डिजिटल और तकनीकी प्रगति पूर्व समुद्र और पश्चात समुद्र मैरीटाइम प्रशिक्षण और नियमित स्नातक समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करना है। विज्ञान सागर में कोचीन शिपयार्ड का समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान होगा, जिसने समुद्री इंजीनियरों के प्रशिक्षण में योगदान के 27 गौरव शाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। मौजूदा कार्यबल को उन्नत कौशल विकास और पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए भी सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।

विज्ञान सागर को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।


सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण

मान्यताएं

सीएसएल के पर्यावरण अनुकूल उपायों की स्वीकृति के रूप में, कंपनी को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा ग्रीनको सिल्वर रेटिंग प्रमाणित किया गया है। प्रमाणन ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, अपशिष्ट प्रबंधन, सामग्री संरक्षण, पुनर्चक्रण, हरित आपूर्ति श्रृंखला, उत्पाद प्रबंधन एवं जीवन चक्र मूल्यांकन, पर्यावरण, हरित बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी के लिए नवाचार जैसे विभिन्न मापदंडों के तहत कंपनी के प्रदर्शन मूल्यांकन पर आधारित है। ग्रीनको सिल्वर रेटिंग के लिए प्रमाणित होनेवाली सीएसएल पोत परिवहन क्षेत्र की पहली कंपनी है। सीएसएल ने इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्साटाइल और कयर में बहुत बड़े कारखानों की श्रेणी के तहत केरल सरकार के कारखाना और बॉयलर विभाग से सुरक्षा पुरस्कार भी जीता है।

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

सीएसएल ने आईएसओ 9001: 2005 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 14001 :2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानकों के तहत अपनी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखा है। सीएसएल ने सितंबर 2020 में अपनी स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को नवीनतम आईएसओ 45001 :2018 में उन्नत किया।



निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

सीएसआर दूरदर्शिता

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड अपनी निगमित दृष्टि के अनुरूप, अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए मान्यता प्राप्त जिम्मेदार निगमित नागरिक होने और व्यवसाय के संचालन के अपने नैतिक तरीके के लिए सम्मानित होने की सर्वोत्तम परंपरा को जारी रखने के लिए तत्पर है। इसमें समाज के जीवन स्तर में सुधार के प्रति अपनी समृद्धि का परिणाम देना और सतत विकास के लिए पर्यावरण और प्रकृति में योगदान देने के द्वारा यह साझा समावेशी विकास के मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करता है।



अधीक्षक, जनरल अस्पताल, एर्णाकुलम को एंबुलेंस की चाबियाँ सौंपते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीएसएल। सीएसएल ने वर्ष के दौरान जनरल अस्पताल के लिए पांच एंबुलेंस खरीदने में मदद की है।

उल्लेखनीय सीएसआर परियोजनाएं

कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन प्रदान करने की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, सीएसएल ने केरल के पांच सरकारी अस्पतालों में केन्द्रीकृत ऑक्सीजन वितरण सुविधाएं स्थापित करने में मदद की। यह प्रणाली रोगी के बिस्तर के करीब दीवार पर लगे आउटलेट के माध्यम से दबावयुक्त ऑक्सीजन की सीधी डिलीवरी की सुविधा प्रदान करती है।

59

वित्तीय वर्ष 2021 में पूरी की गई सीएसआर परियोजनाओं की सं.

66

चालू परियोजनाओं की सं.

15.27

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान सीएसआर के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)



सुबाष पार्क, सीएसएल द्वारा सीएसआर पहल के तहत बनाए रखा कोच्ची में एक ऐतिहासिक स्थल, जिसे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की उपस्थिति में माननीय मेयर (श्रीमती सौमिनी जैन), कोच्ची निगम द्वारा शहर को समर्पित किया गया था।



प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए- परिवार स्वास्थ्य केंद्र, नूलपुषा, वयनाड (आकांक्षी जिला) के लिए सीएसएल द्वारा समर्थन।



“तलिर” - आकांक्षी जिला, वयनाड में सीएसएल द्वारा प्रदान की गई चार अंगनवाडियों में से एक, एक सीएसआर पहल जिसे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया।

निगमित सूचना

निदेशक मंडल

श्री मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री बिजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी)

श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस

अपर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक

श्री ज्योतिलाल के आर आईएएस

प्रधान सचिव (परिवहन)

केरल सरकार

अंशकालिक सरकारी (नामित) निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री के राजेन्द्रन

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

श्री श्यामकमल एन

प्रबंधन टीम

श्री मुरुगव्या एम

मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी)

श्री श्रीजित के एन

मुख्य महाप्रबंधक (पोत मरम्मत)

श्री नीलकंठन ए एन

मुख्य महाप्रबंधक (योजना एवं परियोजना प्रबंधन)

श्री सुरेश कुमार ए बी

महाप्रबंधक (प्रशिक्षण)

श्री राजेश गोपालकृष्णन

महाप्रबंधक (कार्यनीति एवं नई परियोजनाएं)

श्री हरिकृष्णन एस

महाप्रबंधक (सामग्री)

श्री एल्दो जॉन

महाप्रबंधक (इंफ्रा परियोजनाएं)

श्री सुब्रमण्य पिल्लै आर

महाप्रबंधक (यूएंडएम)

श्री शिवकुमार ए

महाप्रबंधक (पोत निर्माण)

श्री सुनिल कुमार के आर

महाप्रबंधक (आईएसी)

श्रीमती अंजना के आर

महाप्रबंधक (डिजाइन)

श्री जयन के तंपी

महाप्रबंधक (पोत मरम्मत-मुंबई)

श्री घिराज वी पी

महाप्रबंधक (आईएसी- परियोजना प्रबंधन)

श्री शिवराम नारायण स्वामी

महाप्रबंधक (व्यापार विकास-पोत निर्माण))

श्री सुबाष ए के

महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

पंजीकृत कार्यालय

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर,

कोच्ची- 682 015, केरल, भारत

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक

कैनरा बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

आईडीबीआई बैंक

एक्सिस बैंक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एलियास जॉर्ज एंड कं.

सनदी लेखकार

38/1968 ए, ईजीसी हाउस,

एचआईजी अवन्यू वेस्ट एंड

गांधी नगर, कोच्ची - 682 020

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स मेहता एंड मेहता

कंपनी सचिव

201-206, शिव स्मृति, दूसरा तल

49/ए, डॉ आनी बसंट रोड,

कॉरपोरेशन बैंक के ऊपर, वेर्ली, मुंबई - 400 018

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स के ए फेलिक्स एंड कं.

पी 31/670, पार्वती निलयम

वेल्केयर अस्पताल के सामने, वैटिला पी ओ,

एर्णाकुलम - 682 019

डिबेंचर ट्रस्टी

एबीआईकेप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड

6 वीं तल, अपीजय हाउस,

3, दिनशा वच्चा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020

रजिस्ट्रार एवं ट्रांस्फर एजेंट

लिक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

सूर्या, 35, मईफलवर अवन्यू

सेंतिल नगर के पीछे, सौरीपालयम रोड,

कोयंबतूर - 641 028

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारियों,

1 आपके निदेशकों को कंपनी की 49 वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में संतोष है ।

वित्तीय निष्पादन

2. आपकी कंपनी ने कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न बाधाओं के बावजूद और जब पोत निर्माण बाजार का परिदृश्य कमजोर बना हुआ है, तब भी एक और वर्ष में प्रभावशाली कार्य-निष्पादन प्रदर्शित किया है । वर्ष 2019-20 के 3,422.49 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 2,818.90 करोड़ रुपए के कुल कारोबार प्राप्त करने में कंपनी को विविध परिचालन खंडों और उत्पाद प्रोफाइल ने मदद की है । इस वर्ष कर पूर्व लाभ 810.59 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले वर्ष में 863.43 करोड़ रुपए था । इस वर्ष निवल लाभ 610.10 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले वर्ष में 637.69 करोड़ रुपए था ।

3. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपए है जो प्रत्येक 10 रुपए अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी ₹1,31,54,03,900/- है जो प्रत्येक 10 रुपए अंकित मूल्य के 13,15,40,390 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

वित्तीय विशिष्टताएं

		(₹ करोड़ में)	
क्र.सं.	विवरण	2020-21	2019-20
(i)	कुल आय	3,012.76	3,669.99
(ii)	वित्तीय लागत, मूल्यहास व कर पूर्व लाभ	914.13	956.75
(iii)	वित्तीय लागत	50.47	44.59
(iv)	मूल्यहास व बढ़ा खाता	53.07	48.73
(v)	कर पूर्व लाभ	810.59	863.43
(vi)	कर व्यय	200.49	225.74
(vii)	निवल लाभ	610.10	637.69



लाभांश

4. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) विभाग द्वारा जारी दिनांक 27 मई 2016 के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 5/2/2016-पॉलिसी के अनुसार, हर सीपीएसईई कर पूर्व लाभ के 30% और निवल-मूल्य के 5% जो भी उच्च हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अदा करना है। तदनुसार, आपके निदेशकों प्रत्येक ₹10 के 13,15,40,390 पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों पर प्रति इक्विटी शेयर ₹ 2.50/- का अंतिम लाभांश देने के लिए

सिफारिश करने में प्रसन्नता है । इससे पहले, वर्ष 2020-21 के दौरान शेयरधारकों को ₹ 9/- और ₹ 4/-, कुल मिलाकर ₹ 13/-प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया है । इस प्रकार, वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश ₹ 15.50/- प्रति इक्विटी शेयर (155%) है, जिसकी राशि ₹ 203.89/- करोड़ है । निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने के लिए कोई बेदावा लाभांश (पिछले वर्षों का) नहीं है ।

लाभांश वितरण नीति

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियमन 43 ए के अनुसार शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाएं एक लाभांश वितरण नीति तैयार करेगी। तदनुसार, पैरामीटर और परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए लाभांश वितरण नीति अपनाया गया है जिसे बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण और /या लाभ को व्यापार में बनाए रखने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। नीति कंपनी की वेबसाइट <https://www.cochinshipyard.in/uploads/coporate/1776176ff06b7942265b7265e3f6bd97.pdf> लिंक पर उपलब्ध है।



संचित निधि का अंतरण

6. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की गई है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. जीएसआर 574 (ई) द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में किए गए संशोधन के अनुसार, कंपनी इसके द्वारा जारी बांड के संबंध ऋणपत्र प्रतिदान संचित निधि सृजित करने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 31 मार्च 2021 की तिथि पर कंपनी के आरक्षित निधि और अधिशेष ₹3,846.03 करोड़ था जो कंपनी की अंतर्निहित वित्तीय शक्ति प्रकट करती है।

राजकोष को अंशदान

7. आय कर, सीमाशुल्क, जीएसटी, सेवा कर, केजीएसटी/केवीएटी और लाभांश लगभग ₹504.43 करोड़ का कुल अंशदान दे दिया है।

जहाजनिर्माण

8. कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹2,405.60 करोड़ की कुल पोत निर्माण आय हासिल की, जबकि वर्ष 2019-20 में ₹2,852.27 करोड़ थी। वर्ष 2020-21 के दौरान, अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए एक 500 यात्री एवं 150 मे.ट. कार्गो जहाज, दो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) के लिए दो रो-रो फेरी, केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए तीन समुद्री एम्बुलेंस नाव और तमिलनाडु के लाभार्थियों के लिए पांच ट्यूना लॉन्ग लाइनर व गिलनेटर मत्स्य ग्रहण नाव सुपुर्द किया गया। सीएसएल ने भारतीय नौसेना के लिए दो ब्राउज और पॉटून भी सुपुर्द किए। इसके अलावा, भारतीय नौसेना के लिए तीन पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटर क्राफ्ट का निर्माण, गृह मंत्रालय के लिए नौ फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट (एफबीओपी) पोत, जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवट लिमिटेड के लिए चार 8000 डीडब्ल्यूटी मिनी जनरल कार्गो पोत और कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) के लिए पांच हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यात्री फेरी का कार्य प्रगति पर है।

9. यार्ड ने विभिन्न परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण रूप से मुख्य कदम उठाया है, जिसमें कोच्ची में अपनी निर्माण गोदी से एक बार में पांच जहाजों का जलावतरण और एक ही दिन में दो जहाजों के लिए कोल लगाने का कार्य भी शामिल हैं। जलावतरण कि गए जहाजों में जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवट लिमिटेड, के लिए दो 8000 डीडब्ल्यूटी मिनी जनरल कार्गो पोत, गृह मंत्रालय के लिए तीन एफबीओपी जहाज शामिल हैं और जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवट लिमिटेड, के लिए दो 8000 डीडब्ल्यूटी मिनी जनरल कार्गो पोतों के लिए कोल लगाने का कार्य भी किया गया। इसके अलावा, सीएसएल ने केएमआरएल के लिए एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक - यात्री फेरी (100 यात्री) का भी जलावतरण किया और गृह मंत्रालय के लिए तीन एफबीओपी जहाजों के लिए कोल लगाने का काम भी किया। सीएसएल ने भारतीय नौसेना के लिए तीन पनडुब्बी

रोधी शैलो वाटर कॉर्वेट और केएमआरएल के लिए पांच हाइब्रिड इलेक्ट्रिक-यात्री फेरी (100 यात्री) की स्टील कटिंग भी की। सीएसएल ने आवश्यक सावधानियों के साथ उपलब्ध संसाधनों के साथ काम करके कोविड-19 महामारी के बीच ये मुकाम हासिल किया है।



10. प्रतिष्ठित स्वदेशी विमान वाहक परियोजना परीक्षण चरण में है। पूरा पतवार काम (संरचनात्मक संविरचना और निर्माण) और 95% आउटफिटिंग पूरा कर लिया गया है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न कठिनाइयों/अनिवार्यताओं के बावजूद, जहाज के पोत के बेसिन परीक्षण, जो मुख्य रूप से बंदरगाह में जहाज के मुख्य प्रणोदन संयंत्र के प्रदर्शन को साबित करने के उद्देश्य से हैं, को सफलतापूर्वक नवंबर 2020 में पूरा किया गया। बेसिन परीक्षण इस कैलेंडर वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए आगामी समुद्री परीक्षणों के अग्रदूत हैं, जिसमें सभी चार एलएम 2500 गैस टर्बाइन, मुख्य गियरबॉक्स, शाफ्टिंग और नियंत्रणीय पिच प्रोपेलर के साथ-साथ उनके एकीकृत नियंत्रण प्रणालियों के व्यापक बंदरगाह परीक्षण शामिल हैं। इसके अलावा, प्रमुख सहायक उपकरण और प्रणालियां जैसे कि स्टीयरिंग गियर, एयर कंडीशनिंग प्लांट, कम्प्रेसर, सेंट्रीफ्यूज, सभी महत्वपूर्ण पंप, बिजली उत्पादन और वितरण प्रणाली, प्रमुख मशीनरी अग्निशमन और डी-फ्लडिंग सिस्टम, डेक मशीनरी, ऑंतरिक संचार उपकरण आदि का भी उपरोक्त परीक्षणों से पहले जांच किया गया था।

11. पोत को उसके पहले समुद्री परीक्षणों के लिए तैयार करने के लिए नौवहन और संचार प्रणालियों, एचवीएसी प्रणाली और समुद्री परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान की तैयारी का परीक्षण किया जा रहा है। एक साल के अंतराल के बाद मार्च 2021 में रूसी सुविधाओं के आने के बाद विमानन सुविधाओं के कॉम्प्लेक्स से संबंधित कार्यों को भी फिर से शुरू किया गया है।

12. आईएसी का समुद्री परीक्षण क्यू 1 वित्तीय वर्ष -2022 में शुरू होनेवाला है। पोत दो चरणों में किए जाने की योजना के तहत समुद्री परीक्षणों के कई दौर से गुजरेगा।

पोत मरम्मत

13. वर्ष के दौरान, कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान 570.23 करोड़ रुपए की तुलना में 413.30 करोड़ रुपए की कुल पोत मरम्मत आय हासिल की। मुख्य यार्ड में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए प्रमुख जहाजों में आईएनएस मगर, एमओडीयू सागर विजय, एमटी स्वर्ण कृष्णा, जीटीवी समुद्र सर्वेक्षक, आईएनएस सुदर्शनी एवं डीसीआई ड्रेज VII शामिल हैं। सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए प्रमुख जहाजों में आईएनएस मुंबई मुंबई, एमवी कैपबेल वे, आईसीजीएस संग्राम और आईएन सबमरीन-5 (आईएनएस वागीर) का पृथक्करण शामिल हैं। सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए प्रमुख जहाजों में ड्रेज XVIII, स्विट्जर फॉक्सट्रॉट और डीसीआई लॉन्च III शामिल हैं।



पोत निर्माण आदेश बही स्थिति

14. वर्ष 2020-21 के दौरान, सीएसएल ने अस्को मैरीटाइम एएस, नॉर्वे के लिए दो ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक जहाज के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा, पोत निर्माण के आदेश हासिल करने में सफल रहा है। दिनांक 31 मार्च 2021 को आदेश बही की स्थिति निम्नानुसार हैं :

जहाज का प्रकार	संख्या
भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी वायुयान वाहक	01
डीआरडीओ के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जहाज (विशेष उद्देश्य जहाज)	01
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के लिए 500 यात्री एवं 150 मे.ट. कार्गो जहाज	01
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के लिए 1200 यात्री एवं 1000 मे.ट. कार्गो जहाज	02
जेएसडब्ल्यू शिपिंग एवं लॉजिस्टिक्स प्राइवट लिमिटेड के लिए 8000 डीडब्ल्यूटी मिनी बल्क कैरियर	04
गृह मंत्रालय के लिए फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जहाज	09
भारतीय नौसेना के लिए आंटी सबमरीन शैलो वाटर कॉर्वेट	08
केएमआरएल के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक - यात्री फेरी (100 यात्री)	23
अस्को मैरीटाइम एएस, नॉर्वे के लिए स्वायत्त इलेक्ट्रिक जहाज	02

विस्तार परियोजनाएं

15. प्रमुख परियोजनाओं और पहलों की स्थिति निम्नानुसार हैं -

i) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ)

सीएसएल ने कोचीन पोर्ट परिसर में पट्टे क्षेत्र में सूखी गोदी एवं मौजूदा सुविधाओं का संचालन जारी रखा। सीएसएल ने वर्ष 2020-21 के दौरान बारह जहाजों के मरम्मत का कार्य पूरा किया। आईएसआरएफ परियोजना का निर्माण कार्य, जो नवंबर 17, 2017 को शुरू हुआ था, कोविड-19 महामारी के कारण असफलताओं के बावजूद प्रगति कर रहा है। 100% पाइलिंग का काम और 87% डेक कंक्र्रीटिंग का काम पूरा हो गया है। विभिन्न औद्योगिक भवन, निर्माण के अंतिम चरण में है। सीएसएल को मेसर्स आईएमजी, जर्मनी द्वारा आपूर्ति की गई स्थानांतरण प्रणाली से संबंधित सभी घटक प्राप्त हुए। शिपलिफ्ट प्रणाली के संबंध में, सीएसएल को मेसर्स सिंक्रोलिफ्ट एएस, नॉर्वे से विभिन्न प्रेषण प्राप्त होने लगा। मेसर्स सीजेएससी एसएमएम, रूस को आदेशानुसार, 10 टी क्रेन के लिए निर्माता के परिसर में संरचनात्मक कार्य प्रगति पर हैं। मेसर्स लिबेरर, जर्मनी को तीन आपूर्ति और कमीशनिंग आदेश जारी कर दिया गया है। आईएसआरएफ परियोजना को वित्त वर्ष 2021-22 में चालू करने का लक्ष्य है। समुद्री उद्योग में विश्व स्तर पर दस प्रसिद्ध फर्मों ने पहले चरण में मैरीटाइम पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए सीएसएल के साथ भागीदारी की है। सीएसएल को कोच्ची के एक प्रमुख पोत मरम्मत केंद्र के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है, जो वर्तमान पोत मरम्मत गोदी में प्रमुख कार्यों के साथ-साथ बढी हुई क्षमताओं के साथ है जो आईएसआरएफ के चालू होने पर उपलब्ध होगी।

ii) नई सूखी गोदी परियोजना

600 टन गैन्ट्री क्रेन के साथ 310 x 75/60 x 13m मापनेवाला नयी सूखी गोदी कंपनी के मौजूदा परिसर के उत्तरी छोर पर स्थित होगा। नई गोदी कंपनी के पोत निर्माण और पोत मरम्मत की क्षमता को बढ़ाएगा जो आवश्यक रूप से विशेष और तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों के बाजार की क्षमता को पकड़ने में मदद करेगा जैसे कि एलएनजी वाहक, उच्च क्षमता के वायुयान वाहक, जैक अप रिफ्स, ड्रिल पोत, बड़े ड्रेजर और ऑफशोर प्लॉटफॉर्म और बड़े जहाजों की मरम्मत आदि। जून 2018 में शुरू हुई निर्माण गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण लगे झटके के बावजूद आगे बढ़ रही हैं। भूतल सुधार कार्य, कोफेडाम कार्य, डॉक वॉल शीट पाइल संस्थापना कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा, लगभग 70% आरसीसी पाइलिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। 600 टन गैन्ट्री क्रेन की आपूर्ति और चालू करने का अनुबंध भी जारी किया गया था और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत डिजाइन की समीक्षा की जा रही है।

iii) सीएसएल - मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू)

सीएसएल ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ दिनांक 20 अक्टूबर 2018 को मुंबई पोर्ट के इंदिरा डॉक के ह्यूजेस ड्राई-डॉक और बर्थ नंबर 5,6,7 और 8 में

पोत मरम्मत सुविधा के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन के लिए एक समझौता किया। प्रचालन के बाद, सीएसएल ने लगभग 49 जहाजों की मरम्मत सफलतापूर्वक की है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के संचालन को प्रभावित करने के बावजूद, सीएसएल ने 20 पोतों की ड्राई-डॉक और एफ्लोट मरम्मत का कार्य किया है। इन मरम्मत परियोजनाओं में शामिल हैं, (1) रक्षा ग्राहकों का जहाज, विशेष रूप से भारतीय नौसेना के निर्देशित-मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मुंबई, एमडीएल के माध्यम से आईएन-सबमरीन - 5 (आईएनएस बागीर) का पनडुब्बी पृथक्करण ऑपरेशन, आईसीजी तटरक्षक जहाजों की मरम्मत के लिए अफ्लोट मरम्मत कार्य और (2) वाणिज्यिक ग्राहक विशेष रूप से, भारतीय नौवहन निगम (एएससीआई) के अपतटीय जहाजों, एफएसआई के सर्वेक्षण जहाजों, अंडमान एवं निकोबार के यात्री जहाजों और मेसर्स ग्रेटशिप इंडिया सहित विविध निजी मालिकों का जहाज। सीएसएल ने एक विदेशी ग्राहक के लिए मरम्मत का कार्य भी शुरू किया था और मेसर्स मिक्लिन एक्सप्रेस ऑफशोर, सिंगपूर के लिए डीएसपी एनपीपी नुसंतारा की मरम्मत सफलतापूर्वक पूरी की।

iv) सीएसएल - कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)

दिनांक जून 08, 2020 को सीकेएसआरयू, कोलकाता में देशव्यापी तालाबंदी के बाद काम फिर से शुरू होने के बाद, डीसीआई जहाजों की ड्राई-डॉक मरम्मत 'सर्वे लॉन्च-III' को लॉकडाउन के बाद काम फिर से शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया था। तब से सीकेएसआरयू ने 3 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जैसे कि डीसीआई ड्रेज XVIII की मरम्मत जिसे एक वैश्विक निविदा के आधार पर प्रदान किया गया था, टग स्विटजर फॉक्सट्रॉट की आपातकालीन मरम्मत, स्विटजर एशिया प्राइवट लिमिटेड से पहला विदेशी पोत मरम्मत आदेश, मार्सक लाइन्स का एक भाग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के लिए उनके नंबर 1 बॉक्स कैसॉन का व्यवहार्यता अध्ययन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से टग ताम्रलिप्ता की ड्राई-डॉक मरम्मत और एससीआई से एमवी डेरिंग के लिए फर्म स्टेमिंग के आदेश प्राप्त हुए हैं। सीकेएसआरयू सुविधा का एबीएस गुणवत्ता मूल्यांकन द्वारा मार्सक आपूर्तिकार आचार संहिता के लिए जिम्मेदार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में और आईसीजी जहाजों की मरम्मत/सुधारने के लिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सफलतापूर्वक लेखापरीक्षा किया गया था। विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास गतिविधियां और समर्पित श्रमशक्ति की भर्ती प्रगति पर है। टर्नकी सेवाओं के लिए 4 प्रमुख ठेकेदारों को पहले ही सूचीबद्ध किया जा चुका है और विभिन्न जहाज मरम्मत संबंधी सेवाओं को शुरू करने के लिए 100 से अधिक ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण प्रगति पर है।

v) सीएसएल - अंडमान एवं निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएनएसआरयू)

सीएसएल और अंडमान निकोबार प्रशासन के बीच निष्पादित समझौते को समझौते में निर्धारित शर्तों का पारस्परिक रूप से पालन करके और

परिसंपत्ति सत्यापन और डिपस्टिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करके दिनांक 15 जनवरी, 2021 को प्रभावी बना दिया गया है। सीएसएल समुद्री डॉकयार्ड, पोर्ट ब्लेयर के आधुनिकीकरण के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए सक्षम अभिकरणों के साथ चर्चा के अंतिम चरण में है ताकि प्रशासन के स्वामित्ववाले जहाजों के बेड़े की मरम्मत प्रभावी ढंग से की जा सके और संचालन के लिए जहाजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सीएनएसआरयू के लिए नामित सीएसएल अधिकारियों का पहला बैच कार्यालयों की स्थापना, आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थिति, विभिन्न उप-ठेकेदार कार्यों के लिए टर्नकी ठेकेदारों और विक्रेताओं के पैनेल और सीएनएसआरयू में सामग्री की आपूर्ति पर काम कर रहा है। 'सीएनएसआरयू में टर्नकी उप ठेका कार्यों को करने के लिए नामिकायन' के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए अत्यधिक तीव्र प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। स्थायी सूची और अनुबंध आधार पर विभिन्न संवर्गों में अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, गुणता नियंत्रण और एचएसई कार्मिकों का परिनियोजन जल्द से जल्द पोत मरम्मत गतिविधियों को शुरू करने के उद्देश्य से प्रगति में है।

vi) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल)

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) को शुरू में सीएसएल और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। केन्द्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी के बाद, एचसीएसएल दिनांक 01 नवंबर, 2019 से सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। एचसीएसएल गुणवत्तापूर्ण अंतर्देशीय और तटीय पोत निर्माण के लिए पूर्वी तट में अग्रणी जहाज निर्माण यार्ड में से एक के रूप में खुद को स्थापित करने का इरादा रखता है।

'हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, नजीरगंज इकाई का नया यार्ड निर्माण' पूरा होने के उन्नत चरण में है और यह सुविधा दिनांक 09 मार्च, 2021 से प्रचालन के लिए तैयार हो गई है। शेष प्रणालियों और उपकरणों को अंतिम रूप से चालू करने का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में, सिविल कार्य के लिए 93% की प्रत्यक्ष प्रगति पहले ही प्राप्त हो चुकी है, जबकि 85% पूर्णता के साथ मशीनरी, मेकानिकल और इलेक्ट्रिकल का कमीशनिंग कार्य प्रगति पर है।

सिविल कार्य पैकेज के तहत निर्माण गतिविधियों ने वर्ष 2019-20 में 50% का आंकड़ा पार कर लिया था, जब दिनांक 23 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण साइट पर सभी कार्यों को रोकना पड़ा था। काम का ठहराव दिनांक 09 जून, 2020 तक जारी रहा जो 79 दिनों की अवधि तक चला। कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए साइट की सीमा के भीतर श्रमिकों को स्थानांतरित करने के बाद ही काम फिर से शुरू किया जा सकता है, भले ही यह पूरे राज्य में बेरोकटोक रहा हो। हालांकि, दिनांक 10 जून 2020 तक साइट पर काम फिर से शुरू हो गया, लेकिन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए नियमित अंतरिम लॉकडाउन के कारण कार्य प्रगति की गति को पूर्व-कोविड गति में वापस नहीं लाया जा सका, जिससे कार्यबल और सामग्री

को वांछित स्तर तक लामबंद किया जा सके। महामारी के कारण मानव-दिवस के नुकसान को ध्यान में रखते हुए, जून 2021 की मूल संविदात्मक समाप्ति तिथि को अप्रत्याशित घटना खंड के अनुसार सितंबर 2021 में संशोधित किया जाएगा। हालांकि, शेष कमीशनिंग और संबद्ध कार्यों को जुलाई 2021 तक पूरा करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक स्लिपवे पर निर्माण का काम है जो खुली नदी में किया जा रहा है, जिसमें पर्याप्त ज्वार भाटा, तेज पानी की धारा और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नेविगेशनल चैनल से निकटता है।

vii) टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल)

सीएसएल की दीर्घकालिक कार्यनीति के हिस्से के रूप में, जैसे कि, कृज, 2030, सीएसएल ने कई अवसरों में से एक के रूप में गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण पोत की पहचान की थी और इस दिशा में सीएसएल ने दिनांक 15 सितंबर, 2020 को सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) का अधिग्रहण किया था और तब से टीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सीएसएल ने मत्स्य ग्रहण जहाजों (विशेष तौर पर तकनीकी रूप से उन्नत गहरे समुद्री मत्स्य ग्रहण जहाज) टग और 80 मीटर लंबाई तक के विशेष क्राफ्ट के निर्माण के लिए टीएसएल में सुविधाओं के उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है, जो आनेवाले वर्षों में घरेलू और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी संभावनाएं पेश करता है। टीएसएल में दो सुविधाएं हैं, एक माल्पे, कर्नाटक में और दूसरा चेंगलपेट, तमिलनाडु में। माल्पे में सुविधाएं नीचे दी गई तीन इकाइयों में फैली हुई हैं।

(क) माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स - हल निर्माण एवं जलावतरण

(ख) हैंगरकट्टा - स्टील की तैयारी और ब्लॉक निर्माण, तथा

(ग) बाबुथोड्डा - गोदाम।

वित्तीय कठिनाइयों और परिणामी सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के कारण, टीएसएल की सुविधाएं पिछले कई वर्षों से काम नहीं कर रही थीं। सितंबर 2020 में सीएसएल द्वारा अधिग्रहण के बाद, टीएसएल ने प्रचालन शुरू करने के लिए माल्पे में अपनी बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माल्पे में तीन सुविधाओं में से, बाबुथोड्डा गोदाम का पुनरुद्धार पूरा हो गया है और चालू है। हैंगरकट्टा इकाई का पुनरुद्धार उन्नत चरणों में है और इसके जुलाई 2021 तक चालू होने की उम्मीद है। माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स में सुधार कार्य भी प्रगति पर है। ट्रॉस्कर बे को तैयार कर लिया गया है और मुख्य नई इमारत शॉप और सर्फेस ट्रीटमेंट शॉप का जीर्णोद्धार अगस्त 2021 तक पूरा करने हेतु प्रगति पर है। आवश्यक श्रमशक्ति की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया उन्नत चरण में है और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है।

चेंगलपेट की सुविधा का उपयोग संरचनात्मक आउटफिटिंग मद, पतवार, हाइड्रोफोर इकाइयों आदि के निर्माण के लिए करने की योजना है, और माल्पे सुविधा के चालू होने और चेंगलपेट सुविधा की व्यवहार्यता स्थापित होने के बाद इस संबंध में गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के प्रावधानों के अनुसार प्रपत्र एओसी-1 के रूप में सहायक कंपनियों/सहयोगियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक अलग विवरण वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।


आईपीओ आय का उपयोग

16. वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का पूरा उपयोग किया है। विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	₹ करोड़ में
प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ)	961.95
घटाव : आईपीओ खर्च (कंपनी का शेयर)	21.72
निवल आईपीओ आय	940.23
घटाव : निम्न के लिए आय का उपयोग :	
सामान्य निगमित उद्देश्य	165.23
नई सूखी गोदी का निर्माण	510.00
आईएसआरएफ	265.00
आईपीओ आय शेष	0.00

श्रमशक्ति की स्थिति

17. दिनांक मार्च 31, 2021 को कंपनी की श्रमशक्ति 1727 थी जिसमें 397 कार्यपालक, 156 पर्यवेक्षक और 1174 कामगार शामिल थे।



औद्योगिक संबंध

- सीएसएल ने वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण बनाए रखना और बढ़ावा देना जारी रखा । विशेष रूप से कंपनी को जिम्मेदार कारणों से श्रमिक अशांति के कारण काम के घंटे का कोई नुकसान नहीं हुआ था ।
- कंपनी के मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों द्वारा सीएसएल के स्थायी कामगारों के लिए दीर्घकालिक समझौता (एलटीएस) तैयार करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न हुई । 46 बैठकों की एक श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर लंबी चर्चा के बाद दिनांक 28 मार्च 2019 को प्रबंधन और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों द्वारा श्रमिकों के वेतन संशोधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो दिनांक मार्च 31, 2027 तक वैध है । तत्पश्चात, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (3) के तहत दिनांक जून 18, 2019 को प्रबंधन एवं मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों द्वारा उप मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष समझौता ज्ञापन के रूप में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।
- वेतन संशोधन के लिए इस महत्वपूर्ण एलटीएस ने कंपनी के कामगारों के बीच सामान्य संतोष और खुशी का संचार किया । वार्ता के दौरान अपने सक्रिय दृष्टिकोण के साथ मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों ने एक बार फिर कंपनी की बढ़ी हुई उत्पादकता और आर्थिक स्थिरता के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा का प्रदर्शन किया है ।
- इसके अलावा, ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह दिनांक 19 मार्च, 2021 को उप मुख्य श्रम आयुक्त (सी) द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी संघ (सीएसईएफ) और कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी संगठन (सीएसईओ) नामक दो यूनियनों ने मान्यता के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार मान्यता का दर्जा हासिल किया है । हालांकि, इसके लिए मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) से औपचारिक मंजूरी का इंतजार है ।
- कार्यपालकों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों ने भी वर्ष के दौरान कंपनी को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना जारी रखा ।
- संयुक्त प्रबंधन मंच जैसे संयुक्त परिषद, शॉप परिषद, केंद्रीय सुरक्षा समिति, शॉप स्तर सुरक्षा समिति, अनुबंध कार्यकर्ता सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट आदि प्रभावी ढंग से कार्य करते रहे ।
- विभिन्न स्वेच्छिक योजनाओं जैसे कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, शिपयार्ड परिवार प्रतिभा पुरस्कार योजना, कर्मचारी शैक्षिक सहायता योजना आदि के माध्यम से कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण एवं भलाई का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है ।

मानव संसाधन विकास

वर्ष 2020-21 के दौरान शिक्षण और विकास गतिविधियां

- कोविड-19 महामारी के कारण, आमतौर पर सीएसएल में आयोजित पारंपरिक आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों को वर्ष 2020 की पहली दो तिमाहियों में कुछ महीनों के लिए निलंबित करना पड़ा और बाद में माइक्रोसॉफ्ट टीमों, जूम आदि का उपयोग करके वर्चुअल माध्यम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
- मुख्य बाहरी वेबिनार जिनके लिए अधिकारियों को नामित किया गया था, उनमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं :
 - आईएसओ 50001 का डिजाइन और कार्यान्वयन ।
 - इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद द्वारा तनाव और जीवन शैली ।
 - ट्रांसफर प्राइसिंग - कोविड 19 का प्रभाव सहित ।
 - संरचना और विलय एवं अधिग्रहण का वित्तपोषण ।
 - दिवाला और दिवालियापन संहिता की समझ ।
 - भारत समुद्री तकनीकी सम्मेलन 2020 ।
 - वित्तीय पेशेवरों के लिए विवरण विश्लेषण ।
 - स्थैतिक बिजली और औद्योगिक सुरक्षा ।
 - जोखिम प्रबंधन ।
 - अनुबंध प्रारूपण और प्रबंधन ।
 - नाविकों का मूल्यांकन, परीक्षा और प्रमाणन (ईईसीएस) ।
 - ईएससीआई, हैदराबाद द्वारा क्षारण इंजीनियरिंग, उभरती प्रौद्योगिकियां, कोटिंग और उन्नत सामग्री ।
 - भारतीय लेखा मानक - वित्त पेशेवरों के लिए मास्टर क्लास ।
 - उच्च प्रभाव कॉर्पोरेट प्रशासन - सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीएसआर स्थिरता और जिम्मेदार व्यवसाय की उत्कृष्टता ।
 - समुद्री हाइड्रोजन ईंधन सेल सम्मेलन, यूरोप आदि ।

- कंपनी ने 'विलय, अधिग्रहण और पुनर्गठन' और 'अनुबंध प्रबंधन' आदि विषयों पर भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के वर्चुअल कार्यक्रमों के लिए 'प्रज्वलित मन' योजना के तहत वरिष्ठ अधिकारियों को भी नामित किया । लेकिन बाकी नामांकनों पर अमल नहीं हो सका क्योंकि संस्थानों ने सत्र रद्द कर दिया था ।

अनुकूलित आंतरिक प्रशिक्षण

- मुंबई और कोलकाता में सीएसएल और इसकी इकाइयों में 300 कार्यपालकों को आईएसओ 45001:2018 पर 18 घंटे का मॉड्यूल प्रशिक्षण दिया गया था - मेसर्स डीएनवी -जीएल द्वारा लेखापरीक्षा से पहले बाहरी लेखापरीक्षा तैयारी के हिस्से के रूप में केएसपीसी द्वारा आयोजित वीडियो आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ अंतरिक लेखापरीक्षक उन्नयन प्रशिक्षण । प्रमाणन के बाद एक ऑनलाइन मूल्यांकन किया गया जिसमें पाठ्यक्रम को पास करने के लिए 85%

सही उत्तरों की आवश्यकता थी और स्थायी रोल के साथ-साथ अनुबंध पर 296 अधिकारियों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया था ।

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के संबंध में व्यापार नीति पर ऑनलाइन संवादात्मक सत्र अक्टूबर 27, 2020 को मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसएल श्री के राजेंद्रन द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें 37 अधिकारियों ने भाग लिया था ।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 द्वारा कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, नवंबर, 2020 में सीएसएल कर्मचारी कैंटीन के 10 पर्यवेक्षकों एवं कर्मचारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, सीएसएल ने एक अनुकूलित एक दिवसीय 'खाद्य सुरक्षा पर उन्नत प्रमाणन - उन्नत खानपान और कोविड जागरूकता' भी आयोजित किया गया । 10 प्रतिभागियों ने प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रमाणन दो वर्ष की अवधि के लिए वैध है ।
- चार कार्यपालकों ने राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (एनआईसीएमएआर), पुणे द्वारा आयोजित निर्माण अनुबंध प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रम पूरा किया ।
- नवंबर, 2020 और जनवरी 2021 में प्रत्येक बैच में 4 दिनों के दो चरणों में 38 नए शामिल पर्यवेक्षकों को प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।
- एक अनुकूलित प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) 'योग्यता आधारित मूल्यांकन' फरवरी 24, 2021 को राजगिरी अनुसंधान संस्थान, काक्कनाड में आयोजित किया गया था । 19 कार्यपालकों ने कार्यक्रम पूरा किया ।
- मैरीटाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट नेथरलैंड्स (एमएआरआईएन), एम्स्टर्डम द्वारा 'पोत डिजाइन में हाईड्रोडायनामिक्स' पर 6 दिवसीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए एक कार्यपालक को नामित किया गया था ।
- सीएसएल सेवा से सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के लिए मार्च 25, 2020 को प्रशिक्षण संस्थान में नई पेंशन प्रणाली के संबंध में एनएसडीएल द्वारा एक ऑनलाइन आधारित सत्र आयोजित किया गया था ।
- नोवेक्स मंच - सीएसएल द्वारा हाल ही में एक क्लाउड आधारित ऑनलाइन कोष की शुरुआत की है और विभिन्न दक्षताओं पर पाठ्यक्रम वर्तमान में अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के उपयुक्त लक्षित समूह द्वारा चलाए जा रहे हैं । यह मोबाइल के साथ-साथ कंप्यूटर पर भी उपलब्ध है ।
- ड्यूपॉन्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के सहयोग से जून 2020 में वरिष्ठ प्रबंधकों और ऊपर के संवर्ग के लिए 'जोखिम प्रबंधन के साथ संतुलन परिचालन फोकस' पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था ।

कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक छात्रवृत्ति

- 'शिपयार्ड परिवार प्रतिभा पुरस्कार' वर्ष 2016 से शुरू की गई एक शैक्षिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य सीएसएल के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के बीच प्रसिद्ध कलाकारों को पुरस्कृत करना और बढ़ावा देना है । बारहवीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में बच्चों द्वारा प्राप्त उच्चतम अंकों के क्रम में अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी । वर्ष 2020-21 के दौरान, उक्त योजना के तहत 17 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है ।

उत्कृष्टता की पहचान

- सीएसएल ने सहायक महाप्रबंधकों के स्तर से नीचे के कर्मचारियों के बीच नवीन विचारों और प्रथाओं के पुरस्कार और मान्यता की परिकल्पना करते हुए कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार योजना शुरू की है । इस योजना के तहत सर्वोच्च पुरस्कार 15,000 रुपये का नकद मूल्य और प्रशस्ति पत्र के साथ अध्यक्षीय पुरस्कार है । वर्ष 2020-21 में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 23 स्थायी कर्मचारियों और 9 अनुबंध कर्मियों/ प्रशिक्षार्थियों को अध्यक्षीय प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है, जिसमें 2,000 रुपये के नकद पुरस्कार दिया जाता है ।

कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए कलात्मक डिजाइन प्रतियोगिता

- प्रतिष्ठित कटमरैन घाटों की बाहरी स्टाइलिंग हेतु सीएसएल में कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए एक कलात्मक डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के उपयोग के लिए चयनित डिजाइन को 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया (श्री विवेक विजयन, कोड सं. 3985, वरिष्ठ शिप ड्राफ्ट्समैन)। कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत सीएसएल के भविष्य के उपयोग के लिए चयनित डिजाइनों को 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि और एक प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया ।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

- कर्मचारियों को कोविड प्रोटोकॉल को प्रभावित किए बिना छोटे समूहों में और परिवार के सदस्यों के साथ अपने घरों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उस की तस्वीरें संबंधित सरकारी पोर्टलों को साझा की गई ।

संविधान दिवस

- सीएसएल में नवंबर 26, 2020 को प्रस्तावना पढ़कर संविधान दिवस मनाया गया और 'भारतीय संविधान - मूल्यों का खजाना' विषय पर एक ऑनलाइन सत्र नवंबर 30, 2020 को आयोजित किया गया था । इस सत्र में उच्च न्यायालय के एक वकील, एक संवैधानिक कानून विशेषज्ञ और एक प्रसिद्ध कानूनी शिक्षाविद, दि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज, कोच्ची के डॉ पॉली मैथ्यू मुरिकन ने भाग लिया ।

प्रज्ञान वार्ता शृंखला

43. वर्ष 2018 में शुरू की गई तकनीकी वार्ता शृंखला 'प्रज्ञान' दिनांक 28 दिसंबर 2020 को श्री हरिकृष्णन एस, महाप्रबंधक (सामग्री) द्वारा 'कोविड चुनौतियों के समय में अप्रत्याशित घटना' पर एक सत्र के साथ जारी रहा ।

प्रशिक्षण

44. प्रशिक्षु अधिनियम के तहत, कंपनी ने वर्ष 2020-21 में 237 आईटीआई ट्रेड प्रशिक्षु, 60 इंजीनियरिंग स्नातक, 6 गैर-इंजीनियरिंग स्नातक, 58 डिप्लोमा धारक और पांच व्यावसायिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है । इसके अलावा, कंपनी योजना के तहत मुख्य रूप से तकनीकी धाराओं में विशेष प्रशिक्षण 251 प्रशिक्षुओं को दिया गया था । कंपनी ने वर्ष के दौरान एक वर्ष के प्रशिक्षण के लिए नौ कार्यपालक प्रशिक्षुओं को भी शामिल किया था । नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जीएमई पाठ्यक्रम जहाज पर समुद्री इंजीनियरिंग नौकरियों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए वर्ष के दौरान 132 इंजीनियरिंग कैडेटों द्वारा किया गया था ।

समन्वय पोर्टल

45. समन्वय सभी सीपीएसई के लिए सामान्य ज्ञान प्रबंधन पोर्टल है । वेबसाइट को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) की ओर से ओएनजीसी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है । समन्वय ज्ञान प्रबंधन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों, टीमों और पूरे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सामूहिक रूप से और व्यवस्थित रूप से ज्ञान, बुनियादी ढांचे, सर्वोत्तम प्रथाओं, एसओपी आदि को साझा करने के लिए दूसरों के अनुभवों से सीखने के लिए एक मंच तैयार करना है। समन्वय के उपयोग की डीपीई द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है । डीपीई द्वारा सीपीएसई के साथ आवधिक बैठकें और समीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनकी अध्यक्षता डीपीई के शीर्ष अधिकारियों द्वारा की जाती है, और पोर्टल के उपयोग को बढ़ाने के लिए डीपीई द्वारा निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती रही है। सीएसएल ने सभी अधिकारियों को पोर्टल के लिए उपयोगकर्ता पहुँच प्रदान की है, और उपयोगकर्ता पोर्टल के माध्यम से अपने कार्यस्थल से सीखे गए पाठों को साझा कर सकते हैं । सीएसएल ने अब तक समन्वय पोर्टल के माध्यम से लगभग 106 लेख साझा किए हैं जिनमें 31 सीखे गए पाठ, 75 सीएसआर, मानव संसाधन, एचएसई कार्य, कार्यस्थल पर सर्वोत्तम कार्य और नवाचार पर लेख शामिल हैं ।

कर्मचारी कल्याण उपाय

46. सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए बांझपन उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में बांझपन उपचार योजना शुरू की गई थी । प्रति चक्र 100,000/- (एक लाख रुपए मात्र) से अधिक की राशि या वास्तविक लागत जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति के लिए अनुमत है और इसे पूर्वानुमोदन के साथ अधिकतम तीन नए चक्रों तक की अनुमति होगी । बांझपन उपचार के एक भाग के रूप में प्रक्रियाओं से गुजरनेवाले कर्मचारी की सेवा के दौरान एक वर्ष में अधिकतम 10 दिनों और अधिकतम 20 दिनों के लिए विशेष अवकाश दिया जा रहा है । मार्च 2021 तक कुल 11 कर्मचारियों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी ।

47. सभी कर्मचारियों (स्थायी और अनुबंध कर्मचारी) और प्रशिक्षार्थियों को नियंत्रण क्षेत्र में फंसे होने के कारण विशेष अवकाश दिया गया था और उन लोगों के लिए संगरोध अवकाश प्रदान किया गया, जिनका कोविड-19 महामारी के प्रसार के बीच कोविड-19 पॉजिटिव होने का इलाज हुआ है और जो संगरोध में थे ।

48. सीएसएल लॉकडाउन अवधि के पश्चात् काम की बहाली के दौरान गर्भवती महिला कर्मचारियों और सह-रुग्णतावाले कर्मचारियों को उनके विशिष्ट अनुरोध के आधार पर रोस्टर/पारी ड्यूटी से छूट दी गई थी । साथ ही, लॉकडाउन के बाद महिला कर्मचारियों को केवल सामान्य पारी में तैनात किया जा रहा है ।

49. सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना की सुविधा के लिए सीएसएल में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की गई थी । सभी कर्मचारियों के लिए फरवरी 2021 में सीएसएल परिसर में एक क्रियोस्क सेंटर की व्यवस्था की गई थी जिसके माध्यम से कर्मचारियों ने अपना व्यक्तिगत एनपीएस खाता खोला है । सीएसएल नियोक्ता के योगदान के रूप में कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते में वेतन का 10% (बेसिक + डीए) का योगदान देगा । यह योजना कर्मचारियों को आकर्षक आयकर लाभ प्रदान करती है और सेवानिवृत्ति के बाद एक परेशानी मुक्त जीवन सुनिश्चित करती है ।

50. सीएसएल ने वर्ष 2019 में कंपनी के पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश की शुरुआत की, जिसमें एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध रूप से गोद लेना भी शामिल है ।

विचारोत्तेजक विचारों को प्रोत्साहित करना

51. "नेतृत्व संवृद्धि योजना" – नेतृत्व गतिवृद्धि कार्यक्रम वर्ष 2016 में शुरू किया गया था ताकि भारत और विदेश दोनों के प्रमुख संस्थानों में उच्च अध्ययन करने के लिए ग्रेड ई 1 से ई 4 में कार्यपालकों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सके। इस योजना के तहत मुख्य लाभ न केवल दो साल के लिए अध्ययन अवकाश का अनुदान है, उनके वापस आने और ड्यूटी के लिए शामिल होने के बाद ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति, किशतों में अदा किया जाएगा । लीप योजना के तहत सालाना आधार पर अधिकतम तीन आवेदकों पर विचार किया जाता है ।

52. सीएसएल ने वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षु प्रशिक्षार्थियों के लिए लागू विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू की, ताकि कोच्ची में किराए के आवास के लिए उनके खर्चों को पूरा करने के लिए 1,500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके । प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अधिकतम 20 प्रशिक्षुओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो सीएसएल द्वारा समय-समय पर समीक्षा के अधीन है ।

53. वर्ष 2016 में शुरू की गई मॉटर-मेंटी योजना एक वरिष्ठ कार्यपालक द्वारा व्यक्तिगत विशेष ध्यान सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष भी जारी रही । यह सीएसएल में शामिल होने वाले सभी नए अधिकारियों/कार्यपालक प्रशिक्षार्थियों के लिए बढ़ाया गया है । यह सहयोग कनिष्ठ कार्यपालक, जो नए हैं, में जुड़ाव और संगठन में अंतर एवं अंतर व्यक्तिगत संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार की भावना देता है जिससे बेहतर प्रतिधारणा होता है ।

54. कार्यपालक प्रशिक्षुओं के नए बैच को शामिल करने के साथ वर्ष 2019 में बढ़ी योजना शुरू की गई थी । इस योजना का उद्देश्य सीएसएल में युवा अधिकारियों को नए प्रवेशकों विशेषकर सीएसएल में शामिल होनेवाले कार्यपालक प्रशिक्षार्थियों के लिए एक मार्गदर्शक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है । यह योजना, नए प्रवेशकों, विशेष रूप से कोच्ची के बाहर के लोगों को सामूहिकरण करने में मदद करेगी, और उनके संगठनात्मक प्रवेश के दौरान एक समर्थन/मार्गदर्शन प्राप्त करेगी, साथ ही साथ कैंपस से कॉर्पोरेट जीवन में एक सहज परिवर्तन का अनुभव करेगी ।

55. सीएसएल स्टार बोर्ड - ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में अधिकारियों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन पेश किया गया था । स्टार बोर्ड का उद्देश्य अधिकारियों को अपने तकनीकी ज्ञान, नवीनतम तकनीकी जानकारी साझा करने और अपने पेशे/कार्य से संबंधित मामलों पर नवीन विचार के लिए एक मंच प्रदान करने में सक्षम बनाना है । स्टार बोर्ड सीएसएल में ज्ञान साझा करने की संस्कृति को बढ़ावा देगा, जो किसी भी व्यवसाय के अस्तित्व और सफलता के लिए आवश्यक है । इस मंच में स्पष्ट ज्ञान और मौन ज्ञान दोनों को साझा करने के प्रावधान हैं ।

56. सैंडबॉक्स - 'सैंडबॉक्स' वर्ष 2019 में शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो नए विचारों के लांच पैड के रूप में कार्य करता है, जिसे मुख्य रूप से सीएसएल के अधिकारियों के लिए एक सहयोग मंच बनने की दृष्टि से बनाया गया है । 'सैंडबॉक्स' की परिकल्पना लोगों के जुड़ाव के मंच के रूप में की गई है जो संगठन के प्रत्येक कार्यपालक को अपने अभिनव विचारों को व्यक्त करने और संबंधित क्षेत्रों में सलाहकारों और विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित होने के दौरान समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जुड़े विचारों को लागू करने का अवसर प्रदान करेगा । मंच से रचनात्मकता का पोषण करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, प्रौद्योगिकी को शामिल करने और इस तरह संगठन के भीतर एक परिवर्तन संस्कृति का प्रयास करने की उम्मीद है जो संगठन के बड़े परिवर्तन की दिशा में योगदान देगा ।

व्यावसायिक आकलन

57. एक विस्तृत योग्यता मानचित्रण कार्य के माध्यम से, सीएसएल के लिए चार सांस्कृतिक दक्षताओं अर्थात् टीमिंग, निष्पादन उत्कृष्टता, बाधा तोड़ने और निरंतर सीखने की पहचान की गई है । यह निर्णय लिया गया है कि इन सांस्कृतिक दक्षताओं को भविष्य में सभी मानव संसाधन उप प्रणालियों जैसे भर्ती, प्रशिक्षण, कार्य-निष्पादन प्रबंधन, वृत्ति विकास आदि में शामिल किया जाएगा ।

58. वर्ष 2018 के दौरान, मेसर्स कॉर्न फेरी हे ग्रुप, एशिया में एक प्रमुख एचआर कंसल्टेंसी संगठन को अधिकारियों के आकलन विकास केंद्र (एडीसी) के संचालन और उत्तराधिकार योजना के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाओं (आईडीपी) के निर्माण के लिए कार्यदेश से सम्मानित किया गया था । आवश्यक दक्षताओं के साथ-साथ सीएसएल में अधिकारियों की दक्षताओं का आकलन करने के लिए

एडीसी आयोजित किया गया था । वर्ष 2018 और 2019 के दौरान उप प्रबंधक और उससे ऊपर के ग्रेड में 202 चयनित अधिकारियों के लिए एडीसी सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था । मेसर्स कॉर्न फेरी हे समूह ने विभिन्न मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करके अधिकारियों की योग्यताएं एवं विकास के क्षेत्रों का आकलन किया और विस्तृत आईडीपी तैयार किया । उत्तराधिकार योजना के निर्माण के अलावा, एडीसी सीएसएल के लिए फायदेमंद था क्योंकि इसने मानव संसाधन हस्तक्षेपों की योजना के लिए सही दिशा प्रदान की थी ।

लोग क्षमता परिपक्वता मॉडल (पीसीएमएम)

59. वर्ष 2018 में, कंपनी ने लेवल 3 पीसीएमएम प्रमाणन प्राप्त करने के लिए गतिविधियां शुरू कीं । पीसीएमएम के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में विभिन्न नीतियों के निर्माण और मौजूदा मानव संसाधन प्रक्रियाओं और प्रथाओं में सुधार लाने के लिए मानव संसाधन विभाग में अधिकारियों द्वारा सचेत और सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं ।

60. पीसीएमएम एक परिपक्वता ढांचा है जो किसी संगठन की मानव संपत्ति के प्रबंधन और विकास में निरंतर सुधार पर केन्द्रित है । पीसीएमएम संगठनों को अपने कार्यबल कार्यों की परिपक्वता को चिह्नित करने में मदद करता है, निरंतर कार्यबल विकास एक कार्यक्रम स्थापित करता है, सुधार कार्यों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है, कार्यबल विकास के साथ प्रक्रिया में सुधार को एकीकृत करता है और उत्कृष्टता की संस्कृति स्थापित करता है। पीसीएमएम में पांच परिपक्वता स्तर होते हैं : स्तर 1 से स्तर 5 तक । प्रत्येक परिपक्वता स्तर एक अच्छी तरह से परिभाषित विकासवादी पठार है जो संगठन के कार्यबल को विकसित करने के लिए नई क्षमताओं को संस्थागत करता है । अन्य मानव संसाधन मानकों के विपरीत, पीसीएमएम के लिए आवश्यक है कि प्रमुख कार्य/प्रक्रिया क्षेत्र, सुधार, हस्तक्षेप, नीतियां, प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली पूरे संगठन में संस्थागत रूप से कार्य की जाएं, भले ही कार्य या स्तर की परवाह किए बिना । इसलिए, टीम आधारित वातावरण में सत्रिहित भागीदारी संस्कृति पर जोर देने और व्यक्तिगत नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सुधारों को पूरे संगठन में सुधारना होगा ।

आरक्षणों पर राष्ट्रपति के निर्देशों को लागू करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर स्थिति


61. कोचीन शिपयार्ड ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और राष्ट्रपति के मार्ग निर्देशों को सख्ती से पालन किया गया है । कंपनी ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक संपर्क अधिकारी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया है । आरक्षण प्रतिशत को भारत सरकार द्वारा निर्धारितानुसार पद आधारित रोस्टर प्रणाली के रखरखाव के जरिए सुनिश्चित किया जाता है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व

62. मार्च 31, 2021 को पदों के विभिन्न समूहों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है :

श्रेणी	सीएसएल की कुल श्रमशक्ति	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
वर्ग क	327	48	15	85
वर्ग ख	146	18	14	27
वर्ग ग	930	131	10	414
वर्ग घ	324	40	8	178
कुल	1727	237	47	704

विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व



बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और अल्पसंख्यक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

63. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और अल्पसंख्यक कर्मचारियों का मार्च 31, 2021 को पदों के विभिन्न समूहों में प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है :

श्रेणी	सीएसएल की कुल श्रमशक्ति	पीडब्ल्यूबीडी	अल्पसंख्यक
वर्ग क	327	7	89
वर्ग ख	146	6	38
वर्ग ग	930	24	226
वर्ग घ	324	20	96
कुल	1727	57	449

महिलाओं की सुरक्षा केलिए प्रावधान

64. कार्यस्थल में महिलाओं को यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 और इस आधार पर बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। अधिनियम के अनुसार एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक की अध्यक्षता में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। समिति ने एक शिकायत को समाप्त कर दिया था जो वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त हुई थी।

65. सीएसएल में विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण गतिविधियों को बढ़ावा देने और कंपनी के महिला कर्मचारियों की जरूरतों के अनुसार कल्याणकारी उपायों को तैयार करने और लागू करने केलिए एक महिला कल्याण अधिकारी है।

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

66. कोचीन शिपयार्ड ने आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानकों के तहत अपनी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को बनाए रखा। सीएसएल ने सितंबर 2020 में अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को नवीनतम आईएसओ 45001:2018 में उन्नत किया। अगला पुनः प्रमाणन लेखापरीक्षा सितंबर 2021 को निर्धारित है। आगामी पुनः प्रमाणन लेखापरीक्षा के दौरान प्रमाणन प्रणाली के भीतर सीएसएल की सभी सहायक इकाइयों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

सुविधा उन्नयन एवं पूंजी व्यय

67. वर्ष 2020-21 के दौरान हुए कुल पूंजी व्यय 264.34 करोड़ रुपए की राशि थी। यह, नवीकरण एवं प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण और विस्तार, सूखी गोदी, आईएसआरएफ, सीएमएसआरयू, सीकेएसआरयू आदि केलिए आधारीक संरचना आदि से संबंधित है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

68. राजभाषा (संघ के आधिकारिक प्रयोजनों केलिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, भारत सरकार ने भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है कि कंपनी के 80% अनुसूचितव्यय कर्मचारियों ने हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान/दक्षता प्राप्त कर ली है।

69. ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में सीएसएल के कर्मचारियों, अनुबंध पर कर्मचारियों एवं प्रशिक्षार्थियों केलिए हिंदी माह समारोह 2020 के संबंध में हिंदी भाषा में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस संबंध में हिंदी टंकण, श्रुतलेखन, गद्यांश वाचन, स्मृति परीक्षा, हिंदी गीत (महिला और पुरुष केलिए अलग) और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। निबंध लेखन, वाक्य निर्माण, कविता लेखन, लघु कहानी लेखन आदि ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए गए थे। हिंदी गृह पत्रिका 'सागर रत्न' का बारहवां अंक हिंदी दिवस पर जारी किया गया।

70. हिंदी माह समारोह के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम के रूप में, राज्य के स्कूली छात्रों केलिए ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और कोच्ची के सीबीएसई स्कूली छात्रों केलिए ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, सीएसएल हर महीने के पहले बुधवार को हिंदी दिवस के रूप में मनाता है।

71. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने दिनांक 23 फरवरी 2021 को महाराजास कॉलेज, एर्णाकुलम के 'हिंदी स्नातक छात्रों केलिए वृत्ति का अवसर' पर एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें स्नातक छात्रों केलिए हिंदी भाषा और रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य संकाय श्री संपत कुमार पी एन, सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन), सीएसएल, कोच्ची थे। कुल मिलाकर, 100 से अधिक छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ वेबिनार में भाग लिया।

72. वर्ष 2021 में अधिकारियों केलिए राजभाषा प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें कुल 22 कार्यपालक अधिकारियों ने भाग लिया।

73. कोच्ची टॉलिक के अधीन एक दिवसीय ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 25 व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यपालक अधिकारियों (निदेशक, महाप्रबंधकों और मुख्य महाप्रबंधकों) केलिए ऑनलाइन बोलचाल की हिंदी कक्षाओं का आयोजन किया गया और इसमें 17 कार्यपालकों ने भाग लिया, जिसकेलिए एक वाट्सएप ग्रुप बनाया गया ताकि बोलचाल की हिंदी से संबंधित मॉड्यूल को अपलोड किया जा सके।

74. राजभाषा के सुचारू कार्यान्वयन केलिए राजभाषा नीति का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने केलिए छह प्रशासनिक अनुभागों की पहचान की गई थी। इसी के आधार पर एक माह में एक अनुभाग का निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें सभी दस्तावेजों का द्विभाषीकरण, कर्मचारियों केलिए यूनिकोड प्रशिक्षण, द्विभाषी रूप में रजिस्ट्रों का रखरखाव, फाइलों पर द्विभाषी टिप्पणियों की तैयारी आदि पर जोर दिया जा रहा है।

75. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के दौरान, कर्मचारियों के बच्चों केलिए 10वां कक्षा में हिंदी में उच्च अंक प्राप्त करने वाले 9 बच्चों को नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। हिंदी भाषा के कार्यान्वयन केलिए 24 कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई।

कर्मचारियों का विवरण और संबंधित खुलासा

76. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक जून 05, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों से छूट दी गई है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

77. विवरण अनुलग्नक। में दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण में कंपनी की प्रमुख पहल सीएसएल परिसर के अंदर विभिन्न भवनों की छत पर सौर पैनलों की स्थापना थी। कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2013-14 में हुई थी। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक सीएसएल में 1485 केडब्ल्यूपी की क्षमतावाले सौर ऊर्जा संयंत्र को चालू कर दिया गया है।

जोखिम प्रबंधन

78. सीएसएल ने निगमित जोखिमों की समग्र समीक्षा केलिए दिनांक 08 फरवरी, 2019 को सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुरूप एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया। सीएसएल ने दिनांक 16 सितंबर 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 214वीं बैठक में एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। कंपनी

की जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है जिसमें जोखिम प्रबंधन की एक परिभाषित प्रक्रिया और जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्टिंग की पद्धति शामिल है। नीति प्रबंधन और निदेशक मंडल को एक आश्वासन प्रदान करती है कि प्रमुख जोखिमों को ठीक से पहचाना और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा रहा है।

79. नीति के अनुसार, सीएसएल बोर्ड सीएसएल में जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करेगा। बोर्ड समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करके जोखिम निरीक्षण की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। सीएसएल प्रबंधन, जिसमें सीएसएल बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारी शामिल हैं, को जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए सौंपा गया है। इस संबंध में कंपनी के पास सीएसएल में नीति को लागू करने के लिए कार्यात्मक जोखिम प्रबंधन समितियां और बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समितियां हैं। जोखिम प्रबंधन समितियां और निदेशक मंडल समय-समय पर जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और नीति की समीक्षा करते हैं। यार्ड के उत्पाद मिश्रण में रक्षा और वाणिज्यिक पोत निर्माण और पोत मरम्मत शामिल है जो कंपनी को बाजार जोखिम के खिलाफ एक प्राकृतिक बचाव प्रदान करता है।

अनुसंधान और विकास गतिविधियां

80. सीएसएल की अनुसंधान और विकास के माध्यम से पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य चुने हुए क्षेत्रों और उत्पादों में कंपनी की श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए है। वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य रूप से वेल्डिंग प्रक्रिया के विकास और वेल्डर की योग्यता के क्षेत्रों में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां शुरू की गई हैं।

81. डबल स्पंदित धातु अक्रिय गैस वेल्डिंग के साथ एल्यूमीनियम प्लेटों की वेल्डिंग एक नई तकनीक है जिसके लिए वेल्ड प्रक्रिया को विकसित करने में क्षमता निर्माण यार्ड के लिए सर्वोपरि है। उपरोक्त संदर्भ में, डबल स्पंदित धातु अक्रिय गैस वेल्डिंग का उपयोग करके 5083 ग्रेड एच 116 एल्यूमीनियम प्लेटों की वेल्डिंग के लिए वेल्ड प्रक्रिया विकास इन-हाउस किया गया है। वेल्ड प्रक्रिया विनिर्देश तैयार किया गया है और 5मिमी से 20 मिमी एल्यूमीनियम प्लेटों की मोटाई वेल्ड करने के लिए योग्य है। यह नई प्रक्रिया काफी मात्रा में श्रम घंटे और प्रयास को बचाती है। प्रक्रिया को आईआरएस वर्गीकरण सोसाइटी द्वारा मान्य किया गया है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

82. सीएसएल पोत निर्माण और पोत मरम्मत प्रक्रिया के एक एकीकृत हिस्से के रूप में सुरक्षा को कायम रखती है। इसने हमारे कर्मचारियों और हितधारकों को एक एकीकृत दृष्टिकोण से कामों की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। एचएसई प्रबंधन में कार्यबल की भागीदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और सीएसएल व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसका लाभ उठा रहा है। एचएसई मामलों पर उप-ठेकेदारों के उत्थान को एचएसई के समग्र पालन-पोषण की दिशा में एक प्रमुख परियोजना के रूप में लिया गया है, जिसके लिए इस समुदाय में जागरूकता लाने के लिए कई टाउन हॉल सत्र आयोजित किए गए थे।

83. एचएसई मामलों से संबंधित सभी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है और राज्य एवं केंद्र सरकार में संबंधित प्राधिकारियों के तहत संबंधित प्रवर्तन निकायों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

84. संगठन में शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता को शुरू किया गया है और एचएसई प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इस डोमेन में अधिक अधिकारियों को लाता है। बिजली और गैर-शक्तिवाले हाथ उपकरणों के उपयोग और संभालने के माध्यम से नई आदतों को याद दिलाने और विकसित करने के लिए कर्मचारियों के बीच हाथ की चोट की रोकथाम अभियान चलाए गए, क्योंकि सीएसएल में हाथ की चोटें अधिक होती हैं।

85. विभागों के बीच एचएसई कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए विभाग स्तर पर एचएसई सूचकांक शुरू किया गया है। यह एचएसई गतिविधियों में प्रत्येक विभाग के प्रतिक्रियाशील कार्य-निष्पादन और सक्रिय उपलब्धि का एक संयोजन है। निष्पादन विभाग और सेवा विभाग के एचएसई सूचकांक की गणना सामान्यीकरण स्कोर पद्धति का अलग-अलग उपयोग किया जाता है।


86. सीएसएल को वर्ष 2020 में आईएसओ 45001:2018 प्रमाणित किया गया है जो प्रणाली में अपनाए गए प्रदर्शनकारी एचएसई नेतृत्व और सहभागी एवं परामर्शी तंत्र पर अधिक सक्षम बनाता है। यह संगठन में सभी स्तरों पर एचएसई नेतृत्व विकसित करता है। प्रभागीय विभाग के साथ वॉक द टॉक एवं विभागाध्यक्षों द्वारा पेप टॉक, समावेशी एचएसई संस्कृति की दिशा में संगठन में एक सांकेतिक संचलन को दर्शाता है।

87. सीएसएल ने सिल्वर ग्रीनको रेटिंग सम्मनित किया है जो, 'दुनिया में इस तरह का पहला' समग्र ढांचा है जो जीवन चक्र दृष्टिकोण का उपयोग करके अपनी गतिविधियों की पर्यावरण मित्रता पर कंपनियों का मूल्यांकन करता है। ग्रीनको रेटिंग का कार्यान्वयन कंपनियों को निम्नलिखित के लिए नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जैसे कि उत्पादों, सेवाओं और संचालन को हरित कैसे बनाया जाए, जिसमें ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, जीएचजी शमन, अपशिष्ट प्रबंधन, सामग्री संरक्षण और पुनर्चक्रण, हरित आपूर्ति श्रृंखला, उत्पाद प्रबंधन, जीवन चक्र मूल्यांकन और पर्यावरण के अनुकूल पर्यावरण और नवाचार शामिल हैं।

88. सीएसएल एचएसई के मुख्य मानकों, सिद्धांतों और एसओपी को सीएसएल की अन्य इकाइयों जैसे सीएमएसआरयू, सीकेएसआरयू और सहायक कंपनी एचसीएसएल तक विस्तारित करता है। प्रणाली की निगरानी के लिए इन इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई है। इसके अलावा, सीएसएल अपनी इकाई सीएएनएसआरयू और इसकी सहायक कंपनी टीएसएल में एचएसई प्रथाओं का विस्तार करने की प्रक्रिया में है।

89. सीएसएल ने इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्स्टाइल और कयर में बहुत बड़े कारखानों की श्रेणी के तहत केरल सरकार के कारखानों और बॉयलर विभाग से सुरक्षा पुरस्कार जीता है।

90. कार्य-निष्पादन पुनरीक्षा



औद्योगिक सुरक्षा

91. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड राष्ट्रीय महत्व का एक महत्वपूर्ण संगठन है और इसे राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा विशेष सुरक्षा क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है और स्थापना की सुरक्षा को राष्ट्रीय महत्व मिला है। स्थापना की प्राथमिक सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) इकाई को सौंपी जाती है, जिसमें उप कमांडेंट, सीआईएसएफ के तहत 130 सीआईएसएफ कर्मी शामिल हैं। वर्ष के दौरान किसी भी गंभीर सुरक्षा चिंता के बिना कंपनी की समग्र सुरक्षा मजबूत बनी रही। कंपनी में पेश किए गए और स्थापित सभी सुरक्षा प्रणालियां और उपाय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हैं। कंपनी द्वारा सीआईएसएफ के साथ समय-समय पर संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। सभी महत्वपूर्ण स्थानों और प्रतिष्ठानों को शामिल करते हुए सशस्त्र कर्मियों और वायरलेस निगरानी (सीसीटीवी) प्रणाली के साथ चौबीस घंटे वाटरफ्रंट गश्त की जाती है। किसी भी सुरक्षा खतरे, सुरक्षा भंग, संकट या आपदाओं का मुकाबला करने के लिए सीआईएसएफ बल की तैयारी का आकलन करने के लिए आसूचना बोर्ड, राज्य पुलिस, राज्य अग्निशमन विभाग, बम दस्ते और नौसेना के समन्वय में आवधिक मॉक ड्रिल कार्य आयोजित किए जाते हैं।

92. सीआईएसएफ सुरक्षा उपकरणों के साथ अपनी सुरक्षा निगरानी और कर्तव्यों का पालन कर रहा है जिसमें बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, एक्स-रे बैगेज स्कैनर, डोर फ्रम मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, ब्रेथ एनलाइजर, वाहन गश्त, नाव गश्त और पैदल गश्त आदि शामिल हैं। सीआईएसएफ के तकनीकी सर्वेक्षण के अनुसार सुरक्षा उपकरणों का उन्नयन किया जा रहा है ताकि मौजूदा सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरणों को लाया जा सके और सीआईएसएफ को सभी गेटों पर एक सीधा फ्रिस्किंग तंत्र की सुविधा प्रदान की जा सके।

93. आईएसी में वर्ष 2019-20 के दौरान रिपोर्ट की गई चोरी की घटना के बाद प्रतिष्ठान की समग्र सुरक्षा व्यवस्था के अलावा प्रदान की गई एक विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्वदेशी विमान वाहक (आईएसी) पर विशेष सुरक्षा ध्यान दिया जा रहा है। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है। एनआईए ने घटना के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया और चुराए गए कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों को बरामद किया गया। आईएसी की सुरक्षा का मुद्दा सीआईएसएफ के उच्चतम स्तरों पर उठाया गया था और आईएस ड्यूटी पर 46 सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों की एक अतिरिक्त अनुषंगी को विशेष रूप से आईएसी के लिए सहायक कमांडेंट की कमान के तहत तैनात किया गया है।

94. सुरक्षा उपकरणों के लिए तकनीकी पुनर्सर्वेक्षण और जनशक्ति वृद्धि के लिए पुनःसर्वेक्षण के माध्यम से सीआईएसएफ के मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा संवर्धन की सुरक्षा शक्ति और आवश्यकताओं की समय-समय पर निगरानी की जाती है। सीआईएसएफ की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव 130 सीआईएसएफ कर्मियों की वर्तमान संख्या से 220 कर्मियों तक सीएसएल यूनिट को निवल अतिरिक्त 96 पदों के सृजन के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। तैनाती की प्रक्रिया चल रही है।

95. पोत में प्रवेश को एक्सेस कार्ड का उपयोग करके सख्ती से नियंत्रित किया जाता है और इस प्रकार किसी भी समय पोत पर काम करनेवाले कर्मियों की संख्या पर नजर रखी जाती है। सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम, दो नेट वॉटर बैरियर, डीडीएस, बोट पेट्रोलिंग आदि सहित अतिरिक्त सुरक्षा उपकरणों को सुरक्षित रहने हेतु और जहाज के लिए किसी भी आसन्न खतरे से बचने के लिए व्यवस्थित की गई है।

96. यार्ड में प्रवेश को बायोमेट्रिक एम्बेडेड टर्नस्टाइल गेट्स, एक्स-रे बैगेज मशीन, डीएफएमडी आदि सहित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। कंपनी के लिए आगंतुकों के परिचय पत्र की जांच और सत्यापन के लिए एक पूर्ण विकसित आगंतुक सुविधा केंद्र संचालित किया जाता है। कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार और टेकेदारों के कामगारों के प्रवेश द्वार पर एक्स-रे बैगेज स्कैनिंग सिस्टम लगाए गए हैं। जारी किए गए सभी प्रवेश पास फोटो आधारित प्रवेश पास हैं।

97. वर्ष 2021-22 के दौरान, यार्ड ने मौजूदा प्रणालियों को उन्नत करते हुए एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया है। यह परियोजना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बेंगलूर के माध्यम से की जा रही है। परियोजना में व्यापक सुरक्षा रूपरेखा की शुरुआत की परिकल्पना की गई है। जिसमें परिधि, टट और यार्ड के अंदर की पूरी सीसीटीवी निगरानी, ईएसपीएफ प्रणाली, आगंतुक प्रबंधन और एएनपीआर आदि शामिल हैं।

98. कंपनी में आगंतुकों, सामग्रियों और वाहनों की आवाजाही की निगरानी आगंतुक प्रबंधन प्रणाली के एक एकीकृत ईआरपी मॉड्यूल के माध्यम से की जाती है जो कंपनी में और बाहर सामग्री की आवाजाही की प्रभावी और सतर्क निगरानी सुनिश्चित करती है। प्रस्तावित एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में, यार्ड के भीतर आगंतुकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आगंतुकों के लिए एक आधारित ट्रेकिंग टैग और आरएफआईडी टैग पास प्रणाली भी लागू की जा रही है।

99. सीएसएल ने मुख्य रूप से सीएसएल की बाहरी संपत्तियों और 98 कर्मियों वाले आंतरिक विशिष्ट स्थानों की पूर्ति के लिए मौजूदा बलों के पूरक के लिए डीजीआर प्रायोजित भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसी को भी नियुक्त किया है।

पुरस्कार और मान्यताएं

100. सीएसएल ने ग्रीनको सिल्वर रेटिंग के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा प्रमाणित होनेवाली नौवहन क्षेत्र की पहली कंपनी बनने का गौरव अर्जित किया है। सीएसएल अब आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, गेल, भारतीय रेलवे (आईसीएफ की इकाइयां) जैसी कुछ बड़ी कंपनियों में शामिल हो गया है जिन्हें पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है। 'ग्रीनको' रेटिंग एक कंपनी को प्रदान की जाती है जो अपनी उत्पादन गतिविधियों में 'ग्रीन' पर्यावरण के अनुकूल पहलुओं के कार्यान्वयन में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, संरक्षण करती है और सौर/पवन आदि जैसी हरित अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करती है। यह रेटिंग विभिन्न मानकों के तहत कंपनी के प्रदर्शन मूल्यांकन पर आधारित है, जैसे ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, अपशिष्ट प्रबंधन, सामग्री संरक्षण, पुनर्चक्रण, हरित आपूर्ति श्रृंखला, उत्पाद प्रबंधन और जीवन चक्र मूल्यांकन, पर्यावरण के लिए नवाचार, हरित अवसंरचना और पारिस्थितिकी।

101. सीएसएल ने वर्ष के दौरान केरल सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है। सीएसएल ने दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल द्वारा वर्ष के लिए सबसे तेजी से बढ़ती 'मिनिरल' निर्माण कंपनी के लिए स्थापित 'रॉल ऑफ ऑनर' पुरस्कार भी प्राप्त किया है। सीएसएल को 200 से कम कर्मचारियोंवाली कंपनियों के बीच कोच्ची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) से राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2020 के लिए कोच्ची टॉलिक (पीएसयू) की ओर से हिंदी गृह पत्रिका 'सागर रत्न' को दूसरा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

102. दिनांक 31 मार्च 2021 तक सीएसएल के बोर्ड में 6 निदेशक शामिल हैं जिनमें एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है, 3 पूर्णकालिक निदेशक और 2 सरकारी अंशकालिक (नामिती) निदेशक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक भारत सरकार और केरल सरकार से है।

103. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष के दौरान श्री ज्योतिलाल के आर आईएस (डीआईएन : 01650017), प्रधान सचिव (परिवहन), केरल सरकार कंपनी के निदेशक नहीं रहे। सीएसएल के निदेशक मंडल ने दिनांक 20 जून 2020 को आयोजित अपनी 254वीं बैठक में उनके निदेशक पद की समाप्ति पर ध्यान दिया। फिर भी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल अगस्त 24, 2020 द्वारा दिनांक अगस्त 24, 2020 से सीएसएल के बोर्ड में सरकारी अंशकालिक (नामिती) के रूप में श्री ज्योतिलाल के आर आईएस (डीआईएन : 01650017) को पुनर्नियुक्त किया गया। इसके अलावा, श्री जिजी तॉमसन आईएस (सेवानिवृत्त) (डीआईएन : 01178227), श्री प्रदीप्ता बानर्जी (डीआईएन : 00630615) और श्री नंद कुमारन पुत्तेषत (डीआईएन : 02547619) को जुलाई 15, 2017 के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र एफ सं. एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए सीएसएल के बोर्ड पर गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया था, जो दिनांक 14 जुलाई 2020 को समाप्त हो गया।

104. सीएसएल को मार्च 20, 2020 तक सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अनुपालन में सीएसएल में एक महिला निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशक थे। इसके बाद, छह स्वतंत्र निदेशकों में से एक महिला निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशकों ने दिनांक 21 मार्च 2020 से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और शेष तीन स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 15 जुलाई 2020 से अपना पद खाली कर दिया था। सीएसएल ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पद को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचनाएं प्रदान की हैं।

105. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों में परिवर्तन और इस रिपोर्ट की तिथि तक का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि	अभ्युक्तियां
1	श्री मधु एस नायर *	07376798	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	जनवरी 01, 2016	जारी	कोई परिवर्तन नहीं।
2	श्री सुरेश बाबु एन वी **	07482491	निदेशक (प्रचालन)	अप्रैल 26, 2016	अप्रैल 30, 2021	अधिवर्षिता
3	श्री बिजोय भास्कर	08103825	निदेशक (तकनीकी)	अप्रैल 05, 2018	जारी	कोई परिवर्तन नहीं।
4	श्री जोस वी जे	08444440	निदेशक (वित्त)	अगस्त 01, 2019	जारी	कोई परिवर्तन नहीं।
			मुख्य वित्तीय अधिकारी	अगस्त 13, 2019		
5	श्री श्यामकमल एन	लागू नहीं	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	फरवरी 01, 2020	जारी	कोई परिवर्तन नहीं।

* पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 16 अक्टूबर 2020 के पत्र सं. 11011/1/2009-सीएसएल द्वारा श्री मधु एस नायर (डीआईएन : 07376798) को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में जनवरी 01, 2021 से अगले पांच सालों के लिए या उनकी अधिवर्षिता की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यकाल को बढ़ाया।

** श्री सुरेश बाबु एन वी को सितंबर 29, 2020 को आयोजित कंपनी की 48वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेसन द्वारा सेवानिवृत्ति के माध्यम से निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने फरवरी 26, 2021 को पत्र सं. एसवाई-11012/1/2020-सीएसएल द्वारा उनके कार्यकाल को अप्रैल 26, 2021 से अप्रैल 30, 2021 तक यानि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक बढ़ा दिया। इसके फलस्वरूप, वे अप्रैल 30, 2021 को कंपनी की सेवाओं से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा और बैठक

106. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी को सभी स्वतंत्र निदेशकों से कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारितानुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पुष्टि करते हुए घोषणाओं को प्राप्त हुआ है। स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक जून 19, 2020 को आयोजित की गई, जिसमें सभी गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र) उपस्थित थे, यानि श्री जिजी तॉमसन आईएस (सेवानिवृत्त), श्री प्रदीप्ता बानर्जी और श्री नंद कुमारन पुत्तेषत आदि।

वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

107. वर्ष 2020-21 के दौरान छह बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और दो बैठकों के बीच का अंतर वैधानिक अवधि से अधिक नहीं था। जिन तारीखों को बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं, वे इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	दिनांक	बोर्ड की श्रमशक्ति	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	जून 20, 2020	9	8
2	अगस्त 10, 2020	5	5
3	अक्टूबर 15, 2020	6	5
4	नवंबर 12, 2020	6	6
5	जनवरी 04, 2021	6	6
6	फरवरी 12, 2021	6	5

108. निदेशक, वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और समिति की बैठक और इन बैठकों में उपस्थिति के संबंध में अधिक जानकारी के लिए निगमित शासन रिपोर्ट का संदर्भ लें, जो निदेशकों की रिपोर्ट का एक अंग है।

पारिश्रमिक नीति / बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन

109. कोचीन शिपयार्ड पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक भारत सरकार कंपनी है। वर्तमान में कंपनी के निदेशकों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर रहे हैं और उनके पारिश्रमिक सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार तक किया जाता है। तदनुसार सीएसएल के संगम नियमावली के अनुच्छेद 21 (क) बताते हैं कि राष्ट्रपति निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करेगा। बोर्ड स्तर की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाने के कारण, ऐसे नियुक्त व्यक्तियों के निष्पादन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों ने दिनांक जून 19, 2020 को आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक में संपूर्ण रूप से बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया था।

निदेशकों के पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति पर नामांकन व पारिश्रमिक समिति की रिपोर्ट

110. फिलहाल, बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों का पारिश्रमिक डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। सीएसएल ने दिनांक 14 दिसंबर 2016 को आयोजित अपनी 228वीं बोर्ड बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक नीति को स्वीकार किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों और दिनांक 24 मई 2018 को आयोजित 241 वीं बैठक में संशोधित पॉलिसी के अनुपालन में है। सीएसएल ने दिनांक 24 मई, 2018 को आयोजित अपनी 241वीं बैठक में और आगे दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 को आयोजित 245वीं बोर्ड बैठक में पॉलिसी को संशोधित किया गया। यह नीति कंपनी के वेबसाइट <https://cochinshipyard.com/Investors> में उपलब्ध है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

111. आपके निदेशकगण प्रकट करते हैं कि:

- क) दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची III के तहत स्पष्ट की गई अपेक्षाओं के साथ पठित लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और उसमें कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया है।
- ख) आपके निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियां चुन लीयां और सुसंगत रूप से उन्हें लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान किया है जो युक्ति संगत और विवेकपूर्ण है, ताकि दिनांक 31 मार्च 2021 की तिथि पर कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ से संबंधित सच्चा और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके,
- ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने तथा छल कपट और अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।
- घ) निदेशकों ने चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।
- ड.) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालनार्थ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है, और
- च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार कर ली है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएं

112. वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नहीं किया था जिसे महत्वपूर्ण माना जा सकता था। फिर भी, दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को हुई बैठक में बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल), पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था जो सीएसएल और एचसीएसएल को एक साथ काम करने और सुविधाओं, क्षमताओं और संसाधनों को साझा करके गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक विस्तृत कानूनी समझौता करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य में है। आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान उन वित्तीय विवरणों के नोट 48 की ओर आकर्षित करते हैं जो भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत आवश्यक प्रपत्र एओसी-2 को अनुबंध II के रूप में रखा गया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास समिति (सीएसआर और एसडी समिति)

113. अप्रैल 01, 2020 से जुलाई 14, 2020 तक, सीएसएल की सीएसआर और एसडी समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री जिजी तॉमसन (डीआईएन : 01178227), गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक, सदस्यों के रूप में श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त (डीआईएन: 02547619), गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक, श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन :08103825), निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस बी जे (डीआईएन : 08444440), निदेशक (वित्त) शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर जुलाई 15, 2020 से अपने कार्यालय से इस्तीफा दे दिया। इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, सीएसएल जुलाई 15, 2020 से समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका। सीएसआर और एसडी समिति की अनुपस्थिति में, सीएसआर प्रस्तावों पर बोर्ड द्वारा सीधे बोर्ड स्तर की सीएसआर कार्यकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार किया गया था।
114. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास समिति (सीएसआर और एसडी) ने कंपनी द्वारा की जानेवाली गतिविधियों को ईगित करते हुए एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) बोर्ड को तैयार और सिफारिश की है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। सीएसआर नीति को कंपनी के वेबसाइट <https://cochinshipyard.in/investors> पर देखा जा सकता है।
115. कोचीन शिपयार्ड ने सरकारी कंपनियों पर लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर वर्ष 2010-11 में सीएसआर गतिविधियां शुरू कीं। सीएसएल ने एक प्रभावी सीएसआर नीति और कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया है। सीएसआर कार्यान्वयन मशीनरी में तीन स्तरीय प्रणाली शामिल है : टीयर I। सीएसएल बोर्ड, टीयर II। सीएसएल बोर्ड स्तर सीएसआर समिति और टीयर III। सीएसएल सीएसआर कार्यकारी समिति जिसमें कंपनी के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल हैं। वर्तमान में टीयर II। सीएसएल बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण कार्य नहीं कर रही है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।
116. वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी सार्थक सीएसआर पहलों में शामिल हो सकती है, जिसे केरल और राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली।
117. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 14.80 करोड़ रुपए के लक्षित अनिवार्य सीएसआर खर्च के मुकाबले 15.27 करोड़ खर्च किए हैं। व्यय में आंशिक रूप से वर्ष के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन से और आंशिक रूप से चल रही परियोजनाएं शामिल थी जो पहले के वर्षों में अनुमोदित थी। यह भी उल्लेख करना उचित है कि कंपनी ने 48 परियोजनाओं को ले लिया है और सरकार द्वारा निर्धारित थीम 'स्वास्थ्य देखभाल और पोषण' पर 9.01 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कुल खर्च का लगभग 59% है।
118. सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध III में दी गई है।

लेखापरीक्षा समिति

119. अप्रैल 01, 2020 से जुलाई 14, 2020 तक, सीएसएल की लेखापरीक्षा समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री नंदकुमारन पुत्तेषत्त (डीआईएन : 012547619), गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक, सदस्यों के रूप में श्री जिजी तॉमसन (डीआईएन : 01178227), गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक और श्री प्रदीप्ता बैनर्जी (डीआईएन : 0630615), गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 15 जुलाई 2020 से अपने कार्यालय से इस्तीफा दिया। इसलिए सीएसएल 15 जुलाई, 2020 से समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका। वर्ष के दौरान, जिस अवधि के लिए लेखापरीक्षा समिति अस्तित्व में थी, लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। लेखापरीक्षा समिति के बारे में विवरण निगमित शासन पर रिपोर्ट में 'बोर्ड समितियां' खंड के तहत प्रदान किया गया है।

निगमित शासन

120. कंपनी निगमित शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और एक प्रभावी निगमित शासन प्रणाली स्थापित की है। कंपनी निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में जैसे कि महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और सांविधिक समितियों से संबंधित परिणामी अनुपालन को छोड़कर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू विनियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। सीएसएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है और कंपनी ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पद को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचनाएं प्रदान की हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर वैधानिक समितियों का भी पुनर्गठन किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी इस संबंध में डीपीई द्वारा अनुशंसित प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को निगमित शासन पर अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है। निगमित शासन पर रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

121. एक अलग खंड 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है और यह निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

122. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने मेसर्स कृष्णमूर्ति और कृष्णमूर्ति, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 001488एस) को पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा और स्थापित करने और सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उचित और पर्याप्त प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया था। इस तरह के नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और डिजाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट योग्य सामग्री कमजोरी

नहीं देखी गई थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नियंत्रण के माहौल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इन-हाउस आंतरिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा की गई थी और वित्तीय नियंत्रणों में कोई वस्तुगत कमी नहीं बताई गई थी।

123. कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, कंपनी के पास एक प्रणाली है जिसमें निदेशक मंडल की वित्तीय शक्तियां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित की जाती हैं। दिन-प्रतिदिन सुचारू और कुशल संचालन के लिए इन शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को उप-प्रत्यायोजित किया जाता है। विभिन्न परिचालन और वित्तीय मामलों की व्यापक लेखापरीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र मौजूद है। सीएंडएजी मालिकाना लेखापरीक्षा करता है।

124. वर्ष 2020-21 के दौरान, निदेशक मंडल ने आंतरिक / सांविधिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की जांच की और उस के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान किया। निदेशक मंडल ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, कंपनी प्रक्रियाओं और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रदर्शन और रिपोर्टों पर भी ध्यान दिया। कंपनी ने जुलाई 2014 से एक एकिकृत ईआरपी प्रणाली (एसएपी) लागू किया है जो बेहतर प्रबंधन नियंत्रण को सक्षम कर रहा है। एसएपी लेखापरीक्षा, एसएपी उपयोगों के आकलन और सुधार के लिए मेसर्स केपीएमजी द्वारा आयोजित की गई थी। एसएपी प्रणाली की सुरक्षा का आकलन भी लेखापरीक्षा का हिस्सा था। मेसर्स केपीएमजी द्वारा एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा भी की गई थी।

125. सीएसएल डिजिटल परिवर्तन के पथ पर है और मौजूदा एसएपी ईसीसी प्रणाली को एसएपी में कुशल प्रौद्योगिकी संबंधी संवर्द्धन को पूरा करने के लिए कुशल ईआरपी प्रणाली एस/4एचएनए में उन्नत किया जा रहा है।

126. मेसर्स ई एंड वाई ने सीएसएल में मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी आधारिक संरचना की परिपक्वता मूल्यांकन लेखापरीक्षा आयोजित की है। उनकी सिफारिशों के आधार पर, सूचना प्रौद्योगिकी की आधारिक संरचना, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन की उन्नयन गतिविधियां प्रगति पर हैं।

127. अपनी प्रक्रियाओं और संचालन को अनुकूलित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने और उसका लाभ उठाने में अग्रणी होने के नाते, सीएसएल ने वर्ष 2018 में डिजिटल रूप से सक्षम कानूनी और नियामक अनुपालन और समर्थन सेवा इंटरफेस शुरू करके इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया था। सीएसएल अपनी कानूनी और नियामक अनुपालन आवश्यकता को सुव्यवस्थित करने के लिए इस नई प्रणाली को लागू करनेवाला पहला पोत परिवहन क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

128. मे. एलियास जॉर्ज एवं कंपनी (फर्म पंजीकरण सं. 00801 एस), सनदी लेखाकार, एर्णाकुलम को वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में पुनःनियुक्त किया गया था। शेयरधारकों को बोर्ड को सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने की शक्ति सौंप दी है और तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा तय किया गया है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

129. मे. एलियास जॉर्ज एवं कंपनी, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलॉन और समेकित वित्तीय विवरण पर अपनी रिपोर्ट जून 11, 2021 को प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट में किसी पात्रता, आरक्षण या प्रतिकूल अभ्युक्ति या अस्वीकृति शामिल नहीं है।

नियंत्रक व लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

130. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है।

लागत लेखापरीक्षक

131. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत अपेक्षित अपनी पोत निर्माण गतिविधियों के संबंध में कंपनी लागत रिकॉर्ड रखती है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए मेसर्स फेलिक्स एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण सं. 100416) को लागत लेखाकार के रूप में नियुक्त किया है। सितंबर 29, 2020 को आयोजित 48वीं एजीएम में शेरधारकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक की पुष्टि की गई।

सचिवीय लेखापरीक्षक

132. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए मेसर्स मेहता एंड मेहता, प्राक्टिसिंग कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध-IV के रूप में अंकित करके संलग्न है।

133. सचिवीय लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित का अवलोकन किया:

क. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी एलओडीओर विनियम') और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के विनियम 17 (1) के तहत आवश्यक है :

ख. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के तहत कंपनी के पास दिनांक 01 अप्रैल 2020 से 14 जुलाई 2020 की अवधि के लिए बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक थे। हालांकि, 14 जुलाई 2020 को स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने पर दिनांक 31 मार्च 2021 तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई नई नियुक्ति नहीं हुई :

ग. दिनांक जुलाई 15, 2020 से मार्च 31, 2021 तक की अवधि के दौरान, कंपनी ने सेबी एलओडीओर विनियमों, कंपनी अधिनियम,

2013 के विविध प्रावधानों और सीपीएसई के लिए निगमित शासन मार्गनिर्देशों, जहां भी लागू हो, के तहत अपेक्षितानुसार लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंधी समिति और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन नहीं किया है, और

घ. स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई और बीएसई ने सेबी एलओडीओर विनियमों की निगमित शर्तों का पालन करने पर कुल 18,96,000/- (एनएसई - 9,58,000 और बीएसई - 9,38,000 रुपए) का जुर्माना लगाया था।

134. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणियों के लिए बोर्ड का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है :

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। तदनुसार, सीएसएल के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करके की जाती है। कंपनी ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पदों को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचनाएं भेजी हैं और लगातार अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की रिक्तियों को भरना भारत सरकार के पास लंबित है। इसके अलावा, कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण उपरोक्त सांविधिक समितियों का पुनर्गठन नहीं कर सकी, जो आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद की जाएगी। कंपनी ने सेबी एनओडीओर विनियमों की निगमित शासन शर्तों के गैर-अनुपालन के संबंध में कंपनी की स्थिति को स्पष्ट करते हुए स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई और बीएसई को सूचनाएं अग्रोषित की थीं। बीएसई ने अप्रैल 19, 2021 को अपनी सूचना में कंपनी द्वारा लगाए गए जुर्माने पर छूट दी थी। जुर्माना जनवरी 22, 2020 को सेबी के परिपत्र सं. ईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/12 के अनुसार लगाया जाता है, जिसमें प्रावधान है कि स्टॉक एक्सचेंज एक-दूसरे के परामर्श के समान कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा, एनएसई ने इस संबंध में सेबी एलओडीओर विनियमों के तहत आगे कोई कार्रवाई नहीं की है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

135. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए मेसर्स वर्मा और वर्मा, सनदी लेखाकार, कोची को नियुक्त किया है।

वार्षिक विवरणी

136. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के तहत अपेक्षित कंपनी का वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट <https://cochinshipyard.in/Investors> पर उपलब्ध है।

निवेशक सेवाएं

137. कंपनी का शेयर बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') में सूचीबद्ध हैं। सीएसएल ने बीएसई और एनएसई को समय पर लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है। लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन इक्विटी शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है। कंपनी द्वारा वर्ष 2013-14 में जारी किए गए कर मुक्त बांड, दोनों डिपॉजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ पूरी तरह से डीमेटरियलाइज्ड हैं। ये बांड बीएसई के थोक ऋण बाजार ('डब्ल्यूडीएम') खंड में सूचीबद्ध हैं। सीएसएल ने इन बांडों के संबंध में बीएसई को समय पर लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है। लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है और एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड इन बांडों के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी है।

सतर्कता

138. सतर्कता विभाग सभी खरीद में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता की वकालत करता है। इसके कड़ाई से अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण सीवीसी दिशानिर्देशों पर विभागाध्यक्षों के साथ चर्चा की जाती है। निवारक सतर्कता के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के बीच सतर्कता संवेदीकरण पर जोर दिया गया।

139. सतर्कता विभाग त्रैमासिक आधार पर आंतरिक और सीएजी दोनों लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की जांच करता है और सतर्कता कोण से संबंधित मुद्दों पर की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, की जांच करता है। वर्ष के दौरान सतर्कता पहलों के माध्यम से हासिल किए गए विभिन्न प्रणालीगत सुधारों में शामिल हैं, विक्रेता सूची का अद्यतनीकरण, न विक्रेताओं के ऑनलाइन पंजीकरण का प्रावधान, अनुबंध समाप्ति की निगरानी, मासिक आधार पर नई विक्रेता सूची की समीक्षा, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बिल ट्रेकिंग प्रणाली की शुरुआत, ई-खरीद पर जोर, अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की संपत्ति विवरणी की ऑनलाइन जांच, ग्रेड पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पोत निर्माण और पोत मरम्मत स्टील स्क्रेप का व्यवस्थित निपटान आदि। विभिन्न विभागों से विवरण एकत्र कर विभिन्न ठेके के ब्यौरों की भी जांच की गई। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार पर मेसर्स एसईडीएस के साथ एमओयू तथा आईएसआरएफ तथा सूखी गोदी के परामर्शी अनुबंध प्रदान करने से संबंधित फाइलों की जांच की गई। जांच के बाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मंत्रालय, और सीवीसी को रिपोर्ट भेजी गई थी।

140. सतर्कता संवेदीकरण कार्यक्रम - आयोग द्वारा निर्देशित उचित तरीके से कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सीएसएल अधिकारियों के लिए दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री राजेंद्रन के, सीवीओ, सीएसएल द्वारा 'बिजनेस एथिक्स' विषय पर एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था। ऑनलाइन मोड के माध्यम से सीएसएल के कर्मचारियों और बच्चों के लिए निबंध

प्रतियोगिताएं, स्लोगन प्रतियोगिताएं और ड्राइंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। दिनांक 30 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएसएल के आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के लिए एक ऑनलाइन विक्रेता निवारण कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई थी।

141. सतर्कता विभाग विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया की जांच कर रहा है। इसके अलावा, महामारी के कारण, सतर्कता विभाग ने संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष के लिए चार औचक/आवधिक निरीक्षण किए हैं और सतर्कता कोण पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सभी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाती हैं और सीवीसी के पास कोई संदर्भ लंबित नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

142. पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, आपकी कंपनी ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को सही मायने में लागू किया है और कंपनी में एक समर्पित केंद्रीकृत आरटीआई सेल के साथ एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया है, ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नागरिकों को जानकारी प्रदान की जा सके। वर्ष 2020-21 के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्राप्त सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों को संसाधित किया गया है और अधिनियम में निर्धारित समयबद्ध तरीके से जानकारी प्रदान की गई है।

143. कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का कोई उदाहरण नहीं मिला है। आरटीआई के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड या सख्ती नहीं लगाई गई है।

जागरण तंत्र

144. दिसंबर 14, 2016 को आयोजित 228 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कोचीन शिपयार्ड का जागरण तंत्र और विसिल ब्लॉवर नीति सीएसएल के जागरण तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुरूप, सीएसएल ने दिनांक 16 सितंबर 2014 को आयोजित 214 वीं बोर्ड बैठक में धोखाधड़ी रोकथाम और जांच नीति को अपनाया था। चूंकि दोनों नीतियों का बड़ा उद्देश्य समान था, इसलिए सीएसएल ने दिनांक 12 नवंबर 2019 को आयोजित 252वीं बोर्ड बैठक में एक संयुक्त नीति अर्थात् विसिल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति को अपनाया। सीएसएल की विसिल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति <https://cochinshipyard.com/Investors> लिंक पर उपलब्ध है।

लेखापरीक्षकों द्वारा धारा 143 के अधीन रिपोर्ट किए धोखाधड़ी का विवरण

145. शून्य

ऋण, गारंटी या निवेशों का विवरण

146. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने

- क) किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया है।
- ख) किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों केलिए ऋण के सिलसिले में प्रतिभूति प्रदान न किया है या कोई गारंटी नही दिया है।
- ग) निम्नलिखित को छोडकर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन निर्धारितानुसार, सदस्यता, खरीद या अन्यथा, किसी अन्य निकाय कॉरपोरेट की प्रतिभूतियों के रूप में अधिग्रहीत किया गया।

कंपनी का नाम	निवेश का विवरण	राशि (₹ करोड में)
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	अप्रतिभूत ऋण * इक्विटी शेयर संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर	10.00 28.00 56.00
टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड	अप्रतिभूत ऋण इक्विटी शेयर	5.00 65.00

* फरवरी, 2021 में चुकाया गया ।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धता

147. कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हुए, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धता नहीं हुआ है।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

148. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

निक्षेप

149. आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के चैप्टर V के अधीन जनता से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

सचिवालय मानक

150. कंपनी ने भारत के कंपनी सचिवों द्वारा जारी किए गए लागू सचिवीय मानकों का पालन किया है।

महत्वपूर्ण आदेश

151. कंपनी की चालू स्थिति और इसके प्रचालनों को प्रभावित करते हुए विनियामकों या किसी अदालतों या न्यायालय द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

152. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर 500 सूचीबद्ध संस्थानों को व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआर रिपोर्ट) को वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल करना अधिदिष्ट किया है। इस सेबी आदेश सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(2) (एफ) के रूप में भी डाला गया है। सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 बीआर रिपोर्टों केलिए एक प्रारूप प्रदान करते हैं। इसमें नौ प्रमुख सिद्धांतों की एक सूची और पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानकों के अनुपालन निर्धारित करने केलिए प्रत्येक सिद्धांत के तहत विभिन्न मूल तत्वों को भी समाविष्ट किया है। वर्ष केलिए कंपनी की बीआर रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है।

पावती

153. निदेशक मंडल, पोत परिवहन के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सभी अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सतत संरक्षण और समर्थन केलिए अत्यंत आभारी है । बोर्ड भारत सरकार और केरल सरकार के विभिन्न कार्यालयों, स्थानीय निकायों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षको, आपूर्तिकारों, उप ठेकेदारों, कंपनी के बैंकों और हमारे मूल्यवान ग्राहकों के प्रति प्राप्त समर्थन एवं सहयोग केलिए कृतज्ञ है। बोर्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सभी कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान और समर्थन का सराहना करता है। आपके निदेशक सभी शेयरधारकों/ निवेशकों को कंपनी में रखे यकीन और आत्मविश्वास केलिए अपनी प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त करते है तथा आगामी वर्षों में कंपनी के विकास को बनाए रखने केलिए उनके निरंतर सहायता और भागीदारी केलिए आशा करती है।

	कृते	निदेशक मंडल और उनके पक्ष में,
		मधु एस नायर
कोच्ची		अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
जून 11, 2021		डीआईएन: 07376798

अनुबंध - I

क. ऊर्जा संरक्षण

क. वर्ष 2020-21 के दौरान ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव

उठाए गए कदम

- पुराने ऑयल कूल्ड पावर ट्रांसफॉर्मर को ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर से बदला गया जिससे लोड लॉस कम नहीं हुआ और ट्रांसफॉर्मर की दक्षता में सुधार हुआ ।
- विभिन्न हाई मास्ट की मेटल हैलाइड (एमएच) लाइट फिटिंग को ऊर्जा दक्ष एलईडी फिटिंग से बदला गया ।
- हल शॉप, एसएसडी क्षेत्र और पोत मरम्मत शॉपों के विभिन्न खाडियों में एलईडी के साथ उच्च प्रेशर मेरकुरी वेपर लाइट फिटिंग को बदला गया ।
- निर्माण गोदी और मरम्मत गोदी वॉकवे की एमवी/एमएच लाइट्स को एलईडी फ्लडलाइट्स और वेल ग्लास लाइट्स से बदला गया ।
- एलएलटीटी/गैन्ट्री क्रेन की एमएच लाइट फिटिंग को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटों से बदला गया ।
- पारंपरिक स्प्लट सिस्टम को बदलकर पोत मरम्मत कार्यालय में वीआरएफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रदान किया गया ।
- संपीडित वायु वितरण प्रणाली और अन्य औद्योगिक गैस लाइनों में रिसाव की नियमित रूप से निगरानी और सुधार किया जाता है ।
- नए भवनों का विद्युतीकरण पारंपरिक डिस्चार्ज लैम्प्स के स्थान पर एलईडी लाइटों से किया जाता है ।
- लंच ब्रेक के दौरान मुख्य एयर कंप्रेसर को बंद किया जाता है ।
- दोपहर 12:15 मुख्य बिजली आपूर्ति को शॉपों, खदानों और डॉक पर बंद किया जाता है । यह मेइन कूलर, रूफ एक्सट्रेक्टर्स (स्टार्टर के माध्यम से नियंत्रित) आदि को ट्रिप करता है, जिनकी लंच ब्रेक के दौरान आवश्यकता नहीं होती है ।
- विद्युत ऊर्जा के अनुकूलतम उपयोग के उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण केलिए कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने केलिए ऊर्जा बचत स्टिकर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए, संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई ।
- यूनिट के निकट पावर फैक्टर की लगातार निगरानी और रखरखाव किया जाता है ।

प्रभाव

ऊपर निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन के साथ ऊर्जा की बचत लगभग 8.4 लाख यूनिट प्रति वर्ष है ।

ख. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम

- वर्ष 2020-21 के दौरान मौजूदा 835 केडब्ल्यूपी ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के अलावा ओडब्ल्यू और बॉन्डेड स्टोर की छत पर 450 केडब्ल्यूपी ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र और विभिन्न भवनों की छत पर 200 केडब्ल्यूपी ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया । इसके साथ ही सीएसएल में सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 1485 केडब्ल्यूपी हो गई है ।
- समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, गिरिनगर की छत पर 70 केडब्ल्यूपी ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र और सामुद्रिका, पनमपिल्ली नगर (सीएसएल परिसर के बाहर) में 9 केडब्ल्यूपी ग्रिड कलेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया ।
- वर्ष 2020-21 के दौरान सौर ऊर्जा संयंत्रों से 12.19 लाख यूनिट ऊर्जा उत्पन्न की गई ।
- ऊर्जा संरक्षण केलिए लगभग 148 लाख रुपए की राशि का निवेश किया गया है ।

ग. ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार

- क. प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास ।
- कार्यान्वित ब्लेंडर, एक ऑपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल, जिसका उपयोग कॉन्सेप्ट/बेसिक डिजाइन प्रोजेक्ट्स के उच्च गुणवत्तावाले 3डी रेंडरिंग को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है ।
 - बाहरी कार्यशालाओं/प्रशिक्षण में निम्न प्रदान किया गया :
 - पोत डिजाइन में हाइड्रोडायनामिक्स पर समुद्री अनुसंधान संस्थान नेथरलैंड (एमएआरआईएन) द्वारा आयोजित छह दिवसीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम । पाठ्यक्रम में प्रतिरोध और प्रणोदन, प्रोपेलर कैविटेशन और टेस्ट, पोत डिजाइन में कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, सीकीपिंग और पेंतरेबाजी सहित विषयों की विस्तृत श्रृंखला शामिल थी ।
 - नौसेना वास्तुविद्या पर भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस) द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण । पाठ्यक्रम में पोत की स्थिरता, आईएमओ विनियम आदि जैसे विषय शामिल थे ।
 - केएमआरएल फेरी और 8000 टी बहुउद्देश्यीय सामान्य मालवाहक पोत, एफबीओपी, एएसडब्ल्यू कार्वेट के लिए 3डी मॉडल, हल, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल और आवास प्रणालियों के लिए कार्यात्मक ड्राइंग और उत्पादन ड्राइंग का आंतरिक विकास किया गया ।
 - 3डी एक्सपीरियंस पोत निर्माण सॉफ्टवेयर की संस्थापना पूरी हो गयी है । पतवार संरचना, विद्युत, मशीनरी, पाईपिंग, एचवीएसी, आवास संगठन और परियोजना प्रबंधन के लिए 3 डी एक्सपीरियंस पोत निर्माण सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स का कार्यान्वयन और परिनियोजन प्रगति पर है ।
 - प्राप्त ईटीएपी सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग समुद्री जहाजों, अपतट प्लेटफॉर्मों और पोत निर्माण बिजली प्रणालियों का विश्लेषण, प्रबंधन और अनुकरण के लिए किया जाता है । सॉफ्टवेयर जटिल विद्युत प्रणाली डिजाइन और लॉड प्रवाह, शॉर्ट सर्किट, हार्मोनिक विश्लेषण, क्षणिक स्थिरता, केबल आकार आदि जैसी गणना करने में सक्षम है ।
 - 'केबल मैनेजर' के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड - ऑनबोर्ड परियोजनाओं के उपयोग के लिए इन-हाउस विकसित केबल शेड्यूलिंग और नेस्टिंग सॉफ्टवेयर ।
 - 'एसआरटीपी प्रबंधक' के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड- आकलन करने के लिए इन-हाउस विकसित डिजाइन टूल और सुनिश्चित करें कि 1200 पैक्स परियोजना के लिए क्लास नोटेशन सेफ रिटर्न टु पोर्ट (एसआरटीपी) की आवश्यक शर्तों को पूरा किया गया है ।
 - 'आईएएचम प्रबंधक' का आंतरिक विकास - चल रही परियोजनाओं के लिए 'खतरनाक सामग्री की सूची' का प्रबंधन करने के लिए सॉफ्टवेयर ।
 - मेसर्स अस्को के लिए बनाए जा रहे ऑटो बार्ज के भविष्य के स्वायत्त संचालन के लिए विभिन्न उपकरणों की इंटरफेस आवश्यकताओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त के लिए कॉम्सबर्ग मैरीटाइम के साथ सहयोग ।
- ख. प्रौद्योगिकी नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास
- लॉडिंग स्थितियों के स्वतः उत्पन्न करने के लिए एनएपीए सॉफ्टवेयर कोड का विकास और अक्षुण्ण एवं क्षति स्थिरता मानदंड इन लॉडिंग स्थितियों की जांच ।
 - टग डिजाइन में विशेषज्ञतावाली कनाडा की एक प्रमुख डिजाइन फर्म रॉबर्ट एलन लिमिटेड के सहयोग से टग के बुनियादी डिजाइन (आईपीए के लिए टग के लिए पांच मानक डिजाइन) का विकास ।
 - भारत सरकार के लिए मत्स्य ग्रहण जहाजों के लिए तीन मानक डिजाइनों का विकास ।
 - व्यवहार्यता अध्ययन परियोजना के रूप में 12 मीटर स्वायत्त सतह पोत की विकसित अवधारणा डिजाइन ।
 - हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल यात्री फेरी बोट की विकसित अवधारणा डिजाइन ।
 - सिमुलिया, परिमित तत्व विश्लेषण उपकरण का उपयोग करते हुए उठाई गई स्थितियों के दौरान केएमआरएल कटमरैन फेरी का संरचनात्मक विश्लेषण किया, जिसे 3डी अनुभव प्लेटफॉर्म के हिस्से के रूप में खरीदा गया था ।
 - बैटरी चालित रो-रो पोत की विकसित अवधारणा डिजाइन ।
 - अयोध्या में संचालन के लिए 80 पैक्स रिवर क्रूज वेसल के लिए विकसित अवधारणा डिजाइन ।
 - एनडब्ल्यू 1, एनडब्ल्यू 2 और इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग में संचालन के लिए 3000 टन अंतर्देशीय कार्गो वाहक के लिए विकसित अवधारणा डिजाइन ।
 - भारतीय नौसेना के लिए कैडेट प्रशिक्षण पोत (सीटीएस) की अवधारणा डिजाइन का विकास ।
 - मॉड्यूलर अवधारणा का उपयोग करते हुए सबमर्सिबल टैस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए विकसित अवधारणा डिजाइन ।
 - 5500 टन बल्क कैरियर की अवधारणा डिजाइन का विकास ।
 - अस्पताल पोत की अवधारणा डिजाइन का विकास ।
 - पवन सहायता प्राप्त बल्क कैरियर की अवधारणा डिजाइन का विकास ।
 - लॉडिंग क्राफ्ट की अवधारणा डिजाइन का विकास ।
 - अपतट पेंट बार्ज की अवधारणा डिजाइन का विकास ।

अवशोषण के संबंध में विवरण का प्रकटीकरण

क. उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे व्युत्पन्न लाभ ।	<ul style="list-style-type: none"> इन-हाउस सॉफ्टवेयर कोड, एफईए और सीएफडी क्षमतावाले अनुकूलित उत्पादों को विकसित करने के लिए डिजाइन पुनरावृत्तियों को निष्पादित करने के लिए लचीलेपन में वृद्धि । उच्च गुणवत्तावाले डिजाइन समाधानों के कारण ग्राहकों तक पहुँच और बड़ी हुई विश्वसनीयता । विशिष्ट और अग्रणी फर्मों के साथ सहयोग करके डिजाइन में क्षमता में वृद्धि ।
ख. आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित वित्तीय वर्ष की शुरुआत से माना जाता है) निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है ।	
i. आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	समुद्री बिजली प्रणालियों के विश्लेषण, प्रबंधन और अनुकरण के लिए ईटीएपी सॉफ्टवेयर ।
i. आयात का वर्ष	2020-21
iii. क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित हो गई है	उपरोक्त वर्तमान में स्थापित और कार्यान्वयन के अधीन है और इसे अवशोषण जारी प्रौद्योगिकी के रूप में माना जा सकता है ।
iv. यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है, तो, ऐसे क्षेत्र जहाँ अवशोषण नहीं हुआ है, और इसके कारण	प्रशिक्षण अभी दिया जाना है ।
ग. अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय	शून्य

ग. विदेशी मुद्रा का उपार्जन और व्यय

	(₹ लाख में)	
	2020-21	2019-20
विदेशी मुद्रा से आय		
पोत मरम्मत से	6,588.02	0.00
पोत निर्माण से	549.57	345.70
कुल	7,137.59	345.70
विदेशी मुद्रा से व्यय		
सामग्री (सीआईएफ मूल्य)	59,001.52	1,02,864.31
डिजाइन एवं प्रलेखन	132.63	116.52
सेवा प्रभार और अन्य	6,220.45	10,528.97
कुल	65,354.60	1,13,509.80

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कोच्ची
जून 11, 2021**मधु एस नायर**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

अनुबंध - II

फॉर्म सं. एओसी -2

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पाटियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए ठेके/ करार के विवरण के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म जिसमें तीसरे प्रावधान के अधीन कुछ निष्पक्ष आधार पर लेनदेन भी शामिल है।

1. ठेके या व्यवस्थाएं या लेनेदेन जो निष्पक्ष आधार पर न हो, का विवरण		
क.	संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रकृति	शून्य
ख.	ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की प्रकृति	शून्य
ग.	ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की अवधि	लागू नहीं
घ.	मूल्य सहित ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	लागू नहीं
ङ.	ठेके या व्यवस्थाएं या लेनदेन में प्रवेश के लिए समर्थन	लागू नहीं
च.	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
छ.	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं
ज.	धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव की तारीख	लागू नहीं
2. महत्वपूर्ण ठेके या व्यवस्थाएं या लेनेदेन जो निष्पक्ष आधार पर हो, का विवरण		
क.	संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रकृति	शून्य
ख.	ठेके / व्यवस्थाएं/ लेनदेन की प्रकृति	शून्य
ग.	ठेके / व्यवस्थाएं/ लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
घ.	मूल्य सहित ठेके / व्यवस्थाएं/ लेन देन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	लागू नहीं
ङ.	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	लागू नहीं
च.	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

कोच्ची

जून 11, 2021

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07376798

अनुबंध - III

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी में वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर गतिविधियों को सीएसआर नियमों के तहत वैधानिक प्रावधानों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों, कंपनी की सीएसआर नीति और कंपनी द्वारा सीएसआर के लिए अपनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप किया गया था। कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी छोटी परियोजनाओं की श्रेणियों के तहत परियोजनाओं का संचालन करती है, जो कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से 10 लाख रुपए या उससे कम मूल्य की अत्यावश्यक प्रकृति की हैं, जो कि कुल खर्च का 10% तक सीमित है। अन्य सभी परियोजनाओं को प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

वर्ष का मुख्य विषय : डीपीई द्वारा सलाह के अनुसार समाज की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं/ आवश्यकताओं के अनुरूप परिसंपत्तियों के सृजन की दिशा में, स्वास्थ्य देखभाल और

पोषण पर परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता दी गई थी। आकांक्षी जिले - वयनाड को भी प्राथमिकता दी गई।

2. सीएसआर समिति की संरचना

बोर्ड की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता विकास (सीएसआर और एसडी) समिति समय-समय पर बोर्ड के अनुमोदन के लिए सीएसआर परियोजनाओं की सिफारिश करती है। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर जुलाई 15, 2020 से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति लंबित होने के कारण, कंपनी सीएसआर और एसडी समिति का पुनर्गठन नहीं कर सकी। तदनुसार, बोर्ड स्तर से नीचे के सीएसआर कार्यपालक समिति की सिफारिशों के आधार पर, जुलाई 15, 2020 से सीएसआर प्रस्तावों पर सीधे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विचार किया गया। जुलाई 14, 2020 तक सीएसआर और एसडी समिति की संरचना नीचे दी गई है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशकता की प्रकृति	सीएसआर एवं एसडी समिति की बैठकों की संख्या	
			वर्ष के दौरान आयोजित	वर्ष के दौरान उपस्थित
1	श्री जिजी तॉमसण आईएएस (सेवानिवृत्त) (डीआईएन : 01178227)	गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक अध्यक्ष	1	1
2	श्री नंदकुमारन पुत्तेश्वर (ऋक्ष: 02547619)	गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक सदस्य	1	1
3	श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन : 08103825)	निदेशक (तकनीकी) - सदस्य	1	1
4	श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440)	निदेशक (वित्त) - सदस्य	1	1

3. वेब लिंक जहां सीएसआर और एसडी समिति की संरचना, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाता है।

<https://cochinshipyard.in/Investors>

4. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण।

रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू नहीं है।

5. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।

शून्य।

6. **कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ** : ₹73,988.26 लाख
7. क. अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : ₹1,479.77 लाख
ख. पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य
ग. वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो। : शून्य
घ. वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देयता (7 क + 7ख - 7 ग) : ₹1,479.77 लाख
8. क. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि
खर्च की गई कुल राशि : ₹1,526.98 लाख
खर्च की गई राशि : शून्य
ख. वित्तीय वर्ष चालू परियोजनाओं के सामने खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : ₹822.90 लाख
ग. वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : ₹643.39 लाख
वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं और चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण निर्धारित प्रारूप में क्रमशः **अनुबंध क और ख** में रखा गया है।
घ. प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि : ₹60.69 लाख
ङ. प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : लागू नहीं
च. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख + 8ग + 8घ + 8ङ) : ₹1,526.98 लाख
- छ. समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो।

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(i)	अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	1,479.77 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	1,526.98 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि ((ii) - (i))	47.21 लाख
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियां, यदि कोई हो	शून्य
(v)	बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि	40.00 लाख

9. क. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण : शून्य
ख. पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : ₹200.50 लाख
पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण निर्धारित प्रारूप में इस रिपोर्ट के **अनुबंध ग** में दिया गया है।

10. पूंजीगत संपत्ति का निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें।

लागू नहीं।

11. यदि कंपनी अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें।

लागू नहीं।

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07376798

अनुबंध क

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची V/II में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हां/जी नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाखों में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ लाखों में)	अधिनियम की धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाखों में)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	सीएसआर पंजीकरण संख्या
				राज्य	जिला						
1	जीजामता महिला एवं बाल चिकित्सालय, बुलदाना जिला, महाराष्ट्र दूसरा चरण के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी नहीं	महाराष्ट्र	बुलदाना	200.00	-	-	जी नहीं	जीजामता महिला एवं बाल चिकित्सालय, बुलदाना जिला, महाराष्ट्र	लागू नहीं
2	सुबाष पार्क एण्ड कुलम और कोयित्तरा पार्क, पनीपल्ली नगर, कोच्ची के रखरखाव और प्रबंधन के लिए समर्थन।	खंड (i) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	जी हां	केरल	एण्डकुलम	96.00	64.00	-	जी नहीं	सी हेड, कोच्ची	लागू नहीं
3	श्री दुर्गा विलासम एचएसएस, पेरामंगलम, विश्वर जिले में खेलों के तहत खेल छात्रावास इंडिया के तहत खेल छात्रावास के लिए एक मॉडल के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (vi) ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालिम्पिक्स खेल और ओलिंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	जी हां	केरल	विश्वर	30.00	-	-	जी नहीं	श्री दुर्गा विलासम एचएसएस, पेरामंगलम, विश्वर जिला	लागू नहीं
4	सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुंडेरी, कण्णूर जिले में स्पोर्ट्स क्लबास के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हां	केरल	कण्णूर	59.00	29.50	-	जी नहीं	सचिव, कण्णूर जिला पंचायत	लागू नहीं
5	मत्स्य विभाग, केरल सरकार को समुद्र में चलने योग्य समुद्री बचाव एंजुलेंस के निर्माण के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हां	केरल	पेन केरल	280.00	252.00	-	जी नहीं	मत्स्य विभाग, केरल सरकार	लागू नहीं
6	एम जी रोड, एण्डकुलम में विलर्स 704 से 720 के बीच कोच्ची मेट्रो रेल के 16 मॉड्यूल को हटा-भरा कर जैव अपशिष्ट का उपयोग कर बिना मिट्टी के मॉड्यूल बागवानी के लिए समर्थन।	खंड (iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि बानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल गुणवत्ता को बनाए रखना।	जी हां	केरल	एण्डकुलम	42.15	14.96	-	जी नहीं	वैलकन फाउंडेशन, कोच्ची	लागू नहीं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान			स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/जी नहीं)	अधिनियम की अनुसूची V/II में गतिविधियों की सूची से मर	परियोजना का उद्देश्य	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाखों में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ लाखों में)	अधिनियम की अनुसूची V/II के अंतर्गत व्ययित राशि (₹ लाखों में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
		राज्य	जिला	नाम									लागू नहीं	
7	शबरी शरणश्रम, कृनामकारा, पत्तनट्टा जिले में मणिकेट गुरुकुलम जनजातीय छात्रावास के निर्माण के लिए समर्थन।	केरल	पत्तनट्टा	जी हाँ	खंड (III) महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	1 वर्ष	50.00	25.00	-	जी नहीं	शबरी शरणश्रम, कृनामकारा, पत्तनट्टा जिला	लागू नहीं		
8	गार्डियन ऐजेंल पीस मिशन फॉर पॉलियोटव केयर, नेडुव्याशेरी, एणाकुलम जिले में भूतल में 10 कमरों के निर्माण के लिए सहायता।	केरल	एणाकुलम	जी हाँ	खंड (I) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	1 वर्ष	50.00	25.00	-	जी नहीं	गार्डियन ऐजेंल पीस मिशन फॉर पॉलियोटव केयर, नेडुव्याशेरी, एणाकुलम जिला	लागू नहीं		
9	एणाकुलम जिले में सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में ऑक्सीजन वितरण सुविधा के लिए आधारभूत संरचना सहायता।	केरल	एणाकुलम	जी हाँ	खंड (I) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	1 वर्ष	50.00	25.00	-	जी नहीं	नेशनल हेल्थ मिशन, एणाकुलम	लागू नहीं		
10	जीजामाता महिला एवं बाल चिकित्सालय, वुलदाना जिला, महाराष्ट्र पहले चरण के निर्माण के लिए समर्थन।	महाराष्ट्र	वुलदाना	जी नहीं	खंड (I) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	1 वर्ष	200.00	-	-	जी नहीं	जीजामाता महिला एवं बाल चिकित्सालय, वुलदाना जिला, महाराष्ट्र	लागू नहीं		
11	वयनाड जिले में चार अंगवाडी परियोजनाओं की स्थापना के लिए समर्थन।	केरल	वयनाड	जी हाँ	खंड (I) धूम्र, गरीबी और पोषण की कमी का उपचार	1 वर्ष	120.00	16.00	-	जी नहीं	जिला प्रशासन, वयनाड	लागू नहीं		
12	जास जंक्शन, एम जी रोड, एणाकुलम में एक कटेर शौचालय समुचय के निर्माण के लिए सहायता।	केरल	एणाकुलम	जी हाँ	खंड (I) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	1 वर्ष	30.00	7.50	-	जी नहीं	बेटर कोच्ची रेस्पॉन्स ग्रुप (बीकेआर जी), कोच्ची	लागू नहीं		
13	केरल और लक्षद्वीप समूह में डेल शार्क का संरक्षण।	पैन इंडिया	पैन इंडिया	जी नहीं	खंड (IV) पंचावर्णीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल गुणवत्ता को बनाए रखना।	1 वर्ष	40.00	-	-	जी नहीं	वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	लागू नहीं		

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान			स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/जी नहीं)	अधिनियम की अनुसूची V/II में गतिविधियों की सूची से मर	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाखों में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ लाखों में)	अधिनियम की अनुसूची V/II के अंतर्गत व्ययित राशि (₹ लाखों में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
		राज्य	जिला	नाम								लागू नहीं	
14	श्री राम कृष्ण मठ, बेलूर मठ, कोलकाता द्वारा विवेक तीर्थ के निर्माण के लिए समर्थन।	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	जी नहीं	खंड (II) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	1 वर्ष	120.00	-	-	जी नहीं	श्री राम कृष्ण मठ, बेलूर मठ, कोलकाता	लागू नहीं	
15	कुवलंगी ग्राम पंचायत में पाक के नवीनीकरण के लिए समर्थन।	केरल	एणाकुलम	जी हाँ	खंड (I) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	1 वर्ष	20.00	-	-	जी नहीं	संचय, कुवलंगी ग्राम पंचायत	लागू नहीं	
16	कारुण्य दंद और उपशामक देखभाल अस्पताल, परपपुर, त्रिशूर जिले की दूसरी मंजिल के निर्माण के लिए समर्थन।	केरल	त्रिशूर	जी हाँ	खंड (I) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	1 वर्ष	20.00	-	-	जी नहीं	कारुण्य दंद और उपशामक देखभाल अस्पताल, परपपुर, त्रिशूर जिला	लागू नहीं	
17	जीवन परियोजना के लिए तैने के लिए सहायता।	केरल	एणाकुलम	जी हाँ	खंड (VI) ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पारलिम्पिक्स खेल और ओलंपिक्स खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	1 वर्ष	20.00	-	-	जी नहीं	बेटर कोच्ची रेस्पॉन्स ग्रुप (बीकेआर जी), कोच्ची	लागू नहीं	
18	एन उरु जनजातीय गांव, वयनाड के लिए पाइपलाइन पंपसेट और पेवजल टैंक की स्थापना के लिए सहायता।	केरल	वयनाड	जी हाँ	खंड (I) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	1 वर्ष	20.00	-	-	जी नहीं	उप जिलाधीश, मानंतवाडी	लागू नहीं	
19	एणाकुलम जिले में हरितकेरलम परियोजना के तहत सजीव तालाबों के रखरखाव के लिए सहायता।	केरल	एणाकुलम	जी हाँ	खंड (I) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	1 वर्ष	35.00	17.50	-	जी नहीं	जिला प्रशासन, एणाकुलम	लागू नहीं	
20	इंदिरा गांधी सहकारी अस्पताल, कडववा, एणाकुलम जिले के लिए उन्नत सर्जिकल ऑन्कोलॉजी केंद्र के लिए सहायता।	केरल	एणाकुलम	जी हाँ	खंड (I) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	1 वर्ष	35.00	17.50	-	जी नहीं	कोचीन को-ऑपरेटिव अस्पताल, कडववा, कोच्ची	लागू नहीं	
21	विवेकानंद रॉक मेमोरियल ट्रस्ट, कन्याकुमारी, तमिलनाडु को 50 सीटर मराइन बोट की खरीद के लिए समर्थन।	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	जी नहीं	खंड (V) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	1 वर्ष	60.00	-	-	जी नहीं	विवेकानंद रॉक मेमोरियल ट्रस्ट, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	लागू नहीं	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/जी नहीं)	परियोजना का स्थान			अधिनियम की धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित की गई राशि (₹ लाखों में)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से			
				राज्य	जिला	परियोजना अवधि					
22	दिव्यशालयम, मयलाकोव, तोडुपुषा, इडुक्की जिले में बिल्डिंग ब्लॉक के नवीनीकरण और पूर्णिकरण के लिए समर्थन।	खंड (iii) महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	जी हाँ	केरल	इडुक्की	1 वर्ष	30.00	15.00	जी नहीं	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	सीएसआर पंजीकरण संख्या
23	श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम, कलूर, एर्णाकुलम जिले में राहत और पुनर्वास केंद्र के निर्माण के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1 वर्ष	30.00	15.00	जी नहीं	श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम, कलूर, एर्णाकुलम	लागू नहीं
24	चौथे चरण के बीपीएल परिवारों से संबंधित युवाओं के लिए बिल्डिंग प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए सहायता।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1 वर्ष	30.00	15.00	जी नहीं	डॉन बोस्को टेक, वडुतला, एर्णाकुलम	लागू नहीं
25	विवेकानंद आदिवासी आवासीय विद्यालय, मट्टिलयम, वेल्समुंड, वयनाड जिले के लिए फिक्सड फायर फाइट सिस्टम की स्थापना के लिए समर्थन।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	जी हाँ	केरल	वयनाड	1 वर्ष	25.00	-	जी नहीं	गिरिजन सेवा ट्रस्ट, वेल्समुंड, वयनाड	लागू नहीं
26	जिला हॉमियो अस्पताल पुलपेडी, एर्णाकुलम के लिए शौचालय और प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1 वर्ष	12.00	-	जी नहीं	जिला चिकित्सा अधिकारी, हॉमियो, एर्णाकुलम	लागू नहीं
27	तीसरे चरण के बीपीएल परिवारों से संबंधित बेरोजगार युवाओं के लिए बिल्डिंग प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए सहायता।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1 वर्ष	35.00	-	जी नहीं	डॉन बोस्को टेक, वडुतला, एर्णाकुलम	लागू नहीं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/जी नहीं)	परियोजना का स्थान			अधिनियम की धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित की गई राशि (₹ लाखों में)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से			
				राज्य	जिला	परियोजना अवधि					
28	पालक्काड नगरपालिका द्वारा स्वच्छ भारत मिशन संबंधित गतिविधियों के लिए समर्थन।	खंड (i) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	जी हाँ	केरल	पालक्काड	1 वर्ष	100.00	-	जी नहीं	सचिव, पालक्काड नगरपालिका	लागू नहीं
29	केंद्रीय विद्यालय, पोर्ट ट्रस्ट, कोच्ची में शौचालय समुचय के नवीनीकरण के लिए समर्थन।	खंड (i) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1 वर्ष	10.00	-	जी नहीं	केंद्रीय विद्यालय, पोर्ट ट्रस्ट, कोच्ची	लागू नहीं
30	सेंट फिलोमिना उच्च माध्यमिक स्कूल, कुन्नमाव, एर्णाकुलम जिले में एसबस्टोस शीट्स के प्रतिस्थापन के लिए सहायता।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1 वर्ष	10.00	-	जी नहीं	सेंट फिलोमिना उच्च माध्यमिक स्कूल, कुन्नमाव, एर्णाकुलम	लागू नहीं
31	चेल्लानम, एर्णाकुलम जिले में मधुआरा राहत केंद्र के निर्माण के लिए सहायता।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1 वर्ष	20.00	10.00	जी नहीं	चेल्लानम मध्य तोषिलाली विकास सहकरण संघ, चेल्लानम, एर्णाकुलम	लागू नहीं
32	एस वी यू पी स्कूल, नेदूर, एर्णाकुलम जिले में एक हॉल के निर्माण और 4 कक्षाओं में और बरामदा में टाइल बिछाने के लिए सहायता।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1 वर्ष	20.00	10.00	जी नहीं	एस वी यू पी स्कूल, नेदूर, एर्णाकुलम	लागू नहीं
33	जेरमेया हॉम बेट्टोनी प्रशामक देखभाल केंद्र चौरटवल ट्रस्ट, ओचनतुरुत, वयपिन, एर्णाकुलम में निराश्रित महिलाओं के निःशुल्क आवास के लिए भवन के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1 वर्ष	20.00	10.00	जी नहीं	जेरमेया हॉम बेट्टोनी प्रशामक देखभाल केंद्र चौरटवल ट्रस्ट, ओचनतुरुत, वयपिन, एर्णाकुलम	लागू नहीं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान			स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/जी नहीं)	अधिनियम की अनुसूची V/II में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का बढावा (जी हाँ/जी नहीं)	राज्य	जिला	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाखों में)	चाहू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ लाखों में)	अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाखों में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यन्वयन एजेंसी के माध्यम से
		राज्य	जिला	परियोजना अवधि											
34	केरल मास्किंग प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी) द्वारा पूरे केरल में मछुआरों के लिए रीफ्रिजरेटड मोबाइल फिश वॉइंग कियोस्क के वितरण के लिए समर्थन।	केरल	पेन केरल	जी हाँ	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए अस्मानताओं को कम करना।	जी हाँ	केरल	पेन केरल	1 वर्ष	17.00	8.50	-	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
35	एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन द्वारा वयनाड जिले में पनिया समुदायों के लिए एकीकृत व्यवधान के लिए समर्थन।	केरल	वयनाड	जी हाँ	खंड (i) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए अस्मानताओं को कम करना।	जी हाँ	केरल	वयनाड	1 वर्ष	15.00	-	-	जी नहीं	एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन, वयनाड	लागू नहीं
36	नेचर ग्रीन गार्डियन्स फाउंडेशन, तिरुवनंतपुरम द्वारा सीएसएल आवासीय क्वार्टरों के पास एक खाली प्लॉट में मिथावाकी विधि वनीकरण के कार्यान्वयन के लिए समर्थन।	केरल	एणाकुलम	जी हाँ	खंड (iv) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्थितियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वातकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल गुणवत्ता को बनाए रखना।	जी हाँ	केरल	एणाकुलम	1 वर्ष	15.00	3.75	-	जी नहीं	नेचर ग्रीन गार्डियन्स फाउंडेशन, तिरुवनंतपुरम	लागू नहीं
37	कनियामपट्टा ग्राम पंचायत, वयनाड जिले में एम्बुलेंस की खरीद के लिए समर्थन।	केरल	वयनाड	जी हाँ	खंड (i) स्वास्थ्य को बढावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	वयनाड	1 वर्ष	7.50	-	-	जी नहीं	सचिव, कनियामपट्टा ग्राम पंचायत, वयनाड	लागू नहीं
38	हृदय उपशामक देखभाल केंद्र, वेल्लुलंगरा, त्रिशूर जिले के लिए चिकित्सा एंबुलेंस की खरीद के लिए समर्थन।	केरल	त्रिशूर	जी हाँ	खंड (i) स्वास्थ्य को बढावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	त्रिशूर	1 वर्ष	7.50	-	-	जी नहीं	हृदय उपशामक देखभाल केंद्र, वेल्लुलंगरा, त्रिशूर	लागू नहीं
39	संदीपनी सेवा समिति, गुरुवायूर, त्रिशूर जिले के लिए नए भवन के निर्माण के लिए समर्थन।	केरल	त्रिशूर	जी हाँ	खंड (ii) महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों को स्थापना	जी हाँ	केरल	त्रिशूर	1 वर्ष	70.00	63.00	-	जी नहीं	संदीपनी सेवा समिति, गुरुवायूर, त्रिशूर	लागू नहीं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान			स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/जी नहीं)	अधिनियम की अनुसूची V/II में गतिविधियों की सूची से मद	राज्य	जिला	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाखों में)	चाहू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ लाखों में)	अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाखों में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यन्वयन एजेंसी के माध्यम से	
		राज्य	जिला	परियोजना अवधि											
40	जेनेरल अस्पताल, एणाकुलम के परिसर में महबूब मेमोरियल ऑकेस्ट्रा, कोच्ची द्वारा आयोजित आर्ट ऑफ मेडिसिन नामक एक आंदोलित संगीत आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समर्थन।	केरल	एणाकुलम	जी हाँ	खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	जी हाँ	केरल	एणाकुलम	1 वर्ष	7.00	0.94	-	जी नहीं	महबूब मेमोरियल ऑकेस्ट्रा, कोच्ची	लागू नहीं
41	स्वाश्रय विशेष बाल विकास और अशकों के लिए वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र, कुट्टूर, त्रिशूर जिले में अशकों के लिए वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण हेतु समर्थन।	केरल	त्रिशूर	जी हाँ	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढाने के लिए	जी हाँ	केरल	त्रिशूर	1 वर्ष	58.00	25.50	-	जी नहीं	स्वाश्रय विशेष बाल विकास और अशकों के लिए वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र, कुट्टूर, त्रिशूर	लागू नहीं
42	सेंट आंटीनी वूपीएस, फल्लरुती, एणाकुलम जिले में स्कूल पुस्तकालय के सुधार के लिए समर्थन।	केरल	एणाकुलम	जी हाँ	खंड (i) स्वास्थ्य को बढावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एणाकुलम	1 वर्ष	5.00	-	-	जी नहीं	सेंट आंटीनी वूपीएस, फल्लरुती, एणाकुलम	लागू नहीं
43	एन उरु ट्राइबल हॉस्टेज विल्लेज, वयनाड में पेजजल योजना के लिए सहायता।	केरल	वयनाड	जी हाँ	खंड (i) स्वास्थ्य को बढावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	वयनाड	1 वर्ष	10.00	-	-	जी नहीं	उप निवाध्यक्ष, मानंतवाडी	लागू नहीं
44	आदर्श चैरिटेबल ट्रस्ट, कुरीक्काड, एणाकुलम जिले में चुनौती वाले बच्चों के लिए 10 स्मार्ट क्लास रूम और इंडोर सेंसरी पार्क स्थापित करने के लिए सहायता।	केरल	एणाकुलम	जी हाँ	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढाने के लिए	जी हाँ	केरल	एणाकुलम	1 वर्ष	10.00	5.00	-	जी नहीं	आदर्श चैरिटेबल ट्रस्ट, कुरीक्काड, एणाकुलम	लागू नहीं
45	श्री रामकृष्ण आश्रम, तुकलशरी, तिरुवल्ला, पत्तनतिट्टा जिले से जुड़ी धर्मार्थ आषाढालय में नैदानिक प्रयोगशाला शुरू करने के लिए समर्थन।	केरल	पत्तनतिट्टा	जी हाँ	खंड (i) स्वास्थ्य को बढावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	पत्तनतिट्टा	1 वर्ष	10.00	5.00	-	जी नहीं	श्री रामकृष्ण आश्रम, तुकलशरी, तिरुवल्ला, पत्तनतिट्टा	लागू नहीं
46	पद्मश्री कुञ्जूर मारार फाउंडेशन, त्रिशूर जिला द्वारा अनुष्ठानिक पारंपरिक कला रूपों विशेष रूप से ताल कला के प्रशिक्षण के लिए समर्थन।	केरल	त्रिशूर	जी हाँ	खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	जी हाँ	केरल	त्रिशूर	1 वर्ष	9.00	4.38	-	जी नहीं	पद्मश्री कुञ्जूर मारार फाउंडेशन, त्रिशूर	लागू नहीं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान			स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/जी नहीं)	अधिनियम की अनुसूची V/II में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का उद्देश्य	राज्य	जिला	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाखों में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ लाखों में)	अधिनियम की धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाखों में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यन्वयन एजेंसी के माध्यम से
		राज्य	जिला	परियोजना अवधि											
47	श्री पार्वती जनसेवा समिति, चूलीशरी, त्रिशूर जिले के लिए 10 केडब्ल्यूपी गिड से जिड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए समर्थन।	केरल	त्रिशूर	1 वर्ष	7.00	3.50	-	जी नहीं	श्री पार्वती जनसेवा समिति, चूलीशरी, त्रिशूर	लागू नहीं					
48	देवन कलाग्राम, पल्लीमन, कोल्लम जिले में आर्ट गैलरी के निर्माण के लिए समर्थन।	केरल	कोल्लम	1 वर्ष	30.00	12.00	-	जी नहीं	एम वी देवन कलाग्राम, पल्लीमन, कोल्लम	लागू नहीं					
49	एसएलडीपी हायर सेंकंडरी स्कूल, उदयमपेरूर, एणाकुलम जिले में शौचालय समुच्चय के निर्माण के लिए समर्थन।	केरल	एणाकुलम	1 वर्ष	6.00	3.00	-	जी नहीं	पीटीए, एसएलडीपी हायर सेंकंडरी स्कूल, उदयमपेरूर, एणाकुलम	लागू नहीं					
50	सीसीपीएलएम एंग्लो इंडियन एचएसएस, पेरुमानूर, कोच्ची में एक्सटेंसिव सीट को बदलने के लिए समर्थन।	केरल	एणाकुलम	1 वर्ष	5.00	2.50	-	जी नहीं	सीसीपीएलएम एंग्लो इंडियन एचएसएस, पेरुमानूर, कोच्ची	लागू नहीं					
51	विवेकानंद ट्राइबल रिसीडियल स्कूल, मडिलयम, वयनाड जिला में अग्निशमन प्रणाली की स्थापना के लिए समर्थन।	केरल	वयनाड	1 वर्ष	5.00	2.50	-	जी नहीं	वयनाड गिरिजन सेवा ट्रस्ट, वयनाड	लागू नहीं					
52	केरल पुलवार महासभा, वी एच कोलनी, यू सी कॉलेज पी ओ, आलुवा कोचल विकास केंद्र के निर्माण के लिए समर्थन।	केरल	एणाकुलम	1 वर्ष	23.70	9.48	-	जी नहीं	केरल पुलवार महासभा, वी एच कॉलेज, यू सी कॉलेज पी ओ, आलुवा	लागू नहीं					
53	पीआईएनसी (प्रतिबद्धता के साथ निर्दोषों की रक्षा करना), कलावूर, आलुवा जिला द्वारा असहाय और परिवर्तक लोगों के लिए घरों के निर्माण के लिए समर्थन।	केरल	आलुवा	1 वर्ष	15.00	3.00	-	जी नहीं	पीआईएनसी (प्रतिबद्धता के साथ निर्दोषों की रक्षा करना), कलावूर, आलुवा	लागू नहीं					
54	परिवार स्वास्थ्य केंद्र, नूलपुषा, वयनाड जिले में उपकरणों के साथ भौतिक चिकित्सा केंद्र के लिए भवन के निर्माण के लिए सहायता।	केरल	वयनाड	1 वर्ष	20.00	8.00	-	जी नहीं	अस्पताल प्रबंधन समिति, परिवार स्वास्थ्य केंद्र, नूलपुषा, वयनाड	लागू नहीं					

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान			स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/जी नहीं)	अधिनियम की अनुसूची V/II में गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना अवधि	राज्य	जिला	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाखों में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ लाखों में)	अधिनियम की धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाखों में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यन्वयन एजेंसी के माध्यम से
		राज्य	जिला	परियोजना अवधि										
55	पशिराजा स्मारक ग्रंथालय, मानंतवाडी, वयनाड जिले में पुराने समालन हॉल के नवीनीकरण के लिए समर्थन।	केरल	वयनाड	1 वर्ष	20.00	18.00	-	जी नहीं	पशिराजा स्मारक ग्रंथालय, मानंतवाडी, वयनाड	लागू नहीं				
56	सरकारी हायर सेंकंडरी स्कूल, पुतनतोड, एणाकुलम जिले में प्री-प्राइमरी संरक्षण के लिए क्लास रूम फर्नीचर की खरीद के लिए सहायता।	केरल	एणाकुलम	1 वर्ष	4.00	2.00	-	जी नहीं	पीटीए, सरकारी हायर सेंकंडरी स्कूल, पुतनतोड, एणाकुलम	लागू नहीं				
57	हिंदू माला अरया ट्रस्ट, पोनेक्करा, कोच्ची के लिए कार्यालय सह सामुदायिक केंद्र भवन के नवीनीकरण के लिए समर्थन।	केरल	एणाकुलम	1 वर्ष	20.00	18.00	-	जी नहीं	हिंदू माला अरया ट्रस्ट, पोनेक्करा, कोच्ची	लागू नहीं				
58	सेंट सेबास्टियन एलपी स्कूल, गोपुरत, एणाकुलम जिले में बाड प्रभावित स्कूल के लिए नए भवन और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए सहायता।	केरल	एणाकुलम	1 वर्ष	15.00	13.50	-	जी नहीं	पीटीए, सेंट सेबास्टियन एलपी स्कूल, गोपुरत, एणाकुलम	लागू नहीं				
59	माधवामृतम ट्रस्ट, माला, त्रिशूर जिले के लिए मारुति इको अंबुलेंस की खरीद के लिए सहायता।	केरल	त्रिशूर	1 वर्ष	7.50	6.29	-	जी नहीं	माधवामृतम ट्रस्ट, माला, त्रिशूर	लागू नहीं				
60	आनंदमूर्ति अकादमी, तिरुवनंतपुरम के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सहायता।	केरल	तिरुवनंतपुरम	1 वर्ष	10.00	9.00	-	जी नहीं	आनंदमूर्ति अकादमी, तिरुवनंतपुरम	लागू नहीं				
61	सक्षम केरल के लिए विकलांगों के अमुकुल वाहन की खरीद के लिए समर्थन।	केरल	एणाकुलम	1 वर्ष	10.00	9.00	-	जी नहीं	सक्षम केरल	लागू नहीं				

क्र. सं.	परियोजना का नाम		परियोजना का स्थान		स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/जी नहीं)	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मर	परियोजना का उद्देश्य	राज्य	जिला	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाखों में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ लाखों में)	अनुसार परियोजना के लिए आवंटित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाखों में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
	राज्य	जिला	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	नाम												
62	तपाल पॉलिप्टीव एण्ड पैपार्लोजिक केयर सोसाइटी, पंचकण्ठली, मुवाडुपुशा, एर्णाकुलम जिले के लिए मार्गित ईको वेन की खरीद के लिए समर्थन।	केरल	एर्णाकुलम	1 वर्ष	जी हाँ	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	राज्य	जिला	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाखों में)	1 वर्ष	5.00	4.27	-	जी नहीं	तपाल पॉलिप्टीव एण्ड पैपार्लोजिक केयर सोसाइटी, पंचकण्ठली, मुवाडुपुशा, एर्णाकुलम	लागू नहीं
63	आल्का प्रशासक देवभाल, आर्प्ना चैरिटीव ट्रस्ट की एक फल, लिंक सेंटर, कोडुगल्लूर, त्रिशूर जिले के लिए वाहन की खरीद के लिए समर्थन।	केरल	त्रिशूर	1 वर्ष	जी हाँ	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	राज्य	जिला	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाखों में)	1 वर्ष	5.00	4.34	-	जी नहीं	आल्का चैरिटीव ट्रस्ट की एक फल, लिंक सेंटर, कोडुगल्लूर, त्रिशूर	लागू नहीं
64	सरकारी गलर्स हायर सेंकंडरी स्कूल, आलुवा, एर्णाकुलम जिले में शौचालय समुचय के निर्माण के लिए समर्थन।	केरल	एर्णाकुलम	1 वर्ष	जी हाँ	खंड (i) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	राज्य	जिला	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाखों में)	1 वर्ष	5.00	4.50	-	जी नहीं	पीटीए, सरकारी गलर्स हायर सेंकंडरी स्कूल, आलुवा, एर्णाकुलम	लागू नहीं
65	श्री पूर्णत्रयसवा वृद्धसदन चैरिटीव ट्रस्ट, त्रिपुणितुरा, एर्णाकुलम जिले के लिए एक मार्गित ईको वेन की खरीद के लिए समर्थन।	केरल	एर्णाकुलम	1 वर्ष	जी हाँ	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	राज्य	जिला	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाखों में)	1 वर्ष	5.00	4.50	-	जी नहीं	श्री पूर्णत्रयसवा वृद्धसदन चैरिटीव ट्रस्ट, त्रिपुणितुरा, एर्णाकुलम	लागू नहीं
66	सेंट जोसेफ सरकारी एलपी स्कूल, अय्यर, अंगमाली, एर्णाकुलम जिले में एक किड्स पार्क के निर्माण के लिए सहयोग।	केरल	एर्णाकुलम	1 वर्ष	जी हाँ	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए	राज्य	जिला	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाखों में)	1 वर्ष	0.98	0.49	-	जी नहीं	पीटीए, सेंट जोसेफ सरकारी एलपी स्कूल, अय्यर, अंगमाली, एर्णाकुलम	लागू नहीं
	कुल										2,379.33	822.90	-			

अनुबंध ख

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान		स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/जी नहीं)	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मर	राज्य	जिला	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
		राज्य	जिला							नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	रसरजनम के लिए समर्थन- त्रिपुणितुरा कथकली केंद्र द्वारा एक कथकली प्रदर्शन।	केरल	एर्णाकुलम	जी हाँ	खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	केरल	एर्णाकुलम	0.60	जी नहीं	त्रिपुणितुरा कथकली केंद्र	लागू नहीं
2	स्पीक मकाई द्वारा स्कूल / कॉलेजों में शास्त्रीय संगीत और नृत्य, लोक, योग, स्कीनिंग सिनेमा क्लासिक्स, पारंपरिक पेंटिंग और अन्य कला रूपों को बढ़ावा देने के लिए कायशाला/ व्याख्या/प्रदर्शन आयोजित करने के लिए समर्थन।	केरल	पेन केरल	जी हाँ	खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	केरल	पेन केरल	1.00	जी नहीं	स्पीक मकाई, नई दिल्ली	लागू नहीं
3	त्रिवकाकरा एल ए निर्वाचन क्षेत्र की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित करने के लिए समर्थन।	केरल	एर्णाकुलम	जी हाँ	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	केरल	एर्णाकुलम	1.00	जी नहीं	शिक्षा उप निदेशक, एर्णाकुलम	लागू नहीं
4	'द हिंदू क्लास रूम प्रोजेक्ट' के लिए समर्थन- एर्णाकुलम जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों में अंग्रेजी पठने की आदत को बढ़ावा देने के लिए एक पहल।	केरल	एर्णाकुलम	जी हाँ	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	केरल	एर्णाकुलम	1.35	जी नहीं	द हिंदू, कोच्ची यूनिट	लागू नहीं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान			कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)		
				राज्य	जिला	गई राशि	नाम	
						चाहू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	सोएवआर पंजीकरण संख्या	
5	प्रतीक्षा भवन में एक लिट्ट को लिए सहायता- तोजुपुषा, इडुक्की जिले में मानसिक रूप से अशक्त के लिए स्कूल।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1.60	प्रतीक्षा भवन में एक लिट्ट के लिए सहायता- तोजुपुषा, इडुक्की	लागू नहीं
6	के एम एल पी स्कूल, एरूर, त्रिपुणितुरा, एर्णाकुलम जिले में स्मार्ट क्लास रूप के लिए उपयुक्त बनाने के लिए स्कूल के नवीनीकरण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1.65	के एम एल पी स्कूल, एरूर, त्रिपुणितुरा, एर्णाकुलम	लागू नहीं
7	सोयस आर्ट्स क्लब, पुस्तकालय और वाचनालय, सफदर हासमी मंदिर, के पी वलन रोड, कडवंत्रा, कोची में सोयस पुस्तकालय और वाचनालय के सुधार के लिए समर्थन।	खंड (v) पब्लिक लाइब्रेरी की व्यवस्था	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1.67	सोयस आर्ट्स क्लब, पुस्तकालय और वाचनालय, कोची	लागू नहीं
8	करुणालयम निराश्रित गृह, त्रिक्काकरा, एर्णाकुलम जिले में सौर ऊर्जा ग्रिड प्रणाली के लिए समर्थन।	खंड (iii) महिलाओं और अनार्यों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	1.68	करुणालयम निराश्रित गृह, त्रिक्काकरा, एर्णाकुलम	लागू नहीं
9	आईएमए स्वैच्छक दाता ब्लॉक बैंक, एर्णाकुलम के लिए ब्लॉक बैंक रीफ्रेंसर की खरीद के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	2.00	आईएमए एर्णाकुलम	लागू नहीं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान			कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)		
				राज्य	जिला	गई राशि	नाम	
						चाहू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	सोएवआर पंजीकरण संख्या	
10	अमृता हाई स्कूल, मूलवट्टम पी ओ, कोट्टयम जिले में जल उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए समर्थन।	खंड (i) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	जी हाँ	केरल	कोट्टयम	2.18	अमृता हाई स्कूल, मूलवट्टम पी ओ, कोट्टयम	लागू नहीं
11	वेल्लंगल्लूर पंचायत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	त्रिशूर	2.26	सलीम अली फाउंडेशन, त्रिशूर	लागू नहीं
12	बधिरों के लिए असीसी स्कूल, मुवट्टुपुषा में बधिरों के लिए कौशल निर्माण सहायता।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	2.27	बधिरों के लिए असीसी स्कूल, मुवट्टुपुषा, एर्णाकुलम	लागू नहीं
13	बीपीएल परिवारों के टाइप 2 डाइबेटिक बच्चों के लिए मुपत इंसुलिन के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	2.50	लूथ अस्पताल, एर्णाकुलम	लागू नहीं
14	पब्लिक लाइब्रेरी, तिरुवांकुलम, एर्णाकुलम जिले में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता।	खंड (v) पब्लिक लाइब्रेरी की व्यवस्था	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	2.50	पब्लिक लाइब्रेरी, तिरुवांकुलम, एर्णाकुलम	लागू नहीं
15	सहोदरन मेमोरियल हाई स्कूल, चेरार्ई, एर्णाकुलम जिले में स्मार्ट क्लास रूम के लिए उपयुक्त बनाने वाले स्कूल के नवीनीकरण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	2.50	सहोदरन मेमोरियल हाई स्कूल, चेरार्ई, एर्णाकुलम	लागू नहीं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हां/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान			कार्यान्वयन का तरीका- माध्यम से	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि			
16	एसएनडीपी एचएसएस, आलुवा, एर्णाकुलम जिले में स्मार्ट क्लास रूम के लिए उपयुक्त बनाने वाले स्कूल के नवीनीकरण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हां	केरल	एर्णाकुलम	2.50	जी नहीं	एसएनडीपी एचएसएस, आलुवा, एर्णाकुलम	लागू नहीं
17	सेंट जोसफ यू पी स्कूल, करीतला, एर्णाकुलम जिले में स्कूल भवन के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हां	केरल	एर्णाकुलम	2.50	जी नहीं	सेंट जोसफ यू पी स्कूल, करीतला, एर्णाकुलम	लागू नहीं
18	एसआरवी यू पी स्कूल, परुमपडप्प, चेंदाप्पीत्री, त्रिशूर जिले में स्कूल नवीनीकरण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हां	केरल	त्रिशूर	2.50	जी नहीं	एसआरवी यू पी स्कूल, परुमपडप्प, चेंदाप्पीत्री, त्रिशूर	लागू नहीं
19	डॉ. बी आर अंबेदकर मेमोरियल यू पी स्कूल, मुट्टुपल्ली पी ओ, कोट्टयम जिले में एक शौचालय समुचय के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (i) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	जी हां	केरल	कोट्टयम	2.50	जी नहीं	पीटीए, डॉ. बी आर अंबेदकर मेमोरियल यू पी स्कूल, मुट्टुपल्ली पी ओ, कोट्टयम	लागू नहीं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हां/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान			कार्यान्वयन का तरीका- माध्यम से	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि			
20	सेंट तेरेसास कॉलेज, एर्णाकुलम के नेतृत्व में पीके3- प्लास्टिक कुरयक्काम, कुरयक्कनम, कुरचे पट्टु प्लास्टिक को कम करने के लिए समर्थन।	खंड (i) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	जी हां	केरल	एर्णाकुलम	2.70	जी नहीं	सेंट तेरेसास कॉलेज, एर्णाकुलम	लागू नहीं
21	कोयिन्ना पार्क, पनीपल्ली नगर, कोच्ची के रखरखाव और प्रबंधन के लिए सहायता।	खंड (i) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	जी हां	केरल	एर्णाकुलम	3.00	जी नहीं	सी- हेड कोच्ची	लागू नहीं
22	तालुक मुख्यालय अस्पताल, मन्नारक्काड, पालक्काड जिले में ब्लड बैंक की स्थापना के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हां	केरल	पालक्काड	3.50	जी नहीं	एचडीसी, तालुक मुख्यालय अस्पताल, मन्नारक्काड, पालक्काड	लागू नहीं
23	एर्णाकुलम टाउन साउथ पुलिस स्टेशन में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बिल्डिंग के विजिटिंग रूम के नवीनीकरण और सीसीटीवी कैमरे की स्थापना के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हां	केरल	एर्णाकुलम	4.50	जी नहीं	एर्णाकुलम टाउन साउथ पुलिस स्टेशन	लागू नहीं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हां/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान			कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	
24	सुरक्षा औद्योगिक कौशल निर्माण केंद्र को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए अतिरिक्त सहायता।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हां	केरल	एर्णाकुलम	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, केरल चैटर	लागू नहीं
25	खाद्य इकाई चलाने के लिए मोबाइल इकाईयों की स्थापना हेतु जिला जेल, एर्णाकुलम, काक्कनाड को मारुति इको वैन की खरीद के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हां	केरल	एर्णाकुलम	जिला जेल, काक्कनाड	लागू नहीं
26	एनजीओ, तेरुवोरम, कोच्ची के लिए वाहन की खरीद के लिए समर्थन।	खंड (iii) महिलाओं और अनार्यों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	जी हां	केरल	एर्णाकुलम	तेरुवोरम प्रवर्तक असोसिएशन, कोच्ची	लागू नहीं
27	दिल्ली में प्रशिक्षण छात्रों के लिए तालवाद्य उपकरणों की खरीद के लिए समर्थन।	खंड (v) राष्ट्रीय परंपरा, कला और संस्कृति का संरक्षण	जी नहीं	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली पंचवाद्य ट्रस्ट, दिल्ली	लागू नहीं
28	सरकारी जूनियर बॉयस्क स्कूल, कुशुक्करा, एर्णाकुलम जिले में नए भवन में कक्षाओं के लिए फर्नीचर की स्थापना के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हां	केरल	एर्णाकुलम	पीटीए, सरकारी जूनियर बॉयस्क स्कूल, कुशुक्करा, एर्णाकुलम	लागू नहीं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हां/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान			कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	
29	एसबीटीएम एलपी स्कूल, रंडरक्करा पी ओ, मुवाट्टुपुषा, एर्णाकुलम जिले में एक नए स्कूल भवन के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हां	केरल	एर्णाकुलम	एसबीटीएम एलपी स्कूल, रंडरक्करा पी ओ, मुवाट्टुपुषा, एर्णाकुलम	लागू नहीं
30	एसबीटीएम स्कूल, तेक्कुभागम, त्रिपुणितुरा, एर्णाकुलम जिले में पुराने स्कूल भवन के नवीनीकरण के लिए सहायता।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हां	केरल	एर्णाकुलम	एसबीटीएम स्कूल, तेक्कुभागम, त्रिपुणितुरा, एर्णाकुलम	लागू नहीं
31	साइबर सुरक्षा में जागरूकता पैदा करने और छात्रों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को शिक्षित करने के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हां	केरल	एर्णाकुलम	पुलिस आयुक्त, कोच्ची शहर	लागू नहीं
32	एस डीबीएलपी स्कूल, मरड, एर्णाकुलम जिले में पुराने स्कूल भवन के नवीनीकरण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हां	केरल	एर्णाकुलम	एसडीबीएलपी स्कूल, मरड, एर्णाकुलम	लागू नहीं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद्द	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान			चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला	नाम			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
33	सैनिक प्रशिक्षण के लिए समर्थन- रक्षा सेवाओं में कैरियर की स्थापना के लिए कोशल विकसित करने हेतु युवाओं को प्रशिक्षित करना	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	पालक्काड	5.00	जी नहीं	रक्षा सेवा अधिकारी संस्थान (डीएसओआई), पालक्काड	लागू नहीं	
34	बी बी यू पी एस, त्रिकोडित्तानम, चंगनाशरी, कोट्टयम जिले में शोचालय समूचय के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (i) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	जी हाँ	केरल	कोट्टयम	5.00	जी नहीं	बी बी यू पी एस, त्रिकोडित्तानम, चंगनाशरी, कोट्टयम	लागू नहीं	
35	कोच्चो नगर निगम के साथ रविपुरम मंडल 60 और 61 के बुल सफाई कार्यक्रम- 2019-20 के लिए समर्थन।	खंड (i) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	5.00	जी नहीं	कोच्चो नगर निगम	लागू नहीं	
36	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के लिए योगदान-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण, भारतीय रक्षा बल, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।	खंड (vi) सशस्त्र बलों के दिग्गजों युद्ध विधवाएं और आश्रितों के लाभ के लिए उपाय।	जी नहीं	पैन इंडिया	पैन इंडिया	5.00	जी नहीं	केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	लागू नहीं	
37	सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोट्टयम के लिए पीपीई किट की खरीद के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	कोट्टयम	5.00	जी नहीं	सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोट्टयम	लागू नहीं	

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद्द	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान			चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला	नाम			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
38	कोविड-19 गतिविधियों के लिए हेंड सैनिटाइजर की खरीद के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	5.00	जी नहीं	आईएमए, एर्णाकुलम	लागू नहीं	
39	हवाई अड्डों पर काम करने वाले सीमा शुल्क विभाग के लिए पीपीई किट की खरीद के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	केरल	5.00	जी नहीं	सीमाशुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचीन	लागू नहीं	
40	श्रद्धा स्पेशल स्कूल, एर्णाकुलम के लिए सहायता।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	5.94	जी नहीं	श्रद्धा स्पेशल स्कूल, एर्णाकुलम	लागू नहीं	
41	केरल राज्य उत्पादकता परिषद, कलमशरी, एर्णाकुलम जिले में प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधा के नवीनीकरण और निर्माण के लिए सहायता।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	7.50	जी नहीं	केरल राज्य उत्पादकता परिषद, कलमशरी, एर्णाकुलम	लागू नहीं	
42	फेस मास्क के उत्पादन और वितरण के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	7.92	जी नहीं	केरल हेंडलूम विकास निगम (हानवीव), कण्णूर	लागू नहीं	

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान			कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला	नाम	
				राज्य	जिला	नाम	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
							सीएसआर पंजीकरण संख्या
43	बडस स्पेशल स्कूल फॉर मेंट ली चैलेंजड, कूवल्लूर पी ओ, पालारोमंगलम ग्राम पंचायत, कोदमंगलम, एर्णाकुलम जिले में सेंसर रूम की स्थापना के लिए समर्थन।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	सचिव, पालारोमंगलम ग्राम पंचायत	लागू नहीं
44	ए पी वर्को मिशन अस्पताल, अरकुलम जिले के कार्डियोलॉजी यूनिट में कैथ लैब की स्थापना के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	ए पी वर्को मिशन अस्पताल, अरकुलम, एर्णाकुलम	लागू नहीं
45	एएलपी स्कूल, तिरुवैकिडम, गुरुवापूर, त्रिशूर जिले में मौजूदा स्कूल भवन के नवीनीकरण के लिए सहायता।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	त्रिशूर	पीटीए, एएलपी स्कूल, तिरुवैकिडम, गुरुवापूर, त्रिशूर	लागू नहीं
46	एसएसएम आई रिसर्च फाउंडेशन, कडवंत्रा, एर्णाकुलम जिले के लिए बहन और उपकरणों की लागत - प्रोमैच्योर शिशुओं में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी स्क्रीनिंग के लिए इमर्जिंग के साथ मोबाइल यूनिट की खरीद के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	एसएसएम आई रिसर्च फाउंडेशन, कडवंत्रा, एर्णाकुलम	लागू नहीं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान			कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला	नाम	
				राज्य	जिला	नाम	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
							सीएसआर पंजीकरण संख्या
							लागू नहीं
47	रामेश्वरम, तमिलनाडु में आवश्यक लाभार्थियों के लिए फिशनट और लॉग लाइनर हुक प्रदान करने के लिए सहायता।	खंड (ii) और (iii) आजीविका और परियोजना वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा सामना किए असमानताओं को कम करना।	जी नहीं	तमिलनाडु	रामनाथपुरम	उप निदेशक मत्स्य पालन, तमिलनाडु राज्य	लागू नहीं
48	गायत्री विद्या मंदिर, चंगनाशरी, कोट्टयम जिले के लिए योगा हॉल के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	कोट्टयम	गायत्री विद्या मंदिर, चंगनाशरी, कोट्टयम	लागू नहीं
49	कोविड राहत गतिविधियों को समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड	लागू नहीं
50	प्लारिटिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के लिए समर्थन- भारतीय नौसेना द्वारा उनके परिसर में उपलब्ध कराई गई भूमि पर स्थित। नौसेना द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट और स्थानीय क्षेत्र से एकत्र किए गए दोनों का उपयोग किया जाना है। जिला प्रशासन, भारतीय नौसेना द्वारा कार्यान्वयन।	खंड (i) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	जिला प्रशासन, एर्णाकुलम	लागू नहीं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान			कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	
							कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
51	सरकारी एचएसएस, एलमक्करा, एर्णाकुलम जिले में प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए समर्थन।	खंड (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	40.00	जी नहीं सरकारी एचएसएस, एलमक्करा, एर्णाकुलम
52	अध्यास व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए समर्थन- काजिरापल्ली, कोट्टयम जिले में मानसिक रूप से अशक्तों के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	कोट्टयम	47.50	जी नहीं वी केयर केंद्र, काजिरापल्ली, कोट्टयम
53	डल झील, जम्मू व कश्मीर के लिए जलीय खरपतवार हार्बेस्टर की खरीद के लिए समर्थन।	खंड (i) भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान	जी नहीं	कश्मीर	कश्मीर	50.00	जी नहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
54	सुकर्मा विकास केंद्र के लिए सहायता- सेवा भारती अंगमाली द्वारा विकलांग बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय परियोजना।	खंड (ii) विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	75.00	जी नहीं सेवा भारती अंगमाली
55	तालुक मुख्यालय अस्पताल, पुनलूर, कोल्लम जिले में एक फुल रूम सीलिंग माउंड डिजिटल एक्स रे मशीन की खरीद के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	कोल्लम	89.00	जी नहीं एचडीसी, तालुक मुख्यालय अस्पताल, पुनलूर, कोल्लम

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (जी हाँ/ जी नहीं)	परियोजना का स्थान			कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	
							कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
56	जनरल अस्पताल, एर्णाकुलम में पालिएटिव केयर विभाग के लिए दो मारुति ईको बेंसिक लाइफ स्पॉट एंबुलेंस और तीन मारुति ईको वाहनों की खरीद के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	एर्णाकुलम	14.55	जी नहीं अस्पताल विकास सोसाइटी, जनरल अस्पताल, एर्णाकुलम
57	ओरा सामाजिक कार्य संगठन, चिट्टीशरी, त्रिशूर जिला को नशीली दवाओं से प्रभावित बच्चों के समग्र विकास के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	त्रिशूर	0.57	जी नहीं ओरा सामाजिक कार्य संगठन, चिट्टीशरी, त्रिशूर
58	एसओएस चिल्ड्रन विलेज, आलुवा और त्रिशूर के लिए कंथूर और वाटर फिल्टरों की खरीद के लिए समर्थन।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए : (ii) शिक्षा को बढ़ाने के लिए	जी हाँ	केरल	त्रिशूर और एर्णाकुलम	5.67	जी नहीं एसओएस चिल्ड्रन विलेज, आलुवा और त्रिशूर
59	तालुक मुख्यालय अस्पताल, सुल्तान बतेरी वयनाड जिला को रेडियो डायग्नोस्टिक उपकरणों की खरीद के लिए सहायता।	खंड (i) स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए	जी हाँ	केरल	वयनाड	22.50	जी नहीं अस्पताल विकास सोसाइटी, तालुक मुख्यालय अस्पताल, सुल्तान बतेरी, वयनाड
						643.39	

कुल

पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ लाखों में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹ लाखों में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹ लाखों में)	परियोजना की स्थिति
1	परि/09	केरल और लक्षद्वीप समूह में डेल शार्क का संरक्षण।	2017-18	2 वर्ष	40.00	-	20.00	परियोजना पूरा हुआ। बिल प्रतीक्षित
2	परि/10	एर्णाकुलम जिले में हरितकेरलम परियोजना के तहत सर्जिव तालाबों के देखभाल और संरक्षण के लिए सहायता।	2017-18	3 वर्ष	35.00	17.50	17.50	परियोजना पूरा हुआ। बिल प्रतीक्षित
3	परि/06	विवेकानंद रॉक मेमोरियल ट्रस्ट, कन्याकुमारी, तमिलनाडु को 50 सीटर मराइन बोट की खरीद के लिए समर्थन।	2017-18	2 वर्ष	60.00	-	43.00	परियोजना पूरा हुआ। बिल प्रक्रियाधीन।
4	परि/25	पीआईएनसी (प्रतिबद्धता के साथ निर्दाषों की रक्षा करना), कलावूर, आलपुषा जिला द्वारा असहाय और परित्यक्त लोगों के लिए घरों के निर्माण के लिए समर्थन।	2017-18	2 वर्ष	15.00	3.00	13.00	परियोजना पूरा हुआ। बिल प्रतीक्षित
5	परि/07	जीजामाता महिला एवं बाल चिकित्सालय, बुलदाना जिला, महाराष्ट्र के निर्माण के लिए समर्थन।	2018-19	2 वर्ष	200.00	-	175.87	परियोजना पूरा हुआ। बिल प्रक्रियाधीन।
6	परि/19	तीसरे चरण के बीपीएल परिवारों से संबंधित बरोजगार युवाओं के लिए वेल्लिंग प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए सहायता।	2018-19	2 वर्ष	35.00	-	24.46	परियोजना पूरा हुआ। बिल प्रक्रियाधीन।
7	एसबी/एमजेआर/02	पालक्काड नगरपालिका द्वारा स्वच्छ भारत अभियान संबंधित गतिविधियों के लिए समर्थन।	2018-19	2 वर्ष	100.00	-	90.00	कोविड-19 के कारण पूरा होने में विलंब।
8	एमजेआर/377	सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल, मुंडेरी, कण्णूर जिले में स्मार्ट क्लास रूम के लिए सहायता।	2019-20	2 वर्ष	59.00	29.50	29.50	परियोजना पूरा हुआ। बिल प्रक्रियाधीन।

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ लाखों में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹ लाखों में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹ लाखों में)	परियोजना की स्थिति
9	एमजेआर/325	एम जी रोड, एर्णाकुलम में पिलेसे 704 से 720 के बीच कोच्ची मेट्रो रेल के 16 मॉड्युल्स को हरा-भरा कर जैव अपशिष्ट का उपयोग कर बिना मिट्टी के मीडियम बागवानी के लिए समर्थन।	2019-20	2 वर्ष	42.15	14.96	14.96	परियोजना चलू है।
10	एमजेआर/38	वयनाड जिले में चार अंगनवाड़ी परियोजनाओं की स्थापना के लिए समर्थन।	2019-20	2 वर्ष	120.00	16.00	96.00	परियोजना पूरा हुआ। बिल प्रतीक्षित
11	एमजेआर/341	जस जंक्शन, एम जी रोड, एर्णाकुलम में एक कंटेनर शौचालय परिसर के निर्माण के लिए सहायता।	2019-20	2 वर्ष	30.00	7.50	7.50	दो में से एक परियोजना पूरा हुआ।
12	एमजेआर/59	श्री रामकृष्ण मठ, बेतूर मठ, कोलकाता द्वारा विवेक तीर्थ के निर्माण के लिए समर्थन।	2019-20	2 वर्ष	120.00	-	100.00	कोविड-19 के कारण पूरा होने में विलंब।
13	एमजेआर/182	दिव्यरक्षालयम, मयलाकोम्ब, तोडुपुषा, इडुक्की जिले में विल्लिंग ब्लॉक के नवीनीकरण और पूंतिकरण के लिए समर्थन।	2019-20	2 वर्ष	30.00	15.00	15.00	कोविड-19 के कारण पूरा होने में विलंब।
14	एमजेआर/15	वायनाड जिले में आदिवासी छात्रों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए सहायता।	2019-20	2 वर्ष	25.00	-	12.50	कोविड-19 के कारण पूरा होने में विलंब।
15	एमजेआर/333	जिला होमियो अस्पताल पुल्लेपडी, एर्णाकुलम के लिए शौचालय और प्रतीक्षालय के निर्माण के लिए सहायता।	2019-20	2 वर्ष	12.00	-	-	प्रगति पर। कोविड-19 के कारण विलंबित।
16	एमजेआर/400	केंद्रीय विद्यालय, पोर्ट ट्रस्ट, कोच्ची में शौचालय परिसर के नवीनीकरण के लिए सहायता।	2019-20	2 वर्ष	10.00	-	-	परियोजना पूरा हुआ। बिल प्रक्रियाधीन।
17	एमजेआर/406	सेंट फिलोमिना उच्च माध्यमिक स्कूल, कून्नमाव, एर्णाकुलम जिले में एसबस्टोस शीट्स के प्रतिस्थापन के लिए सहायता।	2019-20	2 वर्ष	10.00	-	-	कोविड-19 के कारण पूरा होने में विलंब।
18	एमजेआर/369	चेल्लानम, एर्णाकुलम जिले में मछुआरा राहत केंद्र के निर्माण के लिए सहायता।	2019-20	2 वर्ष	20.00	10.00	10.00	कोविड-19 के कारण पूरा होने में विलंब।

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ लाखों में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹ लाखों में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹ लाखों में)	परियोजना की स्थिति
19	एमजेआर/20	एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन द्वारा वायनाड जिले में पनिया समुदायों के लिए एकीकृत व्यवधान के लिए समर्थन।	2019-20	2 वर्ष	15.00	-	7.50	प्रगति पर। कोविड-19 के कारण विलंबित।
20	एमजेआर/28	नेचर ग्रीन गार्डियन्स फाउंडेशन, तिरुवनंतपुरम द्वारा सीएसएल आवासीय क्वार्टरों के पास एक खाली प्लॉट में मियावाकी विधि वनीकरण के कार्यान्वयन के लिए समर्थन।	2019-20	2 वर्ष	15.00	3.75	7.50	प्रगति पर।
21	एमजेआर/326	जेनरल अस्पताल, एर्णाकुलम के परिसर में महबूब मेमोरियल ऑर्केस्ट्रा, कोच्ची द्वारा आयोजित आर्ट ऑफ मॉडर्निज नामक एक अद्वितीय संगीत आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समर्थन।	2019-20	2 वर्ष	7.00	0.94	0.94	कोविड-19 के कारण पूरा होने में विलंब।
22	एमजेआर/25	स्वास्थ्य विशेष बाल विकास और अशक्तों के लिए वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र, कुट्टूर, त्रिशूर जिले में अशक्तों के लिए वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण हेतु समर्थन।	2019-20	2 वर्ष	58.00	25.50	52.21	परियोजना पूरा हुआ। विल प्रतीक्षित
23	एमजेआर/410	सेंट आंटोनी यूपीएस, पल्लरुती, एर्णाकुलम जिले में स्कूल पुस्तकालय के सुधार के लिए समर्थन।	2019-20	2 वर्ष	5.00	-	-	कोविड-19 के कारण विलंबित।
24	एमजेआर/359	एन उरु ट्राइबल हेरिटेज विल्लेज, वयनाड में पेयजल योजना के लिए सहायता।	2019-20	2 वर्ष	10.00	-	5.00	परियोजना पूरा हुआ। विल प्रक्रियाधीन।
25	एमजेआर/178	पद्मश्री कुन्नूर मारार फाउंडेशन, त्रिशूर जिला द्वारा अनुष्ठानिक पारंपरिक कला रूपों विशेष रूप से ताल कला के प्रशिक्षण के लिए समर्थन।	2019-20	2 वर्ष	9.00	4.38	4.38	कोविड-19 के कारण विलंबित।
26	एमजेआर/264	देवन कलाग्रामम, पल्लोमान, कोल्लम जिले में आर्ट गैलरी के निर्माण के लिए समर्थन।	2019-20	2 वर्ष	30.00	12.00	27.00	परियोजना पूरा हुआ। विल प्रतीक्षित

क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ लाखों में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹ लाखों में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹ लाखों में)	परियोजना की स्थिति
27	एमजेआर/05	केरल पुलवार महासभा, वी एच कॉलनी, यू सी कॉलेज पी ओ, आलुवा के लिए एक नए पुस्तकालय कौशल विकास केंद्र के निर्माण के लिए समर्थन।	2019-20	2 वर्ष	23.70	9.48	21.33	परियोजना पूरा हुआ। विल प्रतीक्षित
28	एमजेआर/8	परिवार स्वास्थ्य केंद्र, नूलपुषा, वयनाड जिले में उपकरणों के साथ भौतिक चिकित्सा केंद्र हेतु भवन के निर्माण के लिए सहायता।	2019-20	2 वर्ष	20.00	8.00	18.00	परियोजना पूरा हुआ। विल प्रतीक्षित
29	एमजेआर/337	पबशिराजा स्मारक ग्रंथालयम, मानंतवाडी, वयनाड जिले में पुराने सम्मेलन हॉल के नवीनीकरण के लिए समर्थन।	2019-20	2 वर्ष	20.00	18.00	18.00	परियोजना पूरा हुआ। विल प्रतीक्षित
30	एमजेआर/311	सरकारी गर्ल्स हायर सेंकन्डरी स्कूल, आलुवा, एर्णाकुलम जिले में शौचालय समुच्चय के निर्माण के लिए समर्थन।	2019-20	2 वर्ष	5.00	4.50	4.50	परियोजना पूरा हुआ। विल प्रतीक्षित
31	एनपी/33	सेंट जोसेफ सरकारी एलपी स्कूल, अयरूर, अंगमाली, एर्णाकुलम जिले में एक किड्स पार्क के निर्माण के लिए सहायता।	2019-20	2 वर्ष	0.98	0.49	0.49	परियोजना पूरा हुआ। विल प्रतीक्षित
		कुल			1,181.83	200.50	836.14	

अनुबंध - IV

फार्म सं. एमआर - 3

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष केलिए

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 204(1) के नियम सं.9 के अनुसार)

सेवा में

सदस्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन, 39/6080

कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरूमनूर, एम जी रोड

एर्णाकुलम केरल - 682015

हमने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (बाद में कंपनी बुला हुआ) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित कार्यों के पालन के सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की। सचिवीय लेखापरीक्षा एक तरीके से आयोजित किया, जो निगमित आचरण/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन केलिए और इसमें हमारी राय व्यक्त करने केलिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी की बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए रखे अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने मार्च 31, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी को ऐसे तरीके में और इसके बाद किए रिपोर्टिंग के अधीन इस हद तक उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है:

हमने निम्न प्रावधानों के अनुसार मार्च 31, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष केलिए कंपनी द्वारा बनाए रखे बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच की:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति ठेका (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके अधीन बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियम और इसके अधीन बनाए गए उपनियम;
- विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी सीधा निवेश, समुद्रपार सीधा निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार राशियों की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम व विनियम; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी केलिए लागू नहीं है।)

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और मार्गनिर्देश:-

क भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, ('सेबी एलओडीआर विनियम')

ख भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011

ग भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015

घ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम 2018 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी केलिए लागू नहीं है।)

ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी केलिए लागू नहीं है।)

च भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का मुद्दा और सूचीकरण) विनियम, 2008 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी केलिए लागू नहीं है ।)

छ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 जो कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार से संबंधित है (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी केलिए लागू नहीं है ।)

ज भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियम 2009 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी केलिए लागू नहीं है।)

झ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीदी) विनियम, 2008, (समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है।)

vi. केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों केलिए निगमित शासन पर दिशा निर्देश, 2010 ('सीजी मार्गनिर्देश')

vii. केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों केलिए निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीयता पर दिशानिर्देश

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जांच भी की है:

- भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त सूचितानुसार अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है ।

एनएसई

विनियमन	तिमाही/ महीना	प्रति दिन जुर्माना राशि (रुपए) / दृष्टांत	गैर-अनुपालन के दिन/ दृष्टांतों की संख्या	जुर्माना राशि (रुपए)
17 (2क)	30 सितंबर 2020	10,000	1	10,000
17(1)	30 दिसंबर 2020	5,000	92	4,60,000
17(2क)	30 दिसंबर 2020	10,000	2	20,000
18	30 दिसंबर 2020	2000	78	1,56,000
19	30 दिसंबर 2020	2000	78	1,56,000
20	30 दिसंबर 2020	2000	78	1,56,000
			कुल	9,58,000

कंपनी की ओर से शुल्क में छूट करने की मांग की गई है ।

बीएसई

विनियमन	तिमाही/ महीना	प्रति दिन जुर्माना राशि (रुपए) / दृष्टांत	गैर-अनुपालन के दिन/ दृष्टांतों की संख्या	जुर्माना राशि (रुपए)
17 (2क)	30-सितंबर-2020	10,000	1	10,000
17(1)	30-दिसंबर-2020	5,000	92	4,60,000
18	30-दिसंबर-2020	2000	78	1,56,000
19	30-दिसंबर-2020	2000	78	1,56,000
20	30-दिसंबर-2020	2000	78	1,56,000
			कुल	9,38,000

कंपनी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के बाद बीएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना टाल दिया गया । ऊपर उल्लिखित कुल जुर्माने में 18% की दर से माल और सेवा कर शामिल नहीं है।

4. कंपनी ने दिनांक 15.07.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 4.1 और अधिनियम की धारा 177, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 18 के अधीन अपेक्षितानुसार लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया है ।
5. कंपनी ने दिनांक 15.07.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 5.1 और अधिनियम की धारा 178, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 19 के अधीन अपेक्षितानुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है ।
6. कंपनी ने दिनांक 15.07.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 178, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 20 के अधीन अपेक्षितानुसार हितधारक संबंधी समिति का गठन नहीं किया है ।
7. कंपनी ने दिनांक 15.07.2020 से 31.03.2021 की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 135 के तहत अपेक्षित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन नहीं किया है ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

उपरोक्त के अधीन, इस अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तनों की समीक्षा की गई है और इस रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है ।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है, कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले कार्यसूची मर्दों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है ।

अधिकांश निर्णय तब किए जाते हैं जब असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के रूप में दर्ज किया जाता है ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां थीं जिनका कंपनी के मामलों पर उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में एक प्रमुख प्रभाव था ।

- (i) सदस्यों ने दिनांक 29.09.2020 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 15 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के एक अंतिम लाभांश और प्रति इक्विटी शेयर 1,63 रुपए के एक अंतरिम लाभांश के लिए अनुमोदन दिया गया ।
- (ii) निदेशक मंडल ने दिनांक 04.01.2021 को आयोजित अपनी बैठक में प्रति इक्विटी शेयर 9 रुपए के अंतरिम लाभांश की मंजूरी दी ।
- (iii) निदेशक मंडल ने दिनांक 12.02.2021 को आयोजित अपनी बैठक में प्रति इक्विटी शेयर 4 रुपए के दूसरा अंतरिम लाभांश के लिए अनुमोदन दिया गया ।

कृते मेहता एंड मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अतुल मेहता

साझेदार

पीसीएस सं.: 5782

सीपी सं.: 2486

स्थान : मुंबई

दिनांक : 11 जून 2021

यूडीआईएन : F005782C000450270

नोट : इस रिपोर्ट को हमारे समतिथि के पत्र के साथ पढा जाना है जो 'अनुबंध क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है ।

अनुबंध क

सेवा में

सदस्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन

कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरुमानूर, कोच्ची

एर्णाकुलम, केरल - 682015

सम-तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाना है ।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है ।
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे । सत्यापन, परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं । हम मानते हैं हमने जिन प्रक्रियाओं, प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और बहियों की लेखा की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों, और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन से अभिवेदन प्राप्त किया है।
5. कार्पोरेट कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी ।
6. प्रपत्र सं. एमआर-3 में हमारे सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बिंदु vi और vii में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा दायर की गई बहियों, कागजात,

फॉर्म, रिपोर्ट और रिटर्न के संबंध में, उक्त विनियमों का अपेक्षाओं के पालन एवं अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । हमारी जांच विभिन्न रूपों, रिपोर्टों, रिटर्न और दस्तावेजों के फाइलिंग के निष्पादन और समयबद्धता की जांच करने के लिए सीमित थी, जिन्हें कंपनी द्वारा उक्त नियमों के तहत विभिन्न अधिकारियों के साथ दायर करने की आवश्यकता है । हमने ऐसे फॉर्म, रिपोर्ट, रिटर्न और दस्तावेजों की सामग्री शुद्धता और व्याप्ति को सत्यापित नहीं किया है ।

7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ, जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है ।

कृते मेहता एंड मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अतुल मेहता

साझेदार

पीसीएस सं.: 5782

सीपी सं.: 2486

स्थान : मुंबई

दिनांक : जून 11, 2021

यूडीआईएन : F005782C000450270

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 07376798

कोच्ची

जून 11, 2021

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर कंपनी की धारणा

- कोचीन शिपयार्ड एक आदर्श कार्पोरेट के रूप में प्रकट होने के लिए निगमित शासन का महत्व पहचानते हैं। कंपनी ने नीतियों तथा प्रक्रियाओं को अपनाया है जो बड़े पैमाने पर समाज और विभिन्न पणधारियों अर्थात् शेरधारकों, लेनदारों, ग्राहकों और कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के उद्देश्य से अपनाया है। सीएसएल दृढ़ता से मानता है कि कंपनी केवल अच्छी और ठोस निगमित प्रशासन सिद्धांतों के माध्यम से ही एक मजबूत वैश्विक नेता के रूप में उभर सकता है। लगातार पिछले कुछ सालों से कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार निगमित शासन कार्यों में उत्कृष्ट दर्जा दिया गया है।

निदेशक मंडल

- कोचीन शिपयार्ड के निदेशक मंडल एक अच्छा निगमित शासन सुनिश्चित करने में एक अच्छा भूमिका निभाती हैं। कंपनी के बोर्ड के संयोजन कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 ('सेबी सूचीबद्ध विनियम') के प्रावधानों द्वारा शासित है। मार्च 31, 2021 के वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि पर बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है।

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डी आई एन)	निदेशकों की श्रेणी
1	श्री मधु एस नायर*	07376798	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री सुरेश बाबु एन वी**	07482491	निदेशक (प्रचालन)
3	श्री बिजोय भास्कर	08103825	निदेशक (तकनीकी)
4	श्री जोस वी जे	08444440	निदेशक (वित्त)
5	श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस	00088957	सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक, भारत सरकार
6	श्री ज्योतिलाल के आर आईएएस ***	01650017	सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक, केरल सरकार
7	श्री जिजी तोमसण आईएएस (सेवानिवृत्त) #	01178227	गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक
8	श्री प्रदीप्ता बानर्जी #	00630615	गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक
9	श्री नंद कुमारन पुतेषत #	02547619	गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक

* पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं. एसवाई-11011/1/2009- सीएसएल 16, अक्टूबर, 2020 के द्वारा सीएसएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में श्री मधु एस नायर को जनवरी 01, 2021 से या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पांच साल के कार्यकाल की और अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

** श्री सुरेश बाबु एन वी को सितंबर 29, 2020 को आयोजित कंपनी की 48 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के जरिए निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने फरवरी 26, 2021 के पत्र सं. एसवाई- 11012/1/2020- सीएसएल के द्वारा उनके कार्यालय को अप्रैल 26, 2021 से अप्रैल 30, 2021 तक बढ़ाया गया अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक। परिणामस्वरूप वे अप्रैल 30, 2021 को कंपनी की सेवाओं से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए।

*** वर्ष के दौरान श्री ज्योतिलाल के आर, आईएएस कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167(1) (बी) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक नहीं रहे। सीएसएल के निदेशक मंडल ने जून 20, 2020 को आयोजित अपनी 254 वीं बैठक में उनके निदेशक पद की समाप्ति पर ध्यान दिया। हालांकि, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने अगस्त 24, 2020 के पत्र संख्या एसवाई- 11012/1/2017- सीएसएल के द्वारा श्री ज्योतिलाल के आर, आईएएस को सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक के रूप में अगस्त 24, 2020 से सीएसएल के बोर्ड में पुनर्नियुक्त किया गया। श्री ज्योतिलाल के आर, आईएएस का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

श्री ज्योतिलाल के आर, आईएएस ने आईआईटी चेन्नई से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेकनॉलजी की डिग्री हासिल की है। वे 1993 बैच (केरल कैडर) के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने केरल सरकार के विभिन्न विभागों जैसे भूमि, राजस्व प्रबंधन और जिला प्रशासन, मत्स्य पालन/ कृषि और सहकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों आदि में सेवा की है। वे हाल ही में केरल सरकारी के प्रमुख सचिव (परिवहन) के पद पर तैनात हैं।

श्री जिजी थॉमसण आईएएस (सेवानिवृत्त), श्री प्रदीप्ता बानर्जी और श्री नंद कुमारन पुतेषत का कार्यकाल, जिन्हें तीन साल की अवधि हेतु पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र एफ सं. एसवाई- 11012/1/2016- सीएसएल जुलाई 15, 2017 के द्वारा सीएसएल के बोर्ड में गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया वो जुलाई 14, 2020 को समाप्त हो गया।

- निदेशकों के बीच पारस्परिक संबंध का प्रकटीकरण : शून्य
- कंपनी के निदेशकों में से कोई भी दस से अधिक समितियों में सदस्य नहीं थे या सभी सूचीबद्ध संस्थाओं में पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते थे, जिसमें वह एक निदेशक है। कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों में से कोई भी सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशकता धारित नहीं करते हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए संगत नियमों के साथ पढित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड/ समिति की बैठकों में निदेशक की भागीदारी सुविधाजनक बनाती है। निदेशकों जैसे श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस, श्री ज्योतिलाल के आर, आईएएस, श्री जोस वी जे, श्री जिजी थॉमसण आईएएस (सेवानिवृत्त) और श्री प्रदीप्ता बानर्जी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सुविधा का लाभ उठाया है।
- निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें सेबी सूचीबद्ध विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट तरीके में आयोजित की गई है।
- बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति**
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान छह बोर्ड बैठकें हुई थी। बोर्ड बैठकों और एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति संबंधी विवरण नीचे दिया जाता है :

निदेशक का नाम	2020				2021		एजीएम सितंबर 29, 2020
	जून 20	अगस्त 10	अक्टूबर 15	नवंबर 12	जनवरी 04	फरवरी 12	
श्री मधु एस नायर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस	✓*	✓*	×	✓*	✓*	×	×
श्री ज्योतिलाल के आर, आईएएस	लागू नहीं	लागू नहीं	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
श्री सुरेश बाबु एन वी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री बिजोय भास्कर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री जोस वी जे	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
श्री जिजी तोमसण आईएएस(से.नि.)	✓*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री प्रदीप्ता बानर्जी	✓*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री नंद कुमारन पुतेषत	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भाग लिया।

अन्य निदेशकता और समिति पद

- मार्च 31, 2021 की तिथि पर निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता की कुल संख्या और समितियों पर सदस्यता/अध्यक्षता का पद नीचे दिया जाता है:

निदेशक का नाम	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में अन्य निदेशकता की संख्या		सार्वजनिक कंपनियों में अन्य बोर्ड समिति पद		अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जहां व्यक्ति एक निदेशक है	सूचीबद्ध इकाई में निदेशकता की श्रेणी
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य		
श्री मधु एस नायर	2	2	-	-	-	-
श्री संजय बंदोपाध्याय आईएएस	1	1	-	-	-	-
श्री ज्योतिलाल के आर, आईएएस	-	7	1	2	-	-
श्री सुरेश बाबु एन वी	-	2	-	-	-	-
श्री बिजोय भास्कर	-	2	-	-	-	-
श्री जोस वी जे	-	2	-	-	-	-

- ऊपर उल्लिखित अनुसार निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता में निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियों में एवजी निदेशकता और निदेशकता शामिल नहीं है।

- केवल सभी सार्वजनिक कंपनियों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा समितियों और हितधारक की संबंध समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता विचार किया गया है।

9. निम्नलिखित को छोड़कर कोई भी निदेशक को दिनांक 31 मार्च 2021 की तिथि पर कंपनी में कोई भी शेयर नहीं है:

निदेशक का नाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
श्री मधु एस नायर	600
श्री बिजोय भास्कर	510

मार्च 31, 2021 को निदेशक बोर्ड के कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता का चार्ट

क्र. सं.	कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता	श्री मधु एस नायर	श्री सुरेश बाबु एन वी	श्री बिजोय भास्कर	श्री जोस वी जे	श्री संजय बंदोपाध्याय, आईएएस	श्री के आर ज्योत्सिला, आईएएस
1	पोत निर्माण/ मरम्मत उद्योग अनुभव	✓	✓	✓	✓		
2	पोत निर्माण/ मरम्मत क्षेत्र का ज्ञान	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	लेखा ज्ञान				✓		
4	वित्तीय/ निवेश ज्ञान	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	कानून				✓	✓	✓
6	विपणन अनुभव	✓	✓	✓	✓		
7	सूचना प्रौद्योगिकी			✓	✓	✓	
8	जोखिम प्रबंध प्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	मानव संसाधन प्रबंधन अनुभव	✓		✓		✓	✓
10	कार्यनीति/ कॉर्पोरेट योजना विकास और कार्यान्वयन	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	अन्य सूचीगत कंपनियों में निदेशक पद का अनुभव				✓		
12	असूचीगत कंपनियों में निदेशक पद का अनुभव	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	अखण्डता और उच्च नैतिक मानक	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	नेतृत्व कौशल	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	सामाजिक कल्याण अभिविन्यास	✓		✓	✓	✓	✓
16	सरकारी संबंधों से अनुभव	✓	✓	✓	✓	✓	✓

स्वतंत्र निदेशक

10. मार्च 20, 2020 तक सेबी सूचीबद्ध विनियम के विनियम 17 के अनुपालन में सीएसएल में एक महिला निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशक थे। तत्पश्चात छह स्वतंत्र निदेशकों में से, एक महिला निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशकों ने दिनांक 21 मार्च 2020 से अपना कार्यालय खाली कर दिया था और शेष तीन स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 15 जुलाई 2020 से अपना पद खाली कर दिया था। सीएसएल ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पद को भरने हेतु प्रसासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचनाएं प्रदान की हैं।
11. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरुआत में 3 साल की अवधि के लिए की जाती है। नियुक्ति की मुख्य शर्तें

<https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent> पर देखी जा सकती है।

12. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचितीकरण कार्यक्रम आम तौर पर बोर्ड प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड / समिति बैठकों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित पर अविरत आधार पर अद्यतन किया जाता है:
- उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है।
 - कंपनी के विभिन्न व्यापार प्रभागों के व्यापार परिस्थिति और संचालनात्मक मॉडल जिसमें भविष्य के महत्वपूर्ण विकास शामिल है।
 - कंपनी पर प्रभाव वाले नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव।
13. स्वतंत्र निदेशकों को परिचितीकरण कार्यक्रम का विवरण <https://cochinshipyard.com/uploads/FTPStaging/INDPDIR/famil.pdf> में प्राप्त किया जा सकता है।

14. बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी सूचीबद्ध विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान प्रबंधन से स्वतंत्र थे।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

15. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक जून 19, 2020 को हुई थी, जिसमें सभी गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों, यानी श्री जिजी तोमसण, आईएएस (से.नि.), श्री प्रदीप्ता बैनर्जी और श्री नन्द कुमारन पुतेषत्त ने भाग लिया था।

बोर्ड के सदस्यों को सूचना की उपलब्धता

16. कंपनी के भीतर की तथा कर्मचारी की जानकारी प्राप्त करने के लिए बोर्ड को पूरा अधिकार है। बोर्ड के बैठकों में कार्यपालकों जिनको बैठक में चर्चा की जानेवाली मद संबंधी अतिरिक्त अंतर्दृष्टि दी जा सकती है, की उपस्थिति स्वागत करती है। बोर्ड के समक्ष रख जाने के लिए साधारण रूप से आवश्यक जानकारियों में निम्नलिखित सूचनाएं शामिल करना है:

- क शेयरों पर अभुक्त पैसे के संबंध में शेयरधारकों को निर्देश देना।
- ख प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को प्राधिकृत करना।
- ग भारत और विदेश में ऋण पत्र सहित प्रतिभूतियों को जारी करना।
- घ पैसा उधार में लेना।
- ङ कंपनी की निधियों का निवेश।
- च ऋण के संबंध में प्रतिभूति प्रदान करना या गारंटी देना या ऋण मंजूर करना
- छ वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट का अनुमोदन करना।
- ज कंपनी के व्यापार में विविधता लाना।
- झ समामेलन, विलय या पुनर्निर्माण का अनुमोदन करना।
- ञ कंपनी का बदलाव, या किसी अन्य कंपनी में एक नियंत्रित लाभ या पर्याप्त शेयर प्राप्त करना।
- ट मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति या हटाव।
- ठ आंतरिक लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षक की नियुक्ति।
- ड निदेशकों के हित में सामान्य सूचनाएं।
- ढ बोर्ड समितियों के विचारार्थ विषय
- ण लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, परिचालन के जरिए पारित संकल्प और सहायक कंपनी की बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त भी।
- त व्यापार, पूंजी बजट और किसी आधुनिकीकरण की वार्षिक प्रचालन योजनाएं।
- थ कंपनी और इसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक क्षेत्रों की तिमाही परिणाम।

- द लाभांश की घोषणा।
- ध सामग्री, निवेश तथा संपत्ति की बिक्री जो कारोबार के सामान्य प्रक्रिया में नहीं है।
- न विदेशी मुद्रा विनिमय की अवस्थिति विनिमय दर की प्रतिकूल गति के जोखिम सीमित करने के लिए प्रबंध द्वारा लिए गए कदम, यदि महत्वपूर्ण है, का तिमाही विवरण।
- प आंतरिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों तथा बाह्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट (लेखा परीक्षा समिति के जरिए)
- फ कारोबार जोखिम विवरणों की स्थिति, उसके प्रबंध और संबंधित क्रिया योजनाएं।
- ब किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौता का विवरण।
- भ कारण दिखाने, माँग, अभियोजन सूचनाएं और दंड सूचनाएं जो वस्तुतः महत्वपूर्ण हैं।
- म घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरात्मक घटनाएं, किसी भी द्रव्यात्मक खव अथवा प्रदूषण समस्याएं।
- य कार्यान्वयन के लिए विचार किए गए तथा शुरुआत किए सभी नीति संबंध मामलाएं।
- कक कंपनी को या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के लिए पर्याप्त और भुगतान तथा कंपनी को या कंपनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई सामग्री डिफॉल्ट है।
- खख कोई भी मुद्दे जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता के दावें शामिल हो, जो कंपनी के आधार पर पारित गुण-दोष व्यवस्था हो, या एक अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण लिए हो, जो कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- गग मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या पदच्युति सहित बोर्ड स्तर के ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक पर जानकारी।
- घघ किसी भी नियामक का गैर अनुपालन, सांविधिक या सूचीकृत आवश्यकताएं तथा शेयरधारकों की सेवाएं अर्थात् लाभांश का गैर-भुगतान, शेयर स्थानांतरण में देरी आदि।
- ङङ महत्वपूर्ण श्रम समस्याओं तथा उसके प्रस्तावित समाधान मानव संसाधन या औद्योगिक संबंधों जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन में किसी भी महत्वपूर्ण विकास।
- चच पूंजीगत बजट और कोई भी अपडेट।
- छछ लेनदेन जिसमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी, या बौद्धिक संपत्ति की ओर सारभूत भुगतान शामिल है।
- जज विदेशी मुद्रा अरक्षितता का त्रैमासिक विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण है, के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।

पहले से वितरित बोर्ड सामग्री

17. आपातकालीन बैठकों को छोड़कर, प्रत्येक बोर्ड और समिति की बैठकों की सूचना पहले ही सात दिनों के भीतर सभी सदस्यों को भेज दी जाती है। सभी बोर्ड के सदस्यों की सहमति के साथ आपातकालीन बैठकों को छोड़कर, प्रत्येक बोर्ड बैठकों / समितियों के लिए कार्यसूची टिप्पणियाँ अध्यक्ष से परामर्श करके प्रारूपित और निश्चित कार्यसूची प्रपत्र में पहले ही सात दिनों के भीतर निदेशकों को परिचालित किया गया। बैठक में अर्थपूर्ण एवं संकेन्द्रित चर्चाओं की सुविधा के लिए सभी सामग्री की जानकारी शामिल किया है। जहाँ यह साध्य नहीं हो कि दस्तावेज को संलग्न करना कार्यसूची के साथ किसी उक्त विषय कार्यसूची के विषय के विशिष्ट संदर्भ के साथ पर रखे जाते हैं। विशेष एवं असाधारण परिस्थितियों में, बैठक में उपस्थित सभी निदेशकों की अनुमति से कार्यसूची पर अतिरिक्त या पूरक मद (मदें) अनुज्ञप्त है।

18. सीएसएल ने अपनी बैठकों को एक बोर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर की शुरुआत से जैसे डेस डिजिटल बैठक, जो डिजिटल प्रारूप में बैठक दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से सृजित करने, वितरित करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड और समिति के सदस्यों को सही समय पर और सुरक्षित रूप से सूचना प्राप्त होता है। यह बोर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यसूची दस्तावेज तैयार करने से लेकर बैठकों के कार्यवृत्त को अंतिम रूप देने तक पूरी बैठक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे समय, प्रयास और लागत में बचत होगी और शासन में सुधार होगा।

बोर्ड एवं समिति बैठकों में कार्यवृत्त का कार्यवाहियों का अभिलेखन

19. प्रत्येक बोर्ड और समिति बैठकों के कार्यवृत्त की कार्यवाहियों का अभिलेख कंपनी सचिव करता है। कार्यवृत्त का मसौदा बोर्ड/ समिति के सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए बैठक की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर परिचालित करता है। अंतिम कार्यवृत्त बैठक के समापन से 30 दिनों के भीतर कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज करता है।

बैठक के बाद आगे की कार्यवाही तंत्र

20. बोर्ड / समिति बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों तुरंत संबंधित विभागों/ प्रभागों को भी भेजी जाती है। बोर्ड समिति को आगामी बैठकों में प्रमुख निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराया जाता है।

अनुपालन

21. बैठक (बैठकों) की कार्यसूची पर टिप्पणी, कार्यवृत्त आदि तैयार करते वक्त लागू कानूनों तथा विनियमों का पालन आवश्यक है और यह सुनिश्चित करने को कंपनी सचिव जिम्मेदार है जिसमें कंपनी अधिनियम, अधिनियम, 2013 के साथ पढ़े और उसके तहत बनाए जारी नियमों और कंपनी सचिव सहित संस्थान द्वारा जारी की गई सचिवीय मानकों और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भी शामिल हैं।

बोर्ड समितियां

22. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सीएसएल के बोर्ड की पांच समितियां अर्थात्, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति थी।

23. भारत सरकार द्वारा निर्धारित उनकी नियुक्ति का कार्यालय पूरा होने पर जुलाई 15, 2020 से सभी स्वतंत्र निदेशकों की छुट्टी के परिणामस्वरूप, जुलाई 15, 2020 से सीएसएल वैधानिक समितियों का पुनर्गठन नहीं कर सका। तदनुसार, जब तक पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के साथ समितियों का पुनर्गठन नहीं किया जाता है, तब तक प्रस्तावों पर सीधे बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है। हालांकि, जोखिम प्रबंधन समिति कार्य कर रही थी क्योंकि मार्च 31, 2021 को स्वतंत्र निदेशकों के कार्यालय की छुट्टी ने जोखिम प्रबंधन समिति के गठन को प्रभावित नहीं किया था।

लेखा-परीक्षा समिति

24. सीएसएल में लेखापरीक्षा समिति को अगस्त 21, 2008 में बनाया गया। चूंकि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर जुलाई 15, 2020 से अपना पद खाली कर दिया था, इसलिए सीएसएल जुलाई 15, 2020 से लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

विचारार्थ विषय

25. लेखा-परीक्षा समिति का विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :

- सूचीबद्ध संस्थान के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसके वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण का निरीक्षण से यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;
- भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के आदेश के आधार पर हमारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए सिफारिश, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तें;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों को उनके द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान की मंजूरी;
- निम्न विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना ;

क. निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरण में शामिल करनेवाले अपेक्षित मामलों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है,

ख. लेखांकन नीतियों और कार्यों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और वही के लिए कारण,

ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर अनुमानों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां,

घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय वक्तव्यों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन,

ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन,

च. किसी भी संबंधी पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण

छ. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय।

(v) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।;

(vi) प्रबंधन के साथ, मुद्दे (सावर्जनिक मुद्दे, अधिकार मुद्दे, अधिमाम्य मुद्दे आदि) के जरिए उठाए गए निधियों का उपयोग/ अनुप्रयोग का विवरण, पेशकश दस्तावेज़/विवरण-पुस्तिका/नोटिस में बताए गए कार्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयुक्त निधियों का विवरण और सार्वजनिक या अधिकार मुद्दे के आय के उपयोग की जांच करते हुए निरीक्षण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट समीक्षा करना और इस मामले पर कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिश देना।

(vii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य-निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभाविता की समीक्षा और जांच करना;

(viii) संबंधी पार्टियों के साथ हमारी कंपनी के लेनदेन के लिए अनुमोदन या किसी आगामी संशोधन;

(ix) अंतर-कॉरपरेट ऋण और निवेश की जांच;

(x) जहां भी आवश्यक हो, हमारी कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

(xi) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

(xii) प्रबंधन के साथ सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य-निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की समीक्षा करना;

(xiii) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी के स्टाफिंग तथा वरिष्ठता, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा करना,

(xiv) कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष के लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और इसपर अनुवर्ती कार्रवाई;

(xv) आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में जहां सामान प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के संदेहास्पद धोखाधड़ी या अनियमितता या एक विफलता, पर कोई आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और बोर्ड को मामले के बारे में सूचित करना;

(xvi) लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले, लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा विषय के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा साथ ही साथ विचार के किसी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा पश्चात चर्चा;

(xvii) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर ध्यान दें;

(xviii) पर्दाफाश तंत्र के कार्यों की समीक्षा करना;

(xix) उम्मीदवार के योग्यता, अनुभव, पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति के लिए अनुमोदन;

(xx) निम्नलिखित सूचना की समीक्षा:

क. प्रबंधन चर्चा तथा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और कार्रवाई के परिणाम,

ख. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्ष के लेनदेन के महत्वपूर्ण विवरण (लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित अनुसार)

ग. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमियों का प्रबंधन पत्र/पत्रों,

घ. आंतरिक लेखा कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और

ङ. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पदच्युति और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होगी।

च. विचलन का विवरण:

(i) निरीक्षण अभिकरण की रिपोर्ट सहित विचलन के तिमाही विवरण, यदि लागू हो, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 32 (1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया है;

(ii) सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 32 (7) के अनुसार पेशकश दस्तावेज़/प्रोस्पेक्टस/नोटिस में बताए कार्यों को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त निधियों का वार्षिक विवरण

(xxi) नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर समीक्षा;

(xxii) नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर समीक्षा;

(xxvii) लेखापरीक्षा समिति नियंत्रित कंपनी जो 100 करोड़ से अधिक है, या नियंत्रित कंपनी के परिसंपत्ति आकार 10% से अधिक हो, जो भी कम हो, जिसमें इस प्रावधान लागू होने की तिथि को मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल हैं, होलिंग कंपनी द्वारा दिए गए निवेश से ऋणों और/या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा करेगी।

(xxviii) वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार संशोधितानुसार, सेबी (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा।

(xxix) सत्यापित करें कि आंतरिक नियंत्रण के लिए संशोधितानुसार अपेक्षित प्रणाली सेबी (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार बनाए रखा जाना आवश्यक है और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं : तथा

(xxx) समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किए अनुसार अन्य किसी कार्यों को करना।

लेखा-परीक्षा समिति का अधिकार

26. निम्नलिखित अधिकार समिति को सौंप दिया जाता है:

क) अपने विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधि का जांच करना।

ख) किसी कर्मचारी पर और से सूचना तलाशना।

ग) निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन बाह्य कानूनी अथवा अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना; और

घ) यदि आवश्यक समझते हैं, तो संगत विशेषज्ञता सहित बाहरी आदमियों की उपस्थिति प्राप्त करना।

27. लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय प्रबंध से संबंधित किसी मामला पर लेखा-परीक्षा समिति का सिफारिश, बोर्ड पर बाध्य होगा।

28. यदि बोर्ड लेखा-परीक्षा समिति के सिफारिशों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह इसका कारण अंकित करेगा और शेयरधारकों को ऐसा कारण संसूचित करेगा।

गठन

29. जुलाई 14, 2020 तक, सीएसएल की लेखापरीक्षा समिति में श्री नंद कुमारन पुत्तेषत (डीआईएन: 02547619), गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक, अध्यक्ष के रूप में, श्री जिजी थॉमसण, आईएएस (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 01178227), गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक और श्री प्रदीप्ता बैनर्जी (डीआईएन: 00630615), गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक सदस्य के रूप में शामिल थे। चूंकि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर जुलाई 15, 2020 से अपना पद खाली कर दिया था, इसलिए सीएसएल जुलाई 15, 2020 से समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

30. लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित व्यक्तियों के रूप में कंपनी के निदेशक (वित्त), सचिवीय लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधि भाग लिया जाता है। आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य सनदी लेखाकारों के एक फर्म को बाह्यस्रोतीकृत किया है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकें और उपस्थिति

31. वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपस्थिति निम्न प्रकार थी।

क्र. सं.	सदस्य का नाम	जून 20, 2020
1	श्री नंद कुमारन पुत्तेषत	✓
2	श्री जिजी तोमसण आईएएस (से.नि.)	✓*
3	श्री प्रदीप्ता बैनर्जी	✓*

* इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए भाग लिया।

नामांकन व पारिश्रमिक समिति

32. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के पारिश्रमिक समिति, दिसंबर 13, 2008 को स्वीकृत परिपत्र संकल्प के द्वारा गठित की गई।

विचारणीय विषय

33. नामांकन व पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(i) कंपनी अधिकारियों एवं असंघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण करने के लिए वार्षिक बोनस/ निष्पादन भुगतान/ परिवर्तनीय पूल दिवस व नीति का निर्णय करना,

(ii) अधिकारियों एवं असंघीकृत पर्यवेक्षकों को प्रदान करने वाले परिलब्धियाँ और भत्ते के लिए योजना की संरूपण और संशोधन,

(iii) अधिकारियों, असंघीकृत पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति के किसी नई योजना जैसी चिकित्सा योजना, पेंशन आदि जैसे मामला हों, और

(iv) सेबी सूचीकरण विनियमों और अन्य किसी कानून के प्रावधानों द्वारा इसे सौंपे गए अन्य भूमिकाओं और समय-समय पर इसके संशोधनों का प्रयोग करना।

गठन

34. जुलाई 14, 2020 तक, सीएसएल में श्री जिजी थॉमसण, आईएएस (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 01178227), गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक अध्यक्ष के रूप में, श्री प्रदीप्ता बैनर्जी (डीआईएन: 00630615), गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक और श्री नंद कुमारन पुत्तेषत (डीआईएन: 02547619), गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक, सदस्य के रूप में शामिल थे। चूंकि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर जुलाई 15, 2020 से अपना पद खाली कर दिया था, इसलिए सीएसएल जुलाई 15, 2020 से समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित नामांकन व पारिश्रमिक समिति की बैठकें तथा उपस्थिति:

35. वर्ष 2020-21 के दौरान नामांकन व पारिश्रमिक समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपस्थिति निम्न प्रकार था:

37. पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	नाम और पदनाम	कुल मूल वेतन, डीए, एचआरए और अन्य भत्ते और अनुलब्धियाँ	कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी)	कुल
1	श्री मधु एस नायर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	47.13	24.28	71.41
2	श्री सुरेश बाबु एन वी निदेशक (प्रचालन)	40.04	20.89	60.93
3	श्री विजय भारकर निदेशक (तकनीकी)	37.37	20.01	57.38
4	श्री जोस वी जे निदेशक (वित्त)	35.13	11.37	46.50

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सदस्यों का नाम	जुलाई 11, 2020
1	श्री जिजी तोमसण आईएएस (से.नि.)	✓*
2	श्री प्रदीप्ता बैनर्जी	✓*
3	श्री नंद कुमारन पुत्तेषत	✓*

* इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए भाग लिया।

पारिश्रमिक नीति

36. कंपनी की संगत नियमावली के अनुच्छेद 21 (क) के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निश्चित जैसे पारिश्रमिक निदेशकों को दिया जाएगा। बोर्ड स्तर के कार्यपालकों को वेतन और भत्ते नियुक्ति की शर्तों, उपर्युक्त विषय में सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों के अनुरूप में और अन्य लाभ और परिलब्धियाँ सीएसएल के नियमों के अनुरूप में दिया जाता है। बोर्ड स्तर के कार्यपालकों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार और प्रशासनिक मंत्रालय (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित रूप में हैं। कामगारों का पारिश्रमिक प्रबंधन और मान्यताप्राप्त श्रमिक संघों के बीच दीर्घकालीन समझौता के अनुसार है।

टिप्पणियां

- क) उपरोक्त तालिका में उल्लिखित पीआरपी 2018-19 की अवधि से संबंधित है, जिसका भुगतान 2020-21 के दौरान किया गया है। पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पीआरपी कंपनी के सभी अधिकारियों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों पर लागू निष्पादन भुगतान योजना के अनुसार है, जिसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया है।
- ख) पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति का पारिश्रमिक, कार्यकाल और अन्य नियम व शर्तें सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक मंत्रालय (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) द्वारा जारी पत्र के अनुसार हैं। पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति पद के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से या सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी जल्द से जल्द हो, 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। अनुबंध की अवधि से पहले सेवा छोड़ने के मामले में नोटिस की अवधि 3 महीने है या नोटिस अवधि के अभाव में, 3 महीने के वेतन का भुगतान किया जा सकता है।
- ग) वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया था।

बैठक शुल्क

38. बोर्ड या इसकी समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों को 15,000/- रुपए दर पर बैठक शुल्क दिया जा रहा है। सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। गैर कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने का मानदंड निम्नलिखित लिंक में दिया गया है: <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent>
39. वर्ष 2020-21 के लिए गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकों की बैठक शुल्क का भुगतान निम्नानुसार है :

क्र. सं.	नाम	शुल्क (रुपए में)
1	श्री जिजी तोमसण आईएएस (से.नि.)	75,000
2	श्री प्रदीप्ता बैनर्जी	60,000
3	श्री नंद कुमारन पुत्तेषत	75,000

40. चूंकि भारत के राष्ट्रपति गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों को नियुक्त करते हैं, इसलिए ऐसे निदेशकों की निष्पादन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है।

हितधारक संबंध समिति

41. सितंबर 20, 2016 को आयोजित 227 वीं बोर्ड बैठक में संकल्प सं. 227/08 द्वारा हितधारक संबंध समिति, बोर्ड की एक उप-समिति, को गठित किया गया।

विचारार्थ विषय

42. हितधारक संबंधी समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:

- (i) कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/अंतरण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट की अनुपलब्धता, घोषित लाभांश की अप्राप्ति, नए/अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करना, आम बैठकें आदि शामिल हैं
- (ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकार के प्रभावी कार्य के लिए किए गए उपायों की समीक्षा,
- (iii) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जारी विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपनाई गई सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
- (iv) कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अदावे लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/ सांविधिक सूचना की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध संस्था द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

गठन

43. जुलाई 14, 2020 तक, सीएसएल में श्री नंद कुमारन पुत्तेषत (डीआईएन: 02547619), गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक अध्यक्ष के रूप में, श्री सुरेशबाबु एन वी (डीआईएन: 07482491), निदेशक (प्रचालन) और श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त), सदस्य के रूप में शामिल थे। चूंकि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर जुलाई 15, 2020 से अपना पद खाली कर दिया था, इसलिए सीएसएल जुलाई 15, 2020 से समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित हितधारक की संबंध समिति की बैठकें और उपस्थिति

44. वर्ष 2020-21 के दौरान हितधारक संबंधी समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

अनुपालन अधिकारी का नाम, पदनाम और पता

श्री श्यामकमल एन
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड,
प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, कोच्ची, केरल- 682015
टेली : +91 (484) 2501306, फैक्स: +91 (484) 2384001
ईमेल: secretary@cochinshipyard.in , वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

दि. 31 मार्च 2021 की तिथि पर और सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 13(3) के तहत रिपोर्ट की गई निवेशक शिकायतों की स्थिति

अप्रैल 01, 2020 की तिथि पर शिकायत	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	4
वर्ष के दौरान हल किया गया	4
शेयरधारकों के समाधान तक नहीं सुलझाया	0
मार्च 31, 2021 की तिथि पर लंबित	0

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन

45. सीएसएल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन फरवरी 08, 2019 को सेबी सूचीबद्ध विनियमों के अनुरूप किया गया था। समिति के गठन से पहले, बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर जोखिमों की समीक्षा की गई थी। मार्च 31, 2021 की स्थिति के अनुसार, समिति में श्री सुरेश बाबु एन वी, निदेशक (संचालन) अध्यक्ष के रूप में, श्री बिजोय भास्कर, निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस वी जे, निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में शामिल हैं।

विचारार्थ विषय

46. निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन के विचारार्थ विषय हैं:

- (i) साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम सहित जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा।
- (ii) यह सुनिश्चित करें कि अपेक्षित जोखिम दस्तावेजीकरण तिमाही आधार पर किया जाता है।
- (iii) जोखिम प्रबंधन पर अद्यतन प्रदान करें और निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करना।
- (iv) ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें और उपस्थिति:

47. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपस्थिति निम्न प्रकार थी।

क्र. सं.	सदस्य का नाम	फरवरी 05, 2021
1	श्री सुरेशबाबु एन वी	✓
2	श्री बिजोय भास्कर	✓
3	श्री जोस वी जे	✓

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास समिति

48. केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए सितंबर 05, 2008 को हुई 181 वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड में एक उप समिति का गठन (संकल्प सं. 181/09 देखें) किया था।
49. दिनांक 23 नवंबर 2011 को हुई 197 वीं बोर्ड बैठक में धारणीय विकास समिति, बोर्ड के एक उप समिति गठित की गई। सीपीएसईयों में धारणीय विकास पर डीपीई ने का.ज्ञा.सं. 3(9)/2010- डीपीई (एमओयू) 23 सितंबर 2011 द्वारा धारणीय विकास पर विस्तृत दिशा निर्देशों जारी किया है।
50. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप सीएसआर गतिविधियों से संबंधित मामलों को तय करने के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति और धारणीयता विकास समिति को संविलीन करने हेतु निर्णय लिया था।

विचारार्थ विषय

51. निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं:
- (i) बोर्ड को सीएसआर और धारणीय विकास नीति सिफारिश करना।
- (ii) कार्रवाई योजना और परियोजनाएं जो सीएसआर और धारणीय विकास के लिए अल्प, माध्यम और दीर्घ काल में शुरू करना है, सिफारिश करना।
- (iii) वार्षिक सीएसआर व धारणीयता विकास योजना और बजट की सिफारिश करना।
- (iv) सीएसआर और धारणीय विकास नीति, योजनाएं तथा बजटों का आवधिक समीक्षा।

गठन

52. जुलाई 14, 2020 तक, सीएसएल में श्री जिजी थॉमसण, आईएएस (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 01178227), गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक अध्यक्ष के रूप में, श्री नंद कुमारन पुत्तेषत (डीआईएन: 02547619), गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक, श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825), निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त), सदस्य के रूप में शामिल थे। चूंकि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर जुलाई 15, 2020 से अपना पद खाली कर दिया था, इसलिए सीएसएल जुलाई 15, 2020 से समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

वर्ष 2020-21 के दौरान हुई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास समिति की बैठकें और उपस्थिति:

53. वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर एवं एस डी समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। इस बैठक की उपस्थिति नीचे दी हैं

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	जून 20, 2020
1	श्री जिजी तोमसण, आईएस (से.नि.)	✓*
2	श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त	✓
3	श्री बिजोय भास्कर	✓
4	श्री जोस वी जे	✓

* इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए भाग लिया।

आम निकाय बैठकें

54. पिछली तीन वार्षिक आम निकाय बैठकों की तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार है:

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
2019-20	सितंबर 29, 2020	11:00 hrs.	लागू नहीं, चूंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आयोजित होती है।	3
2018-19	अगस्त 13, 2019	11:00 hrs.	दि मेसी होटल, एम जी रेड, रविपुरम, कोच्ची - 682015	शून्य
2017-18	अगस्त 14, 2018	11:00 hrs.	केरल फाइन आर्ट्स सोसाइटी हॉल, फॉरशोर रोड, पल्लिमुक्क, एर्णाकुलम - 682016	शून्य

पोस्टल मतदान

55. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान डाक मतदान द्वारा कोई संकल्प नहीं दिया गया था।

56. आगामी एजीएम में किए जानेवाले प्रस्तावित व्यवसायों में से कोई भी को डाक मतदान के जरिए एक विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

संचार का माध्यम

57. सभी मूल्य संवेदनशील जानकारी और मामला जो शेयरधारक के लिए महत्वपूर्ण है, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध है, को प्रकट किया जाता है। एक्सचेंजों को सभी प्रस्तुतीकरण संबंधित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है।

58. तिमाही / अर्ध वार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम निम्नानुसार प्रकाशित किए गए थे:

तिमाही/ अर्ध वार्षिक/ वार्षिक	महीने में
जून 30, 2020 को समाप्त तिमाही	अगस्त
सितंबर 30, 2020 को समाप्त तिमाही / अर्ध वार्षिक	नवंबर
दिसंबर 31, 2020 को समाप्त तिमाही	फरवरी
मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष	जून

59. तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक परिणाम, सामान्य बैठकों से संबंधित नोटिस और जानकारी इत्यादि प्रमुख समाचार पत्रों जैसे दि बिजनेस लाइन (अखिल भारतीय प्रकाशन), मातृभूमि (कोचीन प्रकाशन) और जनसत्ता (सभी प्रकाशन) में प्रकाशित किए जाते हैं और सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत अपेक्षित अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को अधिसूचित किया जाता है।

60. तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम और शेयरधारकों और स्टॉक एक्सचेंजों को अन्य सूचना, अन्य बातों के साथ साथ, संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों, प्रेस विज्ञप्ति आदि कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in में 'निवेशक' अनुभाग में उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ बीएसई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के साथ भी फाइल किया जाता है।

61. प्रबंधन, विश्लेषकों और निवेशकों को तिमाही आधार पर संक्षिप्त विवरण दिया था। तिमाही / अर्ध वार्षिक/ वार्षिक परिणाम पर संस्थापक निवेशकों और विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतीकरण कंपनी के वेबसाइट में 'निवेशक' अनुभाग में उपलब्ध है।

65. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घोषित लाभांश के विवरण नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय वर्ष	लाभांश प्रति शेयर (₹)	अंतरिम लाभांश प्रति शेयर (₹)	
2020-21	2.50	01 st 9.00	02 nd 4.00
2019-20	15.00	1.63	
2018-19	13.00	-	

शेयरों के सूचीकरण और स्टॉक कोड :

66. कंपनी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है और वर्ष 2020-21 के लिए सूचीबद्ध शुल्क स्टॉक एक्सचेंजों को चुकाया गया है।

स्टॉक एक्सचेंजों का नाम व पता	स्टॉक कोड
बीएसई लिमिटेड फिरोस जिजीभोई टॉवर दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001	540678
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लासा, 5वां तल बांद्रा-कुरला कोम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400 051	COCHINSHIP

67. कंपनी के शेयरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) INE704P01017 है।

सामान्य शेयरधारक जानकारी

62. वित्तीय वर्ष 2021 के लिए वार्षिक आम बैठक

तिथि : सितंबर 29, 2021

समय : 11:00 बजे

स्थान : कंपनी दिनांक 13 जनवरी 2021 के एमसीए परिपत्र के अनुसार वीसी/ओएवीएम के जरिए बैठक आयोजित कर रही है और इसे तरह से वार्षिक आम बैठक के लिए एक स्थान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जानकारी कृपया इस वार्षिक आम बैठक की सूचना देखें।

63. वित्त वर्ष: अप्रैल 01, 2020 से मार्च 31, 2021 तक

लाभांश भुगतान


64. एजीएम में अनुमोदित होने पर मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश अक्टूबर 06, 2021, बुधवार को या उसके बाद स्रोत पर कर की कटौती के अधीन भुगतान किया जाएगा। कंपनी जहां भी संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा और अन्य मामलों में लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा लाभांश का भुगतान करेगी।

68. पिछले वित्त वर्ष के प्रत्येक महीने के दौरान (यानी समीक्षाधीन वर्ष) बाजार मूल्य डेटा- उच्च, निम्न:

व्यापार की गई शेयरों का मूल्य और मात्रा

माह/ वर्ष	मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड		
	उच्च (₹)	कम (₹)	खंड (सं. लाख में)	उच्च (₹)	कम (₹)	खंड (सं. लाख में)
अप्रैल 2020	283.75	238.00	2.47	284.10	240.00	33.53
मई 2020	258.40	218.65	3.81	257.00	218.45	65.49
जून 2020	324.40	225.05	9.07	324.50	226.20	181.14
जुलाई 2020	348.25	294.00	11.60	348.35	293.95	181.30
अगस्त 2020	371.40	321.80	7.20	371.40	321.80	103.70
सितंबर 2020	350.20	304.95	3.39	350.45	303.60	48.87
अक्टूबर 2020	376.40	312.00	4.20	378.00	316.55	75.03
नवंबर 2020	371.90	333.05	6.72	371.70	333.45	66.33
दिसंबर 2020	387.00	335.85	7.51	386.75	336.10	103.00
जनवरी 2021	396.30	339.05	4.87	396.00	339.15	64.11
फरवरी 2021	395.90	318.00	9.58	395.90	340.55	105.73
मार्च 2021	426.00	342.15	7.17	426.50	347.45	102.82

व्यापक आधारित सूचकांक की तुलना में निष्पादन



निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण

लागू नहीं

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (आरटीए)

लिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सूर्या, 35, मईफ्लवर एवेन्यू

सेन्टिल नगर के पीछे

सौरिपालयम रोड, कोयम्बतूर

तमिलनाडु - 641 028

टेलि: 0422 2315792; फैक्स: 0422 2314792

ई-मेल: coimbatore@linkintime.co.in

शेयर अंतरण प्रणाली

69. कंपनी के शेयर अनिवार्य डीमैट सूची में होने के कारण जमाकर्ता प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरणीय है।

शेयर होल्डिंग का वितरण

70. फॉलियो की संख्या के आधार पर शेयर होल्डिंग का वितरण (मार्च 31, 2021 को)

धारित शेयरों की संख्या	सदस्य		शेयर	
	संख्या	%	संख्या	%
1-500	165488	97.0707	9482304	7.21
501-1000	2846	1.6694	2193419	1.67
1001-2000	1151	0.6751	1689008	1.28
2001-3000	363	0.2129	926301	0.70
3001-4000	160	0.0939	581484	0.44
4001-5000	137	0.0804	641366	0.49
5001-10000	172	0.1009	1244733	0.95
>10000	165	0.0968	114781775	87.26
कुल	170482	100.0000	131540390	100.00

शेयरों और लिक्विडिटी का डिमेटरीयलाइसेशन

71. कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डिमेटरीयलाइसड रूप में व्यापार किया जाता है और दोनों जमाकर्ताओं यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल पर व्यापार केलिए उपलब्ध है।

धारित शेयरों की प्रतिशतता:

भौतिक रूप से : 0.00

एनएसडीएल के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में : 90.25

सीडीएसएल के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में : 9.75

कंपनी के शेयर नियमित रूप से बीएसई और एनएसई पर व्यापार किया जाता है।

बकाया वैश्विक डिपोजिटरी रसीद (जीडीआर) या अमेरिकी डिपोजिटरी रसीद (एडीआर) या वारंट या किसी भी परिवर्तनीय उपकरण, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कोई नहीं।

विदेशी मुद्रा जोखिम और गतिविधियों की प्रतिरक्षा:

72. कंपनी को बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति और बाजार स्थितियों के आधार पर विदेशी मुद्रा अनावरण हेड किया जा रहा है।

73. कंपनी विदेशी मुद्रा बाजार में उतर चढ़ाव पर निरंतर निगरानी रख रही हैं और कार्यशील पूंजी प्रबंधन के भाग के रूप में क्रेता क्रेडिट आदि जैसे विदेशी मुद्रा उधारों के विभिन्न विकल्पों की खोज कर रही है। विदेशी मुद्रा अनावरण और हेडिजिंग स्थिति की अवस्था लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है। वर्तमान में, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण लेखापरीक्षा समिति कार्य नहीं कर रही है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

संयंत्र स्थान

- पोत निर्माण व पोत मरम्मत सुविधा, पेरुमानूर, एर्णाकुलम जिला, कोच्ची- 682 015
- अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा: मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, विल्लिंगडन आइलैंड, कोच्ची- 682 009
- इन्दिरा डॉक, मुंबई में पोत मरम्मत सुविधा
- नेताजी सुबाष डॉक, कोलकाता में पोत मरम्मत सुविधा
- मराइन डॉकयार्ड, पोर्ट ब्लेयर में पोत मरम्मत सुविधा

पत्राचार केलिए पता:

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015

टेलि: +91 (484) 2501306, फेक्स: +91 (484) 2384001

ईमेल: secretary@cochinshipyard.in

वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

साख दर

दस्तावेज	आईएसआईएन	दर- निर्धारण
8.51% कर मुक्त प्राप्त प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड	INE704P07014	केयर रेटिंग द्वारा AAA
8.72% कर मुक्त प्राप्त प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड	INE704P07030	केयर रेटिंग द्वारा AAA

अन्य प्रकटीकरण

संबंधित पार्टी लेनदेन

74. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन देन नहीं थे, जो कि कंपनी के हित से बड़े पैमाने पर संघर्ष थे या संघर्ष हो सकते थे। कंपनी को संबंधित पार्टी लेनदेन की एक नीति है, जिसे निम्न लिंक पर प्राप्त कर सकता है: <https://cochinshipyard.in/uploads/coporate/183d8b6d86dbcd98336ba05c52dc6bfd.pdf>

कंपनी द्वारा गैर अनुपालन

75. पिछले तीन साल के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या भारत के प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (सेबी) या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना/ सख्त नहीं लगाया गया है।

वर्ष	प्राधिकारी का नाम	गैर अनुपालन का स्वरूप	गैर अनुपालन की अवधि	लगाए गए जुर्माने/ जुर्माने की राशि	अभ्युक्तियां
2019-20	बीएसई व एनएसई	एक महिला निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करना।	जून 20, 2019 से जुलाई 28, 2019	₹ 1,95,000 (प्रत्येक @18% जीएसएटी युक्त)	चूंकि निदेशकों की नियुक्ति कंपनी की शक्तियों से परे है और भारत सरकार द्वारा की जानी है, अतः कंपनी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर लगाया गया जुर्माना छोड़ दिया गया था।
2020-21	बीएसई व एनएसई	बोर्ड की बैठकों के कोरम से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन न करना अर्थात् कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक न होना।	जुलाई 15, 2020 से सितंबर 30, 2020	₹10,000 (प्रत्येक @18% जीएसएटी युक्त)	दिनांक 15 जुलाई 2020 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। चूंकि निदेशकों की नियुक्ति कंपनी की शक्तियों से परे है और इसे भारत सरकार द्वारा किया जाना है, कंपनी द्वारा लगाए गए जुर्माने की छूट हेतु अनुरोध अग्रहित किया है। बीएसई ने जुर्माना छोड़ दिया है और एनएसई से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।
		एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करना।	अक्टूबर 01, 2020 से दिसंबर 31, 2020	₹4,60,000 (@18% जीएसएटी युक्त)	
	बीएसई व एनएसई	लेखापरीक्षा समिति के गठन के संबंध में गैर अनुपालन।	अक्टूबर 15, 2020 से दिसंबर 31, 2020	₹1,56,000 (@18% जीएसएटी युक्त)	दिनांक 15 जुलाई 2020 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं है। चूंकि निदेशकों की नियुक्ति कंपनी की शक्तियों से परे है और इसे भारत सरकार द्वारा किया जाना है, कंपनी द्वारा लगाए गए जुर्माने की छूट हेतु अनुरोध अग्रहित किया है। बीएसई ने जुर्माना छोड़ दिया है और एनएसई से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।
		नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में गैर- अनुपालन।	अक्टूबर 15, 2020 से दिसंबर 31, 2020	₹1,56,000 (@18% जीएसएटी युक्त)	
		हितधारकों संबंधी समिति के गठन के संबंध में गैर- अनुपालन	अक्टूबर 15, 2020 से दिसंबर 31, 2020	₹1,56,000 (@18% जीएसएटी युक्त)	
	एनएसई	बोर्ड की बैठकों के कोरम से संबंधित आवश्यकताओं के संबंध में गैर- अनुपालन अर्थात् कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक न होना।	अक्टूबर 01, 2020 से दिसंबर 31, 2020	₹20,000 (@18% जीएसएटी युक्त)	दिनांक 15 जुलाई 2020 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं है। चूंकि निदेशकों की नियुक्ति कंपनी की शक्तियों से परे है और इसे भारत सरकार द्वारा किया जाना है, कंपनी द्वारा लगाए गए जुर्माने की छूट हेतु अनुरोध अग्रहित किया है। बीएसई ने जुर्माना छोड़ दिया है और एनएसई से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

एक महिला निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल मार्च 20, 2020 और शेष तीन स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल जुलाई 14, 2020 को पूरा होने के कारण, सीएसएल के बोर्ड में मार्च 31, 2021 तक कोई महिला निदेशक नहीं है और छह की वैधानिक आवश्यकता के विरुद्ध कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। उक्त रिक्तियों के बारे में भारत सरकार को सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर वैधानिक समितियों का भी पुनर्गठन किया जाएगा।

सतर्कता तंत्र और मुखबिर नीति

76. फरवरी 22, 2012 को हुई बोर्ड के 198 वीं बैठक में अनुमोदित अनुसार कोचीन शिपयार्ड ने एक मुखबिर नीति को स्वीकार किया। कोचीन शिपयार्ड भारत सरकार का एक उपक्रम है और किसी भी अवैध या अनैतिक व्यवहार के रिपोर्ट पर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करता है। किसी भी नियमों का उल्लंघन, विनियमों या अनैतिक आचरणों के विवरण, निदेशकों/कर्मचारियों/ हितधारकों/कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकायों को अपने तत्काल पर्यवेक्षक/ मुख्य सतर्कता अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता दी जाती है। निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए ऐसी रिपोर्टिंग की गोपनीयता बनाये रखने के लिए बाध्य है और सुनिश्चित करें कि पर्दाफाश किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार के अधीन नहीं रहा। रिपोर्टाधीन अवधि में किसी कार्मिक ने लेखा परीक्षा समिति को प्रवेश निषेध नहीं किया गया है। दिसंबर 14, 2016 को आयोजित 228 वीं बैठक में बोर्ड ने अपनी मुखबिर नीति में संशोधन किया। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुरूप, सीएसएल ने सितंबर 16, 2014 को आयोजित 214 वीं बोर्ड बैठक में धोखाधड़ी रोकथाम और जांच नीति को अपनाया था। चूंकि दोनों नीतियों का बड़ा उद्देश्य समान था, सीएसएल ने नवंबर 12, 2019 को आयोजित 252वीं बोर्ड बैठक में एक संयुक्त नीति अर्थात् मुखबिर नीति और धोखाधड़ी रोकथाम नीति को अपनाया। कंपनी की वेबसाइट <https://cochinshipyard.in/uploads/investors/86e4f639de81552f10f00afec6917a09.pdf> पर उक्त पॉलिसी उपलब्ध है।

अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता:

77. कंपनी को भारत के प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में अपने नामित व्यक्तियों के लिए अंतरंग व्यापार के रोकथाम हेतु एक आचरण संहिता है। कोड दिशानिर्देशों को निर्धारित करते हैं, जो कंपनी के शेयरों के लेनदेन के समय और उल्लंघनों के परिणामों की चेतावनी देते समय प्रक्रियाओं का पालन करना और प्रकटन किया जाना चाहिए के संबंध में उन्हें सलाह देते हैं। अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता कंपनी के वेबसाइट पर होस्ट की जाती है और निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है :<https://cochinshipyard.in/Investors>

अनिवार्य अपेक्षाएं:

78. सभी लागू निगमित कानूनों, नियमों और विनियमों के साथ अनुपालन की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तिमाही आधार पर कंपनी द्वारा बोर्ड के सामने उनकी जानकारी एवं समीक्षा के लिए रखी जाती है। कंपनी ने सेबी सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 46 के विनियम 17 से 27 तक और उप विनियम (2) के खंड (ख) से (i) में विनिर्दिष्ट अनुसार निगमित शासन संहिता के सभी अनिवार्य अपेक्षाओं

उपर्युक्त सूचितानुसार निदेशक मंडल के गठन को छोड़कर, का पालन किया है अर्थात् एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और सांविधिक समितियों से संबंधित परिणामी अनुपालन।

गैर अनिवार्य अपेक्षाएं

79. कंपनी ने निगमित शासन से संबंधित सूचीबद्ध विनियमों के निम्नलिखित गैर अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन किया है। सेबी सूचीबद्ध विनियमों के अनुसूची II के भाग ई के साथ पढ़े गए विनियम 27 (1) में सूचीबद्ध गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के वित्तीय विवरणों में कोई लेखापरीक्षा योग्यता नहीं है। कंपनी अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राय को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाती रही है।

सहायक कंपनी

80. सेबी सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 16 एक भौतिक सहायक को एक सहायक कंपनी के रूप में परिभाषित करता है, जिसकी आय या निवल मूल्य तुरंत पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष में सूचीबद्ध कंपनी और उसके सहायक कंपनी के क्रमशः समेकित आय या निवल मूल्य के 10% से अधिक है। इस परिभाषा के तहत, कंपनी को भारत में निगमित कोई असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।

81. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ कार्य करते हुए अक्टूबर 23, 2017 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। हालांकि, नवंबर 01, 2019 से एचसीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है। इसके अलावा, कंपनी ने सितंबर 15, 2020 से सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) का अधिग्रहण कर लिया है। तदनुसार, टीएसएल सितंबर 15, 2020 से सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है।

82. सेबी सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 16(1) (सी) के तहत स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने महत्वपूर्ण सहायक कंपनी को निर्धारित करने के लिए एक नीति तैयार की है जिसे कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब लिंक पर प्रकाशित किया गया है: <https://cochinshipyard.in/Investors>

83. निगमित शासन दिशा निर्देशों की आवश्यकता की अनुसार अनुपालन का विवरण:

निगमित शासन पर सूचीबद्ध विनियमों और डीपीई दिशा निर्देशों के संदर्भ से संबंधित निगमित शासन दिशा निर्देशों के अनुपालन से संबंधित में प्राक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र **अनुलग्नक I** में रखा गया है।

84. चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के निर्देशों की विवरण तथा उसके अनुपालन:

कंपनी ने पीएसयू के संचालन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के निर्देश की अनुपालन किया है।

85. लेखा बहियों में व्यय का मर्दों लिखा गया है, जो व्यापार के प्रयोजनों के लिए नहीं है : शून्य

86. किए गए खर्च, जो व्यक्तिगत है और उच्चतम प्रबंधन और बोर्ड निदेशकों के लिए है : शून्य

वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के प्रशासनिक तथा कार्यालय व्यय कुल व्यय के 2.05% था तो 2019-20 में 1.89% था। वर्ष 2020-21 के दौरान वित्तीय व्यय कुल व्यय के 2.29% था जो पिछले साल में 1.59% था।

87. प्राकटीज में रहे कंपनी सचिव के एक प्रमाणपत्र के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक सेबी/कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय/ या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। प्रमाणपत्र को इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक II** में संलग्न किया है।

88. कंपनी ने मेसर्स एलियास जॉर्ज एंड कंपनी, कंपनी और सहायक कंपनियों में प्रदत्त सेवाओं के लिए ₹26.70 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

क. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	1
ख. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	1
ग. वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

आचरण संहिता

89. बोर्ड ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध को एक आचरण संहिता ('संहिता') निर्धारित किया है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों को वर्ष 2019-20 के लिए इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। संहिता कंपनी के वेबसाइट में होस्ट किया गया है और <https://cochinshipyard.in/Investors> लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है।

90. कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर की गई एक घोषणा नीचे दिया गया है:

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/-

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

91. वर्ष, के लिए वित्तीय विवरणी का सीईओ/सीएफओ प्रमाणन **अनुलग्नक III** में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

जोखिम प्रबंध प्रक्रिया

92. सीएसएल ने मौजूदा जोखिम प्रबंध नीति की समीक्षा की और फरवरी 12, 2021 को आयोजित बोर्ड की 259 वीं बैठक में जोखिम प्रबंध की एक व्यापक प्रणाली को शामिल करते हुए एक संशोधित नीति को अपनाया। नए जोखिम प्रबंध नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) जोखिम प्रबंध दूरदर्शिता विवरण : संगठनात्मक जोखिमों को एक स्वीकार्य स्तर तक कम करें और जोखिम प्रबंध कार्यों को अपनाएँ जिससे कंपनी को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी जब उसी समय जोखिम की कमी सुनिश्चित होती है।

(ii) जोखिम प्रबंध नीति:

(क) जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, जोखिमों को रोकने और समय पर जोखिमों का पता लगाना सुनिश्चित करने की कंपनी की क्षमता को सुधारने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) जोखिम और उसके समान की पहचान करना।

(ग) जोखिम प्रबंध प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाना है।

(घ) जोखिम की सूचना का आदान प्रदान सुगम करें।

93. जोखिम प्रबंध नीति, एक प्रभावी जोखिम प्रबंध ढाँचा और एक उचित रिपोर्टिंग प्रणाली प्रस्तुत करने का इरादा रखता है। कोचीन शिपयार्ड के प्रबंधन समय समय पर विविध जोखिमों की पहचान करेंगे और कंपनी पर उनके प्रभाव का विश्लेषण का आकलन करेंगे। जोखिम का शमन और प्रबंध उपायों को, इन जोखिमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। बोर्ड व्यापार माहौल में परिवर्तन के साथ नीति को श्रेणीबद्ध करने के लिए समय समय पर परिवर्तित करने हेतु अनुमोदन देंगे।

जोखिम प्रबंध प्रणाली और संरचना

94. बोर्ड ने सीएसएल के भीतर जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। बोर्ड आवधिक अंतराल पर समीक्षा सुनिश्चित करते हुए जोखिम प्रबंध की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। सीएसएल बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों शामिल सीएसएल प्रबंधन को जोखिम प्रबंध प्रक्रिया के कार्यान्वयन सौंपा गया है। इस संबंध में सीएसएल में नीति को कार्यान्वित करने के लिए जोखिम प्रबंध समितियों और जोखिम प्रबंध संचालन समितियों को गठित की गई।

95. सीएसएल द्वारा किए गए व्यापार की विशेष प्रकृति के कारण, यह अपने माल से संबंधित जोखिमों को दूर करता है :

96. पूरे वर्ष में संस्था द्वारा सामना की जानेवाली माल और माल जोखिमों के लिए सूचीबद्ध इकाई की पहुंच :

क. माल में सूचीबद्ध इकाई का कुल अनावृत्ति (आईएनआर में): ₹39.65 करोड़

ख. विविध मालों के सूचीबद्ध का अनावृत्ति :

माल का नाम	विशेष माल की ओर आईएनआर में अनावृत्ति	विशेष माल की ओर मात्रा के संदर्भ में अनावृत्ति	माल व्युत्पन्नों के जरिए हेड्ज किए अनावृत्ति का प्रतिशत				
			घरेलू बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		
			ओटीसी	विनिमय	ओटीसी	विनिमय	कुल
स्टील	39.65 करोड़	7997.12 टन	-	-	-	-	-

ग. इनपुट लागत में वृद्धि से संबंधित जोखिम से बचने के लिए, कंपनी पोत निर्माण अनुबंध के हस्ताक्षर के समय सांतर वितरण के साथ सभी मुख्य इनपुट के लिए आदेश प्रस्तुत करती है। अनुमानित लागत पर पहुँचने के लिए किए अनुमानों के साथ प्रस्तावों की जांच की जाती है। पोत मरम्मत के मामले में, मुख्य घटकों को सामान्य तौर पर लागत के आधार पर पोत मालिकों को आपूर्ति की जाती है क्योंकि घटक सामान्य रूप से मालिकों की पसंद होते हैं।

शेयर होल्डिंग पैटर्न

97. कंपनी प्रत्येक ₹10 के 13,15,40,390 इक्विटी शेयरों को जारी किया है, जिसका विवरण मार्च 31, 2021 को निम्नानुसार है:

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	धारक %
केंद्र सरकार	1	95843464	72.8624
क्विलरिंग सदस्य	215	279637	0.2126
अन्य निकाय कॉर्पोरेट	568	1733561	1.3179
निदेशक	2	1110	0.0008
वित्तीय संस्थापन	1	181	0.0001
हिंदु अविभाजित परिवार	5177	883349	0.6715
म्यूचुअल फंड	7	2919959	2.2198
राष्ट्रीयकृत बैंक	1	10000	0.0076
गैर राष्ट्रीयकृत बैंक	1	110	0.0001
विदेशी नागरिक	1	100	0.0001
अनिवासी भारतीय	2904	1911050	1.4528
अनिवासी (गैर प्रत्यावर्तनीय)	1167	407070	0.3095
सार्वजनिक	160349	17917066	13.621
ट्रस्ट	7	18058	0.0137
बीमा कंपनियां	7	6712118	5.1027
विदेशी पोर्टफोलियो इनवेस्टर (निगमित)	4	4700	0.0036
विदेशी पोर्टफोलियो इनवेस्टर (वैयक्तिक)	69	2860857	2.1749
वैकल्पिक निवेश कोष - III	1	38000	0.0289
कुल	170482	131540390	100.0000

संचार का साधन

98. बोर्ड द्वारा विचार और अनुमोदन के बाद तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों में विज्ञापित किया जाता है और साथ ही इसके अभिग्रहण के बाद 48 घंटे के भीतर अखिल भारत में प्रचालन प्राप्त एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिकी, और कम से कम एक मलयालम राष्ट्रीय दैनिको कोच्ची एंडिशन में प्रकाशित भी किया जाएगा। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट www.cochinshipyard.in वेबसाइट में विज्ञापित की जाती है। कंपनी की वेबसाइट सभी सरकारी विज्ञप्तियों को भी प्रदर्शित करता है।

लेखापरीक्षा योग्यताएं

99. कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक मै. एलियास जॉर्ज व कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में किसी योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

100. मेसर्स मेहता व मेहता, सचिवीय लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित पाया:

क) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम) के विनियम 17(1) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत अपेक्षित है।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के तहत कंपनी के पास अप्रैल 01, 2020 से जुलाई 14, 2020 की अवधि के लिए बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक थे। हालांकि जुलाई 14, 2020 को स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के अंत में मार्च 31, 2021 तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है।

ग) जुलाई 15, 2020 से मार्च 31, 2021 की अवधि के दौरान, सेबी एलओडीआर विनियम, कंपनी अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों और सीपीएसई के लिए निगमित शासन दिशानिर्देश जहां भी लागू हो के तहत अपेक्षितानुसार कंपनी ने आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन नहीं किया है।

घ) स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई और बीएसई ने सेबी एलओडीआर विनियमों की निगमित शासन शर्तों के गैर अनुपालन के लिए कुल 18,96,000/- रुपए (एनएसई- 9,58,000 औ बीएसई- 9,38,000) का जुर्माना लगाया था।

101. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणियों के लिए बोर्ड का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। तदनुसार, सीएसएल के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करके की जाती है। कंपनी ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पदों को भरने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचनाएं भेजी हैं और लगातार अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की रिक्तियों को भरना भारत सरकार के पास लंबित है। इसके अलावा, कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण उपरोक्त सांविधिक समितियों का पुनर्गठन नहीं कर सकी, जो आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद की जाएगी। कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों की निगमित शासन शर्तों के गैर अनुपालन के संबंध में कंपनी की स्थिति को स्पष्ट करते हुए स्टॉक एक्सचेंजों जैसे एनएसई और बीएसई को सूचनाएं अग्रोषित की थीं। बीएसई ने अप्रैल 19, 2021 को जारी किए अपनी सूचना में कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को छोड़ दिया। सेबी परिपत्र सं. सेबी/ एचओ/सीएफडी/ सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/12 जनवरी 22, 2020 के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें प्रावधान है कि स्टॉक एक्सचेंज एक दूसरे के परामर्श से समान कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा, एनएसई ने इस संबंध में सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत आगे कोई कार्रवाई नहीं की है।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

102. सीएसएल के बोर्ड सदस्यों बहुत वरिष्ठ अधिकारियों है जिन्हें शिक्षा, उद्योग, रक्षा प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशासन आदि के क्षेत्रों में बहुत व्यापक, विस्तृत तथा विभिन्न अनुभव है। सीएसएल को अपने दृष्टिकोण तथा ज्ञान से लाभ मिला है। बोर्ड के लिए उनकी प्रेरणा पर कंपनी के प्रदर्शन व्यापार मोडल, कोर्पोरेट योजना और भविष्य के दृष्टिकोण पर बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रस्तुतियाँ बनी हैं। इसके अलावा बोर्ड/ समिति और बैठकों में वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों/ पेशेवरों/ परामर्शकारों ने व्यापार से संबंधित मुद्दों या जोखिम मूल्यांकन, जोखिम नीति आदि पर सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ बनी है। निदेशकों को उनके प्रभाविता को सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने और इसे पहचानने लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में बोर्ड ने एक नीति स्वीकार भी की है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु एस नायर
कोच्ची अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
जून 11, 2021 डीआईएन: 07376798

अनुलग्नक I

निगमित शासन प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (बाद में 'सूचीबद्ध विनियम' के रूप में संदर्भित) के अनुसूची V के अनुच्छेद ग, घ और ङ और विनियम 46 के खंड (ख) से (i) तक विनियम 17 से 27 तक में निर्धारितानुसार, मार्च 31, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (बाद में "सेबी एलओडीआर विनियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

हम बताते हैं कि निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जांच, निगमित शासन की शर्तों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो एक लेखा परीक्षा है और न एक मत की अभिव्यक्ति है।

क्र.सं.	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाया गया जुर्माना	राशि	अवधि जिसके लिए जुर्माना लगाया गया
1	बीएसई लिमिटेड (बीएसई)	*बीएसई : आईएनआर 9,38,000/- (केवल नौ लाख अड़तीस हजार मात्र)#	सितंबर 30,2020 और दिसंबर 31, 2020 को समाप्त तिमाही
2	राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	*एनएसई : आईएनआर 9,58,000/- (केवल नौ लाख अठावन हजार मात्र) #	सितंबर 30,2020 और दिसंबर 31, 2020 को समाप्त तिमाही

उपरोक्त राशि में 18% की दर पर माल और सेवा कर शामिल हैं।

* कंपनी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के बाद बीएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना छोड़ दिया गया।

- 4) कंपनी ने दिनांक 15.07.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 18 के तहत आवश्यक लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया है।
- 5) कंपनी ने दिनांक 15.07.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 18 के तहत आवश्यक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।
- 6) कंपनी ने दिनांक 15.07.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 18 के तहत अपेक्षित हितधारक संबंधी समिति का गठन नहीं किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहारिता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

यह प्रमाणपत्र पूरी तरह से सूचीबद्ध नियमों के अनुपालन के प्रयोजनों के लिए जारी किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

कृते मेहता व मेहता

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अतुल मेहता

साझेदार

पीसीएस सं: 5782

सीपी सं: : 2486

स्थान: मुंबई

दिनांक: 11 जून 2021

यूडीआईएन: F005782C000450292

निगमित शासन प्रमाणपत्र

(सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों केलिए 2010 के निगमित शासन पर दिशानिर्देश का खंड 8.2.1)

सेवा में,

सदस्य

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

हमने, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) केलिए निगमित शासन पर मार्गनिर्देशों के खंड 8.2.1 के तहत निर्धारितानुसार मार्च 31, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष केलिए **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** (बाद में ‘कंपनी’ के रूप में संदर्भित) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है ।

हम बताते हैं कि निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जांच, निगमित शासन की शर्तों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने केलिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित है । यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो एक लेखा परीक्षा है और न एक मत की अभिव्यक्ति है ।

हमारी राय में, हमारी जानकारी के अनुसार और संगत अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने

क्र.सं.	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाया गया जुर्माना	राशि	अवधि जिसके लिए जुर्माना लगाया गया
1	बीएसई लिमिटेड (बीएसई)	*बीएसई : आईएनआर 9,38,000/- (केवल नौ लाख अडतीस हजार मात्र)#	सितंबर 30, 2020 और दिसंबर 31, 2020 को समाप्त तिमाही
2	राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	*एनएसई : आईएनआर 9,58,000/- (केवल नौ लाख अठावन हजार मात्र) #	सितंबर 30, 2020 और दिसंबर 31, 2020 को समाप्त तिमाही

उपरोक्त राशि में 18% की दर पर माल और सेवा कर शामिल हैं ।

*कंपनी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के बाद बीएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना छोड़ दिया गया ।

4) कंपनी ने दिनांक 15.07.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि केलिए सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 18 के तहत आवश्यक लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया है।

5) कंपनी ने दिनांक 15.07.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि केलिए सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 18 के तहत आवश्यक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।

6) कंपनी ने दिनांक 15.07.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि केलिए सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 18 के तहत अपेक्षित हितधारक संबंधी समिति का गठन नहीं किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहारिता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता केलिए एक आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

यह प्रमाणपत्र केवल सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम 2010 (सीपीएसई) केलिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के प्रयोजनों हेतु जारी किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य केलिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

कृते **मेहता व मेहता**

कंपनी सचिव

(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)

अतुल मेहता		
साझेदार		
पीसीएस सं: 5782	स्थान: मुंबई	यूडीआईएन: F005782C000450292
सीपी सं: : 2486	दिनांक: 11 जून 2021	

अनुलग्नक II

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 34 (3) और अनुसूची V पैरा ग खंड (10) (i)) सेवा में,

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

प्रशासनिक भवन,

कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरुमानूर, कोच्ची

एर्णाकुलम, केरल - 682015

हमने सीआईएन : **L63032KL1972GOI002414** वाले और प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरूमानूर, कोच्ची, एर्णाकुलम, केरल - 682015 (इसके बाद “कंपनी” के रूप में संदर्भित) में पंजीकृत कार्यालय वाले **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** के निदेशकों से प्राप्त संगत पंजी, रिकॉर्ड, फॉर्म, विवरणी और प्रकटीकरण की जांच की है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसूची V पैरा -सी उप खंड 10 (i) के साथ पढित विनियम 34 (3) के अनुसार, इस प्रमाणपत्र जारी करने क उद्देश्य केलिए कंपनी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया था ।

हमारी राय और हमारी सूचना एवं आवश्यक माने गए सत्यापनों के अनुसार (www.mca.gov.in पोर्टल में निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा हमें सूचित किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कार्पोरेट मामला मंत्रालय, या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है,

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	मधु शंकुण्णी नायर	07376798	01/01/2016
2.	निकर्तल वेलायुधन सुरेषबाबु *	07482491	26/04/2016
3.	बिजोय भास्कर	08103825	05/04/2018
4.	वलियपरंबिल जेकब जोस	08444440	01/08/2019
5.	संजय बंदोपाध्याय	00088957	03/02/2020
6.	कल्लुविला वीडु रवीन्द्रन ज्योतिलाल	01650017	24/08/2020

* श्री निकर्तल वेलायुधन सुरेषबाबु अप्रैल 30, 2021 को कंपनी की सेवाओं से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए।

बोर्ड पर प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता केलिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की उत्तरदायित्व है । हमारी उत्तरदायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहारिता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता केलिए एक आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते मेहता व मेहता		
कंपनी सचिव		
(आईसीएसआई यूनीक कोड P1996MH007500)		

अतुल मेहता		
साझेदार		

एफसीएस सं: 5782	स्थान: मुंबई	यूडीआईएन: F005782C000450292
सीपी सं: 2486	दिनांक: जून 11, 2021	

अनुलग्नक III

सीईओ/ सीएफओ प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
कोचीन- 682 015

प्रिय महोदय,

विषय: सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

- हम ने मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड के रोकड प्रवाह विवरण के साथ पढे वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और जहाँ तक हमारा पता है और विश्वास है, हम स्पष्ट करते हैं कि :
 - इन विवरणों में किसी महत्वपूर्ण असत्य विवरण शामिल नहीं है, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ दिया है अथवा पथभ्रष्ट करने वाले किसी विवरण शामिल नहीं किया है;
 - ये विवरण कंपनी के मामलों का सही एवं निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करते हैं और चालू लेखाकरण मानकों, लागू नियमों और विनियमों के अनुसार है।
- जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी, अवैध या कंपनी के आचरण संहिता के उल्लंघन है।
- हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और कायम रखने का दायित्व लेता है। हम ने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की संबंध का मूल्यांकन किया है और लेखा-परीक्षकों को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के प्रचालन अथवा डिजाइन में कमियां यदि कोई है तो उसको प्रकट किया है, जिस संबंध में हम जागरूक है तथा, यदि कोई हो।
- हम ने लेखा-परीक्षकों को संकेत किया है कि
 - वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है ;
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, वित्तीय विवरणों के लिए अपेक्षित टिप्पणियां, और
 - वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले प्रबंधन या कर्मचारी की भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के किसी भी उदाहरण के बारे में पता नहीं है ।
- हम आगे प्रमाणित करते हैं कि निगमित सामाजिक उत्तदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए संवितरित धनराशि का उपयोग कंपनी के उद्देश्यों के लिए और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और समय -समय पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तरीकों से किया गया है।

जोस वी जे
कोच्ची
जून 11, 2021
निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 08444440

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

प्रबंधन की चर्चा एवं

विश्लेषण रिपोर्ट

दूरदेशी विवरण

- कंपनी के प्रबंधन की चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और प्रचालनों का परिणाम के विवरण में कंपनी के लक्ष्य, उम्मीद या भविष्य वाणियों को चित्रित करता है, जो लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों की दृष्टि में दूरदेशी हो सकता है। दूरदेशी विवरण भविष्य की घटनाओं की कुछ धारणाओं और अपेक्षाओं पर आधारित है। कंपनी गारंटी नहीं दे सकती है कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सटीक हैं या उसे समझा जाएगा। कंपनी किसी भी आगामी विकास, सूचना या घटनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से दूरदेशी विवरण में संशोधन, आशोधन या सुधार करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। वास्तविक परिणाम विवरण में व्यक्त किए से वस्तुतः भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण कारणों में नौसेना के प्लेटफार्मों के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की रणनीति, सरकारी नियमों में परिवर्तन, कर कानून, देश के भीतर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कारक शामिल हैं। वित्तीय विवरणों को लेखांकन के संचित आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) के प्रावधानों के अनुसार पारंपरिक लागत कन्वेंशन के अधीन तैयार किया जाता है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन किया जाता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबंधन (“सीएसएल” या “कंपनी”) ने दूरदेशी और उचित आधार पर वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमान और निर्णय का उपयोग किया है ताकि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हो जाएं।
- हमारी वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणाम पर निम्नलिखित चर्चा को हमारे लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के साथ एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और इन विवरणों की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया है।

पोत निर्माण उद्योग

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग

- वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण जीडीपी और व्यापार की मात्रा में कमी का सीधा असर मांग और शिपयार्ड पर पड़ रहा है। वर्तमान कोविड-19 महामारी एक सदी से भी अधिक समय का खराब स्वास्थ्य संकट है और अगर हम वर्तमान अर्थव्यवस्था के वैश्विक स्वरूप को लें तो संभावित रूप से बिना किसी मिसाल का है। एक साथ आपूर्ति और मांग का झटका जिसके कारण वैश्विक मंदी और वैश्विक व्यापार में अभूतपूर्व संकुचन हुआ (राष्ट्रों की निर्यात क्षमता और आयात की उनकी मांग दोनों को प्रभावित करता है) है। एक अद्यतन आर्वाधिक 2020 रिपोर्ट में, विश्व व्यापार संगठन ने 2020 में विश्व व्यापारिक व्यापार की मात्रा में 9.2% की गिरावट का अनुमान लगाया है, जिसके बाद 2021 में एक धीमी वृद्धि होगी। इस प्रकार

व्यापार की मात्रा में वृद्धि स्पष्ट रूप से 2020 की शुरूआत के संकट पूर्व प्रवृत्ति से नीचे रहेगी। कोविड-19 महामारी के प्रभाव ने मौजूदा रुझानों को जटिल बना दिया, जिससे वर्ष की शुरूआत में पहले से ही चुनौतीपूर्ण नए निर्माण का माहौल जटिल हो गया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 2000 के दशक में सिकुड़े हुए वृद्धि के बाद यार्ड युक्तिकरण की लंबी अवधि थी, और हाल ही में, उद्योग के लिए वित्त की अनुपलब्धता के साथ पर्यावरण विधान के संभावित प्रभाव के प्रतिवेश की अनिश्चितताएं थीं। इन मौजूदा बाधाओं ने कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों के साथ, घटनाओं का एक तरंग पैदा कर दिया, जिसने इस वर्ष नए प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से दबा दिया।

- बड़े पुराने बेड़े के प्रतिस्थापन और नए नियामक प्रतिबंधों की वजह से संभावनाओं के कारण उत्साह और कुछ रुचि पैदा की और दीर्घकालिक आधार पर सकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि, महामारी की स्थिति और साल-दर-साल आधार पर दुनिया की वास्तविक जीडीपी स्थिर वृद्धि का समुद्री व्यापार पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार निकट भविष्य में नए पोत निर्माण आदेशों की चाव सीमित हो जाएगी।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग और सरकारी पहल

- वैश्विक मंदी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय पोत निर्माण उद्योग पर दबाव पड़ा है, जिससे इसकी वैश्विक हिस्सेदारी <1% तक गिर गई है। जबकि भारत पोत पुनर्चक्रण में बाजार के नेताओं में से एक है, पोत की मरम्मत एक बहुत ही विकासशील बाजार है। भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सबसे आगे ले जाने के उद्देश्य से, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मैरिटाइम इंडिया विशन 2030 (एमआईवी 2030) तैयार किया है, जो अगले दशक में भारत के समुद्री क्षेत्र के समन्वित और त्वरित विकास को सुनिश्चित करने हेतु एक ढांचा है।

- एमआईवी 2030 पत्तन, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग श्रेणियों में ₹3,00,000 – 3,50,000 करोड़ रुपए के समग्र निवेश की कल्पना करता है। यह विशन रोडमैप भारतीय पत्तनों के लिए संभावित वार्षिक राजस्व के 20,000 से अधिक करोड़ रुपए निकालने में मदद करने का अनुमान है। इसके अलावा, इससे भारतीय समुद्री क्षेत्र में अतिरिक्त 20,00,000 से अधिक नौकरियां (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित होने की उम्मीद है। लागू की गई कुछ सरकारी पहल इस प्रकार है

क) पोत निर्माण पर वित्तीय सहायता (2016)

ख) बुनियादी ढांचे की स्थिति का अनुदान (2016)

ग) आत्मनिर्भर भारत नीति (संशोधित 2020)

घ) टगों को किराए पर लेने/ खरीदने हेतु एसओपी (2020)

ङ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (2020)

7. विश्व 2030 भारतीय पोत निर्माण को 2025 तक विस्तार क्षेत्र की सीमा तक पहुंचने के साथ प्रतिस्पर्धी बनने हेतु और फिर 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड' स्तर तक पहुंचने के लिए उच्च मात्रा में संवेग का निर्माण करता है और दुनिया के सर्वोच्च 10 पोत निर्माण राष्ट्रों में से एक हो। प्रमुख पहलों में मांग में सुधार हेतु कार्गो को चैनल वितरण करना, सहायक उद्योगों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना, उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु समान अवसर प्रदान करने हेतु उपयुक्त सरकारी हस्तक्षेप के साथ बेहतर उत्पादकता के लिए मानकीकृत डिजाइन तैयार करना शामिल है। एमआईवी दस्तावेज समुद्री क्षेत्रों में कार्यशील पूंजी और लंबी अवधि की वित्त आवश्यकताओं तक आसान पहुंच प्रदान करने हेतु एक समुद्री विकास कोष के निर्माण का भी समर्थन करता है, जिससे भारतीय पोत मालिकों को अपनी क्षमता में सुधार करने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने हेतु शिपयार्ड तक पहुंच मिलती है।

सीएसएल द्वारा केंद्रित कुछ प्रमुख क्षेत्र

8. रक्षा पोत निर्माण : भारतीय पोत निर्माण उद्योग अभी भी रक्षा आवश्यकताओं और तटीय और अंतर्देशीय जहाजों में देशीय मांग पर कुछ हद तक निर्भर है। रक्षा उत्पादन नीति के अनुसार भारत सरकार की दृष्टि, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सहित आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के साथ-साथ अन्य पड़ोसी देशों की मांग को पूरा करते हुए 'भारत को एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों में दुनिया के सर्वोच्च पांच देशों में बनाना' था। इस खंड में, 8 एसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी जहाजों (एंटी सबमराइन वारफेयर शालो वाटर क्राफ्ट) के लिए अनुबंध प्राप्त करने में सफलता के पश्चात, सीएसएल को नई पीढी का मिसाइल पोत (एनजीएमवी) परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला घोषित किया गया है। ये दोनों परियोजना भारतीय नौसेना के लिए हैं।

अंतर्देशीय और तटीय नौवहन

9. अंतर्देशीय जल परिवहन: भारत ने कार्गो के मोडल शेयर को 0.5% से बढ़ाकर 2% कर दिया है और पिछले 5 वर्षों में कार्गो पैमाने में साल-दर- साल 19% की वृद्धि देखी है। भारत में विकास के तहत 5,000 कि.मी. से अधिक नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग हैं।

10. भविष्य के जहाज़ निर्माण को हरित प्रौद्योगिकी, स्वायत्त जहाजों और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित किया जाएगा। भारत के पास छोटे समुद्र और तटीय पोत खंड में पैमाने बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है।

टग, ड्रेजर और पोर्ट क्राफ्ट

11. इसके अलावा, मंत्रालय एक एसओपी के साथ आगे आया है जो प्रमुख पत्तनों के लिए टग की सभी सेवा आवश्यकताओं को केवल भारतीय निर्मित भारतीय फ्लैग टग के लिए आरक्षित करने के लिए निर्धारित करता है, इस प्रकार भारतीय शिपयार्ड के लिए इस खंड की सेवा हेतु एक नया व्यापार मार्ग खोलेगा। इस खंड में मांग से सीएसएल के लिए भी कुछ अवसर आने की संभावना है।

कूस और फेरी मार्केट

12. भारतीय कूज उद्योग, हालांकि अपने प्रारंभिक चरण में है, पिछले 3 वर्षों में कई सरकारी हस्तक्षेपों के कारण 35% से अधिक की दर से बढ़ रहा है। वैश्विक महासागर कूज उद्योग अत्यधिक केंद्रित (सर्वोच्च 3 खिलाड़ियों के साथ 80%+ शेयर) के साथ, भारत में वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करने हेतु आकर्षक और स्थिर नीति ढांचा महत्वपूर्ण है। अगले दशक में, भारतीय कूज बाजार में बढ़ती मांग और प्रयोज्य आय के कारण 8X तक बढ़ने की क्षमता है। हालांकि ऐसा करने हेतु, भारत को मांग को खोलने हेतु बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देना होगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए इष्टतम विकास और चरणबद्ध रणनीति आवश्यक है।

मत्स्य पालन खंड

13. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) योजना की घोषणा जून 2020 में की गई थी और इसका उद्देश्य मछली उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा और प्रबंधन, आधुनिकीकरण और मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को मजबूत करना और पूरे मछली पकड़ने के क्षेत्र में एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करना है। कुल निवेश या 20,050 करोड़ रुपए के साथ, जिसमें से लगभग 480 करोड़ रुपए पारंपरिक मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण के जहाजों के अधिग्रहण के समर्थन के रूप में अलग रखा गया है। पूर्व की नीली क्रांति योजना के तहत सीएसएल की प्रारंभिक परियोजना एक सफल उद्यम रही है और पीएमएमएसवाई के तहत धन के अधिक आबंटन के साथ, यह क्षेत्र गहरे समुद्र में स्थायी मत्स्य ग्रहण की प्रथाओं के माध्यम से प्रगति करने जा रहा है और समर्थन हेतु आवश्यक मत्स्य ग्रहण के ढांचागत सुविधाएं भी प्रदान करती है। गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण से इस क्षेत्र के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। सीएसएल सक्रिय रूप से कार्यक्रम में शामिल है और मानकीकृत कुशल गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण जहाजों के निर्माण की दिशा में नाव निर्माण यार्ड के लिए निरीक्षण और गुणवत्ता मानकों के लिए मानकीकृत डिजाइन और दिशानिर्देश विकसित करने हेतु गठित समिति का सदस्य भी है। सीएसएल विभिन्न राज्यों के मछुआरों की ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न मानक रूपों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु भी तैयार है।

पोत मरम्मत उद्योग

वैश्विक पोत मरम्मत उद्योग

14. वैश्विक पोत मरम्मत व्यापार, वर्तमान में चीन, सिंगपुर और मध्य पूर्व में शिपयार्ड का वर्चस्व है, जिसका मुख्य कारण कुशल कार्यबल और नवीनतम तकनीक की उपलब्धता है। पोत मरम्मत, रखरखाव सेवा के लिए वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के व्यापारों में विकास द्वारा समर्थित 2030 तक 40 बिलियन अमरीकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंच जाएगा। हालांकि वैश्विक पोत मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी 1% से कम है, लेकिन देश की स्थिति अनुकूल है, वैश्विक व्यापार का 7 से 9% समुद्र तट के 300 एन एम के भीतर गुजरता है। इसके

अतिरिक्त, भारत, भारतीय नौसेना और सहयोगी अमरीकी नौसेना के हिंद महासागर और अरब महासागर में 5 वें और 7 वें बेड़े की मरम्त सेवाओं की पेशकश करने हेतु अच्छी तरह से तैयार है।

15. भारतीय पोत मरम्मत व्यापार में अप्रयुक्त क्षमता को प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्ड की उपस्थिति और कुछ प्रकार के जहाजों की मरम्मत में भारतीय यार्ड की क्षमता अंतराल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लागत के नुकसान के अन्य कारणों में वित्त पोषण की उच्च लागत, भारत में जहाज के पूजों की आपूर्ति में कमी और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में जहाज का मरम्मत निष्पादन चक्र समय बढ़ाना शामिल है। उपरोक्त अंतरालों को दूर करने हेतु, एमआईवी 2030 के तहत सरकार आत्मनिर्भर नीति का लाभ उठाने वाली देशीय मांग को दिशा देने, वित्तीय साधनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और सुधारने, व्यापार करने में आसानी और मुक्त व्यापार डिपो, मैरीटाइम समूह आदि बनाकर दक्षता में सुधार जैसी पहल के साथ एक मजबूत आघात दे रहा है।

16. पोत मरम्मत उद्योग श्रम प्रधान होने के कारण, आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारत को, मजबूत कार्यबल होने का लाभ मिला है। हालांकि, भारतीय पोत मरम्मत व्यापार में अप्रयुक्त क्षमता को प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्ड की उपस्थिति और कुछ प्रकार के जहाजों की मरम्मत में भारतीय यार्ड की क्षमता के अंतर हेतु जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लागत के नुकसान के अन्य कारणों में वित्त पोषण की उच्च लागत, भारत में जहाज के पूजों की आपूर्ति में कमी और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में जहाज का मरम्मत निष्पादन चक्र समय बढ़ाना शामिल है।

17. कई अन्य उद्योगों की तरह पोत मरम्मत उद्योग प्रचलित कोविड-19 महामारी से बहुत प्रभावित हुआ है। दुनिया भर में पोत मरम्मत सुविधाओं को महामारी की शुरूआत से ही नुकसान उठाना पड़ा है।

भारत सरकार की पहल और समर्थन

18. भारत सरकार, उद्योग को समर्थन देने हेतु सख्त, मजबूत पहल/ कार्यान्वयन विधियों के साथ सामने आए हैं:

क) भारत सरकार और आरबीआई द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन उपायों से आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों में उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

ख) आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल से उद्योग को विशेष रूप से सहायक उद्योग के साथ आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

ग) भारतीय मरम्मत यार्ड के लिए आरओएफआर।

19. जैसा कि मैरिटाइम इंडिया विश्व 2030 में प्रकाशित किया गया है, सरकार आत्मनिर्भर नीति का लाभ उठाने वाली देशीय मांग को दिशा देने, वित्तीय साधनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और सुधारने, व्यापार करने में आसानी और मुक्त व्यापार डिपो, मैरीटाइम समूह आदि बनाकर दक्षता में सुधार जैसी पहल के साथ एक मजबूत आघात दे रहा है। इन पहलों से आनेवाले वर्षों में भारत में पोत मरम्मत व्यवसाय को कई गुना बढ़ने और वैश्विक पोत मरम्मत व्यापार में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

पोत मरम्मत में सीएसएल पहल

20. सीएसएल पोत मरम्मत व्यवसाय में तेजी से वृद्धि हुई है। पोत मरम्मत प्रभाग बढ़ते हुए व्यवसाय विस्तार क्षेत्र (वर्तमान में सालाना करीब 100 पोतों का मरम्मत किया जा रहा है), और शरण क्षेत्रों जैसे समुद्री मरम्मत, अपतटीय निर्माण, संपरिवर्तन आदि पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

21. सीएसएल विल्लिंगटन आइलैंड, कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) में काम पूरा करने के अंतिम चरण में है, जो छह स्वतंत्र कार्य स्टेशनों के साथ एक अत्याधुनिक शिप लिफ्ट सिस्टम की मेजबानी करेगा। यह नई ग्रीनफील्ड सुविधा, कोच्ची में दक्षिणी कमान के निकट स्थित है और शीघ्र ही चालू होने वाली है और 130मीटर लंबाई और 6000 टन विस्थापन तक जहाजों को समायोजित करने में सक्षम होगी। यार्ड अपने मुख्य परिसर के भीतर पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधि को पूरा करने हेतु एक नया ड्राई डॉक भी स्थापित कर रहा है जिसमें बड़ी क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और अपतटीय रिग की मरम्मत शामिल है। सीएसएल ने पोत मरम्मत खंड में मांग को पूरा करने हेतु मुंबई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में पोत मरम्मत यूनिटों की स्थापना करके पूरे भारतीय तट पर अपने प्रभाव को फैला दिया है।

22. विस्तार योजनाओं के हिस्से के रूप में सीएसएल ने अक्टूबर 20, 2018 को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया और जनवरी 18, 2019 को इंदिरा डॉक का प्रचालन और प्रबंधन शुरू किया गया और अब तक लगभग 49 जहाजों की मरम्मत की गई है। सीएसएल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नेताजी सुभाष डॉक पर पोत मरम्मत कार्य भी शुरू कर दिया है जिसे पट्टे के आधार पर लिया गया था। सीएसएल ने पोर्ट ब्लेयर में मराइन डॉकयार्ड सुविधा में पोत मरम्मत कार्यों को भी अपने हाथ ले लिया है जो वर्तमान में अंडमान व निकोबार प्रशासन द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन पहलों से देश में मौजूदा पोत मरम्मत सुविधाओं के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी और कंपनी के राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। सीएसएल ने क्षेत्र में व्यापार वृद्धि और तकनीकी प्रगति को बढ़ाने हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

23. भारत सरकार, एमआईवी 2030 के साथ और कूज 2030 के अनुरूप यार्ड द्वारा लाई गई विभिन्न पहलों के साथ, सीएसएल भविष्य में उद्योगी पोत मरम्मत व्यवसाय के समय के लिए तैयार है।

प्रचालन

24. हमारी कंपनी का प्रदर्शन सभी क्षेत्रों में आशाजनक बना रहा। कंपनी का कुल कारोबार ₹3,422.49 करोड़ रुपए के पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,818.90 करोड़ रुपए है। वर्ष के दौरान पोत निर्माण का आय ₹2,405.60 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले वर्ष का आय ₹2,852.27 करोड़ रुपए था। वर्ष के दौरान, सीएसएल ने अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए 500 यात्री सह 150 एमटी कार्गो पोत, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के लिए दो रो-रो फेरी, केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए मराइन एंबुलेंस

नाव और तमिलनाडु के लाभार्थियों के लिए पांच ट्यूना लॉग लाइनर कम गिलनेटर मत्स्य ग्रहण नाव की सुपुर्दगी की गई। सीएसएल ने भारतीय नौसेना के लिए दो ब्राउज और पॉट्स भी प्रदत्त किया। इसके अलावा, भारतीय नौसेना के लिए तीन पनडुब्बी रोधी युद्ध उथला जल क्राफ्ट का निर्माण, गृह मंत्रालय के लिए नौ फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट (एफबीओपी) पोत, जेएसडब्ल्यू शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए चार 8000 डीडब्ल्यूटी मिनी जनरल कार्गो शिप का निर्माण, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) के लिए पांच हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पैसेंजर फेरी का काम प्रगति पर है।

यार्ड ने परियोजनाओं पर विभिन्न प्रमुख मील के पत्थर भी पूरे किए, जिसमें कोच्ची में अपने निर्माण डॉक से एक बार में पांच जहाजों का जलावतरण करने और एक ही दिन में दो जहाजों के लिए कील भी लगाया गया। जलावतरित जहाजों में जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए दो

8000 डीडब्ल्यूटी मिनी जनरल कार्गो जहाज और गृह मंत्रालय के लिए तीन एफबीओपी जहाज और जेएसडब्ल्यू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए दो 8000 डीडब्ल्यूटी मिनी जनरल कार्गो जहाजों के लिए कील लगाया गया। इसके अलावा, सीएसएल ने केएमआरएल के लिए एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पैसेंजर फेरी (100 पैक्स) का भी जलावतरण किया गया और गृह मंत्रालय के लिए तीन एफबीओपी जहाजों के लिए कील लगाया गया। सीएसएल ने भारतीय नौसेना के लिए तीन पनडुब्बी रोधी उथला जल कार्वेट और केएमआरएल के लिए पांच हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पैसेंजर फेरी (100 पैक्स) की स्टील कट्टिंग भी किया गया। सीएसएल ने आवश्यक सावधानियों के साथ उपलब्ध संसाधनों के साथ काम करके कोविड-19 महामारी के बीच इन मील के पत्थर को हासिल किया। इसके अलावा, भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी विमान वाहक के निर्माण में अंतिम चरण भी प्रगति पर है।

वित्तीय सूचना

25. पिछले दशक से संबंधित कंपनी के वित्तीय सूचना निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ रुपए में)

वर्ष	प्रदत्त पूंजी	शेयरों की अंकित मूल्य (₹.प्रति शेयर)	उपयोगित पूंजी	निवल मूल्य	कर पूर्व लाभ	प्रदत्त लाभों पर कर	निवल लाभ	ईपीएस (₹)	लाभांश	खर्च अनुपात
20-21	131.54	10	3921.02	3977.57	810.59	200.49	610.10	46.38	203.89	0.33
19-20	131.54	10	3784.81	3731.80	863.43	225.74	637.69	48.48	218.75	0.34
18-19	131.54	10	3017.66	3332.08	751.38	270.20	481.18	35.72	171.00	0.35
17-18	135.94	10	3212.22	3255.87	604.86	208.11	396.75	31.03	163.12	0.41
16-17	113.28	10	2089.05	2028.58	493.40	171.85	321.55	28.39	101.61	0.32
15-16	113.28	10	1695.35	1814.33	419.65	145.86	273.79	24.07	86.65	0.32
14-15	113.28	10	1621.24	1561.07	367.56	132.49	235.07	20.75	16.99	0.07
13-14	113.28	10	1389.98	1352.53	290.96	96.71	194.24	17.15	16.99	0.08
12-13	113.28	10	970.84	1175.70	275.55	90.28	185.27	16.35	16.99	0.09
11-12	152.42	10	918.68	1050.83	252.97	80.63	172.33	15.21	16.99	0.10

मुख्य वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में परिवर्तन (% में)	25% या अधिक के परिवर्तन हेतु विस्तृत विवरण
1.	ऋणी कारोबार	8.79	10.06	-12.62	लागू नहीं
2.	स्टॉक कारोबार	7.56	11.47	-34.08	#
3.	ब्याज कवरेज	81.89	86.36	-5.18	लागू नहीं
4.	वर्तमान अनुपात	1.73	2.05	-15.76	लागू नहीं
5.	ऋण इक्विटी अनुपात	0.03	0.03	-6.18	लागू नहीं
6.	परिचालन लाभ सीमांत (%)	21.88	18.00	21.57	लागू नहीं
7.	शुद्ध लाभ सीमांत (%)	21.64	18.63	16.16	लागू नहीं

कोविड-19 महामारी ने वर्ष के दौरान उत्पादन के साथ - साथ राजस्व को भी प्रभावित किया है। कुल कारोबार में कमी और उत्पादन प्रक्रिया धीमी होने के परिणामस्वरूप स्टॉक के जमा होने से वर्ष के दौरान मालसूची कारोबार के अनुपात में कमी आई है।

निवल मूल्य पर वापसी

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में परिवर्तन (% में)	परिवर्तन हेतु विस्तृत विवरण
निवल मूल्य पर वापसी	15.34	17.09	-10.24	##

परिवर्तन कर के बाद लाभ में कमी और निवल मूल्य में वृद्धि के कारण है। मई 05, 2020 तक कारखाने के बंद रहने से वर्ष के दौरान राजस्व आर लाभ प्रभावित हुआ है।

प्रस्तावित / घोषित लाभांश

26. निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएम) द्वारा जारी मई 27, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ सं. 5/2/2016-पॉलिसी के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई को कर के बाद लाभ के 30% या निवल मूल्य के 5% के न्यूनतम वार्षिक लाभांश, जो भी उच्च हो, भुगतान करना है। तदनुसार, आपके निदेशकों को प्रत्येक 10 रुपए के 13,15,40,390 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर 2.50/- रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश के लिए सिफारिश करने में खुशी है। इससे पहले, वर्ष 2020-21 के दौरान शेयरधारकों को 9 रुपए और 4 रुपए के अंतरिम लाभांश कुल 13/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर का भुगतान किया गया है। इस तरह, वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश 15.50/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर (155%) है जो 203.89/- करोड़ रुपए की राशि है।

खंडवार अथवा उत्पादवार निष्पादन

27. कंपनी दो मुख्य गतिविधियों यानी पोत निर्माण और पोतों/ अपतट रिग्गों आदि की मरम्मत में लगी हुई है। उपर्युक्त के आधार पर खंडवार विश्लेषण किया गया है और उचित आधार पर राशि का आबंटन किया गया है। खंडवार निष्पादन निम्नानुसार है:-

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
संगमोंट परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	3,19,484.51	2,92,812.55
पोत मरम्मत	2,59,606.41	2,43,285.53
अन्य	1,60,863.06	1,04,364.17
कुल	7,39,953.98	6,40,462.25
संगमोंट देयता		
पोत निर्माण	1,04,576.01	67,144.21
पोत मरम्मत	11,264.54	12,715.35
अन्य	2,26,356.75	1,87,423.19
कुल	3,42,197.30	2,67,282.75

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
सिंगमंट राजस्व		
पोत निर्माण	2,40,559.27	2,85,226.50
पोत मरम्मत	41,330.43	57,022.89
अनावटित	19,386.07	24,750.03
कुल	3,01,275.77	3,66,999.42
सिंगमंट परिणाम		
पोत निर्माण	76,229.86	66,459.10
पोत मरम्मत	9,419.89	14,741.55
अनावटित	(4,591.11)	5,141.93
कुल	81,058.64	86,342.58

28. कंपनी के दो प्रमुख व्यवसाय खंड हैं- पोत निर्माण और पोत मरम्मत। पोत निर्माण के तहत राजस्व में ग्राहक (पिछले वर्ष एक ग्राहक) से ₹2,03,736.66 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,37,746.87 लाख) जो कुल राजस्व का 10% से अधिक शामिल है और पोत मरम्मत के लिए कुल राजस्व में ₹29,714.58 लाख (पिछले वर्ष ₹ 49, 582.22 लाख) तीन ग्राहक (पिछले वर्ष तीन ग्राहक) से कुल राजस्व का 10% से अधिक राजस्व शामिल है।

शक्तियां, अपर्याप्तता, मौकाएं और धमकियां

शक्तियां:

- क. संगठन अधिक्रम के सभी स्तरों में औसत 15 साल के अनुभव सहित अधि प्रशिक्षित, उत्प्रेरित और सुविज्ञ श्रमिक से अत्यधिक अत्यंत उच्च गुणवत्ता के कर्म कौशल प्राप्त होता है।
- ख. एक सुनियोजित और अभिन्यासित शिपयार्ड सुचारु कार्य प्रगति को सक्षम बनाता है।
- ग. उच्च प्रशिक्षित, अनुभवी और सक्षम नौ वास्तुविद्/ इंजीनियरों, ड्राफ्ट्समैन आदि से चलाने वाला एक अत्याधुनिक डिजाइन केंद्र।
- घ. अत्यधिक विकसित पोत निर्माण प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों पोतों के मॉड्यूलर निर्माण के लिए मंजूरी दे देता है।
- ङ. रक्षा पोतों, वाणिज्यिक पोतों और अपतटीय समर्थन पोतों शामिल एक बहुत अच्छा उत्पाद मिश्रण अनुकूलता।
- च. उत्कृष्ट उप ठेकेदारों और अच्छी पूर्ति श्रृंखला जाल की उपलब्धता।
- छ. अत्याधुनिक प्रौद्योगिक सुविधाएं, विशेष रूप से क्रेनेज, वाहक आवृत मोबाइल शॉप, आवृत मराइन कोटिंग सुविधा, श्रेष्ठ वेल्डिंग उपस्कर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हल फैब्रिकेशन सुविधाएं, बहुत अधिक सामग्री भंडारण सुविधाएं, आदि के संबंध में।

अपर्याप्तता:

- क. असल में गैर अस्तित्ववान देशी आनुषंगिक उद्योग और इस कारण से भारत में मुख्य उपस्करों/कच्ची सामग्रियों की अनुपलब्धता।

ख. क्रमशः 1,10,000 डीडब्ल्यूटी और 1,25,000 डीडब्ल्यूटी के परे पोतों के निर्माण और मरम्मत के लिए बड़े आकार की गोदी की अनुपलब्धता के कारण बुनियादी संरचना की कमी यह प्रस्तावित नई सूखी गोदी से काबू पाएगा।

ग. पोत मालिकों के लिए दीर्घकालीन प्रस्तावित वित्त की व्यवस्था करना मुश्किल है, जो अन्य विदेशी पोत निर्माण देशों द्वारा किया जाता है।

घ. विशेष रूप से ठेका श्रम के लिए तुलनात्मक रूप से उच्च सामाजिक और कर्मचारी उपरिव्यय और कुछ प्रतिबंधात्मक श्रम प्रथाएं।

मौकाएं:

- क. भारत सरकार की नई नीति “मेक इन इंडिया” को प्रोत्साहित करने के कारण देशी वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए श्रोतों की आवश्यकता में प्रस्तावित वृद्धि।
- ख. दूसरे वायुयान वाहक के लिए भारतीय नौसेना की आवश्यकता हेतु रक्षा क्षेत्र में प्रस्तावित मांग।
- ग. भारतीय नौसेना, तटरक्षक और अन्य समुद्री सुरक्षा अधिकरणों ने महत्वाकांक्षी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो नए अवसर खोलेगा।
- घ. दोनों गहरे समुद्र और तटीय/ एलएनजी ईंधनवाले यान।
- ङ. भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन में उभरते अवसर।
- च. घरेलू और विदेशी बाजार के लिए फिशिंग वेसल।
- छ. तटीय सुरक्षा के लिए एफआरपी बोटों के लिए अवसरों की प्राप्ति।
- ज. बड़ी मांग - वाणिज्यिक और रक्षा पोतों की मरम्मत के लिए आपूर्ति अंतर और वास्तव में, भारत में कोई प्रतियोगिता नहीं है।

धमकियां:

- क) कोविड-19 महामारी जैसे संक्रामक रोगों का प्रसार
- ख) प्राकृतिक आपदाएं
- ग) प्रतियोगियों की संकट मूल्य निर्धारण नीतियां।

घ) भारतीय यादों द्वारा कम निष्पादन के कारण भारतीय पोत निर्माण उद्योग पर प्रतिकूल ख्याति प्रभाव।

ङ) श्रम की बढ़ती लागत।

च) गैर लचीला सरकारी विनियम या प्रापण नीतियों से समय पर उत्पाद सुपुर्दगी और लागत में देरी आती है।

कूज़ - 2030

29. सीएसएल ने मार्च 2019 में एक साहसिक परिवर्तन कार्यक्रम, कूज़- 2030 शुरू किया है, ताकि वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी संचालन के साथ- साथ विकास को लाभप्रद रूप से प्राप्त करने हेतु आकस्मिक विकास प्राप्त किया जा सके। हमने वित्त वर्ष 2020-21 में मेसर्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ अपनी साझेदारी के ज़रिए कूज़- 2030 को मजबूती से चलाना जारी रखा। पिछले वर्ष के दौरान, कूज़ 2030 ने गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण जहाजों और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली जैसे नए व्यवसायों के निर्माण, शिपयार्ड 4.0 और परियोजना प्रबंधन पहल के माध्यम से संचालन परिपक्वता को मजबूत करने पर जोर दिया। कूज़ 2030 कार्यक्रम ने ज़ेंजिंग और अंतर्देशीय बाज में सीएसएल की सफलता और मत्स्य ग्रहण जहाजों और अन्य व्यवसायों में संरचित लागत में कमी की पहल पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। कंपनी स्वायत्त, संकर/ विद्युत जहाज और वैकल्पिक ईंधन जैसे नए उभरते पोत खंडों में व्यावसायिक क्षमता का बोहन करने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण की दिशा में भी काम कर रही है। सीएसएल ने मूल्य श्रृंखला, यानी योजना, डिजाइन, खरीद और संचालन में डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने हेतु एक समर्पित उत्कृष्टता के केंद्र टीम का गठन किया है। कूज़- 2030 कार्यनीति योजना के अनुसार शॉप फ्लोर ऑटोमेशन और क्षमता विस्तार के ज़रिए प्रचालन परिवर्तन कार्यक्रम चल रहा है।

जोखिम और चिंताएं

- 30. कोविड-19 जैसी महामारी और इसके परिणामस्वरूप होने वाले लॉकडाउन से भी कंपनी के प्रचालन पर विभिन्न जोखिम हैं। प्रतिबंधित कार्य व्यवस्था, यात्रा बाधाओं, आउटसोर्स श्रमशक्ति में कमी (जो कुछ हद तक प्रवासी श्रम उपलब्धता कम होने के कारण), सेवा इंजीनियरों और ओईएम प्रतिनिधियों की अनुपलब्धता सहित विभिन्न कारकों, विशेष रूप से विदेशी उपकरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण उत्पादन का पैमाना कम हो जाएगा। ऊपर बताए गए कारकों के कारण और सामग्री की उपलब्धता और लॉजिस्टिक में मुद्दों के कारण, मूल (देशी और अंतर्राष्ट्रीय) राज्यों के लॉकडाउन राज्यों से संबंधित मुद्दों और ग्राहकों से नकदी प्रवाह से संबंधित मुद्दों के कारण भी परियोजनाएं विलंबित गति से चल सकती हैं।
- 31. इसके अलावा ग्राहकों द्वारा भविष्य की परियोजनाओं को रोकने की संभावनाएं हैं, चल रही पूछताछ को रद्द करना और संभावित परियोजनाओं को तरलता के मुद्दों का हवाला देते हुए रोकना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त सडक, शिपिंग चैनलों और हवाई मार्गों (श्रमिकों की कमी, पत्तों पर परिचालन बाधाओं के कारण, एयरलाइंस की कटौती के कारण) के ज़रिए बिगडा हुआ माल दुलाई आयात की लागत के साथ साथ निर्यात पर कंपनी पर दबाव डालेगा। संघीय प्रभाव का आकलन तभी संभव होगा जब पुनरूद्धार का उचित स्तर हो।

32. कंपनी के लिए जोखिम पोत निर्माण उद्योग की अंतर्निहित प्रकृति से उत्पन्न होता है। कंपनी का लगभग 20 से 30% राजस्व वाणिज्यिक पोत निर्माण से है जो प्रकृति में अत्यधिक चक्रीय है। वाणिज्यिक पोत निर्माण उद्योग की संभावनाएं विश्व व्यापार और तेल, प्राकृतिक गैस, शिपिंग, परिवहन और अन्य व्यापार से संबंधित उद्योगों की चक्रीयता पर निर्भर है। अपतटीय उद्योग संकट में बना हुआ है। वित्त वर्ष, 2021 की अंतिम तिमाही में उत्पन्न महामारी की स्थिति और उसीके जारी रहने से दुनिया भर में चिंताएं पैदा हो गई हैं और पोत निर्माण और मरम्मत उद्योगों में भी महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बदलावों के संभावित संकेत के लिए स्थिति पर ध्यान केंद्रित है।

33. कंपनी की गतिविधियों के प्रमुख हिस्से में बड़ी इस्पात संरचनाओं का निर्माण और नवीनीकरण शामिल हैं और इसके निर्माण में क्रेन और अन्य भारी मशीनरी और अन्य ऑपरेटिंग खतरों का संचालन होगा। कंपनी के सामने आनेवाले परिचालनगत जोखिमों के कारण आग और विस्फोट आदि भी हो सकते हैं। हालांकि इस तरह की घटनाओं के कारण होनेवाले नुकसान को एक मानक आग और विशेष खतरों नीति के तहत शामिल किया जाता है, लेकिन सीएसएल के पास व्यापार रुकावट के लिए बीमा नहीं है। ये जोखिम कंपनी को व्यक्तिगत चोट, गलत तरीके से मौत, उत्पाद, दायित्व, संपत्ति की क्षति, प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय नुकसानों के लिए पर्याप्त देयता को उजागर करवा सकते हैं।

34. कंपनी के लिए एक और उच्च जोखिम वाला क्षेत्र प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता और कीमत है। प्रमुख कच्चे माल में स्टील (ग्रेड और गुणवत्ता, प्रत्येक परियोजना में, लागू वर्गीकरण नियमों पर निर्भर करता है) और अन्य सामग्री, उपकरण और अन्य घटक जैसे पंप, प्रोपलर और इंजन शामिल हैं। वित्तीय वर्ष क्रमशः 2019, 2020 और 2021 में कंपनी की समाग्री की खपत की लागत कुल लागत का क्रमश 61.61% 63.99% और 55.39% थी। विशेष रूप से खरीदे गए घटकों को इन हाल ही के वित्तीय वर्षों में हमारे कुल कच्चे माल की लागत का लगभग 94.88% हिस्सा है।

35. कच्चे माल की आपूर्ति में कमी के कारण इन कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, भारत में स्टील के संबंध में आपूर्ति-पक्ष की बाधाएं हैं जिन्हें हम भविष्य में जारी रखने की उम्मीद करते हैं। भारतीय स्टील उद्योग विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहा है इसलिए कि भारत सरकार ने देशी स्टील उद्योग की रक्षा के लिए चीन जैसे अन्य राज्यों से स्टील के आयात पर महत्वपूर्ण शुल्क लगाया है। इससे प्रापण की लागत में वृद्धि करके सीएसएल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कच्चे सामग्रियों जैसे कि स्टील, अलुमीनियम, कॉपर आदि के लागत, वैश्विक आपूर्ति और मांग में किसी भी बदलाव के साथ-साथ उतार-चढ़ाव आ सकती है और इस प्रकार सामग्री की लागत को प्रभावित कर रहा है।

36. यदि कंपनी की कच्ची सामग्रियों की कीमत में वृद्धि हुई है, तो, कंपनी अपने मौजूदा ठेके में अपने ग्राहकों को इन मूल्यों में वृद्धि नहीं कर पाएगी और अपने व्यापार, वित्तीय स्थिति और प्रचालनों का परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

37. मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन हमारे परिचालन के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक रूप से, दुनिया भर में सभी पोत विक्री लेनदेन और अपतटीय संरचनाओं की खरीद का एक बड़ा हिस्सा आम तौर पर यूएसडी में आयोजित

किया जाता है। इस जोखिम को कम करने हेतु कंपनी निर्यात प्राप्ति पर शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का बचाव करती है। हालांकि, पोत निर्माण/ पोत मरम्मत अनुबंध के संदर्भ में आयात घटकों के मामले में रुपए में मूल्यवर्ग में गिरावट दर्ज की गई है, सीएसएल विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के जोखिम से अवगत कराया जाता है जब तक कि पोत के मालिक के साथ अनुबंध विनिमय भिन्नता प्रतिपूर्ति खंड के लिए प्रदान नहीं करता है। वर्तमान में पोत निर्माण के कुछ अनुबंधों में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसलिए, मुद्रा दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव हमारे संचालन के परिणामों को प्रभावित और प्रवृत्त करेगा।

उत्पाद विविधता

38. भारत सरकार के साथ नौली क्रांति और तटीय भारत के साथ- साथ मत्स्य ग्रहण के समुदाय के उत्थान के लिए हालिया आवेग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, सीएसएल भारत में मत्स्य ग्रहण के पोत खंड की गुणवत्ता के साथ-साथ मांग में वृद्धि को देखता है। 16 से 11 मत्स्य ग्रहण नौकाओं के निर्माण के साथ और उद्योग द्वारा अनुमानित कई हजारों की मात्रा में संस्करणों के साथ, सीएसएल को लगता है कि यह अंततः अपने आप से एक अलग शीर्ष हो सकता है, अगर सब कुछ सरकार द्वारा नियोजित हो जाता है। इस खंड में गति लाने हेतु, कंपनी ने सितंबर 15, 2020 को वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से टेवमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) का अधिग्रहण किया है। सीएसएल ने टीएसएल में मत्स्य ग्रहण जहाजों (विशेष रूप से तकनीकी रूप से उन्नत गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण जहाजों) टग और 80 मीटर लंबाई तक के विशेष शिल्प के निर्माण हेतु सुविधाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव किया है, जो आनेवाले वर्षों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बड़ी संभावनाएं पेश करता है। टीएसएल वर्तमान में अपना संचालन शुरू करने हेतु बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने की प्रक्रिया में है।

39. अंतर्देशीय परिवहन खंड पर अच्छा अवसर है। इस संबंध में कंपनी पहले से ही अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए 10 पोतों का निर्माण किया जा सके और इस खंड से अधिक परियोजनाओं की उम्मीद है। एचसीएसएल का परिचालन इस खंड में ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए कंपनी को बेहतर स्थिति में लाएगा, जो प्रारंभिक चरण में मुख्य रूप से एनडब्ल्यू 1 और एनडब्ल्यू 2 में बढ़ने जा रहा है। इसी तरह, शहरी जल परिवहन खंड नई परियोजना पहल देख रहा है और कंपनी ने सफलतापूर्वक 23 निर्मित बैटरीचालित नौकाओं का अनुबंध जीता है जो कंपनी को इस तरह की भावी पीढ़ी के पोतों का निर्माण के लिए एक विशिष्ट समूह में रखेगी और इस प्रकार बाजार को आगे बढ़ाएगी। कंपनी मेथनॉल ईंधन पर चलने के लिए जहाजों के रूपांतरण की संभावना की जांच कर रही है, जिसके लिए प्रस्तुत एक प्रस्ताव मंत्रालय/ आईडब्ल्यूआई के विचार में है।

आंतरिक नियंत्रण

40. कंपनी को एक आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा मैनुअल प्रख्यापित किया है और एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य सनदी लेखाकारों के एक स्वतंत्र कंपनी द्वारा किया जाता है और वे स्वतंत्र निदेशक के अध्यक्षता में बोर्ड स्तर के लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षा

कार्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाओं की गहराई से समीक्षा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने मेसर्स कृष्णमूर्ति और कृष्णमूर्ति, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 001488S) को पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा और स्थापित करने और सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उचित और पर्याप्त प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया था। इस तरह के नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और डिजाइन या संचालन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा आंतरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा की गई और वित्तीय नियंत्रणों में कोई प्रत्यक्ष कमी नहीं बताई गई।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

41. मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध से संबंधित विवरण को अधिक विशेष रूप से निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

स्त्री सशक्तिकरण

42. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कार्य स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 नामक नए कानून द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और मानकों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक है। श्रमिकों के लिए लागू प्रमाणित स्थायी आदेश में यौन उत्पीड़न एक दुराचार अधिनियम के रूप में शामिल है। आंतरिक शिकायत समिति को प्रमाणित स्थायी आदेश और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियमों और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी शिकायतों की जांच करने का अधिकार है।

43. कंपनी ने संयुक्त परिषद, शॉप परिषद, केन्द्रीय सुरक्षा परिषद, शॉप सुरक्षा परिषद, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, कर्मचारी कोचीन शिपयार्ड रीक्रियेशन क्लब, कर्मचारी कोचीन शिपयार्ड ग्राहक समिति आदि जैसे कर्मचारी और प्रबंधन के संयुक्त फॉर्म के भाग के रूप में महिला कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की है।

प्रौद्योगिकी संरक्षण

44. वैश्विक पोत निर्माण बाजार में प्रतियोगितात्मक बने रहने के लिए प्रौद्योगिकी के अवसंरक्षण और उन्नयन हेतु सीएसएल निरंतर प्रयास करता है। इसके लिए, यार्ड ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- लदान स्थितियों के स्वतः उत्पादन के लिए एनएपीए सॉफ्टवेयर कोड का विकास और अक्षुण्ण और क्षति स्थिरता मानदंड इन लदान स्थितियों की जांच करते हैं।
- टग डिजाइन में विशेषज्ञता वाली एक प्रमुख कनाडियन डिजाइन फर्म रॉबर्ट एलन लिमिटेड के सहयोग से टग के बुनियादी डिजाइन (आईपीए के लिए टग्स के लिए पांच मानक डिजाइन) का विकास।

- भारत सरकार के लिए मत्स्य ग्रहण जहाजों के लिए तीन मानक डिजाइनों का विकास।
- व्यवहार्यता अध्ययन परियोजना के रूप में 12 मीटर स्वायत्त सतह पोत की विकसित अवधारणा डिजाइन।
- हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल यात्री नौका की विकसित अवधारणा डिजाइन।
- 3 डी एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म के हिस्से के रूप में खरीदे गए सिमुलिया, परिमित तत्व विश्लेषण उपकरण का उपयोग करते हुए उठाई गई स्थितियों के दौरान केएमआरएल कटरमैन फेरी का संरचनात्मक विश्लेषण किया।
- बैटरी चालित रो-रो पोत की विकसित अवधारणा डिजाइन।
- अयोध्या में संचालन हेतु 80 पैक्स रिवर क्रूज़ जहाज़ के लिए विकसित अवधारणा डिजाइन।
- एनडब्ल्यू 1, एनडब्ल्यू 2 और इंडो बंगलादेश प्रोटोकॉल मार्ग में संचालन के लिए 3000 टन अंतर्देशीय काग़ों वाहक के लिए विकसित अवधारणा डिजाइन।
- भारतीय नौसेना के लिए कैडेट प्रशिक्षण पोत (सीटीएस) की अवधारणा डिजाइन का विकास।
- मॉड्यूलर अवधारणा का उपयोग करते हुए सबमर्सिबल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए विकसित अवधारणा डिजाइन।
- 5500 टन बल्क कैरियर की अवधारणा डिजाइन का विकास।
- अस्पताल पोत की अवधारणा डिजाइन का विकास।
- विंड असिस्टेड बल्क कैरियर की अवधारणा डिजाइन का विकास।
- लैंडिंग क्राफ्ट की अवधारणा डिजाइन का विकास।
- ऑफशोर पेंट बार्ज की अवधारणा का विकास।

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और धारणीयता

45. अधिक जानकारी के लिए, निदेशकों की रिपोर्ट में अनुलग्नक III में प्रस्तुत सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

सार्वजनिक प्रापण नीति 2012 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

- कंपनी एमएसएमई से खरीद/ लाभकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। कंपनी ने कोविड-19 महामारी के प्रभावों और प्रतिबंधों के बावजूद, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल स्वदेशी खरीद में से मार्च 31, 2021 तक एमएसएमई से माल और सेवाओं की 25% खरीद के आवश्यक लक्ष्य के मुकाबले 43.95% का लक्ष्य हासिल किया है। सीएसएल की पहल के कारण अ.जा./अ.ज.जा. और महिला एमएसएमई उद्यमी भी लाभान्वित हो रहे हैं।
- भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रख्यापित सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के अनुसार एमएसएमई के जरिए खरीद/ सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने अक्टूबर 2020 के दौरान एमएसएमई- डीआई, त्रिशूर, केरल द्वारा आयोजित एक वास्तविक विक्रेता बैठक में भाग लिया।
- अन्य पहलुओं में एमएसएमई विक्रेताओं के लिए सीएसएल वेबसाइट उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने और “एमएसएमई संबंध” पोर्टल में प्रापण डेटा और अन्य विवरणों को नियमित रूप से अपलोड करना, यह सुनिश्चित करना कि “एमएसएमई समाधान” पोर्टल में विरलित भुगतान निगरानी प्रणाली पर कोई विक्रेता शिकायत लंबित नहीं, जिसका अर्थ है कि एमएसएमई विक्रेताओं को भुगतान ट्रेड्स प्लेटफॉर्म आदि में लगभग 180 विक्रेताओं के सवाल पर बिना किसी देरी के किया जाता है।

सचेतक विवरण

49. इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के लक्ष्य, प्रत्याशा, अभिधारणा अथवा भविष्यवाणी का वर्णन करते हुए विवरण लागू कानून विनियमों के आशय के अंदर अग्रवर्ती विवरण हो जाएं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या विवक्षित उन परिणामों से प्रस्तुत भिन्न हो सकता है- मांग/ पूर्ति, देशी और अंतर्देशीय बाजार में मूल्य स्थितियों, सरकारी नीतियों और विनियम, संविधियों पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक स्थितियां एवं अन्य आनुषंगिक घटकों शामिल हैं।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु एस नायर

कोच्ची

जून 11, 2021

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन 07376798

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

रिपोर्ट के बारे में

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (2) (एफ) के अनुसार, बीएसई और एनएसई में बाज़ार पूंजीकरण आधार पर उच्च एक हजार सूचीबद्ध इकाइयों की वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन परिप्रेक्ष्य में उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) शामिल होगा, जिसमें सीएसएल शामिल है ।

रिपोर्टिंग ढांचा, जुलाई 2011 में कॉरपरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'व्यापार के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक उत्तरदायित्व पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गनिर्देश' पर आधारित है जिसमें प्रत्येक 9 सिद्धांत केलिए 9 सिद्धांत और मूल तत्व शामिल हैं । निम्नलिखित सेबी द्वारा सुझाए गए प्रारूप पर आधारित हमारी कंपनी की व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट है ।

भाग क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1. कंपनी की निगमित पहचान संख्या	L63032KL1972GOI002414
2. कंपनी का नाम	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
3. पंजीकृत पता	प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल - 682015
4. वेबसाइट	www.cochinshipyard.in
5. ई-मेल आईडी	secretary@cochinshipyard.in
6. रिपोर्ट किए वित्तीय वर्ष	2020-21
7. कंपनी लगे हुए क्षेत्र (औद्योगिक गतिविधि - कोड वार)	पोत निर्माण और पोत मरम्मत (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार औद्योगिक ग्रुप 301 और 331 है।)
8. कंपनी द्वारा निर्मित/प्रदान करनेवाले मुख्य तीन उत्पाद/सेवा की सूची दें	कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत के व्यापार में लगे हुए हैं । उत्पाद प्रक्रिया और प्रयुक्त बुनियादी सुविधाओं की प्रकृति विचार करने के अन्य बातों के साथ -साथ, कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।
9. स्थानों जहां कंपनी द्वारा व्यापार गतिविधि की जाती है, की कुल संख्या	
क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की सं. (मुख्य 5 स्थानों का विवरण प्रदान करें ।)	शून्य
ख) राष्ट्रीय स्थानों की सं.	पांच
10. कंपनी द्वारा संचालित बाज़ार - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

भाग ख : कंपनी के वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी	₹131.54 करोड
2. कुल कारोबार	₹2,818.90 करोड
3. कुल लाभ और कर	₹610.10 करोड
4. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कर के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल खर्च (%)	₹15.26 करोड 2.50%
5. उपर्युक्त 4 में हुए खर्च से संबंधित गतिविधियों की सूची:-	सीएसएल के सीएसआर गतिविधियां निम्नलिखित क्षेत्रों में केन्द्रित हैं: <ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य देखभाल और पोषण

भाग ग : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी को कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?	जी हां, सीएसएल को दो सहायक कंपनी है जैसे कि हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) और टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल)।
2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी के व्यापार उत्तरदायित्व संबंधी पहलों में भाग लेता है? यदि हां, तो, ऐसे सहायक कंपनी/यों की संख्या सूचित करें।	जी नहीं । एचसीएसएल को केवल अक्टूबर 2017 में शामिल किया गया था और अभी तक प्रचालन शुरू नहीं हुआ है। टीएसएल को सितंबर 2020 में वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था । वित्तीय कठिनाइयों और परिणामी वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के कारण, टीएसएल की सुविधाएं पिछले कई वर्षों से गैर-परिचालन थीं । सितंबर 2020 में सीएसएल द्वारा अधिग्रहण के बाद, टीएसएल ने प्रचालन शुरू करने केलिए अपनी बुनियादी सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है ।
3. क्या कंपनी के साथ व्यापार करनेवाले कोई अन्य इकाई / इकाइयां (उदा: आपूर्तिकार, वितरक इत्यादि) कंपनी के बीआर पहलुओं में भाग लेता है ? यदि हां, तो, ऐसे इकाई/इकाइयों की प्रतिशतता सूचित करें । (30% से कम, 30-60%, 60% से ज्यादा)	कंपनी ने गुणवत्ता, समय पर सुपुर्दगी और अनुकूलतम लागत सुनिश्चित करने केलिए आउटसोर्सिंग एवं प्रापण गतिविधियों केलिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को अपनाया है । सच्चा ईमानदारी के विक्रेता के एक पैनल केलिए सावधानी रखी जाती है । कंपनी ने प्रापण के अधिक पारदर्शी रीति केलिए ई-भुगतान, अखंडता समझौता आदि शुरू किया है । सुरक्षा, पर्यावरण आदि के अनुरूप क्रयादेश के मानक नियम एवं शर्तें विक्रेता द्वारा स्वीकृत किया है। अतः मुख्य (60% से अधिक) व्यापार उत्तरदायित्व के मुख्य सिद्धांतों के अनुरूप है ।

भाग घ : व्यापार उत्तरदायित्व सूचना

1. व्यापार उत्तरदायित्व केलिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

क) व्यापार उत्तरदायित्व पॉलिसी/पॉलिसियों के कार्यान्वयन केलिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण ।

1. डीआईएन संख्या
2. नाम
3. पदनाम

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता से संबंधित बीआर कार्य को निदेशक मंडल के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास समिति (सीएसआर एवं एसडी) द्वारा निगरानी की जाती है । वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर एवं एसडी समिति की संरचना का विवरण निगमित शासन रिपोर्ट में प्रदान किया है ।

मार्च 31, 2021 तक भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण सीएसएल की सीएसआर और एसडी समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था । तदनुसार, श्री मधु एस नायर की अध्यक्षता में बोर्ड द्वारा सीएसआर और धारणीयता विकास से संबंधित व्यापार उत्तरदायित्व संबंधी कार्य की सीधे निगरानी की जा रही थी ।

अध्यक्ष के विवरण निम्नानुसार हैं :

डीआईएन : 07376798

नाम : श्री मधु एस नायर

पदनाम : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ई-मेल आईडी: cmd@cochinshipyard.in

बोर्ड ने विशेष रूप से बीआर प्रमुख के रूप में कार्य करने केलिए किसी निदेशक को उत्तरदायित्व नहीं सौंपा है ।

2. सिद्धांत वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर पॉलिसी/पॉलिसियां : (जी हां/जी नहीं में जवाब दें।)

राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्ग निर्देशों में उल्लिखित 9 सिद्धांत निम्नानुसार हैं :

पी 1	व्यापार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ आयोजित और नियंत्रित करना चाहिए ।
पी 2	व्यापार को ऐसे माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित है और अपने जीवन चक्र में संवहनीयता दें ।
पी 3	व्यापार सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए ।
पी 4	व्यापार को सभी हितधारकों विशेष रूप से जो वंचित, कमजोर और अधिकारहीन वाले हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उत्तरदायी होना चाहिए ।
पी 5	व्यापार मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए ।
पी 6	व्यापार, पर्यावरण को पुनःस्थापित करने केलिए सम्मान, रक्षा और प्रयास करना चाहिए ।
पी 7	व्यापार जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे होते हैं, तो, इसे एक जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए ।
पी 8	व्यापार को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए ।
पी 9	व्यापार को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से लगे रहना है और मूल्य प्रदान करना चाहिए ।

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	
1 केलिए आपको पॉलिसी/पॉलिसियां हैं ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
2	क्या संबद्ध हितधारकों के साथ परामर्श से पॉलिसी बनाया जा रहा है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां	
3	क्या पॉलिसी किसी भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? यदि हां, तो, निर्दिष्ट करें । (50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
4	क्या पॉलिसी को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है ? यदि हां, तो, क्या इसमें प्रबंध निदेशक/मालिक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ उचित बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया गया है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां	
5	क्या कंपनी को पॉलिसी के कार्यान्वयन की निगरानी करने केलिए बोर्ड / निदेशक /पदाधिकारी के एक निर्दिष्ट समिति है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां	
6	पॉलिसी ऑनलाइन देखने का लिंक सूचित करें ?	पॉलिसियां कंपनी के वेबसाइट में उपलब्ध है । (https://cochinshipyard.com/Investors)									
7	क्या पॉलिसी को औपचारिक रूप से सभी संबद्ध आंतरिक और बाह्य हितधारकों को सूचित किया गया है ?	जी हां । पॉलिसियों को कंपनी के उपर्युक्त सूचित वेबसाइट में अपलोड करते हुए हितधारकों को सूचित किया गया है । गुणवत्ता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पॉलिसी कंपनी के इंटरनेट और सीएसएल के वेबसाइट में अपलोड किया जाता है । वही कंपनी के सभी मुख्य स्थानों में प्रदर्शित भी किया जाता है ।									
8	क्या कंपनी को पॉलिसी/पॉलिसियों को कार्यान्वित करने केलिए इन-हाउस संरचना है ?	जी हां।									
9	क्या कंपनी को पॉलिसी / पॉलिसियों के संबंध में हितधारकों की शिकायत संबोधित करने केलिए पॉलिसी/पॉलिसियों से संबंधित एक शिकायत निवारण तंत्र है ?	बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अधीन अपेक्षितानुसार कंपनी में प्रतिभूति संभालनेवाले हितधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य व्यक्तियों की शिकायत संबोधित करने केलिए एक समिति स्थापित की है । वर्तमान में, उक्त समिति भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण कार्य नहीं कर रही है । स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर समिति का पुनर्गठन किया जाएगा । इसके अलावा, कंपनी ने किसी निदेशकों और कर्मचारियों के वास्तविक मामले को संबोधित करने केलिए एक जागरण तंत्र भी स्थापित किया है ।									
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाह्य अभिकरण द्वारा इस पॉलिसी के कार्य केलिए स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन किया है ?	कंपनी नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार के फर्म द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, सी एवं एजी लेखापरीक्षा, लागत लेखापरीक्षा, सचिवीय लेखापरीक्षा, ऊर्जा लेखापरीक्षा, सुरक्षा लेखापरीक्षा, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लेखापरीक्षा आदि जैसे विविध लेखापरीक्षा के अधीन हैं । ये लेखापरीक्षा विविध आंतरिक और बाह्य पॉलिसियों का अनुपालन सुनिश्चित करता है ।									

3. बीआर से संबंधित शासन

क) निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कंपनी के बीआर निष्पादन को आंकने की आवृत्ति को सूचित करें। तीन महीने के अंतर्गत, 3-6 महीने, वार्षिक रूप में, 1 वर्ष से अधिक।

कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन अविरत आधार पर बीआर निष्पादन की पुनरीक्षा करते हैं। इसके लिए गठित बोर्ड/समितियां वही आवधिक रूप में पुनरीक्षा करती हैं।

ख) क्या कंपनी एक बीआर या एक धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसके कितनी बार प्रकाशित किया जाता है?

जी हां। कंपनी अपने वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बीआर रिपोर्ट प्रकाशित किया है। रिपोर्ट देखने का हाइपरलिंक <https://cochinshipyard.com/annual-report> है।

भाग ड. सिद्धांतवार कार्य-निष्पादन

सिद्धांत 1 : व्यापार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ आयोजित और नियंत्रित करना चाहिए।

1. क्या नैतिकता, रिश्त और भ्रष्टाचार से संबंधित पॉलिसी केवल कंपनी में समाविष्ट है? जी हां/ जी नहीं। क्या यह गृह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठन/अन्य के लिए बड़ा है?

कंपनी ने एक अखंडता समझौता निर्धारित किया है जिसे बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षर किया गया है ताकि वे समय-समय पर 100 लाख से अधिक की उच्च मूल्य निविदाओं के संबंध में किसी भी मुद्दे को उठा सकें। उच्च प्रतिष्ठा और अखंडता के लोग को उक्त अखंडता समझौता के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र बाह्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

इस समझौते में अनिवार्य रूप से एक करार है जो संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और सीएसएल के बीच दोनों पक्षों के व्यक्तियों/पदाधिकारियों को शामिल करते हुए किया है, जिस के अनुसार ठेके के किसी पहलू/चरण में कोई भ्रष्ट कार्यों का प्रयोग नहीं करना है। वही का उल्लंघन बोलीदाताओं के अयोग्यता और भविष्य के व्यापार कार्यों से बहिष्कार के लिए कारक होगा।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायत मिली हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने प्रतिशत तक समाधान किया गया?

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी द्वारा और सेबी स्कोरस प्लेटफॉर्म, एनएसई और बीएसई एवं रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के जरिए 4 निवेशक शिकायत प्राप्त हुई है। इन सभी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझा गया।

सिद्धांत 2: व्यापार को ऐसे माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और अपने जीवन चक्र में संवहनीयता दें।

1. आपके उत्पाद या सेवाओं में से 3 तक सूचीबद्ध करें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरण विचार, जोखिम और/या अवसर शामिल हैं

कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत में लगी हुई है। चूंकि कंपनी के पास एक उत्पाद है, जो निगमित सामाजिक या पर्यावरण विचार साथ ही साथ उपलब्ध अवसरों से लाभ शामिल करने के लिए डिजाइन किया है।

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए, उत्पाद (विकल्प) के प्रति यूनिट उपयोग किए संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

क) मूल्य निर्धारण श्रृंखला में पिछले वर्ष के बाद से प्राप्त सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान कमी?

कंपनी संवहनीय तरीकों के माध्यम से आर्थिक विकास हासिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पहचान लेती है। यह उपयुक्त प्रौद्योगिकी का नियोजन, प्रापण और आउटसोर्सिंग में पारदर्शिता और संवहनीय विकास कार्यक्रम में भागीदारी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित है।

ख) पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, जल) प्राप्त की गई कमी?

सीएसएल ने विविध ऊर्जा संरक्षण उपायों जैसे कि सोर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, पारंपरिक डिस्चार्ज लैम्पों के बजाय एलईडी लाइटों के साथ नए भवनों का विद्युतीकरण, एलईडी लाइटों के साथ हाई प्रेशर मेरकुरी वेपर लाइटों के प्रतिस्थापन, वीआरएफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम के साथ पारंपरिक स्प्लिट एयर कंडीशनर सिस्टम के प्रतिस्थापन, संपीडित हवा वितरण प्रणाली और अन्य औद्योगिक गैस लाइनों में रिसाव की नियमित निगरानी और सुधार, भोजन विराम के दौरान एयर कंटेनर को बंद करना, 12:15 घंटे में शॉपों की एवं डॉक में मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद करना, जो मैन कूलरों, रूफ एक्सट्रेक्टर्स (स्टार्टर्स के माध्यम से नियंत्रित) ट्रिप हो जाता है, जो भोजन विराम के दौरान आवश्यक नहीं है, ऊर्जा बजट स्टिकर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए, ऊर्जा संरक्षण के लिए कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया, यूनिट के निकट विद्युत कार की निरंतर निगरानी और रखरखाव का कार्यान्वयन किया है। उपर्युक्त निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन के साथ प्रति वर्ष लगभग 8.40 लाख यूनिट के ऊर्जा बचत हासिल की गई है।

3. क्या कंपनी को स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं प्रस्तुत हैं? यदि हां, तो, आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया था?

कंपनी स्थायी सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं के चयन हेतु निम्नलिखित अनुमोदित मानदंडों का पालन कर रही है, जिसमें अन्य बातों के

साथ-साथ आईएसओ 9000 प्रमाणीकरण वाले विक्रेता, विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विक्रेता, निर्माताओं के विविध प्राधिकृत विक्रेता, निर्धारित विनिर्देश और अन्य अपेक्षाओं के अनुसार सामग्री प्रदान करने के लिए क्षमता, निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने की क्षमता, विक्रेताओं पर प्रस्तुत आदेशों का वार्षिक मूल्यांकन और कार्य-निष्पादन निर्धारण करने के लिए पूरा हुआ है, मूल्यांकन अवधि के दौरान उनके और कार्य-निष्पादन के आधार पर एक विक्रेता को अनुमोदित विक्रेता सूची से हटाया/निलंबित किया जाता है, विक्रेता सूची को वर्ष में एक बार पुनरीक्षित और अद्यतन किया जाता है आदि शामिल हैं।

4. क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थान के आसपास समुदायों सहित, स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हां, तो, स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण नीति 2012 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं के जरिए प्रापण बढ़ाने/सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से, कंपनी एमएसएमई से खरीद/सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। कंपनी ने कोविड-19 महामारी के प्रभावों और प्रतिबंधों के बावजूद, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मार्च 31, 2021 तक कुल स्वदेशी खरीद में से एमएसएमई से माल और सेवाओं की 25% खरीद के आवश्यक लक्ष्य के मुकाबले 43.95% का लक्ष्य हासिल किया है। सीएसएल की पहल से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला एमएसएमई उद्यमी भी लाभान्वित हो रहे हैं।

इसके अलावा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने एमएसएमई के माध्यम से खरीद/सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अक्टूबर 2020 के दौरान एमएसएमई-डीआई, तृशूर, केरल द्वारा आयोजित एक वर्चुल विक्रेता बैठक में भाग लिया।

अन्य पहलुओं में, एमएसएमई विक्रेताओं के लिए सीएसएल वेबसाइट उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना, 'एमएसएमई संबंध' पोर्टल में प्रापण विवरण और अन्य ब्योरे का नियमित अद्यतनीकरण, यह सुनिश्चित करना कि विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली पर 'एमएसएमई समाधान' पोर्टल में कोई विक्रेता आवेदन लंबित नहीं है, जिसका अर्थ है कि टीआरडीईएस प्लेटफॉर्म आदि में लगभग 180 विक्रेताओं के बोर्डिंग पर एमएसएमई विक्रेताओं को भुगतान बिना किसी देरी को किया जाता है, आदि शामिल हैं।

7. पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या और वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल किए शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम/ मजबूर श्रम/अनैच्छिक श्रम	कंपनी ने बाल श्रम/ मजबूर श्रम/अनैच्छिक श्रम नहीं किया है। कोई शिकायत नहीं है।	लागू नहीं।
2.	यौन उत्पीड़न	1	शून्य
3.	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

5. क्या कंपनी को उत्पादों और अपशिष्टों को पुनःचक्रित करने के लिए एक तंत्र है? यदि हां, तो, उत्पादों और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग रूप में <5%, 5-10%, >10%)?

कंपनी के उत्पादों की प्रकृति और उत्पन्न अपशिष्टों के कारण, पुनर्चक्रण के लिए तंत्र उपलब्ध नहीं है। फिर भी, अपशिष्टों को पर्यावरण प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित ऐसे निपटान या पुनर्चक्रण कार्य करनेवाले अधिकरणों द्वारा निपटारा जाता है।

सिद्धांत 3 : व्यापार सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

- कर्मचारियों की कुल सं.: 1727 (स्थायी कर्मचारियों)
- अस्थायी/ठेकात्मक/आकस्मिक आधार पर कर्मचारियों की कुल संख्या: प्रतिदिन औसतन 6500
- स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या: 152
- स्थायी अशक्त कर्मचारियों की संख्या: 57
- क्या आपको प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ है?

जी हां, सीएसएल को प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त चार कर्मचारी संघ हैं।

- कोचीन शिपयार्ड अधिकारी संघ (सीएसओए)
- कोचीन शिपयार्ड पर्यवेक्षक कर्मचारी संघ (सीएसएसएसए)
- कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी संगठन (सीएसईओ)
- कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी फेडरेशन (सीएसईएफ)

6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्यों में कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारियां हैं?

अधिकांश कार्यपालक कोचीन शिपयार्ड अधिकारी संघ के सदस्य हैं। स्थायी कामगारों के मामले में, उनमें से अधिकांश विभिन्न मान्यता प्राप्त यूनियनों से जुड़े हैं। जनमत संग्रह के आधार पर चार मान्यता प्राप्त यूनियनों को कंपनी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

8. नीचे सूचित कर्मचारियों में से पिछले वर्ष में सुरक्षा और कुशलता प्रशिक्षण दिए गए कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है ?

स्थायी कर्मचारियां: 100%
स्थायी महिला कर्मचारियां: 100%
आकस्मिक/अस्थायी/ठेके कर्मचारियां: 100%
अशक्त कर्मचारियां: 100%

सिद्धांत 4 : व्यापार को सभी हितधारकों विशेष रूप से जो वंचित, कमजोर और अधिकारहीन वाले हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उत्तरदायी होना चाहिए ।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों के एक मानचित्र बनाया है ?

जी हां, कंपनी ने अपने आंतरिक साथ ही साथ बाह्य हितधारकों के एक मानचित्र बनाया है ।

2. इनमें से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और अधिकारहीन हितधारकों को पहचान लिया है ?

सीएसएल के सीएसआर परियोजनाएं लक्ष्य है कि वंचित, कमजोर और अधिकारहीन समुदाय जो केरल में विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण/आदिवासी समुदायों में मौजूद है, को लाभान्वित करना । आगे, सीएसएल यह सुनिश्चित करता है कि भारत सरकार द्वारा दी गई आरक्षण नीति लागू किया जाता है । सीएसएल उन व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी शामिल है, जिनके लिए परियोजनाएं विशेष रूप से डिज़ाइन की गई हैं । कंपनी ने रोजगार के उद्देश्यों के लिए (i) एससी/एसटी (ii) अशक्त कर्मचारी को वंचित, कमजोर और अधिकारहीन के रूप में पहचान लिया है ।

3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और अधिकारहीन वाले हितधारकों को लगाने के लिए कोई विशेष पहल उठाया गया है ? यदि हां, तो, तत्संबंधी विवरण करीब 50 शब्दों में प्रदान करें ।

सीएसएल ने केरल में अपने सीएसआर जोर क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि बच्चों के लिए शिक्षा, स्वच्छता एवं स्मार्ट क्लास रूम, आदिवासी समुदाय के लिए स्वास्थ्य केयर पहलुओं, अशक्त व्यक्तियों के लिए कई पहलुओं, कुशलता विकास कार्यक्रमों को बढ़ाते हुए आय के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण और ग्रामीण/आदिवासी/अर्ध शहरी क्षेत्रों में अन्य हस्तक्षेप के लिए वचनबद्धता की है, जो मुख्य रूप से वंचित, कमजोर और अधिकार हीन हितधारकों में केन्द्रित है। कंपनी एससी/एसटी और अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के सभी विनियमों का पालन करती है ।

सिद्धांत 5: व्यापार मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए ।

1. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को लागू है या ग्रूप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकार/ठेकेदार/गैर सरकारी संगठन/अन्यों के लिए बड़ा दी है ?

कंपनी की मानव संसाधन नीतियों में अपने व्यापार के सभी प्रचालनों के साथ जुड़े अपने कर्मचारियों और अन्यों के मानवाधिकार के सभी पहलुओं शामिल

हैं और नियंत्रित कंपनी के कर्मचारियों के मानवाधिकार भी इसमें शामिल हैं । मानवाधिकार पर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

कंपनी महिला कर्मचारियों की गरिमा को कायम रखने के लिए वचनबद्ध है और इसमें ऐसी नीति है जो कार्यस्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के सामने सुरक्षा प्रदान करती है और ऐसी शिकायतों के निवारण एवं निरोध के लिए है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी को ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई है और उसे समाप्त की गई ।

कंपनी, नियंत्रित कंपनी और कंपनी के साथ जुड़े सभी अन्य हितधारकों के लिए सभी मानवाधिकार, कार्य के अनुपालन में वचनबद्ध है ।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से किस प्रतिशत तक हल किया गया था ?

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 15 शिकायतें निवेशकों से प्राप्त हुई हैं और उसे संतोषजनक रूप में निपटायी गयी ।

सिद्धांत 6: व्यापार, पर्यावरण को पुनःस्थापित करने के लिए सम्मान, रक्षा और प्रयास करना चाहिए ।

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करता है या ग्रूप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकार/ठेकेदार/गैर सरकारी संगठन/अन्यों के लिए बड़ा दी है ?

कंपनी को कवर करता है । कंपनी के एकीकृत दृष्टिकोण के भाग के रूप में, मां प्रकृति के प्रति हमारी वचनबद्धता, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव कम करते हुए और सकारात्मक योगदान को मजबूत करने के हमारे अविरत प्रयास के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है । हम इसकी गतिविधियों और उत्पादों के महत्वपूर्ण पर्यावरण पहलुओं को पहचानते हुए और कार्यक्रमों को विकसित करते हुए और पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से उन्हें कम या नियंत्रित करते हुए हासिल करने का प्रयास करते हैं । समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने सिल्वर ग्रीनको रेटिंग प्राप्त की है जो 'दुनिया में इस तरह का पहला' समग्र ढांचा है, जो जीवन चक्र दृष्टिकोण का उपयोग करके कंपनियों को उनकी गतिविधियों की पर्यावरण मित्रता पर मूल्यांकन करता है । कंपनी अपने व्यापार भागीदारों/विक्रेताओं/ठेकेदारों को पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं डिज़ाइन से निपटान तक की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है ।

2. क्या कंपनी को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे के लिए रणनीतियां/पहल हैं ? यदि हां, तो, कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें ।

कंपनी को एक विस्तृत मैनुअल है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 14001:2015 के अपेक्षाओं को पूरा करनेवाले पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थापित करने के लिए आवश्यक सामान्य प्रक्रियाओं का विवरण देता है ।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है ?

जी हां ।

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि ऐसा है, तो, तत्संबंधी विवरण करीब 50 शब्दों में प्रदान करें । साथ ही, यदि हां, तो, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट फाइल किया है ?

फिलहाल, कंपनी को स्वच्छ विकास तंत्र के अधीन कोई परियोजना नहीं है ।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि पर कोई अन्य पहल उठाया गया है ? यदि हां, तो, कृपया वेबपेज आदि का हाइपरलिंक दें ।

कंपनी ने विभिन्न पहल की हैं जैसे कि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, पारंपरिक डिस्चार्ज लेम्पों के बजाय एलईडी लाइटों के साथ नए भवनों का विद्युतीकरण, ऊर्जा कुशल एलईडी फिटिंग के साथ उच्च बिजली की खपतवाली प्रकाश फिटिंग के प्रतिस्थापन, वीआरएफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम के साथ पारंपरिक स्प्लिट एयर कंडीशनर सिस्टम का प्रतिस्थापन, संपीडित हवा वितरण प्रणाली और अन्य औद्योगिक गैस लाइनों में रिसाव की नियमित निगरानी और सुधार, भोजन विराम के दौरान एयर क्रंप्रेसर को बंद करना, 12:15 घंटे में शॉपों, की एवं डॉक में मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद करना, जो मैन कूलरों, रूफ एक्सट्रेक्टरस (स्टार्टर्स के माध्यम से नियंत्रित) ट्रिप हो जाता है, जो भोजन विराम के दौरान आवश्यक नहीं है, ऊर्जा बजट स्टिकर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए, विद्युत शक्ति के अनुकूलतम उपयोग के उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण के लिए कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की, यूनिट आदि के पास विद्युत कारक की निरंतर निगरानी और रखरखाव आदि । उपर्युक्त निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन के साथ प्रति वर्ष लगभग 8.40 यूनिट के ऊर्जा बचत हासिल की गई है ।

6. क्या कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर उत्पन्न किए उत्सर्जन/अपशिष्टों के बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है ?

जी हां ।

7. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण निर्देशन/कानूनी नोटिस की संख्या (अर्थात् संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया है) ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में, कोई सीपीसीबी/एसपीसीबी कारण निर्देशन/कानूनी नोटिस लंबित नहीं है ।

सिद्धांत 7 : व्यापार जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे होते हैं, तो, इसे एक जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए ।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चेंबर या संघ का सदस्य है ? यदि हां, तो, केवल उन मुख्यों का नाम दें जिसके साथ आपका व्यापार संबंधित है:

- क) भारतीय पोत निर्माता संघ
- ख) इंडो जापान चेंबर ऑफ कॉमर्स
- ग) कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री

- घ) कोचीन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
- ङ) अखिल भारतीय प्रबंधन संघ
- च) दि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)
- छ) सार्वजनिक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)
- ज) सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैनुफैक्चरर्स (एसआईडीएम)

2. क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक के सुधार एवं प्रगति के लिए कोई वकालत की है ? जी हां/नहीं, यदि हां, तो व्यापक क्षेत्र (ड्रॉप बॉक्स : शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय व्यापार सिद्धांत, अन्य) को निर्दिष्ट करें ।

उपर्युक्त संगठन सीएसएल के उन मुद्दों को हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं जो इसके हितधारकों को प्रभावित कर सकते हैं । सीएसएल किसी भी विशिष्ट मुद्दों पर लॉबींग के बजाय नीति स्तर की प्रक्रियाओं की वकालत में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है ।

सिद्धांत 8 : व्यापार को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए ।

1. क्या कंपनी को सिद्धांत 8 से संबंधित पॉलिसी के अनुसरण में कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं निर्दिष्ट किया है ? यदि हां, तो, तत्संबंधी विवरण ।

उपरोक्त भागों में सूचितानुसार, सीएसएल की सीएसआर परियोजनाओं का लक्ष्य केरल राज्य में निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर से समुदाय को लाभान्वित करना है और इन्हें कमजोर माना जाता है । ये परियोजनाएं ऐसे समुदायों के समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास के लिए हैं ।

2. क्या कार्यक्रमों/परियोजनाओं को इन-हाउस टीम/निजी संस्था/विदेशी गैर सरकारी संगठन/सरकारी संरचनाओं/अन्य किसी संगठन के जरिए करते हैं ?

सीएसएल परियोजना के निष्पादन के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं, सरकारी अधिकरणों और अन्य पेशेवर अधिकरणों के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग करता है ।

3. क्या आपने अपनी पहल के लिए कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है ?

जी हां । आयोजित गतिविधि के प्रभाव को देखने के लिए प्रभाव मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है । सीएसएल अधिकांश परियोजना के लिए परियोजना के भाग के रूप में प्रभाव मूल्यांकन आयोजित करता है ।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - आईएनआर में राशि और की गई परियोजनाओं का विवरण ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में, सामुदायिक विकास परियोजनाओं में योगदान ₹14.66 करोड़ रुपए है । कृपया वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का संदर्भ लें ।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया गया है ? कृपया 50 शब्दों में बताएं ।

किसी भी समुदाय विकास कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए किसी समुदाय की नियुक्ति सर्वोत्कृष्ट है । हम योजना चरण में समुदाय की नियुक्ति सुनिश्चित करते हैं और इसके बाद कार्यान्वयन स्तर पर उन्हें शामिल करते हैं । यह न केवल कार्यक्रम की स्वीकृति सुनिश्चित करता है बल्कि इसकी निरंतरता और धारणीयता भी सुनिश्चित करता है ।

सिद्धांत 9: व्यापार को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से लगे रहना है और मूल्य प्रदान करना चाहिए ।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/ उपभोक्ता मामलों का कितने प्रतिशत तक लंबित है ।

कंपनी के ग्राहक बड़े कॉर्पोरेट हाउस, निगम दोनों केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या मंत्रालय हैं । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को कोई शिकायत नहीं मिली है ।

2. क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है, इसके अतिरिक्त स्थानीय कानून के अनुसार क्या अनिवार्य है ? जी हां/जी नहीं/लागू नहीं/अभ्युक्तियां (अतिरिक्त सूचना) ।

लागू नहीं । इसलिए कि यह पोत निर्माण और पोत मरम्मत प्रचालनों में लगे हुए हैं ।

3. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार कार्यों, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और/या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित कंपनी के सामने कोई हितधारक ने कोई मामला फाइल किया है और वित्तीय वर्ष के अंत में कोई लंबित है । यदि हां, तो, तत्संबंधी विवरण 50 शब्दों में दें ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार कार्यों के संबंध में कंपनी के सामने कोई हितधारकों ने कोई मामला फाइल नहीं किया है ।

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि कार्य किया है ?

जी हां । सभी अनुबंधित पोतों को एक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के साथ आयोजित किया जाता है, और उनके अनुभव को साझा करने के इच्छुक मालिकों से फीडबैक लिया जाता है । सर्वेक्षण एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष फर्म द्वारा किया जाता है ताकि ग्राहक से खुली और वास्तविक प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके ।


ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण दो चरणों में अनुबंधित पोतों के लिए किया जाता है, एक निर्माण चरण (चरण I) पर और एक वारंटी अवधि (चरण II) के पूरा होने के बाद । निर्माण चरण के दौरान मालिक की किसी भी चिंताओं की पहचान करने के लिए चल रहे निर्माण चरण के दौरान एक अंतरिम प्रतिक्रिया के लिए अभिप्रेत है । यह यार्ड को चिंताओं के क्षेत्र (यदि कोई हो) को समझने में मदद करता है, और मालिक की अपेक्षाओं के स्तर में सुधार के लिए उचित रूप से कार्रवाई शुरू कर सकता है । दूसरे चरण का सर्वेक्षण सुपुर्दगी और पोत की वारंटी अवधि पूरी होने के बाद होता है, जहां मालिक के पास निर्माण और प्रदर्शन की गुणवत्ता को समझने के लिए पर्याप्त समय होता है, जो अनुबंधित और वितरित नई निर्माण आदेश के लिए उनकी संतुष्टि का समग्र परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगा ।

सर्वेक्षण आयोजित किए गए निर्माण के सभी चरणों को पूर्व-अनुबंध चरण से शुरू करते हैं । स्वायत्तता, पहुंच, निर्माण की गुणवत्ता, यार्ड और पोस्ट सुपुर्दगी सेवाओं की समग्र तकनीकी क्षमताओं के बारे में मालिकों से प्रतिक्रिया का अनुरोध किया जाता है । स्वतंत्र अभिकरण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें शिपयार्ड उन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और जिन क्षेत्रों में सुधार का सुझाव दिया गया है । यह स्वतंत्र रिपोर्ट मालिक के दृष्टिकोण से यार्ड की ताकत और कमजोरी को समझने की गुंजाइश प्रदान करती है, और उसी ग्राहक या समान ग्राहकों से संपर्क करने समय बहुत सहायक होती है ।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में,

कोच्ची
जून 11, 2021

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07376798



स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
के सदस्य

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हम ने मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों जिसमें दि. 31 मार्च 2021 के तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड प्रवाह संबंधी समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, तथा वित्तीय विवरण की टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का संक्षिप्त विवरण, अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं, की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में तथा हमारी सही जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण, अपेक्षित तरीके में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित सूचना देती है और दि. 31 मार्च 2021 को ग्रुप के समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित),इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकद प्रवाह, समेकित मामलों की स्थिति, आमतौर पर संशोधित (भारतीय लेखा मानक), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार देता है।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है । उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी आवश्यकताओं से अलग है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके प्रावधानों और नियम के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामला

मुख्य लेखा परीक्षा मामला वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

1. पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों के प्रत्यक्ष पूर्ति का मापन

कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्त गतिविधियों से राजस्व को पूरा करने की विधि के प्रतिशत के आधार पर पहचानती है। पूरा होने का प्रतिशत प्रत्यक्ष पूर्णता के अनुमानित प्रतिशत के आधार पर कंपनी के प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिसमे महत्वपूर्ण निर्णयों का अभ्यास शामिल है। नोट 2.4 (महत्वपूर्ण लेखा अनुमान और निर्णय एवं राजस्व मान्यता) और 2.19 (राजस्व मान्यता) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का संदर्भ ले। कंपनी के प्रबंधन द्वारा विकसित आंतरिक प्रक्रिया नियमावली के अनुसार भौतिक पूर्णता का पता लगाया जाता है। यह प्रक्रिया और उसमे मौजूद धारणाएं कंपनी के नियोजन, डिज़ाइन और तकनीकी विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रबंधन द्वारा किए गए कुछ निर्णयों पर आधारित है। इसके अलावा, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रत्येक उप-गतिविधि के वास्तविक भौतिक समापन के बारे में भी प्रबंधन का अनुमान शामिल है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में ऐसी प्रक्रिया को अपनाने के आधार और मान्यताओं को समझना, डेटा को जानने हेतु प्रणाली को समझना और प्रबंधन को आंतरिक रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न कार्यों के पूरा होने की प्रगति की निगरानी करना, ऐसी प्रणाली में आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना, नमूने का चयन करना और लगातार जाँच और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल है। हालाँकि, हमने आय की मान्यता के उद्देश्य के लिए प्रबंधन द्वारा परिभाषित तकनीकी मूल्यांकन और गतिविधि आधारित लागत अनुमान पर पर्याप्त निर्भरता रखी है।

निगमित अवलोकन
सांविधिक रिपोर्ट
वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए ज़िम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में निदेशक रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, व्यावसायिक ज़िम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि जब उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर बताए गए अन्य जानकारी को पढ़ें और, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी प्रत्यक्ष रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन के साथ प्रभारित करने और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां और शासन के साथ प्रभार

कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2014 के नियम 7 सहित, अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों, जो मामले की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में बताए मामलों केलिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने केलिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव, उचित लेखा नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों जो सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है और कपट अथवा त्रुटि के कारण अयथार्थ विवरण से मुक्त है, की तैयारी केलिए प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने केलिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, प्रकटीकरण जैसा कि लागू होता है,

जब तक निदेशक मंडल कंपनी को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, तब तक सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने से संबंधित मामले और लेखांकन को जारी रखने के आधार का उपयोग करने से संबंधित है। इन सब के लिए ज़िम्मेदार है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटी के कारण, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा।

गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें प्रत्यक्ष तब माना जाता है अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों की उपादान गलतियों के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि का कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली उपादान गलतियों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को कुचल देना शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

□ लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना है, और प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत के आधार पर, क्या यह घटना या शतों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू करने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि हमारी राय को संशोधित करने हेतु इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने से स्थगित हो सकती है।

□ खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक विवरण के साथ अधिकार प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए एवं हमारी स्वतंत्रता पर, जहाँ लागू हों, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित रूप से विचार करने हेतु अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

अधिकार के साथ प्रभाविता मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों को पछड़ने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत को केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 ('आदेश') द्वारा अपेक्षितानुसार, हम 'अनुबंध क' में आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं।

2. कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों और उप-निदेशों पर रिपोर्ट 'अनुबंध ख' में देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित रूप से हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है।

ख. हमारी राय में बहियों की परीक्षा करने से मालूम होता है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षितानुसार बहियों को सही तरीके से रखा है,

ग. इस रिपोर्ट में बताए स्टैंडअलॉन तुलन पत्र, लाभ और हानि स्टैंडअलॉन विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण और स्टैंडअलॉन नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुसार है;

घ. हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलॉन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करता है;

ङ. कॉरपरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक जून 5, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (इं) में दिए छूट की दृष्टि में, निदेशकों की आयुग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।

च. कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **अनुबंध ग** में प्रस्तुत अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें, और

छ. अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हम कोई टिप्पणी नहीं देते क्योंकि कंपनी को जून 05, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (इं) द्वारा धारा 197 के प्रावधानों से छूट दिया है।

ज. हमारी राय और हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य विषय के संबंध में:

i. कंपनी ने अपनी स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव का खुलासा किया है - (नोट संख्या 42, 44, 45, 46 का संदर्भ लें) ;

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालिक ठेके पर सामग्री के पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू नियम या लेखा मानकों के तहत अपेक्षितानुसार प्रावधान किया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए हस्तांतरित करने हेतु कोई राशि नहीं है, और

कृते **एलियास जॉर्ज एंड कंपनी**

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं.00801S

चिराग जे शाह

साझेदार

सदस्यता सं: 214798

कोच्ची

11 जून, 2021

यूडीआईएन : 21214798AAAABY5666

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध क

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध क के संदर्भ में, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- (क) कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों के परिमाण संबंधी विवरण और स्थिति सहित सभी विवरण को दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है ।
- (ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है । वर्ष के दौरान, जैसा कि हमें सूचित किया गया है, इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई हैं ।
- (ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं । अचल संपत्तियों के संबंध में पट्टे पर ली गई और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उपयोग के अधिकार के रूप में प्रकट की गई, पट्टा समझौता कंपनी के नाम पर है ।
- हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, माल सूचियों (पारगमन में माल को छोड़कर) को वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्वीकृत मालसूची सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यक्ष रूप में जांच की गई है । हमारी राय में, ऐसी प्रत्यक्ष जांच की आवृत्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है । प्रत्यक्ष स्टॉक और बही रिकॉर्डों के बीच ऐसी प्रत्यक्ष जांच के दौरान, सूचित विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं है ।
- कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) और मेसर्स टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) को क्रमशः 10 करोड़ और 5 करोड़ का अप्रतिभूत ऋण दिया था ।
- हमारी राय में, ऐसे ऋण देने के नियम और शर्तें कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है ।
- ऐसे ऋणों के अनुदान के नियमों और शर्तों में मूलधन की अदायगी और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है । मेसर्स एचसीएसएल ने चालू वर्ष के दौरान ऋण की पूरी राशि का अग्रिम भुगतान कर दिया है। वर्ष के दौरान मेसर्स टीएसएल द्वारा चुकोती देय नहीं हुई है ।

ग. ऋण के संबंध में कोई राशि अतिदेय नहीं है ।

- हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी या प्रतिभूति से संबंधित अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है ।
- हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सार्वजनिक से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है । अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों, अधिनियम की धारा 73 से 76 तक के प्रावधान या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अन्य किसी संगत प्रावधान तथा उसके अधीन बनाए गए नियम लागू नहीं है ।
- हमने उत्पादों के संबंध में कंपनी द्वारा बनाए रखे लेखा बहियों को व्यापक रूप से समीक्षा की जहां लागत रिकॉर्डों का रखरखाव केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्दिष्ट किया गया है और हमें यह राय है कि, प्रथम दृष्टि में, निर्धारित लेखा बहियों और लागत रिकॉर्डों कंपनी द्वारा बनाए रखा गया है। हमने, फिर भी, इन रिकॉर्डों सही या पूरा हो, ऐसा निर्धारित करने की दृष्टि में लागत रिकॉर्ड की एक विस्तृत जांच नहीं की है।
- सांविधिक देय के संबंध में, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर :

क. कंपनी ने उचित प्राधिकारियों के साथ लागू भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सेस और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशि सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि जमा करने में नियमित है । दिनांक 31 मार्च 2020 को उपरोक्त में अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशि के संबंध में वे देय होने की तिथि से छह महीने से ज्यादा अवधि के लिए कोई निर्विवाद देय राशि नहीं है ।

ख. निम्नलिखित को छोड़कर आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर, सीमाशुल्क कर, उत्पाद शुल्क और मूल्यवर्धित कर जो किसी विवाद के कारण उचित प्राधिकारियों के साथ जमा नहीं किया गया है, के लिए कोई देय राशि नहीं है।

(₹ लाखों में)

सांविधि का नाम	देय राशि का प्रकार	राशि (₹)	भुगतान की गई/समायोजित राशि (₹)	अदत्त राशि	वित्तीय वर्ष जिससे राशि संबंधित है	मंच जहाँ विवाद विचाराधीन है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	1,369.11	1,369.11	-	2010-11 2011-12 2014-15 2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)
वित्तीय अधिनियम, 1994	सेवा कर	4,602.12	-	4,602.12	2010-11 2011-12	आयकर अपील अधिकरण
आयकर अधिनियम, 1962	सीमाशुल्क	9,555.41	6,725.48	2,829.93	2015-16 2016-17	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण, बेंगलूर आयुक्त (अपील)
		50.77	-	50.77	2003-2004 2013-2014 2018-2019	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण, बेंगलूर
		14,961.22	-	14,961.22	1984-1990 2004-2005	सीमाशुल्क आयुक्त, कोच्ची
					2010-2015	(केरल उच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 130 ई के तहत विभाग को अपील दायर करने का निदेश देनेवाले माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया मामला।)
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	कर्मचारी राज्य बीमा	17.26	1	16.26	2010-2013	माननीय बीमा अदालत, आलप्पुषा

*बाद के वर्षों में धनवापसी के सामने समायोजित ।

- हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान, किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, बैंक या सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं लिया गया है । जारी किए बांड के संबंध में, कंपनी ने किसी देय के भुगतान में चूक नहीं किया है ।
- हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से उठायी गयी राशि को वर्ष के दौरान कंपनी ने आय के अस्थायी लंबित आवेदन के अलावा, जिसके लिए उठाए गए, उन उद्देश्यों के लिए कंपनी द्वारा उपयोग किया गया है । कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं उठाया है ।
- हमारी जानकारी और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी सूचित या रिपोर्ट नहीं किया है।
- कॉरपरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) द्वारा दी गई छूट की दृष्टि में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम अनुसूची V साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है । तदनुसार आदेश के पैरा 3 (xi) कंपनी के लिए लागू नहीं है ।
- हमारी राय में और हमें दी गई सूचना के अनुसार, अधिनियम की धारा 406 के अधीन निर्धारितानुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है । तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xii) कंपनी के लिए लागू नहीं है ।
- हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन, जहां लागू हो, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है और ऐसे लेनदेन का विवरण, लागू भारतीय लेखांकन मानक द्वारा अपेक्षितानुसार स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण में प्रकट किया गया है ।

xiv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्राथमिक आबंटन या शेयरों के प्राइवट प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है और अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 के प्रावधान कंपनी केलिए लागू नहीं है ।

xv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 में संदर्भितानुसार कंपनी ने निदेशकों या निदेशकों के साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है ।

xvi. हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अधीन पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है ।

कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.00801S

चिराग जे शाह

साझेदार

कोची सदस्यता सं: 214798
11 जून, 2021 यूडीआईएन : 21214798AAAABY5666

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध ख

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर कंपनी के सदस्यों केलिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध ख के संदर्भ में, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. दिशा निर्देश

1. क्या कंपनी के पास सू.प्रौ. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर सू.प्रौ. प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को निहितार्थ, यदि कोई हो, तो वर्णित किया जा सकता है?

हमारी राय में, कंपनी के पास सू.प्रौ. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर, और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी के पास सू.प्रौ. प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को रोकने और पता लगाने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है।

2. क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों / उधारों / ब्याज आदि के किसी भी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या छूट के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को वर्णित किया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है ?

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड की हमारी जाँच के आधार पर किसी भी मौजूदा ऋण या छूट / उधार / ब्याज के समापन के मामलों का कंपनी को एक ऋणदाता द्वारा बनाए गए कोई पुनर्गठन नहीं किया गया है।

3. क्या केंद्रीय / राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/अनुवृत्ति आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था ? विचलन के मामलों की सूची बनाएं ।

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, केन्द्रीय/ राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त होनेवाली धनराशि का उनके नियमों और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग किया गया ।

ख. उप दिशानिर्देश

लेखापरीक्षा के तहत अवधि केलिए कोई उप निर्देश जारी नहीं किए गए थे।

कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं.00801S

चिराग जे शाह

साझेदार

कोची सदस्यता सं: 214798
11 जून, 2021 यूडीआईएन : 21214798AAAABY5666

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध ग

(दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों केलिए हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक)

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

राय

हमने मार्च 31 2021 को, उस तिथि को समाप्त वर्ष केलिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (“कंपनी”) के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है ।

हमारी राय में, कंपनी को, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को, भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, मार्च 31 2021 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था ।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों केलिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने केलिए डिजाइन किए एक प्रक्रिया है । एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है । (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति केलिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी के प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों केलिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिं ग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने केलिए उत्तरदायी है । इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधडी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने केलिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है ।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है । हमने दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा केलिए लागू, और दोनों भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा केलिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग (“दिशानिर्देश नोट”) के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है । मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने केलिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है ।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने केलिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है । चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधडी या त्रुटि के कारण, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है ।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय केलिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखधडी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है । भविष्य की अवधि केलिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड जाएगा ।

कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी	
सनदी लेखाकार	
फर्म पंजीकरण सं.00801S	
चिराग जे शाह	
साझेदार	
सदस्यता सं: 214798	
कोच्ची	यूडीआईएन : 21214798AAAABY5666
11 जून, 2021	

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के दि. 31 मार्च 2021 के समाप्त वर्ष केलिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा के अनुसार दि. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष से संबंधित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधक वर्ग का है। अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा एवं आश्वासन मानक के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने केलिए कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक व लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। दिनांक 11 जून 2021 के उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह बताया है कि उनके द्वारा यह किया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक के वास्तने कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के दि. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अतिरिक्त लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षकों की कार्य पत्रों की प्राप्ति के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की पूछताछों तक तथा कुछ लेखापरीक्षा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर कोई महत्वपूर्ण विषय मेरी जानकारी में नहीं पाया गया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को कोई परिशिष्ट या टिप्पणी देने केलिए प्रकट हो जाएगा।

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षकों केलिए और के वास्ते	
(देबिका नायर)	
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के महानिदेशक, चेन्नै	
स्थान: चेन्नै	
दिनांक: 12.08.2021	

^[1] दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों केलिए हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक)

दि. 31 मार्च 2021 का

स्टैंडअलॉन तुलन पत्र

		(₹ लाखों में)	
ब्योरा	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	69,840.89	69,653.51
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	4	106,164.35	76,820.65
(ग) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	5	5,748.61	5,965.58
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	6	21,444.52	6,544.52
(ii) ऋण	7	862.76	108.24
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	4,331.07	864.50
(ङ) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	9	3,854.01	6,025.42
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	7,880.94	4,635.94
(छ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	11	21,388.54	29,290.38
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		241,515.69	199,908.74
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	12	43,221.40	31,341.31
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) प्राप्य व्यवहार	13	35,330.43	28,823.21
(ii) रोकड़ व रोकड़ तुल्यांक	14	66,721.59	84,851.63
(iii) उपर्युक्त(ii) को छोड़कर बैंक शेष	15	147,916.77	132,740.27
(iv) ऋण	16	57.20	30.97
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	17	1,734.65	3,292.18
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां	18	203,456.25	159,473.94
कुल चालू परिसंपत्तियां		498,438.29	440,553.51
कुल परिसंपत्तियां		739,953.98	640,462.25
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19	13,154.04	13,154.04
(ख) अन्य इक्विटी	20	384,602.64	360,025.46
कुल इक्विटी		397,756.68	373,179.50
देयताएं:			
अप्रचलित देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार राशियां	21	12,300.00	12,300.00
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	22	38,635.93	37,586.91
(ख) प्रावधान	23	3,161.39	2,872.20
(ग) अन्य अप्रचलित देयताएं	24	10.30	11.45
कुल अप्रचलित देयताएं		54,107.62	52,770.56
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार देय			
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए कुल बकाया राशि	25	1,527.88	686.52
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों के कुल बकाया राशि		42,014.71	41,185.27
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	26	23,516.08	17,266.32
(ख) अन्य चालू देयताएं	27	164,236.68	116,081.50
(ग) प्रावधान	28	49,484.69	38,137.13
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	9	7,309.64	1,155.45
कुल चालू देयताएं		288,089.68	214,512.19
कुल इक्विटी और देयताएं		739,953.98	640,462.25

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1-2

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3-58

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

संलग्न हमारे रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं.

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000801S)

चिराग जे शाह

साझेदार

(सदस्यता सं. 214798)

कोच्ची,

जून 11, 2021

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

जोस वी जे

निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी

(डीआईएन - 08444440)

कोच्ची.

11 जून 2021

बिजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी)

(डीआईएन - 08103825)

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन - 07376798)

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के

लाभ और हानि का स्टैंडअलॉन विवरण

		(₹ लाखों में)	
ब्योरा	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
I आय			
प्रचालनों से आय	29	281889.70	342249.39
अन्य आय	30	19386.07	24750.03
कुल आय		301275.77	366999.42
II व्यय :			
उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य	31	121981.82	179599.82
उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	32	33631.38	36556.98
कर्मचारियों लाभ व्यय	33	29157.79	30567.32
वित्तीय मूल्य	34	5046.62	4459.41
मूल्यहास और ऋणमुक्त व्यय	35	5307.07	4873.12
अन्य व्यय	36	15928.33	16008.41
प्रत्याशित हानि तथा व्यय के लिए प्रावधान	37	9164.12	8591.78
कुल व्यय		220217.13	280656.84
III कर पूर्व लाभ		81058.64	86342.58
IV कर व्यय:			
(1) चालू कर	9	23293.20	20634.83
(2) आस्थगित कर	9	(3245.00)	1939.00
V वर्ष का लाभ		61010.44	63768.75
VI अन्य ब्योरेदार आय			
(क) मर्दे जो लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत किए जाएंगे			
i) नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा उपकरणों पर लाभ/हानि का प्रभावी भाग		121.08	-
ii) मर्दों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		(30.48)	-
(ख) मर्दे जो लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाएंगे			
i) निर्धारित कर्मचारी के लाभ दायित्वों का पुनः मापन		411.01	(797.60)
ii) मर्दों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		(103.44)	200.76
वर्ष के लिए अन्य ब्योरेदार आय		398.17	(596.84)
VII अवधि के लिए कुल अन्य ब्योरेदार आय (अवधि के लिए लाभ और अन्य ब्योरेदार आय शामिल है)		61408.61	63171.91
VIII प्रति ₹ 10 इक्विटी शेयर की आय	38		
(1) मूल (₹ में)		46.38	48.48
(2) तनुकृत (₹ में)		46.38	48.48

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1-2

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3-58

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

संलग्न हमारे रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं.

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000801S)

चिराग जे शाह

साझेदार

(सदस्यता सं. 214798)

कोच्ची,

जून 11, 2021

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

जोस वी जे

निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी

(डीआईएन - 08444440)

कोच्ची.

11 जून 2021

बिजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी)

(डीआईएन - 08103825)

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन - 07376798)

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

रोकड प्रवाह स्टैंडअलॉन विवरण

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	81,058.64	86,342.58
निम्नलिखित केलिए समायोजन:		
मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन	5,307.07	4,873.12
याज व्यय	5,046.62	4,459.41
ब्याज आय	(10,623.21)	(16,725.17)
किराया आय	(63.66)	(152.48)
लाभांश आय	(46.56)	(0.89)
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री/ बट्टे खाते में डालने पर हानि	1.25	1.87
निवेशों की बिक्री पर लाभ	-	(235.30)
सरकार की सहायता से प्राप्त आय	(1.14)	(1.14)
व्युत्पन्न अनुबंधों पर हानि/(लाभ) (निवल)	(123.99)	-
व्युत्पन्न अनुबंधों पर अवास्तविक हानि/(लाभ) (निवल)	(404.65)	502.01
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह	80,150.37	79,064.01
कार्यशील पूंजी में चलन :		
मालसूचियों में वृद्धि / घटाव	(12,066.39)	(3,214.86)
व्यापार और अन्य प्रायों में वृद्धि / (घटाव)	(43,842.96)	(68,952.59)
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (घटाव)	61,385.08	36,429.94
	85,626.10	43,326.50
प्रदत्त आयकर वापसी निवल	(10,741.43)	(18,065.07)
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड (क)	74,884.67	25,261.43
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की खरीद	(5,019.95)	(3,549.74)
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(29,343.70)	(42,712.93)
(तीन महीने के ऊपर परिपक्वता में सावधी जमे में वृद्धि)/(कमी)	(15,176.50)	21,711.10
म्यूचुवल निधियों में निवेश	-	(66,800.00)
म्यूचुवल निधियों का मोचन	-	66,800.00
प्राप्त लाभांश	0.89	0.89
निवेशों की बिक्री पर लाभ	-	235.30
एचसीएसएल निर्यत्रित कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश	(2,800.00)	(507.34)
एचसीएसएल सहायक कंपनी के वरीयता शेयरों में निवेश	(5,600.00)	-
टीएसएल सहायक कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश	(6,500.00)	-
एचसीएसएल सहायक को ऋण	(1,000.00)	-
एचसीएसएल सहायक द्वारा ऋणों की चुकौती	1,000.00	-
टीएसएल सहायक को ऋण	(500.00)	-
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की बिक्री या वापसी	2.49	0.66
प्राप्त ब्याज	12,359.02	17,290.78
प्राप्त किराया	63.66	152.48
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ख)	(52,514.09)	(7,378.80)

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

रोकड प्रवाह स्टैंडअलॉन विवरण

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
उधार की चुकौती		
कर्मचारी द्वारा उधार लेना/ ऋणों का पुनर्भुगतान	(274.98)	28.72
विदेशी मुद्रा के लेन- देन पर हानि/ (लाभ)	555.92	(857.28)
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(2,407.38)	(2,376.78)
प्रदत्त लाभांश	(36,831.31)	(19,244.36)
प्रदत्त लाभांश वितरण कर	-	(3,955.74)
प्रदत्त ब्याज	(1,542.87)	(4,459.52)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ग)	(40,500.62)	(30,864.96)
घ. रोकड व रोकड तुल्यांको में निवल वृद्धि (क) + (ख) + (ग)	(18,130.04)	(12,982.33)
वर्ष के आरंभ में रोकड और रोकड तुल्यांक	84,851.63	97,833.96
वर्ष के अंत में रोकड और रोकड तुल्यांक	66,721.59	84,851.63

दिनांक 31 मार्च 2021 तक 37749.10 लाख रुपए की निर्धारित निधि सहित नकद एवं नकद समकक्ष

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां1-2
3-58

इसके साथ की टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

संलग्न हमारे रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं.

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000801S)

चिराग जे शाह

साझेदार

(सदस्यता सं. 214798)

कोच्ची,

जून 11, 2021

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

जोस बी जे

निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी

(डीआईएन - 08444440)

कोच्ची,

11 जून 2021

बिजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी)

(डीआईएन - 08103825)

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन - 07376798)

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण**क. इक्विटी शेयर पूंजी**

अप्रैल 01, 2020 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2021
13,154.04	0.00	13,154.04
अप्रैल 01, 2019 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2020
13,154.04	0.00	13,154.04

ख. अन्य इक्विटी

व्योरा	आरक्षण व अधिशेष				अन्य व्यापक आय		कुल	
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण		नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा का प्रभावी भाग
01 अप्रैल 2020 को शेष	263.56	93,152.32	6,322.75	246,264.63	12,353.76	1,668.44	-	360,025.46
वर्ष का लाभ		61,010.44						61,010.44
वर्ष के अन्य व्यापक आय				307.57			90.60	398.17
वर्ष के कुल व्यापक आय				61,318.01	-	-	90.60	61,408.61
लाभांश (कर सहित)			(36,831.31)					(36,831.31)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण				-			-	0.00
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.12)						(0.12)
31 मार्च 2021 को शेष	263.56	93,152.20	6,322.75	270,751.33	12,353.76	1,668.44	90.60	384,602.64

अधिक जानकारी के लिए नोट 20 देखें।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण**ख. अन्य इक्विटी (जारी...)**

व्योरा	आरक्षण व अधिशेष				अन्य व्यापक आय		कुल	
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण		नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा का प्रभावी भाग
अप्रैल 01 2019 को शेष	263.56	93,152.44	6,322.75	206,436.99	12,353.76	1,524.27	-	320,053.77
पूर्वाधि समायोजन				-				-
वर्ष का लाभ				63,768.75				63,768.75
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(596.84)				(596.84)
वर्ष के कुल व्यापक आय				63,171.91	-	-	-	63,171.91
लाभांश (कर सहित)			(23,200.10)					(23,200.10)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण				(144.17)		144.17	-	0.00
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.12)						(0.12)
मार्च 31 2020 को शेष	263.56	93,152.32	6,322.75	246,264.63	12,353.76	1,668.44	-	360,025.46

अधिक जानकारी के लिए नोट 20 देखें।

संलग्न हमारे रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं.
 सनदी लेखाकार
 (फर्म पंजीकरण सं. 0008015)

चिराग जे शाह
 साइबर
 (संस्थला सं. 214798)
 कोच्ची,
 जून 11, 2021

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में
श्यामकमल एन
 कंपनी सचिव

जोस बी जे
 निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी
 (डीआईएन - 08444440)
 कोच्ची,
 जून 11, 2021

विजय भास्कर
 निदेशक (तकनीकी)
 (डीआईएन - 08103825)

मधु एस नायर
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 (डीआईएन - 07376798)

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.1. निगमित जानकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (“सीएसएल” या “कंपनी” के रूप में संदर्भित) मुख्यतः जहाज़ों के निर्माण और मरम्मत और जहाज़ों के आवधिक परत और जहाज़ों के जीवन विस्तार के उन्नयन सहित सभी प्रकार के जहाज़ों की मरम्मत और रिफिट के निर्माण में लगा हुआ है।

कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो भारत में शामिल और निवास करती है। निगमित कार्यालय का पता पेरुमानूर, कोच्ची, केरल है। मार्च 31 2021 को, भारत सरकार कंपनी की 72.86% इक्विटी शेयर पूंजी का हिस्सा रखता है। कंपनी की इक्विटी शेयर व्यापार केलिए एनएसई लिमिटेड और भारत के बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है और बीएसई लिमिटेड पर व्यापार केलिए कर मुक्त बॉन्ड में सूचीबद्ध है।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और जून 11, 2021 को जारी करने केलिए अधिकृत किया गया।

2. मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

2.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को समय-समय पर संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ी गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुसार और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

2.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

कुछ वित्तीय साधनों जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने केलिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाज़ार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने केलिए दिया जाता है।

टिप्पणियां

2.3 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी केलिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों केलिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता हैं। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित है जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। अगर संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि में और भविष्य की अवधियों में यदि संशोधन दोनों वर्तमान या भविष्य अवधियों को प्रभावित करता है, आकलन संशोधित जिस अवधि, में लेखाकरण आकलनों केलिए संशोधन मान्य किया जाता है।

2.4 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी सक्रियता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति की उपयोगी सक्रियता औप बकाया मूल्यों की समीक्षा करती है। अनुमान भी बनाई जाती है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि वह अपने पूंजीकरण केलिए गारंटी देता है और परिसंपत्ति के कौन सा घटक पूंजीकृत हो। जीवन के पुनर्मूल्यांकन भविष्य अवधियों में मूल्यह्रास व्ययों में परिवर्तन में परिणत हो सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों /देयता का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

पट्टे

कंपनी मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान केलिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी पट्टे अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करती है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण, कई कारकों के मूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन यह सीमित नहीं है, पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार का विकल्प खरीदने और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान लगाना का कार्य, संपत्ति के आर्थिक जीवन केलिए पट्टा अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा आदि।

अनकोटेड निवेशों की हानि

कंपनी अपने निवेश के वहन मूल्य की सालाना समीक्षा करती है, या अधिक बार जब हानि के संकेत होते हैं। अगर वसूली योग्य राशि उसके बकाया राशि से कम है, तो हानि की गणना करती है।

प्रावधानों की मान्यता और मापन

प्रावधानों की मान्यता और मापन संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के निर्धारण और पिछले अनुभव तथा तुलन पत्र तिथि में ज्ञात परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य की एक तिथि में संसाधनों के वास्तविक बहिर्वाह प्रावधानों में शामिल आंकड़ा से भिन्न हो सकता है।

गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोतों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोतों के संबंध में दावाओं की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोत स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावे वही के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

एक आकस्मिक देयता संभाव्य दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर घटना जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं है क्योंकि यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने आवश्यक होगा या इसे पर्याप्त विश्वसनीयता से नहीं मापा जा सकता है, द्वारा पुष्टि की जाएगी। कंपनी आकस्मिक देयता को पहचान नहीं पाती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

अग्रिमों और प्राप्तियों की वसूली योग्यता

कंपनी व्यापार और अन्य प्राय्यों की वसूली के आकलन के आधार पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि केलिए प्रावधान किया जाता है। संदिग्ध ऋणों के पहचान केलिए निर्णय और आकलनों का उपयोग आवश्यक है। जहाँ अनुमान वास्तविक

आकलनों से भिन्न है ऐसी भिन्नता परिवर्तित की गई जिस अवधि में ऐसे आकलन व्यापार और अन्य प्राय्यों तथा संदिग्ध ऋणों केलिए प्रावधान के कारण व्ययों के कैरियिंग मूल्य को प्रभावित किया जाएगा। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, प्रत्याशित जीवन पर अवलोकन किए ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्राय्यों और अग्रिमों पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि का आकलन करता है।

उचित मूल्य मापन

प्रबंधन वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) और गैर वित्तीय संपत्तियों के निर्धारण करने केलिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। बाजार प्रतिभागियां उपकरण का दाम कैसे सगाएगा के साथ संगत विकासोन्मुख अनुमान और धारणाएं इसमें शामिल है। प्रबंधन अपने धारणाओं केलिए यथासंभव प्रत्यक्ष डेटा को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति मे प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर एक हाथ की लंबाई लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

मालसूचियों केलिए प्रावधान

प्रबंधन आवधिक आधार पर मालसूची समय सूचीकरण की समीक्षा करती है। इस समीक्षा में अग्रिम मालसूची मर्दों के कैरियिंग मूल्य के साथ संबंधित निवल वसूली मूल्य की तुलना शामिल है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या वित्तीय विवरणों में किसी भी अप्रचलित और धीमी गति से चलती वस्तुओं केलिए प्रावधान करने की आवश्यकता है या नहीं और वित्तीय विवरणों में अप्रचलित और धीमी गति से चलती मालसूचियों केलिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है या नहीं।

परिनिर्धारित नुकसान

कंपनी की परिनिर्धारित नुकसान के सामने दावे वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की मान्यता केलिए समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। ठेकों के अपूर्ण भाग पर अनुमानित हानियों केलिए इस अवधि में यदि कोई प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसी हानियां रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित ठेका अनुमानों के आधार पर संभाव्य हो जाता है। समान लेनदेन के अनुभव द्वारा पूरक उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के प्रबंधन के आकलन के आधार, कंपनी के खिलाफ परिसमाप्त नुकसान के दावे को मान्यता दी जाती है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

निश्चित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निश्चित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमाकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमाकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाज़ार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोज़गार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

2.5 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

कंपनी ने संक्रमण तिथि यानी अप्रैल 01, 2015 को कैरियिंग लागत को भारतीय लेखाकरण मानक के तहत अनुमानित लागत के रूप में विचार करने से एक बार संक्रमण छूट के लिए आवेदन किया था। इसलिए इसके बाद ऐतिहासिक लागत के रूप में माना जाता है।

पी पी ई निः शुल्क संचित मूल्यहास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोड़कर) और नुकसान यदि कोई है में स्पष्ट किया है। पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति को स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने के लिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आपोष्य किसी लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृति तक (योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार लागत) कर्जों पर व्याज भी शामिल है।

इसके बाद की लागतों को परिसंपत्ति के कैरियिंग मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और मदों की लागत वस्तुगत है और विश्वासनीय ढंग से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की कैरियिंग राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते हैं, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभाित किया है।

2.6 प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां:

प्रगतिशील पूंजी कार्य और और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

2.7 अगोचर परिसंपत्ति

डिजाइन विकास: डिजाइन विकास के लिए किए गए खर्च जो उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अगोचर परिसंपत्ति के रूप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

सॉफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर का मूल्य जो आंतरिक उपयोग के लिए उपाार्जित संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न भाग है, अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

उपयोग के लिए अधिकार: भूमि और अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिए अधिकार हासिल करने हेतु पहले ही प्रदत्त शुल्क को अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया है, जिसके लिए अधिकार प्राप्त किया गया है।

आंतरिक रूप से प्रजनित प्रक्रिया : भीतरी तौर पर उत्पन्न किए सॉफ्टवेयर की लागत अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और तीन साल की अवधि के परे एक सीधी लाइन के आधार पर ऋण परिशोधन किया है।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

2.8 पट्टे

भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक 116) 'पट्टे' अप्रैल 01, 2019 से प्रभावी हो गए और कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण पद्धति का उपयोग करके इसे अपनाया है, जहां प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर पट्टा देयता को शेष पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और सही उपयोग की परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता प्राप्त है, जिसमें पट्टे की देय राशि की प्रारंभिक राशि शामिल होती है जो पट्टे की आरंभ तिथि से पहले या उससे पहले किए गए पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित की जाती है और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में किसी भी पट्टे पर प्रोत्साहन कम होता है । तदनुसार, तुलनाओं को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है ।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

पट्टेदार के रूप में:

कंपनी की पट्टे परिसंपत्ति वर्ग में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं । कंपनी इस बात का अकलन करती है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में एक अनुबंध पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है । एक अनुबंध पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल हैं, यदि अनुबंध विचार के लिए बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है । क्या अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, इसका आकलन करने के लिए, कंपनी यह आकलन करती है कि : (i) अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल हैं, (ii) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ काफी हैं और (iii) कंपनी के पास संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है ।

पट्टा शुरू होने की तारीख में, कंपनी एक पट्टा देनदारी और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक संगत राइट-टु-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जिसमें यह पट्टेदार होता है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के पट्टे) वाले पट्टे को छोड़कर और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे । इन अल्पावधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे के लिए कंपनी पट्टे भुगतान को सीधे आधार पर या पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है । उपयोग में आनेवाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे के भुगतान की प्रारंभिक राशि पट्टे भुगतान के लिए या उससे पहले पट्टे भुगतान के लिए समायोजित की जाती है, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में कोई पट्टा प्रोत्साहन कम होता है । वे बाद में लागत कम संचित मूल्यहास और हानि पर मापा जाता है, यदि कोई हो । उपयोग की जानेवाली परिसंपत्तियों को पट्टे अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के छोटे से अधिक सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है । पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है । पट्टे के भुगतानों को पट्टे में निहित व्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या यदि वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है । पट्टा देयता को बाद में पट्टा देयता पर व्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा में वृद्धि करके और ली गई भुगतानों को प्रतिबिंबित करने के लिए ले जाने की मात्रा को कम करके पुनः भुगतान किया जाता है । एक पट्टा देयता को कुछ घटनाओं की घटना जैसे कि पट्टा अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए सूचकांक या दर में बदलाव के आधार पर पुनः मापा जाता है । पुनःमापन में आम तौर पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को भी समायोजित करता है । पट्टा देनदारी और आरओयू परिसंपत्ति की अलग-अलग तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है और पट्टे के भुगतान को नकदी प्रवाही के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

एक पट्टेदार के रूप में:

पट्टे जिसके लिए कंपनी एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है । जब कभी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । अन्य सभी पट्टे प्रचालनशील पट्टे रूप में वर्गीकृत हैं ।

प्रचालन पट्टे के लिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है । पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को 'अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति' में समायोजित किया जाता है ।

2.9 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्तियां किराये अर्जित करने और / अथवा पूंजी वृद्धि के लिए धारित संपत्तियां हैं। निवेश संपत्तियां प्रारंभ में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यहास और हानियों के नुकसान पर बताया जाता है। निवेश संपत्ति के निपटान पर कोई लाभ या हानि, निवल निपटान आय और संपत्ति की कैरियिंग राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.10 मूल्यहास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से उपाार्जित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित शेष उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया है। उपयोग की संपत्ति का अधिकार उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यहास से हटा दिया जाता है ।

प्रारंभ में स्वीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद और किसी महत्वपूर्ण भाग निपटान पर अथवा जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है अस्वीकृत किया जाता है। परिसंपत्ति की अस्वीकृति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ/ हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब परिसंपत्ति अस्वीकृत करती है। अभी भी उपयोग में रहने वाली पूर्ण रूप से अवमूल्यन की गई परिसंपत्तियां वित्तीय विवरणों में बकाया मूल्य में रखी जाती है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

मूल्यहास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन विश्वास करता है कि संपत्तियों के उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित वही के अनुसार, कुछ प्रकार के इमारतों और उपकरणों को छोड़कर, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न होने की तरह उपयोगी जीवन अनुमानित किया गया है। विभिन्न संपत्ति वर्ग के लिए मूल्यहास की गणना हेतु विचार किए गए उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

संपत्ति वर्ग	उपयोगी जीवन
भवन	3-60 वर्ष
प्लांट और उपकरण	5-15 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	8-10 वर्ष
वाहन	8-10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3-10 वर्ष
डाटा प्रोससिंग उपकरण	3-6 वर्ष
डॉक और घाट	15 वर्ष
रेलवे साइडिंग	15 वर्ष
इलेक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन	10 वर्ष
ट्रेनेज और पानी की आपूर्ति	15 वर्ष
जहाज़	13-28 वर्ष

2.11 परिसंपत्तियों का हानिकरण

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रत्येक रोकड उत्पादक एकक के संदर्भ में परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन करते हैं। यदि आंतरिक और बाह्य घटकों के आधार पर घटाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह सूचित करते हैं कि अंकित पूर्ण रूप से वसूली योग्य न होगा, हानिकरण के कारण हानि, जो अग्रनीत राशि और वसूली योग्य राशि के बीच जो अंतर है वह तदनुसार गणना की है।

2.12 बिक्री के लिए धारित गैर चालू संपत्तियां

कंपनी एक गैर चालू संपत्ति को बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत करती है, यदि उसकी कैरियिंग लागत मुख्य रूप से एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति को जैसे पूरा किए मानते हैं, केवल जब संपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभव हो।

बंद संचालन सहित गैर चालू संपत्तियां जो, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत को कैरियिंग राशि के निम्नतम में मापा जाता है और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत तथा वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया है। एक

बार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करने पर, संपत्तियां मूल्य हास और परिशोधन के अधीन नहीं है।

बंद संचालनों की बिक्री या पुनः मापन से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में एकल पंक्ति मद के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.13 सहायक कंपनी में निवेश

कंपनी ने भारतीय लेखाकरण मानक-27 अलग वित्तीय विवरणों के अनुसार अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी नियंत्रित कंपनी के लिए लागत पर गणना की है।

2.14 माल सूची

(क) कच्चे मालों, घटकों, भण्डार और पूर्ण का भारत औसत लागत पद्धति के अनुसरण में लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि उत्पादन/सेवाओं में उपयोग के लिए रखी गई सामग्रियों और अन्य आपूर्ति को लागत से नीचे नहीं लिखा गया है यदि तैयार उत्पाद/सेवाओं की आपूर्ति जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, उन्हें ऊपर या लागत पर बेचा जाने की उम्मीद है। अप्रचलन/अनुपयोगित/ गुण हास प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीक के मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है। मार्गस्थ और निरीक्षण लंबित मालों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। रक्षा पोतों के निर्माण के संबंध में सामग्रियों के स्टॉक जिसमें उपगत मूल्य मालिक द्वारा प्रतिपूर्ति की है, यान के निर्माण के लिए मालिक द्वारा प्रदान अग्रिमों से घटाव के रूप में दर्शाया है।

(ख) असंयत औजारों का मूल्यांकन उनके लागत के आधार पर किया गया और उनके अंकित मूल्य के 30 प्रतिशत को पुन मूल्यांकन पर होने वाली हानि के लिए प्रावधान करने के बाद किया गया।

(ग) रद्दियों का मूल्य निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

2.15 वित्तीय साधन

जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागतें जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को छोड़कर) की जारी को प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता पर मापा गया उचित मूल्य से जोड़ा या घटाया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए होता है।

लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है अगर ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 वित्तीय उपकरणों के क्षेत्र में सभी इक्विटी निवेश, उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटी उपकरण जो व्यापार के लिए धारित है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद उचित मूल्य में परिवर्तनों में प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। कंपनी ऐसे चयन उपकरण से उपकरण के आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है।

सहायक कंपनियों की वरीयता शेयरों/ ऋणपत्र में निवेश को इक्विटी उपकरणों के रूप में माना जाता है यदि वे इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है। पूर्वोक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाले वरीयता शेयरों/ ऋणपत्रों में निवेश को परिशोधन लागत पर ऋण उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक ऋण साधन में निवेश को परिमाप्य लागत पर मापा जाता है यदि दोनों निम्न शर्तें पूरी होती है : संपत्ति एक व्यावसायिक नमूने के भीतर संभाली जाती है, जिसका उद्देश्य है :

- संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्रित करने के लिए संपत्ति रखने, और
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर सृजित करती है जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया राशि पर होती हैं।

अमूर्त लागत की गणना किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल हैं। हानि से उत्पन्न होनेवाले नुकसान को लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता दी गई है।

व्यापार प्राप्तियां

कंपनी डिलिवरेबल्स के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है। प्राप्य एक विचार का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगडा हुआ है। भारतीय लेखा मानक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि छूट के माध्यम से मापा जाना।

कंपनी सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं। नुकसान हानि छूट भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है जब वसूली संदेहात्मक माना जाता है जब कर्ज तीन साल से अधिक है या अगर यह निश्चित है कि ऋण वसूली योग्य नहीं है। जहाँ ऋण कानूनी कार्यवाहियों में विवादित होते हैं, अगर किसी भी निर्णय कंपनी के खिलाफ दिया जाता है तो प्रावधान किया जाता है, यद्यपि वही उच्च अधिकारियों/ अदालतों को अपील पर ले लिया गया है। क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

रोकड व रोकड तुल्यांक

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो रोकड की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य जोखिम के अधीन है और रोकड तुल्यांक होने के लिए खरीद की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। रोकड व रोकड तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर पद्धति उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरण एक ठेका है जो अपनी सभी देयताओं को घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियों में बचत ब्याज का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को समायोजित सीधे जारी लागत से प्राप्त आय पर मान्य किया जाता है।

वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने के लिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन

कार्यात्मक व प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों (आई एन आर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की क्रियाशील मुद्रा प्रदर्शन मुद्रा है।

लेनदेन और शेष:

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को क्रियाशील मुद्रा में संबंधित लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर ग्रहण करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में बताए आर्थिक वस्तुओं को तुलन पत्र तिथि पर प्रचलित विनिमय दर में पुनः मापा जाता है। गैर आर्थिक विदेशी मुद्रा मदें लागत पर प्रस्तुत किया जाता है। विनिमय भिन्नता के कारण किसी भी आय या व्यय निपटान पर या संशोधित विवरण पर लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

व्युत्पन्न साधन और प्रतिरक्षा लेखांकन:

कंपनी कुछ विदेशी मुद्रा अग्रिम ठेके को विदेशी विनिमय जोखिमों के संबंध में प्रतिरक्षा साधनों के रूप में निर्दिष्ट करती है। इन प्रतिरक्षा को नकद प्रवाह प्रतिरक्षा के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न ठेके का उपयोग निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की विदेशी विनिमय जोखिम नीतियों से शासित है जो कंपनी के जोखिम प्रबंध योजना से संगत ऐसी वित्तीय व्युत्पन्नों के उपयोगों पर लिखित मूल्यतत्त्वों प्रदान करती है। कंपनी अनिश्चित प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग नहीं करता है।

प्रतिरक्षा साधनों को ठेके की शुरुआत में प्रतिरक्षा के रूप में निर्दिष्ट और प्रलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा अनावृत्ति से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा साधनों की प्रभावशीलता जो प्रतिरक्षा की जा रही है आरंभ में और निरंतर आधार पर मूल्यांकित और मापा जाता है। निर्दिष्ट प्रतिरक्षाओं के अप्रभावी भाग तत्काल से लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न ठेके का उपयोग निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की विदेशी विनिमय जोखिम नीतियों से शासित है जो कंपनी के जोखिम प्रबंध योजना से संगत ऐसी वित्तीय व्युत्पन्नों के उपयोगों पर लिखित मूल्यतत्त्वों प्रदान करती है। कंपनी अनिश्चित प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग नहीं करता है।

प्रतिरक्षा साधन समाप्त हो जाने पर या बिना किसी प्रतिस्थापन का रोलओवर (हेडजिंग रणनीति के भाग के रूप में) बेचा, समाप्त या प्रयोग किया जाता है या यदि प्रतिरक्षा के रूप में उसका पदनाम रद्द किया जाता है, या जब तक प्रतिरक्षा लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं प्रतिरक्षा लेखांकन समाप्त करता है। अन्य सर्वग्राही आय में मान्य किए और उस समय तक इक्विटी में संचित और अवशेष किसी भी लाभ अथवा हानि विवरण में नाम्य किया जाता है जब कि पूर्वानुमानित लेनदेन अंततः लाभ और हानि को प्रभावित करता है। जब तक पूर्वानुमानित लेनदेन की उम्मीद नहीं की जाती है, इक्विटी में संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

2.16 अनुबंध परिसंपत्तियां

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहकों को हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है । एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है । अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि के लिए की जाती है ।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

2.17 अनुबंध देयताएं

जहां कंपनी को विचार प्राप्त होता है, या कंपनी के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि कंपनी ग्राहक को एक अच्छी या सेवा हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

2.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोड़कर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

दिए गए पोटों/ छोटे यानों पर गारंटी दावे के लिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोटों के लिए गारंटी दावे, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

व्यापार के सामान्य क्रम में कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्ट लाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वसनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नहीं हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असल में प्रतिकूल प्रभाव डालें। कंपनी आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है दो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। कंपनी एक आकस्मिक संपत्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जहां आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव है।

2.19 राजस्व मान्यता

क) परिचालन से राजस्व

अप्रैल 1, 2018 से प्रभावी, कंपनी ने लेखा मानक 115 ‘ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व’ को अपनाया है। प्रारंभिक आवेदन की तारीख (अप्रैल 1, 2018) को पूरा नहीं किए गए अनुबंधों के संबंध में, कंपनी ने ओपन ड्रेट बैलेंस के समायोजन के रूप में प्रभावी तिथि पर समान लागू करने के संचयी प्रभाव को पहचानकर मानक पूर्वव्यापी लागू किया है। पूर्व में अर्जित आय और तदनुसार पिछले वर्षों के आंकड़ों को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो प्राप्त या प्राप्य विचार का उचित मूल्य है। राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी स्वदेशी वायुयान वाहक को छोड़कर जहाज़ निर्माण और जहाज़ की मरम्मत के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध के संबंध में आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के मापन के आधार पर उत्पादन पद्धति का उपयोग करके ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है।

स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध के संबंध में, जो कि आंशिक रूप से कीमत निश्चित मूल्य आधार “और आंशिक रूप से आंशिक लागत प्लस आधार” है, निश्चित मूल्य भाग से प्राप्त राजस्व को ऊपर बताए अनुसार मान्यता प्राप्त है। सामग्री और डिजाइन आउटसोर्सिंग की खरीद और आपूर्ति के लिए अनुबंध के लागत से अधिक भाग के निशान के माध्यम से राजस्व को मान्यता दी जाती है, जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर पूरा किया जाता है। सामग्री की लागत, डिजाइन आउट सोर्सिंग के मूल्य और जहाज के लिए किए गए अन्य खर्च जो नौसेना से अलग करने योग्य हैं, लाभ और हानि के बयान के लिए शुल्क लिया जाता है जब सामग्री का उपभोग किया जाता है / गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है / खर्च किए जाते हैं और एक साथ सकल होते हैं काम के मूल्य और आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अन्य ऑपरेटिंग राजस्व को उस समय पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को दिए गए माल और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है, सिवाय पोट निर्माण वित्तीय सहायता के मामले, जो अनुबंध के संबंध में आज तक पूर्ण किए गए प्रत्यक्ष प्रदर्शन के मापन के आधार पर आउटपुट पद्धति की मान्यता प्राप्त है, जो एसबीएफए नीति के तहत पात्र हैं । प्रबंधन शुल्क भी समय की अवधि में मान्यता प्राप्त है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

ऐसी परिस्थितियों, जहां कंपनी यथा चित प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को मापने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि वह प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में हुई लागत को वसूल करेगी, कंपनी राजस्व को केवल उस समय तक किए गए खर्चों की सीमा तक मानती है जब तक कि वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को यथोचित माप नहीं सकता। जहां कुल अनुबंध लागत और राजस्व के वर्तमान अनुमानों से नुकसान का संकेत मिलता है, पूरे नुकसान के लिए प्रावधान किया जाता है, चाहे जितना भी काम किया जाए।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले बिक्री मूल्य पर है या नहीं। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलॉन की बिक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना जाता है; हालांकि यदि संशोधन स्टैंडअलॉन बिक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

यदि किसी अनुबंध में दिए गए विचार में छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसे परिवर्तनीय राशि शामिल हैं, तो कंपनी उस अनुमानित शुद्ध राशि का अनुमान लगाती है जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामानों को या ग्राहक के लिए सेवाएं और उसी के लिए खाते में स्थानांतरित करने के बदले में हकदार है।

ख) अन्य आय

i) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब पहचाने जाते हैं जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़े शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को बहुतायत अवधियों जिसमें कंपनी संबंधित लागतों जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, को व्ययों के रूप में मान्य करते हैं, लाभ और हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता देती है। जहाँ अनुदान संपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है, और संपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है। अन्य अनुदान,

लाभ और हानि विवरण में व्ययों जिसके लिए ऐसे अनुदान संबंधित / कवर करने का इरादा है, के समवर्ती मान्यता दी जाती है।

सरकारी अनुदान दो पहलुओं से किए गए व्यय या हानियाँ केलिए मुआवजे के रूप में प्राप्य है या कोई भविष्य संबंधी लागत न होने वाले कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य केलिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिस अवधि में वे प्राप्य हो जाते हैं। पोत निर्माण वित्तीय को पैरा (क) में निर्दिष्ट तरीके से परिचालन से राजस्व के रूप में जाना जाता है।

ii) परिसंपत्ति क्षति और अग्रिमों पर ब्याज

(क) अग्रिमों पर ब्याज (ख) और परिसंपत्ति क्षतियों के कारण कोई आय को स्वीकार नहीं किया गया जहां ये उगाहियां, करार के विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्णय पर रहती है। करार पूरे होने पर अथवा इस पर अंतिम निर्णय होते वक्त उन्हें खाते में लिखा जाता है।

लंबी अवधि की अवधि वाले पूंजी कार्यों के निष्पादन के लिए दर्ज किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में समय पर अमल के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता के लिए अग्रिम ब्याज असर जुटाना अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान है, जुटाए अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का लेखा-जोखा आधार पर होता है।

iii) बीमा दावे केलिए लेखांकन

(i) वारंटी/ बिल्डर जोखिम दावे

वारंटी बीमा नीतियों के तहत पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों केलिए लिए बीमा पॉलिसियाँ, संरक्षित गारंटी दोषों अथवा बिल्डरों की जोखिम बीमा नीति के तहत दावों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को उस वर्ष के खातों में पहचाना जाएगा जिसमें सर्वेक्षण पूरा हो गया है और बीमा कंपनी द्वारा सूचित निपटान की संभाव्य राशि।

(ii) अन्य बीमा नीतियां

परिसंपत्ति बीमा, ट्रांसिट बीमा, समुद्री बीमा, रोकड बीमा आदि जैसी अन्य बीमा नीतियों के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के जरिए दावों के निपटान पर लेखे में दावों को मान्यता दी जाती है। चिकित्सा बीमा के मामले में, दावों को बीमा कंपनी के साथ प्रस्तुत दावों के आधार पर, उचित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

iv) अन्य

लाभांश आय को मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित किया गया हो।

2.20 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो हस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालीक है, शामिल है।

रोज़गार पश्चात लाभ योजना

निर्धारित योगदान योजनाएं

कार्यपालकों/ पर्यवेक्षकों/कामगारों केलिए सीएसएल अधिवर्षिता पेंशन ट्रस्ट में पात्र कर्मचारियों केलिए कर्मचारी पेंशन योजना में निर्धारित अंशदान दिया जाता है और वे नियत होने के रूप में प्रभारित किया जाता है। ऐसे लाभों को, अंशदान देने के अलावा कंपनी को कोई और दायित्व न होने के कारण निर्धारित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी एक निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना के तत्व में, अंशदायी भविष्य निधि की ओर अंशदान भी किया जाता है। भविष्य निधि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा प्रशासित कंपनी के भविष्य निधि के नियमों अपेक्षित करते हैं कि यदि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा घोषित दर पर ब्याज देने में असमर्थ है तो, तब कंपनी द्वारा कमी दूर की जाएगी। निधि की परिसंपत्तियों और निवेशों पर आय के संबंध में, कंपनी वर्ष के अंत में किसी भी कमी की उम्मीद नहीं करती है। कमी, अगर कंपनी द्वारा किसी भी आकलन के लिए खातों में प्रदान की जाती है।

कंपनी कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्टों जो वे नियत होने के कारण खर्च के रूप में प्रभारित किया है, की ओर अंशदान भी किया जाता है। ऐसे लाभों को निर्धारित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए योगदानों के अलावा कोई और दायित्व नहीं लेता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

कंपनी उपदान केलिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियां उस अवधि में पहचानते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवज़ा दी गई अनुपस्थितियां

कंपनी को मुआवज़ा दी गई अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो प्रकृति में दोनों संचित और गैर संचित है। मुआवज़ा दी गई अनुपस्थिति संचित करने केलिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/ लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवज़ा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

2.21 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/ निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे आरोग्य सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को जब ऐसे परिसंपत्तियाँ निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने पर उस तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक योग्य परिसंपत्ति ऐसा है कि जो अपने निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने हेतु अनिवार्य रूप से पर्याप्त अवधि लेती है। सभी अन्य उधार लागत, व्यय किया हुआ अवधि में लाभ व हानि के विवरण के साथ प्रभारित किया जाता है। उधार लागत के एक समायोजन के रूप में माने जाने वाले हद तक विनिमय अंतर भी उधार लागत में शामिल हैं।

2.22 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है, जिसमें कंपनी भविष्य के वर्षों में कंपनी (निगमित सामाजित दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अलावा समायोजन के लिए न्यूनतम आवश्यक सीएसआर व्यय से अधिक राशि को आगे ले जाने का निर्णय लेती है।

2.23 पूर्वावधि समायोजन

त्रुटियों की वजह से पूर्वावधि समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडने से, प्रस्तुत पूर्वावधियों जिसमें त्रुटि घटित है केलिए तुलनात्मक राशियों को पुन पेश करके या यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व अवधि से पहले घटित है, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण पुनः पेश करके पूर्वव्यापी प्रभाव पर सुधार किया जाता है।

2.24 आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशःअन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोड़कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

चालू कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित अनुसार वर्ष केलिए कर योग्य आय पर देय होने की उम्मीद की गई कर राशि पर मापा जाता है। चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया

टिप्पणियां

जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देयताएं, परिसंपत्तियाँ और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरियिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रनीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियाँ उपयोग किया जा सकता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की कैरियिंग राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित है, का उपयोग करके मापा जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने के लिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी करआधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

2.25 प्रति शेयर कमाई

प्रतिशेयर के मूल कमाई वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को आरोग्य लाभ या हानि को विभाजित करके गणना की जाती है। प्रस्तुत किए गए किसी भी वर्ष में कंपनी को संभवतः कमजोर प्रतिभूतियां नहीं थी।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

2.26 सेग्मेंट रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेग्मेंट्स किसी ऐसे उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए असतत वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जो मुख्य संचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन करती है, जिसमें संसाधनों को कैसे आबंटन करना और निष्पादन का मूल्यांकन करने का निर्णय करने में। कंपनी के मुख्य संचालन निर्णायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।

कंपनी ने व्यापार सेग्मेंटों (उद्योग प्रथा) को रिपोर्ट करने योग्य सेग्मेंटों के रूप में पहचान की है। व्यापार सेग्मेंट में: 1) पोत निर्माण और 2) पोतों/ अपतीय संरचनाओं की मरम्मत शामिल है।सेग्मेंट राजस्व, सेग्मेंट व्यय, सेग्मेंट परिसंपत्तियां और सेग्मेंट देयताएं सेग्मेंट की संचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर सेग्मेंट के रूप में पहचान की गई है।

सेगमेंट राजस्व, सेगमेंट व्यय, सेगमेंट परिसंपत्तियां और सेगमेंट देयताएं जो संपूर्ण कंपनी से संबंधित है और एक तर्क संगत आधार पर सेग्मेंटों के लिए आबंट न योग्य नहीं है 'अनाबंटित राजस्व/ व्यय/ परिसंपत्तियां/ देयताएं ' के अधीन शामिल किया गया है।

2.27 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड प्रवाहों को परोक्ष रीति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिससे कर के पूर्व लाभ/ हानि गैर रोकड प्रकृति के लेनदेन और पूर्व या भविष्य रोकड प्राप्तियों या भुगतानों के स्थगन या संचलन और निवेश या वित्तीय रोकड प्रवाह से जुड़े आय या व्यय के मदों को प्रभावित करने के लिए समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह अलग किया जाता है।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, रोकड और रोकड तुल्यांक में बैंको में और हाथ में रोकड और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि जमाएं शामिल है, जो मूल्य में परिवर्तनों का एक नगण्य जोखिम, बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट का निवल यदि कोई है, के अधीन है। बैंक ऑवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं में कर्ज के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

टिप्पणियां

2.28 इक्विटी शेयरधारकों केलिए लाभांश

इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश देयता के रूप में मान्य किया जाता है और उस अवधि में शेयरधारकों की इक्विटी से कटौती की जाती है, जिसमें साधारण बैठक में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा लाभांश अनुमोदित किया जाता है। अंतरिम लाभांश के मामले में, मान्यता उस अवधि में की जाती है जिसमें कंपनी के बोर्ड द्वारा इसकी सिफारिश और अनुमोदन किया जाता है।

2.29 हाल के अधिसूचनाएं

भारतीय संसद ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को मंजूरी दे दी है, जो भविष्य निधि और उपदान के लिए कंपनी के योगदान को प्रभावित करेगी। श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने नवंबर 13, 2020 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है और उन हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं जिन पर मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। एक बार बताए गए नियम अधिसूचित हो जाने के बाद कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां प्रभाव और उसके मूल्यांकन का आकलन करेंगी और उस अवधि में अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रभाव देगी, जिसमें कोड प्रभावी हो जाता और वित्तीय प्रभाव निर्धारित करने हेतु संबंधित नियम प्रकाशित होते हैं।

मार्च 24, 2021 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना के ज़रिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया। संशोधन अनुसूची के प्रभाग I, II और III को संशोधित करते है और अप्रैल 1, 2021 से लागू होते है। संशोधन व्यापक है और कंपनी कानून द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें प्रभावी बनाने हेतु उनकी मूल्यांकन करेगी।

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

व्योरा	सकल केरिचिंग राशि				मूल्यहास			निवल केरिचिंग राशि		
	01 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	वर्ष के लिए	समायोजन/	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च
	को जोड़/	समायोजन	नियटान/	नियटान/	आहरण	2021 को	2020 को	2021 को	2020 को	2020 को
स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54			587.54	-			-	587.54	587.54
इमारतें	13,805.43	2,771.08		16,576.51	2,448.18	533.20		2,981.38	13,595.13	11,357.25
प्लॉट और मशीनरी	18,908.02	1,148.83	0.61	20,056.24	7,076.60	1,845.72	0.39	8,921.93	11,134.31	11,831.42
फर्नीचर और जुड़ाव	1,237.54	125.09	2.22	1,360.41	485.75	113.99	1.55	598.19	762.22	751.79
गाड़ियां	599.11	13.67	0.04	612.74	256.49	55.65	0.02	312.12	300.62	342.62
कार्यालय उपस्कर	382.04	72.73	0.66	454.11	172.07	57.27	0.41	228.93	225.18	209.97
अन्य										
डटा प्रोसेसिंग उपकरण	1,338.03	489.13	7.88	1,819.28	830.14	246.54	5.30	1,071.38	747.90	507.89
गोदी और घाट	4,466.45			4,466.45	1,542.55	299.41		1,841.96	2,624.49	2,923.90
रेलवे साईडिंग	1.10			1.10	-			-	1.10	1.10
विद्युत संस्थान	1,765.00	66.03		1,831.03	864.80	117.37		982.17	848.86	900.20
नाली और जलपूर्ति	6.67			6.67	-			-	6.67	6.67
यानें	19.74			19.74	5.72	1.36		7.08	12.66	14.02
उप कुल	43,116.67	4,686.56	11.41	47,791.82	13,682.30	3,270.51	7.67	16,945.14	30,846.68	29,434.37
पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें	2,105.50	87.85		2,193.35	441.45	100.60		542.05	1,651.30	1,664.05
प्लॉट और मशीनरी	518.62	136.03		654.65	74.20	35.17		109.37	545.28	444.42
गोदी और घाट	9.62			9.62	8.35			8.35	1.27	1.27
विद्युत संस्थान	360.77	39.49		400.26	132.06	37.58		169.64	230.62	228.71
उप कुल	2,994.51	263.37	-	3,257.88	656.06	173.35	-	829.41	2,428.47	2,338.45
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि	39,172.92			39,172.92	1,354.98	1,354.62		2,709.60	36,463.32	37,817.94
उपयोग का अधिकार- इमारतें	98.11	74.96		173.07	35.36	35.29		70.65	102.42	62.75
उप कुल	39,271.03	74.96	-	39,345.99	1,390.34	1,389.91	-	2,780.25	36,565.74	37,880.69
कुल	85,382.21	5,024.89	11.41	90,395.69	15,728.70	4,833.77	7.67	20,554.80	69,840.89	69,653.51

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी...)

व्योरा	सकल केरिचिंग राशि				मूल्यहास			निवल केरिचिंग राशि		
	01 अप्रैल 2019	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	वर्ष के लिए	समायोजन/	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च	31 मार्च
	को जोड़/	समायोजन	नियटान/	नियटान/	आहरण	2020 को	2019 को	2020 को	2019 को	2019 को
स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54			587.54	-			-	587.54	587.54
इमारतें	13,459.99	345.44		13,805.43	1,926.33	521.85		2,448.18	11,357.25	11,533.66
प्लॉट और मशीनरी	18,115.59	793.50	1.07	18,908.02	5,591.52	1,485.63	0.55	7,076.60	11,831.42	12,524.07
फर्नीचर और जुड़ाव	1,113.31	125.88	1.65	1,237.54	372.40	114.27	0.92	485.75	751.79	740.91
गाड़ियां	515.38	83.73		599.11	203.19	53.30		256.49	342.62	312.19
कार्यालय उपस्कर	234.56	148.89	1.41	382.04	133.98	39.26	1.17	172.07	209.97	100.58
अन्य										
डटा प्रोसेसिंग उपकरण	916.58	422.24	0.79	1,338.03	668.96	161.90	0.72	830.14	507.89	247.62
गोदी और घाट	4,466.45			4,466.45	1,243.14	299.41		1,542.55	2,923.90	3,223.31
रेलवे साईडिंग	1.10			1.10	-			-	1.10	1.10
विद्युत संस्थान	1,725.64	39.36		1,765.00	732.10	132.70		864.80	900.20	993.54
नाली और जलपूर्ति	6.67			6.67	-			-	6.67	6.67
यानें	19.74			19.74	4.36	1.36		5.72	14.02	15.38
उप कुल	41,162.55	1,959.04	4.92	43,116.67	10,875.98	2,809.68	3.36	13,682.30	29,434.37	30,286.57
पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें	848.99	1,260.35	3.84	2,105.50	333.80	110.60	2.95	441.45	1,664.05	515.19
प्लॉट और मशीनरी	316.00	202.75	0.13	518.62	50.28	23.96	0.04	74.20	444.42	265.72
गोदी और घाट	9.62			9.62	8.35			8.35	1.27	1.27
विद्युत संस्थान	331.57	29.20		360.77	97.28	34.78		132.06	228.71	234.29
उप कुल	1,506.18	1,492.30	3.97	2,994.51	489.71	169.34	2.99	656.06	2,338.45	1,016.47
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि		39,172.92		39,172.92		1,354.98		1,354.98	37,817.94	
उपयोग का अधिकार- इमारतें		98.11		98.11		35.36		35.36	62.75	
उप कुल	-	39,271.03	-	39,271.03	-	1,390.34	-	1,390.34	37,880.69	-
कुल	42,668.73	42,722.37	8.89	85,382.21	11,365.69	4,369.36	6.35	15,728.70	69,653.51	31,303.04

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी...)

भूमि में पट्टे के आधार पर दी गई (i) भारतीय विद्या भवन को (0.69045 हेक्टर) (ii) मै.इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पाइप लगाने के लिए (0.620 हेक्टर) (iii) मै. कोचीन एयर प्रोडक्ट्स को (0.30 हेक्टर) और (ख) केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा धारित (0.47 हेक्टर) भूमि की मूल्य भी शामिल है।

भूमि के मूल्य में उसके साथ ली गई इमारतों का मूल्य भी शामिल है जिसके लिए मूल्य हास का प्रावधान न किया गया क्योंकि इनका अलग मूल्य प्राप्त नहीं तथा कारखाने की सुविधाओं के लिए इन्हें गिरी देने ती संभावना है।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के लिए परिसंपत्तियों को (1291.52 लाख रु) तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित और कार्यकाल निर्धारित किया गया है। यह कार्यकाल इन परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास की दरों पर पहुँचने हेतु एक आधार के रूप में किया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को नोट सं. 3 में, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से ली गई भूमि इन परिसंपत्तियों के साथ निर्मित परिसंपत्तियां / पट्टे में लिए भूमि में स्थापित करने, को अलग अलग से प्रकट किया गया है।

कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी द्वारा जारी कर मुक्त बांडो के लिए प्रतिभूति के रूप में कंपनी के भू संपत्तियों पर 12300 लाख रु. का बंधक सृजित किया है।

नोट 4 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्लान्ट और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	98,315.49	75,687.89
पूँजी याई मद	5,371.20	1,126.50
मार्गस्थ वस्तुएं	2,477.66	6.26
कुल	106,164.35	76,820.65

नोट 5 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

ब्योरा	सकल कैरिगिंग राशि		ऋणमुक्ति		निवल कैरिगिंग राशि					
	01 अप्रैल 2020 को	वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2021 को	01 अप्रैल 2020 को	वर्ष के लिए	समायोजन/आहरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,495.14	70.02	-	1,565.16	1,366.57	76.65	-	1,443.22	121.94	128.57
भूमि और पोत मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00	-	-	7,000.00	1,162.99	210.34	-	1,373.33	5,626.67	5,837.01
	8,522.81	70.02	-	8,592.83	2,557.23	286.99	-	2,844.22	5,748.61	5,965.58

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 5 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां (जारी...)

ब्योरा	सकल कैरिगिंग राशि		ऋणमुक्ति		निवल कैरिगिंग राशि					
	01 अप्रैल 2019 को	वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	31 मार्च 2020 को	01 अप्रैल 2019 को	वर्ष के लिए	समायोजन/आहरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,396.74	98.40	-	1,495.14	1,283.41	83.16	-	1,366.57	128.57	113.33
भूमि और पोत मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00	-	-	7,000.00	952.65	210.34	-	1,162.99	5,837.01	6,047.35
	8,424.41	98.40	-	8,522.81	2,263.73	293.50	-	2,557.23	5,965.58	6,160.68

अमूर्त परिसंपत्तियों के अधीन दर्शाए गए भूमि और पोत मरम्मत सुविधा के उपयोग करने का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना की स्थापना के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को दिए गए अग्रिम शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है, पट्टे की अवधि के दौरान दो पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की तिथि के आधार पर आगे बढ़ाया गया था, ऋण चुकाना है। चूंकि आईएसआरएफ के लिए सभी पर्यावरण मंजूरी जनवरी 09, 2018 तक प्राप्त की जाती है, इसलिए 30 वर्ष की पट्टा अवधि प्रभावी रूप से इस तिथि से शुरू होती है।

नोट 6 : निवेश- गैर चालू

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अनकोटेड (पूर्णतया प्रदत्त)		
इक्विटी उपकरणों में निवेश		
क) लागत पर		
सहायक कंपनी में इक्विटी शेयर		
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड- प्रत्येक 10 रु के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर	4,935.34	2,135.34
टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड- प्रत्येक 10 रु के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर	6,500.00	-
ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर		
कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी सहकारी उपभोक्त समिति में निवेश (प्रत्येक 100 रुपए के 2175 पूर्णतया प्रदत्त बी क्लास शेयर)	2.18	2.18
केरल एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश (प्रत्येक 10 रुपए के 70000)	7.00	7.00
कोचीन वेस्ट टू एनर्जी प्राइवेट लि. में निवेश (प्रत्येक 10 रुपए के 100000 इक्विटी शेयर)	-	-
ऋण साधनों में निवेश		
क) परिशोधित लागत पर		
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों में निवेश, 5,60,00,000, रु10 प्रत्येक का संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर (कंपनी के विकल्प पर किसी भी समय प्रतिदान लेकिन आबंटन की तारीख से 10 साल बाद नहीं)।	5,600.00	-
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की नियंत्रित कंपनी मै.हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश, प्रत्येक रु1000 के 440000, 6.5% अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर (60 महीने के अंत में सममूल्य पर प्रतिदेय)	4,400.00	4,400.00
कुल	21,444.52	6,544.52
अनकोटेड निवेश का कुल मूल्य	21,444.52	6,544.52

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 6 : निवेश- गैर चालू (जारी...)

निवेश के मूल्य के संकेतकों जैसे कि निवेशिती की संपत्ति, परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए कोचीन वेस्ट टू एनर्जी (पी) लिमिटेड में निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट देखी गई है और तदनुसार उचित मूल्य को शून्य माना जाता है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के एक सहायक कंपनी मै. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) को अक्टूबर 23, 2017 को मै. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और मै. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक व्यवस्था के रूप में निगमित किया गया था जिसमें सीएसएल को नकद (74%) केलिए प्रत्येक 10 रु. अंकित मूल्य वाले 16280000 इक्विटी शेयर और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड को नकद (26%) को छोड़कर विचार केलिए प्रत्येक 10 रु अंकित मूल्य वाले 5720000 इक्विटी शेयर है, वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने एचडीपीईएल द्वारा संभाले गए हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के 57,20,000 (26%) इक्विटी शेयरों संप्राप्त किया है, जिसकी कुल राशि 506.08 लाख रुपए है और एचसीएसएल अब सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली (100%) सहायक कंपनी बन गई है । एचसीएसएल के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 50,00,00,000 रुपए है, जो प्रत्येक 10 रुपए के 5,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है । वर्ष के दौरान, कंपनी ने मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के पूर्ण प्रदत्त 10/- के अंतिम मूल्य के 2,80,00,000 का निवेश किया। उक्त इक्विटी शेयर लाभांश सहित सभी प्रकार से कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान होंगे। एचसीएसएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का लेखा भारतीय लेखा मानक 27 अलग वित्तीय विवरणों के अनुसार लागत पर किया जाता है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चेन्नई ने मार्च 04 2020 को टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) के अधग्रहण केलिए सीएसएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दे दी, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही थी। एनसीएलटी आदेश के अनुपालन में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने सितंबर 15, 2020 को टीएसएल के अधग्रहण केलिए बोली राशि का भुगतान किया, जिससे टीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। टीएसएल की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 65,00,00,000 रुपए है, जो प्रत्येक 10/- रुपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है और टीएसएल में इस निवेश को सितंबर 30 2020 से भारतीय लेखा मानक 27 अलग वित्तीय विवरणों के अनुसार लागत पर हिसाब में लिया गया है।

नोट 7: गैर चालू ऋण

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य:		
क) प्रतिभूति जमा	71.16	65.40
ख) संबंधित पार्टियों को ऋण		
टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड- सहायक कंपनी	500.00	0.00
ख) अन्य ऋण		
कर्मचारी अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को ऋण	0.00	0.00
अन्य कर्मचारियां	291.60	42.84
कुल	862.76	108.24

ऋण जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है ।

कंपनी ने अपने प्रचालन चरण के दौरान खर्चों को पूरा करने हेतु सहायक कंपनी टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड को 5.5 प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ असुरक्षित ऋण के रूप में 500 लाख रुपए का निवेश किया। मूल राशि का भुगतान संवितरण की तारीख से 5 वर्ष के अंत में किया जाना है, अर्थात् 17 सितंबर 2025 को। ब्याज की चुकौती संवितरण की तारीख से वार्षिक आधार पर की जानी है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां- गैर चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना अनुवृत्ति	4,255.65	835.57
संप्राप्त किराया परिसंपत्ति		28.93
वरीयता शेयरों में निवेश से अर्जित लाभांश आय	45.67	-
कुल	4,331.07	864.50

भारत सरकार ने दिनांक अप्रैल 01, 2016 से मार्च 31, 2026 के बीच हस्ताक्षरित पोत निर्माण अनुबंधों केलिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने केलिए दिसंबर 09 2015 को भारतीय शिपयार्डों केलिए एक वित्तीय सहायता नीति को अनुमोदित किया है । इस सहायता हेतु राजस्व की पहचान अब तक पूर्ण की गई सब्सिडी के तहत जहाजों के प्रत्यक्ष प्रदर्शन के मापन पर आधारित है।

नोट 9: आयकर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
गैर चालू कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	3,854.01	6,025.42
चालू कर परिसंपत्तियां / देयता		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	(7,309.64)	(1,155.45)

लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
चालू कर :		
चालू आयकर प्रभार	24,372.08	23,895.75
पूर्व वर्ष के संबंध में समायोजन	(1,078.88)	(3,260.92)
कुल (क)	23,293.20	20,634.83
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	(3,245.00)	1,939.00
कुल (ख)	(3,245.00)	1,939.00
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय (क+ ख)	20,048.20	22,573.83

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

चालू वर्ष के लिए आयकर खर्च निम्नानुसार लेखा लाभ से मिल मिलाप किया जा सकता है:-

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	81,058.64	86,342.58
संबंधित लागू दरों पर गणित आयकर खर्च	20,400.85	21,730.70
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य है	7,469.50	5,916.60
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में अनुमत है।	(3,909.11)	(4,131.73)
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर हुए खर्च का प्रभाव, कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य नहीं है।	374.25	319.87
अन्य	36.59	60.31
	24,372.08	23,895.75
पूर्व वर्षों के चालू कर से संबंधित चालू वर्ष में पहचाने गए समायोजन	(1,078.88)	(3,260.92)
आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन के लिए समायोजन	(3,245.00)	1,939.00
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए आयकर खर्च	20,048.20	22,573.83

नोट 10: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
आस्थगित कर दायित्व	(2,682.55)	(2,787.39)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	10,563.49	7,423.33
कुल	7,880.94	4,635.94

2020-21 के संबंध में आस्थगित कर देयता //(परिसंपत्ति)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(6,425.47)	(2,578.21)	-	(9,003.68)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2,813.14	(115.60)	-	2,697.54
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	(28.88)	11.02	-	(17.86)
अन्य	(994.73)	(562.21)	-	(1,556.94)
कुल	(4,635.94)	(3,245.00)	-	(7,880.94)

2019-20 के संबंध में आस्थगित कर देयता //(परिसंपत्ति)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(9,508.69)	3,083.22	0.00	(6,425.47)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,958.25	(1,145.11)	0.00	2,813.14
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	(56.94)	28.06	0.00	(28.88)
अन्य	(967.56)	(27.17)	-	(994.73)
कुल	(6,574.94)	1,939.00	-	(4,635.94)

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 11: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
पूंजी अग्रिम	20,887.66	28,817.72
पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम:		
प्रतिभूति जमा	239.66	211.44
सीमा शुल्क विभाग के साथ जमा	261.22	261.22
कुल	21,388.54	29,290.38

सीमा शुल्क के संबंध में देयता को कवर करने के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष 261.22 लाख के कस्टम विभाग के पास जमा धनराशि अपील से संबंधित है, जो नोट नंबर 22 (अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू) के तहत चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय के रूप में भी दिखाया गया है।

नोट 12 : मालसूचियाँ

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
कच्चे माल और घटक *	40,614.93	28,145.83
घटाइए : माल सूची में अप्रचलन, अनुपयोगिता, गुणह्रास और मूल्य घटाव के लिए प्रावधान मार्गस्थ माल	(353.87)	(391.39)
मार्गस्थ माल *	994.01	1,964.10
	41,255.07	29,718.54
भंडार व पूर्जे *	714.45	780.18
घटाइए : माल सूची में अप्रचलन, अनुपयोगिता, गुणह्रास और मूल्य घटाव के लिए प्रावधान मार्गस्थ माल	(11.61)	(17.06)
मार्गस्थ माल *	393.16	37.33
	1,096.00	800.45
असंयत औजार*	658.82	680.55
रद्दी माल *	211.51	141.77
कुल	43,221.40	31,341.31

*माल सूचियों का मूल्यांकन नोट सं. 2 में दी गई लेखाकरण नीति सं. 2.14 के अनुसार किया गया है।

- मालसूची में भारतीय नौसेना की ओर से कंपनी के साथ शेष आईएसी ठेका ₹14757.40 लाख (पिछले वर्ष 32838.80 लाख रुपए) के कोस्ट प्लस भाग के अधीन प्राप्त खरीदे गए घटक और कच्चे माल स्टोक शामिल नहीं है और आईएसी के लिए भारतीय नौसेना द्वारा लिए अग्रिम पर दिखाया गया है।
- मालसूची में शामिल की गई अनुरक्षण पुर्जे, सामान्य प्रकृति के पूजों का प्रतिनिधान करता है और एक विशेष परिसंपत्ति से संबंधित नहीं है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 13 : प्राप्य व्यापार- चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अप्रतिभूत		
वसूलीयोग्य		
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	35,330.43	28,823.21
क्रेडिट रिस्क में महत्वपूर्ण वृद्धिवाले व्यापार प्राप्य	10,215.58	13,588.08
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	(10,215.58)	(13,588.08)
व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-
कुल	35,330.43	28,823.21

व्यापार प्राप्तियां सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्त है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते में गतिविधि

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रारंभिक शेष	13,588.08	13,123.16
जोड़िए: प्रावधान किया/ वर्ष के दौरान किए स्थानांतरण	672.78	4,149.68
घटाइए: एकत्र राशि/ प्रावधान का परिवर्तन	4,045.28	3,684.76
जमा शेष	10,215.58	13,588.08

नोट 14 : रोकड और रोकड तुल्यांक

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
बैंक शेष		
चालू खाते में	10,660.42	6,061.15
भारतीय नौसेना की ओर से चालू खाते में	37,749.10	3,641.02
आईपीओ आय से चालू खाते में	-	5.04
कम से कम तीन वर्ष की आवधि जमा	18,312.07	22,088.26
आईपीओ आय में से तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	-	8,485.71
आईपीओ के निश्चित वस्तुओं के लिए तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	-	44,570.45
कुल	66,721.59	84,851.63

देशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त निधियां अलग खाते और अलग से प्रकट किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 15 : रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
तीन महीने से कम समय की मूल परिपक्वता के साथ ग्रहणाधिकार जमा अवधि*	62,262.58	18,993.08
तीन महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंकों में आवधि जमा **	687.34	57,080.19
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ की आय से 12 महीने से कम		5,050.00
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ के साधनों के लिए निर्धारित	84,929.09	51,597.00
की आय से 12 महीने से कम		
निर्धारित शेष राशि (अवैतनिक लाभांश खाता)	37.76	20.00
कुल	147,916.77	132,740.27

*तीन महीने से कम की परिपक्वता वाले बैंकों के पास जमा, कंपनी को दी गई गैर- निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं के लिए नकद मार्जिन बनाए रखने हेतु यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा का प्रतिनिधित्व करता है।

** बैंकों के साथ 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि से युक्त जमाओं में ₹ 93.01 लाख रुपए (पिछले साल 87.34 लाख) केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में ग्रहणाधिकारी अंकित है।

नोट 16 : चालू ऋण

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अप्रतिभूत, वसूलीयोग्य		
कर्मचारी अग्रिम		
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण	-	-
अन्य कर्मचारी	57.20	30.97
कुल	57.20	30.97

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

नोट 17 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों- चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	1,371.77	3,122.61
अन्यों से अर्जित ब्याज	167.17	153.58
कर्मचारी अग्रिमों पर उपचित ब्याज		
संबंधित पार्टियां	-	-
अन्य कर्मचारी	17.43	15.99
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न परिसंपत्तियां	178.28	-
कुल	1,734.65	3,292.18

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 18 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
पूंजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को अग्रिम	0.39	0.84
अन्य अग्रिम	21,067.43	11,525.24
अग्रिम- वसूली संदिग्ध	0.07	0.07
	21,067.89	11,526.15
घटाइए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.07	0.07
	21,067.82	11,526.08
अन्य		
आईएसी कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियां	49,677.10	60,570.53
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियां	45,461.76	30,980.80
बिक्री कर विभाग और सीबीईसी से शेष	290.66	474.80
विविध जमाराशियां	17.72	17.26
पूर्वदत्त व्यय	323.88	463.98
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	84,861.03	54,194.03
विविध चालू परिसंपत्तियां	1,756.28	1,246.47
कुल	203,456.25	159,473.94

नोट 19 : इक्विटी शेयर पूंजी

ब्योरा	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	संख्या	(₹ लाखों में)	संख्या	(₹ लाखों में)
प्राधिकृत				
₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
पूर्णतः प्रदत्त ₹10 प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
कुल	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

19.1 बकाया राशि और शेयरों का समन्वय

ब्योरा	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	संख्या	(₹ लाखों में)	संख्या	(₹ लाखों में)
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	0	0.00	0	0.00
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0.00		
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13154.04	131540390	13,154.04

इक्विटी शेयर के साथ नियम व अधिकार संलग्न: कंपनी को ₹10 प्रति शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश के लिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितीकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमाम्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

19.2 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारकों का विवरण

ब्योरा	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	95843464	72.86	95843464	72.86
निष्पॉन लाइफ इंडिया लिमिटेड (पूर्व रिलाइंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड)	-	-	10795352	8.21

2019-20 के दौरान, भारत सरकार ने सेबी विनियम 1996 और समय-समय पर बनाए गए अन्य लागू कानून, नियम और विनियमों के अनुसार और सीपीएसई ईटीएफ एफएफओ-6 की जारी के सिलसिले में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएम) विभाग के जरिए रिलाइंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के रूप में पूर्व जानेवाले परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, निष्पॉन लाइफ इंडिया लिमिटेड को फरवरी 03, 2020 को 3090978 (प्रदत्त पूंजी के कुल 2.35%) इक्विटी शेयरों को अंतरित किया है।

नोट 20 : अन्य इक्विटी

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
पूंजी आरक्षण	263.56	263.56
पूंजी मोचन आरक्षण	12,353.76	12,353.76
प्रतिभूति प्रीमियम	93,152.20	93,152.32
ऋणपत्र मोचन आरक्षण	1,668.44	1,668.44
सामान्य आरक्षण	6,322.75	6,322.75
नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व	90.60	-
प्रतिधारित कमाई	270,751.33	246,264.63
कुल	384,602.64	360,025.46

अन्य इक्विटी में प्रत्येक मदों का संचलन इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में विस्तृत होता है।

पूंजी आरक्षण: पूंजी निधि कंपनी की जमीन में नल तंत्र लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से प्राप्त पुनःस्थापन प्रभार का प्रतिनिधान करती है।

कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व : 12353.76 रुपए के कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व में 11914.20 लाख शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिकता वाले शेयरों के मोचन पर बनाया जा रहा है और 439.56 लाख वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर राशि है, जिसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण : सीधे क्रम के आधार बांड की अवधि पर कर मुक्त बांड के प्रीमियम पर परिशोधन किया है। कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पूरा कर लिया है और प्रीमियम (₹ 93929.76 लाख) पर प्रत्येक ₹10 के 22656000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। भारतीय लेखांकन मानक 32- वित्तीय उपकरण की आवश्यकताओं के अनुसार 777.93 लाख के शेयरों के ऐसे आवंटन की ओर आस्थगित कर समायोजन का निवल व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम में डेबिट किया गया है।

ऋण मोचन आरक्षण: कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 (7) के साथ पढित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 (4) के अनुसार और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) के अनुसार, ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान कंपनी द्वारा जारी बांडों की 25% मूल्य पर ऋण मोचन आरक्षण कंपनी द्वारा बना रही है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. जीएसआर 574 (ई) द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 किए गए संशोधन के अनुसार, कंपनी उनके द्वारा जारी बांड के संबंध में ऋण मोचन आरक्षण बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, 30.09.2019 तक बनाए गए ऋण मोचन आरक्षण, जो 1668.44 लाख रुपए के हैं, बांड की मोचन की समय तक बहियों में बनाया रखा जाएगा।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व : नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त नामित हेड्जिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। (नोट संख्या 41 देखें।)

अंतरिम लाभांश : वर्ष के दौरान, कंपनी ने 10 रुपए अंकित मूल्य के 9 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के और 10/-रुपए के अंकित मूल्य के 4/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, जैसा कि जनवरी 04, 2021 और नवंबर 12, 2019 को आयोजित बोर्ड बैठक में सिफारिश की गई थी।

प्रस्तावित लाभांश: कंपनी के निदेशक मंडल ने मार्च 31, 2021 को आयोजित बोर्ड की बैठक में जून 11, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ₹10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 2.50/- का लाभांश सिफारिश की है।

नोट 21 : उधार

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
(क) बांड- (सुरक्षित)		
परिशोधन लागत पर		
कर मुक्त प्रतिभूत विमोचन गैर परिवर्तनीय बांड- श्रेणी 2013-14	12,300.00	12,300.00
कुल	12,300.00	12,300.00

कर मुक्त आधारिक संरचना बांड श्रेणी 2013-14

क) **वित्तांश 1:** प्रतिवर्ष देय 8.51% के ब्याज दर के साथ कुल 10000 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 1000 बांड दिसंबर 02, 2023 को मोचन के लिए समतुल्य पर प्रतिदेय है।

ख) **वित्तांश 2:** प्रतिवर्ष देय 8.72% के ब्याज दर के साथ कुल 2300 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 230 बांड मार्च 28, 2029 को मोचन के लिए समतुल्य पर प्रतिदेय है।

ये बांड कंपनी के भू- संपत्ति के खिलाफ प्रतिभूत हैं। सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड़ से 197.12 एकड़ (487.00 सेंट), सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड़, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड़, सर्वे सं. 714/06 में 50.18 एकड़, सर्वे सं. 714/2 में 10.12 एकड़, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड़ और सर्वे सं. 714/5 में 10.93 एकड़ एलमकुलम ग्राम, कणयनूर तालुक, एर्णाकुलम जिले, केरल के समीप पड़े है।

उपयोगिता : प्राप्त 12300 लाख रु. के मुद्दे आय में से, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा योजना पर हुए विविध खर्च की राशि उपयोग/ समायोजित किया।

उधार की वित्तीय देयताओं की कैरिंग राशियों और उचित मूल्यों के बीच भिन्नता प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वर्ष में महत्वपूर्ण नहीं है।

नोट 22: अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के देय	261.22	261.22
भारतीय लेखांकन मानक 116 के अधीन पट्टा देयताएं	38,374.71	37,325.69
कुल	38,635.93	37,586.91

सीमा शुल्क ड्यूटी के संबंध में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को ₹ 261.22 लाख की देयता है जो वापसी अपील के आयुक्त (अपील) के समक्ष है जिसे नोट सं 11 के अधीन सीमा शुल्क विभाग की जमा राशि के रूप में भी दिखाया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 23: प्रावधान- गैर चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट 33 का संदर्भ लें)	3,161.39	2,872.20
कुल	3,161.39	2,872.20

नोट 24: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
सरकारी सहायता से उत्पन्न स्थायी आय	10.30	11.45
कुल	10.30	11.45

नोट 25 : व्यापार देय

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया	1,527.88	686.52
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया	42,014.71	41,185.27
कुल	43,542.59	41,871.79

इस हद तक, कंपनी को विक्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, व्यापार भुगतान का विवरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	1,527.88	686.52
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ ;सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि।		
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	-	-
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि, जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006;धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	-	-

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

नोट 26 : अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रदत्त ब्याज लेकिन देय नहीं	281.98	281.95
अवैतनिक लाभांश	37.76	20.00
पट्टा देयताएं		2,433.83
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न देयताएं	57.21	
अन्य		
प्रतिभूति और अन्य जमा	9,349.34	3,313.51
अन्य देय	11,233.56	11,217.03
कुल	23,516.08	17,266.32

नोट 27 : अन्य चालू देयताएं

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध देयता		113,330.88
अन्य पोत निर्माण ठेके के लिए अग्रिम	114.21	114.21
पोत मरम्मत और अन्य के लिए अग्रिम	644.24	586.08
अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	26.46	25.33
सांविधिक देय	3,295.50	2,023.86
सरकारी सहायता से उत्पन्न होने वाली स्थाई आय	1.14	1.14
कुल	164,236.68	116,081.50

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 39 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'।

अवसंरचना सुविधाओं की लागत जो अब नौसेना की निधि से और भारतीय नौसेना द्वारा समायोजित की गई है।

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
भवन और अन्य सिविल कार्य	13,763.77	11,507.56
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	1,338.51	1,324.01
फर्नीचर और कार्यालय उपकरण	386.75	383.62
संयंत्र और मशीनरी	16,885.70	16,842.12
कुल	32,374.73	30,057.31

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

नोट 28 : चालू प्रावधान

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	272.09	1,048.51
अनुपस्थिति का मुआवजा (संदर्भ : नोट सं. 33)	515.45	533.22
अन्य	-	-
	787.54	1,581.73
अन्य प्रावधान		
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	2,662.17	209.12
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	11,658.00	5,287.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	34,376.98	31,059.28
	48,697.15	36,555.40
कुल	49,484.69	38,137.13

28.1 प्रावधानों के गतिविधियों के विवरण

	(₹ लाखों में)				
विवरण	01.04.2020 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	1,048.51	272.09	(1,048.51)	-	272.09
क्षतिपूरण अवधि	533.22	-	(17.77)	-	515.45
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	209.12	2,560.12	(107.07)	-	2,662.17
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	5,287.00	6,371.26	(0.26)	-	11,658.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	31,059.28	30,884.93	(25,127.66)	(2,439.57)	34,376.98

	(₹ लाखों में)				
विवरण	01.04.2019 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2020 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	607.90	440.61	-	-	1,048.51
क्षतिपूरण अवधि	464.29	68.93	-	-	533.22
अन्य	2,997.00	-	(2,997.00)	-	-
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	211.61	0.17	(2.66)	-	209.12
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	205.00	5,287.00	-	(205.00)	5,287.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	32,446.60	29,783.06	(26,117.27)	(5,053.11)	31,059.28

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 29 : प्रचालन से आय

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण:		
देशी वायुयान वाहक (आईएसी)	200,925.37	237,746.87
देशी वायुयान वाहक को छोड़कर अन्य यानें	35,831.94	46,206.78
	236,757.31	283,953.65
सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	40,850.24	56,856.75
इंजीनियरिंग कार्य	5.50	-
	40,855.74	56,856.75
अन्य परिचालन राजस्व		
स्टॉक मर्दों की बिक्री	-	-
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	3,420.09	835.57
रद्दी माल की बिक्री	544.23	603.42
प्रबंधन शुल्क	312.33	-
	4,276.65	1,438.99
कुल	281,889.70	342,249.39

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 39 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' ।

कंपनी ने मई 13, 2020 को कोविड-19 और भारत सरकार के परिपत्र के कारण लॉकडाउन अवधि पर विचार किया है, जो कभी भी परियोजनाओं पर लागू होता है और केरल बाढ़ प्राकृतिक आपदा 2018 को प्रचालन से राजस्व की गणना करते समय परिसमाप्त नुकसान की गुणना के लिए अप्रत्याशित अवधि के रूप में माना जाता है।

भारत सरकार ने अप्रैल 01, 2016 से मई 31, 2026 के बीच हस्ताक्षरित जहाज निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिसंबर 09, 2015 को भारतीय शिपयार्ड के लिए वित्तीय सहायता नीति के मंजूरी दी। इस सहायता हेतु राजस्व की पहचान अब तक पूर्ण की गई अनुवृत्ति के तहत जहाजों के प्रत्यक्ष निष्पादन के मापन पर आधारित है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने पोर्ट ब्लेयर में मराइन डॉकयार्ड में अपना संचालन शुरू करने हेतु अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक समझौता किया है, जो वर्तमान में अंडमान व निकोबार प्रशासन द्वारा सीधे संचालित किया जा रहा है। इस समझौते के आधार पर आनुपातिक आधार पर प्रबंधन शुल्क का हिसाब लगाया जाता है। नवंबर 28, 2019 को हस्ताक्षरित इस समझौते के दायरे में, सीएसएल प्रशासन को अंडमान व निकोबार द्वीपों पर एक पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में सहायता करेगा। सीएसएल सुविधा में विस्तार और आधुनिकीकरण में भी सहयोग करेगा और द्वीपों में स्थित प्रशासन और तकनीकी संस्थानों के परामर्श से द्वीपों में कौशल विकास की दिशा में प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 30 : अन्य आय

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
प्रशिक्षण सुविधाएं	106.27	304.29
रद्दी माल और भंडार से आय	85.90	246.42
प्रयोगशाला सेवाओं से आय	12.94	33.77
किराया प्राप्त	259.19	303.34
प्राप्त भाड़े	1.10	5.90
जमाओं पर ब्याज	8,718.43	14,827.83
अन्यों से ब्याज	1,904.78	1,897.34
वरीयता शेयरों से लाभांश आय	45.67	-
इक्विटी निवेश/ म्यूचुवल फंड से लाभांश आय	0.89	0.89
म्यूचुवल फंड से लाभांश आय	-	235.30
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ	404.65	-
व्युत्पन्न अनुबंधों पर निवल लाभ	123.99	-
प्रावधान जो आवश्यक नहीं है	4,365.45	5,159.25
विविध आय	3,356.81	1,735.70
कुल	19,386.07	24,750.03

विविध आय में कंपनी के अंतर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संबंधी सहायधन के रूप में ₹ 1.14 लाख की आस्थगित सरकारी सहायता शामिल है। वही भारतीय लेखांकन मानक 20-सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुसार गणना की गई हैं।

नोट 31 : उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल		
इस्पात	3,965.41	5,760.00
पाइप	966.05	798.84
पेंट	1,312.48	1,495.32
खरीदे गए घटक	115,737.88	171,545.66
कुल	121,981.82	179,599.82

नोट 32 : उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
उप ठेका और किए गए कार्य	26,544.41	28,818.23
हल बीमा	849.62	530.97
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	6,237.35	7,207.78
कुल	33,631.38	36,556.98

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 33 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेसिया और भत्ते	25,416.91	26,145.73
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	1,719.52	2,020.40
उपदान	345.54	305.67
कर्मचारी कल्याण खर्च	1,675.82	2,095.52
कुल	29,157.79	30,567.32

भविष्य निधि और परिवार पेंशन फंड में ₹ 19.23 लाख (पिछले साल ₹ 20.52 लाख) भविष्य निधि निरीक्षण तथा प्रशासन शुल्क की ओर शामिल है।

वेतन, मजदूरी, बोनस/अनुग्रह-अनुदान और भत्ते में ₹ 72.62 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 512.42 लाख रुपए) की राशि के कामगारों के लिए अर्ध वेतन क्षतिपूरित अनुपस्थितियों की भुनाई के लिए प्रावधान शामिल हैं।

कर्मचारी लाभ व्ययों में नियंत्रित कंपनी (हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड) के लिए अस्थायी विशेष नियुक्ति के रूप में ₹ 6.15 लाख (पिछले साल ₹ 33.03 लाख) शामिल है।

कर्मचारी लाभ व्ययों में नियंत्रित कंपनी (टेवमा शिपयार्ड्स लिमिटेड) के लिए अस्थायी विशेष नियुक्ति के रूप में ₹ 13.05 लाख (पिछले साल शून्य) शामिल है।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्राप्त होनेवाले कर्मचारी लाभों को कंपनी कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त मांगों के आधार पर हिसाब किया जा रहा है न कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर। उनकी अनुदान को छोड़कर, जो बिल्कुल बीमांकिक किया जाता है।

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूरित अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं निम्नानुसार थी:

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रति महीने)	6.97%	6.66%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर- अर्ध वेतन छुट्टी	0.70%	0.70%
संघर्षण दर- अर्जित छुट्टी	0.70%	0.70%

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
निर्धारित लाभ दायित्व की औसत अवधि (वर्षों में)	8.23	7.94

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	244.95	213.89
निवल ब्याज मूल्य	205.06	196.63
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक लाभ / (हानि)	474.16	767.32
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	924.17	1177.84

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	3676.83	3405.42
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	3,676.83	3,405.42

कर्मचारी लाभ के प्रकार	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
पीवीओ के वर्तमान घटक	515.44	533.22
पीवीओ के गैर चालू घटक	3161.39	2872.20
कुल पीवीओ	3676.83	3405.42

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ देयता	3405.42	2893.00
वर्तमान और पिछले की सेवा मूल्य	244.95	213.89
चालू ब्याज मूल्य	205.06	196.63
बीमांकिक (लाभ)/हानि	474.16	767.32
प्रदत्त लाभ	(652.76)	(665.42)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयता	3,676.83	3,405.42

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	-	-
नियोजता से अंशदान	652.76	665.42
प्रदत्त लाभ	(652.76)	(665.42)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

वर्ष	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	87.43	484.41
वर्ष 2	401.76	83.24
वर्ष 3	89.56	203.95
वर्ष 4	74.69	86.45
वर्ष 5	126.07	74.63
अगले 5 वर्ष	438.26	472.06

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

वर्ष	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	87.43	484.41
वर्ष 2	401.76	83.24
वर्ष 3	89.56	203.95
वर्ष 4	74.69	86.45
वर्ष 5	126.07	74.63
अगले 5 वर्ष	438.26	472.06

संवेदनशीलता विश्लेषण - आधा वेतन छुट्टी	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.47%	7.16%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	2,988.16	355.85
वर्तमान सेवा लागत	128.15	104.81
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.47%	6.16%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,225.63	389.41
वर्तमान सेवा लागत	140.20	113.84
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,229.92	389.98
वर्तमान सेवा लागत	140.42	113.99
घ. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	2,983.37	355.23
वर्तमान सेवा लागत	127.91	104.64

बीपी ' आधार अंक' को दर्शाता है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

संवेदनशीलता विश्लेषण - अर्जित छुट्टी	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.47%	7.16%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	2,988.16	2,927.06
वर्तमान सेवा लागत	128.15	130.04
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.47%	6.16%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,225.63	3,148.26
वर्तमान सेवा लागत	140.20	142.08
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,229.92	3,151.90
वर्तमान सेवा लागत	140.42	142.28
घ. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	2,983.37	2,922.90
वर्तमान सेवा लागत	127.91	129.82

बीपी ' आधार अंक' को दर्शाता है।

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है : (मुख्य कार्यालय):	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	6.97%	6.66%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	0.70%	0.70%
योजनागत परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	6.97%	6.66%

ब्योरा

निश्चित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
	8.50	7.21

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	252.11	223.48
पिछली सेवा लागत	-	-
निवल ब्याज खर्च	34.92	23.34
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	287.02	246.82
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(76.82)	636.50
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	(308.94)	165.18
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	(385.76)	801.68

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	4,664.16	5,240.37
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,762.90	4,191.87
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	(98.74)	1,048.50

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,240.37	5,078.89
चालू सेवा मूल्य	252.11	223.48
चालू ब्याज मूल्य	313.54	349.80
पिछली सेवा लागत	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(76.82)	636.50
प्रदत्त लाभ	(1,065.04)	(1,048.30)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	4,664.16	5,240.37

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है :

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,191.87	4,471.00
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	278.63	326.46
बीमांकिक लाभ / (हानि)	308.94	(165.18)
नियोक्ता से अंशदान	1,048.51	607.90
प्रदत्त लाभ	(1,065.04)	(1,048.32)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,762.90	4,191.86

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

वर्ष	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

वर्ष	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	324.46	1,942.66
वर्ष 2	1,561.59	293.47
वर्ष 3	350.89	698.96
वर्ष 4	261.87	327.89
वर्ष 5	370.83	240.10
अगले 5 वर्ष	1,203.18	1,242.55

संवेदनशीलता विश्लेषण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.47%	7.16%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,487.42	5,071.31
वर्तमान सेवा लागत	235.32	236.07
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.47%	6.16%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,855.15	5,423.06
वर्तमान सेवा लागत	269.48	269.81
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,835.23	5,403.33
वर्तमान सेवा लागत	267.74	267.13
घ. वेतन वृद्धि दर अ 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,504.03	5,086.36
वर्तमान सेवा लागत	237.00	238.93

बीपी 'आधार अंक' दर्शाता है ।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

योजना परिसंपत्तियों की मुख्य श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार की प्रतिभूति	36.77%	29.90%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	27.10%	30.96%
उच्च गुणवत्ता के कॉर्पोरेट बांड	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	24.48%	10.90%
संपत्ति	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.25%	0.25%
अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)	11.39%	27.99%
कुल	100.00%	100.00%

योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित अनुदान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा और सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट के वास्तविक मूल्यांकन के उद्देश्य से इस्तेमाल की जानेवाली प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं :	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्र.म.) - आईएसआरएफ	5.65%	6.00%
छूट दर (प्र.म.) - सीएमएसआरयू	5.00%	5.70%
मुआवजे की स्तर में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	2.00%	2.00%
योजना परिसंपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर	लागू नहीं	लागू नहीं

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	44.24	45.08
पिछली सेवा लागत	-	-
निवल ब्याज खर्च	14.28	13.77
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	58.52	58.85
निवल परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(25.26)	(4.08)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	-	-
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	(25.26)	(4.08)

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	272.09	238.83
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	272.09	238.83

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	238.83	184.06
चालू सेवा मूल्य	44.24	45.08
चालू ब्याज मूल्य	14.28	13.77
पिछली सेवा लागत	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(25.26)	(4.08)
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	272.09	238.83

आईएसआरएफ एवं सीएमएसआरयू अनुदान को कंपनी द्वारा स्वयं प्रबंधित की जाती है।

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)	(₹ लाखों में)	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

'एनए' ' ' लागू नहीं' को दर्शाता है।

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)	(₹ लाखों में)	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	71.07	13.06
वर्ष 2	40.48	6.17
वर्ष 3	15.32	2.23
वर्ष 4	30.73	1.59
वर्ष 5	15.51	0.12
अगले 5 वर्ष	71.70	4.09

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

संवेदनशीलता विश्लेषण

ब्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 50 बीपी	6.65%	6.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	235.97	26.71
परिवर्तन	(3.61%)	(2.06%)
ख. छूट दर - 50 बीपी	4.65%	4.00%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	254.48	27.87
परिवर्तन	3.95%	2.20%
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	253.41	27.74
परिवर्तन	3.51%	1.73%
घ. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	236.82	26.82
परिवर्तन	(3.27%)	(1.64%)

बीपी 'आधार अंक' दर्शाता है।

नोट 34 : वित्तीय मूल्य

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
पट्टा देनदारियों पर ब्याज खर्च	3,503.84	3,406.62
अन्य ब्याज	491.34	1.35
कर मुक्त बांड पर ब्याज	1,051.44	1,051.44
कुल	5,046.62	4,459.41

नोट 35 : मूल्यहास और ऋणमुक्ति व्यय

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास	3,443.86	2,979.02
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	1,389.91	1,390.34
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	286.99	293.50
कुल	5,120.76	4,662.86
जोड़िए: औजारों के पुनः मूल्यांकन पर हानि	186.31	210.26
कुल	5,307.07	4,873.12

कोविड-19 महामारी ने मार्च 23, 2020 से मई 5, 2020 तक कंपनी के प्रचालन को अस्थायी रूप से बाधित करने के परिणामस्वरूप लॉकडाउन को अनुबोध किया था। कंपनी ने तिमाही। की एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए कम समय के पैमाने पर काम करना जारी रखा जिसने उस तिमाही के दौरान कंपनी के वित्तीय परिणामों को और प्रभावित किया। तिमाही II के बाद से, कंपनी के सामने आनेवाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी ने दो पारियों में काम करते हुए प्रचालन के घंटे को बढ़ा दिया। इसने वर्ष के दौरान 388.11 लाख रुपए के मूल्यहास को प्रभावित किया है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 36 : अन्य व्यय

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
भंडार का उपभोग	1,592.62	2,087.39
पुर्जों का उपभोग	54.51	47.44
दर और कर	500.00	19.66
बिजली	1,920.42	2,134.70
ईंधन	1,340.70	792.76
जल	303.95	242.26
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
इमारते व सड़कें	449.05	638.75
प्लान्ट और मशीनरी	158.23	104.92
अन्य	1,214.20	1,062.04
अनुरक्षणात्मक तल कर्षण	467.32	299.50
परिवहन और भंडार की चढ़ाई उतराई	170.91	167.05
यात्रा तथा सवारी खर्च	491.24	849.58
छपाई तथा लेखन सामग्रियां	75.02	98.66
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	45.52	64.03
विज्ञापन और प्रचार	161.12	477.30
पट्टे किराया	11.28	11.58
पट्टे समझौते के अधीन गारंटीकृत राशि	-	-
भाडे	268.01	363.50
बीमा	744.77	427.26
सुरक्षा व्यय	1,996.50	1,393.59
लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान	26.70	24.50
प्रशिक्षण खर्चा	359.40	624.37
विधि खर्चा	29.02	58.07
परामर्श	82.56	130.46
बैंक प्रभार	699.18	496.09
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल हानि	-	502.01
निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (नोट सं. 46 का संदर्भ ले)	1,486.98	1,270.94
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का बिक्री और हानि पर राइट ऑफ	1.25	1.87
विविध खर्च	1,277.87	1,618.13
कुल	15,928.33	16,008.41

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं और विविध खर्चों के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	15.00	12.50
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं के लिए	7.50	7.50
प्रमाणीकरण हेतु	4.20	4.50
कुल	26.70	24.50

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 37 : प्रत्याशित हानि और खर्च के लिए प्रावधान

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
प्रावधान:		
संदिग्ध ऋण/अग्रिम	98.18	3,286.89
अप्रचलन/सतत मालसूची का सत्यापन	2.92	1.98
खर्च और फुटकर खर्च	2,692.02	220.91
पोत निर्माण में हानि के लिए प्रावधान	6,371.00	5,082.00
कुल	9,164.12	8,591.78

नोट 38 : प्रति इक्विटी शेयर कमाई

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ (₹ लाखों में)	61,010.44	63,768.75
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (₹ में)	46.38	48.48
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

नोट 39 : भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार भिन्न-भिन्न राजस्व का प्रकटीकरण

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
(i) उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित शून्य)		
पोत निर्माण :		
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	200925.37	237746.87
आईएसी के अलावा अन्य जहाज	35831.94	46206.78
अन्य प्रचालन राजस्व		
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	3420.09	835.57
प्रबंधन शुल्क	312.33	0.00
(ii) सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	40850.24	56856.75
इंजीनियरिंग कार्य	5.50	0.00
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
अन्य परिचालन राजस्व		
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	381.88	437.29
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	162.35	166.13
कुल	281889.70	342249.39

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का विवरण:

प्रदर्शन दायित्वों के लिए आवंटित लेन-देन मूल्य की कुल राशि ₹ 784884.10 जो असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) है, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के रूप में एक वर्ष या उससे कम की मूल अपेक्षित अवधि को उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है जैसा कि भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुमति दी गई है। आगे लेन-देन की कीमत के अनुमान के अनुसार उपरोक्त किसी भी तरह के परिवर्तनीय विचार शामिल नहीं होंगे जो कि विवश हैं। प्रबंधन की उम्मीद है कि 19.59 ₹ दिनांक 31.03.2021 तक असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट अनुबंधों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व और उसके बाद के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

मार्च 31, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने अनुबंध देयता को अप्रैल 01, 2020 के रूप में खोलने से उत्पन्न होने वाले 15618.72 लाख रुपए के राजस्व को मान्यता दी।

वर्ष के दौरान राजस्व के साथ अनुबंधित मूल्य की प्राप्ति

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	मार्च 31, 2021 को	मार्च 31, 2020 को
आदेशों की अनुबंधित मूल्य खोलना	1504739.51	1176242.66
जोड़ :		
प्राप्त नया आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	11336.93	341069.70
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के कारण	1766.45	7920.74
विनिमय दर संचलनों के कारण वृद्धि (निवल)	250.84	1430.22
कमी :		
विविध, परिवर्तन आदेश सहित अन्य कटौती	15654.69	13747.52
वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेश	6940.80	8176.29
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित मूल्य	1495498.24	1504739.51
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व :	137551.03	136469.80
कमी : वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेशों में से राजस्व	2613.13	6709.06
वर्ष के अंत में निष्पादन के अधीन आदेशों का राजस्व (I)	134937.90	129760.74
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में लंबित आदेशों से) (II)	575676.232	449884.96
विनिमय दर संचलनों के कारण कमी (निवल) (III)	0.00	0.00
भविष्य में स्वीकृत किए जानेवाले शेष राजस्व जैसे आदेश पुस्तिका (IV)	784884.10	925093.81
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित दर (I+II+III+IV)	1495498.24	1504739.51

नोट 40 : भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'

किराया और किराया शुल्क व्यय में दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय शामिल है, जो 39.93 लाख रुपए की राशि के लिए अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे से संबंधित है।

मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के लिए बहिर्वाह सहित, कुल 2439.02 लाख रुपए है।

कंपनी के पास पट्टा अवधि विस्तार विकल्प हैं, जो पट्टा देयताओं की माप में परिलक्षित नहीं होते हैं।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

एक निर्विवाद आधार पर मार्च 31, 2021 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं :

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	मार्च 31, 2021 को	मार्च 31, 2020 को
एक वर्ष से कम	2,567.03	2,440.69
एक से पांच साल तक	11,079.59	10,686.34
पांच वर्ष से अधिक	119,899.03	122,762.30
कुल	133,545.65	135,889.33

एक निर्विवाद आधार पर मार्च 31, 2020 तक की पट्टा परिसंपत्तियों के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं :

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	मार्च 31, 2021 को	मार्च 31, 2020 को
एक वर्ष से कम	191.23	182.35
एक से पांच साल तक	313.02	465.19
पांच वर्ष से अधिक	287.82	326.87
कुल	792.07	974.41

नोट 41: हेड्ज लेखांकन हेतु अतिरिक्त प्रकटीकरण

कंपनी भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यवर्गित राशियों से उत्पन्न होनेवाली विदेशी मुद्रा जोखिमों की भरपाई हेतु विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करती है। कंपनी की विदेशी मुद्रा का प्रतिपक्ष अग्रोषित अनुबंध आम तौर पर एक बैंक होता है।

कंपनी के पास निम्नलिखित बकाया अग्रिम अनुबंध हैं, जिन्हें मार्च 31, 2021 को नकदी प्रवाह हेड्जेस के रूप में नामित किया गया है:

मुद्रा	अनुबंधों की संख्या	31- मार्च- 21		अनुबंधों की संख्या	31- मार्च- 20	
		अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ /(हानि)		अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ /(हानि)
		यूरो	2		2982.30	(24.62)
एनओके	2	4319.34	145.70	-	-	
कुल	4	7301.64	121.08	-	-	

नकदी प्रवाह हेड्जेस के रूप में नामित व्युत्पन्न केलिए मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान हेड्ज रिजर्व में उतार- चढ़ाव इस प्रकार है:

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष (सीआर/डीआर)	0.00	0.00
बकाया नकदी प्रवाह व्युत्पन्न (निवल) के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	121.08	0.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	121.08	0.00

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 42: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं

ब्योरा	मार्च 31, 2021 को (₹लाखों में)	मार्च 31, 2020 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
क आकस्मिक देयता (प्रदान न की गई हद तक केलिए)			
क गारंटी			
i ऋणपत्र	12,356.31	13,345.68	सामग्रियों/परिसंपत्तियों के प्रापण केलिए विविध बैंकों में कंपनी द्वारा खोले गए एलसी का प्रतिनिधित्व करता है।
ii बैंक गारंटी	353,929.06	272,384.71	
iii कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को निगमित निष्पादन गारंटी	3,925.00	3,925.00	ठेके की अवधि के दौरान कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के साथ किए ठेके करार के अधीनदायित्वों के निष्पादन केलिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को कंपनी द्वारा निष्पादन गारंटी दिया गया।
ख अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार है			
i विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण (जीसीडीए)	69.06	69.06	कंपनी केलिए उपाजित भूमि केलिए विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण द्वारा उठाए गए दावा निपटान किया है। यद्यपि निष्कासितों द्वारा पंजीकृत 8 दावाएं (69.06 लाख मूल्य निर्धारित) माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।
ii सीमाशुल्क	17,984.48	21,930.58	बांड के अधीन सामग्रियों और सुपुर्द किए देशी पोतों केलिए सीमाशुल्क। सीईएसटी ीएटी, बेंगलूर द्वारा सीमा शुल्क के वापसी रु. 69.83 लाख दी गई है, जिसके खिलाफ केरल के माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता देने के लिए केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को एक निर्देश के साथ अपील का निपटारा कर दिया है। विभागीय अपील पर किसी भी अन्य जानकारी के अभाव में, इसे आकस्मिक देयता के रूप में बरकरार रखा गया है।
iii बिक्री कर / केरल मूल्यवर्धित कर	0.00	657.51	2000-01 - रु. 111.93 लाख 2001-02 - रु. 73.44 लाख 2004-05 - रु. 195.67 लाख 2007-08 - रु. 276.47 लाख (अपील के अधीन)
	0.00	12.10	वर्ष 1996-97 केलिए मूल्य वर्द्धित कर क्रेडिट जिसे मांग में नहीं माना गया, जिसके लिए बहियों में कोई प्रावधान नहीं है। केवीएटी एमनेस्टी योजना 2020 के तहत मामला सुलझाया गया।
iv आय कर	2,069.97	2,107.27	वित्तीय वर्ष 2010-11 - रु. 457.63 लाख वित्तीय वर्ष 2011-12 - रु. 369.50 लाख वित्तीय वर्ष 2014-15 - रु. 911.07 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18 - रु. 331.77 लाख
			विस्तृत टिप्पणियां 42.1 (i) में दिया है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

व्योरा	मार्च 31, 2021 को (₹ लाखों में)	मार्च 31, 2020 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
v सेवा कर	1,647.47	1,647.47	जारी की गई कारण बताओं नोटिस के अनुसार आईएसी (डिजाइन परामर्श) पर सेवा कर की मांग। अधिनिर्णयन लंबित है।
	376.88	376.88	आईएसी पर सेवा कर की वापसी दावा आयुक्त (अपील) द्वारा मंजूर की गई। फिर भी, आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के सामने विभाग ने अपील फाइल किया है। साथ ही, सीएसएल पर कारण बताओ सूचना भी जारी किया है और अधिनिर्णयन लंबित है।
	323.04	323.04	कारण बताओ सूचना के अनुसार आईएसी पर सेवा कर की मांग (प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग प्रभार) जारी की गई।
	2,339.64	2,339.64	सेनवैट क्रेडिट पर पाबंदी और सामग्रियों पर कटौती के बिना, जिसके लिए वैट का भुगतान किया गया, पोत मरम्मत पर सेवा कर वसूली केलिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 19.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-18-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटी को अपील दायर की।
	1,885.60	1,885.60	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत केलिए सेवा कर की वसूली केलिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 07.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-11-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटी को अपील दायर की।
	513.71	513.71	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत केलिए सेवा कर की वसूली केलिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
	734.93	734.93	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत केलिए सेवा कर की वसूली केलिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
	150.56	79.22	2015-16 की अवधि के दौरान जहाज़ की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी। संयुक्त आयुक्त ने ओआईओ नंबर 48/2020 - एसटी (जेसी) दिनांक 31.12.2020 के माध्यम से मांग की पुष्टि की गई। ओआईओ के खिलाफ आयुक्त (अपील) को दायर किया गया।
	286.85	286.85	2016-17 की अवधि के दौरान जहाज़ की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी।
	279.46	279.46	कॉन्स्टेबल वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए गैर-कर योग्य क्षेत्र में व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने और कोचीन से अबू धाबी तक बजरे के ट्रांसपोर्टेशन को प्रदान की गई सुरक्षा की लागत पर सेवा कर के गैर भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

व्योरा	मार्च 31, 2021 को (₹ लाखों में)	मार्च 31, 2020 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
vi एलेक्ट्रन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	165.91		आवेदक ने आरेखण और माल की अपूर्ति में देरी हेतु सीएसएल द्वारा काटे गए ब्याज के साथ परिसमापन नुकसान की वसूली हेतु एमएसएमई परिषद से संपर्क किया। एमएसएमई परिषद, चेन्नई ने मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र द्वारा मध्यस्थता को संदर्भित किया। मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने श्री सुहृद पार्थसारथी को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। आवेदक द्वारा दायर दावा याचिका।
vii कर्मचारी राज्य बीमा निगम	17.26	-	जून 2010 से जुलाई 2013 की अवधि के दौरान उच्च प्रशिक्षुओं के संबंध में देय ईएसआई योगदान के विलंबित भुगतान के संबंध में ब्याज और क्षति के दावे। व्यथित, सीएसएल ने आईसी सं. 60/2016, आईसी सं. 09/2020, आईसी सं. 03/2021 में अवैधता और निर्देशों के उल्लंघन और ईएसआई कॉर्पोरेशन द्वारा दावों को प्राथमिकता देने के तरीके को चुनौती देते हुए मामले दर्ज किए।
ख प्रतिबद्धताएं (प्रदान न की गई हद तक केलिए)			
क पूंजी लेखा पर निष्पादन करने केलिए शेष ठेकाओं की अनुमानित राशि और प्रदान न की गई केलिए :	115,886.00	134,742.67	
ख अन्य सुझावें			
i सहायक कंपनी (हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड) में निवेश जिसके लिए कंपनी को रियोयत समझौते की प्रभावी तिथि से 5 साल केलिए अपने निपटान हेतु रोक है। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लाभ की अप्रयुक्त राशि (चालू खाते और सावधि जमाओं में विभिन्न बैंकों के साथ जमा की गई, उपयोग करने केलिए लंबित राशि)	-	2,135.34	
ii प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश से प्राप्त राशि की अप्रयुक्त राशि (विभिन्न बैंकों में चालू खाते और सावधि जमा में जमा की गई लंबित उपयोगिता राशि)	-	4,737.06	विस्तृत टिप्पणी नोट सं. 43 में है।

42.1. आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(I) आयकर निर्धारण

कंपनी का आय कर निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2017-18 तक पूरा किया गया है।

निर्धारण वर्ष 2010-11, 2011-12, 2014-15 और 2017-18 केलिए कुल ₹ 1369.11 लाख के निर्धारण आदेशों के अनुसार उठाए गए मांगों को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की गई अपीलों के निपटान केलिए लंबित आकस्मिक देयता के अधीन दर्शाया गया है। ये मांग, मुख्य रूप से कुछ वास्तविक दावों को अस्वीकार करने के कारण से है। फिर भी, उपर्युक्त मांग कंपनी को देय प्रतिदेय के सामने समायोजित की गई है।

आकलन वर्ष 2010-11 और 2011-12 केलिए हालांकि आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपील को कंपनी के पक्ष में निपटाया गया है, आयकर विभाग आईटीएटी के सामने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश सामने अपील केलिए चला गया है। आईटीएटी के समक्ष अपील के तहत कुल 700.86 लाख रुपए शामिल हैं।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

(II) केजीएसटी अधिनियम के अधीन बिक्री कर निर्धारण

केरल सरकार की एमनेस्टी योजना 2020 के तहत लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया है।

(III) केवीएटी अधिनियम के अधीन बिक्री कर निर्धारण

केरल सरकार की एमनेस्टी योजना 2020 के तहत लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया है।

43. आईपीओ आय का उपयोग नीचे संक्षेप में दिया है:

		(₹ लाखों में)	
विवरण	आईपीओ आय प्राप्त हुई- अंतिम आबंटन पर आधारित	31 मार्च 2021 तक नकदी बर्हिवाह	दिनांक 31 मार्च 2021 को अप्रयुक्त राशि
सूखी गोदी की स्थापना	51000.00*	51000.00	0.00
आईएसआरएफ का स्थापना	26500.00*	26500.00	0.00
सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य	16523.26	16523.26	0.00
समस्या से संबंधित खर्च (कंपनी की जिम्मेदारी)	2172.10**	2172.10	0.00
कुल	96195.36	96195.36	0.00

* दर्ज विवरण पुस्तिका के आधार पर

** सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन केलिए अनुमानों की तुलना आईपीओ व्यय में वृद्धि (172.10 लाख रुपये) के सामने निर्दिष्ट राशि समायोजित की गई है।

नोट 44 :

मैसर्स एपीजे शिपिंग लिमिटेड (पहले सुरेंद्रा ओवरसीस लिमिटेड) और कंपनी के बीच पोट सं. 005 के मामले में विवाद भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाचन केलिए भेज दिया था। विवाचन पंचनिर्णय (जुलाई 2009) कंपनी के अनुकूल था जिसके अधीन मैसर्स एपीजे शिपिंग लिमिटेड से कंपनी 2803.64 लाख रुपए प्राप्त करना है। कंपनी ने आदेश पारित करने केलिए उप न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष एक याचिका फाइल की है और मामला विचाराधीन है। याचिका उप न्यायालय द्वारा खारीज की जाती है। उप न्यायलय के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायलय के समक्ष एक वास्तविक अपील की है। न्यायालय के आगे मामला विचाराधीन है। न्यायालय के अधीन लंबित अंतिम आदेश खाता बहियों में कोई जमा नहीं किया गया है।

नोट 45 :

विवाचन केलिए स्थायी मशीनरी, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार ने कार्य ठेका कर मुद्दे पर सीएसएल और ओएनजीसी के विवाद में कंपनी के पक्ष में निर्णय अधिसूचित किया और निर्णय के अनुसार ओएनजीसी ने सीएसएल को 2642.22 रु की ब्याज के साथ विवादित राशि का भुगतान किया। ओएनजीसी ने इस निर्णय के खिलाफ कानून सचिव, कानून एवं न्याय मंत्रालय के सामने अपील फाइल किया। ओएनजीसी अपील के अनिर्णीत निपटारे के संबंध में लेखे में कोई समायोजन नही किया गया है।

नोट 46 :

मुकदमा : कंपनी साधारण में कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है। कंपनी के प्रबंधन यथोचित उम्मीद नही करता है कि इन कानूनी कार्रवाई जब अतत समाप्त और निर्धारित की है, कंपनी के प्रचालन परिणामों पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

दिनांक मार्च 31 2021 की तिथि पर महत्वपूर्ण मुकदमों का विवरण

मै. विजिल मराइन सर्वोसिस मे वर्ष 2004 में एटीसीओ टगों केलिए आदेश प्राप्त करने हेतु देय एजेंसी छूट की ओर दावा उठाया था। मध्यस्थता कार्यवाही दिनांक 10 अक्तूबर 2004 को शुरू हुई। गवाहों की परीक्षा और प्रति परीक्षा पूरी की और मामला दिनांक 01 और 02 फरवरी 2014 को तर्क वितर्क केलिए दर्ज किया। मध्यस्थ ने कार्यवाहियां पूरी की और मै. विजिल मराइन सर्वोसिस को प्रतिवर्ष 85 दर पर ब्याज सहित 18.25 मिलियन यूएस डॉलर के एटीसीओ ठेका मूल्य के 55 दर पर कमीशन देने केलिए कंपनी को निदेश करते हुए उनका निर्णय पारित किया। इस पर असंतुष्ट सीएसएल उप न्यायलय, एर्णाकुलम के समक्ष मूल मुकदमा सं. 187/2016 फाइल की और निर्णय अमल में लाना स्थगित करते हुए एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 47 : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी ने एक सीएसआर समिति गठित की गई है। सीएसआर की गतिविधियों के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण आदि और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची में बचाए गए, शामिल है। सीएसआर निधि का उपयोग, सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्यक्ष खर्च के माध्यम से किया जाता है। खर्च करने केलिए अपेक्षित राशि और उपयोग की राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(क) मार्च 31 2021 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने केलिए अपेक्षित कुल राशि		₹ 1479.77 लाख
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		₹ 1526.98 लाख

		(₹ लाखों में)	
विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति	1,280.03	-	1,280.03
(ii) उपर्युक्त (i) को छोडकर उद्देश्य	246.95	-	246.95

धारा 135(5) के मामले में खर्च की गई अधिक राशि

		(₹ लाखों में)	
पिछले वित्तीय वर्षों से अग्रहित राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	सीएसआर व्यय के रूप में पीएंडएल से प्रभारित राशि	आगामी वित्तीय वर्षों में अग्रहित राशि
0.00	1526.98	1486.98	40.00

नोट 48 भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2020-21	2019-20
श्री मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री पॉल रंजन डी (जुलाई 31, 2019 तक) निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सुरेश बाबु एन वी निदेशक (प्रचालन)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री विजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जोस वी जे (अगस्त 01, 2019 से) निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2020-21	2019-20
श्री सतीन्दर पाल सिंह (फरवरी 03, 2020 तक) सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक , भारत सरकार	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री एलियास जॉर्ज (अप्रैल 20, 2018 तक) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , केरल सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री संजय बंदोपाध्याय (फरवरी 03, 2020 से) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री के आर ज्योतिलाल सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , केरल सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्रीमती रूपा शेखर राय (जुलाई 29, 2019 से मार्च 20, 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री राधाकृष्ण मेनोन (जुलाई 29, 2019 से मार्च 20, 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री कृष्ण दास ई (जुलाई 29, 2019 से मार्च 20, 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जिजी तोमसण (जुलाई 14, 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री प्रदीप्ता बानर्जी (जुलाई 14, 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त (जुलाई 14, 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्रीमती वी कला (जनवरी 31, 2020 तक) कंपनी सचिव	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्यामकमल एन (फरवरी 01, 2020 से) कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
हगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान: कोलकाता)	सहायक कंपनी	सहायक कंपनी
टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान: माल्ये)	सहायक कंपनी	-

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के लेनदेन- पारिश्रमिक की प्रकृति *

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2021 को	मार्च 31, 2020 को
अल्पकालीन लाभ	251.05	353.83
रोजगार के बाद के लाभ	34.00	38.89
कुल	285.05	392.72

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

लेनदेन की प्रकृति -अग्रिम

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2020 को खुला शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31.03.2021 को शेष	दिनांक 31.03.2021 को अर्जित ब्याज
पॉल रंजन डी	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
सुरेश बाबु एन वी	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
बिजोय भास्कर	0.20	0.40	0.49	0.11	0.00
श्यामकमल एन	0.24	0.40	0.52	0.12	0.00

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2019 को खुला शेष	वर्ष 2019-20 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31.03.2020 को शेष	दिनांक 31.03.2020 को अर्जित ब्याज
मधु एस नायर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉल रंजन डी	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00
सुरेश बाबु एन वी	0.19	0.50	0.49	0.20	0.00
बिजोय भास्कर	0.52	0.50	0.82	0.20	0.00
जोस वी जे	0.18	0.50	0.48	0.20	0.00
कला वी	0.15	0.50	0.65	0.00	0.00
श्यामकमल एन	0.18	0.60	0.54	0.24	0.00

ऋण शेष राशियां केएमपी प्राप्त करने की स्थिति के वर्ष से विचार किया जाएगा ।

लेनदेन की प्रकृति- स्वतंत्र निदेशक के सिट्टिंग शुल्क

(₹ लाखों में)

बैठक का नाम	श्री जिजी तोमसण	श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त	श्री प्रदीप्ता बानर्जी
बोर्ड बैठक	0.15	0.15	0.15
लेखापरीक्षक समिति	0.15	0.15	0.15
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	0.15	0.15	
नामांकन और पारिश्रमिक समिति	0.15	0.15	0.15
ठेका और कैपेक्स समिति	0.15	0.15	0.15
2020-21 के लिए कुल भुगतान	0.75	0.75	0.60

लेनदेन की प्रकृति- अन्य संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

सीएसएल एक सरकारी कंपनी है जो, पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन नियंत्रित है। कंपनी ने सरकार और सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 24 के तहत तैयार विस्तृत प्रकटीकरण से छूट का लाभ उठाया है। हालांकि, भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नलिखित है:

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

मूल कंपनी द्वारा सरकार और सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31,2021 को	मार्च 31,2020 को
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड(एचसीएसएल) - विशेष रूप से नियुक्त - सहायक कंपनी	6.15	33.03
टेबमा शिपयार्डर्स लिमिटेड(टीएसएल) - विशेष रूप से नियुक्त - सहायक कंपनी	13.05	
सहायक कंपनी द्वारा जारी एनसीडी में निवेश - एचसीएसएल	4400.00	4400.00
सहायक कंपनी में सही मुद्दे में निवेश- एचसीएसएल	2800.00	0.00
सहायक कंपनी में संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों में निवेश- एचसीएसएल	5600.00	0.00
सहायक कंपनी एचसीएसएल को ऋण	1000.00	0.00
सहायक कंपनी एचसीएसएल द्वारा चुकौती	1000.00	0.00
सहायक कंपनी टीएसएल को ऋण	500.00	0.00
भारत सरकार को देय राशि	234.19	235.40
भारत सरकार को वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में देय राशि	26836.17	14474.11
एचसीएसएल द्वारा जारी एनएसडी पर ब्याज	286.00	286.00
एचसीएसएल के ऋण पर ब्याज	20.12	0.00
टीएसएल के ऋण पर ब्याज	14.69	0.00
एचसीएसएल द्वारा जारी वरीयता शेयरों पर लाभांश	45.67	0.00

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के कारोबार के लगभग 92.01% और व्यापार प्रायों के 95.98% (लगभग) तथा ग्राहक अग्रिम सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

सीएसएल की ओर से एचसीएसएल के नामांकित निदेशकों द्वारा रखे शेयर	मार्च 31,2021 को	मार्च 31,2020 को
	शेयरों की संख्या	
मधु एस नायर (प्रथम निदेशक)	10	10
सुरेश बाबु एन वी (प्रथम निदेशक)	10	10
बिजोय भास्कर (निदेशक)	10	10
जोस वी जे (निदेशक)	10	10
श्यामकमल एन (कंपनी सचिव, सीएसएल)	10	10
के जे रमेश (ज्ञापन के अभिदाता)	10	10

सीएसएल की ओर से टीएसएल के नामांकित निदेशकों द्वारा रखे शेयर	मार्च 31,2021 को	मार्च 31,2020 को
	शेयरों की संख्या	
मधु एस नायर (प्रथम निदेशक)	10	-
सुरेश बाबु एन वी (प्रथम निदेशक)	10	-
बिजोय भास्कर (निदेशक)	10	-
जोस वी जे (निदेशक)	10	-
शिबु जॉण (उप महाप्रबंधक (वित्त)-प्रभारी)	10	-
अश्विन शर्मा एम (सहायक कंपनी सचिव, सीएसएल)	10	-

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 49. वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों के लिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर I इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है ।

स्तर II इनपुट, स्तर I में शामिल उद्धृत दर को छोड़कर इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता के लिए विचार योग्य है ।

स्तर III इनपुट, परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रभावी इनपुट है ।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है (लेकिन अंकित मूल्य के प्रकटीकरण अपेक्षित है ।)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	मार्च 31, 2021 को	मार्च 31, 2020 को	
	(₹ लाखों में)		
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर-चालू			
(i) निवेश	21,444.52	6,544.52	स्तर III
(ii) प्राप्य व्यापार	862.76	108.24	स्तर II
(iii) ऋण	4,331.07	864.50	स्तर II
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	35,330.43	28,823.21	स्तर II
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	66,721.59	84,851.63	स्तर II
(iii) बैंक शेष (त्त) को छोड़कर	147,916.77	132,740.27	स्तर II
(iv) ऋण	57.20	30.97	स्तर II
(v) अन्य	1,734.65	3,292.18	स्तर II
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	278,398.99	257,255.52	
वित्तीय देयताएं			
गैर-चालू			
(i) उधार	12,300.00	12,300.00	स्तर I
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	38,635.93	37,586.91	स्तर II
चालू			
(i) देय व्यापार	43,542.59	41,871.79	स्तर II
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	23,516.08	17,266.32	स्तर II
कुल वित्तीय देयताएं	117,994.60	109,025.03	

नोट:

- इक्विटी साधनों में निवेश व्यापार के लिए नहीं है । इसके बजाय, वे मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्यों के लिए हैं । भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को एफवीटीओसीआई के रूप में इक्विटी साधनों में निर्दिष्ट करने के लिए चुना है, क्योंकि निदेशक का मानना है कि यह मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक निवेश की एक अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है, जो कि लाभ और हानि में तुरंत अंकित मूल्य में बदलाव को दर्शाता है । डेबिट इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को परिशोधित ऋण में नामित करने के लिए चुना है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

अंकित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में शामिल निवेश उनके अंकित मूल्य पर पहुँचने के लिए लागत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया गया है। उद्धृत न किए निवेशों की लागत अंकित मूल्य के अनुरूप है इसलिए कि जहां संभाव्य अंकित मूल्य माप के एक विस्तृत श्रृंखला होती है और लागत उस सीमा के भीतर अंकित मूल्य के अनुमान की ओर है।

इस अवधि में स्तर 1 और 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है।

2. ऋण, उधार बाजार दर पर है और अतः कैरिडिंग मूल्य, अंकित मूल्य है।

3. प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के कैरिडिंग राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा।

बैंक जमाराशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के कैरिडिंग राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है।

श्रेणीवार वित्तीय साधन

	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत / लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत / लागत
(₹ लाखों में)						
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश (गैर चालू)						
-इक्विटी साधन		9.18	11,435.34		9.18	2,135.34
-ऋण साधन			10,000.00			4,400.00
-वरीयता शेयर						
निवेश (चालू)						
-म्यूचुअल फंड						
प्राप्य व्यापार			35,330.43			28,823.21
नकद एवं नकद समतुल्य			66,721.59			84,851.63
बैंक शेष			147,916.77			132,740.27
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			6,985.68			4,295.89
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00	9.18	278,389.81	0.00	9.18	257,246.34
वित्तीय देयताएं						
ऋण			12,300.00			12,300.00
प्राप्य व्यापार			43,542.59			41,871.79
पूंजीगत लेनदारों						
अन्य वित्तीय देयताएं			62,152.01			54,853.23
कुल वित्तीय देयताएं			117,994.60	0.00	0.00	109,025.03

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 50. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति

वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और नीतियां :

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं, व्युत्पन्न को छोड़कर, में ग्राहकों के ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और अग्रिम शामिल होते हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि कंपनी के प्रचालनों, कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं को वित्तपोषण करना और उसके प्रचालनों को सहायता देने के लिए गारंटियां प्रदान करना है। कंपनी के प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद तथा बैंक शेष शामिल हैं, जो अपने प्रचालनों से सीधे व्युत्पन्न हो जाता है। कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और संपत्ति जोखिम के लिए उजागर है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए सभी व्युत्पन्न गतिविधियों को आवश्यक संसाधनों को निर्दिष्ट करके विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति की देखरेख में किया जाता है। यह कंपनी की नीति है कि अव्यवहार्य उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्न में कोई व्यापार नहीं किया जा सकता है। निदेशक मंडल प्रत्येक इन सभी जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करती है और सहमति देती है, जो नीचे संक्षेप में दिए गए हैं।

बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाज़ार दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाज़ार जोखिम में तीन प्रकार जोखिम शामिल हैं : ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य कीमत जोखिम, जैसे कि इक्विटी कीमत जोखिम और सामग्री जोखिम। बाज़ार जोखिम से प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार में परिवर्तन के जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम मुख्य रूप से फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ कंपनी के दीर्घकालीन ऋण दायित्वों से संबंधित है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो ऋण जोखिम के भविष्य नकदी प्रवाह या अंकित मूल्य बाजार विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम, मुख्य रूप से कंपनी के प्रचालन गतिविधियों से संबंधित है (जब राजस्व या खर्च विदेशी मुद्रा में नामित करने पर)।

कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित रूप से प्रलेखीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही आधार पर कंपनी के विदेशी मुद्रा खुलासा की भी समीक्षा करता है।

सामग्री कीमत जोखिम

कंपनी कुछ सामग्रियों की कीमत में अस्थिरता से प्रभावित है। इसके प्रचालन गतिविधियों के लिए स्टील, मुख्य मशीनरियां, उपकरण आदि खरीदने की आवश्यकता है। अतः कंपनी को कीमत अनुकूल बनाने के लिए निकटता से खरीदने हेतु योजना है।

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, एक जोखिम है जो काउंडर पार्टी वित्तीय साधन या ग्राहक ठेके के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे जो वित्तीय नुकसान के कारक है। कंपनी अपनी संचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से आपूर्तिकारों को व्यापार प्राप्य और अग्रिम) और अपनी वित्तीय गतिविधियों से क्रेडिट जोखिम की ओर अनावृत है, जिसमें बैंक जमा और वित्तीय संस्थान, विदेशी विनिमय लेनदेन और अन्य वित्तीय साधन शामिल हैं।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 51. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों को पहचान किया है : पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत/अपतटीय संरचना । खंडवार विश्लेषण उपर्युक्त आधार पर किया गया है और एक उचित आधार पर राशि को आर्बिटित किया गया है ।

			(₹ लाखों में)
विवरण	मार्च 31,2021 को	मार्च 31,2020 को	
सेगमेंट परिसंपत्तियां			
पोत निर्माण	319484.51	292812.55	
पोत मरम्मत	259606.41	243285.53	
अन्य	160863.06	104364.17	
कुल	739953.98	640462.25	
सेगमेंट देयता			
पोत निर्माण	104576.01	67144.21	
पोत मरम्मत	11264.54	12715.35	
अन्य	226356.75	187423.19	
कुल	342197.30	267282.75	
सेगमेंट राजस्व			
पोत निर्माण	240559.27	285226.50	
पोत मरम्मत	41330.43	57022.89	
अनार्बिटित	19386.07	24750.03	
कुल	301275.77	366999.42	
सेगमेंट परिणाम			
पोत निर्माण	76229.86	66459.10	
पोत मरम्मत	9419.89	14741.55	
अनार्बिटित	(4591.11)	5141.93	
कुल	81058.64	86342.58	

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

कंपनी को दो प्रमुख व्यापार खंड हैं - “पोत निर्माण” और “पोत मरम्मत” । पोत निर्माण के अधीन राजस्व में कुल राजस्व के 10s से अधिक होनेवाले एक ग्राहक ((पिछले वर्ष: एक ग्राहक)) से 203736.66 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 237746.87 लाख रुपए) शामिल हैं । पोत मरम्मत केलिए, राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले एक ग्राहक (पिछले वर्ष : एक ग्राहक) से 29714.58 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 49582.22 लाख रुपए) शामिल हैं ।

नोट 52. पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंध कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने केलिए शेरधारकों केलिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें ।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य केलिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों केलिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं । कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है ।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने केलिए, कंपनी शेरधारकों को लाभांश भुगतान, शेरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेर्यर जारी कर सकते हैं । कंपनी एक गियरिंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है । कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं ।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

			(₹ लाखों में)
विवरण	मार्च 31, 2021 को	मार्च 31, 2020 को	
दीर्घकालीन उधार	12300.00	12300.00	
निवल ऋण	12300.00	12300.00	
इक्विटी शेयर पूंजी	13154.04	13154.04	
अन्य इक्विटी	384602.64	360025.46	
कुल इक्विटी	397756.68	373179.50	
गियरिंग अनुपात	3.09%	3.30%	

मार्च 31, 2021 और मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्षों के दौरान, पूंजी प्रबंधन केलिए लक्ष्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

नोट 53:

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

कोरोनावायरस रोग (कोविड-19) एक मानवीय त्रासदी और एक वैश्विक महामारी के रूप में सामने आ रहा है जो समाज और अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। यह दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के साथ- साथ अर्थ व्यवस्था और वाणिज्य की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। यह सभी व्यापारिक संगठनों केलिए प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है, भले ही जनता का टीकाकरण शुरू हो चुका है। कोविड-19 का प्रकोप पहले से ही प्रभावित देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों की अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल चुका है। कई राज्यों में माल की आजावाही पर प्रतिबंध, सीमाओं को बंद करने आदि के साथ शुरू हुए प्रकोप के परिणामस्वरूप भारत में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, इसके बाद भारत सरकार द्वारा मार्च 25, 2020 से देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की गई, ताकि कोविड-19 प्रसार को रोका जा सके। इसके कारण मार्च 23, 2020 से मई 05, 2020 तक सीएसएल की सुविधाओ और उसकी सहायक कंपनियों का संचालन अस्थायी रूप से बाधित रहा। इसके बाद कम संक्रमण का दौरा या जिसने उद्योगों और अर्थव्यवस्था को खोलने में मदद की। कंपनी ने आगामी तिमाहियों में उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। कैपेक्स सहित चल रही परियोजनाओं में कुछ देरी हुई थी, लेकिन अनुबंधों में अप्रत्याशित घटना खंड और मई 13, 2020 के भारत सरकार के परिपत्र की घोषणा और अनुदान से प्रभाव काफी हद तक कम हो गया है। हालांकि फरवरी 2021 से शुरू हुई दूसरा तरंग फिर से राज्यों को विस्तारित अवधि केलिए लॉकडाइन करने हेतु मजबूर कर रहा है। दूसरे तरंग का असर अभी भी जारी है। संभावित ग्राहकों द्वारा पाइपलाइन परियोजनाओं को शल्विग/ रोकने की संभावना है, लेकिन कंपनी को इसके लिए पर्याप्त व्यवसाय की उम्मीद है। दुनिया भर में नए सिरे से टीकाकरण अभियान के बावजूद सामने आने वाली महामारी परिदृश्य अभी भी भविष्य का आकलन करने में कंपनी केलिए एक चुनौती पेश करता है और कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी प्रत्यक्ष परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

नोट 54 :

ठेके/उप ठेके के मामले में, वर्ष के अंत में किए गए काम केलिए ठेकेदारों द्वारा अंतिम बिलों को प्रस्तुत न करने पर, किए गए काम के आधार पर देयता अनुमानित और प्रदान किया जाता है ।

नोट 55 :

व्यापार प्राप्तियां, व्यापार देय, ऋण, जमा और दावों के अधीन दर्शाए गए शेष राशि पुष्टि और परिणामस्वरूप पुनर्मिलन, यदि कोई हो, के अधीन है ।

नोट 56 :

कंपनी ने दीर्घकालिक ठेके के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों की ओर पर्याप्त प्रावधान किया गया है । कंपनी को कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न ठेके नहीं है, जिसकेलिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानि नहीं है ।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 57:

कोष्ठक के आंकड़े शून्य आंकड़े को दर्शाता है ।

नोट 58:

पिछले वर्ष के आंकड़े को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि केलिए एकजुट और वर्गीकृत किया गया है ।

निदेशक बोर्ड केलिए और की ओर से

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1-2

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3-58

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

संलग्न हमारे रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं.

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000801S)

चिरग जे शाह

साझेदार

(सदस्यता सं. 214798)

कोच्ची,

जून 11, 2021

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

जोस वी जे

निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी

(डीआईएन - 08444440)

कोच्ची.

जून 11, 2021

बिजोय भास्कर


निदेशक (तकनीकी)

(डीआईएन - 08103825)

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन - 07376798)



समेकित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हम ने मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (होलिंडिंग कंपनी) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों और इसके नियंत्रित कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सम्मिलित रूप से 'ग्रुप' के रूप में संदर्भित है) जिसमें दि. 31 मार्च 2021 के समेकित तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह संबंधी समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं, की लेखापरीक्षा की है, (जो बाद में 'समेकित भारतीय वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया)।

हमारी राय में तथा हमारी सही जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, अपेक्षित तरीके में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित सूचना देती है और दि. 31 मार्च 2021 को ग्रुप के समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित),इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकद प्रवाह, समेकित मामलों की स्थिति, आमतौर पर संशोधित (भारतीय लेखा मानक), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार देता है।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (लेखा परीक्षा) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है । हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी आवश्यकताओं से अलग हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके प्रावधानों और नियम के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा के संदर्भ में संवोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

1. पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों के भौतिक समापन का मापन

कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों से राजस्व को पूरा करने की विधि के प्रतिशत के आधार पर पहचानती है। पूरा होने का प्रतिशत भौतिक पूर्णता के अनुमानित प्रतिशत के आधार पर कंपनी के प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णयों का अभ्यास शामिल है। नोट 2.4 (महत्वपूर्ण लेखा अनुमान और निर्णय - राजस्व मान्यता) और 2.18 (ए) (राजस्व मान्यता) समेकित वित्तीय विवरण का संदर्भ ले। कंपनी के प्रबंधन द्वारा विकसित आंतरिक प्रक्रिया नियमावली के अनुसार भौतिक पूर्णता का पता लगाया जाता है। यह प्रक्रिया और उसमें मौजूद धारणाएं कंपनी के नियोजन, डिज़ाइन और तकनीकी विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रबंधन द्वारा किए गए कुछ निर्णयों पर आधारित है। इसके अलावा, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रत्येक उप-गतिविधि के वास्तविक भौतिक समापन के बारे में भी प्रबंधन का अनुमान शामिल है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में ऐसी प्रक्रिया को अपनाये के आधार और मान्यताओं को समझना, डेटा को जानने हेतु प्रणाली को समझना और प्रबंधन को आंतरिक रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न कार्यों के पूरा होने की प्रगति की निगरानी करना, ऐसी प्रणाली में आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना, नमूने का चयन करना और लगातार जाँच और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल है। हालाँकि, हमने आय की मान्यता के उद्देश्य के लिए प्रबंधन द्वारा परिभाषित तकनीकी मूल्यांकन और गतिविधि आधारित लागत अनुमान पर पर्याप्त निर्भरता रखी है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

होलिंडिंग कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए ज़िम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में निदेशक रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, व्यावसायिक ज़िम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल हैं, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि जब उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर बताए गए अन्य जानकारी को पढ़ें और, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी भौतिक रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को शासन के साथ प्रभाषित करने और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां और शासन के साथ प्रभार

होलिंडिंग कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों, जो मामले की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है, के संबंध में कंपनी अधिनियम में बताए मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में ग्रुप की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव उचित लेखा नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों जो सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है और कपट अथवा त्रुटि के कारण अयथार्थ विवरण से मुक्त है, की तैयारी के लिए प्रासंगिक लेखा अभिलेखों के सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है, जो उपरोक्तानुसार, होलिंडिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी की उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया है ।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित निदेशक मंडल सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने हेतु ग्रुप की क्षमता का मूल्यांकन करने, प्रकटीकरण जैसा कि लागू होता है, जब तक निदेशक मंडल ग्रुप को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, तब तक चालू प्रतिष्ठान को जारी रखने से संबंधित मामले और लेखांकन को जारी रखने के आधार का उपयोग करने से संबंधित है। इन सब के लिए ज़िम्मेदार है।

ग्रुप में शामिल कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल ग्रुप की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटी के कारण, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारीकरने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें भौतिक तब माना जाता है अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- समेकित वित्तीय विवरणों की उपादान गलतियों के जोखिमों को पहचानने और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि का कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा

साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली उपादान गलतियों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को कुचल देना शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि क्या ग्रुप के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना है, और प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत के आधार पर, क्या यह घटना या शतों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो चालू प्रतिष्ठान के रूप में चालू करने हेतु ग्रुप की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि हमारी राय को संशोधित करने हेतु इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से ग्रुप एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने से स्थगित हो सकती है।

- खुलासे सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए ग्रुप के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें। हम ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से समेकित वित्तीय विवरणों में हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिन्हें अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक विवरण के साथ अधिकार प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए एवं हमारी स्वतंत्रता पर, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित रूप से विचार करने हेतु अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

206	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड <div>वार्षिक रिपोर्ट 2020-21</div>

अधिकार के साथ प्रभारित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों को पछाड़ने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले

हमने सहायक कंपनी (हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड)के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण (अंतर कंपनी के शेष को हटाने के पहले) दिनांक 31 मार्च 2021 तक के 18.133.57 लाख रुपए और 16,888.09 लाख रुपए की परिसंपत्तियों और 40.77 लाख रुपए और 74.74 के कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 1,791.07 लाख रुपए और 2,439.70 लाख रुपए की राशि के लिए निवल रोकड आउटफ्लो को दर्शाता है, जो समेकित वित्तीय विवरण के रूप में विचार किया जाता है । इन वित्तीय विवरणों को अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और उस समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर हमारी राय है कि जहां तक इस सहायक कंपनी में शामिल राशि और प्रकटीकरण के संबंध में और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट के अनुसार, जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, यह पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है ।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर उपर्युक्त हमारी राय और नीचे अन्य कानूनी एवं नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, अन्य लेखापरीक्षक द्वारा किए गए कार्यों और उनकी रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपर्युक्त मामले के वास्ते संशोधित नहीं की गई है ।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षितानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगा है और प्राप्त कर लिया है ।

ख. हमारी राय में बहियों की परीक्षा करने से और अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षितानुसार लेखे के उचित बहियों को सही तरीके से रखी गई है ।

ग. इस रिपोर्ट में बताए समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित रोकड प्रवाही विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के उद्देश्य के लिए बनाए रखे लेखा बही के साथ ताल मेल में है ।

घ. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करता है;

ङ कॉरपरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक जून 5, 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) में दिए छूट की दृष्टि में, निदेशकों के अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान होल्लिंडग कंपनी और सहायक कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

च. ग्रूप के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध में प्रस्तुत अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें।

छ. अधिनियम की धारा 197 (16) के तहत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के मामले के संबंध में, हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, इसलिए कि होल्लिंडग कंपनी और उसके सहायक कंपनी को दिनांक जून 05, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर सं. 463 (ई) के द्वारा धारा 197 के प्रावधानों से छूट दी गई है ।

ज. हमारी राय और हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य विषय के संबंध में:

- i. ग्रूप ने अपनी समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमें के प्रभाव का खुलासा किया है ।
- ii. ग्रूप ने व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालिक ठेके पर सामग्री के पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू नियम या लेखा मानकों के तहत अपेक्षितानुसार प्रावधान किया है ।
- iii. ग्रूप द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए हस्तांतरित करने हेतु कोई राशि नहीं है।

	कृते एलियास जॉर्ज एंड कंपनी
	सनदी लेखाकार
	फर्म पंजीकरण सं.000801एस
	चिराग जे शाह
	साझेदार
	सदस्यता सं: 214798
ख. जून 11, 2021	यूडीआईएन : 21214798AAAABY5666

	निगमित अवलोकन	सांविधिक रिपोर्ट	वित्तीय विवरण	207

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर सम तिथि के स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

राय

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में, हमने इस तिथि तक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (इसके बाद ‘होल्लिंडग कंपनी’ के रूप में संदर्भित) और भारत में निगमित इसके नियंत्रित कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के परे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है ।

हमारी राय में, होल्लिंडग कंपनी और इसके नियंत्रित कंपनी जो भारत में निगमित किया है, को, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को, भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2020 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था ।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए एक प्रक्रिया है । एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतिया और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है । (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी के प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होल्लिंडग कंपनी और इसके नियंत्रित कंपनी जो भारत में निगमित किया है, के संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के

ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है । इन उत्तरदायित्वों में, अधिनियम के अधीन अपेक्षितानुसार, संबंधी कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधडी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है ।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ग्रूप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है । हमने दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू, और दोनों भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग (“दिशानिर्देश नोट”) के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है । मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है ।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है । चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधडी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है ।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण और नीचे अन्य मामले पैरा में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखापरीक्षक द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर होल्लिंडग कंपनी और इसके सहायक कंपनी जो भारत में

निगमित किया है, के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय केलिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखधड़ी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है । भविष्य की अवधि केलिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड जाएगा ।

अन्य मामले

जहां तक सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित किया है, के संबंध में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारे उपर्युक्त रिपोर्ट उस कंपनी के लेखापरीक्षक की संबंधित रिपोर्ट के आधार पर है ।

हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है ।

कृते **एलियास जॉर्ज एंड कंपनी**

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं.000801एस

चिराग जे शाह

साझेदार

कोच्ची

सदस्यता सं: 214798

11 जून, 2021

यूडीआईएन : 21214798AAAABY5666

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (4) के साथ पढित धारा 146 (6)(ख) के अधीन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष केलिए समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा के अनुसार दि. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष से संबंधित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधक वर्ग का है। अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा एवं आश्वासन मानक के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने केलिए कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक व लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। दिनांक 11 जून 2021 के उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह बताया है कि उनके द्वारा यह किया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक के वास्ते दि. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष केलिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पढित धारा 143(6)(क) के अधीन एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष केलिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, टेबमा शिपयाड्स लिमिटेड और हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है । यह अतिरिक्त लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षकों की कार्य पत्रों की प्राप्ति के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की पूछताछों तक तथा कुछ लेखापरीक्षा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर कोई महत्वपूर्ण विषय मेरी जानकारी में नहीं पाया गया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को कोई परिशिष्ट या टिप्पणी देने केलिए प्रकट हो जाएगा।

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षकों

केलिए और के वास्ते

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 12.08.2021

(देविका नायर)

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के महानिदेशक, चेन्नै

दिनांक 31 मार्च 2021 का

समेकित तुलन पत्र

		(₹ लाखों में)		
व्योरा	टिप्पणी सं.	31.03.2021 को	31.03.2020 को	
परिसंपत्तियां				
अप्रचलित परिसंपत्तियां				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	80,397.83	70,047.69	
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	4	117,585.19	79,925.40	
(ग) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	5	6,317.69	6,313.91	
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	6	9.18	9.18	
(ii) ऋण	7	363.09	108.55	
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	8	4,285.40	864.50	
(ङ) आवक परिसंपत्तियां (निवल)	9	3,917.02	6,025.42	
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	12,024.94	4,698.58	
(छ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	11	21,436.19	29,769.41	
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		246,336.53	197,762.64	
चालू परिसंपत्तियां				
(क) मालसूची	12	43,410.32	31,341.31	
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) प्राप्य व्यवहार	13	35,336.95	28,823.21	
(ii) रोकड़ व रोकड़ तुल्यार्क	14	72,870.14	86,682.14	
(iii) उपयुक्त(ii) को छोड़कर बैंक शेष	15	148,023.19	132,840.27	
(iv) ऋण	16	57.20	30.97	
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	17	1,574.24	3,145.35	
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	9		44.52	
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	18	204,311.07	160,002.12	
कुल चालू परिसंपत्तियां		505,583.11	442,909.89	
कुल परिसंपत्तियां		751,919.64	640,672.53	
इक्विटी और देयताएं				
इक्विटी :				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19	13,154.04	13,154.04	
(ख) अन्य इक्विटी	20	390,191.08	359,134.31	
कुल इक्विटी		403,345.12	372,288.35	
देयताएं:				
अप्रचलित देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार राशियां	21	12,300.00	12,300.00	
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	22	39,360.69	37,586.91	
(ख) प्रावधान	23	3,161.39	2,872.20	
(ग) अन्य अप्रचलित देयताएं	24	10.30	11.45	
कुल अप्रचलित देयताएं		54,832.38	52,770.56	
चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) व्यापार देय				
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए बकाया राशि	25	1,527.88	686.52	
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को छोड़कर लेनदारों के कुल बकाया राशि		42,015.54	41,185.27	
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	26	25,284.73	17,801.48	
(ख) अन्य चालू देयताएं	27	164,278.09	116,098.27	
(ग) प्रावधान	28	53,326.26	38,686.63	
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	9	7,309.64	1,155.45	
कुल चालू देयताएं		293,742.14	215,613.62	
कुल इक्विटी और देयताएं		751,919.64	640,672.53	

निर्गमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1-2
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	3-62

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

संलग्न हमारे रिपोर्ट के अनुसार	कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में
कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं. <p>समन्दी लेखाकार</p> <p>(फर्म पंजीकरण सं.000801s)</p>	श्यामकमल एन <p>कंपनी सचिव</p>
चिराग जे श्राह <p>साझेदार</p> <p>(सदस्यता सं. 214798)</p>	जोस की जे <p>निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी</p> <p>(डीआईएन - 08444440)</p>
कोच्ची,	कोच्ची.
जून 11, 2021	जून 11, 2021

निर्गमित अवलोकन	सांविधिक रिपोर्टें	वित्तीय विवरण	211
-----------------	--------------------	----------------------	------------

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के

लाभ और हानि का समेकित विवरण

		(₹ लाखों में)		
व्योरा	टिप्पणी सं.	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	
I आय				
प्रचालनों से आय	29	281889.70	342249.39	
अन्य आय	30	19082.67	24508.13	
कुल आय		300972.37	366757.52	
II व्यय:				
उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य	31	121981.82	179599.82	
उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	32	33631.38	36556.98	
कर्मचारियों के भत्ताओं के लिए व्यय	33	29228.30	30591.03	
वित्तीय मूल्य	34	5126.10	4492.41	
मूल्यहास और ऋणमुक्त व्यय	35	5983.08	4893.89	
अन्य व्यय	36	16308.17	16259.61	
प्रत्याशित हानि तथा व्यय के लिए प्रावधान	37	9164.12	8591.78	
कुल व्यय		221422.97	280985.52	
III असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (I-II)		79549.40	85772.00	
IV असाधारण मदें	38	1263.40	0.00	
कर पूर्व लाभ (III-IV)		80812.80	85772.00	
IV कर व्यय:				
(1) चालू कर	9	23293.20	20634.83	
(2) आस्थगित कर	9	(3346.84)	1936.18	
V वर्ष का लाभ		60866.44	63200.99	
VI अन्य व्योरेदार आय				
(क) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुन:वर्गीकृत किए जाएंगे				
i) नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा उपकरणों पर लाभ/हानि का प्रभावी भाग		121.08	-	
ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		(30.48)	-	
(ख) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुन:वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे				
i) निर्धारित कर्मचारी के लाभ दायित्वों का पुन: मापन		411.01	(797.60)	
ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		(103.44)	200.76	
वर्ष के लिए अन्य व्योरेदार आय		398.17	(596.84)	
VII अवधि के लिए कुल अन्य व्योरेदार आय (अवधि के लिए लाभ और अन्य व्योरेदार आय शामिल है)		61264.61	62604.15	
लाभ के लिए जिम्मेदार:				
कंपनी के मालिक		60866.44	63200.99	
अनिर्वातित व्याज		0.00	0.00	
वर्ष का लाभ		60866.44	63200.99	
अन्य व्यापक आय के लिए जिम्मेदार				
कंपनी के मालिक		398.17	(596.84)	
अनिर्वातित व्याज		0.00	0.00	
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय		398.17	(596.84)	
कुल व्यापक आय				
कंपनी के मालिक		61264.61	62604.15	
अनिर्वातित व्याज				
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		61264.61	62604.15	
VIII प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10):	39			
(1) मूल (₹ में)		46.27	48.05	
(2) तनुकृत (₹ में)		46.27	48.05	

निर्गमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1-2
वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां	3-62

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

संलग्न हमारे रिपोर्ट के अनुसार	कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में
कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं. <p>समन्दी लेखाकार</p> <p>(फर्म पंजीकरण सं.000801S)</p>	श्यामकमल एन <p>कंपनी सचिव</p>
चिराग जे श्राह <p>साझेदार</p> <p>(सदस्यता सं. 214798)</p>	जोस वी जे <p>निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी</p> <p>(डीआईएन - 08444440)</p>
कोच्ची,	कोच्ची.
जून 11, 2021	जून 11, 2021

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड प्रवाह समेकित विवरण

ब्योरा	मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	80,812.80	85,772.00
निम्नलिखित केलिए समायोजन:		
मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन	5,983.08	4,893.89
ब्याज व्यय	5,126.10	4,492.41
ब्याज आय	(10,346.50)	(16,497.02)
किराया आय	(63.66)	(64.46)
लाभांश आय	(0.89)	(0.89)
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री/ बट्टे खाले में डालने पर हानि	1.25	1.87
निवेशों की बिक्री पर लाभ	-	(235.30)
सरकार की सहायता से प्राप्त आय	(1.14)	(1.14)
व्युत्पन्न अनुबंधों पर हानि/(लाभ) (निवल)	(123.99)	-
विदेशी मुद्रा विनियमों पर निवल हानि/(लाभ)	(404.65)	502.01
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह	80,982.40	78,863.37
कार्यशील पूंजी में चलन :		
मालसूचियों में (वृद्धि) / घटती	(12,255.31)	(3,214.86)
व्यापार, अन्य प्राप्यों और परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / घटती	(43,717.02)	(69,414.09)
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (घटती)	64,686.89	37,119.91
	89,696.96	43,354.33
प्रदत्त आयकर वापसी निवल	(10,747.97)	(18,088.36)
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड (क)	78,948.99	25,265.97
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की खरीद	(5,310.63)	(3,796.53)
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(37,659.79)	(45,688.34)
तीन महीने के ऊपर परिपक्वता में सावधी जमे में (वृद्धि)/कमी	(15,182.11)	22,817.20
म्यूचुवल निधियों में निवेश	-	(66,800.00)
म्यूचुवल निधियों का मोचन	-	66,800.00
निवेश पर लेनदेन की लागत		(1.27)
प्राप्त लाभांश	0.89	0.89
निवेशों की बिक्री पर लाभ	-	235.30
गैर-नियंत्रित ब्याजों के शेयरों का अधिग्रहण		(506.08)
अर्जित नकद के सहायक निवल का अधिग्रहण	(6,250.26)	-
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की बिक्री या वापसी	2.49	0.66
प्राप्त ब्याज	12,095.89	17,133.11
प्राप्त किराया	63.66	64.46
निवेशों गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ख)	(52,239.86)	(9,740.60)

ब्योरा	मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्ष
(₹ लाखों में)		
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
कर्मचारियों द्वारा ऋणों का उधार/पुनर्भुगतान	(274.98)	28.72
विदेशी मुद्रा के लेन- देन पर हानि/ (लाभ)	555.92	(857.28)
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(2,427.89)	(2,388.81)
प्रदत्त लाभांश	(36,831.31)	(19,244.36)
प्रदत्त लाभांश वितरण कर	-	(3,955.74)
प्रदत्त ब्याज	(1,542.87)	(4,492.53)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ग)	(40,521.13)	(30,910.00)
घ. रोकड व रोकड तुल्यांकों में निवल वृद्धि (क) अ(ख) अ(ग)	(13,812.00)	(15,384.63)
वर्ष के आरंभ में रोकड और रोकड तुल्यांक	86,682.14	102,066.77
वर्ष के अंत में रोकड और रोकड तुल्यांक	72,870.14	86,682.14

मार्च 31, 2021 तक नकद और नकद समकक्षों में 37749.10 लाख रुपए की राशि शामिल हैं।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1-2

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3-62

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

संलग्न हमारे रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं.

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000801S)

चिराग जे शाह

साझेदार

(सदस्यता सं. 214798)

कोच्ची,

जून 11, 2021

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

जोस वी जे

निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी

(डीआईएन - 08444440)

कोच्ची,

जून 11, 2021

बिजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी)

(डीआईएन - 08103825)

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन - 07376798)

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

	01.04.2020 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2021 को
	13,154.04	0.00	13,154.04
	01.04.2019 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2020 को
	13,154.04	0.00	13,154.04

ख. अन्य इक्विटी

	आरक्षण व अधिपेय				मूल कंपनी के कुल आरोप्य राशि	एनसीआई के लिए आरोप्य राशि	कुल अन्य इक्विटी
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई			
01 अप्रैल 2020 को शेष	263.56	93152.32	6322.75	245373.48	12353.76	1668.44	359134.31
सेवान्तर नॉटि में परिवर्तन या पूर्व अर्धवर्ष को जुड़ियां							0.00
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बहाल शेष राशि	263.56	93152.32	6322.75	245373.48	12353.76	1668.44	0.00
वर्ष का लाभ				60866.44			60866.44
वर्ष के अन्य व्यापक आय				307.57			398.17
वर्ष के कुल व्यापक आय				61174.01	0.00	0.00	61264.61
लाभ/हानि (कर सहित)				(36831.31)			(36831.31)
प्रीमियम की ऋणपूर्ति		(0.12)					(0.12)
सहायक का अधिग्रहण	6623.59						6623.59
31 मार्च 2021 को शेष	6887.15	93152.20	6322.75	269716.18	12353.76	1668.44	390191.08

अधिक जानकारी के लिए नोट 20 देखें ।

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

ख. अन्य इक्विटी

	आरक्षण व अधिपेय				मूल कंपनी के कुल आरोप्य राशि	एनसीआई के लिए आरोप्य राशि	कुल अन्य इक्विटी
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई			
01 अप्रैल 2019 को शेष	263.56	93152.45	6322.75	206093.22	12353.76	1524.27	319710.00
वर्ष का लाभ				63200.99			63200.99
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(596.84)			(596.84)
वर्ष के कुल व्यापक आय				62604.15			62604.15
लाभ/हानि (कर सहित)				(23200.10)			(23200.10)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण				(144.17)		144.17	0.00
प्रीमियम की ऋणपूर्ति		(0.12)					(0.12)
स्टैंड शुल्क				(1.27)			(1.27)
प्रतिधारित कमाई को और एनसीआई का अंतरण				21.65			21.65
एनसीआई का अधिग्रहण							0.00
31 मार्च 2020 को शेष	263.56	93152.33	6322.75	245373.48	12353.76	1668.44	359112.67

अधिक जानकारी के लिए नोट 20 देखें ।

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं।

संलग्न हमारे रिपोर्ट के अनुसार

कृत मेसर्स एलियास जॉन और कं.

समदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.0008015)

चिरग जे शाह

सहदेवर

(संख्या सं. 214798)

कोची,

जून 11, 2021

कृत निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

जोसे जी जे

निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी

(डीआईएन - 08444440)

कोची,

जून 11, 2021

विजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी)

(डीआईएन - 08103825)

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन - 07376798)

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.1. निगमित जानकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ("सीएसएल" या "कंपनी" के रूप में संदर्भित) मुख्यतः जहाजों के निर्माण और मरम्मत और जहाजों के आवधिक परत और जहाजों के जीवन विस्तार के उन्नयन सहित सभी प्रकार के जहाजों की मरम्मत और रिफिट के निर्माण में लगा हुआ है।

ग्रूप एक सार्वजनिक लिमिटेड ग्रूप है जो भारत में शामिल और स्थित है। निगमित कार्यालय का पता पेरुमानूर, कोच्चि, केरल है। दिनांक 31 मार्च 2021 को, भारत सरकार कंपनी की 72.86% इक्विटी शेयर पूंजी का हिस्सा रखता है। ग्रूप की इक्विटी शेयर व्यापार के लिए एनएसई लिमिटेड और भारत के बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है और बीएसई लिमिटेड पर व्यापार के लिए कर मुक्त बॉन्ड में सूचीबद्ध है।

समेकित वित्तीय विवरण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (मूल ग्रूप) और इसके नियंत्रित कंपनी, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड से संबंधित है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और दिनांक 11 जून 2021 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

सहायक समूहों का विवरण	शेयरधारण
दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को निगमित हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को मुख्य रूप से सभी प्रकार के पोत निर्माण और मरम्मत व्यवसाय में शामिल होने का प्रस्ताव है। (आगे चलकर एचसीएसएल के रूप में संदर्भित)।	100%
एनसीएलटी प्रक्रिया के जरिए दिनांक 15 सितंबर 2020 को अधिग्रहित टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड (टीएसएल) को मुख्य रूप से सभी प्रकार के पोत निर्माण और मरम्मत व्यवसाय में शामिल होने का प्रस्ताव है। (आगे चलकर टीएसएल के रूप में संदर्भित)।	100%

2. मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

2.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को समय-समय पर संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ी गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (जिसे 'इन्ड एएस' कहा जाता है।) के अनुसार और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

2.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

कुछ वित्तीय साधनों जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए दिया जाता है।

2.2.1 समेकित वित्तीय विवरणों का समेकन का आधार

नियंत्रित कंपनियाँ ऐसी संस्थाएँ हैं जिनपर ग्रूप का नियंत्रण होता है। ग्रूप एक इकाई को नियंत्रित करता है जब ग्रूप का खुलासा होता है, या अधिकार के साथ इसकी भागीदारी से वर्तनीय रिटर्न का अधिकार होता है और इकाई को प्रसंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है। नियंत्रित कंपनियाँ, तिथि से पूर्ण रूप से समेकित है, जब तक नियंत्रण समाप्त हो जाने की तिथि तक, ग्रूप को नियंत्रण अंतरित किया जाता है।

ग्रूप मूल कंपनी एवं उसकी नियंत्रित कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय और खर्च के जैसे मदों को एकसाथ जोड़ते हुए श्रेणी वार आधार पर समेकित करता है। ग्रूप कंपनियों के बीच अंतर कंपनी लेनदेन, शेष और लेनदेन पर अवास्तविक लाभ हटा दिया जाता है। अवास्तविक नुकसान तब तक समाप्त हो जाते हैं जब तक कि लेनदेन स्थानांतरित संपत्ति की हानि का सबूत प्रदान न करें। ग्रूप द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ नियंत्रित कंपनियों की लेखांकन नीतियाँ बदल दी गई हैं।

नियंत्रित कंपनियों के इक्विटी और परिणामों में गैर-नियंत्रित ब्याजों को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित तुलन पत्र में अलग रूप से दर्शाया गया है। नियंत्रित कंपनी को अक्टूबर, 2017 में निगमित किया गया।

2.2.2 व्यापार संयोजन

भारतीय लेखा मानक 103, व्यापार संयोजन के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण पद्धति उपयोग करने हेतु व्यावसायिक संयोजनों का हिसाब लगाया गया है। अधिग्रहित पहचान योग्य संपत्ति और व्यवसाय संयोजन में ग्रहण की गई देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों को शुरू में अधिग्रहण की कारीख पर उनके उचित मूल्य पर मापा जाता है। पहचान योग्य आस्तियों और देनदारियों के अधिग्रहणिता के शुद्ध उचित मूल्य में कंपनी के हित से अधिक क्रय भुगतान को सद्भावना के रूप में मान्यता दी जाती है। क्रय भुगतान पर अधिग्रहणिता की पहचान योग्य आस्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य में कंपनी के हित की अधिकता को पूंजी संचय में मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण से संबंधित लेन-देन की लागत

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

को जब कर्च किया जाता है तब लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.3 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

इन्ड ए एस के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता है। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। अगर संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन की अवधि में और भविष्य की अवधियों में यदि संशोधन दोनों वर्तमान या भविष्य अवधियों को प्रभावित करता है, आकलन संशोधित जिस अवधि, में लेखाकरण आकलनों के लिए संशोधन मान्य किया जाता है।

2.4 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी सक्रियता

ग्रूप प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति की उपयोगी सक्रियता और बकाया मूल्यों की समीक्षा करती है। अनुमान भी बनाई जाती है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि वह अपने पूंजीकरण के लिए गारंटी देता है और परिसंपत्ति के कौन सा घटक पूंजीकृत हो। जीवन के पुनर्मूल्यांकन भविष्य अवधियों में मूल्यहास व्ययों में परिवर्तन में परिणत हो सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देयता का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

पट्टा

ग्रूप मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। ग्रूप पट्टे अवधिक (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करता है।

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण कई कारकों, लेकिन इस हद तक सीमित नहीं है, जैसे कि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार के खरीद का विकल्प और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा के मूल्यांकन पर आधारित है।

अनकोटेड निवेशों की हानि

ग्रूप हर साल अपने निवेशों के बकाया मूल्य की समीक्षा करती है या जब हानि की ओर संकेत होता है अधिक प्रायः अगर वसूली योग्य राशि उसके बकाया राशि से कम है, तो हानि की गणना करती है।

प्रावधानों की मान्यता और मापन

प्रावधानों की मान्यता और मापन संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के निर्धारण और पिछले अनुभव तथा तुलन पत्र तिथि में ज्ञात परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य की एक तिथि में संसाधनों के वास्तविक बहिर्वाह प्रावधानों में शामिल आंकड़ा से भिन्न हो सकता है।

गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोतों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोतों के संबंध में दावाओं की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोत स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावाएं वही के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

एक आकस्मिक देयता संभाव्य दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर घटना जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं है क्योंकि यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने आवश्यक होगा या इसे पर्याप्त विश्वसनीयता से नहीं मापा जा सकता है, द्वारा पुष्टि की जाएगी। कंपनी आकस्मिक देयता को पहचान नहीं पाती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

अग्रिमों / प्राप्तियों की वसूली योग्यता

कंपनी व्यापार और अन्य प्रायों की वसूली के आकलन के आधार पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान किया जाता है। संदिग्ध ऋणों के पहचान के लिए निर्णय और आकलनों का उपयोग आवश्यक है। जहाँ अनुमान वास्तविक आकलनों से भिन्न है ऐसी भिन्नता परिवर्तित की गई जिस अवधि में ऐसे आकलन व्यापार और अन्य प्रायों तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के कारण व्ययों के

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष केलिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

कैरियिंग मूल्य को प्रभावित किया जाएगा। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर, प्रत्याशित जीवन पर अवलोकन किए ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्राप्यों और अग्रिमों पर प्रत्याशित क्रेडिट हानि का आकलन करता है।

उचित मूल्य मापन

प्रबंधन वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) और गैर वित्तीय संपत्तियों के निर्धारण करने केलिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। बाजार प्रतिभागियां उपकरण का दाम कैसे तय किया जाएगा इस के साथ संगत विकासोन्मुख अनुमान और धारणाएं इसमें शामिल है। प्रबंधन अपने धारणाओं केलिए यथासंभव प्रत्यक्ष डेटा को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति मे प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर एक हाथ की लंबाई लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

मालसूचियों केलिए प्रावधान

प्रबंधन आवधिक आधार पर मालसूची समय सूचीकरण की समीक्षा करती है। इस समीक्षा में अग्रिम मालसूची मदों के कैरियिंग मूल्य के साथ संबंधित निवल वसूली मूल्य की तुलना शामिल है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या वित्तीय विवरणों में किसी भी अप्रचलित और धीमी गति से चलती वस्तुओं केलिए प्रावधान करने की आवश्यकता है या नहीं और वित्तीय विवरणों में अप्रचलित और धीमी गति से चलती मालसूचियों केलिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है या नहीं।

परिनिर्धारित क्षति

कंपनी की परिनिर्धारित क्षतियों के सामने दावाएं वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की मान्यता केलिए समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। ठेकों के अपूर्ण भाग पर अनुमानित हानियों केलिए इस अवधि में यदि कोई प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसी हानियां रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित ठेका अनुमानों के आधार पर संभाव्य हो जाता है। समान लेनदेन के अनुभव द्वारा पूरक उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के प्रबंधन के आकलन के आधार, कंपनी के खिलाफ परिसमाप्त नुकसान के दावे को मान्यता दी जाती है।

निर्धारित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निर्धारित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमाकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमाकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन

वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

2.5 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

कंपनी ने संक्रमण तिथि यानी 01 अप्रैल 2015 को कैरियिंग लागत को भारतीय लेखाकरण मानक के तहत अनुमानित लागत के रूप में विचार करने से एक बार संक्रमण छूट केलिए आवेदन किया था। इसलिए इसके बाद ऐतिहासिक लागत के रूप में माना जाता है। हालांकि टीएसएल (सहायक) के मामले में, उचित मूल्य को भारतीय लेखा मानक में संक्रमण तिथि पर मानित लागत के रूप में अपनाया गया है।

पी पी ई नि: शुल्क संचित मूल्यहास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोड़कर) और नुकसान यदि कोई है में स्पष्ट किया है। पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन केलिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति को स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने केलिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य किसी लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृति तक (योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण केलिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधार लागत) कर्जों पर ब्याज भी शामिल है।

इसके बाद की लागतों को परिसंपत्ति के कैरियिंग मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा और मदों की लागत वस्तुगत है और विश्वासनीय ढंग से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की कैरियिंग राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते है, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभाारित किया है।

2.6 प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां:

प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग केलिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

2.7 अगोचर परिसंपत्ति

डिजाइन विकास: डिजाइन विकास केलिए किए गए खर्च जो उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अगोचर परिसंपत्ति के रूप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि केलिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष केलिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

सॉफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर का मूल्य जो आंतरिक उपयोग केलिए उपाजित संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न भाग है, अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि केलिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

उपयोग केलिए अधिकार: भूमि और अन्य सुविधाओं के प्रयोग केलिए अधिकार हासिल करने हेतु पहले ही प्रदत्त शुल्क को अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया है, जिसके लिए अधिकार प्राप्त किया गया है।

आंतरिक रूप से प्रजनित प्रक्रिया : भीतरी तौर पर उत्पन्न किए सॉफ्टवेयर की लागत अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और तीन साल की अवधि के परे एक सीधी लाइन के आधार पर ऋण परिशोधन किया है।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

2.8 पट्टे

भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक 116) ‘पट्टे’ दिनांक अप्रैल 01, 2019 से प्रभावी हो गए और ग्रूप ने संशोधित पूर्वव्यापी संक्रमण पद्धति का उपयोग करके इसे अपनाया है, जहां प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर पट्टा देयता को शेष पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है और सही उपयोग की परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता प्राप्त है, जिसमें पट्टे की देय राशि की प्रारंभिक राशि शामिल होती है जो पट्टे की आरंभ तिथि से पहले या उससे पहले किए गए पट्टे के भुगतान केलिए समायोजित की जाती है और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में किसी भी पट्टे पर प्रोत्साहन कम होता है। तदनुसार, तुलनाओं को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

पट्टेदार के रूप में :

ग्रूप की पट्टे परिसंपत्ति वर्ग में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं। ग्रूप इस बात का अकलन करती है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में एक अनुबंध पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। एक अनुबंध पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल हैं, यदि अनुबंध विचार केलिए बदले में समय की अवधि केलिए किसी पहचाने गए परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। क्या अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, इसका आकलन करने केलिए, कंपनी यह आकलन करती है कि : (I) अनुबंध में किसी पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल हैं, (II) ग्रूप के पास पट्टे की अवधि के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ काफ़ी हैं और (III) ग्रूप के पास संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टा शुरू होने की तारीख में, ग्रूप एक पट्टा देनदारी और सभी पट्टा व्यवस्था केलिए एक संगत राइट-टु-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जिसमें यह पट्टेदार होता है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के पट्टे) वाले पट्टे को छोड़कर और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे। इन अल्पावधि और कम

मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे केलिए कंपनी पट्टे भुगतान को सीधे आधार पर या पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है। उपयोग में आनेवाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे के भुगतान की प्रारंभिक राशि पट्टे भुगतान केलिए या उससे पहले पट्टे भुगतान केलिए समायोजित की जाती है, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत में कोई पट्टा प्रोत्साहन कम होता है। वे बाद में लागत कम संचित मूल्यहास और हानि पर मापा जाता है, यदि कोई हो। उपयोग की जानेवाली परिसंपत्तियों को पट्टे अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के छोटे से अधिक सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है। पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या यदि वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है। पट्टा देयता को बाद में पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने केलिए ले जाने की मात्रा में वृद्धि करके और ली गई भुगतानों को प्रतिबिंबित करने केलिए ले जाने की मात्रा को कम करके पुनः भुगतान किया जाता है। एक पट्टा देयता को कुछ घटनाओं की घटना जैसे कि पट्टा अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने केलिए उपयोग किए गए सूचकांक या दर में बदलाव के आधार पर पुनः मापा जाता है। पुनःमापन में आम तौर पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को भी समायोजित करता है। पट्टा देनदारी और आरओयू परिसंपत्ति की अलग-अलग तुलन पत्र में प्रस्तुत किया गया है और पट्टे के भुगतान को नकदी प्रवाही के वित्तपोषण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक पट्टेदार के रूप में

पट्टे जिसकेलिए ग्रूप एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब कभी पट्टे की शर्तें पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे प्रचालनशील पट्टे रूप में वर्गीकृत हैं।

प्रचालन पट्टे केलिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को ‘अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति’ में समायोजित किया जाता है।

2.9 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्तियां किराये अर्जित करने और / अथवा पूंजी वृद्धि केलिए धारित संपत्तियां है। निवेश संपत्तियां प्रारंभ में लेनदेन लागत सहित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यहास और हानियों के नुकसान पर बताया जाता है। निवेश संपत्ति तके निपटान पर कोई लाभ या हानि, निवल निपटान आय और संपत्ति की कैरियिंग राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष केलिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

2.10 मूल्यहास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) केलिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से उपार्जित परिसंपत्तियों केलिए मूल्यहास तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित शेष उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया है। उपयोग की संपत्ति का अधिकार/पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति के उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार/ पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यहास से हटा दिया जाता है।

प्रारंभ में स्वीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद और किसी महत्वपूर्ण भाग निपटान पर अथवा जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है अस्वीकृत किया जाता है। परिसंपत्ति की अस्वीकृति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ/ हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब परिसंपत्ति अस्वीकृत करती है। अभी भी उपयोग में रहने वाली पूर्ण रूप से अवमूल्यन की गई परिसंपत्तियां वित्तीय विवरणों में बकाया मूल्य में रखी जाती है।

मूल्यहास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन विश्वास करता है कि संपत्तियों के उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित वही के अनुसार, कुछ प्रकार के इमारतों और उपकरणों को छोड़कर, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अधिनियम की अनुसूची क्ष्क में निर्धारित से भिन्न होने की तरह उपयोगी जीवन अनुमानित किया गया है। विभिन्न संपत्ति वर्ग केलिए मूल्यहास की गणना हेतु विचार किए गए उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

संपत्ति वर्ग	उपयोगी जीवन
भवन	3-60 वर्ष
प्लांट और उपकरण	5-15 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	8-10 वर्ष
वाहन	8-10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3-10 वर्ष
डाटा प्रोससिंग उपकरण	3-6 वर्ष
डॉक और घाट	15 वर्ष
रेलवे साइडिंग	15 वर्ष
इलेक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन	10 वर्ष
ड्रेनेज और पानी की आपूर्ति	15 वर्ष
वेसल	13-28 वर्ष

2.11 परिसंपत्तियों का हानिकरण

ग्रूप प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रत्येक रोकड उत्पादक एकक के संदर्भ में परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन करते हैं। यदि आंतरिक और बाह्य घटकों के आधार पर घटाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह सूचित करते हैं कि अंकित पूर्ण रूप से वसूली योग्य न होगा, हानिकरण के कारण हानि, जो अग्रनीत राशि और वसूली योग्य राशि के बीच जो अंतर है वह तदनुसार गणना की है।

2.12 बिक्री केलिए धारित गैर चालू संपत्तियां

ग्रूप एक गैर चालू संपत्ति को बिक्री केलिए धारित रूप में वर्गीकृत करती है, यदि उसकी कैरियिंग लागत मुख्य रूप से एक बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति को जैसे पूरा किए मानते हैं, केवल जब संपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री केलिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभव हो। बंद संचालन सहित गैर चालू संपत्तियां जो, बिक्री केलिए धारित के रूप में वर्गीकृत को कैरियिंग राशि के निम्नतम में मापा जाता है और बिक्री केलिए उचित मूल्य कम लागत तथा वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया है। एक बार बिक्री केलिए धारित के रूप में वर्गीकृत करने पर, संपत्तियां मूल्य हास और परिशोधन के अधीन नहीं है। बंद संचालनों की बिक्री या पुन: मापन से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में एकल पंक्ति मद के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.13 माल सूची

(क) कच्चे मालों, घटकों, भण्डार और पूर्जे का भारत औसत लागत पद्धति के अनुसरण में लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। हालांकि उत्पादन/सेवाओं में उपयोग केलिए रखी गई सामग्रियों और अन्य आपूर्ति को लागत से नीचे नहीं लिखा गया है यदि तैयार उत्पाद/सेवाओं की आपूर्ति जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, उन्हें ऊपर या लागत पर बेचा जाने की उम्मीद है । अप्रचलन/अनुपयोगित/ गुण ह्रास प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीक के मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है। मार्गस्थ और निरीक्षण लंबित मालों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। रक्षा पोतो के निर्माण के संबंध में सामग्रियों के स्टॉक जिसमें उपगत मूल्य मालिक द्वारा प्रतिपूर्ति की है, यान के निर्माण केलिए मालिक द्वारा प्रदान अग्रिमां से घटाव के रूप में दर्शाया है।

(ख) असंयत औजारों का मूल्यांकन उनके लागत के आधार पर किया गया और उनके अंकित मूल्य के 30 प्रतिशत को पुन मूल्यांकन पर होने वाली हानि केलिए प्रावधान करने के बाद किया गया।

(ग) स्क्रेप पर देय सीमा शुल्क, यदि कोई हो, को समायोजित करने के पश्चात स्क्रेप के स्टॉक का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

2.14 वित्तीय साधन

जब ग्रूप साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को मान्य किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष केलिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागतें जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को छोड़कर) की जारी को प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता पर मापा गया उचित मूल्य से जोडा या घटाया जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने केलिए और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण केलिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है अगर ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने केलिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहां उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

निवेश

सहायक कंपनियों की वरीयता शेयरों/ ऋणपत्र में निवेश को इक्विटी उपकरणों के रूप में माना जाता है यदि वे इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है। पूर्वोक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाले वरीयता शेयरों/ ऋणपत्रों में निवेश को परिशोधन लागत पर ऋण उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण साधन में निवेश को निम्न दोनों स्थितियों के पूरा होने पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है: परिसंपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य है -

(1) संविदात्मक नकदी प्रवाह इकट्ठा करने के लिए संपत्ति रखने के लिए, और

(2) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती है

जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान करती हैं जो मूल राशि पर बकाया हैं।

अमूर्त लागत की गणना किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

व्यापार प्राप्तियां

ग्रूप डिलिवरेबल्स के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है । प्राप्य एक विचार का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है ।

ग्रूप प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगडा हुआ है। भारतीय लेखा मानक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि भत्ता के माध्यम से मापा जाना।

ग्रूप सभी व्यापार प्राप्तियों केलिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं। नुकसान हानि छूट इन्ड ए एस 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने केलिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

सभी व्यापार प्राप्तियां केलिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है जब वसूली संदेहात्मक माना जाता है जब कर्ज तीन साल से अधिक है या अगर यह निश्चित है कि ऋण वसूली योग्य नहीं है।

जहाँ ऋण कानूनी कार्यवाहियों में विवादित होते हैं, अगर किसी भी निर्णय कंपनी के खिलाफ दिया जाता है तो प्रावधान किया जाता है, यद्यपि वही उच्च अधिकारियों/ अदालतों को अपील पर ले लिया गया है।

क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

रोकड व रोकड तुल्यांक

ग्रूप सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो रोकड की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य जोखिम के अधीन है और रोकड तुल्यांक होने केलिए खरीद की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। रोकड व रोकड तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग केलिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर पद्धति उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरण एक ठेका है जो अपनी सभी देयताओं को घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियों में बचत ब्याज का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को समायोजित सीधे जारी लागत से प्राप्त आय पर मान्य किया जाता है।

वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने के लिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन

कार्यात्मक व प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों (आई एन आर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की क्रियाशील मुद्रा प्रदर्शन मुद्रा है।

लेनदेन और शेष:

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को क्रियाशील मुद्रा में संबंधित लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दर ग्रहण करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में बताए आर्थिक वस्तुओं को तुलन पत्र तिथि पर प्रचलित विनिमय दर में पुनः मापा जाता है। गैर आर्थिक विदेशी मुद्रा मदें लागत पर प्रस्तुत किया जाता है। विनिमय भिन्नता के कारण किसी भी आय या व्यय निपटान पर या संशोधित विवरण पर लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

व्युत्पन्न साधन और प्रतिरक्षा लेखांकन:

कंपनी कुछ विदेशी मुद्रा अग्रिम ठेकाओं को विदेशी विनिमय जोखिमों के संबंध में प्रतिरक्षा साधनों के रूप में निर्दिष्ट करती है। इन प्रतिरक्षा को नकद प्रवाह प्रतिरक्षा के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न ठेकाओं का उपयोग निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की विदेशी विनिमय जोखिम नीतियों से शासित है जो कंपनी के जोखिम प्रबंध योजना से संगत ऐसी वित्तीय व्युत्पन्नों के उपयोगों पर लिखित मूल्यतत्व प्रदान करती है। कंपनी अनिश्चित प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उपयोग नहीं करता है।

प्रतिरक्षा साधनों को ठेके की शुरुआत में प्रतिरक्षा के रूप में निर्दिष्ट और प्रलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा अनावृत्ति से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा साधनों की प्रभावशीलता जो प्रतिरक्षा की जा रही है आरंभ में और निरंतर आधार पर मूल्यांकित और मापा जाता है।

निर्दिष्ट प्रतिरक्षा साधन के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय में मान्यता दिया है और रोकड प्रवाह साधन रिजर्व शीर्ष के अधीन संचित किया गया है।

प्रतिरक्षा साधन समाप्त हो जाने पर या बिना किसी प्रतिस्थापन का रोलओवर (हेडजिंग रणनीति के भाग के रूप में) बेचा, समाप्त या प्रयोग किया जाता है या यदि प्रतिरक्षा के रूप में उसका पदनाम रद्द किया जाता है, या जब तक प्रतिरक्षा लेखांकन के मानदेडों को पीरा नहीं करते हैं प्रतिरक्षा लेखांकन समाप्त करता है। अन्य सर्वग्राही आयो में मान्य किए और उस समय तक इक्विटी में संचित और अवशेष किसी भी लाभ अथवा हानि विवरण में नाम्य किया जाता है जब कि पुर्वानुमानित लेनदेन अंततः लाभ और हानि को प्रभावित करता है। जब तक पुर्वानुमानित लेनदेन की उम्मीद नहीं की जाती है, इक्विटी में संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में स्थानांतरित किया जाता है।

2.15 अनुबंध परिसंपत्तियां

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहको हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि के लिए की जाती है।

2.16 अनुबंध देयताएं

जहां गूप को विचार प्राप्त होता है, या गूप के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि गूप ग्राहक को एक अच्छी या सेवा हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

2.17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, गूप को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोड़कर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

दिए गए पोटों/ छोटे यानों पर गारंटी दावे के लिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोटों के लिए गारंटी दावाएँ, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

व्यापार के सामान्य क्रम में गूप के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्ट लाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वसनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नहीं हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असल में प्रतिकूल प्रभाव डालें। गूप आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है दो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। कंपनी एक आकस्मिक संपत्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जहां आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव है।

2.18 राजस्व मान्यता

क) परिचालन से राजस्व

1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी, कंपनी ने एएस115 ‘ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व’ को अपनाया है। प्रारंभिक आवेदन की तारीख (1 अप्रैल, 2018) को पूरा नहीं किए गए अनुबंधों के संबंध में, कंपनी ने ओपन डेट बैलेंस के समायोजन के रूप में प्रभावी तिथि पर समान लागू करने के संचयी प्रभाव को पहचानकर मानक पूर्वव्यापी लागू किया है। पूर्व में अर्जित आय और तदनुसार पिछले वर्षों के आंकड़ों को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो प्राप्त या प्राप्य विचार का उचित मूल्य है। राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी स्वदेशी वायुयान वाहक को छोड़कर जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध के संबंध में आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के मापन के आधार पर उत्पादन पद्धति का उपयोग करके ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है।

स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध के संबंध में, जो कि आंशिक रूप से कीमत निश्चित मूल्य आधार पर और आंशिक रूप से आंशिक लागत प्लस आधार पर है, निश्चित मूल्य भाग से प्राप्त राजस्व को ऊपर बताए अनुसार मान्यता प्राप्त है। सामग्री और डिजाइन आउटसोर्सिंग की खरीद और आपूर्ति के लिए अनुबंध के लागत से अधिक भाग के निशान के माध्यम से राजस्व को मान्यता दी जाती है, जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर पूरा किया जाता है। सामग्री की लागत, डिज़ाइन आउट सोर्सिंग के मूल्य और जहाज के लिए किए गए अन्य खर्च जो नौसेना से अलग करने योग्य हैं, लाभ और हानि के बयान के लिए शुल्क लिया जाता है जब सामग्री का उपभोग किया जाता है / गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है / खर्च किए जाते हैं और एक साथ सकल होते हैं काम के मूल्य और आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अन्य ऑपरेटिंग राजस्व को उस समय पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को दिए गए माल और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है अन्य ऑपरेटिंग राजस्व को उस समय पहचाना जाता है जब कंपनी ग्राहक को दिए गए माल और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है, सिवाय पोट निर्माण वित्तीय सहायता के मामले, जो अनुबंध के संबंध में आज तक पूर्ण किए गए प्रत्यक्ष प्रदर्शन के मापन के आधार पर आउटपुट पद्धति की मान्यता प्राप्त है, जो एसबीएफए नीति के तहत पात्र हैं। प्रबंधन शुल्क भी समय की अर्वाधि में मान्यता प्राप्त है।

ऐसी परिस्थितियाँ, जहां गूप यथाचित प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को मापने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन गूप को उम्मीद है कि वह प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में हुई लागत को वसूल करेगी, गूप राजस्व को केवल उस समय तक किए गए खर्चों की सीमा क्षक मानती है जब तक कि वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को यथोचित माप नहीं सकता। जहां कुल अनुबंध लागत और राजस्व के वर्तमान अनुमानों से नुकसान का संकेत मिलता है, पूरे नुकसान के लिए प्रावधान किया जाता है, चाहे जितना भी काम किया जाए।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले विक्री मूल्य पर है या नहीं। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैडअलोन की विक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना जाता है; हालांकि यदि संशोधन स्टैडअलोन विक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

यदि किसी अनुबंध में दिए गए विचार में छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसे परिवर्तनीय राशि शामिल हैं, तो कंपनी उस अनुमानित शुद्ध राशि का अनुमान लगाती है जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामानों को या ग्राहक के लिए सेवाएं और उसी के लिए खाते में स्थानांतरित करने के बदले में हकदार है।

ख) अन्य आय

i) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब पहचाने जाते हैं जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़े शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को बहुतायत अवधियों जिसमें कंपनी संबंधित लागतों जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, को व्ययों के रूप में मान्य करते हैं, लाभ और हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता देती है। जहाँ अनुदान संपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है, और संपत्ति के

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

प्रत्याशित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है। अन्य अनुदान, लाभ और हानि विवरण में व्ययों जिसके लिए ऐसे अनुदान संबंधित / कवर करने का इरादा है, के समवर्ती मान्यता दी जाती है।

सरकारी अनुदान दो पहले से किए गए व्यय या हानियों के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्य है या कोई भविष्य संबंधी लागत न होने वाले कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिस अवधि में वे प्राप्य हो जाते हैं। पोत निर्माण वित्तीय को पैरा (क) में निर्दिष्ट तरीके से परिचालन से राजस्व के रूप में जाना जाता है।

ii) परिसंपत्ति क्षति और अग्रिमों पर ब्याज

(क) अग्रिमों पर ब्याज (ख) और परिसंपत्ति क्षतियों के कारण कोई आय को स्वीकार नहीं किया गया जहां ये उगाहियां, करार के विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्णय पर रहती है। करार पूरे होने पर अथवा इस पर अंतिम निर्णय होते वक्त इन्हें खाते में लिखा जाता है।

लंबी अवधि की अवधि वाले पूंजी कार्यों के निष्पादन के लिए दर्ज किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में समय पर अमल के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता के लिए अग्रिम ब्याज असर जुटाना अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान है, जुटाना अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का लेखा-जोखा आधार पर होता है।

iii) बीमा दावाओं के लिए लेखांकन

(i) वारंटी/ बिल्डर जोखिम दावे

वारंटी बीमा नीतियों के तहत पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों के लिए लिए बीमा पॉलिसियाँ, संरक्षित गारंटी दोषों अथवा बिल्डरों की जोखिम बीमा नीति के तहत दावों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को उस वर्ष के खातों में पहचाना जाएगा जिसमें सर्वेक्षण पूरा हो गया है और बीमा कंपनी द्वारा सूचित निपटान की संभाव्य राशि।

(ii) अन्य बीमा नीतियां

परिसंपत्ति बीमा, ट्रांसिट बीमा, समुद्री बीमा, रोकड बीमा आदि जैसी अन्य बीमा नीतियों के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के जरिए दावों के निपटान पर लेखाओं में दावों को मान्यता दी जाती है। चिकित्सा बीमा के मामले में, दावों को बीमा कंपनी के साथ प्रस्तुत दावों के आधार पर, उचित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

चिकित्सा बीमा के मामले में, बीमा कंपनी के पास प्रस्तुत दावों के आधार पर, दावों की पहचान उचित आधार पर की जाती है।

iv) अन्य

लाभांश आय को प्राप्त होने वाले वर्ष के लेखे में स्वीकृत किया जाता है।

2.19 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो हस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालीक है, शामिल है।

पोस्ट - रोजगार लाभ योजना

निर्धारित योगदान योजनाएं

कार्यपालकों/ पर्यवेक्षकों/कामगारों के लिए सीएसएल अधिवर्षिता पेंशन ट्रस्ट में पात्र कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में निर्धारित अंशदान दिया जाता है और वे नियत होने के रूप में प्रभारित किया जाता है। ऐसे लाभों को, अंशदान देने के अलावा कंपनी को कोई और दायित्व न होने के कारण निर्धारित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी एक निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना के तत्व में, अंशदायी भविष्य निधि की ओर अंशदान भी किया जाता है। भविष्य निधि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा प्रशासित कंपनी के भविष्य निधि के नियमों अपेक्षित करते हैं कि यदि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा घोषित दर पर ब्याज देने में असमर्थ है तो, तब कंपनी द्वारा कमी दूर की जाएगी। निधि की परिसंपत्तियों और निवेशों पर आय के संबंध में, कंपनी वर्ष के अंत में किसी भी कमी की उम्मीद नहीं करती है। कमी, अगर कंपनी द्वारा किसी भी आकलन के लिए खातों में प्रदान की जाती है।

कंपनी कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्टों जो कि वे नियत होने के कारण खर्च के रूप में प्रभारित किया है, की ओर अंशदान भी किया जाता है। ऐसे लाभों को निर्धारित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए योगदानों के अलावा कोई और दायित्व नहीं लेता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

ग्रूप उपदान के लिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियां उस अवधि में पहचानते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा दी गई अनुपस्थितियां

ग्रूप को मुआवजा दी गई अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो प्रकृति में दोनों संचित और गैर संचित है। मुआवजा दी गई अनुपस्थिति संचित करने के लिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/ लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवजा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

2.20 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/ निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे आरोप्य सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को जब ऐसे परिसंपत्तियाँ निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने पर उस तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक योग्य परिसंपत्ति ऐसा है कि जो अपने निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने हेतु अनिवार्य रूप से पर्याप्त अवधि लेती है। सभी अन्य उधार लागत, व्यय किया हुआ अवधि में लाभ व हानि के विवरण के साथ प्रभारित किया जाता है। उधार लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाने वाले हद तक विनिमय अंतर भी उधार लागत में शामिल हैं।

2.21 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है, जिसमें कंपनी भविष्य के वर्षों में कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अलावा समायोजन के लिए न्यूनतम आवश्यक सीएसआर व्यय से अधिक राशि को आगे ले जाने का निर्णय लेती है।

2.22 पूर्वावधि समायोजन

त्रुटियों की वजह से पूर्वावधि समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने से, प्रस्तुत पूर्वावधियों जिसमें त्रुटि घटित है के लिए तुलनात्मक राशियों को पुन पेश करके या यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व अवधि से पहले घटित है, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण पुनः पेश करके पूर्वव्यापी प्रभाव पर सुधार किया जाता है।

2.23 आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोड़कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

चालू कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय होने की उम्मीद की गई कर राशि पर मापा जाता है। चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देयताएं, परिसंपत्तियां और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरियिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रणीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियों उपयोग किया जा सकता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की कैरियिंग राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित हो, का उपयोग करके मापा जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने के लिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

2.24 प्रति शेयर कमाई

प्रतिशेयर के मूल कमाई वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत और संख्या से कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को आरोग्य लाभ या हानि को विभाजित करके गणना की जाती है। प्रस्तुत किए गए किसी भी वर्ष में कंपनी को संभवतः कमजोर प्रतिभूतियां नहीं थी।

2.25 सेगमेंट रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट्स किसी ऐसे उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए असतत वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जो मुख्य संचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन करती है, जिसमें संसाधनों को कैसे आबंटन करना और निष्पादन का मूल्यांकन करने का निर्णय करने में। कंपनी के मुख्य संचालन निर्णायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।

गूप ने व्यापार सेगमेंटों (उद्योग प्रथा) को रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंटों के रूप में पहचान की है। व्यापार सेगमेंट में: 1) पोत निर्माण और 2) पोतों/ अपतटीय संरचनाओं की मरम्मत शामिल है।

सेगमेंट राजस्व, सेगमेंट व्यय, सेगमेंट परिसंपत्तियां और सेगमेंट देयताएं सेगमेंट की संचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर सेगमेंट के रूप में पहचान की गई है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं जो संपूर्ण कंपनी से संबंधित हैं और एक तर्क संगत आधार पर सेगमेंटों के लिए आबंटन योग्य नहीं है 'अनाबंटित राजस्व/ व्यय/ परिसंपत्तियां/ देयताएं' के अधीन शामिल किया गया है।

2.26 समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाहों को परोक्ष रीति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है जिससे कर के पूर्व लाभ/ हानि गैर रोकड़ प्रकृति के लेनदेन और पूर्व या भविष्य रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के स्थगन या संचलन और निवेश या वित्तीय रोकड़ प्रवाह से जुड़े आय या व्यय के मदों को प्रभावित करने के लिए समायोजन किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह अलग किया जाता है।

रोकड़ प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए, रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक में बैंकों में और हाथ में रोकड़ और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि जमाएं शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तनों का एक नगण्य जोखिम, बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट का निवल यदि कोई है, के अधीन हैं। बैंक ऑवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में चालू देयताओं में कर्ज के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

2.27 इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश

इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभांश देयता के रूप में मान्य किया जाता है और उस अवधि में शेयरधारकों को इक्विटी से कटौती की जाती है, जिसमें साधारण बैटक में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा लाभांश अनुमोदित किया जाता है। अंतरिम लाभांश के मामले में, उस अवधि में की जाती है जिसमें कंपनी के बोर्ड द्वारा इसकी सिफारिश और अनुमोदन किया जाता है।

2.28 हाल ही के अधिसूचनाएं

भारतीय संसद ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को मंजूरी दे दी है, जो भविष्य निधि और उपदान के लिए कंपनी के योगदान को प्रभावित करेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 13, 2020 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है और उन हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं जिन पर मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। एक बार बताए गए नियम अधिसूचित हो जाने के बाद कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां प्रभाव और उसके मूल्यांकन का आकलन करेंगी और उस अवधि में अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रभाव देगी, जिसमें कोड प्रभावी हो जाता और वित्तीय प्रभाव निर्धारित करने हेतु संबंधित नियम प्रकाशित होते हैं।

मार्च 24, 2021 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची iii में संशोधन किया। संशोधन अनुसूची के प्रभाग i, ii और iii को संशोधित करते हैं और अप्रैल 1, 2021 से लागू होते हैं। संशोधन व्यापक है और कंपनी कानून द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें प्रभावी बनाने हेतु उनकी मूल्यांकन करेगी।

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वर्ष	सकल कैसिंग राशि			मूल्यवत्			निवल कैसिंग राशि		
	01 अप्रैल 2020 को	31 मार्च 2021 को	01 अप्रैल 2020 को	वर्ष के दौरान जोड़/ घटाव/ संपादन पर	संपादन/ आहरण	31 मार्च 2021 को	वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
स्वामित्व संपत्ति									
भूमि (पूर्व स्वामित्व)	587.54	2,607.87	-	3,195.41	-	-	-	3,195.41	587.54
इमारतें	13,832.24	2,060.41	2,773.63	18,666.28	2,459.26	141.29	588.70	3,189.25	15,477.03
फ्लॉट और मशीनरी	18,909.92	4,657.45	1,170.61	24,737.37	7,076.66	817.11	2,118.52	10,011.90	14,725.47
फर्निचर और जुड़ाव	1,237.82	20.06	147.17	1,402.83	485.80	7.76	116.71	1,55	608.72
पाइप्ले	599.11	7.33	13.67	620.07	256.49	0.02	56.34	0.02	312.81
कार्पोरेट उपकरण	382.21	19.42	94.13	495.10	172.09	5.70	59.80	0.41	237.18
अन्य									
डबल प्रोसेसिंग उपकरण	1,345.71	17.26	490.01	1,845.10	833.47	8.49	251.28	5.30	1,087.94
पोल्टी और घाट	4,466.45	-	-	4,466.45	1,542.55	299.41	-	1,841.96	2,624.49
रेलवे सर्विंडा	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10
विद्युत संस्थान	1,765.00	-	66.03	1,831.03	864.80	-	117.37	982.17	848.86
नाली और जलपूर्ति	6.67	-	-	6.67	-	-	-	-	6.67
घर	19.74	-	-	19.74	5.72	-	1.36	7.08	12.66
उप कुल	43,153.51	9,389.80	4,755.25	57,287.15	13,696.84	980.35	3,609.49	18,279.01	39,008.14
पेट्टे परिसर की संपत्तियां									
इमारतें	2,105.50	1,830.40	87.85	4,023.75	441.45	562.03	287.60	1,291.08	2,732.67
फ्लॉट और मशीनरी	518.62	-	136.03	654.65	74.20	-	35.17	109.37	545.28
पाइप और घाट	9.62	-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27
विद्युत संस्थान	360.77	-	39.49	400.26	132.06	-	37.58	169.64	230.62
स्लॉप वे	-	1,108.00	(0.00)	1,108.00	-	340.21	113.19	453.40	654.60
उप कुल	2,994.51	2,938.40	263.37	6,196.28	656.06	902.24	473.54	2,031.84	4,164.44
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार									
उपयोग का अधिकार- भूमि	39,550.14	95.90	228.91	39,874.95	1,360.32	12.93	1,378.87	2,752.12	37,122.83
उपयोग का अधिकार- समुद्र	98.11	-	74.96	173.07	35.36	-	35.29	70.65	102.42
उप कुल	39,648.25	95.90	303.87	40,048.02	1,395.68	12.93	1,414.16	2,822.77	37,225.25
कुल	85,796.27	12,424.10	5,322.49	103,531.45	15,748.58	1,895.52	5,497.19	23,133.62	80,397.83
									70,047.69

(₹ लाखों में)

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

ब्योरा	सकल कैरिंग रशि			मूल्यांकन			निवल कैरिंग रशि			
	01 अप्रैल 2019 को	वर्ष के दौरान जोड़/समाप्त/अवकाश पर	वर्ष के दौरान निपटारा/ समाप्त/अवकाश पर	31 मार्च 2020 को	वर्ष के लिए समाप्त/अवकाश पर	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	वर्ष के लिए समाप्त/अवकाश पर	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्व स्वामित्व)	587.54	-	-	587.54	-	-	-	-	587.54	587.54
इमारतें	13,476.97	355.27	-	13,832.24	1,929.32	-	529.94	-	11,372.98	11,547.65
प्लॉट और मशीनरी	18,115.83	795.16	1.07	18,909.92	5,591.53	-	1,485.68	0.55	11,833.26	12,524.30
फर्नीचर और जुड़ाव	1,113.59	125.88	1.65	1,237.82	372.42	-	114.30	0.92	485.80	741.17
गाड़ियां	515.38	83.73	-	599.11	203.19	-	53.30	-	256.49	312.19
कार्यालय उपकरण	234.56	149.06	1.41	382.21	133.98	-	39.28	1.17	172.09	100.58
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल	923.71	422.79	0.79	1,345.71	670.02	-	164.17	0.72	833.47	253.69
उपरोक्त का अधिकार- भूमि	4,466.45	-	-	4,466.45	1,243.14	-	299.41	-	1,542.55	3,223.31
रेलवे स्टेशन	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	-	1.10
विद्युत संयंत्र	1,725.64	39.36	-	1,765.00	732.10	-	132.70	-	864.80	993.54
नाली और जलपूर्ति	6.67	-	-	6.67	-	-	-	-	-	6.67
बाने	19.74	-	-	19.74	4.36	-	1.36	-	5.72	14.02
उप कुल	41,187.18	1,971.25	4.92	43,153.51	10,880.06	-	2,820.14	3.56	13,696.84	29,456.67
पट्टे पर लेनदेन की संपत्तियां										
इमारतें	848.99	1,260.35	3.84	2,105.50	333.80	-	110.60	2.95	441.45	1,664.05
प्लॉट और मशीनरी	316.00	202.75	0.13	518.62	50.28	-	23.96	0.04	74.20	444.42
गोदों और घाट	9.62	-	-	9.62	8.35	-	-	-	8.35	1.27
विद्युत संयंत्र	331.57	29.20	-	360.77	97.28	-	34.78	-	132.06	228.71
उप कुल	1,506.18	1,492.30	3.97	2,994.51	489.71	-	169.34	2.99	656.06	2,338.45
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपरोक्त का अधिकार- भूमि	39,550.14	-	-	39,550.14	-	-	1,360.32	-	38,189.82	-
उपरोक्त का अधिकार- इमारतें	98.11	-	-	98.11	-	-	35.36	-	62.75	-
उप कुल	-	39,648.25	-	39,648.25	-	-	1,395.68	-	38,252.57	-
कुल	42,693.36	43,111.80	8.89	85,796.27	11,369.77	-	4,385.16	6.35	15,748.58	70,047.69

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

भूमि में पट्टे के आधार पर दी गई (i) भारतीय विद्या भवन को (0.69045 हेक्टर) (ii) मे.इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पाइप लगाने के लिए (0.620 हेक्टर) (iii) मे. कोचीन एयर प्रोडक्ट्स को (0.30 हेक्टर) और (ख) केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा धारित (0.47 हेक्टर) भूमि की मूल्य भी शामिल है।

भूमि के मूल्य में उसके साथ ली गई इमारतों का मूल्य भी शामिल है जिसके लिए मूल्य ह्रास का प्रावधान न किया गया क्योंकि इनका अलग मूल्य प्राप्त नहीं तथा कारखाने की सुविधाओं के लिए इन्हें गिरा देने की संभावना है।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के लिए परिसंपत्तियों को (1291.52 लाख रु) तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित और कार्यकाल निर्धारित किया गया है। यह कार्यकाल इन परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की दरों पर पहुंचने हेतु एक आधार के रूप में किया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को नोट सं. 3 में, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से ली गई भूमि इन परिसंपत्तियों के साथ निर्मित परिसंपत्तियां / पट्टे में लिए भूमि में स्थापित करने, को अलग अलग से प्रकट किया गया है।

कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी द्वारा जारी कर मुक्त बांडो के लिए प्रतिभूति के रूप में कंपनी के भू संपत्तियों पर 12300 लाख रु. का बंधक सृजित किया है।

टीएसएल (सहायक) की संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन दिनांक 15 सितंबर 2020 के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में किया गया था। संपत्ति की सभी श्रेणियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जीवन का मूल्यांकन किया गया। इन संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास प्रदान करने हेतु शेष उपयोगी अवधि पर पहुंचने हेतु इस अवधि को आधार के रूप में लिया गया है।

टीएसएल (सहायक) ने माल्पे और हेंगरकट्टा में पट्टे पर ली गई भूमि के लिए कुंडापुरा पत्तन और कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। माल्पे में भूमि के लिए पट्टा करार 2023 में समाप्त हो जाएगा, जबकि हेंगरकट्टा भूमि के लिए पट्टे की अवधि 2019 में पहले ही समाप्त हो चुकी है। पट्टा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ बातचीत चल रही है। इस बीच कंपनी ने वर्ष के दौरान माल्पे पट्टा किराया के रूप में 20.51 लाख रुपए और हेंगरकट्टा पट्टा किराया के लिए 1.86 लाख रुपए का भुगतान किया। भारतीय लेखा मानक 116 केवल माल्पे पट्टेदारी भूमि के लिए लागू होता है।

माल्पे यार्ड में पट्टेदारी भूमि पर वैकल्पिक उपयोग (गैर परिवर्तनीय संपत्ति) के लिए निर्मित टीएसएल (सहायक) की संपत्तियां जिन्हें अलग या परिवहन नहीं किया जा सकता है उसका पट्टे की अवधि और उन संपत्तियों के उपयोगी अवधि के निचले हिस्से पर परिशोधन/ मूल्यह्रास किया जाता है। साथ ही कुलपी (कोलकाता-2031 सेंट में भूमि का मूल्य और हेंगरकट्टा में 0.78 सेंट भूमि का सत्यापन और मूल्यांकन लंबित होने के कारण टीएसएल के खातों में मान्यता नहीं दी गई है।

नोट 4 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(रु लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्लॉट और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	98,419.10	75,687.89
पूंजी यार्ड मद	5,371.20	1,126.50
परियोजना प्रबंधन शुल्क और विविध पूंजी खर्च	11,317.23	3,104.75
मार्गस्थ वस्तुएं	2,477.66	6.26
कुल	117,585.19	79,925.40

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर
नोट 5 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

व्योरा	सकल केतिविग राशि		ऋणपूर्णिक		निकल केतिविग राशि	
	01 अप्रैल 2020 को	31 मार्च 2021 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समाप्तजन	वर्ष के दौरान निघटन/ समाप्तजन	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अंतरिक रूप से सूचित वेड अक्रिया	27.67	-	-	-	27.67	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,495.14	-	70.02	-	1,443.22	128.57
भूमि और पोट मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार (आइएसआरएफ)	7,000.00	-	-	-	1,373.33	5,626.67
टारपी सॉफ्टवेयर	0.53	-	-	-	0.18	0.35
उपयोग का अधिकार- नवीरंग में भूमि (5.31 एकड)	118.94	-	-	-	4.20	114.74
उपयोग का अधिकार- नवीरंग में भूमि (9.91 एकड)	234.07	-	-	-	6.94	227.13
उपयोग का अधिकार- भूमि (माल्से)	-	-	221.99	-	4.09	217.90
कुल	8,876.35	16.68	292.01	-	2,867.35	6,313.91

(₹ लाखों में)

व्योरा	सकल केतिविग राशि		ऋणपूर्णिक		रूप सहूलकरद्वरु ड्रुइरुद्वरु	
	01 अप्रैल 2019 को	31 मार्च 2020 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समाप्तजन	वर्ष के दौरान निघटन/ समाप्तजन	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अंतरिक रूप से सूचित वेड अक्रिया	27.67	-	-	-	27.67	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,396.74	-	98.40	-	1,366.57	113.33
भूमि और पोट मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00	-	-	-	1,162.99	5,837.01
टारपी सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	0.01	0.52
उपयोग का अधिकार- नवीरंग में भूमि (5.31 एकड)	118.94	-	-	-	2.22	116.72
उपयोग का अधिकार- नवीरंग में भूमि (10.45 एकड)	234.07	-	-	-	3.96	231.09
उपयोग का अधिकार- भूमि (माल्से)	-	-	221.99	-	4.09	217.90
कुल	8,543.35	333.00	333.00	-	2,562.44	6,313.91

अमूर्त परिसंपत्तियों के अधीन दर्शाए गए भूमि और पोट मरम्मत सुविधा के उपयोग करने का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय पोट मरम्मत सुविधा (आइएसआरएफ) परियोजना की स्थापना के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को दिए गए अग्रिम शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है, पट्टे की अवधि के दौरान दो पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की तिथि के आधार पर आगे बढ़ाया गया था, ऋण चुकाना है। चूंकि आइएसआरएफ के लिए सभी पर्यावरण मंजूरी दिनांक 09 जनवरी 2018 तक प्राप्त की जाती है, इसलिए 30 वर्ष की पट्टा अवधि प्रभावी रूप से इस तिथि से शुरू होती है। टीएसएल सहायक की अमूर्त संपत्ति के तहत दिखाए गए भूमि के उपयोग का अधिकार माल्से पट्टेदारी भूमि का उपयोग करने हेतु पत्तन अधिकारी कुंडपुरा को भुगतान किए गए अग्रिम शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 6 : निवेश- गैर चालू

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अनकोटेड (पूर्णतया प्रदत्त)		
इक्विटी उपकरणों में निवेश		
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर		
कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी सहकारी उपभोक्त समिति में निवेश (प्रत्येक 100 रुपए के 2175 पूर्णतया प्रदत्त बी क्लास शेयर)	2.18	2.18
केरल एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश (प्रत्येक 10 रुपए के 70000)	7.00	7.00
कोचीन वेस्ट टू एनर्जी प्राइवेट लि. में निवेश (प्रत्येक 10 रुपए के 100000 इक्विटी शेयर)	-	-
कुल	9.18	9.18
अनकोटेड निवेश का कुल मूल्य	9.18	9.18

निवेश के मूल्य के संकेतकों जैसे कि निवेशिती की संपत्ति, परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए कोचीन वेस्ट टू एनर्जी (पी) लिमिटेड में निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट देखी गई है और तदनुसार उचित मूल्य को शून्य माना जाता है।

नोट 7 : गैर चालू ऋण

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य:		
क) प्रतिभूति जमा	71.49	65.71
ख) अन्य ऋण		
कर्मचारी अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को ऋण	0.00	0.00
अन्य कर्मचारियों	291.60	42.84
कुल	363.09	108.55

ऋण जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

नोट 8: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां- गैर चालू

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना अनुवृत्ति	4,255.65	835.57
संप्राप्त किराया परिसंपत्ति	29.75	28.93
कुल	4,285.40	864.50

भारत सरकार ने दिनांक अप्रैल 01, 2016 से मार्च 31, 2026 के बीच हस्ताक्षरित पोत निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 09 दिसंबर 2015 को भारतीय शिपयार्डों के लिए एक वित्तीय सहायता नीति को अनुमोदित किया है। इस सहायता हेतु राजस्व की पहचान अब तक पूर्ण की गई सब्सिडी के तहत जहाजों के प्रत्यक्ष प्रदर्शन के मापन पर आधारित है।

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

नोट 9: आयकर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
गैर चालू कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	3,917.02	6,025.42
चालू कर परिसंपत्तियां / देयता		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	(7,309.64)	(1,155.45)
स्रोत पर आयकर कटौती	-	44.52

लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
चालू कर :		
चालू आयकर प्रभार	24,372.08	23,895.75
पूर्व वर्ष के संबंध में समायोजन	(1,078.88)	(3,260.92)
कुल (क)	23,293.20	20,634.83
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	(3,346.84)	1,936.18
कुल (ख)	(3,346.84)	1,936.18
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय (क + ख)	19,946.36	22,571.01

चालू वर्ष के लिए आयकर खर्च निम्नानुसार लेखा लाभ से मिलाप किया जा सकता है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
कर पूर्व लाभ	80,812.80	85,772.00
संबंधित लागू दरों पर गणित आयकर खर्च	20,338.97	21,730.70
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य है	7,830.83	5,916.60
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में अनुमत है।	(4,089.02)	(4,131.73)
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर हुए खर्च का प्रभाव, कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य नहीं है।	374.25	319.87
अप्रेषित व्यापार घाटे का समायोजन	(133.35)	
अन्य	50.40	60.31
	24,372.08	23,895.75
पूर्व वर्षों के चालू कर से संबंधित चालू वर्ष में पहचाने गए समायोजन	(1,078.88)	(3,260.92)
आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन के लिए समायोजन	(3,346.84)	1,936.18
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए आयकर खर्च	19,946.36	22,571.01

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

नोट 10: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
आस्थगित कर दायित्व	(3,500.25)	(2,787.39)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	15,525.19	7,485.97
कुल	12,024.94	4,698.58

2020-21 के संबंध में आस्थगित कर देयता /(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(6,425.48)	(2,568.00)	(325.00)	(9,318.48)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2,813.16	(274.74)	971.29	3,509.71
आगे बढ़ाए हानि	-	133.39	(4,625.81)	(4,492.42)
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	(28.88)	11.02		(17.86)
अन्य	(1,057.38)	(648.51)	0.00	(1,705.89)
कुल	(4,698.58)	(3,346.84)	(3,979.52)	(12,024.94)

2019-20 के संबंध में आस्थगित कर देयता /(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(9,508.70)	3,083.22	0.00	(6,425.48)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,959.20	(1,146.04)	0.00	2,813.16
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	(56.94)	28.06	0.00	(28.88)
अन्य	(1,028.32)	(29.06)	0.00	(1,057.38)
कुल	(6,634.76)	1,936.18	-	(4,698.58)

नोट 11: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
पूँजी अग्रिम	20,887.66	28,817.72
पूँजी अग्रिम के अलावा अग्रिम:		
प्रतिभूति जमा	249.56	222.67
अग्रिम पट्टा किराया	37.75	38.41
सीमा शुल्क विभाग के साथ जमा	261.22	261.22
अन्य दीर्घकालिक अग्रिम		429.39
सब्सिडी प्राप्य	179.36	
घटाए: प्राप्य सब्सिडी का प्रावधान	(179.36)	
कुल	21,436.19	29,769.41

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

सीमा शुल्क के संबंध में देयता को कवर करने के लिए आयुक्त (अपील) के समक्ष 261.22 लाख के कस्टम विभाग के पास जमा धनराशि अपील से संबंधित है, जो नोट नंबर 22 के तहत चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय के रूप में भी दिखाया गया है- अन्य वित्तीय देयताएं- गैर वर्तमान सब्सिडी प्राप्य

घटाए: प्राप्य सब्सिडी का प्रावधान

नोट 12 : मालसूचियाँ

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
कच्चे माल और घटक*	43,431.69	28,145.83
घटाइए : माल सूची में अप्रचलन, अनुपयोगिता, गुणह्रास और मूल्य घटाव के लिए प्रावधान मार्गस्थ माल	(2,981.71)	(391.39)
मार्गस्थ माल*	994.01	1,964.10
	41,443.99	29,718.54
भंडार व पूर्जे*	714.45	780.18
घटाइए : माल सूची में अप्रचलन, अनुपयोगिता, गुणह्रास और मूल्य घटाव के लिए प्रावधान मार्गस्थ माल	(11.61)	(17.06)
मार्गस्थ माल*	393.16	37.33
	1,096.00	800.45
असंयत औजार*	658.82	680.55
रद्दी माल*	211.51	141.77
कुल	43,410.32	31,341.31

*माल सूचियों का मूल्यांकन नोट सं. 2 में दी गई लेखाकरण नीति सं. 2.13 के अनुसार किया गया है।

(i) मालसूची में भारतीय नौसेना की ओर से कंपनी के साथ शेष आईएसी ठेका ₹ 14757.40 लाख (पिछले वर्ष 32838.80 लाख रुपए) के कोस्ट प्लस भाग के अधीन प्राप्त खरीदे गए घटक और कच्चे माल स्टोक शामिल नहीं है और आईएसी के लिए भारतीय नौसेना द्वारा लिए अग्रिम पर दिखाया गया है।

(ii) मालसूची में शामिल की गई अनुरक्षण पुर्जे, सामान्य प्रकृति के पूजों का प्रतिनिधान करता है और एक विशेष परिसंपत्ति से संबंधित नहीं है।

नोट 13 : प्राप्य व्यापार- चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अप्रतिभूत		
वसूलीयोग्य		
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	35,336.95	28,823.21
क्रेडिट रिस्क में महत्वपूर्ण वृद्धिवाले व्यापार प्राप्य	10,215.58	13,588.08
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	(10,215.58)	(13,588.08)
व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-
कुल	35,336.95	28,823.21

व्यापार प्राप्तियां सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्त है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते में गतिविधि

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रारंभिक शेष	13,588.08	13,123.16
जोड़िए: प्रावधान किया/ वर्ष के दौरान किए स्थानांतरण	672.78	4,149.68
घटाइए: एकत्र राशि/ प्रावधान का परिवर्तन	4,045.28	3,684.76
जमा शेष	10,215.58	13,588.08

नोट 14 : रोकड और रोकड तुल्यांक

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
बैंक शेष		
चालू खाते में	10,944.37	6,145.94
भारतीय नौसेना की ओर से चालू खाते में	37,749.10	3,641.02
आईपीओ आय से चालू खाते में	-	5.04
कम से कम तीन वर्ष की आवधि जमा	24,176.67	23,833.98
आईपीओ आय में से तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	-	8,485.71
आईपीओ के निश्चित वस्तुओं के लिए तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	-	44,570.45
कुल	72,870.14	86,682.14

देशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त निधियां अलग खाते और अलग से प्रकट किया गया है।

नोट 15 : रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
तीन महीने से कम समय की मूल परिपक्वता के साथ ग्रहणाधिकार जमा अवधि*	62,262.58	18,993.08
तीन महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंकों में आवधि जमा**	793.76	57,180.19
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ की आय से 12 महीने से कम	-	5,050.00
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ के साधनों के लिए निर्धारित की आय से 12 महीने से कम	84,929.09	51,597.00
निर्धारित शेष राशि (अवैतनिक लाभांश खाता)	37.76	20.00
कुल	148,023.19	132,840.27

* तीन महीने से कम की परिपक्वता वाले बैंकों के पास जमा, कंपनी को दी गई गैर- निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं के लिए नकद मार्जिन बनाए रखने हेतु यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा का प्रतिनिधित्व करता है।

** बैंकों के साथ 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि से युक्त जमाओं में ₹93.01 लाख रुपए (पिछले साल 87.34 लाख) केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में ग्रहणाधिकारी अंकित है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 16 : चालू ऋण

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अप्रतिभूत, वसूलीयोग्य		
कर्मचारी अग्रिम		
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण	-	-
अन्य कर्मचारी	57.20	30.97
कुल	57.20	30.97

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

नोट 17 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों- चालू

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	1,378.53	3,129.36
कर्मचारी अग्रिमों पर उपाजित ब्याज		
संबंधित पार्टियों	-	-
अन्य कर्मचारी	17.43	15.99
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न परिसंपत्तियां	178.28	-
कुल	1,574.24	3,145.35

नोट 18 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
पूँजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को अग्रिम	0.39	0.84
अन्य अग्रिम	21,068.21	11,520.97
अग्रिम- वसूली संदिग्ध	0.07	0.07
	21,068.67	11,521.88
घटाइए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.07	0.07
	21,068.60	11,521.81
अन्य		
आईएससी कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियां	49,677.10	60,570.53
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियां	45,461.76	30,980.80
बिक्री कर विभाग और सीबीईसी से शेष	290.66	474.80
विविध जमारशियां	19.14	17.26
पूर्वदत्त व्यय	350.18	469.67
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	85,599.59	54,341.77
अन्य प्राप्य	24.17	
विविध चालू परिसंपत्तियां	1,819.87	1,625.49
कुल	204,311.07	160,002.12

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 19 : इक्विटी शेयर पूंजी

ब्योरा	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10 प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
कुल	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

19.1 बकाया राशि और शेयरों की संख्या का समन्वय

ब्योरा	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	0	0.00	0	0.00
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	0	0.00	0	0.00
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

इक्विटी शेयर के साथ नियम व अधिकार संलग्न: कंपनी को ₹ 10 प्रति शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश के लिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निर्देशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितीकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

19.2 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारकों का विवरण

ब्योरा	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	शेयर की संख्या	होलिंग का %	शेयर की संख्या	होलिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	95843464	72.86	95843464	72.86
निष्पॉन लाइफ इंडिया लिमिटेड (पूर्व रिलाइंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड)	-	-	10795352	8.21

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत सरकार ने सेबी विनियम 1996 और समय-समय पर बनाए गए अन्य लागू कानून, नियम और विनियमों के अनुसार और सीपीएसई ईटीएफ एफएफओ-6 की जारी के सिलसिले में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएम) विभाग के जरिए रिलाइंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के रूप में पूर्व जानेवाले परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, निष्पॉन लाइफ इंडिया लिमिटेड को फरवरी 03, 2020 को 3090978 (प्रदत्त पूंजी के कुल 2.35%) इक्विटी शेयरों को अंतरित किया है।

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष केलिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

नोट 20 : अन्य इक्विटी

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
पूंजी आरक्षण	6,887.15	263.56
पूंजी मोचन आरक्षण	12,353.76	12,353.76
प्रतिभूति प्रीमियम	93,152.20	93,152.33
ऋणपत्र मोचन आरक्षण	1,668.44	1,668.44
सामान्य आरक्षण	6,322.75	6,322.75
नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व	90.60	-
प्रतिधारित कमाई	269,716.18	245,373.48
कुल	390,191.08	359,134.31

अन्य इक्विटी में प्रत्येक आइटम का मूवमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में विस्तृत होता है।

पूंजी आरक्षण: पूंजी संचय में कंपनी की जमीन से पाइप लाइन बिछाने केलिए मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त 263.56 लाख रुपए की मरम्मत शुल्क शामिल है। इसमें सहायक मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के अधिग्रहण पर लाभ भी शामिल है जैसा कि नीचे बताया गया है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), चेन्नई ने दिनांक 04 मार्च 2020 को टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड (टीएसएल) के अधिग्रहण केलिए धारण कंपनी द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को मंजूरी दे दी, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से चल ही थी। एनसीएलटी आदेश के अनुपालन में, धारण कंपनी ने दिनांक 15 सितंबर, 2020 को टीएसएल के अधिग्रहण केलिए बोली राशि का भुगतान किया, जिस तारीख से टीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। तदनुसार, क्रय भुगतान पर अधिग्रहणिती के पहचान योग्य संपत्तियों और देयताओं के निवल उचित मूल्य में कंपनी के हित की अधिकता को पूंजी संचय में मान्यता दी जाती है।

(₹ लाखों में)				
ब्योरा	अधिग्रहण तिथि के अनुसार	उचित मूल्य समायोजन	क्रय मूल्य आबंटित	पूंजी संचय
अर्जित निवल संपत्ति (नकद और नकद समराशि)	13123.59	0	6500.00	6623.59

अधिग्रहित निवल संपत्ति के प्रमुख घटकों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण 10528.58 लाख रुपए और आस्थगित कर संपत्ति 3979.52 लाख रुपए शामिल हैं।

कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व: 12353.76 रुपए के कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व में 11914.20 लाख शामिल हैं, जिन्हे प्राथमिकता वाले शेयरों के मोचन पर बनाया जा रहा है और ₹439.56 लाख वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य की बराबर राशि है, जिसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

प्रतिभूति प्रीमियम: सीधे क्रम के आधार पर बांड की अवधि पर कर मुक्त बांड के प्रीमियम पर परिशोधन किया है। कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पूरा कर लिया है और प्रीमियम (₹ 93929.76 लाख) पर प्रत्येक ₹10 के 22656000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक (इंडएएस) 32- वित्तीय उपकरण की आवश्यकताओं के अनुसार 777.93 लाख के शेयरों के ऐसे आबंटन की ओर आस्थगित कर समायोजन का निवल व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम में डेबिट किया गया है।

ऋण मोचन आरक्षण: कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18 (7) के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 (4) के अनुसार और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) के अनुसार, ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान कंपनी द्वारा जारी बांडों की 25% मूल्य पर ऋण मोचन आरक्षण कंपनी द्वारा बना रही है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. जीएसआर 574 (ई) द्वारा अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 किए गए संशोधन के अनुसार, कंपनी उनके द्वारा जारी बांड के संबंध में ऋण मोचन आरक्षण बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, दिनांक 30.09.2019 तक बनाए गए ऋण मोचन आरक्षण, जो 1668.44 लाख रुपए के हैं, बांड की मोचन की समय तक बहियों में बनाया रखा जाएगा।

नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व : नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त नामित हेड्जिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। (नोट संख्या 42 देखें।)

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष केलिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

अंतरिम लाभांश : वर्ष के दौरान, कंपनी ने 10 रुपए अंकित मूल्य के 9 रुपए प्रति इक्विटी शेयर और 10/-रुपए के अंकित मूल्य के 4/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, जैसा कि दिनांक 04 जनवरी 2021 और 12 फरवरी 2021 को आयोजित बोर्ड बैठक में सिफारिश की गई थी।

प्रस्तावित लाभांश: कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2021 को आयोजित बोर्ड की बैठक में 11 जून 2021 को समाप्त वित्त वर्ष केलिए ₹ 10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर केलिए ₹ 2.50/- के लाभांश की सिफारिश की है।

नोट 21 : उधार

(₹ लाखों में)		
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
ब्योरा		
बांड- (प्रतिभूति)		
परिशोधन लागत पर		
कर मुक्त प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय बांड- श्रेणी 2013-14	12,300.00	12,300.00
कुल	12,300.00	12,300.00

कर मुक्त आधारिक संरचना बांड श्रेणी 2013-14

क) **वित्तांश 1:** प्रतिवर्ष देय 8.51% के ब्याज दर के साथ कुल 10000 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 1000 बांड दि. 2 दिसंबर 2023 को मोचन केलिए समतूल्य पर प्रतिदेय है।

ख) **वित्तांश 2:** प्रतिवर्ष देय 8.72% के ब्याज दर के साथ कुल 2300 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 230 बांड दि. 28 मार्च 2029 को मोचन केलिए समतूल्य पर प्रतिदेय है।

ये बांड कंपनी के भू- संपत्ति के खिलाफ प्रतिभूत हैं। सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड़ से 197.12 एकड़ (487.00 सेंट), सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड़, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड़, सर्वे सं. 714/06 में 50.18 एकड़, सर्वे सं. 714/2 में 10.12 एकड़, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड़ और सर्वे सं. 714/5 में 10.93 एकड़ एलमकुलम ग्राम, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिले, केरल के समीप पड़े है।

उपयोगिता : प्राप्त 12300 लाख रु. के मुद्दे आय में से, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा योजना पर हुए विविध खर्च की राशि उपयोग/ समायोजित किया।

उधार की वित्तीय देयताओं की वहन राशियों और उचित मूल्यों के बीच भिन्नता प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वर्ष में महत्वपूर्ण नहीं है।

नोट 22: अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू

(₹ लाखों में)		
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
ब्योरा		
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय	261.22	261.22
पट्टा देयताएं- इंड एस 116	39,099.47	37,325.69
कुल	39,360.69	37,586.91

सीमा शुल्क ड्यूटी के संबंध में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को ₹ 261.22 लाख की देयता है जो वापसी अपील के आयुक्त (अपील) के समक्ष है जिसे नोट सं 11 के अधीन सीमा शुल्क विभाग की जमा राशि के रूप में भी दिखाया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट 23: प्रावधान- गैर चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट 33 का संदर्भ लें)	3,161.39	2,872.20
कुल	3,161.39	2,872.20

नोट 24: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
सरकारी सहायता से उत्पन्न स्थायी आय	10.30	11.45
कुल	10.30	11.45

नोट 25 : व्यापार देय

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का बकाया	1,527.88	686.52
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का बकाया	42,015.54	41,185.27
कुल	43,543.42	41,871.79

इस हद तक, कंपनी को विक्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, व्यापार भुगतान का विवरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	1,527.88	686.52
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ ;सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि ।		
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना);	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	-	-
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि , जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006;धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	-	-

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट 26 : अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
प्रदत्त ब्याज लेकिन देय नहीं	281.98	281.95
अवैतनिक लाभांश	37.76	20.00
पट्टा देयताएं		2,833.72
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न देयताएं	57.21	-
अन्य		
सुरक्षा और अन्य जमा	9,431.56	3,434.08
अन्य देय	12,911.55	11,231.73
कुल	25,284.73	17,801.48

नोट 27 : अन्य चालू देयताएं

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध देयता	160,155.13	113,330.88
अन्य पोत निर्माण ठेकाओं के लिए अग्रिम	114.21	114.21
पोत मरम्मत और अन्य के लिए अग्रिम	644.24	586.08
अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	26.46	25.33
सांविधिक देय	3,336.91	2,040.63
सरकारी सहायता से उत्पन्न होने वाली स्थायी आय	1.14	1.14
कुल	164,278.09	116,098.27

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 40 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' ।

अवसंरचना सुविधाओं की लागत जो अब नौसेना की निधि से और भारतीय नौसेना द्वारा समायोजित की गई है।

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
भवन और अन्य सिविल कार्य	13,763.77	11,507.56
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	1,338.51	1,324.01
फर्नीचर और कार्यालय उपकरण	386.75	383.62
संयंत्र और मशीनरी	16,885.70	16,842.12
कुल	32,374.73	30,057.31

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट 28 : चालू प्रावधान

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	272.09	1,048.51
अनुपस्थिति का मुआवजा (संदर्भ : नोट सं. 33)	515.45	533.22
	787.54	1,581.73
अन्य प्रावधान		
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	2,662.17	209.12
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	11,658.00	5,287.00
व्यय/ आकस्मिकों के लिए प्रावधान	38,218.55	31,608.78
	52,538.72	37,104.90
कुल	53,326.26	38,686.63

28.1 प्रावधानों के गतिविधियों का विवरण

	(₹ लाखों में)				
विवरण	01.04.2020 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2021 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	1,048.51	272.09	(1,048.51)		272.09
क्षतिपूरण अवधि	533.22	-	(17.77)		515.45
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	209.12	2,560.12	(107.07)		2,662.17
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	5,287.00	6,371.26	(0.26)		11,658.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	31,608.78	34,765.74	(25,716.40)	(2,439.57)	38,218.55

	(₹ लाखों में)				
विवरण	01.04.2019 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2020 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	607.90	440.61	-	-	1,048.51
क्षतिपूरण अवधि	464.29	68.93	-	-	533.22
अन्य	2,997.00	-	(2,997.00)	-	-
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	211.61	0.17	(2.66)	-	209.12
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	205.00	5,287.00	-	(205.00)	5,287.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	32,446.62	30,332.54	(26,117.27)	(5,053.11)	31,608.78

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट 29 : प्रचालन से आय

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण:		
देशी वायुयान वाहक (आईएसी)	200925.37	237746.87
देशी वायुयान वाहक को छोड़कर अन्य यानें	35831.94	46206.78
	236,757.31	283,953.65
सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	40850.24	56856.75
इंजीनियरिंग कार्य	5.50	0.00
	40,855.74	56,856.75
अन्य परिचालन राजस्व		
स्टॉक मदों की बिक्री	-	-
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	3420.09	835.57
रद्दी माल की बिक्री	544.23	603.42
अंडमान व निकोबार प्रशासन से प्रबंधन शुल्क	312.33	-
	4,276.65	1,438.99
कुल	281,889.70	342,249.39

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 40 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' ।

कंपनी ने मई 13, 2020 को कोविड-19 और भारत सरकार के परिपत्र के कारण लॉकडाउन अवधि पर विचार किया है, जो कभी भी परियोजनाओं पर लागू होता है और केरल बाढ़ प्राकृतिक आपदा 2018 को प्रचालन से राजस्व की गणना करते समय परिसमाप्त नुकसान की गुणना के लिए अप्रत्याशित अवधि के रूप में माना जाता है।

भारत सरकार ने अप्रैल 01, 2016 से मई 31, 2026 के बीच हस्ताक्षरित पोत निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिसंबर 09, 2015 को भारतीय शिपयार्ड के लिए वित्तीय सहायता नीति को मंजूरी दी। इस सहायता हेतु राजस्व की पहचान अब तक पूर्ण की गई सविस्डी के तहत जहाजों के प्रत्यक्ष निष्पादन के मापन पर आधारित है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने पोर्ट ब्लेयर में मराइन डॉकयार्ड में अपना संचालन शुरू करने हेतु अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक समझौता किया है, जो वर्तमान में अंडमान व निकोबार प्रशासन द्वारा सीधे संचालित किया जा रहा है। इस समझौते के आधार पर आनुपातिक आधार पर प्रबंधन शुल्क का हिसाब लगाया जाता है। नवंबर 28, 2019 को हस्ताक्षरित इस समझौते के दायरे में, सीएसएल प्रशासन को अंडमान व निकोबार द्वीपों पर एक पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में सहायता करेगा। सीएसएल सुविधा में विस्तार और आधुनिकीकरण में भी सहयोग करेगा और द्वीपों में स्थित प्रशासन और तकनीकी संस्थानों के परामर्श से द्वीपों में कौशल विकास की दिशा में प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 30 : अन्य आय

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
प्रशिक्षण सुविधाएं	106.27	304.29
रद्दी माल और भंडार से आय	85.90	246.42
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
प्रयोगशाला सेवाओं से आय	12.94	33.77
किराया प्राप्त	261.26	305.55
प्राप्त बाड़े	1.10	5.90
जमाओं पर ब्याज	8,750.56	14,885.29
अन्यों से ब्याज	1,595.94	1,611.73
वरीयता शेयरों से लाभांश आय	0.00	-
इक्विटी निवेश/ म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	0.89	0.89
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	235.30
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ	404.65	-
व्युत्पन्न अनुबंधों पर निवल लाभ	123.99	-
प्रावधान जो आवश्यक नहीं है	4,365.45	5,159.25
विविध आय	3,338.24	1,719.74
चार्टर किराए से आय	35.48	-
कुल	19,082.67	24,508.13

विविध आय में कंपनी के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संबंधी सहायधन के रूप में ₹ 1.14 लाख की आस्थगित सरकारी सहायता शामिल है। इसी को इंड ए एस 20-सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुसार गणना की गई है।

नोट 31 : उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल		
इस्पात	3,965.41	5,760.00
पाइप	966.05	798.84
पेंट	1,312.48	1,495.32
खरीदे गए घटक	115,737.88	171,545.66
कुल	121,981.82	179,599.82

नोट 32 : उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
उप ठेका और किए गए कार्य	26,544.41	28,818.23
हल बीमा	849.62	530.97
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	6,237.35	7,207.78
कुल	33,631.38	36,556.98

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 33 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेसिया और भत्ते	25,477.44	26,166.40
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	1,720.72	2,020.40
उपदान	345.54	305.67
कर्मचारी कल्याण खर्च	1,684.60	2,098.56
कुल	29,228.30	30,591.03

भविष्य निधि और परिवार पेंशन फंड में ₹ 19.23 लाख (पिछले साल ₹ 20.52 लाख) भविष्य निधि निरीक्षण तथा प्रशासन शुल्क की ओर शामिल है।

वेतन, मजदूरी, बोनस/अनुग्रह-अनुदान और भत्ते में ₹ 72.62 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 512.42 लाख रुपए) की राशि के कामगारों के लिए अर्ध वेतन क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों की भुनाई के लिए प्रावधान शामिल हैं।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्राप्त होनेवाले कर्मचारी लाभों को कंपनी कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त मांगों के आधार पर हिसाब किया जा रहा है न कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर। उनकी अनुदान को छोड़कर, जो बिल्कुल बीमांकिक किया जाता है।

सहायक कंपनियों के संबंध में, भविष्य निधि में योगदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्रेषित किया जाता है।

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं निम्नानुसार थी:

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रति महीने)	6.97%	6.66%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर- अर्ध वेतन छुट्टी	0.70%	0.70%
संघर्षण दर- अर्जित छुट्टी	0.70%	0.70%

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
निर्धारित लाभ दायित्व की औसत अवधि (वर्षों में)	8.23	7.94

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	244.95	213.89
निवल ब्याज मूल्य	205.06	196.63
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक लाभ / (हानि)	474.16	767.32
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	924.17	1177.84

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	3676.83	3405.42
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	3,676.83	3,405.42
	(₹ लाखों में)	
कर्मचारी लाभ का प्रकार	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
पीवीओ का वर्तमान घटक	515.44	533.22
पीवीओ का गैर चालू घटक	3161.39	2872.20
कुल पीवीओ	3676.83	3405.42

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ देयता	3405.42	2893.00
वर्तमान और पूर्व की सेवा लागत	244.95	213.89
चालू ब्याज लागत	205.06	196.63
बीमांकिक (लाभ)/हानि	474.16	767.32
प्रदत्त लाभ	(652.76)	(665.42)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयता	3,676.83	3,405.42

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	652.76	665.42
प्रदत्त लाभ	(652.76)	(665.42)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

	(₹ लाखों में)	
वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	87.43	484.41
वर्ष 2	401.76	83.24
वर्ष 3	89.56	203.95
वर्ष 4	74.69	86.45
वर्ष 5	126.07	74.63
अगले 5 वर्ष	438.26	472.06

'एनए' 'लागू नहीं' को दर्शाता है।

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

	(₹ लाखों में)	
वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	87.43	484.41
वर्ष 2	401.76	83.24
वर्ष 3	89.56	203.95
वर्ष 4	74.69	86.45
वर्ष 5	126.07	74.63
अगले 5 वर्ष	438.26	472.06

	(₹ लाखों में)	
संवेदनशीलता विश्लेषण - आधा वेतन छुट्टी	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.47%	7.16%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	2,988.16	355.85
वर्तमान सेवा लागत	128.15	104.81
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.47%	6.16%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,225.63	389.41
वर्तमान सेवा लागत	140.20	113.84
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,229.92	389.98
वर्तमान सेवा लागत	140.42	113.99
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	2,983.37	355.23
वर्तमान सेवा लागत	127.91	104.64

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
संवेदनशीलता विश्लेषण - अर्जित छुट्टी		
क. छूट दर + 50 बीपी	7.47%	7.16%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	2,988.16	2,927.06
वर्तमान सेवा लागत	128.15	130.04
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.47%	6.16%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,225.63	3,148.26
वर्तमान सेवा लागत	140.20	142.08
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	3,229.92	3,151.90
वर्तमान सेवा लागत	140.42	142.28
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	2,983.37	2,922.90
वर्तमान सेवा लागत	127.91	129.82

बीपी ' आधार अंक' को दर्शाता है।

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

	(मुख्य कार्यालय):	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है :		
छूट दर (प्रतिवर्ष)	6.97%	6.66%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	0.70%	0.70%
योजनागत परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	6.97%	6.66%

	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
ब्योरा		
निश्चित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	8.50	7.21

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
ब्योरा		
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	252.11	223.48
पूर्व सेवा लागत	-	-
निवल ब्याज खर्च	34.92	23.34
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	287.02	246.82
निवल परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन ::		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(76.82)	636.50
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	(308.94)	165.18
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	(385.76)	801.68

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
ब्योरा		
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	4,664.16	5,240.37
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,762.90	4,191.87
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	(98.74)	1,048.50

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
ब्योरा		
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5,240.37	5,078.89
चालू सेवा मूल्य	252.11	223.48
चालू ब्याज मूल्य	313.54	349.80
पूर्व सेवा लागत	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(76.82)	636.50
प्रदत्त लाभ	(1,065.04)	(1,048.30)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	4,664.16	5,240.37

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है :

	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
ब्योरा		
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,191.87	4,471.00
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	278.63	326.46
बीमांकित लाभ / (हानि)	308.94	(165.18)
नियोक्ता से अंशदान	1,048.51	607.90
प्रदत्त लाभ	(1,065.04)	(1,048.32)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,762.90	4,191.86

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष का नकदी प्रवाह)

वर्ष	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

वर्ष	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	324.46	1,942.66
वर्ष 2	1,561.59	293.47
वर्ष 3	350.89	698.96
वर्ष 4	261.87	327.89
वर्ष 5	370.83	240.10
अगले 5 वर्ष	1,203.18	1,242.55

संवेदनशीलता विश्लेषण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.47%	7.16%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,487.42	5,071.31
वर्तमान सेवा लागत	235.32	236.07
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.47%	6.16%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,855.15	5,423.06
वर्तमान सेवा लागत	269.48	269.81
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,835.23	5,403.33
वर्तमान सेवा लागत	267.74	267.13
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,504.03	5,086.36
वर्तमान सेवा लागत	237.00	238.93

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है ।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

योजना परिसंपत्तियों की मुख्य श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार की प्रतिभूति	36.77%	29.90%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	27.10%	30.96%
उच्च गुणवत्ता का कॉर्पोरेट बांड	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों का इक्विटी शेयर	24.48%	10.90%
संपत्ति	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.25%	0.25%
अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)	11.39%	27.99%
कुल	100.00%	100.00%

योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित अनुदान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है ।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा और सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट के वास्तविक मूल्यांकन के उद्देश्य से इस्तेमाल की जानेवाली प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं :	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्र.म.) - आईएसआरएफ	5.65%	6.00%
छूट दर (प्र.म.) - सीएमएसआरयू	5.00%	5.70%
मुआवजे की स्तर में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	2.00%	2.00%
योजना परिसंपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर	लागू नहीं	लागू नहीं

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	44.24	45.08
पूर्व सेवा लागत	-	-
निवल ब्याज खर्च	14.28	13.77
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	58.52	58.85
निवल परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(25.26)	(4.08)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	-	-
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	(25.26)	(4.08)

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	272.09	238.83
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	272.09	238.83

(₹ लाखों में)

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	238.83	184.06
चालू सेवा मूल्य	44.24	45.08
चालू ब्याज मूल्य	14.28	13.77
पूर्व सेवा लागत	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(25.26)	(4.08)
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	272.09	238.83

(₹ लाखों में)

आईएसआरएफ एवं सीएमएसआरयू अनुदान को कंपनी द्वारा स्वयं प्रबंधित की जाती है ।

वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

(₹ लाखों में)

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष का नकदी प्रवाह)

वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	71.07	13.06
वर्ष 2	40.48	6.17
वर्ष 3	15.32	2.23
वर्ष 4	30.73	1.59
वर्ष 5	15.51	0.12
अगले 5 वर्ष	71.70	4.09

(₹ लाखों में)

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

संवेदनशीलता विश्लेषण

ब्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	6.65%	6.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	235.97	26.71
परिवर्तन	(3.61%)	(2.06%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	4.65%	4.00%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	254.48	27.87
परिवर्तन	3.95%	2.20%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	253.41	27.74
परिवर्तन	3.51%	1.73%
घ. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	236.82	26.82
परिवर्तन	(0.03)	(0.02)

बीपी 'आधार अंक' दर्शाता है ।

नोट 34 : वित्तीय मूल्य

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
पट्टा देनदारियों पर ब्याज खर्च	3,583.32	3,439.62
अन्य ब्याज	491.34	1.35
कर मुक्त बांड पर ब्याज	1,051.44	1,051.44
कुल	5,126.10	4,492.41

(₹ लाखों में)

नोट 35 : मूल्यहास और ऋणमुक्ति व्यय

ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास	4,083.04	2,989.48
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	1,414.14	1,395.68
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	299.59	298.47
कुल	5,796.77	4,683.63
जोड़िए: औजारों के पुनः मूल्यांकन पर हानि	186.31	210.26
कुल	5,983.08	4,893.89

(₹ लाखों में)

कोविड-19 महामारी ने दिनांक 23 मार्च, 2020 से 5 मई 2020 तक कंपनी के प्रचालन को अस्थायी रूप से बाधित करने के परिणामस्वरूप लॉकडाउन का अनुबोध किया था। कंपनी ने तिमाही। की एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए कम समय के पैमाने पर काम करना जारी रखा जिसने उस तिमाही के दौरान कंपनी के वित्तीय परिणामों को और प्रभावित किया। तिमाही II के बाद से, कंपनी के सामने आनेवाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी ने दो पारियों में काम करते हुए प्रचालन के घंटे को बढ़ा दिया। इसने वर्ष के दौरान 388.11 लाख रुपए के मूल्यहास को प्रभावित किया है।

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

नोट 36 : अन्य व्यय

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
भंडार का उपभोग	1,592.62	2,087.39
पुर्जों का उपभोग	54.51	47.44
दर और कर	507.46	21.97
विजली	1,942.79	2,156.61
ईंधन	1,340.87	792.76
जल	303.95	242.26
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
इमारते व सडकें	457.78	643.18
संयंत्र और मशीनरी	158.23	104.92
अन्य	1,232.57	1,063.39
डॉक	12.18	-
अनुरक्षणात्मक तल कर्षण	467.32	299.50
परिवहन और भंडार की चढाई उतराई	170.91	167.05
यात्रा तथा सवारी खर्च	497.21	852.51
छपाई तथा लेखन सामग्रियां	75.92	100.73
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	46.47	64.80
विज्ञापन और प्रचार	168.59	507.64
पट्टे किराया	14.82	14.56
भाड़ा	288.66	386.62
बीमा	744.93	427.26
प्रतिभूति व्यय	2,154.69	1,538.30
लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान	33.40	26.95
सांविधिक अनुपालनों के लिए शुल्क	2.71	-
प्रशिक्षण व्यय	359.40	624.37
विधि व्यय	38.63	58.07
परामर्श	86.86	134.78
बैंक प्रभार	699.91	496.31
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल हानि	-	502.01
निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (नोट सं. 48 का संदर्भ ले)	1,486.98	1,270.94
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री और हानि पर राइट ऑफ	1.25	1.87
विविध खर्च	1,366.55	1,625.42
कुल	16,308.17	16,259.61

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं और विविध खर्चों के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	19.50	14.71
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं के लिए	12.85	7.74
प्रमाणीकरण हेतु	5.90	4.50
कुल	38.25	26.95

नोट 37 : प्रत्याशित हानि और खर्च के लिए प्रावधान

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
प्रावधान:		
संदिग्ध ऋण/अग्रिम	98.18	3,286.89
अप्रचलन/सतत मालसूची का सत्यापन	2.92	1.98
खर्च और फुटकर खर्च	2,692.02	220.91
पोत निर्माण में हानि के लिए प्रावधान	6,371.00	5,082.00
कुल	9,164.12	8,591.78

नोट 38 : असाधारण मदें

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वस्तुसूची के लिए प्रावधान वापस लिखा गया/ (वस्तुसूची के लिए प्रावधान)	188.92	-
प्राप्य सब्सिडी का प्रावधान वापस लिखा गया/ (प्राप्य सब्सिडी के लिए प्रावधान)	1,074.48	-
कुल	1,263.40	-

नोट 39 : प्रति इक्विटी शेयर कमाई

ब्योरा	(₹ में)	
	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
कर पश्चात निवल लाभ (₹ लाखों में)	60,866.44	63,200.99
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (₹ में)	46.27	48.05
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

नोट 40: भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार भिन्न-भिन्न राजस्व का प्रकटीकरण

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
(i) उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित शून्य)		
पोत निर्माण :		
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	200925.37	237746.87
आईएसी के अलावा अन्य जहाज	35831.94	46206.78
अन्य प्रचालन राजस्व		
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	3420.09	835.57
प्रबंधन शुल्क	312.33	
(ii) सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	40850.24	56856.75
इंजीनियरिंग कार्य	5.50	0.00
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व		
अन्य परिचालन राजस्व		
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	381.88	437.29
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	162.35	166.13
कुल	281889.70	342249.39

असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट कार्य निष्पादन दायित्वों के लिए आबंटित लेनदेन मूल्य का विवरण

कार्य निष्पादन दायित्वों के लिए आबंटित लेन-देन मूल्य की कुल राशि ₹784884.10 जो असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) है, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के रूप में एक वर्ष या उससे कम की मूल अपेक्षित अवधि को उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है जैसा कि भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुमति दी गई है। आगे लेन-देन की कीमत के अनुमान के अनुसार उपरोक्त किसी भी तरह के परिवर्तनीय विचार शामिल नहीं होंगे जो कि विवश हैं। प्रबंधन की उम्मीद है कि 19.59% दिनांक 31.03.2021 तक असंतुष्ट / आंशिक रूप से संतुष्ट अनुबंधों के लिए आबंटित लेनदेन मूल्य का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व और उसके बाद के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

मार्च 31, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने अनुबंध देयता को अप्रैल 01, 2020 के रूप में खोलने से उत्पन्न होने वाले ₹ 15618.72 लाख रुपए के राजस्व को मान्यता दी।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

वर्ष के दौरान राजस्व के साथ अनुबंधित मूल्य की प्राप्ति

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
आदेशों की खुली कीमत	1504739.51	1176242.66
जोड़ :		
प्राप्त नया आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	11336.93	341069.70
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का कारण	1766.45	7920.74
विनिमय दर संचलनों के कारण वृद्धि (निवल)	250.84	1430.22
कमी :		
विविध, परिवर्तन आदेश सहित अन्य कटौती	15654.69	13747.52
वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेश	6940.80	8176.29
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित मूल्य	1495498.24	1504739.51
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व :	137551.03	136469.80
कमी : वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेशों में से राजस्व	2613.13	6709.06
वर्ष के अंत में निष्पादन के अधीन आदेशों का राजस्व (I)	134937.90	129760.74
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में लंबित आदेशों से) (II)	575676.23	449884.96
विनिमय दर संचलनों के कारण कमी (निवल) (III)	0.00	0.00
भविष्य में स्वीकृत किए जानेवाले शेष राजस्व जैसे आदेश पुस्तिका (IV)	784884.10	925093.81
आदेशों की समाप्ति अनुबंधित दर (I+II+III+IV)	1495498.24	1504739.51

नोट 41: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'

किराया और किराया शुल्क व्यय में दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय शामिल है, जो 50.13 लाख रुपए की राशि के लिए अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे से संबंधित है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के लिए बहिर्वाह सहित, कुल 2463.53 लाख रुपए है।

कंपनी के पास पट्टा अवधि विस्तार विकल्प हैं, जो पट्टा देयताओं की माप में परिलक्षित नहीं होते हैं।

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2021 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं :

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
एक वर्ष से कम	2,649.25	2,465.45
एक से पांच साल तक	11,314.36	10,819.77
पांच वर्ष से अधिक	124,865.12	125,971.91
कुल	138,828.73	139,257.13

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2021 तक की पट्टा परिसंपत्तियों के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं :

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
एक वर्ष से कम	191.23	182.35
एक से पांच साल तक	313.02	465.19
पांच वर्ष से अधिक	287.82	326.87
कुल	792.07	974.41

टिप्पणी 42: हेड्ज लेखांकन हेतु अतिरिक्त प्रकटीकरण

कंपनी भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यवर्गित राशियों से उत्पन्न होनेवाली विदेशी मुद्रा जोखिमों की भरपाई हेतु विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करती है। कंपनी की विदेशी मुद्रा का प्रतिपक्ष अग्रोषित अनुबंध आम तौर पर एक बैंक होता है।

कंपनी के पास निम्नलिखित बकाया अग्रिम अनुबंध हैं, जिन्हें दिनांक 31 मार्च 21 को नकदी प्रवाह हेड्जेस के रूप में नामित किया गया है:

	(₹ लाखों में)					
मुद्रा	अनुबंधों की संख्या	31-मार्च -21		अनुबंधों की संख्या	31-मार्च -20	
		अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ /(हानि)		अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ /(हानि)
यूरो	2	2982.30	(24.62)	-	-	-
एनओके	2	4319.34	145.70	-	-	-
कुल	4	7301.64	121.08	-	-	-

नकदी प्रवाह हेड्जेस के रूप में नामित व्युत्पन्न के लिए दिनांक 31 मार्च 21 को समाप्त वर्ष के दौरान हेड्ज रिजर्व में उतार- चढ़ाव इस प्रकार है:

	(₹ लाखों में)	
व्योरा	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरुआत में शेष (सीआर/डीआर)	0.00	0.00
बकाया नकदी प्रवाह व्युत्पन्न (निवल) के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	121.08	0.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	121.08	0.00

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

टिप्पणी 43: आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

व्योरा	31 मार्च 2021 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2020 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
क आकस्मिक देयता (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
क गारंटी			
i ऋणपत्र	12,356.31	13,345.68	सामग्रियों/परिसंपत्तियों के प्रापण के लिए विविध बैंकों में कंपनी द्वारा खोले गए साख-पत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
ii बैंक गारंटी	353,929.06	272,384.71	
iii कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को निगमित निष्पादन गारंटी	3,925.00	3,925.00	ठेके की अवधि के दौरान कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के साथ किए ठेके करार के अधीन दायित्वों के निष्पादन के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को कंपनी द्वारा निष्पादन गारंटी दिया गया।
ख अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार है			
i विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण (जीसीडीए)	69.06	69.06	कंपनी के लिए उपार्जित भूमि के लिए विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण द्वारा उठाए गए दावा निपटान किया है। यद्यपि निष्कासितों द्वारा पंजीकृत 8 दावाएं (69.06 लाख मूल्य निर्धारित) माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।
ii सीमाशुल्क	17,984.48	21,930.58	बांड के अधीन सामग्रियों और सुपुर्द किए देशी पोतों के लिए सीमाशुल्क। सीईएसटीएटी, बैंगलूर द्वारा सीमा शुल्क की वापसी रु. 69.83 लाख दी गई है, जिसके खिलाफ केरल के माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता देने के लिए केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को एक निर्देश के साथ अपील का निपटारा कर दिया है। विभागीय अपील पर किसी भी अन्य जानकारी के अभाव में, इसे आकस्मिक देयता के रूप में बरकरार रखा गया है।
iii बिक्री कर / केरल मूल्यवर्धित कर	0.00	657.51	2000-01 - रु. 111.93 लाख 2001-02 - रु. 73.44 लाख 2004-05 - रु. 195.67 लाख 2007-08 - रु. 276.47 लाख (अपील के अधीन) सभी मामलों में प्राप्त कर संकलन के अपील रोक के अंतर्गत) डी सी (ए) द्वारा अनुमत अपील की प्रदत्त राशि के कारण मांग कम किया है। विस्तृत नोट टिप्पणी 43.1 (I & III) में दिया है।
	0.00	12.10	वर्ष 1996-97 के लिए मूल्य वर्द्धित कर क्रेडिट जिसे मांग में नहीं माना गया, जिसके लिए बहियों में कोई प्रावधान नहीं है।
iv आय कर	2,069.97	2,107.27	निर्धारण वर्षों से संबंधित मांग: वित्तीय वर्ष 2010-11 - रु. 457.63 लाख वित्तीय वर्ष 2011-12 - रु. 369.50 लाख वित्तीय वर्ष 2014-15 - रु. 911.07 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18 - रु. 331.77 लाख
			विस्तृत टिप्पणियां 43.1 (i) में दिया है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

व्योरा	31 मार्च 2021 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2020 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
v सेवा कर	1,647.47	1,647.47	जारी की गई कारण बताओं नोटिस के अनुसार आईएसी (डिजाइन परामर्श) पर सेवा कर की मांग। अधिनिर्णयन लंबित है।
	376.88	376.88	आईएसी पर सेवा कर की वापसी दावा आयुक्त (अपील) द्वारा मंजूर की गई। फिर भी, आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के सामने विभाग ने अपील फाइल किया है। साथ ही, सीएसएल पर कारण बताओ सूचना भी जारी किया है और अधिनिर्णयन लंबित है।
	323.04	323.04	कारण बताओ सूचना के अनुसार आईएसी पर सेवा कर की मांग (प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग प्रभार) जारी की गई। अधिनिर्णयन लंबित है।
	2,339.64	2,339.64	सेनवैट क्रेडिट पर पाबंदी और सामग्रियों पर कटौती के बिना, जिसके लिए वैट का भुगतान किया गया, पोत मरम्मत पर सेवा कर वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 19.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-18-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटी को अपील दायर की।
	1,885.60	1,885.60	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 07.03.2018 के आदेश सं. सीओसी-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-11-17-18 के अनुसार कारण दिखाओं के तहत कार्यवाही छोड़ दिया है। विभाग ने सीईएसटी को अपील दायर की।
	513.71	513.71	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
	734.93	734.93	दिनांक 20.06.2012 के अधिसूचना सं. 25/212-एसटी के लाभ को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान यूटीएलए द्वारा स्वामित्व वेसलों की मरम्मत के लिए सेवा कर की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
	150.56	79.22	2015-16 की अवधि के दौरान जहाज की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी। संयुक्त आयुक्त ने ओआईओ नंबर 48/2020 - एसटी (जेसी) दिनांक 31.12.2020 के माध्यम से मांग की पुष्टि की गई। ओआईओ के खिलाफ आयुक्त (अपील) को दायर किया गया।
	286.85	286.85	2016-17 की अवधि के दौरान जहाज की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बिना सामग्री के कटौती और सेनवैट क्रेडिट के बहिष्कार की अनुमति दी गई थी।
	279.46	279.46	कॉन्सटेबल वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए गैर-कर योग्य क्षेत्र में व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने और कोचीन से अबू धाबी तक बार्ज के ट्रांसपोर्टेशन को प्रदान की गई सुरक्षा की लागत पर सेवा कर के गैर भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

व्योरा	31 मार्च 2021 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2020 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
vi एलेक्टन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	165.91		आवेदक ने आरेखण और माल की अपूर्ति में देरी हेतु सीएसएल द्वारा काटे गए ब्याज के साथ परिसमापन नुकसान की वसूली हेतु एमएसएमई परिषद से संपर्क किया। एमएसएमई परिषद, चेन्नई ने मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र द्वारा मध्यस्थता को संदर्भित किया। मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने श्री सुहृद पार्थसारथी को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। आवेदक द्वारा दायर दावा याचिका।
vii कर्मचारी राज्य बीमा निगम	17.26	-	जून 2010 से जुलाई 2013 की अवधि के दौरान उच्च प्रशिक्षुओं के संबंध में देय ईएसआई योगदान के विलंबित भुगतान के संबंध में ब्याज और क्षति के दावे। व्यक्ति, सीएसएल ने आईसी सं. 60/2016, आईसी सं. 09/2020, आईसी सं. 03/2021 में अवैधता और निर्देशों के उल्लंघन और ईएसआई कॉर्पोरेशन द्वारा दावों को प्राथमिकता देने के तरीके को चुनौती देते हुए मामले दर्ज किए।
ख प्रतिबद्धताएं (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
क पूंजी लेखा पर निष्पादन करने के लिए शेष ठेकाओं की अनुमानित राशि और प्रदान न की गई के लिए :	117,275.12	143,692.62	
ख अन्य सुझावें			
i प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लाभ की अप्रयुक्त राशि (चालू खाते और सावधि जमाओं में विभिन्न बैंकों के साथ जमा की गई, उपयोग करने के लिए लंबित राशि)	-	4,737.06	विस्तृत टिप्पणी नोट सं. 44 में है।

43.1. आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(I) आयकर निर्धारण

कंपनी का आय कर निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2017-18 तक पूरा किया गया है।

निर्धारण वर्ष 2010-11, 2011-12, 2014-15 और 2017-18 के लिए कुल ₹ 1369.11 लाख के निर्धारण आदेशों के अनुसार उठाए गए मांगों को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की गई अपीलों के निपटान के लिए लंबित आकस्मिक देयता के अधीन दर्शाया गया है। ये मांग, मुख्य रूप से कुछ वास्तविक दावों को अस्वीकार करने के कारण से हैं। फिर भी, उपर्युक्त मांग कंपनी को देय प्रतिदेय के सामने समायोजित की गई है।

आकलन वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए हालांकि आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपील को कंपनी के पक्ष में निपटाया गया है, आयकर विभाग आईटीएटी के सामने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश सामने अपील के लिए चला गया है। आईटीएटी के समक्ष अपील के तहत कुल 700.86 लाख रुपए शामिल हैं।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

(II) केजीएसटी अधिनियम के अधीन बिक्री कर निर्धारण

केरल सरकार की एमनेस्टी योजना 2020 के तहत लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया है।

(III) केवीएटी अधिनियम के अधीन बिक्री कर निर्धारण

केरल सरकार की एमनेस्टी योजना 2020 के तहत लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया है।

44. आईपीओ आय का उपयोग नीचे संक्षेप में दिया है:

		(₹ लाखों में)	
ब्योरा	आईपीओ आय प्राप्त हुई- अंतिम आबंटन पर आधारित	31 मार्च 2021 तक नकदी बहिवाह	दिनांक 31 मार्च 2021 को अप्रयुक्त राशि
सूखी गोदी की स्थापना	51000.00*	51000.00	0.00
आईएसआरएफ की स्थापना	26500.00*	26500.00	0.00
सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य	16523.26	16523.26	0
समस्या से संबंधित खर्च (कंपनी की जिम्मेदारी)	2172.10**	2172.10	0.00
कुल	96195.36	96195.36	0.00

* दर्ज विवरण पुस्तिका के आधार पर

** सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजन के लिए अनुमानों की तुलना आईपीओ व्यय में वृद्धि (172.10 लाख रुपये) के सामने निर्दिष्ट राशि समायोजित की गई है।

नोट 45 :

मैसर्स एपीजे शिपिंग लिमिटेड (पहले सुरेंद्रा ओवरसिस लिमिटेड) और कंपनी के बीच पोत सं. 005 के मामले में विवाद भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाचन के लिए भेज दिया था। विवाचन पंचनिर्णय (जुलाई 2009) कंपनी के अनुकूल था जिसके अधीन मैसर्स एपीजे शिपिंग लिमिटेड से कंपनी 2803.64 लाख रुपए प्राप्त करना है। कंपनी ने आदेश पारित करने के लिए उप न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष एक याचिका फाइल की है और मामला विचाराधीन है। न्यायालय के आगे मामला विचाराधीन है। न्यायालय के अधीन लंबित अंतिम आदेश खाता बहियों में कोई जमा नहीं किया गया है।

नोट 46 :

.विवाचन के लिए स्थायी मशीनरी, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार ने कार्य ठेका कर मुद्दे पर सीएसएल और ओएनजीसी के विवाद में कंपनी के पक्ष में निर्णय अधिसूचित किया और निर्णय के अनुसार ओएनजीसी ने सीएसएल को 2642.22 रु की ब्याज के साथ विवादित राशि का भुगतान किया। ओएनजीसी ने इस निर्णय के खिलाफ कानून सचिव, कानून एवं न्याय मंत्रालय के सामने अपील फाइल किया। ओएनजीसी अपील के अनिर्णित निपटारे के संबंध में लेखे में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

नोट 47 : मुकदमा

कंपनी साधारण में कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है। कंपनी के प्रबंधन यथोचित उम्मीद नहीं करता है कि इन कानूनी कार्रवाई जब अतत समाप्त और निर्धारित की है, कंपनी के प्रचालन परिणामों पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2021 की तिथि पर महत्वपूर्ण मुकदमों का विवरण।

मै. विजिल मराइन सर्वोसस मे वर्ष 2004 में एटीसीओ टगों के लिए आदेश प्राप्त करने हेतु देय एजेंसी छूट की ओर दावा उठाया था। मध्यस्थता कार्यवाही दिनांक 10 अक्तूबर 2004 को शुरू हुई। गवाहों की परीक्षा और प्रति परीक्षा पूरी की और मामला दिनांक 01 और 02 फरवरी 2014 को तर्क वितर्क के लिए दर्ज किया। मध्यस्थ ने कार्यवाहियों पूरी की और मै. विजिल मराइन सर्वोसस को प्रतिवर्ष 8% दर पर ब्याज सहित 18.25 मिलियन यूएस डॉलर के एटीसीओ ठेका मूल्य के 5% दर पर कमीशन देने के लिए कंपनी को निदेश करते हुए उनका निर्णय पारित किया। इस पर असंतुष्ट सीएसएल उप न्यायलय, एर्णाकुलम के समक्ष मूल मुकदमा सं. 187/2016 फाइल की और निर्णय अमल में लाना स्थगित करते हुए एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया।

नोट 48 : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी ने एक सीएसआर समिति गठित की। सीएसआर की गतिविधियों के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण आदि और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची में बचाए गए, शामिल है। सीएसआर निधि का उपयोग, सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्यक्ष खर्च के माध्यम से किया जाता है। खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि और उपयोग की राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(क) दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित कुल राशि		₹ 1479.77 लाख
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		₹ 1526.98 लाख
		(₹ लाख में)

ब्योरा	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति	1,280.03	-	1,280.03
(ii) उपर्युक्त (i) को छोड़कर उद्देश्य	246.95	-	246.95

धारा 135(5) के मामले में खर्च की गई अधिक राशि

			(₹ लाख में)
पिछले वित्तीय वर्षों से अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	सीएसआर व्यय के रूप में पीएंडएल से प्रभारित राशि	आगामी वित्तीय वर्षों में अपेक्षित राशि
0.00	1526.98	1486.98	40.00

नोट 49. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2020-21	2019-20
श्री मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री पॉल रंजन डी (31 जुलाई 2019 तक) निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सुरेश बाबु एन वी निदेशक (प्रचालन)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जोस वी जे (01 अगस्त 2019 से) निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2020-21	2019-20
श्री सतीन्दर पाल सिंह (03 फरवरी 2020 तक) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , भारत सरकार	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री संजय बंदोपाध्याय (03 फरवरी 2020 से) सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री के आर ज्योतिलाल सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , केरल सरकार	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्रीमती रूपा शेखर राय (29 जुलाई 2019 से 20 मार्च 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री राधाकृष्ण मेनोन (29 जुलाई 2019 से 20 मार्च 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री कृष्ण दास ई (29 जुलाई 2019 से 20 मार्च 2020 तक) गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जिजी तोमसण गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री प्रदीप्ता बानर्जी गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री नंद कुमारन पुत्तेषत्त गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्रीमती वी कला (31 जनवरी 2020 तक) कंपनी सचिव	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्यामकमल एन (01 फरवरी 2020 से) कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री एस बालाजी अरुणकुमार, निदेशक (मई 29,2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री राजेश गोपालकृष्णन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एचसीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री बालकृष्णन पुवत्रा, मुख्य वित्तीय अधिकारी, एचसीएसएल (अक्टूबर 16, 2020 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री किरण के ए, कंपनी सचिव, एचसीएसएल (अक्टूबर 16, 2020 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री हरिकुमार ए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, टीएसएल	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री शिवु जाँण मुख्य वित्तीय अधिकारी, टीएसएल (एचसीएसएल के मु.वि.अ. अक्टूबर 15,2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
श्री अश्विन शर्मा एम कंपनी सचिव, टीएसएल (एचसीएसएल के कं.स., अक्टूबर 15,2020 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान कोलकाता)	सहायक कंपनी	सहायक कंपनी
टेबमा शिपयार्डर्स लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थान माल्पे)	सहायक कंपनी	-

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के लेनदेन- पारिश्रमिक की प्रकृति*

	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
ब्योरा		
अल्पकालीन लाभ	256.83	353.83
रोजगार के बाद के लाभ	34.00	38.89
कुल	290.83	392.72

लेनदेन की प्रकृति -अग्रिम

(₹ लाखों में)					
संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2020 को खुला शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31.03.21 को शेष	दिनांक 31.03.21 को अर्जित ब्याज
सुरेश बाबु एन वी	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
बिजोय भास्कर	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
जोस वी जे	0.20	0.40	0.49	0.11	0.00
श्यामकमल एन	0.24	0.40	0.52	0.12	0.00

(₹ लाखों में)					
संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2019 को खुला शेष	वर्ष 2019-20 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकोती	दिनांक 31.03.2020 को शेष	दिनांक 31.03.2020 को अर्जित ब्याज
मधु एस नायर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉल रंजन डी	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00
सुरेश बाबु एन वी	0.19	0.50	0.49	0.20	0.00
बिजोय भास्कर	0.52	0.50	0.82	0.20	0.00
जोस वी जे	0.18	0.50	0.48	0.20	0.00
कला वी	0.15	0.50	0.65	0.00	0.00
श्यामकमल एन	0.18	0.60	0.54	0.24	0.00

ऋण शेष राशियाँ केएमपी प्राप्त करने की स्थिति के वर्ष से विचार किया जाएगा ।

लेनदेन की प्रकृति- स्वतंत्र निदेशक के सिट्टिंग शुल्क

(₹ लाखों में)			
बैठक का नाम	जिजी थॉमसण	नंदकुमारन पुत्तेषत्त	प्रदीप्ता बैनर्जी
बोर्ड बैठक	0.15	0.15	0.15
लेखापरीक्षक समिति	0.15	0.15	0.15
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	0.15	0.15	0.15
नामांकन और पारिश्रमिक समिति	0.15	0.15	0.15
ठेका और कैपेक्स समिति	0.15	0.15	0.15
2020-21 के लिए कुल भुगतान	0.75	0.75	0.60

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

लेनदेन की प्रकृति- अन्य संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

सीएसएल एक सरकारी कंपनी है जो, पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन नियंत्रित है। कंपनी ने सरकार और सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में इन्ड एएस 24 के तहत तैयार विस्तृत प्रकटीकरण से छूट का लाभ उठाया है।

हालांकि, इन्ड एएस 24 के अधीन, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नलिखित है:

मूल कंपनी द्वारा सरकार और सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भारत सरकार को देय राशि	234.19	235.40
भारत सरकार को वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में देय राशि	26836.17	14474.11

उपर्युक्त के अलावा, कंपनी के कारोबार के लगभग 92.01% और व्यापार प्राप्यों के 95.98% (लगभग) तथा ग्राहक अग्रिम सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

नोट 50 : वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों के लिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर I इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है ।

स्तर II इनपुट, स्तर 1 में शामिल उद्धृत दर को छोड़कर इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता के लिए विचार योग्य है ।

स्तर III इनपुट, परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रभावी इनपुट है ।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है (लेकिन अंकित मूल्य के प्रकटीकरण अपेक्षित है ।)

	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	31.03.2021 को	31.03.2020 को	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर-चालू			
(i) निवेश	9.18	9.18	स्तर III
(ii) ऋण	363.09	108.55	स्तर II
(iii) अन्य	4,285.40	864.50	स्तर II
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	35,336.95	28,823.21	स्तर II
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	72,870.14	86,682.14	स्तर II
(iii) बैंक शेष (ii) को छोड़कर	148,023.19	132,840.27	स्तर II
(iv) ऋण	57.20	30.97	स्तर II
(v) अन्य	1,574.24	3,145.35	स्तर II
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	262,519.39	252,504.17	

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	31.03.2021 को	31.03.2020 को	
वित्तीय देयताएं			
गैर-चालू			
(i) उधार	12,300.00	12,300.00	स्तर I
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	39,360.69	37,586.91	स्तर II
चालू			
(i) देय व्यापार	43,543.42	41,871.78	स्तर II
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	25,284.73	17,801.48	स्तर II
कुल वित्तीय देयताएं	120,488.84	109,560.17	

नोट:

1. इक्विटी साधनों में निवेश व्यापार के लिए नहीं है । इसके बजाय, वे मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्यों के लिए हैं । भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को एफवीटीओसीआई के रूप में इक्विटी साधनों में निर्दिष्ट करने के लिए चुना है, क्योंकि निदेशक का मानना है कि यह मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक निवेश की एक अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है, जो कि लाभ और हानि में तुरंत अंकित मूल्य में बदलाव को दर्शाता है ।

अंकित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में शामिल निवेश उनके अंकित मूल्य पर पहुँचने के लिए लागत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया गया है । उद्धृत न किए निवेशों की लागत अंकित मूल्य के अनुरूप है इसलिए कि जहाँ संभाव्य अंकित मूल्य माप के एक विस्तृत श्रृंखला होती है और लागत उस सीमा के भीतर अंकित मूल्य के अनुमान की ओर है ।

इस अवधि में स्तर 1 और 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है ।

2. ऋण, उधार बाजार दर पर है और अतः कैरीइंग मूल्य, अंकित मूल्य है ।

3. प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के कैरिइंग राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा ।

बैंक जमारशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के कैरिइंग राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है ।

श्रेणीवार वित्तीय साधन

	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/ लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/ लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश (गैर चालू)						
-इक्विटी साधन		9.18			9.18	
ऋण			363.09			108.55
अन्य			4,285.40			864.50
प्राप्य व्यापार			35,336.95			28,823.21
नकद एवं नकद समतुल्य			72,870.14			86,682.14
बैंक शेष			148,023.19			132,840.27
ऋण			57.20			30.97
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			1,574.24			3,145.35
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00	9.18	262,510.21	0.00	9.18	252,494.99

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

(₹ लाखों में)						
	31 मार्च 2021			31 मार्च 2020		
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/ लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/ लागत
वित्तीय देयताएं						
उधार			12,300.00			12,300.00
अन्य वित्तीय देयताएं			39,360.69			37,586.91
प्राप्य व्यापार			43,543.42			41,871.78
अन्य वित्तीय देयताएं			25,284.73			17,801.48
कुल वित्तीय देयताएं	0.00	0.00	120,488.84	0.00	0.00	109,560.17

नोट 51 : वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति

वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और नीतियां:

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं, व्युत्पन्न को छोड़कर, ग्राहकों के ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और अग्रिम शामिल होते हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि कंपनी के प्रचालनों, कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं को वित्तपोषण करना और उसके प्रचालनों को सहायता देने के लिए गारंटियां प्रदान करना है। कंपनी के प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद तथा बैंक शेष शामिल हैं, जो अपने प्रचालनों से सीधे व्युत्पन्न हो जाता है। कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और संपत्ति जोखिम के लिए उजागर है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए सभी व्युत्पन्न गतिविधियों को आवश्यक संसाधनों को निर्दिष्ट करके विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति की देखरेख में किया जाता है। यह कंपनी की नीति है कि अव्यवहार्य उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्नों में कोई व्यापार नहीं किया जा सकता है। निदेशक मंडल प्रत्येक इन सभी जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करती है और सहमति देती है, जो नीचे संक्षेप में दिए गए हैं।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार जोखिम में तीन प्रकार जोखिम शामिल हैं : ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य कीमत जोखिम, जैसे कि इक्विटी कीमत जोखिम और सामग्री जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार में परिवर्तन के जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम मुख्य रूप से फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ कंपनी के दीर्घकालीन ऋण दायित्वों से संबंधित है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो ऋण जोखिम के भविष्य नकदी प्रवाह या अंकित मूल्य बाजार विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम, मुख्य रूप से कंपनी के प्रचालन गतिविधियों से संबंधित है (जब राजस्व या खर्च विदेशी मुद्रा में नामित करने पर)।

कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित रूप से प्रलेखीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही आधार पर कंपनी के विदेशी मुद्रा खुलासा की भी समीक्षा करता है।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

सामग्री कीमत जोखिम

कंपनी कुछ सामग्रियों की कीमत में अस्थिरता से प्रभावित है। इसके प्रचालन गतिविधियों के लिए स्टील, मुख्य मशीनरियां, उपकरण आदि खरीदने की आवश्यकता है। अतः कंपनी को कीमत अनुकूल बनाने के लिए निकटता से खरीदने हेतु योजना है।

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, एक जोखिम है जो काउंडर पार्टी वित्तीय साधन या ग्राहक ठेके के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे जो वित्तीय नुकसान के कारक है। कंपनी अपनी संचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से आपूर्तिकारों को व्यापार प्राप्य और अग्रिम) और अपनी वित्तीय गतिविधियों से क्रेडिट जोखिम की ओर अनावृत है, जिसमें बैंक जमा और वित्तीय संस्थान, विदेशी विनिमय लेनदेन और अन्य वित्तीय साधन शामिल हैं।

नोट 52 : सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों को पहचान किया है : पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत/अपतटीय संरचना। खंडवार विश्लेषण उपर्युक्त आधार पर किया गया है और एक उचित आधार पर राशि को आर्बिट्रि किया गया है।

(₹ लाखों में)		
विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
सेगमेंट परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	319484.51	292812.55
पोत मरम्मत	259606.41	243285.53
अन्य	172828.72	104574.45
कुल	751919.64	640672.53
सेगमेंट देयता		
पोत निर्माण	104576.01	67144.21
पोत मरम्मत	11264.54	12715.35
अन्य	232733.97	188524.62
कुल	348574.52	268384.18
सेगमेंट राजस्व		
पोत निर्माण	240559.27	285226.50
पोत मरम्मत	41330.43	57022.89
अनार्बिट्रि	19082.67	24508.13
कुल	300972.37	366757.52
सेगमेंट परिणाम		
पोत निर्माण	76229.86	66459.10
पोत मरम्मत	9419.89	14741.55
अनार्बिट्रि	(4836.95)	4571.35
कुल	80812.80	85772.00

कंपनी को दो प्रमुख व्यापार खंड हैं - “पोत निर्माण” और “पोत मरम्मत”। पोत निर्माण के अधीन राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले एक ग्राहक (पिछले वर्ष : एक ग्राहक) से 203736.66 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 237746.87 लाख रुपए) शामिल हैं। पोत मरम्मत के लिए, राजस्व में कुल राजस्व के 10% से अधिक होनेवाले एक ग्राहक (पिछले वर्ष : एक ग्राहक) से 29714.58 लाख रुपए (पिछले वर्ष : 49582.22 लाख रुपए) शामिल हैं।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 53 : पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंध कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने के लिए शेयरधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें ।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य के लिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटी धारकों के लिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं । कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है ।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान, शेयरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेयर जारी कर सकते हैं । कंपनी एक गिर्यारंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है । कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
दीर्घकालीन उधार	12300.00	12300.00
निवल ऋण	12300.00	12300.00
इक्विटी शेयर पूंजी	13154.04	13154.04
अन्य इक्विटी	390191.08	359134.31
कुल इक्विटी	403345.12	372288.35
गिर्यारंग अनुपात	3.05%	3.30%

मार्च 31, 2021 और मार्च 31, 2020 को समाप्त वर्षों के दौरान, पूंजी प्रबंधन के लिए लक्ष्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

नोट 54 :

कोरोनावायरस रोग (कोविड-19) एक मानवीय त्रासदी और एक वैश्विक महामारी के रूप में सामने आ रहा है जो समाज और अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। यह दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य के साथ- साथ अर्थ व्यवस्था और वाणिज्य की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। यह सभी व्यापारिक संगठनों के लिए प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है, भले ही जनता का टीकाकरण शुरू हो चुका है। कोविड-19 का प्रकोप पहले से ही प्रभावित देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल चुका है। कई राज्यों में माल की आजावाही पर प्रतिबंध, सीमाओं को बंद करने आदि के साथ शुरू हुए प्रकोप के परिणामस्वरूप भारत में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, इसके बाद भारत सरकार द्वारा मार्च 25, 2020 से देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की गई, ताकि कोविड-19 प्रसार को रोका जा सके। इसके कारण मार्च 23, 2020 से मई 05, 2020 तक सीएसएल की सुविधाओं और उसकी सहायक कंपनियों का संचालन अस्थायी रूप से बाधित रहा। इसके बाद कम संक्रमण का दौरा या जिसने उद्योगों और अर्थव्यवस्था को खोलने में मदद की। कंपनी ने आगामी तिमाहियों में उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। कैपेक्स सहित चल रही परियोजनाओं में कुछ देरी हुई थी, लेकिन अनुबंधों में अप्रत्याशित घटना खंड और मई 13, 2020 के भारत सरकार के परिपत्र की घोषणा और अनुदान से प्रभाव काफी हद तक कम हो गया है। हालांकि फरवरी 2021 से शुरू हुई दूसरा तरंग फिर से राज्यों को विस्तारित अवधि के लिए लॉकडाउन करने हेतु मजबूर कर रहा है। दूसरे तरंग का असर अभी भी जारी है। संभावित ग्राहकों द्वारा पाइपलाइन परियोजनाओं को शेल्विंग/ रोकने की संभावना है, लेकिन कंपनी को इसके लिए पर्याप्त व्यवसाय की उम्मीद है। दुनिया भर में नए सिरे से टीकाकरण अभियान के बावजूद सामने आने वाली महामारी परिदृश्य अभी भी भविष्य का आकलन करने में कंपनी के लिए एक चुनौती पेश करता है और कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी प्रत्यक्ष परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

नोट 55 : सहायक कंपनियों का विवरण

नाम	संबंध	गतिविधि की प्रकृति	व्यापार का मुख्य केंद्र	31 मार्च 2021 को आनुपातिक स्वामित्व % में	
1	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक	विभिन्न प्रकार के जहाजों का निर्माण और उनकी मरम्मत	कोलकाता, भारत	100%
2	टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड	सहायक	विभिन्न प्रकार के जहाजों का निर्माण और उनकी मरम्मत	माल्पे, भारत	100%

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 56 : सहायक कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी इस प्रकार है:

सहायक के लिए अनावृत्त राशियां अंतर- कंपनी उन्मूलन के समक्ष है

क. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	(₹ लाखों में)	
संक्षिप्त तुलन पत्र	2020-21	2019-20
गैर चालू संपत्तियां	13626.34	4970.53
चालू संपत्तियां	4507.23	2459.55
कुल संपत्तियां	18133.57	7430.08
गैर चालू देयताएं	10649.37	4789.74
चालू देयताएं	3218.92	859.36
कुल देयताएं	13868.29	5649.10
निवल संपत्ति	4265.28	1780.98
संचित एनसीआई	0.00	0.00

	(₹ लाखों में)	
लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	2020-21	2019-20
राजस्व	0.00	0.00
वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	(315.70)	(248.76)
अन्य व्यापक आय	0.00	0.00
कुल व्यापक आय	(315.70)	(248.76)
एनसीआई हेतु लाभ/(हानि)	0.00	0.00

	(₹ लाखों में)	
संक्षेपित नकदी प्रवाह	2020-21	2019-20
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	1941.32	(284.46)
निवेश गतिविधियों से	(8550.25)	(2128.07)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	8400.00	10.22
नकद और नकद समराशि में निवल वृद्धि/ कमी	1791.07	(2402.31)

ख. टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड	(₹ लाखों में)	
संक्षेपित तुलन पत्र	2020-21*	
गैर चालू संपत्तियां	14070.24	
चालू संपत्तियां	2817.85	
कुल संपत्तियां	16888.09	
गैर चालू देयताएं	575.39	
चालू देयताएं	2659.49	
कुल देयताएं	3234.88	
निवल संपत्ति	13653.21	
संचित एनसीआई	0.00	

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	2020-21*
राजस्व	0.00
वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	529.62
अन्य व्यापक आय	0.00
कुल व्यापक आय	529.62
एनसीआई हेतु लाभ / (हानि)	0.00

(₹ लाखों में)

संक्षेपित नकदी प्रवाह	2020-21*
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	1978.62
निवेश गतिविधियों से	(166.18)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(35.20)
नकद और नकद समराशि में निवल वृद्धि/ कमी	1777.24

* समेकन की तारीख से यानी दिनांक 30 सितंबर 2020

नोट 57 : समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III द्वारा आवश्यक जानकारी

(₹ लाखों में)

ग्रुप में इकाई का नाम	निवल संपत्ति		लाभ या (हानि) में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा		
	31 मार्च 2021 को % में स्वामित्व	आनुपातिक शेयर	समेकित निवल संपत्ति के % के रूप में	लाभ / (हानि) में हिस्सा	समेकित लाभ / (हानि) के % के रूप में	अन्य व्यापक आय में हिस्सा	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	कुल व्यापक आय में हिस्सा	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	397756.68	98.61%	61010.44	100.24%	398.17	100.00%	61408.61	100.24%
सहायक									
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	4265.28	1.06%	(315.70)	(0.52%)	0.00	0	(315.70)	(0.52%)
टेवमा शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	13653.21	3.38%	529.62	0.87%	0.00	0	529.62	0.86%
समेकन समायोजन		(12330.05)	(3.06%)	(357.92)	(0.59%)	0	0	(357.92)	(0.58%)
कुल योग		403345.12	100%	60866.44	100.00%	398.17	100.00%	61264.61	100.00%

नोट 58 :

ठेके/उप ठेके के मामले में, वर्ष के अंत में किए गए काम के लिए ठेकेदारों द्वारा अंतिम बिलों को प्रस्तुत न करने पर, किए गए काम के आधार पर देयता अनुमानित और प्रदान किया जाता है ।

नोट 59 :

व्यापार प्राप्तियां, व्यापार देय, ऋण, जमा और दावों के अधीन दर्शाए गए शेष राशि पुष्टि और परिणामस्वरूप पुनर्मिलन, यदि कोई हो, के अधीन है ।

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर

टिप्पणियां

नोट 60 : कंपनी ने दीर्घकालिक ठेके के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों की ओर पर्याप्त प्रावधान किया गया है । कंपनी को कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न ठेके नहीं हैं, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानि नहीं है ।

नोट 61 : कोष्ठक के आंकड़े शून्य आंकड़े को दर्शाता है ।

नोट 62 : पिछले वर्ष के आंकड़े को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि के लिए एकजुट और वर्गीकृत किया गया है ।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1-2
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	3-62

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग हैं ।

संलग्न हमारे रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं.

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.000801S)

चिराग जे शाह

साझेदार

(सदस्यता सं. 214798)

कोच्ची,

जून 11, 2021

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन

कंपनी सचिव

जोस वी जे

निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी

(डीआईएन - 08444440)

कोच्ची,

जून 11, 2021

बिजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी)

(डीआईएन - 08103825)

मधु एस नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन - 07376798)

अनुबंध

फॉर्म सं. एओसी 1

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं शामिल विवरण (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा 3 के पहला प्रावधान के अनुसार)

भाग 'क' : सहायक कंपनियां

क्र.सं.	ब्यौरे	विवरण	विवरण
1	क्रम सं.	1	2
2	सहायक कंपनी का नाम	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड
3	तिथि जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया	अक्टूबर 23, 2017	सितंबर 15, 2020
4	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	नहीं	नहीं
5	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग	लागू नहीं	लागू नहीं
6	शेयर पूंजी	5000 लाख रुपए	6500 लाख रुपए
7	आरक्षण और अधिशेष	(734.72) लाख रुपए	7153.21 लाख रुपए
8	कुल परिसंपत्तियां	18133.57 लाख रुपए	16888.09 लाख रुपए
9	कुल देयताएं	18133.57 लाख रुपए	16888.09 लाख रुपए
10	निवेश	नहीं	नहीं
11	कुल कारोबार	नहीं	नहीं
12	कराधान पूर्व लाभ	(407.54) लाख रुपए	(146.04) लाख रुपए
13	कराधान के लिए प्रावधान (i) वर्तमान कर (ii) आस्थगित कर	(91.84) लाख रुपए	(10) लाख रुपए
14	कराधान के बाद लाभ	(315.70) लाख रुपए	(136.04) लाख रुपए
15	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य
16	शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	100%	100%

नोट : निम्नलिखित जानकारी बयान के अंत में प्रस्तुत की जाएगी :

- हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के 100% सहायक कंपनी है, को परिचालन शुरू करना शेष है ।
- टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के 100% सहायक कंपनी है, को परिचालन शुरू करना शेष है ।

भाग 'ख' : सहायोगी और संयुक्त उद्यम : लागू नहीं

संलग्न हमारे रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एलियास जॉर्ज और कं.
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.0008015)

चिराग जे शाह
साझेदार
(सदस्यता सं. 214798)
कोच्ची,
जून 11, 2021

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी
(डीआईएन - 08444440)
कोच्ची,
जून 11, 2021

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
(डीआईएन - 08103825)

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन - 07376798)



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

निगमित पहचान संख्या: L63032KL1972GOI002414

पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल - 682015

दूरभाष: +91 (484) 2501306 फेक्स: +91 (484) 2384001

ईमेल: secretary@cochinshipyard.in वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

सूचना

सूचना एतद्वारा दी जाती है कि कोचीन शिपयार्ड की सदस्यों की 49 वीं वार्षिक साधारण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए मंगलवार, सितंबर 29, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निम्नलिखित व्यापार कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यापार

- मार्च 31, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण, जिसके साथ-साथ इसमें निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, को स्वीकृत करना, विचार करना और अपनाना ।
- मार्च 31, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, जिसके साथ-साथ इसमें निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, को स्वीकृत करना, विचार करना और अपनाना ।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹9.00 (90%) के प्रथम अंतरिम लाभांश और प्रति इक्विटी शेयर ₹4.00 (40%) के दूसरे अंतिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य 10 रुपए) ₹2.50 (25%) के अंतिम लाभांश घोषित करना ।
- श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825) के स्थान पर निदेशक के नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और पात्र होने के नाते, उन्हें पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करना ।
- वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना ।

विशेष व्यापार

6. लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना, यदि उपयुक्त समझे और विचार करना :

“संकल्प किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (फिलहाल लागू किसी सांविधिक संशोधन या तत्संबंधी पुनरधिनियमन सहित) जो समय-समय संशोधितानुसार है, कंपनी एतद्वारा मेसर्स बीबीएस व एसोसिएट्स, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 00273) जिन्हें मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (लागत अभिलेखा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अधीन कंपनी के लागत अभिलेख से संबंधित लागत लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए थे, को देय लागू कर सहित प्रति वर्ष 1,50,000 रुपए (केवल एक लाख पचास हजार रुपए) के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करती है। ”

“आगे संकल्प किया जाता है कि, कंपनी निदेशकों में से एक या कंपनी सचिव को उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन ऐसे सभी कदमों और सभी कार्यों को करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है। ”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कोच्ची
सितंबर 06, 2021

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. : A25337

टिप्पणः

- कोविड-19 महामारी की निरंतरता पर ध्यान रखते हुए, कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने परिपत्र संख्या 02/2021 जनवरी 13, 2021, मई 05, 2020 के परिपत्र सं. 20/2020, अप्रैल 08, 2020 के परिपत्र सं. 14/2020 और दिनांक अप्रैल 13, 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 के साथ पढित और समय - समय पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्र (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुपालन में, एमसीए परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्ध विनियम') और सेबी परिपत्र, वीसी/ओएवीएम के जरिए कंपनी की 49 वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की जा रही है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एजीएम का स्थान माना जाएगा।
- नोटिस में निर्धारित विशेष व्यापार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार विवरण संलग्न किया है और यह नोटिस का एक अभिन्न अंग है।
- इस नोटिस के वार्षिक आम बैठक में पुनःनियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक के संबंध में संगत विवरण, सेबी सूचीबद्ध विनियम के विनियम 36 (3) और भारतीय कंपनी सचिवीय संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के अनुसरण में, संलग्न किया है।
- कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए हकदार एक सदस्य को अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक परोक्षी को नियुक्त करने का हकदार है और परोक्षी कंपनी का एक सदस्य नहीं होना चाहिए। चूंकि इस वार्षिक आम बैठक को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है और तदनुसार सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति तिरस्कृत की गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा वार्षिक आम बैठक में उपलब्ध नहीं होगी और अतः परोक्षी प्रपत्र और उपस्थिति पर्चा इस नोटिस के साथ नहीं संलग्न किया है। फिर भी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल या निकास कॉर्पोरेट जैसे सदस्यों की प्रतिनिधियां वीसी/ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं और ई-वोटिंग जरिए अपना वोट डाल सकते हैं।
- एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र जनवरी 15, 2021 और मई 12, 2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते निक्षेपागार/ कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों यह नोट करें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी। वार्षिक आम बैठक की नोटिस

को सीडीएसएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रसारित किया जाता है।

- संशोधितानुसार, सेबी सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियां अप्रैल 01, 2019 से केवल डिमैटरीकृत माध्यम के रूप में अंतरित किया जा सकता है, सिवाय प्रतिभूतियों के प्रसारण या अंतरण के लिए अनुरोध के मामले में। इस पर ध्यान रखते हुए और प्रत्यक्ष शेयरों के साथ जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और पोर्टफोलियो के प्रबंधन में आसानी के लिए, प्रत्यक्ष रूप में शेयरों को संभालने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी संपत्तियों को डिमैटरीकृत रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण अधिकर्ताओं, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।
- जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पता पंजीकृत/ अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि यदि उनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो, निक्षेपागार साझेदार के साथ और यदि शेयर प्रत्यक्ष रूप में संभाले रखे हैं, तो, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ वही पंजीकृत/ अद्यतन करें। सदस्यों, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को संभाल रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित डिमैट खाते के साथ अपनी ई-मेल आईडी को अद्यतन करें, ताकि कंपनी/ रजिस्ट्रार को ई-मेल के माध्यम से संचार भेजने में सक्षम बनाया जा सके।
- सदस्यों से अनुरोध है कि अपने नाम, डाक पता, ई-मेल पता, दूरभाष/मोबाइल सं., स्थायी लेखा खाता, जनादेश, नामांकन, पॉवर ऑफ अटॉर्नी, बैंक विवरण जैसे कि बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी आदि के संबंध में कोई परिवर्तन है, तो, यदि उनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, तो, अपने डीपी के साथ और यदि उनके शेयर प्रत्यक्ष रूप में है तो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ सूचित करें।
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है। सदस्यों, जिन्होंने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है, उनसे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19 के तहत निर्धारित प्रपत्र सं. एसएच-13 प्रस्तुत करके इसे पंजीकृत करने का अनुरोध किया जाता है। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन को रद्द करना चाहता है, तो वह इसे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 19 के तहत निर्धारित प्रपत्र सं. एसएच-14 में जमा कर सकता है। अनुरोध पर, कंपनी के आरटीए, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आवश्यक प्रपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर डिमैट मोड में है तो वे अपने डीपी को उक्त विवरण प्रस्तुत करें और शेयर प्रत्यक्ष रूप में रखने की स्थिति में लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तुत करें।

10. बही समाप्ति और लाभांश

- सदस्यों की पंजी और कंपनी शेयर अंतरण बहियां बुधवार, सितंबर 23, 2021 से मंगलवार, सितंबर 29, 2021 (दोनों दिन शामिल हैं) तक बंद कर दिया जाएगा।

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम लाभांश, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित है, यदि वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदित किया जाता है, तो, अक्टूबर 28, 2021 तक स्रोत पर कर की कटौती के अधीन भुगतान किया जाएगा, यानी, उन सदस्यों को अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जिनके नाम बुधवार 22 सितंबर 2021 को कार्य समय की समाप्ति पर सदस्यों/डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड, जैसा भी मामला हो, के रजिस्ट्रार में दिखाई देते हैं।

- कंपनी जहां भी संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा लाभांश का भुगतान करेगी और अन्य मामलों में लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करेगी। डिमैट रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान इस प्रयोजन के लिए बुधवार 22 सितंबर 2021 को निक्षेपागार (एनएसडीएल एवं सीडीएसएल) द्वारा किए गए लाभकारी स्वामित्व विवरणों के आधार पर किया जाएगा। डिमैट रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य यह नोट किया जाए कि उनके संबंधित निक्षेपागार खातों के सामने पंजीकृत बैंक विवरणों का उपयोग लाभांश के भुगतान के लिए कंपनी द्वारा किया जाएगा। बैंक विवरण या बैंक अधिदेश के किसी भी परिवर्तन के लिए कंपनी या उसके आरटीए डिमैट रूप में शेयर रखनेवाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते। इस तरह के बदलाव, केवल सदस्यों के निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ ही सूचित कर सकते हैं। वे सदस्य, जिन्होंने निक्षेपागार डिमैट खाता खोलने के बाद अपना बैंक खाता बदल दिया है और निक्षेपागार खाता खोलते समय निर्दिष्ट खाते के अलावा किसी अन्य डिमैट खाते में लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण (नौ अंकों के बैंक कोड सहित) अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ सितंबर 22, 2021 से पहले सही/परिवर्तित करें।

- वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, एक कंपनी द्वारा भुगतान किए और वितरित लाभांश अप्रैल 01, 2021 से शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत शेयर धारक की प्रत्येक श्रेणी के लिए लागू दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने की आवश्यकता होगी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

क. निवासी शेयरधारक

- व्यक्तियों के मामले में टीडीएस लागू नहीं होगा, यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उन्हें वितरित किया गया कुल लाभांश ₹5,000 से अधिक न हो।

- उन मामलों में स्रोत पर कर नहीं काटा जाएगा जहाँ शेयरधारक निम्नलिखित प्रदान करता है।

- प्रपत्र 15 जी (कंपनी या फर्म के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर लागू)
- प्रपत्र 15 एच (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू), बशर्ते कि पात्रता शर्तों को पूरा किया जा रहा हो।
- प्रपत्र 15 एच/ 15 जी कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 के तहत स्रोत पर कर (टीडीएस) 10% की दर से देय लाभांश की राशि पर काटा जाएगा, जब तक कि उसके किसी प्रावधान के तहत छूट न दी गई हो।

- आयकर अधिनियम की धारा 206 एबी के तहत "निर्दिष्ट व्यक्ति" के मामले में, टीडीएस की कटौती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्दिष्ट दरों से दोगुनी होगी।

- यदि पैन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 एए के अनुसार 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रत्यक्ष रूप में शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डिमैट मोड में शेयरों के मामले में) के साथ पैन अपडेट करें।

- अलग -अलग स्थिति /श्रेणी और एकल पैन के अधीन कई खातों के तहत शेयर रखनेवाले शेयरधारक ध्यान दें कि उस स्थिति पर लागू कर से अधिक जिसमें पैन के तहत शेयर धारित है, जो विभिन्न खातों में उनकी संपूर्ण धारिता पर विचार किया जाएगा।

- शेयरधारकों से अनुरोध है कि कृपया रिकॉर्ड की शुद्धता को सत्यापित करें और डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यदि शेयर डिमैट मोड में है) या कंपनी के आरटीए (यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं) के साथ जल्द से जल्द अपडेट करें।

- पात्र शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्धारितानुसार निम्नलिखित दस्तावेज़ सितंबर 21, 2021 को 23:59 बजे तक कंपनी के आरटीए लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर अपलोड करें, जो काटे गए कर से छूट या कम कटौती के लाभ उठाने के लिए हैं।

श्रेणी	अपेक्षित दस्तावेज़	अभ्युक्तियां
सामान्य	धारा 197 के तहत कम कटौती के लिए कटौती कर प्रमाणपत्र की स्वयं साक्ष्यांकित प्रति।	यदि कर की कम दर का दावा किया जाना है।
व्यक्तिगत	पैन कार्ड की स्व सत्यापित प्रति के साथ विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र 15 जी या 15 एच (जैसा लागू हो सकता है।)	यदि कर छूट का दावा करना है।
बीमा कंपनी	स्व-घोषणा कि स्वामित्व वाले शेयरों के संबंध में इसका पूर्ण लाभकारी हित है, साथ ही पैन कार्ड और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वयं सत्यापित प्रति।	यदि कर छूट का दावा करना है।
म्यूचअल फंड	स्व-घोषणा कि वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23डी) में निर्दिष्ट हैं, साथ ही पैन कार्ड और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व सत्यापित प्रति।	यदि कर छूट का दावा करना है।
एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम, जो उस समय लागू किसी भी कानून के तहत, अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है।	पैन कार्ड की स्व सत्यापित प्रति के साथ छूट की स्थिति का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ी साक्ष्य की स्व-सत्यापित प्रति।	यदि कर छूट का दावा करना है।
भारत में स्थापित/ निगमित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)	स्व-घोषणा कि इसकी आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 एफबीए) के तहत छूट प्राप्त है और वे सेबी विनियमों द्वारा श्रेणी। या श्रेणी II एआईएफ के रूप में पैन कार्ड और पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति के साथ शासित हैं।	यदि कर छूट का दावा करना है।

* स्व- घोषणा का प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर उपलब्ध है।

ख. अनिवासी शेयरधारक

- क) लागू दरों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर काटा जाना आवश्यक है। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, देय लाभांश की राशि पर कर 20% (प्लस लागू अधिभार और उपकर) के स्रोत पर काटा जाएगा।
- ख) शेयरधारकों से अनुरोध है कि कृपया रिकॉर्ड की शुद्धता को सत्यापित करें और डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यदि शेयर डीमैट मोड में है) या कंपनी के आरटीए (यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं) के साथ जल्द से जल्द अपडेट करें।
- ग) पात्र शेयरधारकों से भी अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित निम्नलिखित दस्तावेज़ सितंबर 21, 2021 को 23:59 बजे तक कंपनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर प्रस्तुत करें जो भारत और उनके निवास देश के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते का लाभ उठाने के लिए हैं।

शेयरधारक की श्रेणी	दस्तावेज़
व्यक्तिगत	<ul style="list-style-type: none"> उस देश द्वारा जारी किए गए कर निवास प्रमाणपत्र की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जिसमें शेयरधारक निवासी है। प्रपत्र 10 एफ। स्व घोषणा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौती कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।
साझेदारी, ट्रस्ट	<ul style="list-style-type: none"> उस देश द्वारा जारी किए गए कर निवास प्रमाणपत्र की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जिसमें शेयरधारक निवासी है। प्रपत्र 10 एफ। भागीदारों/ लाभार्थियों की सूची, साझेदारी/ न्यास की आय में उनके संबंधित हिस्से और उनकी संबंधित आवासीय स्थिति। (यदि टीआरसी का हिस्सा नहीं बन रहा है) स्व घोषणा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौती कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।

एफपीआई मार्ग के अलावा अन्य मार्गों से किया गया निवेश

शेयरधारक की श्रेणी	दस्तावेज़
कंपनी	<ul style="list-style-type: none"> उस देश द्वारा जारी किए गए कर निवास प्रमाणपत्र की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जिसमें शेयरधारक निवासी है। प्रपत्र 10 एफ। संधि के अनुसार जहां कहीं भी आवश्यक हो, एलओबी की संतुष्टि का प्रमाण (उदाहरण के लिए यदि विदेशी कंपनी दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत है- कंपनी का लिस्टिंग प्रमाणपत्र) स्व घोषणा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौती कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।
एफपीआई (यदि शेयर एफडीआई व्यवस्था के तहत धारित हैं)	<ul style="list-style-type: none"> उस देश द्वारा जारी किए गए कर निवास प्रमाणपत्र की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जिसमें शेयरधारक निवासी है। प्रपत्र 10 एफ। संधि के अनुसार जहां कहीं भी आवश्यक हो, एलओबी की संतुष्टि का प्रमाण (उदाहरण के लिए यदि विदेशी कंपनी दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत है- कंपनी का लिस्टिंग प्रमाणपत्र) स्व घोषणा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौती कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।
एफपीआई (उपरोक्त के अलावा)	<ul style="list-style-type: none"> स्व- साक्ष्यांकित घोषणा कि एफपीआई मार्ग के तहत निवेश किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत उपलब्ध कराए गए कम /शून्य कटौती कर प्रमाणपत्र की स्व- साक्ष्यांकित प्रति, यदि कोई हो।

*प्रपत्र 10 एफ और स्व- घोषणा का प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर उपलब्ध है।

- घ) कृपया ध्यान दें कि कंपनी लाभांश राशि पर कर कटौती/लाभांश राशि पर कर कटौती के समय डीटीएए दरों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। लाभकारी डीटीएए दर का आवेदन अनिवासी शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों की कंपनी द्वारा पूर्णता और संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा।
- ङ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196 डी के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी पोर्ट फोलियो निवेशकों को भुगतान किए गए लाभांश पर स्रोत पर (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) काटा जाएगा। ऐसी टीडीएस दर कम डीटीएए दर, यदि कोई हो, के लागू होने के कारण कम नहीं की जाएगी।
- च) कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज़ कंपनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर सितंबर 21, 2021 को 23:59 बजे तक अधिक से अधिक अपलोड किए जाने चाहिए। ईमेल या किसी अन्य प्रपत्र के माध्यम से जमा किए गए दस्तावेज़ों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- छ) सितंबर 21, 2021 के बाद कर निर्धारण/ कटौती के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vii) यदि उपरोक्त विवरण/ दस्तावेज़ों की प्राप्ति के अभाव में लाभांश पर कर की उच्च दर से कटौती की जाती है, शेयरधारकों के पास अभी भी कर सलाहकार से परामर्श करके आयकर विवरणी दाखिल करते समय काटे गए अतिरिक्त कर की वापसी का दावा करने का विकल्प होगा। काटे गए ऐसे करों के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।
- (viii) कंपनी को लाभांश पर टीडीएस के संबंध में फॉर्म 16ए भेजने में सक्षम बनाने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों को डीमैट मोड में रखने की स्थिति में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ और शेयरों को प्रत्यक्ष रूप से रखने की स्थिति में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के आरटीए के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/ अपडेट करें। शेयरधारक टीडीएस के क्रेडिट को फार्म 26 एएस में देख सकेंगे, जिसे <https://portal.incometax.gov.in> पर उनके ई-फाइलिंग खाते से डाउनलोड किया जा सकता है।
- (ix) **अस्वीकरण:** इस संचार को कंपनी की सलाह के रूप में नहीं माना जाएगा। कर संबंधी मामलों के लिए शेयरधारकों को कर पेशेवर से कर सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

11. अदावी लाभांश :

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी को अदत्त लाभांश खाते में पड़े किसी राशि को अंतरित करने के लिए बाध्य किया जाता है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ("निधि") में क्रेडिट करने के लिए, अदत्त लाभांश खाते में ऐसे अंतरण की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावा रहा है।
- (ii) आगे, संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय), नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम") के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार, सभी शेयरों जिसमें लगातार सात या उससे अधिक वर्षों के लिए लाभांश अदत्त और अदावे रहे हैं, को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचितानुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाएगा। अतः कंपनी सभी शेयरधारकों से आग्रह करती है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित लाभांश की भुनाई/दावा करें।
12. संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रकट होता है, वार्षिक आम बैठक में वोट देने का हकदार होगा।
13. कपटपूर्ण लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और किसी भी सदस्य के पते में परिवर्तन या मृत्यु के बारे में कंपनी को जल्द से जल्द सूचित करें। होल्डिंग का आवधिक विवरण संबंधित डीपी से प्राप्त किया जाना चाहिए और समय समय पर होल्डिंग्स का सत्यापन किया जाना चाहिए।
14. सदस्यों से अनुरोध है कि :
- (i) अपने संबंधित पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो, शीघ्र ही पिन कोड के साथ कंपनी/आरटीए को सूचित करें।
- (ii) अपने सभी पत्राचार में फोलियो संख्या उद्धृत करें।
- (iii) समान आदेशों में नामों के साथ बहुतायत फोलियो के मामले में, एक फॉलियो में होल्डिंग्स समेकित करें।
15. अनिवासी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे स्थायी बंदोबस्त के लिए भारत में वापस आने पर आवासीय पते में परिवर्तन शीघ्र ही कंपनी को सूचित किया जाए।
16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अनुसार बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, एजीएम के दौरान सदस्यों के निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज़ इस नोटिस

की प्रचलन की तारीख से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य secretary@cochinshipyard.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

17. सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को निम्नलिखित पते पर शेयरों से संबंधित सभी संचार भेजें:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड

सूर्या, 35, मईफलवर अवन्यू
सेंथिल नगर के पीछे, सौरीपालयम रोड
कोयंबतूर, तमिलनाडु - 641028
दूरभाष: +91 (422) 2314792, 2315792
ई-मेल: coimbatore@linkintime.co.in

18. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (संशोधितानुसार) के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी वार्षिक आम बैठक में लेनदेन करने के लिए अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लिए कंपनी ने प्राधिकृत अभिकरण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधार्थ नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ एक समझौता किया है। वार्षिक आम बैठक में दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए एक सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

19. रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को निदेश

- (i) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, सितंबर 26, 2021 को 09.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार सितंबर 28, 2021 को 17.00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि, बुधवार सितंबर 22, 2021 को सदस्य/ डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड, जैसा भी मामला हो, के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि, बुधवार सितंबर 22, 2021 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए।
- (ii) जिन शेयरधारकों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर दिया है, वे बैठक स्थल पर मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- (iii) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की प्रक्रिया और तरीका

एनएसडीएल ई- वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच**क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि**

ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिसंबर 09, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा आईडीईएस उपयोगकर्ता व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर एनएसडीएल की ई-सर्वीसेस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ई- सर्विसेस होम पेज पर लॉगिन के तहत बेनिफिशियल ओनर आइकन पर क्लिक करें जो आईडीईएस सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई- वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत एक्सेस टू ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप ई वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई- वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुन निर्देशित किया जाएगा। यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। आईडीईएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण चुने या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/Ideas DirectReg.jsp पर क्लिक करें। एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर URL https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज शुरू होने के बाद, लॉग-इन आइकन पर क्लिक करें जो शेयरधारक/ सदस्य अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा। निर्बाध मतदान अनुभव के लिए शेयरधारक/ सदस्य नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप एनएसडीएल स्पीड सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।

NSDL Mobile App is available on



शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी/ ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/ ईजीएस्ट में लॉग इन करने के लिए URL https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है और लॉग इन टैब के अंतर्गत न्यू सिस्टम माईईसी पर क्लिक करें।</p> <p>2. ईजी/ ईजीएस्ट के सफल लॉग इन के बाद उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेनू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें।</p> <p>3. यदि उपयोगकर्ता ईजी/ ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है।</p> <p>4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता डीमैट खाता संख्या और पैन प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं और इसके लिए लिंक https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin है या सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com में ई-वोटिंग टैब पर क्लिक करें। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।</p>
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखनेवाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	<p>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएस/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएस/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई वोटिंग वेबसाइट पर पुनः प्रेषित कर दिया जाएगा।</p>

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध **फॉरगेट यूजर आईडी/ फॉरगेट पासवर्ड** विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूत रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूत रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल से संपर्क कर सकते हैं या 022 – 23058738 या 022 – 23058542 – 43 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर कैसे लॉग इन करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर <https://www.evoting.nsdl.com> URL टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें।
2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, **लॉग इन** आइकन पर क्लिक करें जो **शेयरधारक/ सदस्य** अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगा। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई- सेवाओं यानी **आईडीईएस** के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com> पर लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉगिन कर लेते हैं, तो **ई-वोटिंग** पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दें।

4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है :

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या प्रत्यक्ष	आपकी यूजर आईडी है:
क) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए ।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** है।
ख) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए ।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12***** है।
ग) प्रत्यक्ष रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद समान संख्या उदाहरण के लिए, यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और समान संख्या 101456 है तो आपकी यूजर आईडी 101456001*** है।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:
 - (ii) यदि आपका ईमेल पता पंजीकृत नहीं है, तो कृपया **उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए चरणों का पालन करें जिनके ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं।**

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉग-इन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, आपको आरंभिक पासवर्ड पुनःप्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना आरंभिक पासवर्ड प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको आरंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

ग) आपका 'आरंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

- (i) यदि आपका ईमेल पता आपके डीमैट खाते में या कंपनी के पास पंजीकृत है, आपका 'आरंभिक पासवर्ड' आपको आपके ईमेल पते पर सूचित किया जाता है। अपने मेल बॉक्स से मेल खोलें और संलग्न यानी एक पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या प्रत्यक्ष रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ फाइल में आपकी यूजर आईडी और आपका आरंभिक पासवर्ड होता है।

(ii) यदि आपका ईमेल पता पंजीकृत नहीं है, तो कृपया **उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए चरणों का पालन करें जिनके ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं।**

6. यदि आप पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपको आरंभिक पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं।

क) **फॉरगेट उपयोगकर्ता विवरण/ पासवर्ड** पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रखते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ख) **प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?** (यदि आप प्रत्यक्ष रूप में शेयर धारण कर रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपना डीमैट खाता संख्या/ फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए एक अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (एक बार पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

- अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके **सहमत नियमों और शर्तों** पर टिक करें।
- अब, आपको **लॉग इन** बटन पर क्लिक करना होगा।
- लॉग इन बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हो

कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हो?

- चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों की 'ईवन' देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
 - रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान उस कंपनी का 'ईवन' चुनें जिसके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और मीटिंग के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको **ज्वाइन जनरल मीटिंग** के तहत दिए गए **वीसी/ओएवीएम** लिंक पर क्लिक करना होगा।
 - वोटिंग पेज खुलते ही अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हो जाता है।
 - उचित विकल्प अर्थात् सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट दें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/ संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और **सबमिट** पर क्लिक करें और **संकेत मिलने** पर पुष्टि भी करें।
 - पुष्टि होने पर, "मतदान सफल रहा (वोट कास्ट सक्सेसफुली)" संदेश प्रदर्शित होगा।
 - आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
 - एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iv) शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश
- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा को संगत बोर्ड के संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(यों) जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ स्कूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा cochin@mehta-mehta.com पर चिह्नित एक प्रति के साथ evoting@nsdl.co.in पर भेजने की आवश्यकता है।

- यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको **"फॉरगोट उपयोगकर्ता विवरण/ पासवर्ड?"** या **"भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड पासवर्ड?"** रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

- किसी भी प्रश्न/ शिकायत के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं। आप श्री अमित विशाल, सहायक उपाध्यक्ष, नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई- 400013 को ईमेल पते evoting@nsdl.co.in पर या टोल फ्री नंबर पर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 कॉल करके भी अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

- (v) यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया, जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है, और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु ईमेल पते के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

- यदि शेयर प्रत्यक्ष रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व- सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (स्व-प्रमाणित स्कैन की गई आधार कार्ड की प्रति) कंपनी के आरटीए को ईमेल द्वारा coimbatore@linkintime.co.in प्रदान करें।
- यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (एनएसडीएल-16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या सीडीएसएल-16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन कॉपी) कंपनी के आरटीए को ईमेल द्वारा पर प्रदान करें। यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप ऊपर चरण 1 (क) में बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें, यानी **ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना।**
- वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/ सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध कराकर ई-वोटिंग के लिए यूडर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दि.सं. 09, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपोजिटरी

प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता सही ढंग से अपडेट करना होगा।

20. वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश

- वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
- केवल वे सदस्य/ शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
- रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई- वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति ही होगा।
- एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति ही होगा।

21. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश

- सदस्य एजीएम के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में इसके बाद उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके शामिल हो सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
- एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से सदस्यों को वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के नाम के सामने **जॉइन जनरल मीटिंग** मेनू के तहत **वीसी/ओएवीएम** लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/ सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी

और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए ऊपर उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

- वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी।
- सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरा, यदि कोई हो, की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/ वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/ फोलियो नंबर, ईमेल, पता और मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए सितंबर 21, 2021 (08.00 बजे) से सितंबर 23, 2021 (16:00 बजे) तक speakers@cochinshipyard.in पर अपने पंजीकृत कर सकते हैं। एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार कंपनी पर निर्भर है।
- वे शेयरधारक जिन्होंने स्वयं को एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। प्रश्न की प्रासंगिकता और वक्ताओं के आदेश का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
- बैठक के समय वार्षिक खातों के संबंध में कोई भी जानकारी चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले कंपनी को अपने प्रश्न भेजे ताकि प्रबंधन को जानकारी तैयार रखने में सक्षम बनाया जा सके।

22. अन्य अनुदेश

- वे व्यक्ति जिन्होंने शेयर प्राप्त कर लिए हैं और सूचना प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं और 22 सितंबर 2021 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों को संभालते हैं, आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ई-मेल coimbatore@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर नोटिस और ई-वोटिंग संबंधी अनुदेश प्राप्त कर सकते हैं और www.evotingindia.com से या सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in से नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश डाउनलोड करें।

(ii) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित किए गए परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर अध्यक्ष या लिखित रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणामों के घोषित होने के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाएगा।

परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भेजे जाएंगे जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विवरण

मद संख्या. 6

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसरण में, कंपनी को कंपनी के लागू उत्पादों के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा के लिए एक लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता है।

बोर्ड ने जून 11, 2021 को आयोजित अपनी 260 वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में प्रतिवर्ष ₹ 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) और लागू करों के पारिश्रमिक पर मेसर्स बीबीएस और एसोसिएट्स, लागत लेखाकारों (फर्म पंजीकरण संख्या 00273) को नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(3) के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

तदनुसार, बोर्ड सामान्य संकल्प के माध्यम से कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, नोटिस के मद संख्या 6 के संकल्प में संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

**श्यामकमल एन
कंपनी सचिव**
स.सं. A25337

कोची

सितंबर 06, 2021

पंजीकृत कार्यालय :

प्रशासनिक भवन

कोचीन शिपयार्ड परिसर

पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल – 682015

सीआईएन: L63032KL1972GOI002414

दूरभाष: +91 (484) 236 1306

ई-मेल: secretary@cochinshipyard.in

वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

49 वीं वार्षिक साधारण बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति मांगनेवाले निदेशकों का विवरण

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और के विनियम 36 (3) और साधारण बैठक में सचिवीय मानक-2 के अनुसार

निदेशक का नाम	श्री बिजोय भास्कर
डीआईएन	08103825
आयु	56 वर्ष
जन्मतिथि	मई 07, 1965
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	अप्रैल 05, 2018
संक्षिप्त विवरण	श्री बिजोय भास्कर ने अप्रैल 05, 2018 को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्हें सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया के माध्यम से पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पूर्व पोत परिवहन मंत्रालय) द्वारा निदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्त किया गया था। वह जून 29, 1988 को एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में कंपनी में शामिल हुए और कंपनी के साथ 33 से अधिक वर्षों का कार्य अनुभव है। उसकी रूपरेखा संलग्न वार्षिक रिपोर्ट के पहले भाग में दी गई है।
योग्यता	उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) की डिग्री प्राप्त की है। उनके पास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (मेकानिकल) की डिग्री भी है। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा पूरा किया है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री बिजोय भास्कर अप्रैल 05, 2018 से कंपनी के निदेशक (तकनीकी) हैं। वह जून 29, 1988 को एक कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में कंपनी में शामिल हुए। उनके पास कंपनी के साथ 33 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है जिसमें वे कंपनी के पोत डिजाइ, पोत निर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत प्रभागों में शामिल थे। उन्हें 2014 में केरल मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा वर्ष का प्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	उन्हें अप्रैल 05, 2018 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पूर्व में पोत परिवहन मंत्रालय) के आदेश एफ संख्या एसवाई- 11012/4/2017- सीएसएल दिनांक अप्रैल 04, 2018 के अनुसार नियुक्त किया गया था। उनके रोजगार के वर्तमान नियम और शर्तें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के आदेश संख्या एसवाई- 11012/4/2017 - सीएसएल दिनांक सितंबर 13, 2018 द्वारा निर्धारित हैं।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण (वि.व. 2020-21)	₹ 57.38 लाख
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) में निदेशकता	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) टेबमा शिपयार्डस लिमिटेड (टीएसएल) (सीएसएल द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
समितियों में सदस्यता/अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की सं.	6/6
कंपनी में संभाले शेरों की सं.	
(क) स्वयं	510
(ख)लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य
अन्य निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



COCHIN SHIPYARD LIMITED



MAKING INDIA PROUD

Annual Report
2020-21

INSIDE THE REPORT

Scan QR code or click the link below to visit our website



<https://cochinshipyard.in/>



FORWARD-LOOKING STATEMENTS

Some information in this report may contain forward-looking statements which include statements regarding Company's expected financial position and results of operations, business plans and prospects etc. and are generally identified by forward-looking words such as "believe", "plan", "anticipate", "continue", "estimate", "expect", "may", "will" or other similar words.

Forward-looking statements are dependent on assumptions or basis underlying such statements. We have chosen these assumptions or basis in good faith, and we believe that they are reasonable in all material respects. However, we caution that actual results, performances or achievements could differ materially from those expressed or implied in such forward-looking statements. We undertake no obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

CORPORATE OVERVIEW

- 02 About Us
- 04 Delivering Value
- 06 Global Customer Footprint & Pan India Presence
- 09 Our Offerings
- 10 The Made in India, Made for India Aircraft Carrier
- 12 Major Expansion Projects
- 14 Sustaining Performance Amidst Challenges
- 16 Performance Highlights of the Year
- 18 Chairman's Address
- 24 Board of Directors
- 26 Our People
- 28 Safe, Healthy and Clean Environment
- 29 Corporate Social Responsibility
- 30 Corporate Information

STATUTORY REPORTS

- 31 Directors' Report
- 88 Report on Corporate Governance
- 111 Management Discussion and Analysis Report
- 120 Business Responsibility Report

FINANCIAL STATEMENTS

- 129 Independent Auditors' Report (Standalone)
- 139 Comments of the C&AG (Standalone)
- 140 Standalone Financial Statements
- 203 Independent Auditors' Report (Consolidated)
- 209 Comments of the C&AG (Consolidated)
- 210 Consolidated Financial Statements

NOTICE

277

ABOUT US

COCHIN SHIPYARD LIMITED (CSL) WAS INCORPORATED IN THE YEAR 1972 AS A FULLY OWNED GOVERNMENT OF INDIA COMPANY. PRESENTLY, THE GOVERNMENT OF INDIA HOLDS 72.86% OF EQUITY SHARE CAPITAL IN THE COMPANY. IN THE LAST FOUR DECADES, THE COMPANY HAS EMERGED AS A FORERUNNER IN THE INDIAN SHIPBUILDING & SHIP REPAIR INDUSTRY AND ALSO A WELL-KNOWN PLAYER ON THE GLOBAL SHIPBUILDING FRONT.

The Company has built and repaired some of the largest ships in India and is presently building the prestigious Indigenous Aircraft Carrier for the Indian Navy. Over the years, CSL has successfully responded to fluctuations in the shipbuilding requirements of the markets and have evolved from building bulk carriers to smaller and more technically sophisticated vessels such as Platform Supply Vessels (PSV) and Anchor Handling Tug Supply Vessels (AHTS). CSL has worked with several leading technology firms in the industry including Rolls Royce Marine (Norway), GTT (France), Vard Group (Norway) etc. CSL has exported 47 vessels to some of the most demanding clients in Norway, Netherlands, Cyprus, USA, Germany, Denmark/ Bahamas, Saudi Arabia and UAE. This has added to our credibility in the international market. Our key shipbuilding clients on the domestic front include, the Indian Navy, the Indian Coast Guard, the Shipping Corporation of India Limited, Lakshadweep Government, various Port Trusts, Inland Waterways Authority of India (IWA), A&N Administration, Directorate General of Lighthouses and Lightships (DGLL) and Jindal Steel Works (JSW) group. CSL has also undertaken repairs of various types of vessels including upgradation of ships of the oil exploration industry as well as periodical maintenance, repairs and life extension of ships. CSL is presently one of the best performing shipyards in India.



DELIVERING VALUE



OUR VISION

- Emerge as an internationally preferred shipyard to construct world class Merchant and Naval ships, offshore vessels and structures.
- Be the market leader in India for ship repairs, including conversions and up-gradation.
- To be admired for our achievements, respected for our ethics and trusted for our service excellence by our valued customers.



OUR MISSION

- To build and repair ships and off-shore structures to international standards and provide value added quality engineering services.
- Sustain corporate growth in competitive environment.
- To adopt and undertake practices towards becoming a responsible corporate citizen.



OUR OBJECTIVES

- To sustain and enhance shipbuilding and ship repair activities through technology up-gradation and capacity augmentation.
- To continuously endeavour to expand/diversify activities of the shipyard including setting up new facilities.
- To carry out research & development in existing and emerging technologies in shipbuilding processes.
- To move towards international benchmarking, benchmark with the best shipbuilding standards followed in India.
- To motivate employees through improved specific training programs. To adopt best practices for clean and safe environment. Ride the down time with aggressive bidding and secure orders to maximize capacity.
- To ensure positive customer oriented initiatives.
- To build a responsible corporate citizen image through CSR & sustainability projects and compliance to corporate governance principles.

GLOBAL CUSTOMER FOOTPRINT & PAN INDIA PRESENCE



OUR FACILITIES

COCHIN SHIPYARD LIMITED (CSL), KOCHI
 Dry-dock 1 : 255 x 43 x 9 Mtr
 Dry-dock 2 : 270 x 45 x 12 Mtr
 Dry-dock 3 : 310 x 75/60 x 13 Mtr (New)
 Berth : 1.3 KM

INTERNATIONAL SHIP REPAIR FACILITY (ISRF), KOCHI
 Shiplift : 6000T (130 x 25 Mtr)
 6 Work Stations
 Dedicated Shops & Maritime Park

CSL MUMBAI SHIP REPAIR UNIT (CMSRU), MUMBAI
 Dry-dock : 300 x 30 x 9 Mtr
 1 KM berth for afloat repairs

CSL KOLKATA SHIP REPAIR UNIT (CKSRU), KOLKATA
 Dry-docks : 172 x 23 x 8 Mtr (2 nos)

CSL-ANDAMAN & NICOBAR SHIP REPAIR UNIT (CANSRU), PORT BLAIR
 Dry-dock 1 : 88 x 20 x 7 Mtr
 Dry-dock 2 : 68 x 16 x 5 Mtr
 Slipways : 25 x 8 Mtr (5 nos)

OUR WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES

HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED (HCSL), KOLKATA
 Subsidiary Yard for Inland Vessels
 Slipway : 136 x 40 Mtr
 3 Outfitting Jetties

TEBMA SHIPYARDS LIMITED (TSL), MALPE
 Subsidiary Yard for Medium Size Vessels
 Slipway : 96 x 22 Mtr

OUR OFFERINGS

CORE

Shipbuilding

Ship Repair

DEFENCE

- Aircraft Carriers
- Next Generation Missile Vessels
- Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts
- Technology Demonstration Vessel
- Floating Border Outposts Vessels
- Fast Patrol Vessels
- Hydrographic Survey Vessels
- Offshore Patrol Vessels
- Pollution Control Vessels

COMMERCIAL

- Oil Tankers
- Bulk Carriers
- Dredgers
- Pax Vessels
- Tugs
- Special Purpose Vessels
- Deck Cargo/Jacket Launch Barges
- Electric Autonomous Vessels
- Electric Passenger Ferries
- Ro-Ro Vessels
- Ro-Pax Vessels
- Specialised Fishing Vessels
- Marine Ambulance

OFFSHORE

- Platform Supply Vessels
- Anchor Handling/Tug Supply Vessels
- Multi-Purpose Vessels
- Specialised Construction of Support Vessels

- Maintenance and repairs of Aircraft Carriers and other Defence Vessels
- Repairs and maintenance of Tankers, Bulk Carriers, all kinds of Commercial and Specialised vessels
- Oil Rig Upgradation, Repair Projects and Conversions

Others

- Marine Engineering Training
- Strategic and Advanced Solutions

PRODUCT PORTFOLIO



THE MADE IN INDIA MADE FOR INDIA AIRCRAFT CARRIER

INDIA'S MOST COMPLEX WARSHIP INDIGENOUSLY BUILT BY COCHIN SHIPYARD LIMITED (CSL) FOR THE INDIAN NAVY COMMENCED ITS SEA TRIALS IN AUGUST 2021. THE INDIGENOUS AIRCRAFT CARRIER (IAC) IS THE FIRST AIRCRAFT CARRIER DESIGNED AND BUILT IN INDIA CATAPULTING INDIA INTO AN ELITE LEAGUE OF COUNTRIES CAPABLE OF BUILDING COMPLEX AIRCRAFT CARRIERS. THE CARRIER IS A MINI FLOATING CITY, WITH A FLIGHT DECK AREA COVERING THE SIZE OF TWO FOOTBALL FIELDS WITH APPX. 2,000 KMS OF CABLING AND 120 KMS OF PIPING.

IAC, THE LARGEST WARSHIP BUILT IN THE COUNTRY, IS A TRUE REFLECTION OF THE MAKE IN INDIA AND AATMANIRBHAR BHARAT INITIATIVES OF THE GOVERNMENT OF INDIA.

IAC STATS

1,700
Crew

14
Decks

2,300
Compartments

PERFORMANCE

28 Knots
Top Speed

18 Knots
Cruising Speed

7,500 Nautical Miles
Endurance

DIMENSIONS

262 M
Length

62 M
Width

59 M
Height

40,000 Tonnes
Displacement



MAJOR EXPANSION PROJECTS

NEW DRY-DOCK

CSL is in the process of setting up a New Dry-dock. The New Dry-dock measuring 310 x 75/60 x 13m with a 600T Gantry crane will be capable of handling vessels upto Suezmax, Aircraft Carriers of 70000T displacement, Jack-up rigs, LNG vessels etc.

HOW WE ARE PROGRESSING

The construction activities commenced in June 2018 is progressing despite the setbacks caused by COVID-19 pandemic. Ground improvement works, cofferdam works, dock wall sheet pile installation works has been completed. Further, around 70% of RCC piling have also been completed. The facility is targeted to be commissioned in FY 2022-23.




INTERNATIONAL SHIP REPAIR FACILITY (ISRF)

The ISRF will modernise and expand the existing ship repair facility in CSL. The ISRF includes 6000T shiplift for ships upto 130 x 25 m with six work stations and allied facilities. It has a total outfitting berth of 1500 meters approx.

HOW WE ARE PROGRESSING

The construction works of ISRF project, which commenced in November 2017, is progressing despite the setbacks caused by COVID-19 pandemic. 100% piling work and more than 87% of the deck concreting work have been completed. The facility is expected to be commissioned in the latter part of the calendar year 2022.




SUSTAINING PERFORMANCE AMIDST CHALLENGES

FINANCIAL PERFORMANCE


TURNOVER

(₹ in Crores)




PAT

(₹ in Crores)




NET WORTH

(₹ in Crores)




PBT

(₹ in Crores)




EPS

(₹)



CAPITAL EMPLOYED

(₹ in Crores)



10-YEAR PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Key Indicators	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
EPS (₹ per share)	46.38	48.48	35.72	31.03	28.39	24.07	20.75	17.15	16.35	15.21
Face Value Per Share (₹)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
EBDIT/ Gross Turnover (%)	32.43	27.95	26.97	27.76	26.35	23.52	22.81	20.37	20.45	20.21
Net Profit Margin %	21.64	18.63	16.23	16.85	15.62	13.73	12.64	11.75	11.92	12.27
Return on Net Worth %	15.34	17.09	14.44	12.19	15.85	15.09	15.06	14.15	15.76	16.40
Return on Capital Employed %	15.56	16.85	15.94	12.35	15.39	16.15	14.50	13.97	19.08	18.76

(₹ in Crores)

Particulars	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
Turnover	2818.90	3422.49	2965.60	2355.12	2058.87	1993.45	1859.51	1652.66	1554.16	1404.85
Total income	3012.76	3669.99	3192.89	2544.28	2217.50	2107.37	1952.97	1728.64	1642.33	1481.54
Profit Before Tax (PBT)	810.59	863.43	751.38	604.86	493.40	419.65	367.56	290.96	275.55	252.97
Depreciation & write offs	53.07	48.73	34.16	37.51	38.51	37.19	38.33	26.43	19.22	18.07
Profit After Tax (PAT)	610.10	637.69	481.18	396.75	321.55	273.79	235.07	194.24	185.27	172.33
Equity Share Capital	131.54	131.54	131.54	135.94	113.28	113.28	113.28	113.28	113.28	113.28
Reserves & Surplus	3846.03	3600.25	3200.54	3119.93	1915.30	1701.05	1447.79	1239.25	1062.42	898.41
Net Worth	3977.57	3731.80	3332.08	3255.87	2028.58	1814.33	1561.07	1352.53	1175.70	1050.83
Gross Fixed Assets	903.96	853.82	426.69	369.79	357.72	569.53	636.84	602.38	444.35	376.73
Net Fixed Assets	698.41	696.54	313.03	284.47	302.85	296.44	377.44	383.41	247.30	192.61
Number of Employees	1727	1710	1744	1781	1829	1671	1786	1751	1656	1900

PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE YEAR

July 15, 2020

Signed contracts with ASKO Maritime AS, Norway for construction of 2 Autonomous Electric Ferry with an option to build two more identical vessels.

August 24, 2020

Plate cutting of the aluminium hull of the hybrid electric passenger boats for Kochi Metro in the presence of Shri Alkesh Kumar Sharma IAS, MD, KMRL and Shri Madhu S Nair, CMD, CSL.

August 27, 2020

Delivery and Flag-off of 1 Marine Ambulance Boat for Department of Fisheries, Government of Kerala by Shri Pinarayi Vijayan, Hon'ble Chief Minister of Kerala through Video Conferencing.

September 28, 2020

CSL delivered 2 RO-RO Vessels for Inland Waterways Authority of India (IWAI).

October 07, 2020

Certified for GreenCo Silver Rating by the Confederation of Indian Industry (CII), becoming the first company in the Shipping Sector to bag GreenCo Rating.

October 27, 2020

CSL signed MoU with M/s. Fincantieri, Italy for co-operation in the areas of design, shipbuilding, ship repair, marine equipment manufacturing, besides training & skill development.

November 12, 2020

Launched 2 8000 DWT Mini General Cargo Ships for JSW Shipping & Logistics Private Limited by Smt. Rameetha K, Scientist 'G', NPOL (DRDO) w/o. Shri Madhu S Nair, CMD, CSL.

November 12, 2020

Launched 3 Floating Border Outpost Vessels for Border Security Force (Ministry of Home Affairs) by Smt. Rameetha K, Scientist 'G', NPOL (DRDO) w/o. Shri Madhu S Nair, CMD, CSL.

November 12, 2020

Keel laying of 2 8000 DWT Mini General Cargo Ships for JSW Shipping & Logistics Private Limited by Shri Madhu S Nair, CMD, CSL.

November 25, 2020

Plate Cutting of 2 ASKO Autobarge SP for M/s. ASKO Maritime AS, Norway jointly by Mr. Torbjorn Johannsan, Chairman of the Board of ASKO and Shri Suresh Babu N V, Director (Operations), CSL.

November 30, 2020

Successful completion of Basin Trials of Indigenous Aircraft Carrier (IAC) in the presence of Vice Admiral AK Chawla, PVSM, AVSM, NM, VSM, ADC, Flag Officer Commanding-in-Chief, Southern Naval Command and Shri Madhu S Nair, CMD, CSL.

December 01, 2020

Steel cutting of 1 Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft for Indian Navy by Vice Admiral G Ashok Kumar, PVSM, AVSM, VSM, Vice Chief of Naval Staff.

December 23, 2020

CSL signed MoU with Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), a wholly owned subsidiary of CSL, for the effective utilisation of resources and infrastructure facilities available at CSL Kolkata Ship Repair Unit and HCSL.

January 28, 2021

Vessel delivery and Flag-off of 2 Marine Ambulance Boats for Department of Fisheries, Government of Kerala by Smt. J Mercykutty Amma, Hon'ble Minister of Fisheries, Harbour Engineering and Cashew Industry, Government of Kerala.

February 14, 2021

Inauguration of new Marine Engineering Training Institute, 'Vigyana Sagar' of CSL by Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister of India.

February 24, 2021

CSL signed MoU with Dredging Corporation of India and IHC Holland BV, in the presence of Shri Mansukh L Mandaviya, Minister of State (I/C) for Ports, Shipping and Waterways, to make world-class dredgers.

February 26, 2021

CSL signed MoU with Robert Allan Limited, Canada for Design and Consultancy services for Tugs, Inland Vessels, Harbour Crafts and Specialized Vessels.

March 05, 2021

Commencement of block fabrication of 3 Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts for Indian Navy.

March 27, 2021

CSL delivered 1 500 Pax passengers cum 150 Tons Cargo Vessel named 'Sindhu' for Andaman and Nicobar Administration.

March 31, 2021

Launched 1 Hybrid Electric Passenger Boat for Kochi Metro in the presence of Shri Alkesh Kumar Sharma IAS, MD, KMRL and Shri Madhu S Nair, CMD, CSL.



CHAIRMAN'S ADDRESS



Dear Shareholders,

It is my pleasure to present to you the Annual Report FY 2021 for Cochin Shipyard Limited (CSL). The year under review has been extremely difficult for humanity and economies at large. With global GDP shrinking, businesses across the world encountered many challenges. The coronavirus pandemic has left businesses to grapple with a complex range of problems – of supply-chain and logistical disruptions, cash realisation issues etc. With various measures like enforcing containment measures, constantly rearranging operations, keeping a tight leash on cash, curtailing on discretionary spend etc., companies have tried to adapt to the changing market dynamics – the New Normal.

YEAR IN REVIEW

It has been a difficult year for CSL as well. As the year commenced with unfortunate breakout of the virus, numerous containment measures were implemented, that included social distancing, remote working, and the shutdown of operations. This left an impact in first quarter of the fiscal, but we managed to sail through the crisis by focusing on operating with agility and developing effective response strategies.

With effect from May 06, 2020, the Company resumed its operations at the main Yard at Kochi with entire permanent workforce. We had to

2,819

Revenue from operations
(₹ in Crores)

610

PAT
(₹ in Crores)

“In August 2021, the CSL built Indigenous Aircraft Carrier (IAC) proceeded for her maiden sea trials thereby making India join a select group of nations in the world to have developed an aircraft carrier indigenously.”

rearrange our entire operations in two shifts with some overlaps. This transformation was quite challenging for us not having operated in this mode for over three decades. Taking such adversities in our stride, we explored new possibilities and chartered pathways towards sustainable growth.

FINANCIAL PERFORMANCE

Speaking in terms of financials, our revenue from operations registered a figure of ₹2,819 crores. Profit after tax (PAT) clocked a figure of ₹610 crores, compared to ₹638 crores in the previous year. Had it not been a pandemic year, we would have expected higher operating revenue on the back of our Pan India operations. Regardless of this fact, our PAT margin stood at a healthy 21.64% for the year as against 18.63% for the previous year. On the liquidity front, we have remained strong. Although there has been difficulties in collecting receivables from a few customers on account of the pandemic, the liquidity position of the Company remained unaltered. In March 2021, our credit rating with respect to long term borrowings was upgraded to AAA from AA+ by CARE, which shows the exceptional liquidity strength of CSL. This positions us to avoid any foreseeable impact from debt servicing. In totality, CSL stands well-equipped to weather the crisis.

ACHIEVEMENTS

During the year, CSL delivered 13 vessels viz., 500 Pax Vessel for A&N Administration, Ro-Ro Ferries for IWAI, Marine Ambulance Boats for Fisheries Department of Government of Kerala, Specialised Fishing Boats for the beneficiaries of Tamil Nadu and Brows and Pontoons for Indian Navy. CSL also delivered one of the 4 nos. of Mini Bulk Carrier to JSW Shipping & Logistics Private Limited in May 2021.

In August 2021, the CSL built Indigenous Aircraft Carrier (IAC) proceeded for her maiden sea trials thereby making India join a select group of nations in the world to have developed an aircraft carrier indigenously. During the sea trials, the propulsion plants were put to rigorous testing at the sea in addition to the trials of various navigation communication and hull equipment. The successful completion of the first round of sea trials during these difficult times is a landmark achievement for CSL as well as for the entire nation.

CSL in its commitment to adhere to sustainable business practices earned the distinction of becoming the first company in the Shipping sector to be certified by Confederation of Indian Industry (CII) for the 'GreenCo' certification with a Silver rating. The GreenCo silver rating is expected to pave the way for CSL to put up a strong long-term roadmap for ecologically sustainable business growth.

CHAIRMAN'S ADDRESS

EXPANSION PLANS

CSL is in the process of executing two of its major expansion projects viz., the New Dry-dock and ISRF. Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic the works under both the projects could not gather pace as planned. Further, on the ISRF project, the turnkey contractor has faced financial challenges due to reasons elsewhere, and this has impacted the progress on the project. However, despite the above, 100% marine piling works and more than 87% of the deck concreting works have been completed and various industrial buildings are in the advanced stages of completion. The facility is expected to be commissioned during the latter part of calendar year 2022. With respect to the New Dry-dock project, around 70% of RCC piling have been completed. Further, ground improvement works, cofferdam works, dock wall sheet pile installation works has also been completed. Though there are still difficulties, we retain target to complete the project by December 2022.

Since the past two years, CSL has been expanding to the west and east coast lines of India and has set up Ship repair units at Mumbai, Kolkata and Port Blair. During the year the pandemic had affected the operations in ship repair units and Mumbai unit could undertake repairs of 20 vessels and the Kolkata unit had undertaken 3 projects. The process of positioning the manpower to ramp up operations in the ship repair units is underway. The initial set of executives have been positioned at Port Blair

for developing the ship repair eco system and we expect to commence operations at Port Blair soon.

During September 2020, CSL took over Tebma Shipyards Limited (TSL) through the statutory insolvency resolution process, making it the second wholly owned subsidiary of CSL. Post takeover, the initial set of personnel has been positioned for resuming operations and the process of recruiting the necessary manpower is progressing well. The process of revamping the infrastructure facilities of TSL at Malpe is at the advanced stage and the Hangakatta facility has been made operational since end July 2021. TSL is a compact yard best suited to build specialised small and medium sized vessels and CSL expects to penetrate new markets through TSL.

CSL's other wholly owned subsidiary viz., Hooghly Cochin Shipyard Limited sailed through its project phase with only marginal delays. Despite the pandemic difficulties, and problems created by the cyclones, the new yard construction at the Nazirgunge unit of HCSL is in the final stages and will be ready for operations in September 2021. The yard is designed to deliver high quality, niche vessels for inland waterways. It is expected that the efforts being made by the Government of India/ Inland Waterways Authority of India (IWAI) will spur new growth avenues in this segment.

Aligning with Company's long term strategy, a dedicated division named Cochin Shipyard Strategic

and Advanced Solutions (C-SAS) was formed to tap new revenue generation streams beyond the current Shipbuilding & Ship Repair portfolios and to enable CSL venture into the arena of strategic and knowledge driven future technologies in the maritime sector. The core activities of Shipbuilding & Ship Repair will remain with focused efforts on increased operational efficiencies and revenues, the new stream(s) would augment revenue generation possibilities further.

All these initiatives in shipbuilding and ship repair, the geographical expansion and formation of C-SAS has been in-line with the Company's long term strategic exercise viz., CRUISE 2030 which we have undertaken along with the Boston Consulting Group who have been with us over the last two years. The association with BCG enabled us to work together on various trajectories and identify new business verticals for growth.

CORPORATE GOVERNANCE

The Company continued to comply with good corporate governance practices. The Company complies with the applicable regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and also the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises, except with respect to the composition of Board of Directors viz., appointment of Independent

*“During the year the Company shifted its 27 year old Marine Engineering Training Institute to a new **70,000 sq. ft. Knowledge and Skill Development Centre ‘Vigyana Sagar’, which is spread across 3.5 acres land.**”*

Directors including a Woman Director and consequent compliances related to Statutory Committees. CSL being a government company, the power to appoint Directors vests with the Government of India and the Company has provided necessary intimations to the Administrative Ministry for filling up the post of Independent Directors including a Woman Director. We hope to have the Independent Directors soon after which the Statutory Committees will also be re-constituted. The Company also submits its quarterly progress reports on corporate governance within 15 days from the close of each quarter to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways as recommended by the DPE in this regard. The Report on Corporate Governance forms part of the Directors' Report.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

People have been a great strength in our Company, and we constantly look for ways to develop their skillsets and help them advance in careers. Besides, their health and welfare have also been a great concern for us. During the pandemic, we enforced strict health measures in all operational areas. Despite the fact that several COVID cases surfaced in our operational course, mostly from Kerala, we tackled the situation effectively and provided best treatment for our employees.

In the new normal business scenario, the training and development

programs to the workforce were conducted on virtual medium. At a time when the COVID-19 pandemic forced the institutes to cut down on programs, the Company nominated its employees to various online training programs. These include training on ISO 45001:2018, various Management Development Programs (MDP), programs covering topics like “Mergers, Acquisitions and Restructuring”, “Contract Management”, “Balancing Operational Focus with Risk Management” and various other programs conducted by leading institutes like IIM's, ISB and technical programs like “Hydrodynamics in Ship Design”, conducted by reputed institutes like MARIN, Amsterdam. The employees were also given customised internal and external trainings during the year.

During the year, the Company shifted its 27 year old Marine Engineering Training Institute to a new 70,000 sq. ft. Knowledge and Skill Development Centre ‘Vigyana Sagar’, which is spread across 3.5 acres land. The Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi dedicated ‘Vigyana Sagar’ to the nation on February 14, 2021. The facilities would also be used for internal training to the Company's work force.

As part of the ‘Skill India’ initiatives, CSL on a yearly basis trains close to 200 Graduates and Diploma holders in Engineering, and Vocational streams, 300 ITI trade apprentices from the various Industrial Training Institutes every year under the Apprentices Training Scheme.

CHAIRMAN'S ADDRESS

INDUSTRIAL RELATIONS

In March 2021, the referendum for recognizing trade unions was conducted in CSL, therein 2 unions namely Cochin Shipyard Employees Federation (CSEF) and Cochin Shipyard Employees Organisation (CSEO) have secured the recognition status as per the norms stipulated for recognition. The recognized trade unions continued to exhibit their true allegiance to the enhanced productivity and economic sustainability of the Company and the industrial relations climate remained cordial throughout the year. Employees and their dependents welfare and wellbeing were also well taken care through various voluntary schemes.

RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D)

CSL constantly engage in industrial research, experimental development and process innovation in order to improve existing products, processes and services and to expand our knowledge base to support our entry into promising new market sectors worldwide. During the year, in-house R&D activities have been undertaken mainly in the areas of welding procedure development and qualification of welders.

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

CSL maintained its Integrated Management System (IMS) under the ISO 9001:2015 Quality Management

System and ISO 14001:2015 Environmental Management System standards. CSL upgraded its Health and Safety Management System to the latest ISO 45001:2018 in September 2020.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

During the year, the Company has spent ₹15.27 crores against the target mandatory CSR spending of ₹14.80 crores. The Company focused on the theme "Healthcare and Nutrition" as prescribed by the Government of India and spent around 59% of its total CSR funds under 48 projects. Further, in the aspirational district of Wayanad, CSL has committed 8 projects, predominantly for the benefit of the tribal community with a total budget of ₹244.00 lakhs, which are at various stages of implementation and during the year an amount of ₹71.00 lakhs have been disbursed.

COMBATING COVID-19

We strive to create a difference in the community and the environment surrounding us. In response to COVID-19 and rising demand for medical assistance, Cochin Shipyard has allocated Rs. 50 lakhs towards installation of Centralized Oxygen Distribution Facilities at five Government Hospitals in Kerala. We remain committed to supporting community come out stronger against COVID-19 and constantly look for ways to empower them to the best

of our abilities. We also conducted vaccination drive to all our employees including their family members and to the community around our main Yard at Kochi and extended all support to assist the community to tide over these testing times.

ACCOLADES

The Company continued its exceptional performance with reference to the MOU parameters set by GOI for the year 2020-21. However, the final rating under the MOU is yet to be received. The efforts of the Company in various fields were also recognised by the society/authorities in the form of awards inter alia including the 'Roll of Honour' award instituted by the Dalal Street Investment Journal for the fastest growing 'Miniratna' manufacturing company for the year, Safety award from Factories & Boilers Department, Government of Kerala under the category of very large factories in engineering, automobile, textile and coir, CSR Leadership Award 2021 and various awards for implementation of official language.

OUTLOOK

On our organic front, we have aimed towards subtle transformations in the organization. Recently, we structured a new division, named C-SAS (Cochin Shipyard Strategic and Advance Solutions), in an attempt to diversify from our predominant segments of shipbuilding and ship repairs. We look forward to this newer technology sector with high potential in electric

"Initiatives like 'Make in India' and 'Aatmanirbhar Bharat' are also forging new avenues to our business. We concluded a comprehensive MoU with the Fincantieri Group of Italy which is a leading shipbuilding technology group in Europe, covering various potential areas of long-term cooperation."

mobility, since we are the forerunners in electric mobility within the Marine space.

Initiatives like 'Make in India' and 'Aatmanirbhar Bharat' are also forging new avenues to our business. We concluded a comprehensive MoU with the Fincantieri Group of Italy which is a leading shipbuilding technology group in Europe, covering various potential areas of long-term cooperation. I am very happy to inform the association with M/s. IHC Holland, which is the world's number one dredger technology company, to build dredgers in CSL for the Indian market under the 'Aatmanirbhar Bharat' initiative. We have also entered into an MOU with the reputed Tug and workboat designer M/s. Robert Allan, Canada, whose vessels often set the benchmark in the segment.

On our shipbuilding front we have an order book of around ₹11,700 crores. Further, CSL has emerged L1 in the 6 vessel tender from the Indian Navy for the Next Generation Missile Vessels worth about ₹10,000 crores and the formal contract signing

is expected shortly. We are also aggressively pursuing other projects including potential orders from Europe. Thus, the overall outlook for our Shipbuilding segment is positive.

With strong demand visible for our ship repair services at the main yard at Kochi, and given the fact that units at Mumbai, Kolkata and Port Blair will function as fully standalone revenue centres, the Ship Repair segment continues to be holding promise of strong growth.

ACKNOWLEDGEMENT

I am privileged to be heading CSL while we are celebrating the Company's 50 glorious years of delivering value and being in the service of the Nation. I am indeed thankful to the Government of India for reposing faith and extending my tenure as CMD for a further term of 5 years. CSL was incorporated in March 1972 and since then the Company has grown leaps and bounds with its strong determination and commitment. It was never been easy for CSL and the Company stood

tall and tided over adversities which enabled the Company to grow from scratch to a multilocational Company with global customer following. CSL has performed well in extremely challenging and competitive business environment by portraying its competitive advantage and capabilities. I have been fortunate to have associated with CSL right from the start of my career and to grow along with the Company. At this stage of its journey, I am extremely happy that CSL is in a subtle transformation targeting sustained growth, exploring new technology avenues with a well-crafted strategic plan.

I take this opportunity to acknowledge the efforts of my fellow Board members and the senior management team for their commitment and support in steering the organisation in the right direction. I also thank the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, other offices of the Government of India, Governments of Kerala, West Bengal, Maharashtra, Karnataka and the Andaman and Nicobar Administration for their continued support. I remain grateful towards our shareholders, customers and all our employees for bestowing us with all your trust and support.

Thanking You

Jai Hind

Madhu S Nair

Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

BOARD OF DIRECTORS



SHRI MADHU S NAIR assumed charge as the Chairman & Managing Director of the Company on January 01, 2016. He holds a degree of Bachelor of Technology (Naval Architecture and Ship Building) from Cochin University of Science & Technology in first class and Masters in Engineering (Naval Architecture and Ocean Engineering) from Osaka University, Japan. He has more than 33 years of professional experience with the Company since joining as Executive Trainee in June 1988 in the entire gamut of Shipyard management. He was the key driver in forging alliances with international technology partners. He was also instrumental in conceptualizing the Small Ship Division and key player in bagging international contracts while he was heading the Marketing Division. Under his leadership, CSL became a listed company after a very successful Initial Public Offer. During his tenure, CSL is undertaking two major expansion projects worth ₹ 2,769 crores. Also CSL is making foray into the Inland waterways transport vessel segment and small/medium sized specialized vessels segment by setting up wholly owned subsidiaries at Kolkata and Malpe. CSL has forged alliance with the Major Port Trusts in India viz., Mumbai Port Trust and Kolkata Port Trust for developing and operating

Ship Repair ecosystems and setting up separate units in those ports. CSL also established a unit at Port Blair. He is trained in shipbuilding systems at IHI Shipyard at Kure, Japan and undergone JICA Specialized training at Overseas Vocational Training Centre (OVTA), Tokyo and Osaka International Centre, Osaka, Japan and did research in Joining & Welding Research Institute, during Masters in Engineering at Osaka University, Japan. He is a member of various Professional bodies including The Royal Institution of Naval Architects, UK (RINA), Institution of Naval Architects, India and is presently serving as the President of Indo Japan Chamber of Commerce Kerala (INJACK). He is a strong believer in power of people and the "people first policy" conceived by him is aimed at steering CSL into a knowledge organization. He is also the Chairman of Hooghly Cochin Shipyard Limited and Tebma Shipyards Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.



SHRI BEJOY BHASKER assumed charge as the Director (Technical) of the Company on April 05, 2018. He holds a Degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a Degree of Master of Technology

(Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He has completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He joined the Company on June 29, 1988 as an executive trainee. He was awarded the "Manager of the Year" award in 2014 by Kerala Management Association. He has more than 33 years of work experience with the Company wherein he was involved in Ship Design, Ship Building, Outfit and Ship Repair divisions of the Company. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited and Tebma Shipyards Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.



SHRI JOSE V J assumed charge as Director (Finance) and Chief Financial Officer of the Company from August 2019. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam. He has approximately 30 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also heading the Information Systems Department of the Company. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited and Tebma Shipyards Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.



SHRI SANJAY BANDOPADHYAYA IAS is a Part Time Official (Nominee) Director of the Company representing Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India from February 03, 2020. He is a 1988 Batch IAS Officer of Madhya Pradesh Cadre. He is presently posted as Additional Secretary to Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways and is entrusted with all policies, operations and development work related to Ports, Shipping, Shipbuilding & recycling, International Co-operation and Treaties, Aid-to-navigations etc. As Additional Secretary he co-ordinated the passing of the Recycling of Ships Bill 2019 and ratification of the Hong Kong Convention. He is also co-ordinating the drafting of the new Merchant Ship Bill, Aid-to-navigation Bill and the Indian Ports Bill. He holds a Master degree of Technology in Communications and Radar Engineering from Indian Institute of Technology, Delhi, Bachelor's degree of Engineering in Electronics and Communications and Master of Arts degree in Economics. In the past he held various senior positions in both Central and State governments viz., Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh in charge of Dept. of Technical Educational & Skill Development, Chief Executive Officer of National Automotive Testing and

R&D Infrastructure Project (NATRIP), (Under Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises), Government of India, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Road Transport & Highways, the Secretary of Energy (Power & Renewable Energy), Government of Madhya Pradesh, the Managing Director of Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Ltd., the Secretary of Agriculture, Government of Madhya Pradesh, the Member (Finance) of Madhya Pradesh State Electricity Board & Additional Secretary to Government of Madhya Pradesh. He won various prestigious awards viz., the "Platinum Icon Web Ratna Award 2012" for implementing the 'Vahan' vehicle registration and permit system for the best citizen centric service by the Government of India, National Award for e-Governance (GOLD) 2009-10 presented for State School Portal and management through electronic platform, India Tech Foundation 2007 for second Best Reforming State in India in Power Sector.



SHRI JYOTHILAL K R IAS is a Part Time Official (Nominee) Director of the Company representing Government of Kerala. He was re-appointed into the Board from August 24, 2020. He holds a degree of Bachelor of Technology

in Chemical Engineering from IIT Chennai. He is an IAS Officer of 1993 batch (Kerala cadre) and served in various departments of the Government of Kerala viz., Land Revenue Management and District Administration, Fisheries/Agriculture & Co-operation, Information Technology, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs etc. He is currently posted as Principal Secretary (Transport), Government of Kerala.

OUR PEOPLE

HR VISION

Emanating from the goals and objectives enshrined in the corporate mission statement, the strategic HR vision of the Shipyard is to strive and create a unique institution that integrates creativity, innovation, technology, business and good corporate governance practices for all round improvement of the quality of work life of the Yard's workforce.

HR MISSION

To provide a vibrant platform for all those working in the yard to give their best and ensure all round growth both for the individual and organization.

HR POLICY

HR policies are oriented towards providing the right mix of human resources, their empowerment and enrichment so as to meet organizational targets and results.

TARGET

To plan for, introduce/implement HR policies based on performance that would ensure growth, recognition, rewards, motivation, competence building, commitment and healthy employer-employee relations.

CSL APPROACH

Cochin Shipyard recognizes that among all resources it is the Shipyard's abundant professional, skilled and trained Human Resources (HR) who have been propelling the Shipyard towards achievement of targets and helping CSL gain a competitive advantage. The HR of CSL forms a very critical part of the Company's business strategy. The HR management system procedures and approach in CSL are designed to maximize employee welfare and performance. The Company focuses on effective management and

development of HR, recruitment, training and development, performance appraisal and rewards. HR is also concerned with the organizational change and maintaining a healthy employer-employee relationship climate in the organization.



OUR PEOPLE STRENGTH

1727
397 executives,
156 supervisors
and 1174 workmen
(As on March 31,
2021)

CULTURAL COMPETENCIES

Cochin Shipyard has identified the following four cultural competencies for developing an efficient work force



EMBRACING KNOWLEDGE & AUGMENTING SKILLS

In line with the Company's strong belief of developing knowledge and upgrading skills among the work force and the younger generations, a Knowledge and Skill Development Centre, 'Vigyana Sagar', was set up in an area spread across 3.5 acre with 70,000 sq. ft. campus at a cost of ₹ 27.50 crores. 'Vigyana Sagar' the premium Maritime Learning Centre of the country is aimed at catering to the digital and technological advancements in the field, pre-sea and post-sea maritime training and the regular Graduate Marine Engineering Training programs. 'Vigyana Sagar' will house Cochin Shipyard's Marine Engineering Training Institute, which has completed 27 glorious years of contribution to the training of Marine Engineers. The facilities are also utilised for providing advanced skill development and refresher training programmes to the existing workforce.

'Vigyana Sagar' was dedicated to the nation on February 14, 2021 by Shri Narendra Modi, the Hon'ble Prime Minister of India.

SAFE, HEALTHY AND CLEAN ENVIRONMENT

RECOGNITIONS

As an acknowledgement of CSL's environment friendly measures, the Company has been certified GreenCo Silver rating by the Confederation of Indian Industry (CII). The Certification is based on performance evaluation of the Company under various parameters such as Energy Efficiency, Water Conservation, Renewable Energy, Green House Gas Emission, Waste Management, Material Conservation, Recycling and Recyclability, Green Supply Chain, Product Stewardship & Life Cycle Assessment, Innovation for Environment, Green Infrastructure and Ecology. CSL is the first company in the Shipping sector to be certified for the GreenCo Silver rating.

CSL has also won the safety award from Factories & Boilers Department, Government of Kerala under the category of very large factories in engineering, automobile, textile and coir.

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM (IMS)

CSL maintained its Integrated Management System (IMS) under the ISO 9001:2015 Quality Management System and ISO 14001:2015 Environmental Management System standards. CSL upgraded its Health and Safety Management System to the latest ISO 45001:2018 in September 2020.



CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CSR VISION

Cochin Shipyards Limited in consonance with its corporate vision looks forward to continuing the tradition of being a responsible corporate citizen recognised for the quality of its products and services and respected for its ethical way of conducting business. In this, it endeavours to follow the path of shared inclusive growth, thereby distributing the fruits of its prosperity towards improved quality of life of the society and contributing to environment and nature for sustainable development.



The CMD, CSL handing over keys of Ambulance to Superintendent, General Hospital, Ernakulam. CSL has supported to procure five ambulances for the General Hospital during the year.

NOTABLE CSR PROJECTS

To augment the facilities for providing oxygen during the COVID-19 pandemic, CSL helped to set up Centralised Oxygen Distribution facilities at five Government Hospitals in Kerala. The system facilitates direct delivery of pressurised oxygen through wall mounted outlets close to the patient's bed.



Subhash Park, a historical landmark in Kochi maintained by CSL under its CSR initiative, which was dedicated to the City by the Hon'ble Mayor (Smt. Soumini Jain), Cochin Corporation in the presence of CMD, CSL.



CSL support to the Family Health Centre Noolpuzha, Wayanad (Aspirational District) - ensuring improved quality in the primary health care sector.

59 No. of CSR Projects Completed in FY 2021

66 No. of Ongoing Projects

15.27 Amount spent for CSR during FY 2021 (₹ in Crores)



"Thalir" - one of the four anganwadis provided by CSL in the Aspirational District, Wayanad, a CSR initiative much appreciated at National level.

CORPORATE INFORMATION

BOARD OF DIRECTORS

SHRI MADHU S NAIR

Chairman & Managing Director

SHRI BEJOY BHASKER

Director (Technical)

SHRI JOSE V J

Director (Finance) and
Chief Financial Officer

SHRI SANJAY

BANDOPADHYAYA IAS

Additional Secretary
Ministry of Ports, Shipping and
Waterways, Govt. of India
Part Time Official (Nominee) Director

SHRI JYOTHILAL K R IAS

Principal Secretary (Transport)
Govt. of Kerala
Part Time Official (Nominee) Director

CHIEF VIGILANCE OFFICER

SHRI K RAJENDRAN

MANAGEMENT TEAM

SHRI MURUGAIAH M

Chief General Manager (Tech)

SHRI SREEJITH K N

Chief General Manager (Ship Repair)

SHRI NEELAKANDHAN A N

Chief General Manager (Planning &
Project Management)

SHRI SURESH KUMAR A V

General Manager (Training)

SHRI RAJESH GOPALAKRISHNAN

General Manager
(Strategy & New Projects)

SHRI HARIKRISHNAN S

General Manager (Materials)

SHRI ELDHO JOHN

General Manager (Infra Projects)

SHRI SUBRAMANIYA PILLAI R

General Manager (U&M)

SHRI SIVAKUMAR A

General Manager (Ship Building)

SHRI SUNIL KUMAR K R

General Manager (IAC)

SMT. ANJANA K R

General Manager (Design)

SHRI JAYAN K THAMPI

General Manager
(Ship Repair-Mumbai)

SHRI SHIRAZ V P

General Manager
(IAC-Project Management)

SHRI SIVARAM NARAYANA SWAMY

General Manager (Business
Development-Ship Building)

SHRI SUBASH A K

General Manager (Human Resource)

SHRI SYAMKAMAL N

Company Secretary &
Compliance Officer

REGISTERED OFFICE

Cochin Shipyards Limited Administrative
Building
Cochin Shipyards Premises
Perumanoor, Kochi – 682015
Kerala, India

BANKERS

State Bank of India | Canara Bank | Union
Bank of India | IDBI Bank |
Axis Bank

STATUTORY AUDITORS

M/s. Elias George & Co.
Chartered Accountants
38/1968 A, EGC House
HIG Avenue West End
Gandhi Nagar, Kochi – 682 020

SECRETARIAL AUDITORS

M/s. Mehta & Mehta
Company Secretaries
201-206, Shiv Smriti, 2nd Floor, 49/A Dr.
Annie Besant Road
Above Corporation Bank, Worli
Mumbai – 400 018

COST AUDITORS

M/s. K A Felix & Co.
D31/670, Parvathy Nilayam
Opp. Welcare Hospital, Vyttila P.O
Ernakulam – 682 019

DEBENTURE TRUSTEES

SBICAP Trustee Company Ltd.
6th Floor, Apeejay House, 3
Dinshaw Wachha Road, Churchgate
Mumbai – 400 020

REGISTRAR & TRANSFER AGENTS

Link Intime India Pvt. Ltd.
Surya, 35, Mayflower Avenue
Behind Senthil Nagar
Sowripalayam Road
Coimbatore – 641 028

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

1. Your Directors have pleasure in presenting the 49th Annual Report of your Company along with the audited financial statements for the year ended March 31, 2021.

Financial Performance

2. Your Company posted yet another year of impressive performance despite various constraints due to COVID-19 pandemic and when the shipbuilding market scenario remaining lackluster. Diversified operational segments and product profile helped the Company to achieve a turnover of ₹2,818.90 crores for the year as compared to ₹3,422.49 crores in the year 2019-20. The profit before tax is ₹810.59 crores for the year as against ₹863.43 crores in the previous year. The net profit is ₹610.10 crores as compared to ₹637.69 crores for the previous year.

3. The authorised share capital of the Company is ₹2,50,00,00,000/- divided into 25,00,00,000 equity shares of face value of ₹10/- each. The paid up share capital of the Company is ₹1,31,54,03,900/- divided into 13,15,40,390 equity shares of face value of ₹10/- each.

Financial Highlights

Sl. No.	Particulars	2020-21	2019-20
(i)	Gross Income	3,012.76	3,669.99
(ii)	Profit before finance cost, depreciation & tax	914.13	956.75
(iii)	Finance costs	50.47	44.59
(iv)	Depreciation & write off	53.07	48.73
(v)	Profit Before Tax	810.59	863.43
(vi)	Tax Expense	200.49	225.74
(vii)	Net profit	610.10	637.69

Dividend


4. As per Office Memorandum F.No.5/2016-Policy dated May 27, 2016 issued by Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), every CPSE have to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the networth, whichever is higher. Accordingly, your Directors are

pleased to recommend a final dividend of ₹2.50/- per share on the 13,15,40,390 fully paid equity shares of ₹10/- each. Earlier, interim dividends of ₹9/- and ₹4/-, aggregating ₹13/- per equity share had been paid to the shareholders during 2020-21. Thus, the total dividend for the year 2020-21 is ₹15.50/- per equity share (155%), amounting to ₹203.89 crores. No unclaimed dividend (previous years) is due to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).


Dividend Distribution Policy

5. As per Regulation 43A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the top 1000 listed entities shall formulate a dividend distribution policy. Accordingly, dividend distribution policy has been adopted to set out the parameters and circumstances that will be taken into account by the Board in determining the distribution of dividend to its shareholders and/or retaining the profit into the business. The policy is available on the website of the Company at the link <https://www.cochinshipyard.in/uploads/corporate/1776176ff06b7942265b7265e3f6bd97.pdf>

Profit After Tax (₹ Crores)



Increasing Networth (₹ Crores)



Transfer to Reserves

6. No amount has been transferred to Reserves for the financial year 2020-21. As per the amendment made to the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified vide Notification No. G.S.R. 574(E) by the Ministry of Corporate Affairs, the Company is not required to create Debenture Redemption Reserve in respect of the bonds issued by it. As on March 31, 2021, the Company has Reserves and Surplus amounting to ₹3,846.03 crores which reflects the inherent financial strength of the Company.

Contribution to Exchequer

7. The total contribution made during the year by way of income tax, customs duty, GST, service tax, KGST/KVAT and dividend was around ₹504.43 crores.

Shipbuilding

8. The Company achieved a total shipbuilding income of ₹2,405.60 crores during 2020-21 as against ₹2,852.27 crores in 2019-20. During the year 2020-21, CSL delivered one no. of 500 Passenger cum 150 MT Cargo Vessel for Andaman and Nicobar Administration, two nos. of Ro-Ro Ferry for Inland Waterways Authority of India (IWAI), three nos. of Marine Ambulance Boat for the Fisheries Department of Government of Kerala and five nos. of Tuna Long Liner cum Gillnetter Fishing Boat for the beneficiaries of Tamil Nadu. CSL also delivered two Brows and Pontoons for Indian Navy. Further, the construction of three nos. of Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft for Indian Navy, nine nos. of Floating Border Outpost (FBOP) Vessel for the Ministry of Home Affairs, four nos. of 8000 DWT Mini General Cargo Ship for JSW Shipping & Logistics Private Limited and five nos. of Hybrid Electric – Passenger Ferry for Kochi Metro Rail Limited (KMRL) are progressing.
9. The yard also completed major milestones on various projects including, launching of five vessels at one go from its Building Dock at Kochi and also laid the keel for two vessels on the same day. The vessels launched were two 8000 DWT Mini General Cargo Ships for JSW Shipping & Logistics Private Limited, three FBOP Vessels for the Ministry of Home Affairs and the keel laying was carried out for two 8000 DWT Mini General Cargo Ships for JSW Shipping & Logistics Private Limited. Further, CSL also launched one Hybrid Electric – Passenger Ferry (100 Pax) for KMRL and carried out keel laying for three FBOP Vessels for the Ministry of Home Affairs. CSL also carried out steel


cutting of three Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft for Indian Navy and five Hybrid Electric – Passenger Ferries (100 Pax) for KMRL. CSL achieved these milestones amidst the COVID-19 pandemic by working with available resources with necessary precautions.

10. The prestigious Indigenous Aircraft Carrier (IAC) project is in the trials phase. The entire hull work (structural fabrication and erection) and 95% outfitting has been completed. In spite of the various difficulties/imponderables posed by COVID-19 pandemic, the basin trials of the vessel which are primarily aimed at proving the performance of the main propulsion plant of the ship in harbour was successfully completed in November 2020. The basin trials are a precursor to the ensuing sea trials slated for the second quarter of this calendar year which included extensive harbour trials of all four LM2500 gas turbines, main gearboxes, shafting and controllable pitch propellers, along with their integrated control systems. Moreover, major auxiliary equipment and systems such as steering gear, air conditioning plants, compressors, centrifuges, all critical pumps, power generation and distribution system, major machinery fire-fighting and de-flooding systems, deck machinery, internal communication equipment etc. were also tested prior to the above trials.
11. The trials of the navigation and communication systems, HVAC system and readiness of sea trial critical habitability spaces are being undertaken in order to make the vessel ready for its maiden sea trials. The aviation facilities complex related works has also recommenced after the arrival of the Russian facilities in March 2021 after a gap of a year.
12. The sea trials of the IAC is scheduled to start in Q1 FY – 2022. The vessel will go through multiple rounds of sea trials planned to be undertaken in two phases.


Ship Repair

13. During the year, the Company achieved a total ship repair income of ₹413.30 crores as compared to ₹570.23 crores during the year 2019-20. Major vessels repaired during the year in the main yard include INS Magar, MODU Sagar Vijay, MT Swarna Krishna, GTV Samudra Sarvekshak, INS Sudarshini & DCI Dredge VII. Major vessels repaired during the year in CSL Mumbai Ship Repair Unit include INS Mumbai, MV Campbell Bay, ICGS Sangram & Separation of IN Submarine – 5 (INS Vagir). Major vessels repaired during the year in CSL Kolkata Ship Repair Unit are Dredge XVIII, Svitzer Foxtrot & DCI Survey Launch – III.

Shipbuilding Income (₹ Crores)



Ship Repair Income (₹ Crores)



Shipbuilding Order Book Position

14. During the year 2020-21, CSL had been successful in securing against intense competition, shipbuilding orders for 2 nos. of Autonomous Electric Vessels for ASKO Maritime AS, Norway. The order book position as on March 31, 2021 is as follows:

Vessel Type	Nos.
Indigenous Aircraft Carrier for the Indian Navy	01
Technology Demonstration Vessel (Special Purpose Vessel) for DRDO	01
500 passenger cum 150 MT cargo vessel for A&N Administration	01
1200 passenger cum 1000 MT cargo vessel for A&N Administration	02
Mini Bulk Carrier of 8000 DWT for JSW Shipping & Logistics Private Limited	04
Floating Border Outpost vessel for Ministry of Home Affairs	09
Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft for Indian Navy	08
Hybrid Electric – Passenger Ferry (100 Pax) for KMRL	23
Autonomous Electric Vessel for ASKO Maritime AS, Norway	02

Expansion Projects

15. The status of major projects and initiatives are as follows:

i) International Ship Repair Facility (ISRF) at Cochin Port Trust

CSL continued to operate the dry-dock & existing facilities in the leased area (first phase) at Cochin Port premises. CSL completed repairs of twelve ships during the year 2020-21. The construction works of ISRF project, which commenced on November 17, 2017, is progressing despite the setbacks due to COVID-19 pandemic. 100% piling works & 87% of the deck concreting works completed. Various industrial buildings are in the advanced stages of completion. CSL received all components pertaining to the transfer system supplied by M/s. IMG, Germany. With regards to shiplift system, CSL started receiving various consignments from M/s. Syncrolift AS, Norway. Structural works are in progress at manufacturer's premises for the 10 T crane ordered on M/s. CJSC SMM, Russia. Order has been issued to M/s. Liebherr, Germany for the supply & commissioning of 3 nos. tower cranes. ISRF project is targeted for commissioning in the latter part of the calendar year 2022. Ten globally renowned firms in the maritime industry have already partnered with CSL for setting up their units in the Maritime Park in first phase. CSL expects to position Kochi as a major ship repair hub with major operations in the present ship repair dock coupled with increased capacities that would be available when the ISRF is commissioned.

ii) New Dry-dock Project

The new dry-dock measuring 310 x 75/60 x 13m with 600T gantry crane will be located at the northern end of the existing premises of the Company. The new dock will augment the Company's shipbuilding and ship repair capacity essentially required to tap the market potential of building specialized and technologically advanced vessels such as LNG Carriers, Aircraft Carriers of higher capacity, jack up rigs, drill ships, large dredgers and repairing of offshore platforms and larger vessels. Construction activities commenced in June 2018 is progressing despite the setbacks due to COVID-19 pandemic. Ground improvement works, cofferdam works, dock wall sheet pile installation works has been completed. Further, around 70% of RCC piling have also been completed. Contract for the supply & commissioning of 600T gantry crane was also issued and review of design submitted by the contractor is being carried out.

iii) CSL-Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU)

CSL entered into an agreement with the Mumbai Port Trust on October 20, 2018 to upgrade, operate and manage Ship Repair Facility at Hughes dry-dock and berth nos. 5, 6, 7 and 8 of Indira Dock of Mumbai Port. Post operationalisation, CSL has successfully undertaken repairs to around 49 vessels.

During the year 2020-21, in spite of the COVID-19 pandemic affecting operations, CSL has undertaken dry-dock and afloat repair to 20 ships. These repair projects include ships of (1) defence clients notably, Indian Navy's guided-missile destroyer INS Mumbai, submarine separation operation of IN Submarine - 5 (INS Vagir) through MDL, afloat repair to ICG Coast guard vessels and (2) commercial clients notably, offshore vessels of Shipping Corporation of India (SCI), survey vessels of FSI, passenger vessels of A&N and also to various private owners including M/s. Greatship India. CSL had also taken up repairs for a foreign client and successfully completed repairs to DSP NPP Nusantara for M/s. Miclyn Express Offshore, Singapore.

iv) CSL-Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU)

After resumption of work at CKSRU, Kolkata post nationwide lockdown on June 08, 2020, dry-dock repair of DCI vessels 'Survey Launch - III' was undertaken according to the Standard Operating Procedures for work resumption after lock down. Since then CKSRU has successfully completed 3 projects viz., repair of DCI Dredge XVIII which was awarded based on a global tender, emergency repair of Tug Svitzer Foxtrot, the first foreign vessel repair order from M/s. Svitzer Asia Pvt. Ltd., part of Maersk Lines and the feasibility study of their No. 1 Box Caisson for Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata. Firm stemming orders have been received for dry-dock repair of Tug Tamralipta from Syama Prasad Mookerjee Port and MV Dering from SCI. CKSRU facility was successfully audited by ABS Quality Evaluations as part of Responsible Procurement Audit for Maersk Supplier Code of Conduct and also by Indian Coast Guard for undertaking refit/repair of ICG ships. Various infrastructure development activities and recruitment of dedicated manpower are in progress. 4 major contractors have already been empanelled for turnkey services and registration of 100+ contractor/suppliers is in progress for undertaking various ship repair related services.

v) CSL-Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU)

Agreement executed between CSL and A&N Administration has been made effective as on January 15, 2021 by mutually complying with the condition precedents stipulated in the agreement and submission of asset verification and dipstick audit reports. CSL is in final stages of discussion with competent agencies for preparation of DPR for modernization of Marine Dockyard, Port Blair to effectively undertake repair of fleet of vessels owned by the Administration and to ensure availability of the vessels for operation. First set of CSL executives nominated for CANSRU are working on establishment of offices, positioning of essential infrastructure, empanelment of turnkey contractors and vendors for various subcontract works and supply of material at CANSRU. Overwhelming response has been received for Expression of Interest for "Empanelment for Undertaking Turnkey Subcontract Works at CANSRU". Recruitment of officers and staff in various cadres, both on permanent rolls and contract basis, and deployment of Quality Control and HSE personnel are in progress with the aim to commence ship repair activities at the earliest.

vi) Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL)

Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) was initially set up as a joint venture between CSL and Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL). Pursuant to the approval of the Union Cabinet, HCSL became a wholly owned subsidiary of CSL with effect from November 01, 2019. HCSL aspires to establish itself as one of the leading shipbuilding yard in east coast for quality inland and coastal vessel construction.

The "new yard construction of Hooghly Cochin Shipyard Limited, Nazirgunge unit" is in advanced stage of completion and the facility has become ready for operation with effect from March 09, 2021. The final commissioning of balance systems & equipments are in progress. At the end of financial year 2020-21, physical progress to the tune of 93% is already attained for civil work, while commissioning work of machineries, mechanical and electrical is in progress with 85% completion.

The construction activities under civil works package had crossed the 50% mark in 2019-20 when all works at site had to be stopped on March 23, 2020 due to the outbreak of COVID-19 pandemic. The stoppage of work continued till June 09, 2020 which lasted for a period of 79 days. Work could be resumed only post relocating workmen within the confines of the site

in order to minimize impact of COVID-19 pandemic, even though it remained unabated in the whole state. Although work at the site resumed by June 10, 2020, the momentum of work progress could not be regained to pre-COVID pace due to regular interim lockdown imposed by respective State Governments, thereby effecting the mobilisation of work force and materials to the desired level. Considering the loss of man-days due to the pandemic, the original contractual completion date of June 2021 would be revised to September 2021 as per force majeure clause. However, all efforts are being made to complete the balance commissioning and allied works by July 2021. One of the most significant challenges is the work of construction at the slipway being undertaken in the open river with substantial tidal variation, steep water current & proximity to navigational channel of Kolkata Port Trust.

vii) Tebma Shipyards Limited (TSL)

As part of CSL's long term strategy, viz., CRUISE 2030, CSL had identified deep sea fishing vessel as one of the several opportunities and towards this CSL acquired Tebma Shipyards Limited (TSL) on September 15, 2020 through the statutory insolvency resolution process and since then TSL is a wholly owned subsidiary of CSL. CSL proposes to utilise the facilities at TSL for building fishing vessels (especially technologically advanced deep sea fishing vessels), tugs and specialized crafts of upto 80 M length which projects huge potential in domestic as well as international markets in the coming years. TSL has two facilities; one in Malpe, Karnataka and the other in Chengalpet, Tamil Nadu. The facilities at Malpe is spread across three units as below:

- Malpe Harbour Complex – Hull erection and launching;
- Hangarkatta – Steel preparation and block fabrication; and
- Babuthotta – Warehouse.

Due to the financial difficulties and consequent statutory insolvency resolution process, TSL's facilities had been non-operational for the past several years. Post takeover by CSL in September 2020, TSL has initiated the process of revamping its infrastructure facilities at Malpe for commencing the operations. Out of the three facilities at Malpe, the revival of Babuthotta warehouse is completed and is operational. The revival of Hangarkatta unit is at the advanced stages, and is expected to be operational by July 2021. The revamping activities at Malpe Harbour Complex

are also progressing. The transfer bays are made ready and restoration of main new building shop and surface treatment shop is progressing for completion by August 2021. The recruitment process for positioning the required manpower is in the advanced stage and is expected to be completed soon.

The facility at Chengalpet is planned to be utilised for manufacturing structural outfitting items, rudders, hydrophore units etc., and the activities in this regard will be initiated once the Malpe facility is up and running and the feasibility of Chengalpet facility is established.

A separate statement containing the salient features of the financial statements of subsidiaries/ associates/ joint venture companies in form AOC-1 pursuant to the provisions of Section 129 (3) of the Companies Act, 2013 is attached along with the financial statements.


Utilisation of IPO Proceeds

- During the financial year, the Company has fully utilized the funds raised through its Initial Public Offer (IPO). The details are as follows:

Particulars	₹ Crores
Proceeds from Initial Public Offer (IPO)	961.95
Less IPO expenses (Company's share)	21.72
Net IPO proceeds	940.23
Less Utilisation of Proceeds for:	
General Corporate Purpose (GCP)	165.23
Construction of New Dry Dock	510.00
ISRF	265.00
IPO Proceeds balance	0.00

Manpower Status

- The manpower strength of the Company as on March 31, 2021 was 1727 consisting of 397 executives, 156 supervisors and 1174 workmen.



Industrial Relations

18. CSL continued to maintain and foster cordial industrial relation atmosphere during the year. There was no loss of man hours on account of labour unrest due to reasons attributable to the Company exclusively.
19. Process of collective bargaining for framing a Long Term Settlement (LTS) for CSL permanent workmen by recognized trade unions of the Company concluded amicably. After protracted discussions at different levels in a series of 46 meetings a memorandum of agreement for wage revision of workmen was signed by the management and recognized trade unions on March 28, 2019, which is valid till March 31, 2027. Subsequently, under Section 12(3) of the Industrial Disputes Act, 1947, this memorandum of agreement was signed as a Memorandum of Settlement before the Dy. Chief Labour Commissioner by the management and recognized trade unions on June 18, 2019.
20. This milestone LTS for wage revision kindled general contentment and happiness among the workmen of the Company. The recognized trade unions with their proactive approach during the course of the negotiation have once again exhibited their true allegiance to the enhanced productivity and economic sustainability of the Company.
21. Further, the referendum for recognizing trade unions was conducted on March 19, 2021 by the Dy. Chief Labour Commissioner (C), therein 2 unions namely Cochin Shipyard Employees Federation (CSEF) and Cochin Shipyard Employees Organisation (CSEO) have secured the recognition status as per the norms stipulated for recognition. However, formal approval for the same is awaited from the Chief Labour Commissioner (CLC).
22. The executives and non-unionised supervisors also continued to contribute their best to the Company during the year.
23. The joint management forums like joint councils, shop council, central safety committee, shop level safety committees, contract worker safety committee, canteen management committee, employees' contributory provident fund trust etc., continued to function effectively.
24. Employees and their dependents welfare and wellbeing are well taken care through various voluntary schemes like Employees Medical Assistance Scheme, Employees Pension Scheme, Shipyard Parivar Prathibha Puraskar Scheme, Employees Educational Assistance Scheme etc.

Human Resource Development

Learning and Development Activities during 2020-21

25. Due to COVID-19 pandemic, traditional internal and external training & development activities usually conducted in CSL had to be suspended for a few months in the first two quarters of 2020 and later on programs were conducted on virtual medium using Microsoft teams, zoom etc.
26. The prominent external webinars for which executives were nominated include the following topics.
 - a) Design and implementation of ISO 50001
 - b) Stress and lifestyle by Engineering Staff College of India, Hyderabad
 - c) Transfer pricing – including impact of COVID-19
 - d) Structuring and financing of mergers and acquisition
 - e) Understanding of Insolvency and Bankruptcy Code
 - f) India maritime tech conference 2020
 - g) Data analytics for financial professionals
 - h) Static electricity and industrial safety
 - i) Risk management
 - j) Contract drafting and management
 - k) Assessment, Examination and Certification of Seafarers (AECS)
 - l) Corrosion engineering, emerging technologies, coating and advance material by ESCI, Hyderabad
 - m) Ind AS – Master class for finance professionals
 - n) High impact corporate governance – Excellence of CSR sustainability and responsible business by Department of Public Enterprises
 - o) Maritime hydrogen fuel cells conference, Europe etc.
27. Company also nominated senior executives under the scheme "Igniting Minds" to virtual programs of Indian Institute of Management Ahmedabad on topics like "Mergers, Acquisitions and Restructuring" and "Contract Management" etc., but rest of the nominations were not materialized as the institutes had cancelled the sessions.

Customised Internal Trainings

28. 300 executives in CSL and its units at Mumbai and Kolkata were given 18 hour module training on ISO 45001:2018 – Internal auditor up gradation training with a video based

online training conducted by KSPC as part of external audit readiness before audit by M/s. DNV – GL. The certification was followed by an online assessment which required 85% correct answers to pass the course and 296 executives on permanent rolls as well as on contract had successfully completed the same.

29. Online interactive session on Business Ethics in connection with vigilance awareness week 2020 was conducted on October 27, 2020 by CVO, CSL Shri K Rajendran and the same was attended by 37 executives.
30. In order to comply with legal requirements by Food Safety and Standards Act, 2006, CSL also conducted a customized one day "Advanced certification on Food Safety – Advanced Catering and COVID Awareness" following COVID protocols to 10 supervisors and employees of CSL Employees Canteen in November 2020. 10 participants passed the certification test and the certification is valid for a period of two years.
31. Four executives completed online certificate programme on Construction Contract Management conducted by National Institute of Construction Management and Research (NICMAR), Pune.
32. Induction programme to 38 newly joined supervisors was conducted in two phases of 4 days each per batch in November 2020 and January 2021.
33. A customized Management Development Programme (MDP) "Competency Based Assessment" was conducted on February 24, 2021 at Rajagiri Research Institute Kakkanad. 19 executives completed the programme.
34. One executive was nominated to 6 day online course on "Hydrodynamics in Ship Design" by Maritime Research Institute Netherlands (MARIN), Amsterdam.
35. An online based session by NSDL regarding New Pension System was conducted at Training Institute on March 25, 2020 for employees who are about to retire from CSL Service.
36. Novex Platform – A cloud based online repository has been launched by CSL recently and courses on different competencies are currently being pursued by appropriate target group of executives and supervisors. This is accessible on mobile as well as on computers.
37. A webinar was organized in association with Dupont Sustainable Solutions on "Balancing Operational Focus with Risk Management" in June 2020 for Senior Managers and above Cadre.

Educational Scholarships to Wards of Employees

38. "Shipyard Parivar Prathibha Puraskar", an educational scholarship scheme introduced from the year 2016 aims to reward and promote the star performers among the wards of regular employees of CSL. A scholarship of ₹25,000/- per year for a maximum period of 5 years shall be bestowed in the order of highest marks scored by the wards in class XII final examination. During the year 2020-21, 17 eligible students have been granted scholarship under the said scheme.

Recognising Excellence

39. CSL has introduced the Employee Excellence Awards Scheme envisaging reward and recognition of innovative ideas and practices among the employees below the level of AGMs. The highest award under the scheme is Chairman's award with a citation and cash prize of ₹15,000/-. During the Republic day celebrations in 2020-21, 23 permanent employees and 9 contract personnel/trainees have been honored with Chairman's Commendation, which carries ₹2,000/- cash prize.

Aesthetic Design Competition for Kochi Water Metro Project

40. An aesthetic design competition for Kochi Water Metro Project was conducted in CSL for exterior styling of the prestigious catamaran ferries. The design selected for use of Kochi Water Metro Project was awarded with prize money of ₹25,000/- (Shri Vivek Vijayan, Code No. 3985, Sr. Ship Draughtsman). Designs selected for future use of CSL submitted by 4 employees were awarded with prize money of ₹5,000/- each & a certificate.

International Yoga Day

41. Employees were encouraged to observe international yoga day in small groups and at their homes with family members, without affecting COVID protocols and the photographs of the same were shared to concerned government portals.

Constitution Day

42. Constitution day was celebrated in CSL on November 26, 2020 with reading of Preamble and an online session on the topic "The Indian Constitution – The Treasure House of Values" was organized on November 30, 2020. The session was engaged by Dr. Pauly Mathew Muricken a practicing lawyer at the High Court of Kerala, a constitutional law expert and a known legal academician, from The National University of Advanced Legal Studies, Kochi.

Prajnan Talk Series

43. 'Prajnan', the technical talk series launched in the year 2018, continued with a session by Shri Harikrishnan S, GM (Materials) on December 28, 2020 on "Force Majeure in Times of COVID Challenges".

Training

44. Under the Apprentices Act, the Company has imparted training to 237 ITI trade apprentices, 60 engineering graduates, 6 non-engineering graduates, 58 diploma holders and 5 vocational trainees in 2020-21. Furthermore, specialized training mainly in the technical streams was extended to 251 trainees under the Company scheme. The Company during the year had also inducted 9 executive trainees for one-year training. The GME course, approved by Director General of Shipping, Government of India was undergone by 132 engineering cadets during the year to qualify for marine engineering jobs onboard vessels.

Samanvay portal

45. Samanvay is the common Knowledge Management Portal for all CPSEs. The website is designed & developed by ONGC, on behalf of the Department of Public Enterprises (DPE). The primary objective of the Samanvay Knowledge Management Portal is to create a platform for enabling individuals, teams & entire Public Sector Enterprises to collectively and systematically share knowledge, infrastructure, best practices, SOP etc., to learn from others' experiences. The usage of Samanvay is being closely monitored by DPE. Periodic meetings and reviews are conducted by DPE with CPSEs which are chaired by top officials of DPE, and there has been continuous follow up from DPE to increase the usage of the portal. CSL has given user access for the portal to all officers, and the users can share lessons learnt from their work place through the portal. CSL has shared around 106 articles including 31 lessons learnt, 75 CSR, HR, HSE practices, best practices at work place & articles on innovation, through the Samanvay portal till date.

Employee Welfare Measures

46. Infertility treatment scheme was launched in the year 2020 for providing reimbursement of medical expenses incurred for infertility treatment for all permanent employees. An amount not exceeding ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh only) per cycle or the actual cost whichever is lower is permitted for reimbursement and the same will be allowed upto maximum of three fresh cycles with prior approval. Special Leave for maximum 10 days in a year and maximum of 20 days are being granted during the service of an employee who undergo procedures as a part of infertility treatment.

Total 11 employees were granted permission to avail the benefits under this scheme as on March 2021.

47. All employees (permanent & on contract employees) and trainees were granted special leave for being stranded out in containment zones & quarantine leave was granted for those who have undergone treatment for being COVID positive and who were under quarantine, amidst of the spread of COVID-19 pandemic.
48. Pregnant women employees and employees with co-morbidities were exempted from roaster/shift duties based on their specific request during resumption of work in CSL post lockdown period. Also, post lockdown, women employees are being deployed only in general shift.
49. National Pension System (NPS) was introduced in CSL in order to facilitate contributory pension scheme for all permanent employees. A kiosk centre was arranged in CSL premises in the month of February 2021 for all employees through which the employees have opened their individual NPS account. CSL will be contributing 10% of the wages (Basic + DA) to the individual account of the employees, as employer contribution. The scheme provides attractive income tax benefits to the employees and also ensures a hassle-free life post retirement.
50. CSL introduced paternity leave in the year 2019 to male employees of the Company including for valid adoption of a child below the age of one year.

Encouraging Thought Provoking Ideas

51. "Nethruthwa Samvridhhi Yojana" – Leadership Acceleration Programme (LEAP) was launched in the year 2016 to encourage and motivate executives in the grades E1 to E4 for pursuing higher studies in premier institutes both in India and abroad. The core benefit under the scheme is not only a grant of study leave for two years, but reimbursement of tuition fees, in installments after they come back and join for duty. A maximum of three applicants are considered on a yearly basis under LEAP scheme.
52. CSL launched special financial assistance scheme applicable to SC/ST apprentice trainees in 2018 to provide monthly financial assistance of ₹1,500/- for meeting their expenses towards rental accommodation in Kochi. The monthly financial support is extended to a maximum of 20 trainees during the period of apprenticeship training, subject to periodical review by CSL.
53. Mentor-Mentee scheme launched in the year 2016 continued this year also for ensuring personalized special attention by a senior executive. It is extended to all new executives/executive trainees joining CSL. This

collaboration gives junior executives, who are freshers, a feeling of engagement, belongingness and significant improvement in the inter and intra personal relationship in the organisation which lead to better retention.

54. Buddy scheme was launched in the year 2019 with the induction of new batch of executive trainees. The objective of the scheme is to encourage the younger executives in CSL to be a guide to the new entrants especially executive trainees joining CSL. The scheme will help the new entrants, especially those from outside Kochi to socialize, and get a support/guidance during their organisational entry, as well as experience a smooth transition from campus to corporate life.
55. CSL Star Board – a mobile application for executives was introduced in 2017 for the purpose of knowledge sharing. The objective of Star Board is to enable the executives to share their technical knowledge, latest technical information and to provide a platform for innovative minds on matters related to their profession/work. Star Board will promote knowledge sharing culture in CSL, which is essential for the existence and success of any business. This platform has provisions for sharing of both explicit knowledge and tacit knowledge.
56. Sandbox - The 'Sandbox' is an online platform introduced in 2019 to act as a launch pad of new ideas, formed primarily with the vision of becoming a collaboration platform for officers of CSL. 'Sandbox' is envisaged to act as a people engagement platform which will provide each executive of the organisation an opportunity to express their innovative ideas and to implement those ideas associating with likeminded people while getting guided by mentors and experts in the relevant areas. The platform is expected to nurture creativity, encouraging innovation, technology induction and thereby to try a change culture within the organisation which would contribute towards a larger transformation of organisation.

Professional Assessments

57. Through an elaborate competency mapping exercise, four cultural competencies namely teaming, execution excellence, constraint breaking and continuous learning have been identified for CSL. It has been decided that these cultural competencies will be incorporated in all HR sub systems like recruitment, training, performance management, career development etc., in future.
58. During the year 2018, M/s. Korn Ferry Hay Group, a leading HR consultancy organisation in Asia was awarded the work order for conducting executives' Assessment Development Centre (ADC) and creation of Individual Development Plans (IDPs) for succession planning. ADC was conducted to

assess the competencies of executives in CSL vis-à-vis the required competencies. ADC was conducted successfully for 202 selected executives in the grades of DMs and above during the year 2018 and 2019. M/s. Korn Ferry Hay Group assessed the strengths and areas for development of the executives using various assessment tools and prepared detailed IDP. In addition to formulation of succession plan, the ADC was beneficial to CSL as it provided right direction for planning HR interventions.

People Capability Maturity Model (PCMM)

59. In the year 2018, the Company commenced activities for obtaining a level 3 PCMM certification. As part of implementation of PCMM, conscious and collective efforts are being undertaken by the executives in HR department in formulation of various policies and bringing in improvements in existing HR procedures and practices.
60. PCMM is a maturity framework that focuses on continuously improving the management and development of the human assets of an organisation. The PCMM helps organisations characterize the maturity of their workforce practices, establish a programme of continuous workforce development, set priorities for improvement actions, integrate workforce development with process improvement and establish a culture of excellence. The PCMM consists of five maturity levels; Level 1 to Level 5. Each maturity level is a well-defined evolutionary plateau that institutionalizes new capabilities for developing the organisation's workforce. Unlike other HR models, PCMM requires that key functions/process areas, improvements, interventions, policies, procedures and practices are institutionalized across the organisation, irrespective of function or level. Therefore, all improvements have to percolate throughout the organisation to ensure emphasis on a participatory culture embodied in a team-based environment and encouraging individual innovation and creativity.

Status on Affirmative Action to Implement Presidential Directives on Reservations


61. Cochin Shipyard has been strictly complying with the Presidential directives and guidelines on reservation for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribes (ST)/ Other Backward Classes (OBC)/ Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) issued by the Government of India from time to time. The Company has appointed a liaison officer for SC/ST/PwBD/ Ex-Servicemen and a separate liaison officer for OBCs and EWSs to oversee the implementation of reservation policies. Reservation percentage is ensured through the maintenance of post-based roster system as prescribed by the Government of India.

Representation of SC/ST/OBC employees

62. The representation of SC, ST and OBC employees in various groups of posts as on March 31, 2021 is given below:

Category	CSL's Total Strength	SC	ST	OBC
Group A	327	48	15	85
Group B	146	18	14	27
Group C	930	131	10	414
Group D	324	40	8	178
Total	1727	237	47	704

Representation of Various Groups



Representation of Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) and Minority employees

63. The representation of Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) and Minority employees in various groups of posts as on March 31, 2021 is given below:

Category	CSL's Total Strength	PwBD	Minority
Group A	327	7	89
Group B	146	6	38
Group C	930	24	226
Group D	324	20	96
Total	1727	57	449

Provision for Safeguard of Women

64. The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules framed thereunder are strictly complied with. An Internal Complaints Committee has been constituted in accordance with the Act chaired by a senior woman executive. The Committee had closed one complaint which was received during 2020-21.
65. CSL has a Women Welfare Officer specifically to promote women empowerment activities and to formulate and implement welfare measures according to the needs of women employees of the Company.

Integrated Management System (IMS)

66. Cochin Shipyard maintained its Integrated Management System (IMS) under the ISO 9001:2015 Quality Management System and ISO 14001:2015 Environmental Management System standards. CSL upgraded its Health and Safety Management System to the latest ISO 45001:2018 in September 2020. The next re-certification audit is scheduled in September 2021. It is proposed to cover all the ancillary units of CSL within the certification system during the forthcoming re-certification audit.

Facility Upgrade and Capital Expenditure

67. The total capital expenditure incurred in 2020-21 amounted to ₹264.34 crores. This related to renewals and replacements, modernization and expansion, dry-dock, ISRF, CMSRU, CKSRU etc.

Implementation of Official Language Policy

68. In pursuance of sub rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976, Government of India have notified, in the Gazette of India, that 80% of ministerial staff of the Company have acquired working knowledge/proficiency in Hindi.
69. Various competitions in Hindi language were organised in connection with Hindi month celebrations 2020 for employees, trainees and employees on contract of CSL in online and offline mode. Hindi typing, dictation, passage reading, memory test, Hindi film songs (separate for women and men) and quiz competitions were organised in this regard. Essay writing, sentence making, poetry writing, short story writing etc., were conducted through online mode. Twelfth issue of Hindi house journal, 'Sagar Ratna' was released on Hindi Day.

70. As a special programme in connection with Hindi month celebrations, online speech competition was organised for State school students and online quiz competition was

organised for CBSE school students of Kochi. As part of implementation of official language policy of Government of India, CSL observes first Wednesday of every month as Hindi Day.

71. Cochin Shipyard Limited organised a webinar on 'Career opportunities for Hindi Graduate Students' of Maharajas College, Ernakulam on February 23, 2021 for providing information about Hindi language and employment opportunities for undergraduate Hindi students. The main faculty of this programme was Shri Sambath Kumar P N, Assistant General Manager (Administration), CSL, Kochi. In total, more than 100 students participated in the webinar with great enthusiasm.
72. Official Language (OL) Management Programme was organised for the executives in the year 2021. Total 22 executives attended the same.
73. One day online Hindi workshop was organised under the auspicious of TOLIC, Kochi in which 25 persons participated. Online spoken Hindi classes were organised for the executives (Director, General Managers and Chief General Managers) and 17 executives participated for which a Whatsapp group was created so as to upload the spoken Hindi modules.
74. For the smooth implementation of OL, six administrative sections were identified to ensure 100% compliance of OL policy. Based on this a schedule has been prepared and a section will be inspected in a month during which emphasis is being provided on bilingualization of all documents, unicode training for employees, maintenance of registers in bilingual form, preparation of bilingual notings on files etc.
75. During the academic year 2019-20, cash incentives for children of employees for obtaining high marks in Hindi in 10th std., were awarded to 9 children. 24 employees were also awarded cash incentives for the implementation of Hindi language.

Particulars of Employees and Related Disclosures

76. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015, government companies are exempt from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof.

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

77. Details are placed at **Annexure I**. The Company's major initiative in the conservation of energy was installation of solar panels on the rooftop of various buildings inside CSL premises. The programme commenced in the year 2013-14. As of March 31, 2021, solar power plant having capacity of 1485 kWp has been commissioned in CSL.

Risk Management

78. CSL constituted a Board level Risk Management Committee (RMC) in line with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, on February 08, 2019 for an overall review of the corporate risks. CSL has adopted a comprehensive Risk Management Policy at the 214th meeting of the Board of Directors held on September 16, 2014. The Company's risk management policy aims to put in place a comprehensive risk management system consisting of a defined process of risk management and methodology of identification, assessment, response, monitoring and reporting of risks. The policy provides the management and Board of Directors an assurance that key risks are being properly identified and effectively managed.
79. As per the policy, CSL Board at the helm will review the risk management system in CSL. The Board shall discharge its responsibility of risk oversight by ensuring the review at periodical intervals. The CSL management comprising of CSL Board level and below Board level executives has been entrusted with the implementation of the risk management process. In this respect the Company have functional Risk Management Committees and Board Level Risk Management Committees to implement the policy in CSL. The Risk Management Committees and the Board of Directors periodically review the risk management process and policy. The yard's product mix comprising of defense and commercial shipbuilding and ship repair gives the Company a natural hedge against market risk.

Research and Development (R&D) Activities

80. R&D policy of CSL is to enhance the Company's pre-eminence in shipbuilding, ship repair and other chosen fields and products through research and development. In-house R&D activities have been undertaken during the year 2020-21 mainly in the areas of welding procedure development and qualification of welders.
81. Welding of Aluminum plates with Double pulsed Metal Inert Gas Welding is a new technique for which capability building in developing the weld procedure is of paramount importance to the yard. In the above context, weld procedure development has been undertaken in-house for welding of 5083 grade H116 Aluminum plates using Double pulsed Metal Inert Gas Welding. The weld procedure specification has been prepared and qualified to weld thickness from 5 mm to 20 mm Aluminum plates. This new process saves considerable amount of man hour and effort. The procedure has been validated by IRS Classification Society.


Health, Safety & Environment (HSE)

82. CSL upholds safety as an integrated part of shipbuilding and ship repair process. This underpinned our employees and stakeholders to plan the jobs from an integrated viewpoint.

Workforce engagement is a key role in HSE management and CSL is leveraging this from a business standpoint. Sub-contractors upliftment on HSE matters has been taken as a key project towards the overall HSE upbringing for which several town hall sessions were conducted to bring awareness into this community.

83. All the legal requirements pertaining to HSE matters are complied with and reports are submitted to the respective enforcement bodies under respective authorities in State and Central Government.
84. Safety awareness through learning management system has been kickstarted in the organisation and brings more executives in this domain to involve in HSE management process. Hand injury prevention campaigns were conducted among the workforce to remind and inculcate the new habits by way of handling and use of power and non-power hand tools, since hand injuries are high in CSL.
85. HSE index has been introduced at department level to monitor the HSE performance among departments. This is a combination of reactive performance and proactive achievement of each department in HSE activities. Normalizing score method used to calculate HSE index of execution department and services department separately.
86. CSL has been certified ISO 45001:2018 in the year 2020 which enable more on demonstrative HSE leadership and participative & consultative mechanism adopted in the system. This develops HSE leadership at all levels across the organisation. Walk the talk by divisional heads and pep talk by HODs, shows an indicative movement in the organisation towards inclusive HSE culture.
87. CSL has been awarded Silver GreenCo Rating which is the "first of its kind in the World" holistic framework that evaluates companies on the environmental friendliness of their activities using life cycle approach. Implementation of GreenCo rating provides leadership and guidance to companies on how to make products, services and operations greener, which includes energy efficiency, water conservation, renewable energy, GHG mitigation, waste management, material conservation and recyclability, green supply chain, product stewardship, life cycle assessment and eco-friendly environment & innovation.
88. CSL extends the HSE core standards, principles and SOPs to other units of CSL viz., CMSRU, CKSRU and subsidiary company HCSL. These units have been audited to monitor that the systems are in place. Further, CSL is in the process of extending the HSE practices at its unit CANSRU and its subsidiary company TSL.
89. CSL have won the safety award from Factories & Boilers Department, Government of Kerala under the category of very large factories in engineering, automobile, textile and coir.

90. Performance review



Industrial security

91. Cochin Shipyard Limited is a vital organisation with national importance and is classified as special security zone by both State and Central Government and the security of establishment has got national importance. The primary security of the establishment is entrusted with Central Industrial Security Force (CISF) unit comprising of 130 CISF personnel under the command of Dy. Commandant, CISF. Overall security of the Company continued to be robust without causing any serious security concern during the year. All security systems and measures introduced and installed in the Company are of international standards. Periodic joint survey was conducted by the Company along with CISF. Twenty-four hours waterfront patrolling with armed personnel and wireless surveillance (CCTV) system covering all critical locations and installations are in place. The periodic mock drill exercises are conducted in coordination with Intelligence Bureau, State Police, State Fire Department, Bomb Squad and Navy to assess the readiness of CISF force to counter any security threat, security breach, crisis or calamities.
92. CISF is carrying out their security surveillance and duties with security gadgets which includes biometric access control system, x-ray baggage scanner, door frame metal detectors, hand held metal detectors, breath analysers, vehicle patrolling, boat patrolling and foot patrolling etc. The upgradation of security gadgets is being taken up as per the

technical survey of CISF to bring modern security gadgets to enhance the existing security system and facilitate the CISF a foolproof frisking mechanism at all gates.

93. Special security attention is being accorded to the Indigenous Aircraft Carrier (IAC) with an exclusive security arrangement provided apart from the overall security arrangement of the establishment post the incident of theft reported during the year 2019-20 in IAC. The case is being investigated by National Investigation Agency (NIA). NIA arrested two persons in connection with the incident and retrieved the stolen computer hardware components. The issue of security of IAC was taken up at the highest levels of CISF and an additional contingent of 46 CISF security personnel on IS Duty have been posted exclusively for IAC under the command of Asst. Commandant.
94. The security strength and requirements of additional security enhancements are periodically monitored by the Head Quarters of CISF through technical resurvey for security gadgets and resurvey for manpower augmentations. The proposal for augmentation of strength of CISF, CSL Unit from the present strength of 130 CISF personnel to 220 personnel have been approved by the Ministry of Home Affairs, Government of India with creation of a net additional 96 posts. The deployment procedures are underway.
95. The entry to the ship is strictly controlled using access cards thus keeping track of the number of personnel working

onboard at any given point of time. The additional security gadgets including CCTV surveillance, biometric access system, two net water barrier, DDS, boat patrolling etc., have also been arranged for safeguarding and avoiding any imminent threat for the ship.

96. The entry to the Yard is effectively controlled via access control systems including biometric embedded turnstile gates, x-ray baggage machines, DFMD etc. A full-fledged visitor's facilitation center is operated for scrutiny and verification of the credentials of the visitors to the Company. X-ray baggage scanning systems have been installed at the Main entry gate and contractors' workmen entry gate of the Company. All the entry passes issued are photo-based entry passes.
97. During the year 2021-22, the Yard has proposed to implement an integrated security system, upgrading the existing systems. The project is being carried out through Bharat Electronics Limited (BEL), Bangalore. The project envisages introduction of comprehensive security architecture involving complete CCTV surveillance of the perimeter, waterfront and inside the Yard, ESPF system, visitor's management and ANPR etc.
98. The monitoring of visitors, materials and vehicles movement in the Company are done through an integrated ERP module of visitor's management system which ensures effective and vigilant monitoring of materials movement into and out of the Company. As part of the proposed integrated security system, a GPS based tracking tag for the visitors and RFID tagged pass system are also being implemented, thus to keep track of the movements of the visitors within the Yard.
99. CSL has also engaged DGR sponsored ex-servicemen security agency for supplementing existing forces mainly catering to external properties of CSL and also internal specific locations comprising of 98 personnel.

Awards and Recognitions

100. CSL has earned the distinction of becoming the first company in the Shipping sector to be certified by Confederation of Indian Industry (CII) for the GreenCo Silver rating. CSL has now joined the handful of big companies like IOCL, HPCL, BPCL, ONGC, GAIL, Indian Railway (units at ICF) which have already been certified. "GreenCo" rating is awarded to a company meeting set norms in implementation of 'Green' environment friendly facets in their production activities, conserve and is persistently endeavouring to move towards greener renewable energies like solar/wind etc. The rating is based on performance evaluation of the Company under various parameters such as Energy Efficiency, Water Conservation, Renewable Energy, Green House Gas Emission, Waste Management, Material Conservation,

Recycling and Recyclability, Green Supply Chain, Product Stewardship & Life Cycle Assessment, Innovation for Environment, Green Infrastructure and Ecology.

101. CSL has bagged the Kerala CSR Leadership Award 2021 during the year. CSL has also bagged the 'Roll of Honour' award instituted by the Dalal Street Investment Journal for the fastest growing 'Miniratna' manufacturing company for the year. CSL was also awarded First Prize for the implementation of Official Language from Kochi Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) among the companies having less than 200 employees and Second Prize for the Hindi Home Magazine "Sagar Ratna" from Kochi TOLIC (PSUs) for the year 2020.

Board of Directors & Key Managerial Personnel

102. As on March 31, 2021 the Board of CSL comprises of 6 directors consisting of a Chairman & Managing Director, 3 Whole Time Directors and 2 Official Part Time (Nominee) Directors, one each from Government of India and Government of Kerala.
103. During the year Shri Jyothilal K R IAS (DIN: 01650017), Principal Secretary (Transport), Government of Kerala, ceased to be Director of the Company pursuant to the provisions of Section 167(1)(b) of the Companies Act, 2013. The Board of Directors of CSL at their 254th meeting held on June 20, 2020 took note of the cessation of his Directorship. However, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India vide letter No. SY-11012/1/2017-CSL dated August 24, 2020 reappointed Shri Jyothilal K R IAS (DIN: 01650017), as the Official Part Time (Nominee) Director on the Board of CSL with effect from August 24, 2020. Further, the tenure of Shri Jiji Thomson IAS (Retd.) (DIN: 01178227), Shri Pradipta Banerji (DIN: 00630615) and Shri Nanda Kumaran Puthethath (DIN: 02547619), who were appointed as Non-Official Part Time (Independent) Directors on the Board of CSL for a period of 3 years vide MoPSW letter F.No. SY-11012/1/2016-CSL dated July 15, 2017, came to an end on July 14, 2020.

104. CSL had six Independent Directors, including a Woman Director, in compliance with Regulation 17 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 till March 20, 2020. Subsequently, out of the six Independent Directors, three Independent Directors, including a Woman Director, had vacated their office with effect from March 21, 2020 and the remaining three Independent Directors had vacated their office with effect from July 15, 2020 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India. CSL has provided necessary intimations to the Administrative Ministry for filling up the post of Independent Directors including a Woman Director.

105. Details of changes in Key Managerial Persons during the financial year 2020-21 and also upto the date of this report are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation	Remarks
1	Shri Madhu S Nair*	07376798	Chairman & Managing Director	January 01, 2016	Continuing	No Change
2	Shri Suresh Babu N V**	07482491	Director (Operations)	April 26, 2016	April 30, 2021	Superannuation
3	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Director (Technical) Director (Finance)	April 05, 2018 August 01, 2019	Continuing	No Change
4	Shri Jose V J	08444440	Chief Financial Officer	August 13, 2019	Continuing	No Change
5	Shri Syamkamal N	N.A.	Company Secretary & Compliance Officer	February 01, 2020	Continuing	No Change

*The Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, vide letter no. SY-11011/1/2009-CSL dated October 16, 2020 extended the tenure of Shri Madhu S Nair (DIN: 07376798), as Chairman & Managing Director for a further period of five years from January 01, 2021 or till the date of his superannuation or until further orders, whichever is the earliest.

** Shri Suresh Babu N V was reappointed as director by way of retirement by rotation at the 48th Annual General Meeting (AGM) of the Company held on September 29, 2020. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India vide letter no. SY-11012/1/2020-CSL dated February 26, 2021 extended his tenure with effect from April 26, 2021 till April 30, 2021, i.e. up to the date of his superannuation. Consequently, he retired on superannuation from the services of the Company on April 30, 2021.

Declaration and Meeting of Independent Directors

106. During the financial year 2020-21, the Company has received declarations from all the Independent Directors of the Company confirming that they meet the criteria of independence as prescribed under the Companies Act, 2013. A separate meeting of Independent Directors was held during the financial year on June 19, 2020 which was attended by all the Non-Official Part Time (Independent) Directors, viz., Shri Jiji Thomson IAS (Retd.), Shri Pradipta Banerji and Shri Nanda Kumaran Puthethath.

Details of Board Meetings held during 2020-21

107. Six Board Meetings were held during the year 2020-21 and the gap between two meetings did not exceed the statutory period. The dates on which the Board Meetings were held are as follows:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
1	June 20, 2020	9	8
2	August 10, 2020	5	5
3	October 15, 2020	6	5
4	November 12, 2020	6	6
5	January 04, 2021	6	6
6	February 12, 2021	6	5

108. For more details with respect to the Directors, Board and Committee meetings held during the year and attendance of these meetings, refer Corporate Governance Report which forms part of Directors' Report.

Remuneration Policy/Evaluation of Board's Performance

109. Cochin Shipyard is a Government of India company under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Presently, the Directors of the Company are presidential appointees and their remuneration is fixed in accordance with the DPE guidelines. Accordingly, Article 21(a) of the Articles of Association of CSL states that President will appoint Directors and determine their remuneration. Since the Board level appointments are made by President of India, the evaluation of performance of such appointees is also done by the Government of India. The Independent Directors evaluated the performance of the Board as a whole in a separate meeting of Independent Directors held on June 19, 2020.

Report of the Nomination & Remuneration Committee on Company's Policy on Directors' Remuneration

110. Presently, the remuneration of Board level appointees is determined in accordance with DPE guidelines. CSL at its 228th Board meeting held on December 14, 2016 adopted the Nomination and Remuneration Policy in compliance with the provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013.

CSL in its 241st Board meeting held on May 24, 2018 and further in its 245th Board meeting held on October 31, 2018 amended the Policy. The Policy is available in the website of the Company at <https://cochinshipyard.in/Investors>

Directors Responsibility Statement

111. Your Directors state that:

- in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2021, the applicable accounting standards read with requirements set out under Schedule III to the Act, have been followed and there are no material departures from the same;
- the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2021 and of the profit of the Company for the year ended on that date;
- the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- the Directors have prepared the annual accounts on a 'going concern' basis;
- the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and are operating effectively; and
- the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

Contracts and arrangements with related parties

112. During the year, the Company had not entered into any contract/ arrangement/ transaction with related parties which could be considered material. However, pursuant to the approval of the Board at the meeting held on October 15, 2020, a Memorandum of Understanding was entered into with Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the wholly owned subsidiary, to enable CSL and HCSL to work together and to enter into a detailed legal agreement for undertaking activities by sharing the facilities, capabilities & resources. Your Directors draw attention of the members to Note 48 to the financial statements which set out related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24. Further, Form AOC-2 has been placed at **Annexure II** as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013.

Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Committee (CSR & SD Committee)

113. From April 01, 2020 to July 14, 2020, the CSR & SD Committee of CSL comprised of Shri Jiji Thomson IAS (Retd.) (DIN: 01178227), Non-Official Part Time (Independent) Director as Chairman of the Committee, Shri Nanda Kumaran Puthethath (DIN: 02547619), Non-Official Part Time (Independent) Director, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical) and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance), as members. The Independent Directors vacated their office with effect from July 15, 2020 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India. Therefore, due to the non-appointment of Independent Directors, CSL could not re-constitute the Committee with effect from July 15, 2020. In the absence of CSR & SD Committee, CSR proposals were considered directly by the Board based on the recommendations of below Board level CSR Executive Committee.

114. The Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) Committee has formulated and recommended to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy (CSR Policy) indicating the activities to be undertaken by the Company, which has been approved by the Board. The CSR Policy can be accessed on the Company's website at the link <https://cochinshipyard.in/Investors>

115. Cochin Shipyard started CSR activities in the year 2010-11 based on the guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE) applicable to Government Companies. CSL has put in place an effective CSR Policy and implementation machinery. The CSR implementation machinery consists of three tier system; Tier I CSL Board, Tier II CSL Board Level CSR Committee and Tier III CSL CSR Executive Committee consisting of senior level executives across various departments of the Company. Presently, Tier II CSL Board Level CSR Committee is not functional due to non-appointment of Independent Directors. The Committee will be re-constituted on appointment of Independent Directors.

116. During the year 2020-21, the Company could engage in meaningful CSR initiatives that received appreciation both within Kerala and also nationally.

117. The Company has spent ₹15.27 crores against the target mandatory CSR spending of ₹14.80 crores for the financial year 2020-21. The expenditure contained partly from the approval provided for the year and partly from the ongoing projects which were approved in the earlier years. It is also pertinent to mention that the Company has taken up 48 projects and spent ₹9.01 crores on government stipulated theme, "Healthcare and Nutrition", which is around 59% of the total spending.

118. The Annual Report on CSR activities is placed at **Annexure III**.

Audit Committee

119. From April 01, 2020 to July 14, 2020, the Audit Committee of CSL comprised of Shri Nanda Kumaran Puthethath (DIN: 02547619), Non-Official Part Time (Independent) Director as Chairman, Shri Jiji Thomson IAS (Retd.) (DIN: 01178227), Non-Official Part Time (Independent) Director and Shri Pradipta Banerji (DIN: 00630615), Non-Official Part Time (Independent) Director as members. The Independent Directors vacated their office with effect from July 15, 2020 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India. Therefore, CSL could not re-constitute the Committee with effect from July 15, 2020. During the year, for the period where the Audit Committee was subsisting, all recommendations of the Audit Committee were accepted by the Board of Directors. Particulars regarding the Audit Committee are provided under the section 'Board Committees' in the Report on Corporate Governance.

Corporate Governance

120. The Company is committed to maintaining the highest standards of corporate governance and has put in place an effective corporate governance system. The Company complies with the applicable regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and also the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises, except with respect to the composition of Board of Directors viz., appointment of Independent Directors including a Woman Director and consequent compliances related to Statutory Committees. CSL being a government company, the power to appoint Directors vests with the Government of India and the Company has provided necessary intimations to the Administrative Ministry for filling up the post of Independent Directors including a Woman Director. The Statutory Committees will also be re-constituted on appointment of Independent Directors. Further, the Company also submits its quarterly progress reports on corporate governance within 15 days from the close of each quarter to the Administrative Ministry viz., Ministry of Ports, Shipping and Waterways as recommended by the DPE in this regard. The Report on Corporate Governance forms part of the Directors' Report.

Management Discussion and Analysis

121. A separate section 'Management Discussion and Analysis Report' has been included in the Annual Report and the same forms part of the Directors' Report.

Internal Financial Controls

122. The Company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements. During the financial year 2019-20, the Company had engaged M/s. Krishnamoorthy & Krishnamoorthy (Firm Registration No. 001488S), Chartered Accountants for reviewing and installing adequate Internal Financial Controls and to ensure proper and adequate systems for compliance with the provisions of all applicable laws. Such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed. There is no major variation in the control environment during the FY 2020-21. The review of the Internal Financial Controls were carried out by the in-house internal audit team during FY 2020-21 and no material weakness in the financial controls were reported.

123. In order to provide for functional autonomy, the Company has a system wherein financial powers of the Board of Directors are delegated to the CMD. These powers are further sub-delegated to officers at various levels for smooth and efficient day to day functioning. An independent internal audit mechanism is in place for conducting extensive audit of various operational and financial matters. C&AG conducts proprietary audit.

124. During the year 2020-21, the Board of Directors examined internal/statutory audit observations and provided guidance based on the same. The Board of Directors also looked into the internal control system, Company procedures and internal audit performance and reports. The Company has implemented an integrated ERP System (SAP) since July 2014 which is enabling better management control. SAP audit was conducted by M/s. KPMG for assessment and improvement of SAP utilizations. Assessment of the security of the SAP system was also part of the audit. A follow up audit was also undertaken by M/s. KPMG.

125. CSL is in the path of digital transformation and the existing SAP ECC system is being upgraded to the intelligent ERP system S/4HANA in order to cater to the intelligent technology related enhancements in SAP.

126. M/s. E&Y has conducted a Maturity Assessment Audit of the existing IT infrastructure in CSL. Based on their recommendations, the upgradation activities of IT infrastructure, Security Management System and ISO 27001:2013 certification are in progress.

127. Being a frontrunner in adapting to and leveraging digital technology for optimizing its procedures and operations, CSL had taken another step further in this direction by introducing Legatrix in 2018, a digitally enabled legal and regulatory compliance and support service interface. CSL is the first shipping sector PSU to implement this novel system for streamlining its legal and regulatory compliance requirement.

Statutory Auditors

128. M/s. Elias George & Co. (Firm Registration No. 000801S), Chartered Accountants, Ernakulam were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India for the year 2020-21. The shareholders have delegated the power to fix the remuneration of Statutory Auditors to the Board and accordingly, the same has been fixed by the Board.

Auditors Report

129. M/s. Elias George & Co., Statutory Auditors have submitted their report on the standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2021, on June 11, 2021. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Comments of C&AG

130. The comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 forms part of the Annual Report.

Cost Auditors

131. The Company maintains cost records with respect to its shipbuilding activities as required under Section 148(1) of the Companies Act, 2013. The Board has appointed M/s. Felix & Co. (Firm Registration No. 100416), Cost Accountants, as the Cost Auditors for conducting the audit of cost records of the Company for the financial year 2020-21. The remuneration of Cost Auditor for the financial year 2020-21 was ratified by the shareholders at the 48th AGM held on September 29, 2020.

Secretarial Auditor

132. The Board has appointed M/s. Mehta & Mehta, Practicing Company Secretaries, to conduct Secretarial Audit for the financial year 2020-21. The Secretarial Audit Report for the financial year ended March 31, 2021 is placed at **Annexure IV**.

133. The Secretarial Auditors in their Report observed the following:

- a) During the year under report there was no Woman Director on the Board of the Company as required under Regulation 17(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") and Section 149 of the Companies Act, 2013;

- b) The Company was having requisite number of Independent Directors on the Board for a period from April 01, 2020 to July 14, 2020 as required under Section 149(4) of the Companies Act, 2013. However, upon end of the term of Independent Directors on July 14, 2020 there was no new appointment of Independent Directors till March 31, 2021;

- c) During the period from July 15, 2020 to March 31, 2021, the Company has not constituted Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee and Corporate Social Responsibility Committee as required under various provisions of the SEBI LODR Regulations, Companies Act, 2013 and the Corporate Governance Guidelines for CPSEs, wherever applicable; and

- d) The Stock Exchanges viz., NSE and BSE had imposed a total fine of ₹18,96,000 (NSE – ₹9,58,000 and BSE – ₹9,38,000) for non-compliance of Corporate Governance conditions of SEBI LODR Regulations.

134. The explanation of the Board to the observations in the Secretarial Audit Report is given below:

Cochin Shipyard Limited (CSL) is a Central Public Sector Enterprise under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. Accordingly, the appointment of Directors on the Board of CSL is done by the Government of India by following due procedure of selection. The Company has forwarded necessary intimations to the Administrative Ministry for filling up the posts of Independent Directors including a Woman Director and frequent follow ups are also being done. However, the filling up of vacancies of the Independent Directors and Woman Director remains pending with the Government of India. Further, the Company could not re-constitute the aforesaid Statutory Committees due to the non-appointment of Independent Directors, which will be done once the requisite number of Independent Directors are appointed. The Company had forwarded intimations to the Stock Exchanges viz., NSE & BSE explaining the position of the Company with respect to non-compliance of Corporate Governance conditions of SEBI LODR Regulations. BSE vide their communication on April 19, 2021 waived the fine levied on the Company. The fines are levied as per the SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/12 dated January 22, 2020 which provides that the Stock Exchanges shall take uniform action in consultation with each other. Further, NSE has not taken any further action under the SEBI LODR Regulations in this regard.

Internal Auditor

135. The Board has appointed M/s. Varma & Varma, Chartered Accountants, Kochi, to conduct Internal Audit for the financial year 2020-21.

Annual Return

136. The annual return of the Company as required under Section 92(3) of the Companies Act, 2013 is available in the website of the Company at <https://cochinshipyard.in/Investors>

Investor Services

137. The shares of the Company are listed in BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). CSL has paid listing fees to BSE and NSE on time. Link Intime India Private Limited are the Registrar & Transfer Agents in respect of these equity shares. The tax free bonds issued by the Company in 2013-14 are fully dematerialized with both the depositories, NSDL and CDSL. These bonds are listed on Wholesale Debt Market ("WDM") segment of BSE. CSL has paid the listing fees to BSE on time in respect of these bonds. Link Intime India Private Limited is the Registrar & Transfer Agents and SBICAP Trustee Company Limited is the Debenture Trustees in respect of these bonds.

Vigilance

138. Vigilance department functions advocating transparency, equity and competitiveness in all procurement. Important CVC guidelines are discussed with Heads of Departments for its strict compliance. Emphasis was given to vigilance sensitization among the officers and supervisors for preventive vigilance.

139. Vigilance Department scrutinizes the audit paras of both Internal as well as CAG audit on quarterly basis and action taken on issues related to vigilance angle, if any. Various systemic improvements achieved through vigilance initiatives during the year includes, updation of vendor list, provision for online registration of new vendors, monitoring of contract closing, addition and review of new vendor list on monthly basis, introduction of bill tracking system to enhance transparency, emphasis on e-procurement, online scrutiny of property returns of executives & supervisors, systematic disposal of shipbuilding & ship repair steel scraps for ensuring grade transparency. Various contract details were also scrutinized by collecting data from different departments. Based on audit report, the files related to MoU with M/s. SEDS and award of consultancy contract of ISRF and dry-dock were scrutinized. After scrutiny, reports were sent to CMD, Ministry and CVC.

140. Vigilance sensitization programmes – Vigilance Awareness Week observed in a befitting manner as directed by the Commission strictly in compliance with COVID-19 protocol. A training session was conducted for the CSL Officers on the subject "Business Ethics" on October 27, 2020 by

Shri Rajendran K, CVO, CSL through video conferencing. Essay competitions, slogan competitions and drawing competitions were conducted for employees and wards of CSL through online mode. An online vendor redressal programme was also arranged for the suppliers and contractors of CSL through video conferencing on October 30, 2020.

141. Vigilance Department is scrutinizing the selection process of candidates for various posts. Further, due to the pandemic concerns, Vigilance department has conducted four surprise/periodic inspection for the year in various areas of operations and suggested corrective actions on vigilance angle. All reports to the Central Vigilance Commission are submitted in time and no reference is pending with CVC.

Right to Information Act

142. In order to promote transparency and accountability, your Company has implemented the provisions of the RTI Act, 2005 in its true letter and spirit and an appropriate mechanism has been set up in the Company with a dedicated centralised RTI Cell to provide information to the citizens under the provisions of this Act. All the RTI applications and the appeals received both online and offline during the year 2020-21 have been processed and information was provided in a time bound manner as stipulated in the Act.

143. There have been no instances of non-compliance by the Company. No penalties or strictures were imposed on the Company by any statutory authority during the last three years with respect to RTI.

Vigil Mechanism

144. The Cochin Shipyard Vigil Mechanism and Whistle Blower Policy of CSL adopted by the Board of Directors at their 228th Meeting held on December 14, 2016 was functioning as the Vigil Mechanism of CSL. Further, in line with the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, CSL had adopted Fraud Prevention and Detection Policy at the 214th Board Meeting held on September 16, 2014. Since the larger objective of both policies was similar, CSL adopted a combined policy viz., Whistle Blower and Fraud Prevention Policy at the 252nd Board Meeting held on November 12, 2019. The Whistle Blower and Fraud Prevention Policy of CSL is available at the link <https://cochinshipyard.in/Investors>

Details of frauds reported by Auditors under Section 143

145. Nil.

Particulars of loans, guarantees or investments

146. During the year under Report, the Company has not

- given any loan to any person or other body corporate except as stated below;
- given any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or person; and
- acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013, except as stated below:

Name of the Company	Description of Investment	Amount (₹ crores)
Hooghly Cochin Shipyard Limited	Unsecured Loan*	10.00
	Equity Shares	28.00
	Cumulative Redeemable Preference Shares	56.00
Tebma Shipyards Limited	Unsecured Loan	5.00
	Equity Shares	65.00

*Repaid in February, 2021

Material changes and commitments

147. No material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

Details of change in nature of business

148. There has been no change in the nature of business of the Company during the year under report.

Deposits

149. Your Company has not accepted any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Secretarial Standards

150. The Company has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

Significant and Material orders

151. No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going concern status of the Company and affecting its operations.

Business Responsibility Report

152. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated inclusion of Business Responsibility Report ("BR Report") as part of the Annual Report for top 1000 listed entities based on market capitalization vide Regulation 34(2)(f) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. SEBI has also prescribed a format for BR Report. It also contains a list of nine key principles and various core elements under each principle to assess compliance with environmental, social and governance norms. The Company's BR Report for the year forms part of the Annual Report.

Acknowledgement

153. The Board of Directors are extremely thankful for the continued patronage and support extended by the Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Shipping and all officials of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. The Board would also like to express their grateful appreciation for the support and co-operation from various offices of the Government of India, Government of Kerala, Government of West Bengal, Government of Maharashtra, Andaman and Nicobar Administration, various local bodies, the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Secretarial Auditors, Cost Auditors, Internal Auditors, Suppliers, Sub-contractors, Company's Bankers and our valued customers. The Board also places on record its appreciation for the contribution and support extended by all employees of Cochin Shipyard Limited. Your Directors express their appreciation and gratitude to all the shareholders/investors for the trust and confidence reposed in the Company and look forward to their continued support and participation in sustaining the growth of the Company in the coming years.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
June 11, 2021

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure I**A. Conservation of Energy**

a. Steps taken or impact on conservation of energy during the year 2020-21.

Steps Taken

- Replaced 3 nos. old oil cooled power transformers with dry type transformers thereby reducing no load losses and improving efficiency of transformers.
- Replaced Metal Halide (MH) light fittings of various high mast with energy efficient LED fittings.
- Replaced high pressure mercury vapour light fittings with LEDs at various bays of Hull Shop, SSD area & Ship Repair Shops.
- Replaced MV/MH lights of building dock and repair dock walkway with LED floodlights and well glass lights.
- Replaced MH light fittings of LLTT/gantry cranes with energy efficient LED lights.
- Provided VRF air-conditioning system at Ship Repair office by replacing conventional split system.
- Leakages in the compressed air distribution system and other industrial gas lines are regularly monitored and rectified.
- Electrification of new buildings is carried out with LED lights instead of conventional discharge lamps.
- Switching off main air compressor during lunch break.
- Switching off main power supply to shops, quays, & docks momentarily at 12:15 hrs. This trips man coolers, roof extractors (controlled through starters) etc., which are not required during the lunch break.
- Displayed energy saving stickers & posters, conducted seminar and quiz competition for inculcating awareness among employees for energy conservation aimed at optimum use of electric power.
- Power factor is continuously monitored and maintained near unity.

Impact

Energy saving is approx. 8.4 lakhs units per annum with the implementation of measures specified above.

b. Steps taken for utilizing alternate sources of energy.

- Installed 450 kWp grid connected solar power plant at roof top of OW and Bonded store & 200 kWp grid connected solar power plant at roof top of various buildings during the year 2020-21 in addition to the existing 835 kWp grid connected solar power plant. With this, the total installed capacity of solar power plants in CSL has become 1485 kWp.
- Installed 70 kWp grid connected solar power plant at roof top of Marine Engineering Training Institute, Girinagar and 9 kWp grid connected solar power plant at Samudrika, Panampilly Nagar (outside CSL premises).
- 12.19 lakhs units of energy was generated from the solar power plants during the year 2020-21.

c. Capital investment on energy conservation equipments

- An amount of approximately ₹148 lakhs have been invested for conservation of energy.

B. Technology Absorption, Adaptation and Innovation

- a. Efforts made towards technology absorption.
- Implemented Blender, an open source software tool, which is used to render high quality 3D renderings of Concept/Basic Design projects.
 - External workshops/training provided in:
 - Six day online course organised by Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) on Hydrodynamics in Ship Design. The course consisted of wide range of topics including Resistance & Propulsion, Propeller Cavitation & Tests, Computational Fluid Dynamics in Ship Design, Seakeeping and Manoeuvring.
 - Online training organised by Indian Register of Shipping (IRS) on Naval Architecture. The course consisted of topics such as ship stability, IMO regulations etc.
 - In-house development of 3D model, functional drawings & production drawings for hull, machinery and electrical & accommodation systems for KMRL ferry and 8000 T Multi-purpose General cargo ship, FBOP, ASW corvette were carried out.
 - Installation of 3D EXPERIENCE shipbuilding software has been completed. Implementation and deployment of 3D EXPERIENCE shipbuilding software solutions for hull structure, electrical, machinery, piping, HVAC, accommodation outfit & project management are in progress.
 - Procured ETAP software which is used for analysing, managing and simulating marine vessels, off shore platforms and shipbuilding power systems. The software is capable of performing complex electrical system design and calculations like the load flow, short circuit, harmonic analysis, transient stability, cable sizing etc.
 - Software upgrades for "Cable Manager" – In-house developed cable scheduling and nesting software for usage onboard projects.
 - Software upgrades for "SRtP Manager" – In-house developed design tool to assess and ensure that the required stipulations of the class notation Safe Return to Port (SRtP) for 1200 Pax project are met with.
 - In-house development of "IHM Manager" – Software to manage "Inventory of Hazardous Materials" for ongoing projects.
 - Association with M/s. Kongsberg Maritime for knowledge acquisition regarding interface requirements of various equipment for future autonomous operation of the Auto barge being built for M/s. ASKO.
- b. Efforts made towards Technology Innovation.
- Development of NAPA software code for automatic generation of loading conditions and intact & damage stability criteria check of these loading conditions.
 - Development of Basic Design of tugs (five standard designs for Tugs for IPA) in collaboration with Robert Allan Ltd., a leading Canadian Design Firm, specialized in Tug Design.
 - Development of three standard designs for Fishing vessels for Government of India.
 - Developed concept design of 12m Autonomous Surface Vessel as feasibility study project.
 - Developed concept design of Hydrogen powered fuel cell passenger ferry boat.
 - Performed structural analysis of KMRL Catamaran ferry during lifted conditions, using Simulia, Finite Element Analysis tool that was procured as part of 3D EXPERIENCE Platform.
 - Developed concept design of battery powered Ro-Ro vessel.
 - Developed concept design for 80 Pax River Cruise Vessel for operation in Ayodhya.
 - Developed concept design for 3000 T Inland Cargo carrier for operation in NW1, NW2 and Indo Bangladesh protocol route.
 - Development of concept design of Cadet Training Ship (CTS) for Indian Navy.
 - Developed concept design for Submersible Testing Platform using a modular concept.
 - Development of concept design of 5500 T Bulk carrier.
 - Development of concept design of a Hospital ship.
 - Development of concept design of wind assisted Bulk carrier.
 - Development of concept design of Landing Craft.
 - Development of concept design of Offshore paint barge

Disclosure of particulars in respect of absorption

a. Benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitutions.	<ul style="list-style-type: none"> Increased flexibility for performing design iterations for developing optimized products by having in-house software codes, FEA and CFD capability. Access to clientele and enhanced credibility on account of high quality design solutions. Enhanced competence in design by collaborating with specialized and leading firms.
b. In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year) following information may be furnished.	
i. The details of technology imported	ETAP software for analysing, managing and simulating marine power systems.
ii. The year of import	2020-21
iii. Whether the technology been fully absorbed	The above is currently under set up and implementation can be considered as technology undergoing absorption.
iv. If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof	Training yet to be imparted.
c. Expenditure incurred on Research and Development	Nil

C. Foreign Exchange Earnings and Outgo

	(₹ Lakhs)	
	2020-21	2019-20
Income from Foreign Exchange		
From Shipbuilding	6,588.02	0.00
From Ship repair	549.57	345.70
Total	7,137.59	345.70
Expenditure in Foreign Exchange		
Materials (CIF Value)	59,001.52	1,02,864.31
Design & Documentation	132.63	116.52
Service Charge & Others	6,220.45	10,528.97
Total	65,354.60	1,13,509.80

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
June 11, 2021

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure II

Form No. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Companies Act, 2013 and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/agreements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto.

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

(a)	Name(s) of the related party and nature of relationship	Nil
(b)	Nature of contracts/arrangements/transactions	Nil
(c)	Duration of the contracts/arrangements/transactions	Not Applicable
(d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Not Applicable
(e)	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Not Applicable
(f)	Date(s) of approval by the Board	Not Applicable
(g)	Amount paid as advances, if any	Not Applicable
(h)	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188	Not Applicable

2. Details of material contracts or arrangements or transactions at arm's length basis

(a)	Name(s) of the related party and nature of relationship	Nil
(b)	Nature of contracts/arrangements/transactions	Nil
(c)	Duration of the contracts/arrangements/transactions	Not Applicable
(d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Not Applicable
(e)	Date(s) of approval by the Board, if any	Not Applicable
(f)	Amount paid as advances, if any	Not Applicable

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Kochi
June 11, 2021

Annexure III

REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1. Brief outline on CSR Policy of the Company

The CSR activities in the Company for the year 2020-21 were undertaken in line with the statutory provisions under the CSR Rules and the guidelines issued by the Department of Public Enterprises for Central PSUs, the CSR Policy of the Company and the Standard Operating Procedure adopted by the Company for CSR management. As per the CSR policy of the Company, for administrative convenience, the Company operates the projects under the categories of Minor projects, which are urgent in nature having value of ₹10 lakhs or less with the approval of Chairman & Managing Director, limited to 10% of total spend. All other projects were categorised as Major projects. 5% of the total spend is earmarked towards administrative overheads, which includes salary, expenditure on training and travel by CSR staff working in the Department.

Theme for the year: Towards creation of assets in line with national priorities/ needs of the society, as advised by the DPE,

priority was given for projects on Healthcare and Nutrition. Priority was also extended to aspirational district - Wayanad.

2. Composition of CSR Committee

The Corporate Social Responsibility & Sustainable Development (CSR & SD) Committee of the Board recommends the CSR projects from time to time for the approval of the Board. The Independent Directors of the Company had vacated their office with effect from July 15, 2020 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India. Hence pending appointment of new Independent Directors, the Company could not re-constitute CSR & SD Committee. Accordingly, from July 15, 2020 onwards, the CSR proposals were considered directly by the Board of Directors of the Company based on the recommendations of below Board level CSR Executive Committee. The Composition of the CSR & SD Committee as on July 14, 2020 is given below:

Sl. No.	Name of Director	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings of CSR & SD Committee	
			held during the year	attended during the year
1	Shri Jiji Thomson IAS (Retd.) (DIN: 01178227)	Non-Official Part Time (Independent) Director - Chairman	1	1
2	Shri Nandakumaran Puthezhath (DIN: 02547619)	Non-Official Part Time (Independent) Director - Member	1	1
3	Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825)	Director (Technical) - Member	1	1
4	Shri Jose V J (DIN: 08444440)	Director (Finance) - Member	1	1

3. Web-link where Composition of CSR & SD Committee, CSR Policy and CSR projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company

<https://cochinshipyard.in/Investors>

4. Details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014

Not Applicable for the reporting period

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any

Nil

- 6. Average net profit of the Company as per section 135(5) of the Companies Act, 2013 ("Act")** : ₹73,988.26 Lakhs
- 7.**
- Two percent of average net profit of the Company as per section 135(5) of the Act : ₹1,479.77 Lakhs
 - Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years : Nil
 - Amount required to be set off for the financial year, if any : Nil
 - Total CSR obligation for the financial year (7a + 7b - 7c) : ₹1,479.77 Lakhs
- 8.**
- CSR amount spent or unspent for the financial year
 - Total Amount Spent : ₹1,526.98 Lakhs
 - Amount Spent : Nil
 - Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year : ₹822.90 Lakhs
 - Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year : ₹643.39 Lakhs
- The details of CSR amount spent against ongoing projects and other than ongoing projects for the financial year in the prescribed format are placed at **Annexure A** and **B** respectively to this Report.
- Amount spent in Administrative Overheads : ₹60.69 Lakhs
 - Amount spent on Impact Assessment, if applicable : N.A.
 - Total amount spent for the financial year (8b + 8c + 8d + 8e) : ₹1,526.98 Lakhs
 - Excess amount for set off, if any

Sl. No.	Particular	Amount (in ₹)
(i)	Two percent of average net profit of the Company as per section 135(5) of the Act	1,479.77 Lakhs
(ii)	Total amount spent for the financial year	1,526.98 Lakhs
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii) - (i)]	47.21 Lakhs
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Nil
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years as decided by the Board	40.00 Lakhs

- 9.**
- Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years : Nil
 - Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s) : ₹200.50 Lakhs
- The details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s) in the prescribed format is placed at **Annexure C** to this Report.

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year

Not Applicable

11. Specify the reason(s), if the Company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5) of the Act

Not Applicable

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure A

Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year 2020-21

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Location of the Project			Local Area Yes/No	Amount allocated for the Project (in ₹ Lakhs)	Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) of the Act (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Through Implementing Agency		
			State	District	Project Duration					Name	CSR Registration Number	
1	Support for Construction of Jija Mata Women and Children Hospital, District Buldhana, Maharashtra 2nd Phase	Cl. (i) promoting health	Maharashtra	Buldhana	1 year	No	200.00	-	-	No	Jija Mata Women and Children Hospital, District Buldhana, Maharashtra	N.A.
2	Support for Maintenance and Management of Subash Park, Ernakulam and Koithara Park, Panampilly Nagar, Kochi	Cl. (iv) Swachh Bharat Abhiyan of Col	Kerala	Ernakulam	1 year	Yes	96.00	64.00	-	No	C Hed, Kochi	N.A.
3	Support for Construction of one floor for sports hostel under Khelo India at Sree Durga Vilasam HSS, Peramangalam, Thrissur District	Cl. (viii) training to promote rural sports; nationally recognised sports, paraolympic sports and olympic sports	Kerala	Thrissur	1 year	Yes	30.00	-	-	No	Sree Durga Vilasam HSS, Peramangalam, Thrissur District	N.A.
4	Support for Smart Class Rooms at Government Higher Secondary School, Munderi, Kannur District	Cl. (ii) promoting education	Kerala	Kannur	1 year	Yes	59.00	29.50	-	No	Secretary, Kannur District Panchayat	N.A.
5	Support for Construction of Seaworthy Marine Rescue Ambulance to Department of Fisheries, Government of Kerala	Cl. (i) promoting health	Kerala	Pan Kerala	1 year	Yes	280.00	252.00	-	No	Department of Fisheries, Government of Kerala	N.A.
6	Support for Soil-less Median Gardening using bio-waste, greening 16 medians of Kochi Metro Rail between Pillars 704 to 720 at M G Road, Ernakulam	Cl. (iv) Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agro forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water	Kerala	Ernakulam	1 year	Yes	42.15	14.96	-	No	Pelican Foundation, Kochi	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Location of the Project		Local Area Yes/No	Amount allocated for the Project (in ₹ Lakhs)	Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) of the Act (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through Implementing Agency	
			State	District						Name	Registration Number
7	Support for Construction of Manikanda Gurukulam Tribal Hostel at Sabari Saranasaramam, Koonamkara, Pathanamthitta District	Cl. (iii) setting up of homes and hostels for women and orphans	Yes	Kerala	Pathanamthitta	50.00	25.00	-	No	Sabari Saranasaramam, Koonamkara, Pathanamthitta District	N.A.
8	Support for Construction of 10 Rooms in the Ground Floor at Guardian Angel Peace Mission for Palliative Care, Nedumbassery, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	50.00	25.00	-	No	Guardian Angel Peace Mission for Palliative Care, Nedumbassery, Ernakulam District	N.A.
9	Infrastructure Support for Oxygen Distribution Facility in Government Health Care Institutions in Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	50.00	25.00	-	No	National Health Mission, Ernakulam	N.A.
10	Support for Construction of Jija Mata Women and Children Hospital, District Buldhana, Maharashtra 1st Phase	Cl. (i) promoting health	No	Maharashtra	Buldhana	200.00	-	-	No	Jija Mata Women and Children Hospital, District Buldhana, Maharashtra	N.A.
11	Support for Set up Four Anganwadi Projects at Wayanad District	Cl. (i) Eradicating hunger, poverty and malnutrition	Yes	Kerala	Wayanad	120.00	16.00	-	No	District Administration, Wayanad	N.A.
12	Support for Construction of a Container Toilet Complex at Jose Junction, M G Road, Ernakulam	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of Col	Yes	Kerala	Ernakulam	30.00	7.50	-	No	Better Kochi Response Group (BKRCG), Kochi	N.A.
13	Conservation of Whale shark in Kerala and Lakshadweep Islands	Cl. (iv) Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agro forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water	No	Pan India	Pan India	40.00	-	-	No	Wildlife Trust of India, New Delhi	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local Area Yes/No	Location of the Project		Amount allocated for the Project (in ₹ Lakhs)	Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) of the Act (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through Implementing Agency	
				State	District					Name	Registration Number
14	Support for Construction of Viveka Tirta by Sree Rama Krishna Math, Belur Math, Kolkata	Cl. (ii) promoting education	No	West Bengal	Kolkata	120.00	-	-	No	Sree Rama Krishna Math, Belur Math, Kolkata	N.A.
15	Support for Renovation of Park at Kumbalangi Grama Panchayath	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of Col	Yes	Kerala	Ernakulam	20.00	-	-	No	Secretary, Kumbalangi Grama Panchayat	N.A.
16	Support for Construction of Second floor of Karunya Pain and Palliative Care hospital, Parappur, Thrissur District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Thrissur	20.00	-	-	No	Karunya Palliative Care Charitable Trust, Parappur, Thrissur District	N.A.
17	Support for Swim for Life Project	Cl. (vii) training to promote rural sports, nationally recognised sports, paralympic sports and olympic sports	Yes	Kerala	Ernakulam	20.00	-	-	No	Better Kochi Response Group (BKRCG), Kochi	N.A.
18	Support for the Establishment of Pipeline Pumpset and Drinking Water Tank for En Uru Tribal Village, Wayanad	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Wayanad	20.00	-	-	No	Sub Collector, Mananthawady	N.A.
19	Support for Upkeep and Maintenance of Revived Ponds under the Harithakeralam Project in Ernakulam District	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of Col	Yes	Kerala	Ernakulam	35.00	17.50	-	No	District Administration, Ernakulam	N.A.
20	Support for Advanced Surgical Oncology Centre for Indira Gandhi Co Operative Hospital, Kadamthira, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	35.00	17.50	-	No	Cochin Co Operative Hospital Society, Kadamthira, Kochi	N.A.
21	Support for Procuring 50 seater Marine Boat to Vivekananda Rock Memorial Trust, Kanyakumari, Tamil Nadu	Cl. (v) protection of national heritage, art and culture	No	Tamil Nadu	Kanyakumari	60.00	-	-	No	Vivekananda Rock Memorial Trust, Kanyakumari, Tamil Nadu	N.A.
22	Support for Renovation and Completion of the Building Block at Diyarakshalayam, Mylacombu, Thodupuzha, Idukki District	Cl. (iii) setting up of homes and hostels for women and orphans	Yes	Kerala	Idukki	30.00	15.00	-	No	Diyarakshalayam, Mylacombu, Thodupuzha, Idukki	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local Area Yes/No	Location of the Project		Project Duration	Amount allocated for the Project (in ₹ Lakhs)	Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) of the Act (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through Implementing Agency	
				State	District						Name	Registration Number
23	Support for Construction of Relief and Rehabilitation Centre at Sri Ramakrishna Seva Asramam, Kaloor, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	30.00	15.00	-	No	Sri Ramakrishna Seva Asramam, Kaloor, Ernakulam	N.A.
24	Support for Skill Development in Welding Technology for Unemployed Youth who Belong to BPL Families 4th Phase	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	30.00	15.00	-	No	Don Bosco Tech, Vaduthala, Ernakulam	N.A.
25	Support for Installation of Fixed Fire Fight System for Vivekananda Tribal Residential Vidyalaya, Mattiayam, Vellamunda, Wayanad District	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Yes	Kerala	Wayanad	1 year	25.00	-	-	No	Girijana Seva Trust, Vellamunda, Wayanad	N.A.
26	Support for Construction of Toilet and Waiting Area for District Homoeo Hospital Palleppady, Ernakulam	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	12.00	-	-	No	District Medical Officer, Homeo, Ernakulam	N.A.
27	Support for Skill Development in Welding Technology for Unemployed Youth who Belong to BPL Families 3rd Phase	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	35.00	-	-	No	Don Bosco Tech, Vaduthala, Ernakulam	N.A.
28	Support for Swachh Bharat Mission Related Activities by Palakkad Municipality	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of GoI	Yes	Kerala	Palakkad	1 year	100.00	-	-	No	Secretary, Palakkad Municipality	N.A.
29	Support for Renovation of Toilet Complex at Kendriya Vidhyalaya, Port Trust, Kochi	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of GoI	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	10.00	-	-	No	Kendriya Vidhyalaya, Port Trust, Kochi	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local Area Yes/No	Location of the Project		Project Duration	Amount allocated for the Project (in ₹ Lakhs)	Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) of the Act (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through Implementing Agency	
				State	District						Name	Registration Number
30	Support for Replacement of Asbestos Sheets at St. Philomina's Higher Secondary School, Koonammavu, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	10.00	-	-	No	St. Philomina's Higher Secondary School, Koonammavu, Ernakulam	N.A.
31	Support for Construction of Fishermen Relief Centre at Chellanam, Ernakulam District	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	20.00	10.00	-	No	Chellanam Mathsiya Thozhilali Vikasana Sahakarana Sangham, Chellanam, Ernakulam	N.A.
32	Support for Construction of a Hall and for Laying Tiles in 4 Classrooms and in Veranda at S V U P School, Nettoor, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	20.00	10.00	-	No	S V U P School, Nettoor, Ernakulam	N.A.
33	Support for Construction of a Building for Free Accommodation of Destitute Women, Jeramiah's Home Betroni Palliative Care Centre Charitable Trust, Ochanthuruth, Vypin, Ernakulam	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	20.00	10.00	-	No	Jeramiah's Home Betroni Palliative Care Centre Charitable Trust, Ochanthuruth, Vypin, Ernakulam	N.A.
34	Support for Distribution of Refrigerated Mobile Fish Vending Kiosks for Fisherwomen across Kerala by Central Institute of Fisheries Technology (CIFT)	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Yes	Kerala	Pan Kerala	1 year	17.00	8.50	-	No	Central Institute of Fisheries Technology (CIFT), Koch	N.A.
35	Support for Integrated Intervention for Paniya Communities in Wayanad District by M S Swaminathan Foundation	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Yes	Kerala	Wayanad	1 year	15.00	-	-	No	M S Swaminathan Foundation, Wayanad	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local Area Yes/No	Location of the Project			Project Duration	Amount allocated for the Project (in ₹ Lakhs)	Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) of the Act (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through Implementing Agency	
				State	District	Name						CSR Registration Number	
36	Support for Implementation of Miyawaki Method Afforestation in a Vacant Plot Near CSL Residential Quarters by Nature's Green Guardians Foundation, Thiruvananthapuram	Cl. (iv) Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agro forestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	15.00	3.75	-	No	Nature's Green Guardians Foundation, Thiruvananthapuram	N.A.	
37	Support for Procuring an Ambulance to Kaniyampatta Grama Panchayat, Wayanad District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Wayanad	1 year	7.50	-	-	No	Secretary, Kaniyampatta Grama Panchayat, Wayanad	N.A.	
38	Support for Procuring Medical Ambulance for Hrudaya Palliative Care Vellikulangara, Thrissur District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Thrissur	1 year	7.50	-	-	No	Hrudaya Palliative Care Vellikulangara, Thrissur	N.A.	
39	Support for Construction of New Building for Sandeepani Seva Samithi, Guruvayoor, Thrissur District	Cl. (iii) setting up of homes and hostels for women and orphans	Yes	Kerala	Thrissur	1 year	70.00	63.00	-	No	Sandeepani Seva Samithi, Guruvayoor, Thrissur	N.A.	
40	Support for Conducting a Unique Music Based Cultural Event Named Arts for Medicine in the Premises of General Hospital, Ernakulam, organized by Mehboob Memorial Orchestra, Kochi	Cl. (v) protection of national heritage, art and culture	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	7.00	0.94	-	No	Mehboob Memorial Orchestra, Kochi	N.A.	
41	Support for Construction of Vocational Training Centre for Differently abled at Swasraya Special Child Development and Vocational Training Centre for differently abled, Kuttur, Thrissur District	Cl. (ii) Promoting education, including special education	Yes	Kerala	Thrissur	1 year	58.00	25.50	-	No	Centre for Differently abled at Swasraya Special Child Development and Vocational Training Centre for differently abled, Kuttur, Thrissur	N.A.	

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local Area Yes/No	Location of the Project			Project Duration	Amount allocated for the Project (in ₹ Lakhs)	Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) of the Act (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through Implementing Agency	
				State	District	Name						CSR Registration Number	
42	Support for Improvement of School Library at St Antony's UPS, Palluruthi, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	5.00	-	-	No	St Antony's UPS, Palluruthi, Ernakulam	N.A.	
43	Support for Drinking Water Scheme at En Uru Tribal Heritage Village, Wayanad	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Wayanad	1 year	10.00	-	-	No	Sub Collector, Mananthawady	N.A.	
44	Support for Setting up 10 Smart Class Rooms and Indoor Sensory Park for Children with Challenges at Adarsh Charitable Trust, Kureekkad, Ernakulam District	Cl. (ii) Promoting education, including special education	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	10.00	5.00	-	No	Adarsh Charitable Trust, Kureekkad, Ernakulam	N.A.	
45	Support for Starting of Clinical Laboratory in the Charitable Dispensary attached to Sri Ramakrishna Ashrama, Thukalassery, Thiruvalla, Pathanamthitta District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Pathanamthitta	1 year	10.00	5.00	-	No	Sri Ramakrishna Ashrama, Thukalassery, Thiruvalla, Pathanamthitta	N.A.	
46	Support for Training of Ritualistic Traditional Art Forms Especially Percussion Art by Padmashree Kuzhur Marar Foundation, Thrissur District	Cl. (v) protection of national heritage, art and culture	Yes	Kerala	Thrissur	1 year	9.00	4.38	-	No	Padmashree Kuzhur Marar Foundation, Thrissur	N.A.	
47	Support for Installation of 10 KWP Grid Connected Solar Power Plant for Sree Parvathi Janaseva Samithi, Choolissery, Thrissur District	Cl. (ii) Promoting education, including special education	Yes	Kerala	Thrissur	1 year	7.00	3.50	-	No	Sree Parvathi Janaseva Samithi, Choolissery, Thrissur	N.A.	
48	Support for Construction of Art Gallery at Devan Kalagramam, Pallimom, Kollam District	Cl. (v) protection of national heritage, art and culture	Yes	Kerala	Kollam	1 year	30.00	12.00	-	No	MV Devan Kalagramam, Pallimom, Kollam	N.A.	
49	Support for Construction of a Toilet Complex at SNDP Higher Secondary School, Udayamperoor, Ernakulam District	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of GoI	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	6.00	3.00	-	No	PTA, SNDP Higher Secondary School, Udayamperoor, Ernakulam	N.A.	
50	Support for Replacement of Asbestos Sheet at CCPLM Anglo Indian HSS, Perumanoor, Kochi	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	5.00	2.50	-	No	CCPLM Anglo Indian HSS, Perumanoor, Kochi	N.A.	

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local Area		Location of the Project		Amount allocated for the Project (in ₹ Lakhs)	Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) of the Act (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through Implementing Agency	
			Yes/No	Local Area	State	District					Name	Registration Number
51	Support for installation of Fire Fighting System Vivekananda Tribal Residential School, Mattiayam, Wayanad District	Cl. (i) promoting education	Yes	Kerala	Wayanad	Wayanad	5.00	2.50	-	No	Wayanad Girijana Seva Trust, Wayanad	N.A.
52	Support for construction of a new Library cum skill development centre to Kerala Pulayar Maha Sabha, V H. Colony, UC College P.O., Aluva	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	Ernakulam	23.70	9.48	-	No	Kerala Pulayar Maha Sabha, V H. Colony, UC College P.O., Aluva	N.A.
53	Support for Construction of Houses for the Helpless and the Abandoned by PINC (Protecting Innocents with Commitment), Kalavoor, Alappuzha District	Cl. (iii) setting up of homes and hostels for women and orphans	Yes	Kerala	Alappuzha	Alappuzha	15.00	3.00	-	No	PINC (Protecting Innocents with Commitment), Kalavoor, Alappuzha	N.A.
54	Support for Construction of Building for physiotherapy Centre with Equipments' at Family Health Centre, Noolpuzha, Wayanad District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Wayanad	Wayanad	20.00	8.00	-	No	Hospital Management Committee, Family Health Centre, Noolpuzha, Wayanad	N.A.
55	Support for Renovation of Old Conference Hall at Pazhassiraja Smaraka Grandhalayam, Mananthawady, Wayanad District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Wayanad	Wayanad	20.00	18.00	-	No	Pazhassiraja Smaraka Grandhalayam, Mananthawady, Wayanad	N.A.
56	Support for Procuring Class Room Furniture for the Pre -Primary Section at Government Higher Secondary School, Puthenthode, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	Ernakulam	4.00	2.00	-	No	PTA, Government Higher Secondary School, Puthenthode, Ernakulam	N.A.
57	Support for Renovation of Office cum Community Centre Building for Hindu Mala Araya Trust, Ponekkara, Kochi	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Yes	Kerala	Ernakulam	Ernakulam	20.00	18.00	-	No	Hindu Mala Araya Trust, Ponekkara, Kochi	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local Area		Location of the Project		Amount allocated for the Project (in ₹ Lakhs)	Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) of the Act (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through Implementing Agency	
			Yes/No	Local Area	State	District					Name	Registration Number
58	Support for Construction of New Building and Other Facilities to the Flood Affected School at St. Sebastian's LP School, Gothuruth, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	Ernakulam	15.00	13.50	-	No	PTA, Sebastian's LP School, Gothuruth, Ernakulam	N.A.
59	Support for Procurement of Maruti Ecco Ambulance for Madhavamrutham Trust, Mala, Thiruvananthapuram District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram	7.50	6.29	-	No	Madhavamrutham Trust, Mala, Thiruvananthapuram	N.A.
60	Support for Economically Weaker Students of Ananthamurthy Academy, Thiruvananthapuram	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram	10.00	9.00	-	No	Ananthamurthy Academy, Thiruvananthapuram	N.A.
61	Support for Procuring Differently Abled Friendly Vehicle for Sakshama Kerala	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	Ernakulam	10.00	9.00	-	No	Sakshama Kerala	N.A.
62	Support for Procuring a Maruti Ecco Van for Thanal Palliative and Paraplegic Care Society, Pezhakkappilly, Muvattupuzha, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	Ernakulam	5.00	4.27	-	No	Thanal Palliative and Paraplegic Care Society, Pezhakkappilly, Muvattupuzha, Ernakulam	N.A.
63	Support for Procuring Vehicle for Alpha Palliative Care, an Initiative of Alpha Charitable Trust, Link Centre, Kodungallur, Thiruvananthapuram District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram	5.00	4.34	-	No	Alpha Charitable Trust, Link Centre, Kodungallur, Thiruvananthapuram	N.A.
64	Support for Construction of a Toilet Complex at Government Girls Higher Secondary School, Aluva, Ernakulam District	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of GoI	Yes	Kerala	Ernakulam	Ernakulam	5.00	4.50	-	No	PTA, Government Girls Higher Secondary School, Aluva, Ernakulam	N.A.
65	Support for Procuring a Maruti Ecco Van for Sree Poornathrayeesa Vridhasadanam Charitable Trust, Thripunithura, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	Ernakulam	5.00	4.50	-	No	Sree Poornathrayeesa Vridhasadanam Charitable Trust, Thripunithura, Ernakulam	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Location of the Project			Project Duration	Amount allocated for the Project (in ₹ Lakhs)	Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) of the Act (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through implementing Agency	
			Local Area Yes/No	State	District						Name	CSR Registration Number
66	Support for Construction of a Kids Park at St. Joseph Government LP School, Ayroor, Angamaly, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	1 year	0.98	0.49	-	No	PTA, St. Joseph Government LP School, Ayroor, Angamaly, Ernakulam	N.A.
TOTAL							2,379.33	822.90	-			

Annexure B Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year 2020-21

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Location of the Project			Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through implementing Agency	
			Local Area Yes/No	State	District			Name	CSR Registration Number
1	Support for Rasaranjanam - a Kathakali Performance by Thripunithura Kathakali Kendram	Cl. (v) protection of national heritage, art and culture	Yes	Kerala	Ernakulam	0.60	No	Thripunithura Kathakali Kendram	N.A.
2	Support for Conducting Workshop/Lecture/ Demonstration in Schools/Colleges for Promoting Classical Music & Dance, Folk, Yoga, Screening Cinema Classics, Traditional Painting and other Art Forms by SPIC MACAY	Cl. (v) protection of national heritage, art and culture	Yes	Kerala	Pan Kerala	1.00	No	SPIC MACAY, New Delhi	N.A.
3	Support for Honouring the Students who have Excelled in their Examination of Thrikkakara LA Constituency	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	1.00	No	Deputy Director of Education, Ernakulam	N.A.
4	Support for 'The Hindu Class Room Project' - an Initiative to Boost English Reading Habits among Children in Government Schools in Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	1.35	No	The Hindu, Kochi Unit	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Location of the Project			Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through implementing Agency	
			Local Area Yes/No	State	District			Name	CSR Registration Number
5	Support for an Elevator at Pratheeksha Bhavan - School for the Mentally Challenged at Thodupuzha, Idukki District	Cl. (ii) Promoting education, including special education	Yes	Kerala	Ernakulam	1.60	No	Pratheeksha Bhavan - School for the Mentally Challenged at Thodupuzha, Idukki	N.A.
6	Support for Renovation of School for Making them Suitable for Smart Class Room at K M L P School, Eroor, Thripunithura, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	1.65	No	K M L P School, Eroor, Thripunithura, Ernakulam	N.A.
7	Support for modification of Soyus Library & Reading Room at Soyus Arts Club, Library & Reading Room, Safdar Hasmi Mandiram, K P Vallon Road, Kadavanthra, Kochi	Cl. (v) Setting up public libraries	Yes	Kerala	Ernakulam	1.67	No	Soyus Arts Club, Library & Reading Room, Kochi	N.A.
8	Support for a Solar Power Grid System at Karunalayam Destitute Home, Thrikkakara, Ernakulam District	Cl. (iii) setting up of homes and hostels for women and orphans	Yes	Kerala	Ernakulam	1.68	No	Karunalayam Destitute Home, Thrikkakara, Ernakulam	N.A.
9	Support for Procuring Blood Bank Refrigerator for IMA Voluntary Donor Blood Bank, Ernakulam	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	2.00	No	IMA, Ernakulam	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Location of the Project			Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through implementing Agency	
			Local Area Yes/No	State	District			Name	CSR Registration Number
10	Support for Installation of Water Treatment Plant at Amrita High School, Moolavattom P. O, Kottayam District	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of GoI	Yes	Kerala	Kottayam	2.18	No	Amrita High School, Moolavattom P. O, Kottayam	N.A.
11	Support for Flood Victims for Promotion of Agriculture at Vellangallur Panchayat	Cl. (iv) ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water	Yes	Kerala	Thrissur	2.26	No	Salim Ali Foundation, Thrissur	N.A.
12	Skill Building Support for the Hearing Impaired, Assissi School for Deaf, Muvattupuzha	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	2.27	No	Assissi School for Deaf, Muvattupuzha, Ernakulam	N.A.
13	Support for Free Insulin for Type 1 Diabetic Children of BPL Families	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	2.50	No	Lourdes Hospital, Ernakulam	N.A.
14	Support for Infrastructure Development of Public Library, Thiruvankulam, Ernakulam District	Cl. (v) Setting up public libraries	Yes	Kerala	Ernakulam	2.50	No	Public Library, Thiruvankulam, Ernakulam	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Location of the Project		Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through implementing Agency	
			Local Area Yes/No	State			District	Name
15	Support for Renovation of School Making them Suitable for Smart Class Room at Sahodaran Memorial High School, Cherai, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	2.50	No	Sahodaran Memorial High School, Cherai, Ernakulam	N.A.
16	Support for Renovation of School Making them Suitable for Smart Class Room at SNDP HSS, Aluva, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	2.50	No	SNDP HSS, Aluva, Ernakulam	N.A.
17	Support for Construction of School Building at St. Joseph's UP School, Karithala, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	2.50	No	St. Joseph's UP School, Karithala, Ernakulam	N.A.
18	Support for School Renovation at SRV UP School, Perumpadappa, Chenthappinni, Thrissur District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	2.50	No	SRV UP School, Perumpadappa, Chenthappinni, Thrissur	N.A.
19	Support for Construction of a Toilet Complex at Dr. B. R. Ambedkar Memorial UP School, Muttappally P. O, Kottayam District	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of Col	Yes	Kerala	2.50	No	PTA, Dr. B. R. Ambedkar Memorial UP School, Muttappally P. O, Kottayam	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Location of the Project		Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through implementing Agency	
			Local Area Yes/No	State			District	Name
20	Support for PK3 - Plastic Kurakkanam, Kurache Pattu to Reduce Plastic Under the Leadership of St. Teresas College, Ernakulam	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of Col	Yes	Kerala	2.70	No	St. Teresas College, Ernakulam	N.A.
21	Support for Maintenance and Management of Koithara Park, Panampilly Nagar, Kochi	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of Col	Yes	Kerala	3.00	No	C Hed, Kochi	N.A.
22	Support for Setting up of a Blood Bank at Thaluk Head Quarters Hospital, Mannarkad, Palakkad District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	3.50	No	HDC, Thaluk Head Quarters Hospital, Mannarkad, Palakkad	N.A.
23	Support for Renovation of Visiting Room of Child Friendly Police Station Building and Setting up of CCTV Camera at Ernakulam Town South Police Station	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	4.50	No	Ernakulam Town South Police Station	N.A.
24	Additional Support for National Safety Council for Completion of Safety Industrial Skill Building Centre	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	4.70	No	National Safety Council, Kerala Chapter	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Location of the Project		Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through implementing Agency	
			Local Area Yes/No	State			District	Name
25	Support for Purchase of Maruti Eeco Van to District Jail, Ernakulam, Kakkanad for Establishing Mobile Units for Running Food Unit	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	No	District Jail, Kakkanad	N.A.
26	Support for Purchase of a Vehicle for the NGO, Theruvoram, Kochi	Cl. (iii) setting up of homes and hostels for women and orphans	Yes	Kerala	Ernakulam	No	Theruvora Pravarthaka Association, Kochi	N.A.
27	Support for Purchase of Percussion Equipments for Training Students in Delhi	Cl. (v) protection of national heritage, art and culture	No	Delhi	Delhi	No	Delhi Panchavadya Trust, Delhi	N.A.
28	Support for Installation of Furniture for the Classes in New Building at Government Junior Basic School, Kunnukara, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	No	PTA, Government Junior Basic School, Kunnukara, Ernakulam	N.A.
29	Support for Construction of a New School Building at SABTM LP School, Randarkara P.O, Muvattupuzha, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	No	SABTM LP School, Randarkara P.O, Muvattupuzha, Ernakulam	N.A.
30	Support for Renovation of old School Building at SVLP School, Thekkumbhagam, Thripunithura, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	No	SVLP School, Thekkumbhagam, Thripunithura, Ernakulam	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Location of the Project		Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through implementing Agency	
			Local Area Yes/No	State			District	Name
31	Support for Creating Awareness and Educating Students, Youth, Women & Children and Senior Citizens in Cyber Security by Commissioner of Police, Kochi City	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	No	Commissioner of Police, Kochi City	N.A.
32	Support for Renovation of Old School Building at SD VLP School, Maradu, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	No	SD VLP School, Maradu, Ernakulam	N.A.
33	Support for Sainik Prashikshan – To train young minds for developing skills for career setting in defence services	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Palakkad	No	Defence Service Officers Institute (DSOI), Palakkad	N.A.
34	Support for Construction of a Toilet Complex at V B U P S, Thrikkodithanam, Changanacherry, Kottayam District	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of Gol	Yes	Kerala	Kottayam	No	V B U P S, Thrikkodithanam, Changanacherry, Kottayam	N.A.
35	Support for Total Cleaning Program of Division 60 & 61 – Ravipuram along with Kochi Municipal Corporation, 2019-20	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of Gol	Yes	Kerala	Ernakulam	No	Kochi Municipal Corporation	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Location of the Project		Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through implementing Agency	
			Local Area Yes/No	State			District	Name
36	Contribution For Armed Forces Flag Day Fund – Welfare of Ex-Servicemen, Indian Defence Forces, Kendriya Sainik Board, Ministry of Defence, Government of India	Cl. (vi) measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents	No	Pan India	5.00	No	Kendriya Sainik Board, Ministry of Defence, Government of India	N.A.
37	Support for Procuring PPE Kit for Government Medical College, Kottayam	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	5.00	No	Government Medical College, Kottayam	N.A.
38	Support for Procuring Hand Sanitizer for COVID-19 Activities	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	5.00	No	IMA, Ernakulam	N.A.
39	Support for purchase of PPE kits for Customs Department, working at airports	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	5.00	No	Customs Preventive Commissionerate, Cochin	N.A.
40	Support for Sradha Special School, Ernakulam	Cl. (ii) Promoting education, including special education	Yes	Kerala	5.94	No	Sradha Special School, Ernakulam	N.A.
41	Support for Renovation and Construction of Training and Research Facility at Kerala State Productivity Council, Kalamassery, Ernakulam District	Cl. (ii) and (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	Yes	Kerala	7.50	No	Kerala State Productivity Council, Kalamassery, Ernakulam District	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Location of the Project		Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through implementing Agency	
			Local Area Yes/No	State			District	Name
42	Support for Production and Distribution of Face Masks	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	7.92	No	Kerala Handloom Development Corporation (Hanveev), Kannur	N.A.
43	Support for establishing Sensory Room at Buds Special School for Mentally Challenged, Koovallor P.O, Pallarimangalam Grama Panchayath, Kothamangalam, Ernakulam District	Cl. (ii) Promoting education, including special education	Yes	Kerala	9.50	No	Secretary, Pallarimangalam Grama Panchayat	N.A.
44	Support for Establishing a Cath Lab at the Cardiology Unit of A. P. Varkey Mission Hospital, Arakkunnam, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	10.00	No	A. P. Varkey Mission Hospital, Arakkunnam, Ernakulam	N.A.
45	Support for Renovation of Existing School Building at ALP School, Thiruvankidom, Guruvayoor, Thrissur District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	10.00	No	PTA, ALP School, Thiruvankidom, Guruvayoor, Thrissur	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Location of the Project		Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through Implementing Agency	
			Local Area Yes/No	State			District	Name
46	Support for Procuring Mobile Unit with Imaging Devised for Retinopathy of Prematurity (RO) Screening in Premature Infants cost of Vehicle and Equipments for SSM Eye Research Foundation, Kadavanthra, Ernakulam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	No	SSM Eye Research Foundation, Kadavanthra, Ernakulam	N.A.
47	Support for Providing Fishnets and Long Liner Hooks for the identified Beneficiaries of Rameshwaram, Tamil Nadu	Cl. (iii) Livelihood enhancement projects and measures for reducing inequalities faced by Socially & economically backward groups	No	Tamil Nadu	Ramanathapuram	No	Deputy Director Fisheries, Tamil Nadu State	N.A.
48	Support for Construction of a Yoga Hall for Gayathry Vidya Mandir, Changanacherry, Kottayam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Kottayam	No	Gayathry Vidya Mandir, Changanacherry, Kottayam	N.A.
49	Support to COVID Relief activities	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	No	Cochin Shipyards Employees Consumer Co-operative Society Ltd.	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Location of the Project		Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through Implementing Agency	
			Local Area Yes/No	State			District	Name
50	Support for Plastic waste management system - to be located at land provided by Indian Navy at their premises. Waste generated by both the Navy and collected from local area to be used. To be implemented by District Administration, Indian Navy	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of Gol	Yes	Kerala	Ernakulam	No	District Administration, Ernakulam	N.A.
51	Support for Construction of Laboratories at Government HSS, Elamakkara, Ernakulam District	Cl. (ii) promoting education	Yes	Kerala	Ernakulam	No	PTA Government HSS, Elamakkara, Ernakulam	N.A.
52	Support for Construction of Ashwas Vocational Training Centre - a Vocational Training Centre for the Mentally Challenged at Kanjirapally, Kottayam District	Cl. (ii) Promoting education, including special education	Yes	Kerala	Kottayam	No	We Care Centre, Kanjirapally, Kottayam	N.A.
53	Support for Procurement of Aquatic Weed Harvester for Dal Lake, Jammu & Kashmir	Cl. (i) Swachh Bharat Abhiyan of Gol	No	Kashmir	Kashmir	No	Delhi Metro Rail Corporation Ltd.	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local Area Yes/No	Location of the Project		Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through Implementing Agency	
				State	District			Name	CSR Registration Number
54	Support for Sukarma Vikas Kendra – Residential School Project for Differently Abled Children by Sevabharathi Angamaly	Cl. (ii) Promoting education, including special education	Yes	Kerala	Ernakulam	75.00	No	Sevabharathi Angamaly	N.A.
55	Support for Purchase of a Full Room Ceiling Mount Digital X-Ray Machine at Taluk Head Quarters Hospital, Punaloor, Kollam District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Kollam	89.00	No	HDC, Taluk Head Quarters Hospital, Punaloor, Kollam	N.A.
56	Support for Purchase of Two Maruti Eeco Basic Life Support Ambulances and Three Maruti Eeco Vehicles for Palliative Care Department at General Hospital, Ernakulam	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Ernakulam	14.55	No	Hospital Development Society, General Hospital, Ernakulam	N.A.
57	Support for Holistic Development of Children Affected by Drugs to AURA Social Work Organization, Chittissery, Thrissur District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Thrissur	0.57	No	AURA Social Work Organization, Chittissery, Thrissur	N.A.
58	Support for Purchase of Computers and Water filters for SOS Children's Villages, Aluva and Thrissur	Cl. (i) promoting health & (ii) promoting education	Yes	Kerala	Thrissur and Ernakulam	5.67	No	SOS Children's Villages, Aluva and Thrissur	N.A.

Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local Area Yes/No	Location of the Project		Amount spent in the current financial year (in ₹ Lakhs)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through Implementing Agency	
				State	District			Name	CSR Registration Number
59	Support for Purchase of Radio Diagnostic Equipments to Taluk Head Quarters Hospital, Sulthan Bathery, Wayanad District	Cl. (i) promoting health	Yes	Kerala	Wayanad	22.50	No	Hospital Development Society, Taluk Head Quarters Hospital, Sulthan Bathery, Wayanad	N.A.
TOTAL						643.39			

Annexure C

Details of CSR amount spent in the financial year 2020-21 for ongoing projects of the preceding financial year(s)

Sl. No.	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Project Duration	Total Amount allocated for the Project (in ₹ Lakhs)	Amount spent on the Project in the reporting financial year (in ₹ Lakhs)	Cumulative amount spent at the end of reporting financial year (in ₹ Lakhs)	Status of the Project
1	PROJ/09	Conservation of Whale shark in Kerala and Lakshadweep Islands	2017-18	2 years	40.00	-	20.00	Project completed. Bills awaited
2	PROJ/10	Support for Upkeep and Maintenance of Revived Ponds under the Harithakeralam Project in Ernakulam District	2017-18	3 years	35.00	17.50	17.50	Project completed. Bills awaited
3	PROJ/06	Support for Procuring 50 seater Marine Boat to Vivekananda Rock Memorial Trust, Kanyakumari, Tamil Nadu	2017-18	2 years	60.00	-	43.00	Project completed. Bills under process
4	PROJ/25	Support for Construction of Houses for the Helpless and the Abandoned by PINC (Protecting Innocents with Commitment), Kalavoor, Alappuzha District	2017-18	2 years	15.00	3.00	13.00	Project completed. Bills awaited
5	PROJ/07	Support for Construction of Jija Mata Women and Children Hospital, District Buldhana, Maharashtra	2018-19	2 years	200.00	-	175.87	Project completed. Bills under process
6	PROJ/19	Support for Skill Development in Welding Technology for Unemployed Youth who Belong to BPL Families 3rd Phase	2018-19	2 years	35.00	-	24.46	Project completed. Bills under process
7	SB/MJR/02	Support for Swachh Bharat Mission Related Activities by Palakkad Municipality	2018-19	2 years	100.00	-	90.00	Delay in completion due to COVID-19
8	MJR/377	Support for Smart Class Rooms at Government Higher Secondary School, Munderi, Kannur District	2019-20	2 years	59.00	29.50	29.50	Project completed. Bills under process

Sl. No.	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Project Duration	Total Amount allocated for the Project (in ₹ Lakhs)	Amount spent on the Project in the reporting financial year (in ₹ Lakhs)	Cumulative amount spent at the end of reporting financial year (in ₹ Lakhs)	Status of the Project
9	MJR/325	Support for Soil-less Median Gardening using bio-waste, greening 16 medians of Kochi Metro Rail between Pillars 704 to 720 at M G Road, Ernakulam	2019-20	2 years	42.15	14.96	14.96	Project ongoing
10	MJR/38	Support for Setting up Four Anganwadi Projects at Wayanad District	2019-20	2 years	120.00	16.00	96.00	Project completed. Bills awaited
11	MJR/341	Support for Construction of a Container Toilet Complex at Jose Junction, M G Road, Ernakulam	2019-20	2 years	30.00	7.50	7.50	Out of two, one project completed
12	MJR/59	Support for Construction of Viveka Tirta by Sree Rama Krishna Math, Belur Math, Kolkata	2019-20	2 years	120.00	-	100.00	Delay in completion due to COVID-19
13	MJR/182	Support for Renovation and Completion of the Building Block at Divyarakshalayam, Mylacombu, Thodupuzha, Idukki District	2019-20	2 years	30.00	15.00	15.00	Delay in completion due to COVID-19
14	MJR/15	Support for Skill Development Training for Tribal Students in Wayanad District	2019-20	2 years	25.00	-	12.50	Delay in completion due to COVID-19
15	MJR/333	Support for Construction of Toilet and Waiting Area for District Homoeo Hospital Pulleppady, Ernakulam	2019-20	2 years	12.00	-	-	Under progress. Delay due to COVID-19
16	MJR/400	Support for Renovation of Toilet Complex at Kendriya Vidhyalaya, Port Trust, Kochi	2019-20	2 years	10.00	-	-	Project completed. Bills under process
17	MJR/406	Support for Replacement of Asbestos Sheets at St. Philomina's Higher Secondary School, Koonammavu, Ernakulam District	2019-20	2 years	10.00	-	-	Delay in completion due to COVID-19
18	MJR/369	Support for Construction of Fishermen Relief Centre at Chellanam, Ernakulam District	2019-20	2 years	20.00	10.00	10.00	Delay in completion due to COVID-19

Sl. No.	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Project Duration	Total Amount allocated for the Project (in ₹ Lakhs)	Amount spent on the Project in the reporting financial year (in ₹ Lakhs)	Cumulative amount spent at the end of reporting financial year (in ₹ Lakhs)	Status of the Project
19	MJR/20	Support for Integrated Intervention For Paniya Communities in Wayanad District by MS Swaminathan Foundation	2019-20	2 years	15.00	-	7.50	Under progress. Delay due to COVID-19
20	MJR/28	Support for Implementation of Miyawaki Method Afforestation in a Vacant Plot Near CSL Residential Quarters by Nature's Green Guardians Foundation, Thiruvananthapuram	2019-20	2 years	15.00	3.75	7.50	Under progress.
21	MJR/326	Support for Conducting a Unique Music Based Cultural Event Named Arts for Medicine in the Premises of General Hospital, Ernakulam, organized by Mehboob Memorial Orchestra, Kochi	2019-20	2 years	7.00	0.94	0.94	Delay in completion due to COVID-19
22	MJR/25	Support for Construction of Vocational Training Centre for Differently abled at Swasraya Special Child Development and Vocational Training Centre for differently abled, Kuttur, Thrissur District	2019-20	2 years	58.00	25.50	52.21	Project completed. Bills awaited
23	MJR/410	Support for Improvement of School Library at St Antony's UPS, Palluruthi, Ernakulam District	2019-20	2 years	5.00	-	-	Delay due to COVID-19
24	MJR/359	Support for Drinking Water Scheme at En Uru Tribal Heritage Village, Wayanad	2019-20	2 years	10.00	-	5.00	Project completed. Bills under process
25	MJR/178	Support for Training of Ritualistic Traditional Art Forms Especially Percussion Art by Padmashree Kuzhur Marar Foundation, Thrissur District	2019-20	2 years	9.00	4.38	4.38	Delay due to COVID-19
26	MJR/264	Support for Construction of Art Gallery at Devan Kalagramam, Pallimom, Kollam District	2019-20	2 years	30.00	12.00	27.00	Project completed. Bills awaited

Sl. No.	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Project Duration	Total Amount allocated for the Project (in ₹ Lakhs)	Amount spent on the Project in the reporting financial year (in ₹ Lakhs)	Cumulative amount spent at the end of reporting financial year (in ₹ Lakhs)	Status of the Project
27	MJR/05	Support for construction of a new Library cum skill development centre to Kerala Pulayar Maha Sabha, V.H. Colony, UC College P.O, Aluva	2019-20	2 years	23.70	9.48	21.33	Project completed. Bills awaited
28	MJR/8	Support for Construction of Building for physiotherapy Centre with Equipments' at Family Health Centre, Noolpuzha, Wayanad District	2019-20	2 years	20.00	8.00	18.00	Project completed. Bills awaited
29	MJR/337	Support for Renovation of Old Conference Hall at Pazhassiraja Smaraka Grandhalayam, Mananthawady, Wayanad District	2019-20	2 years	20.00	18.00	18.00	Project completed. Bills awaited
30	MJR/311	Support for Construction of a Toilet Complex at Government Girls Higher Secondary School, Aluva, Ernakulam District	2019-20	2 years	5.00	4.50	4.50	Project completed. Bills awaited
31	NP/33	Support for Construction of a Kids Park at St. Joseph Government LP School, Ayroor, Angamaly, Ernakulam District	2019-20	2 years	0.98	0.49	0.49	Project completed. Bills awaited
TOTAL					1,181.83	200.50	836.14	

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
June 11, 2021**Madhu S Nair**
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure IV

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Cochin Shipyard Limited,
Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises,
Perumanoor, Cochin,
Ernakulam, Kerala – 682015

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Cochin Shipyard Limited (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me/us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our Opinion thereon.

Based on our verification of Cochin Shipyard Limited's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2021 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Cochin Shipyard Limited ("the Company") for the financial year ended on, 31st March 2021 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws Framed there under;

- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial borrowings (During the period under review not applicable to the Company)
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations");
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; (During the period under review not applicable to the Company)
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (During the period under review not applicable to the Company)
 - (f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; (During the period under review not applicable to the Company)

- (g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; (During the period under review not applicable to the Company)
 - (h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (During the period under review not applicable to the Company) and
 - (i) The Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2008; (During the period under review not applicable to the Company)
 - (vi) Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 ("CG Guidelines");
 - (vii) Guidelines on Corporate Social Responsibility and Sustainability for Central Public Sector Enterprises;
- We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:
- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above **subject to the following observations:**

1. There was no Woman Director on the Board of Directors of the Company for a period from 01.04.2020 to 31.03.2021 as required under Regulation 17 (1) of SEBI LODR Regulations and Section 149 of the Act;
2. The Company was having requisite number of Independent Directors on the Board of Directors for a period from 01.04.2020 to 14.07.2020 as required under Section 149(4) of the Act. However, upon end of the term of Independent Directors on 14.07.2020 there was no new appointment of Independent Directors till 31.03.2021;
3. A Fine has been levied by both BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange Limited ("NSE") for Non-Compliance of Corporate Governance conditions of SEBI LODR Regulations as follows:

NSE

Regulation	Quarter/ Month	Fine Amount per day (₹) / Instance	Days of Non-Compliance / No of instances	Fine Amount (₹)
17 (2A)	30-Sep-2020	10,000	1	10,000
17(1)	30-Dec-2020	5,000	92	4,60,000
17(2A)	30-Dec-2020	10,000	2	20,000
18	30-Dec-2020	2000	78	1,56,000
19	30-Dec-2020	2000	78	1,56,000
20	30-Dec-2020	2000	78	1,56,000
Total				9,58,000

Representation has been made by the Company for waiver of fees.

BSE

Regulation	Quarter/ Month	Fine Amount per day (₹) / Instance	Days of Non-Compliance / No of instances	Fine Amount (₹)
17 (2A)	30-Sep-2020	10,000	1	10,000
17(1)	30-Dec-2020	5,000	92	4,60,000
18	30-Dec-2020	2000	78	1,56,000
19	30-Dec-2020	2000	78	1,56,000
20	30-Dec-2020	2000	78	1,56,000
Total				9,38,000

After representations made by the Company the fine levied by BSE were waived. Total fines mentioned above are exclusive of Goods and Service Tax @ 18%.

4. The Company has not constituted Audit Committee as required under Regulation 18 of SEBI LODR Regulations; Section 177 of the Act; and Clause 4.1 of the CG Guidelines for a period from 15.07.2020 to 31.03.2021.
5. The Company has not constituted Nomination and Remuneration Committee as required under Regulation 19 of SEBI LODR Regulations; Section 178 of the Act; and Clause 5.1 of the CG Guidelines for a period from 15.07.2020 to 31.03.2021.
6. The Company has not constituted Stakeholders Relationship Committee as required under Regulation 20 of SEBI LODR Regulations and Section 178 of the Act for a period from 15.07.2020 to 31.03.2021.
7. The Company has not constituted Corporate Social Responsibility Committee as required under Section 135 of the Act for a period from 15.07.2020 to 31.03.2021.

We further report that

Subject to the above, the changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period have been reviewed and commented in this report.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the Company had the following specific events /actions having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, Standards, etc:

- (i) The Members at the Annual General Meeting held on 29.09.2020 approved a final dividend of ₹15/- per equity share and an interim Dividend of ₹ 1.63/- per equity share for the financial year 2019-20;
- (ii) The Board of Directors at their Meeting held on 04.01.2021 approved an interim dividend of ₹ 9/- per equity share; and
- (iii) The Board of Directors at their Meeting held on 12.02.2021 approved a 02nd interim dividend of ₹ 4/- per equity share.

For Mehta & Mehta,
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Atul Mehta
Partner
PCS No: 5782
CP No: 2486
Place: Mumbai
Date: 11th June, 2021
UDIN: F005782C000450270

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as "Annexure A" and forms an integral part of this report.

ANNEXURE A

To,
The Members,
Cochin Shipyard Limited,
Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises,
Perumanoor, Cochin,
Ernakulam, Kerala – 682015

Our report of even date is to be read with this letter:

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion in these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of corporate laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. As regard the books, papers, forms, reports and returns filed by the Company under the provisions referred to in

point vi & vii of our Secretarial Audit Report in Form No. MR-3 the adherence and compliance to the requirements of the said regulations is the responsibility of management. Our examination was limited to checking the execution and timeliness of the filing of various forms, reports, returns and documents that need to be filed by the Company with various authorities under the said regulations. We have not verified the correctness and coverage of the contents of such forms, reports, returns and documents.

7. The Secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Mehta & Mehta,
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Atul Mehta
Partner
PCS No: 5782
CP No: 2486
Place: Mumbai
Date: 11th June, 2021
UDIN: F005782C000450270

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
June 11, 2021

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Company's Philosophy on Corporate Governance

1. Cochin Shipyard recognizes the importance of Corporate Governance to emerge as a model corporate. The Company has adopted policies and procedures which are aimed at effectively discharging its responsibilities to various stakeholders, viz., shareholders, creditors, customers, employees and society at large. CSL strongly believes that the Company can emerge as a strong global leader only by following good & sound Corporate Governance principles. The Company has been rated 'Excellent' in Corporate Governance practices as per the evaluation criteria prescribed by the Department of Public Enterprises consistently for the last several years.

Board of Directors

2. The Board of Directors of Cochin Shipyard Limited plays a pivotal role in ensuring good Corporate Governance. The composition of the Board of the Company is governed by the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"). The composition of the Board during the financial year ended March 31, 2021 is as follows:

Sl. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Category of Directorship
1	Shri Madhu S Nair *	07376798	Chairman & Managing Director
2	Shri Suresh Babu N V**	07482491	Director (Operations)
3	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Director (Technical)
4	Shri Jose V J	08444440	Director (Finance)
5	Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS	00088957	Official Part Time (Nominee) Director, Government of India
6	Shri Jyothilal K R IAS ***	01650017	Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala
7	Shri Jiji Thomson IAS (Retd.) #	01178227	Non-Official Part Time (Independent) Director
8	Shri Pradipta Banerji #	00630615	Non-Official Part Time (Independent) Director
9	Shri Nanda Kumaran Puthethath #	02547619	Non-Official Part Time (Independent) Director

*The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India, vide letter no. SY-11011/1/2009-CSL dated October 16, 2020 extended the tenure of Shri Madhu S Nair as the Chairman & Managing Director of CSL for a further period of five years with effect from January 01, 2021 or till the date of his superannuation or until further orders, whichever is the earliest.

** Shri Suresh Babu N V was reappointed as director by way of retirement by rotation at the 48th Annual General Meeting (AGM) of the Company held on September 29, 2020. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India, vide letter no. SY-11012/1/2020-CSL dated February 26, 2021 extended his tenure with effect from April 26, 2021 till April 30, 2021, i.e. up to the date of his superannuation. Consequently, he retired on superannuation from the services of the Company on April 30, 2021.

*** During the year Shri Jyothilal K R IAS ceased to be Director of the Company pursuant to the provisions of Section 167(1)(b) of the Companies Act, 2013. The Board of Directors of CSL at their 254th meeting held on June 20, 2020 took note of the cessation of his Directorship. However, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India vide letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated August 24, 2020 reappointed Shri Jyothilal K R IAS as the Official Part Time (Nominee) Director on the Board of CSL with effect from August 24, 2020. A brief profile of Shri Jyothilal K R IAS is given below:

Shri Jyothilal K R IAS holds a degree of Bachelor of Technology in Chemical Engineering from IIT Chennai. He is an IAS Officer of 1993 batch (Kerala cadre) and served in various departments of the Government of Kerala viz., Land Revenue Management and District Administration, Fisheries /Agriculture & Co-operation, Information Technology, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs etc. He is currently posted as Principal Secretary (Transport), Government of Kerala.

The tenure of Shri Jiji Thomson IAS (Retd.), Shri Pradipta Banerji and Shri Nanda Kumaran Puthethath, who were appointed as Non-Official Part Time (Independent) Directors on the Board of CSL for a period of three years vide MoPSW letter F. No. SY-11012/1/2016-CSL dated July 15, 2017, came to an end on July 14, 2020.

3. Disclosure of relationship between Directors inter-se: Nil
4. None of the Directors of the Company were members in more than ten committees or act as Chairperson of more than five committees across all listed entities in which he/she is a Director. None of the Independent Directors of the Company held Directorships in more than seven listed companies.
5. The Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder, facilitates the participation of the Director in the Board/ Committee meetings through electronic mode. The Directors viz., Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS, Shri Jyothilal K R IAS, Shri Jose V J, Shri Jiji Thomson IAS (Retd.) and Shri Pradipta Banerji have availed the facility during the financial year 2020-21.
6. The meetings of the Board of Directors and Committees have been conducted in the manner as specified in SEBI Listing Regulations and Companies Act, 2013.

Attendance of Directors at Board Meetings and Annual General Meeting (AGM)

7. Six Board Meetings were held during the year under review. Details of attendance of Directors at the Board Meetings and AGM are given below:

Name of Director	2020				2021		AGM Sep 29, 2020
	Jun 20	Aug 10	Oct 15	Nov 12	Jan 04	Feb 12	
Shri Madhu S Nair	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS	✓*	✓*	x	✓*	✓*	x	x
Shri Jyothilal K R IAS	NA	NA	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Shri Suresh Babu N V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Bejoy Bhasker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Jose V J	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Shri Jiji Thomson IAS (Retd.)	✓*	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Shri Pradipta Banerji	✓*	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Shri Nanda Kumaran Puthethath	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* attended through electronic mode

NA - Not applicable

Other Directorships and Committee positions

8. The total number of other Directorship(s) held by Directors and other positions of Membership/Chairmanship on Committees, as on March 31, 2021 are given below:

Name of Director	No. of Directorship in other public limited companies		Board Committee positions held in other public limited companies		Name of other Listed Entity where the person is a Director	Category of Directorship in the Listed Entity
	Chairman	Member	Chairman	Member		
Shri Madhu S Nair	2	2	-	-	-	-
Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS	1	1	-	-	-	-
Shri Jyothilal K R IAS	-	7	1	2	-	-
Shri Suresh Babu N V	-	2	-	-	-	-
Shri Bejoy Bhasker	-	2	-	-	-	-
Shri Jose V J	-	2	-	-	-	-

- The Directorships held by Directors as mentioned above does not include Alternate Directorships, Directorships in Private Limited Companies, Foreign Companies and Companies registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- Memberships/Chairmanships of only the Audit Committees and Stakeholders Relationship Committees of all Public Limited Companies and Government Companies have been considered.

9. None of the Directors except the following hold any shares in the Company as on March 31, 2021:

Name of the Director	No. of Equity Shares Held
Shri Madhu S Nair	600
Shri Bejoy Bhasker	510

Chart of skills/expertise/competence of the Board of Directors as on March 31, 2021

Sl. No.	Skills/Expertise/Competency	Shri Madhu S Nair	Shri Suresh Babu N V	Shri Bejoy Bhasker	Shri Jose V J	Shri Sanjay Bandopadhyaya IAS	Shri Jyothilal K R IAS
1	Ship building/repair Industry Experience	✓	✓	✓	✓		
2	Knowledge of Ship building/repair Sector	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Accounting knowledge				✓		
4	Financial/investment knowledge	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Law				✓	✓	✓
6	Marketing experience	✓	✓	✓	✓		
7	Information Technology			✓	✓	✓	
8	Developing and implementing risk management systems	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Human Resource Management experience	✓		✓		✓	✓
10	Strategy/Corporate plan development and implementation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Directorship experience in other listed companies						
12	Directorship experience in unlisted companies	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Integrity and high ethical standards	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Leadership skills	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Social welfare orientation	✓		✓	✓	✓	✓
16	Experience in government relations	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Independent Directors

10. CSL had six Independent Directors, including a Woman Director, in compliance with Regulation 17 of the SEBI Listing Regulations till March 20, 2020. Subsequently, out of the six Independent Directors, three Independent Directors, including a Woman Director, had vacated their office with effect from March 21, 2020 and the remaining three Independent Directors, had vacated their office with effect from July 15, 2020 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India. CSL has provided necessary intimations to the Administrative Ministry for filling up the post of Independent Directors including a Woman Director.
11. Being a Central Public Sector Undertaking, the Independent Directors of the Company are appointed by the Ministry

of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, initially for a term of 3 years. The main terms of appointment can be accessed at <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent>

12. Familiarization programme for Independent Directors generally form part of the Board process. The Independent Directors are updated on an ongoing basis at the Board/Committee meetings, inter alia, on the following:
- Nature of industry in which the Company operates;
 - Business environment and operational model of various business divisions of the Company including important developments thereon; and
 - Important changes in regulatory framework having impact on the Company.

13. Details of the familiarization programme for Independent Directors can be accessed at <https://cochinshipyard.in/uploads/FTPStaging/INDPDIR/famil.pdf>
14. In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfilled the conditions specified in the SEBI Listing Regulations and were independent of the management during their term of appointment.

Meetings of Independent Directors

15. According to Schedule IV to the Companies Act, 2013 a separate meeting of the Independent Directors of the Company was held on June 19, 2020 which was attended by all the Non-Official Part Time (Independent) Directors, viz., Shri Jiji Thomson IAS (Retd.), Shri Pradipta Banerji and Shri Nanda Kumaran Puthiezath.

Availability of information to the members of the Board

16. The Board has complete access to any information within the Company and to any employee of the Company. The Board welcomes the presence of executives in the Board meetings, who can provide additional insights into the issues being discussed in the meeting. The information normally required to be placed before the Board include the following:
- a) To make calls on shareholders in respect of money unpaid on shares.
 - b) To authorize buy-back of securities.
 - c) To issue securities including debentures, in India or abroad.
 - d) To borrow monies.
 - e) To invest funds of the Company.
 - f) To grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans.
 - g) To approve financial statement and Board's Report.
 - h) To diversify the business of the Company.
 - i) To approve amalgamation, merger or reconstruction.
 - j) To take over a company or acquire a controlling interest or substantial stake in another company.
 - k) To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP).
 - l) To appoint internal auditor and secretarial auditor.
 - m) General notices of interest of Directors.
 - n) Terms of reference of Board Committees.

- o) Minutes of meetings of Audit Committee and other Committees of the Board, resolutions passed by circulation and also the minutes of Board meetings of subsidiary companies.
- p) Annual operating plans of businesses, capital budgets and any updates.
- q) Quarterly results of the Company and its operating divisions or business segments.
- r) Declaration of dividend.
- s) Sale of investments, subsidiaries and assets which are material in nature and not in normal course of business.
- t) Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by the management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- u) Internal audit findings and external audit reports (through the Audit Committee).
- v) Status of business risk exposures, its management and related action plans.
- w) Details of any joint venture or collaboration agreement.
- x) Show cause, demand, prosecution notices and penalty notices which are materially important.
- y) Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.
- z) All policy matters deliberated and introduced for implementation.
- aa) Any material default in financial obligations to and by the Company, or substantial non-payment for goods sold by the Company.
- bb) Any issue which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgment or order, which may have passed strictures on the conduct of the Company or taken an adverse view regarding another enterprise that can have negative implications on the Company.
- cc) The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the Board level including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.
- dd) Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.
- ee) Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in human resources/industrial relations front like implementation of Voluntary Retirement Scheme (VRS) etc.

- ff) Capital budgets and any updates.
- gg) Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity, or intellectual property.
- hh) Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.

Board material distributed in advance

17. Notice of each Board meeting and Committee meeting is sent to all the members not less than seven days in advance except when it is convened as emergency meeting. The agenda notes for each Board/Committee meeting is drafted in consultation with the Chairman and are circulated to the Directors not less than seven days in advance except when it is convened as emergency meeting with the concurrence of all Board/Committee members. All material information is incorporated in the agenda papers for facilitating meaningful and focused discussions at the meeting. Where it is not practicable to attach any document to the agenda, the same is tabled at the meeting with specific reference to the subject in the agenda. In special and exceptional circumstances, additional or supplementary item(s) on the agenda are permitted with the consent of all Directors present at the meeting.
18. CSL digitalised its meetings by introduction of a Board Management software viz., Doss Digital Meetings, which enables to securely create, distribute and manage meeting documents in digital format. It ensures that the Board and the Committee members get the communication at the right time and securely. This Board management software will streamline the entire meeting process right from the preparation of agenda papers till the finalisation of minutes of the meetings, which will in turn save time, effort & cost and improve governance.

Recording Minutes of proceedings at Board and Committee meeting

19. The Company Secretary records the minutes of the proceedings of each Board and Committee meetings. Draft minutes are circulated to all the members of the Board/Committee for their comments within fifteen days from the conclusion of the meeting. The final minutes are entered in the minutes book within 30 days from conclusion of the meeting.

Post Meeting Follow up Mechanism

20. The important decisions taken at the Board/Committee meetings are promptly communicated to the departments/

divisions concerned. The status of implementation of major decisions are apprised to the Board/Committee in the ensuing meetings.

Compliance

21. The Company Secretary while preparing the agenda notes, minutes etc. of the meeting(s) is responsible for and is required to ensure adherence to all the applicable laws and regulations including the Companies Act, 2013 read with the Rules issued thereunder as also the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India and notified by the Government of India.

Board Committees

22. During the financial year 2020-21, the Board of CSL had five statutory Committees viz., Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Committee, Stakeholders Relationship Committee and Risk Management Committee.
23. Consequent to vacation of all Independent Directors with effect from July 15, 2020 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not re-constitute the Statutory Committees with effect from July 15, 2020. Accordingly, until the Committees are re-constituted with sufficient number of Independent Directors, the proposals are being directly considered by the Board. However, the Risk Management Committee was functioning since the vacation of office of Independent Directors had not affected the constitution of the Risk Management Committee as on March 31, 2021.

Audit Committee

24. The Audit Committee of CSL was formed on August 21, 2008. Since all Independent Directors had vacated their office with effect from July 15, 2020 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not re-constitute the Audit Committee with effect from July 15, 2020.

Terms of reference

25. The following are the terms of reference of the Audit Committee:
- (i) Oversight of the listed entity's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;

- (ii) Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of our Company based on the order of Comptroller & Auditor General of India;
- (iii) Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors;
- (iv) Reviewing, with the management, the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the Board for approval, with particular reference to:
 - (a) Matters required to be included in the director's responsibility statement to be included in the Board's report in terms of clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013;
 - (b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - (c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - (d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - (e) Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
 - (f) Disclosure of any related party transactions; and
 - (g) Modified opinion(s) in the draft audit report.
- (v) Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval;
- (vi) Reviewing, with the management, the statement of uses/application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/prospectus/notice and the report submitted by the monitoring agency, monitoring the utilisation of proceeds of a public or rights issue, and making appropriate recommendations to the Board to take up steps in this matter;
- (vii) Reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
- (viii) Approval or any subsequent modification of transactions of our Company with related parties;
- (ix) Scrutiny of inter-corporate loans and investments;
- (x) Valuation of undertakings or assets of our Company, wherever it is necessary;

- (xi) Evaluation of internal financial controls and risk management systems;
- (xii) Reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems;
- (xiii) Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;
- (xiv) Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on;
- (xv) Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board;
- (xvi) Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- (xvii) To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;
- (xviii) To review the functioning of the whistle blower mechanism;
- (xix) Approval of appointment of chief financial officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;
- (xx) Review the following information:
 - (a) Management discussion and analysis of financial condition and results of operations;
 - (b) Statement of significant related party transactions (as defined by the audit committee), submitted by management;
 - (c) Management letters/letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;
 - (d) Internal audit reports relating to internal control weaknesses; and
 - (e) The appointment, removal and terms of remuneration of the chief internal auditor shall be subject to review by the audit committee;

(f) Statement of deviations:

- (i) Quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of Regulation 32(1) of the SEBI Listing Regulations;
- (ii) Annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/prospectus/notice in terms of Regulation 32(7) of the SEBI Listing Regulations;

(xxi) To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit;

(xxii) Recommend the appointment, removal and fixing of remuneration of Cost Auditors and Secretarial Auditors;

(xxiii) Audit Committee shall also review the utilization of loans and/or advances from/investment by the holding company in the subsidiary exceeding Rupees 100 crores or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans /advances/ investments existing as on the date of coming into force of this provision;

(xxiv) Review of compliance with the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended, at least once in a financial year;

(xxv) Verify that the systems for internal control required to be maintained pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended are adequate and are operating effectively; and

(xxvi) Carrying out any other function as specified by the Board from time to time.

Powers of the Audit Committee

26. The Committee is entrusted with the following powers:

- a) To investigate any activity within its terms of reference;
- b) To seek information on and from any employee;
- c) To obtain outside legal or other professional advice, subject to the approval of the Board of Directors; and
- d) To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

27. The recommendations of the Audit Committee on any matter relating to the financial management, including the audit report, shall be binding on the Board.

28. If the Board does not accept the recommendations of the Audit Committee, it shall record the reasons thereof and communicate such reasons to the shareholders.

Constitution

29. As on July 14, 2020, the Audit Committee of CSL comprised of Shri Nanda Kumaran Puthezhath (DIN: 02547619), Non-Official Part Time (Independent) Director as Chairman, Shri Jiji Thomson IAS (Retd.) (DIN: 01178227), Non-Official Part Time (Independent) Director and Shri Pradipta Banerji (DIN: 00630615), Non-Official Part Time (Independent) Director as members. Since all the Independent Directors had vacated their office with effect from July 15, 2020 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not re-constitute the Committee with effect from July 15, 2020.

30. Audit Committee meetings are also attended by Director (Finance), representatives of Secretarial Auditors, Statutory Auditors and Internal Auditors of the Company as invitees. The Internal audit function has been outsourced to a firm of Chartered Accountants. The Company Secretary acts as the Secretary to the Committee.

Audit Committee meetings held during 2020-21 and attendance

31. The Committee met once during the year 2020-21. The necessary quorum was present at this meeting. The attendance during this meeting were as follows:

Sl. No.	Name of the Member	June 20, 2020
1	Shri Nanda Kumaran Puthezhath	✓
2	Shri Jiji Thomson IAS (Retd.)	✓*
3	Shri Pradipta Banerji	✓*

* attended through electronic mode

Nomination & Remuneration Committee

32. The Nomination & Remuneration Committee of Cochin Shipyard Limited was constituted vide Circular Resolution adopted on December 13, 2008.

Terms of reference

33. Following are the terms of reference of the Nomination & Remuneration Committee:

- (i) Decide on the annual bonus/performance pay/variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non-unionized supervisors of our Company;
- (ii) Formulation and modification of schemes for providing perks and allowances for officers and non-unionized supervisors;
- (iii) Any new scheme of compensation like medical scheme, pension etc. to officers, non-unionized supervisors and the employees as the case may be; and
- (iv) Exercising such other roles assigned to it by the provisions of the SEBI Listing Regulations and any other laws and their amendments from time to time.

Constitution

34. As on July 14, 2020, the Committee comprised of Shri Jiji Thomson IAS (Retd.) (DIN: 01178227), Non-Official Part Time (Independent) Director as Chairman, Shri Pradipta Banerji (DIN: 00630615), Non-Official Part Time (Independent) Director and Shri Nanda Kumaran Puthezhath (DIN: 02547619), Non-Official Part Time (Independent) Director as members. Since all the Independent Directors had vacated their office with effect from July 15, 2020 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not re-constitute the Committee with effect from July 15, 2020.

37. Details of remuneration paid to the Whole Time Directors is given below:

Sl. No.	Name and Designation	Total of Basic Pay, DA, HRA & other perks & Allowances	Performance Related Payment (PRP)	Total
1	Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director	47.13	24.28	71.41
2	Shri Suresh Babu N V Director (Operations)	40.04	20.89	60.93
3	Shri Bejoy Bhasker Director (Technical)	37.37	20.01	57.38
4	Shri Jose V J Director (Finance)	35.13	11.37	46.50

(₹ Lakhs)

Nomination & Remuneration Committee meetings held during 2020-21 and attendance

35. One meeting of the Nomination & Remuneration Committee was held during 2020-21. The necessary quorum was present at this meeting. The attendance during this meeting were as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Jul 11, 2020
1	Shri Jiji Thomson IAS (Retd.)	✓*
2	Shri Pradipta Banerji	✓*
3	Shri Nanda Kumaran Puthezhath	✓*

* attended through electronic mode

Remuneration Policy

36. Under Article 21(a) of the Articles of Association of the Company, the Directors shall be paid such remuneration as the President of India may from time to time determine. The pay and allowances of Board level executives are paid in accordance with the terms of appointment, Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines on the above subject and other benefits and perquisites in accordance with the rules of CSL. The remuneration of below Board level executives and non-unionized supervisors is as per DPE guidelines and as approved by the Administrative Ministry (Ministry of Ports, Shipping and Waterways). The remuneration of worker is as per the Long Term Settlement between the management and recognized trade unions.

Notes

- (a) The PRP mentioned in the above table pertains to the period 2018-19, paid during 2020-21. The PRP paid to the Whole Time Directors is as per the Performance Payment Scheme applicable to all executives and non-unionized supervisors of the Company, framed in line with the DPE Guidelines.
- (b) The remuneration, tenure and other terms and conditions of appointment of Whole Time Directors are as per the letter issued by the Administrative Ministry (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) in line with the government guidelines. The Whole Time Directors are appointed for a period of 5 years with effect from the date of assumption of charge of the post or till the date of superannuation or until further orders whichever event occurs the earliest. Notice period in case of leaving service before the contractual term is 3 months or in the absence of notice period, 3 months' pay may be remitted.
- (c) During the year, no Stock Options were issued by the Company to Whole Time Directors.

Sitting fees

38. The Non-Official Part Time (Independent) Directors are paid sitting fees at the rate of ₹15,000/- for attending each meeting of the Board or Committee thereof. The Official Part Time (Nominee) Directors are not paid any remuneration. The criteria for making payment to Non-Executive Directors is available in the Company's website at the following link: <https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent>
39. Sitting fees paid to the Non-Official Part Time Directors for 2020-21 are as follows:

Sl. No.	Name	Fees (in ₹)
1	Shri Jiji Thomson IAS (Retd.)	75,000
2	Shri Pradipta Banerji	60,000
3	Shri Nanda Kumaran Puthezhath	75,000

40. Since the Non-Official Part Time (Independent) Directors are appointed by the President of India, the evaluation of performance of such Directors are also done by the GOI.

Stakeholders Relationship Committee

41. The Stakeholders Relationship Committee of CSL was constituted vide resolution no. 227/08 at the 227th Board Meeting held on September 20, 2016.

Terms of reference

42. Following are the terms of reference of the Stakeholders Relationship Committee:
- Resolving the grievances of the security holders of the company including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.;
 - Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders;
 - Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent; and
 - Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.

Constitution

43. As on July 14, 2020, the Committee comprised of Shri Nanda Kumaran Puthezhath (DIN: 02547619), Non-Official Part Time (Independent) Director as Chairman, Shri Suresh Babu N V (DIN: 07482491), Director (Operations) and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) as members. Since all the Independent Directors had vacated their office with effect from July 15, 2020 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not re-constitute the Committee with effect from July 15, 2020.

Stakeholders Relationship Committee meetings held during 2020-21 and attendance

44. No meeting of Stakeholders Relationship Committee was held during the year 2020-21.

Name, designation and address of the Compliance Officer

Shri Syamkamal N
Company Secretary & Compliance Officer
Cochin Shipyard Limited
Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
Tel: +91 (484) 2501306, Fax: +91 (484) 2384001
Email: secretary@cochinshipyard.in
Website: www.cochinshipyard.in

Status of Investor Complaints as on March 31, 2021 and reported under Regulation 13(3) of the SEBI Listing Regulations

Complaints as on April 01, 2020	0
Received during the year	4
Resolved during the year	4
Not solved to the satisfaction of shareholders	0
Pending as on March 31, 2021	0

Constitution of Risk Management Committee

45. The Risk Management Committee of CSL was constituted in line with the SEBI Listing Regulations on February 08, 2019. Prior to the Constitution of the Committee, the risks had been periodically reviewed by the Board and the Audit Committee. As on March 31, 2021, the Committee comprises of Shri Suresh Babu N V, Director (Operations) as Chairman, Shri Bejoy Bhasker, Director (Technical) and Shri Jose V J, Director (Finance), as members.

Terms of reference

46. Following are the terms of reference of Risk Management Committee:
- Monitoring and reviewing of the risk management plans including steps taken for ensuring cyber security;
 - Ensure required risk documentation is done on quarterly basis;
 - Provide updates and seek approval from Board of Directors on risk management; and
 - Such other functions as may be specified by the Board from time to time.

Risk Management Committee meetings held during 2020-21 and attendance

47. One meeting of the Risk Management Committee was held during the financial year 2020-21. Necessary quorum was present at this meeting. The attendance during this meeting was as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Feb 05, 2021
1	Shri Suresh Babu N V	✓
2	Shri Bejoy Bhasker	✓
3	Shri Jose V J	✓

Corporate Social Responsibility & Sustainable Development (CSR & SD) Committee

48. A sub-committee of the Board was constituted vide resolution no. 181/09 at the 181st meeting of the Board held on September 05, 2008 to decide on the matters relating to Corporate Social Responsibility in CPSEs.
49. The Sustainable Development Committee was constituted at the 197th Board Meeting held on November 23, 2011. The DPE vide OM No.3(9)/2010-DPE(MoU) dated September 23, 2011 has issued detailed guidelines on Sustainable Development in CPSEs.
50. Company decided to merge the Corporate Social Responsibility Committee and Sustainable Development Committee to decide the matters relating to CSR activities in line with the guidelines laid down under Schedule VII of the Companies Act, 2013.

Terms of reference

51. The following are the terms of reference of the Corporate Social Responsibility & Sustainable Development Committee:
- Recommend CSR and sustainability development policy to the Board;
 - Recommend plan of action and projects to be initiated in the short, medium and long term for CSR and sustainability development;
 - To recommend the annual CSR and sustainability development plan and budget; and
 - Periodic review of CSR and sustainability development policy, plans and budgets.

Constitution

52. As on July 14, 2020, the Committee comprised of Shri Jiji Thomson IAS (Retd.) (DIN: 01178227), Non-Official Part Time (Independent) Director as Chairman, Shri Nanda Kumaran Puthezhath (DIN: 02547619), Non-Official Part Time (Independent) Director, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical) and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) as members. Since all the Independent Directors had vacated their office with effect from July 15, 2020 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not re-constitute the Committee with effect from July 15, 2020.

CSR & SD Committee meetings held during 2020-21 and attendance

53. One meeting of CSR & SD Committee was held during the year 2020-21. Necessary quorum was present at this meeting. The attendance during this meeting were as follows:

Sl. No.	Name of Director	Jun 20, 2020
1	Shri Jiji Thomson IAS (Retd.)	✓*
2	Shri Nanda Kumaran Puthezhath	✓
3	Shri Bejoy Bhasker	✓
4	Shri Jose V J	✓

* attended through electronic mode

General Body Meetings

54. The date, time and venue of the last three Annual General Meetings were as follows:

Year	Date	Time	Venue	Special resolution passed
2019-20	Sep 29, 2020	11:00 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	3
2018-19	Aug 13, 2019	11:00 hrs.	The Mercy Hotel, M.G. Road, Ravipuram, Kochi – 682015	Nil
2017-18	Aug 14, 2018	11:00 hrs.	Kerala Fine Arts Society Hall, Foreshore Road, Pallimukku, Ernakulam – 682016	Nil

Postal Ballot

55. During the financial year 2020-21, no resolution was put through by postal ballot.
56. None of the business proposed to be transacted in the ensuing AGM requires the passing of a special resolution by way of postal ballot.

Means of Communication

57. All price-sensitive information and matters that are material to shareholder are disclosed to the respective Stock Exchanges, where the securities of the Company are listed. All submission to the Exchanges is made through the respective electronic filing systems.

58. The financial results for the quarter/half-year/year were published as under:

Quarter/half-year/year	In the month of
Quarter ending June 30, 2020	August
Quarter/half-year ending September 30, 2020	November
Quarter ending December 31, 2020	February
Year ending March 31, 2021	June

59. Quarterly/half-yearly/annual results, notices and information relating to General Meetings, etc. are published in leading newspapers viz., Business Line (all editions), Mathrubhumi (Cochin edition) and Jansatta (all editions) and are notified to the Stock Exchanges as required under the SEBI Listing Regulations.

60. The quarterly/half-yearly/annual financial results and other communication to shareholders and Stock Exchanges, inter alia, presentations to institutional investors & analysts, press releases etc., are made available in the Company's website www.cochinshipyard.in under 'Investors' section. They are also filed with the National Stock Exchange of India Limited (NSE) through NSE Electronic Application Processing System (NEAPS) and with BSE Limited (BSE) through BSE Online Portal.

61. The Management hold quarterly briefs with analysts and institutional investors. The presentation made to the institutional investors and analysts for quarterly/half-yearly/annual results are available on the Company's website under 'Investors' section.

65. The particulars of total dividend declared in the previous three financial years are given below:

Financial Year	Final Dividend Per Share (₹)	Interim Dividend Per Share (₹)	
2020-21	2.50	01 st 9.00	02 nd 4.00
2019-20	15.00	1.63	
2018-19	13.00	-	

Listing of shares and stock code

66. The Company's equity shares are listed at the following Stock Exchanges and listing fees for the year 2020-21 has been paid to the Stock Exchanges.

Name and address of the Stock Exchange	Stock Code
BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower Dalal Street, Mumbai – 400 001	540678
National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Bandra – Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051	COCHINSHIP

67. The International Securities Identification Number (ISIN) for the Company's shares is INE704P01017.

General Shareholder Information

62. Annual General Meeting for FY 2021

Date : September 29, 2021

Time : 11:00 hrs.

Venue : The Company is conducting meeting through electronic mode (VC/OAVM) pursuant to the MCA Circular dated January 13, 2021 and as such there is no requirement to have a venue for the AGM. For details please refer to the Notice of this AGM.

63. Financial Year: April 01, 2020 to March 31, 2021.

Dividend Payment


64. The final dividend for the year ended March 31, 2021 if approved at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source, on or after Wednesday, October 06, 2021. The Company will be making the dividend payment by electronic mode wherever possible and by dividend warrants/demand drafts in other cases.

68. Market Price data – high, low during each month in the last financial year (i.e. year under review):

Price and volume of shares traded

Month/ Year	BSE Limited			National Stock Exchange of India Limited		
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in Lakhs)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in Lakhs)
Apr 2020	283.75	238.00	2.47	284.10	240.00	33.53
May 2020	258.40	218.65	3.81	257.00	218.45	65.49
Jun 2020	324.40	225.05	9.07	324.50	226.20	181.14
Jul 2020	348.25	294.00	11.60	348.35	293.95	181.30
Aug 2020	371.40	321.80	7.20	371.40	321.80	103.70
Sep 2020	350.20	304.95	3.39	350.45	303.60	48.87
Oct 2020	376.40	312.00	4.20	378.00	316.55	75.03
Nov 2020	371.90	333.05	6.72	371.70	333.45	66.33
Dec 2020	387.00	335.85	7.51	386.75	336.10	103.00
Jan 2021	396.30	339.05	4.87	396.00	339.15	64.11
Feb 2021	395.90	318.00	9.58	395.90	340.55	105.73
Mar 2021	426.00	342.15	7.17	426.50	347.45	102.82

Performance in comparison to broad based indices



Details of securities suspended

Not applicable.

Registrar and Transfer Agents (RTA)

Link Intime India Private Limited
Surya, 35, Mayflower Avenue
Behind Senthil Nagar
Sowripalayam Road, Coimbatore
Tamil Nadu – 641 028
Tel: 0422 2315792; Fax: 0422 2314792
E-mail: coimbatore@linkintime.co.in

Share Transfer System

69. The Company's shares being in the compulsory demat list, are transferable through the depository system.

Distribution of Shareholding

70. Distribution of shareholding based on number of folio as on March 31, 2021.

No. of shares held	Members		Shares	
	No.	%	No.	%
1-500	165488	97.0707	9482304	7.21
501-1000	2846	1.6694	2193419	1.67
1001-2000	1151	0.6751	1689008	1.28
2001-3000	363	0.2129	926301	0.70
3001-4000	160	0.0939	581484	0.44
4001-5000	137	0.0804	641366	0.49
5001-10000	172	0.1009	1244733	0.95
>10000	165	0.0968	114781775	87.26
Total	170482	100.0000	131540390	100.00

Dematerialization of shares and liquidity

71. The Company's shares are compulsorily traded in dematerialized form and are available on both the depositories viz., NSDL and CDSL.

Percentage of shares held in

Physical form : 0.00
Electronic form with NSDL : 90.25
Electronic form with CDSL : 9.75

The Company's equity shares are regularly traded on the BSE and NSE.

Outstanding Global Depository Receipts (GDRs) or American Depository Receipts (ADRs) or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity

None.

Foreign exchange risk and hedging of activities

72. The Company has formulated a Forex Risk Management Policy duly approved by the Board and the forex exposures are being hedged depending upon the market conditions.

73. The Company is also keeping a constant watch on the forex market fluctuations and has been exploring various options of foreign currency borrowings like buyer's credit etc. as part of effective working capital management. Status of the forex exposure and the hedging position is reviewed by the Audit Committee and the Board. Presently, Audit Committee is not functional due to non-appointment of Independent Directors. The Committee will be re-constituted on appointment of Independent Directors.

Plant Locations

• Shipbuilding & Ship Repair facility at Perumanoor, Ernakulam District, Kochi – 682 015

- International Ship Repair facility at Cochin Port Trust, Willingdon Island, Kochi – 682 009
- Ship repair facility at Indira Dock, Mumbai
- Ship repair facility at Netaji Subhas Dock, Kolkata
- Ship repair facility at Marine Dockyard, Port Blair

Address for Correspondence

Company Secretary & Compliance Officer
Cochin Shipyard Limited
Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
Tel: +91 (484) 2501306, Fax: +91 (484) 2384001
Email: secretary@cochinshipyard.in
Website: www.cochinshipyard.in

Credit Ratings

Instrument	ISIN	Rating
8.51% Tax Free Secured Redeemable Non-Convertible Bonds	INE704P07014	AAA by CARE Rating
8.72% Tax Free Secured Redeemable Non-Convertible Bonds	INE704P07030	AAA by CARE Rating

Other Disclosures

Related Party Transactions

74. During the year under review, there were no materially significant related party transactions that had or may have conflict with the interest of the Company at large. The Company has a policy for related party transactions, which can be accessed at the following link: <https://cochinshipyard.in/uploads/coporate/183d8b6d86dbcd98336ba05c52dc6bfd.pdf>

Non-compliance by the Company

75. No penalties/strictures have been imposed on the Company by the Stock Exchanges or Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other statutory authority on any matter relating to capital markets during the last three years except the following:

Year	Name of Authority	Nature of non-compliance	Period of non-compliance	Amount of fine/penalty imposed	Remarks
2019-20	BSE & NSE	Non-appointment of sufficient no. of Independent Directors including a Woman Director.	June 20, 2019 to July 28, 2019	₹1,95,000 (plus GST @18%) each.	As the appointment of Directors is beyond the powers of the Company and is to be done by GOI, the fine levied was waived based on the representation made by the Company.
2020-21	BSE & NSE	Non-compliance with the requirements pertaining to quorum of Board Meetings i.e. not having at least one Independent Director.	July 15, 2020 to September 30, 2020	₹10,000 (plus GST @18%) each.	With effect from July 15, 2020 the Company does not have Independent Directors on its Board. As the appointment of Directors is beyond the powers of the Company and is to be done by GOI, the Company has forwarded the request for waiver of fines imposed. BSE has waived the fines and response from NSE is awaited.
		Non-appointment of Independent Directors including a Woman Director.	October 01, 2020 to December 31, 2020	₹4,60,000 (plus GST @18%)	
		Non-compliance with respect to the constitution of Audit Committee.	October 15, 2020 to December 31, 2020	₹1,56,000 (plus GST @18%)	With effect from July 15, 2020 the Company does not have Independent Directors on its Board. As the appointment of Directors is beyond the powers of the Company and is to be done by GOI, the Company has forwarded the request for waiver of fines imposed. BSE has waived the fines and response from NSE is awaited.
	BSE & NSE	Non-compliance with respect to the constitution of Nomination and Remuneration Committee	October 15, 2020 to December 31, 2020	₹1,56,000 (plus GST @18%)	
		Non-compliance with respect to the constitution of Stakeholders Relationship Committee	October 15, 2020 to December 31, 2020	₹1,56,000 (plus GST @18%)	
	NSE	Non-compliance with respect to the requirements pertaining to quorum of Board Meetings i.e. not having at least one Independent Director.	October 01, 2020 to December 31, 2020	₹20,000 (plus GST @18%)	With effect from July 15, 2020 the Company does not have Independent Directors on its Board. As the appointment of Directors is beyond the powers of the Company and is to be done by GOI, the Company has forwarded the request for waiver of fines imposed. BSE has waived the fines and response from NSE is awaited.

As on March 31, 2021, there is no Woman Director on the Board of CSL and there are no Independent Directors as against the statutory requirement of six, due to the completion of tenure of three Independent Directors including a Woman Director on March 20, 2020 and the remaining three Independent Directors on July 14, 2020. The said vacancies have been intimated to the Government of India. Further, the Statutory Committees will also be re-constituted on appointment of Independent Directors.

Vigil Mechanism and Whistle Blower Policy

76. Cochin Shipyard has adopted a Whistle Blower Policy approved by the Board at its 198th meeting held on February 22, 2012. Cochin Shipyard is a Government of India undertaking and follows Government guidelines on reporting of any illegal or unethical practices. Directors/ employees/ stakeholders/representative bodies of employees are given freedom to report to their immediate Supervisor/ Chief Vigilance Officer or Chairman & Managing Director, details of any violation of rules, regulations and unethical conduct. The Directors and Senior Management are bound to maintain confidentiality of such reporting and ensure that the whistle blowers are afforded protection against any harassment and not subjected to any discriminatory practices. During the period under report no personnel has been denied access to the Audit Committee. The Board in its 228th meeting held on December 14, 2016 amended its Whistle Blower Policy. Further, in line with the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, CSL had adopted Fraud Prevention and Detection Policy at the 214th Board Meeting held on September 16, 2014. Since the larger objective of both policies was similar, CSL adopted a combined policy viz., Whistle Blower and Fraud Prevention Policy at the 252nd Board Meeting held on November 12, 2019. The said policy is available in the website of the Company at <https://cochinshipyard.in/uploads/investors/86e4f639de81552f10f00afec6917a09.pdf>

Code of Conduct for Prevention of Insider Trading

77. The Company has in place a Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. The Code lays down guidelines, which advise on procedures to be followed and disclosures to be made, while dealing with the shares of the Company, and cautioning them of the consequences of violations. The Code of Conduct for Prevention of Insider Trading is hosted on the website of the Company and can be accessed at: <https://cochinshipyard.in/Investors>

Mandatory Requirements

78. A comprehensive report on the status of compliance with all the applicable corporate laws, rules and regulations by the Company is placed before the Board on a quarterly basis for their information and review. The Company has complied with all the mandatory requirements of the Code of Corporate Governance as specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub regulation (2) of Regulation 46 of the SEBI Listing Regulations, except with respect to the composition of Board of Directors viz., appointment of Independent Directors including a Woman Director and consequent compliances related to Statutory Committees.

Non-Mandatory Requirements

79. The Company has complied with the following non-mandatory requirements of the SEBI Listing Regulations relating to Corporate Governance. The status of compliance with the non-mandatory requirements listed in Regulation 27(1) read with Part E of Schedule II of the SEBI Listing Regulations is as under:

- During the year under review, there is no audit qualification in the Company's financial statements. The Company continues to adopt best practices to ensure regime of unmodified audit position.

Subsidiary Company

80. Regulation 16 of the SEBI Listing Regulations defines a 'material subsidiary' as subsidiary, whose income or net worth exceeds 10% of the consolidated income or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year. Under this definition, the Company does not have any unlisted material subsidiary incorporated in India.

81. Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) is a wholly owned subsidiary company of Cochin Shipyard Limited (CSL) which was incorporated as Joint Venture Company on October 23, 2017, venturing with Hooghly Dock & Port Engineers Limited. However, since November 01, 2019, HCSL is a wholly owned subsidiary of CSL. Further, the Company has taken over Tebma Shipyards Limited (TSL) through the statutory insolvency resolution process with effect from September 15, 2020. Accordingly, TSL has become a wholly owned subsidiary of CSL with effect from September 15, 2020.

82. Pursuant to the Explanation under Regulation 16(1)(c) of the SEBI Listing Regulations, the Company has formulated a policy for determining 'material subsidiaries' which is disclosed on the Company's website at the following link: <https://cochinshipyard.in/Investors>

83. Details of compliance with the requirement of Corporate Governance guidelines:

In terms of Listing Regulations and DPE guidelines on Corporate Governance, Certificate regarding Compliance of Corporate governance guidelines from Practicing Company Secretary is placed at **Annexure I** to this report.

84. Details of Presidential Directives issued by Central Government and their compliance during the year and also in the last three years:

The Company has complied with all presidential directives issued by Central Government regarding the operation of PSUs.

85. Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business: Nil

86. Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management: Nil

The administrative and office expenditure of the Company for the year 2020-21 was 2.05% of the total expenditure as against 1.89% in 2019-20. Financial expenditure stood at 2.29% of the total expenditure in 2020-21, against 1.59% in the previous year.

87. A certificate from a company secretary in practice, that none of the Directors on the Board of the Company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the SEBI/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority, is placed at **Annexure II** to this report.

88. The Company has paid an amount of ₹26.70 lakhs to M/s. Elias George & Co., Statutory Auditors for the services provided to the Company and its subsidiaries.

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

a. Number of complaints filed during the financial year 2020-21	1
b. Number of complaints disposed of during the financial year 2020-21	1
c. Number of complaints pending as on end of the financial year 2020-21	Nil

Code of Conduct

89. The Board has prescribed a Code of Conduct ('Code') for all the Board members and Senior Management of the Company. All Board members and Senior Management personnel have confirmed compliance with the Code for the year 2020-21.

The Code is hosted on the website of the Company and can be accessed at: <https://cochinshipyard.in/Investors>

90. A declaration signed by the Chairman & Managing Director of the Company is given below:

I hereby declare that all the members of the Board of Directors and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct of the Board of Directors and Senior Management personnel in respect of the financial year 2020-21.

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

CEO/CFO Certification

91. The CEO/CFO certification of the financial statements for the year is appended at **Annexure III** to this report.

Risk Management Process

92. CSL reviewed the existing risk management policy and adopted a revised policy encompassing a comprehensive system of Risk Management at its 259th Board Meeting held on February 12, 2021. The salient features of the new risk management policy is as follows:

- Risk Management Vision Statement: Minimize the organizational risks to an acceptable level and adopt risk management practices which would help the Company to attain its goals and objectives while at the same time ensuring minimization of risks.
- Risk Management Policy:
 - The Risk Management process is implemented to improve the Company's ability to prevent risks and ensure timely detection of risk.
 - To identify risks and its mitigation.
 - Risk Management process to be standardized.
 - Facilitate sharing of risk information.

93. The risk management policy intends to put in place an effective risk management framework and an appropriate reporting mechanism. The management of Cochin Shipyard would periodically identify the various risks and assess/analyze their impact on the Company. Risk mitigation and management measures would be put in place to effectively manage these risks. The Board may approve changes to the policy from time to time in order to align it with the changes in business environment.

Risk Management System and Structure

94. The Board has constituted a Risk Management Committee to review the risk management system within CSL. The Board also discharge its responsibility of risk oversight by ensuring the review at periodical intervals. The CSL management comprising of CSL Board level and below Board level executives are entrusted with the implementation of the risk management process. In this respect, Risk Management Steering Committee and Functional Risk Management Committees have been constituted to implement the policy in CSL.

95. Due to the peculiar nature of business carried on by CSL, it avoids the risk relating to its commodities.

96. Exposure of the listed entity to commodity and commodity risks faced by the entity throughout the year:

- Total exposure of the listed entity to commodities in INR: ₹39.65 crores.
- Exposure of the listed entity to various commodities:

Commodity Name	Exposure in INR towards the particular commodity	Exposure in Quantity terms towards the particular commodity	% of such exposure hedged through commodity derivatives				Total
			Domestic market		International market		
			OTC	Exchange	OTC	Exchange	
Steel	39.65 crores	7997.12Tonnes	-	-	-	-	-

- In order to avoid risk relating to increase in input cost, the Company places order for all major inputs with staggered delivery at the time of signing of shipbuilding contract. The offers are checked with the estimates taken for arriving at the estimated cost. In the case of ship repair, major components are normally supplied to ship owners at cost plus basis as the components are normally of the owner's preference.

Shareholding pattern

97. The Company has issued 13,15,40,390 equity shares of ₹10/- each, details of which as on March 31, 2021 are as follows:

Category of share holders	Number of share holders	Total number of shares	Percentage (%)
Central Government	1	95843464	72.8624
Clearing Members	215	279637	0.2126
Other Bodies Corporate	568	1733561	1.3179
Directors	2	1110	0.0008
Financial Institutions	1	181	0.0001
Hindu Undivided Family	5177	883349	0.6715
Mutual Funds	7	2919959	2.2198
Nationalised Banks	1	10000	0.0076
Non-Nationalised Banks	1	110	0.0001
Foreign Nationals	1	100	0.0001
Non-Resident Indians	2904	1911050	1.4528
Non-Resident (Non Repatriable)	1167	407070	0.3095
Public	160349	17917066	13.621
Trusts	7	18058	0.0137
Insurance Companies	7	6712118	5.1027
Foreign Portfolio Investors (Individual)	4	4700	0.0036
Foreign Portfolio Investors (Corporate)	69	2860857	2.1749
Alternate Investment Funds – III	1	38000	0.0289
Total	170482	131540390	100.0000

Means of Communication

98. The quarterly/half-yearly/yearly financial results are posted on the websites of the BSE, NSE and the Company, after consideration and approval by the Board and are also published in one English national daily having all India circulation and at least in one Malayalam national daily, Kochi edition within 48 hours of its approval. These results have also been published in one Hindi national daily having all India circulation. The Annual Report of the Company is posted in the website viz., www.cochinshipyard.in. The website of the Company also displays all official news releases.

Audit Qualifications

99. The Report submitted by M/s. Elias George & Co., Statutory Auditors of the Company does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

100. The Secretarial Auditors, M/s. Mehta & Mehta, in their Report observed the following:

- During the year under report there was no Woman Director on the Board of the Company as required under Regulation 17(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") and Section 149 of the Companies Act, 2013;
- The Company was having requisite number of Independent Directors on the Board for a period from April 01, 2020 to July 14, 2020 as required under Section 149(4) of the Companies Act, 2013. However, upon end of the term of Independent Directors on July 14, 2020 there was no new appointment of Independent Directors till March 31, 2021;
- During the period from July 15, 2020 to March 31, 2021, the Company has not constituted Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee and Corporate Social Responsibility Committee as required under various provisions of the SEBI LODR Regulations, Companies Act, 2013 and the Corporate Governance Guidelines for CPSEs, wherever applicable; and
- The Stock Exchanges viz., NSE and BSE had imposed a total fine of ₹18,96,000 (NSE – ₹9,58,000 and BSE – ₹9,38,000) for non-compliance of Corporate Governance conditions of SEBI LODR Regulations.

101. The explanation of the Board to the observations in the Secretarial Audit Report is given below:

Cochin Shipyard Limited (CSL) is a Central Public Sector Enterprise under the administrative control of the

Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. Accordingly, the appointment of Directors on the Board of CSL is done by the Government of India by following due procedure of selection. The Company has forwarded necessary intimations to the Administrative Ministry for filling up the posts of Independent Directors including a Woman Director and frequent follow ups are also being done. However, the filling up of vacancies of the Independent Directors and Woman Director remains pending with the Government of India. Further, the Company could not re-constitute the aforesaid Statutory Committees due to the non-appointment of Independent Directors, which will be done once the requisite number of Independent Directors are appointed. The Company had forwarded intimations to the Stock Exchanges viz., NSE & BSE explaining the position of the Company with respect to non-compliance of Corporate Governance conditions of SEBI LODR Regulations. BSE vide their communication on April 19, 2021 waived the fine levied on the Company. The fines are levied as per the SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/12 dated January 22, 2020 which provides that the Stock Exchanges shall take uniform action in consultation with each other. Further, NSE has not taken any further action under the SEBI LODR Regulations in this regard.

Training Board Members

102. The Board members of CSL are senior executives who have a very vast, wide and varied experience in the areas of education, industry, defence, management, human resource management and administration. CSL has benefited from their vision and knowledge. Presentations are made to the Board members on the Company's performance, business model, corporate plan and future outlook, on their induction in the Board. In addition, at the Board/Committee/other meetings, detailed presentations are made by the senior management personnel/professionals/consultants on business related issues, risk assessment, risk policy etc. The directors are encouraged to identify and attend specific training programmes to improve their effectiveness. The Board has also adopted a policy regarding training of Directors.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
June 11, 2021

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Annexure I

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,
The Members,
COCHIN SHIPYARD LIMITED

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Cochin Shipyard Limited** (hereinafter referred as "Company") for the Financial Year ended March 31, 2021, as prescribed under Regulations 17 to 27, clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 and paras C, D and E of Schedule V of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred as "SEBI LODR Regulations").

We state that compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management, and our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring compliance with conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion, and to the best of our information and according to our examination of the relevant records and the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as prescribed under Listing Regulations **subject to the following observations:**

- There was no Woman Director on the Board of Directors of the Company for the period April 01, 2020 to March 31, 2021 as required under Regulation 17(1) of SEBI LODR Regulations;
- There were no requisite number of Independent Directors on the Board of Directors of the Company for the period July 15, 2020 to March 31, 2021 as required under Regulation 17(1) of SEBI LODR Regulations;
- A fine has been levied by both BSE Limited ("BSE") & National Stock Exchange of India Limited ("NSE") for Non-Compliance of Corporate Governance conditions of SEBI LODR Regulations viz., Non-Appointment of Woman Director & Independent Directors & Constitution of committees, as follows:

Sr. No.	Fine levied by Stock Exchanges	Amount	Period for which fine levied
1	BSE Limited ("BSE")	BSE: INR 9,38,000/- (Rupees Nine Lakh Thirty Eight Thousand Only)#	Quarter ended on Sep 30, 2020 and Dec 31, 2020
2	National Stock Exchange of India Limited ("NSE")	NSE: INR 9,58,000/- (Rupees Nine Lakh Fifty Eight Thousand Only)#	Quarter ended on Sep 30, 2020 and Dec 31, 2020

#The fine amounts mentioned above are exclusive of Goods and Service Tax @18%

*After the representations made by the Company the fine levied by BSE were waived.

- The Company has not constituted Audit Committee as required under Regulation 18 of SEBI LODR Regulations for a period from 15.07.2020 to 31.03.2021.
- The Company has not constituted Nomination and Remuneration Committee as required under Regulation 19 of SEBI LODR Regulations for a period from 15.07.2020 to 31.03.2021.
- The Company has not constituted Stakeholders Relationship Committee as required under Regulation 20 of SEBI LODR Regulations for a period from 15.07.2020 to 31.03.2021.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

This certificate is issued solely for the purposes of complying with Listing Regulations and may not be suitable for any other purpose.

For **Mehta & Mehta**,
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Atul Mehta

Partner

PCS No : 5782

CP No : 2486

Place: Mumbai

Date: 11th June, 2021

UDIN: F005782C000450292

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 issued by Department of Public Enterprises, Government of India Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises)

To,
The Members,
COCHIN SHIPYARD LIMITED

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Cochin Shipyard Limited** (hereinafter referred as "Company") for the Financial Year ended March 31, 2021, as stipulated under Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 ("CPSEs") issued by Department of Public Enterprises ("DPE"), Government of India Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

We state that compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management, and our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to our examination of the relevant records and the explanations given to us, we certify that the company has complied with the

conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines **subject to the following observations:**

- 1) *There was no Woman Director on the Board of Directors of Company for the period April 01, 2020 to March 31, 2021 as required under Regulation 17(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;*
- 2) *There were no requisite number of Independent Directors on the Board of Directors of the Company for the period July 15, 2020 to March 31, 2021 as required under Regulation 17(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;*
- 3) *A fine has been levied by both BSE Limited ("BSE") & National Stock Exchange of India Limited ("NSE") for Non-Compliance of Corporate Governance conditions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 viz., Non-Appointment of Woman Director & Independent Directors & Constitution of committees, as follows:*

Sr. No.	Fine levied by Stock Exchanges	Amount	Period for which fine levied
1	BSE Limited ("BSE")	BSE: INR 9,38,000/- (Rupees Nine Lakh Thirty Eight Thousand Only)#	Quarter ended on Sep 30, 2020 and Dec 31, 2020
2	National Stock Exchange of India Limited ("NSE")	NSE: INR 9,58,000/- (Rupees Nine Lakh Fifty Eight Thousand Only)#	Quarter ended on Sep 30, 2020 and Dec 31, 2020

#The fine amounts mentioned above are exclusive of Goods and Service Tax @18%

*After the representations made by the Company the fine levied by BSE were waived.

- 4) *The Company has not constituted Audit Committee as required under Regulation 18 of SEBI LODR Regulations and Clause 4.1 of the CG Guidelines for a period from 15.07.2020 to 31.03.2021.*
- 5) *The Company has not constituted Nomination and Remuneration Committee as required under Regulation 19 of SEBI LODR Regulations and Clause 5.1 of the CG Guidelines for a period from 15.07.2020 to 31.03.2021.*
- 6) *The Company has not constituted Stakeholders Relationship Committee as required under Regulation 20 of SEBI LODR Regulations for a period from 15.07.2020 to 31.03.2021.*

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

This certificate is issued solely for the purposes of complying with the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010 ("CPSEs") issued by Department of Public Enterprises ("DPE"), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India and may not be suitable for any other purpose.

For **Mehta & Mehta,**
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Atul Mehta

Partner
PCS No : 5782 Place: Mumbai UDIN: F005782C000450325
CP No : 2486 Date: 11th June, 2021

Annexure II

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
Cochin Shipyard Limited,
Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises,
Perumanoor, Cochin,
Ernakulam, Kerala - 682015

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **Cochin Shipyard Limited having CIN L63032KL1972GOI002414** and having registered office at Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Cochin, Ernakulam, Kerala – 682015 (hereinafter referred to as 'the Company'), produced before us by the Company for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Company & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2021 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Directors	DIN	Date of appointment in Company
1.	Madhu Sankunny Nair	07376798	01/01/2016
2.	Nikerthil Velayudhan Sureshababu*	07482491	26/04/2016
3.	Bejoy Bhasker	08103825	05/04/2018
4.	Valiyaparambil Jacob Jose	08444440	01/08/2019
5.	Sanjay Bandopadhyaya	00088957	03/02/2020
6.	Kalluvila Veedu Ravindran Jyothilal	01650017	24/08/2020

* Shri Nikerthil Velayudhan Sureshababu retired on superannuation from the services of the Company on April 30, 2021.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **Mehta & Mehta,**
Company Secretaries
(ICSI Unique Code P1996MH007500)

Atul Mehta

Partner
FCS No : 5782 Place: Mumbai UDIN: F005782C000450314
CP No : 2486 Date: 11th June, 2021

Annexure III

CEO/CFO Certificate

To
The Board of Directors
Cochin Shipyard Limited
Kochi – 682 015

Dear Sirs,

1. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year ended March 31, 2021 and that to the best of our knowledge and belief:
 - (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
2. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the year which are fraudulent or illegal or violative of the Company's code of conduct.
3. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting. We have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies, if any.
4. We have indicated to the Auditors that:
 - (i) There has not been any significant change in internal control over financial reporting during the year;
 - (ii) There has not been any significant change in accounting policies during the year requiring disclosure in the notes to the financial statements; and
 - (iii) We are not aware of any instance during the year of significant fraud with involvement therein of the management or an employee having a significant role in the Company's internal control system over financial reporting.
5. We further certify that the funds disbursed for Corporate Social Responsibility (CSR) activities have been utilised by the Company for the purposes and in the manner as approved by the Board of Directors from time to time and also in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder.

Kochi
June 11, 2021

Jose V J
Director (Finance) and CFO
DIN: 08444440

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Forward Looking Statements

1. Statements in this Management Discussion and Analysis of financial condition and results of operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in the statement. Important factors that could influence the Company's operations include government's strategy relating to acquisition of naval platforms, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally. The financial statements are prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting and in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. The Company has used estimates and judgements relating to the financial statements on a prudent and reasonable basis, in order that the financial statements reflect in a true and fair manner, the state of affairs for the year.
2. The following discussions on our financial condition and result of operations should be read together with our audited consolidated financial statements and the notes to these statements included in the annual report.

Shipbuilding Industry

Global Shipbuilding Industry

3. The shrinkage of GDP and the trade volumes due to the current COVID-19 pandemic is directly impacting the demand and the shipyards. The current COVID-19 pandemic is the worst health crisis in more than a century and potentially without precedent if we take the globalized nature of the current economy. A simultaneous supply and demand shock that led to the global recession and unprecedented contraction in global trade (affecting both the export potential of nations and their demand

for imports). In an updated autumn 2020 report, the WTO forecast a 9.2% decline in the volume of world merchandise trade, in 2020 followed by a muted rise in 2021. Trade volume growth thus would remain clearly below the pre-crisis trend of early 2020. The impact of the COVID-19 pandemic compounded existing trends, complicating an already challenging newbuilding environment at the start of the year. Foremost amongst these was the long period of yard rationalisation after the contracting boom in the 2000s, and more recently, the uncertainties surrounding the potential impact of environmental legislation along with non-availability of finance for the industry. These existing impediments, combined with the adverse impacts of the COVID-19 pandemic, created a perfect storm of events that has effectively suppressed the appetite for fresh ordering this year.

4. The fillip due to the prospects due to large ageing fleet replacements and new regulatory restrictions generated some interest and likely to impact positively on long term basis. However, the pandemic situation and the world real GDP stagnant growth on year-on-year basis will have direct negative impact on the seaborne trade and thus limiting the appetite for the new shipbuilding orders in the near future.

Indian Shipbuilding Industry and Government Initiatives

5. Global downturn and rising competition have resulted in pressures on Indian ship building industry leading to a decline in its global share to <1%. While India is one of the market leaders in ship recycling, ship repairs is a very nascent market. With the objective of propelling India to the fore-front of the global maritime sector, Ministry of Ports, Shipping and Waterways has formulated Maritime India Vision 2030 (MIV 2030), a blueprint to ensure coordinated and accelerated growth of India's maritime sector in the next decade.
6. MIV 2030 envisions an overall investment of ₹3,00,000 – 3,50,000 crores across ports, shipping, and inland waterways categories. This vision roadmap is estimated to help unlock ₹20,000 plus crores worth of potential annual revenue for Indian Ports. Further, it is expected to create an additional 20,00,000 plus jobs (direct and indirect) in the Indian maritime sector. Some of the Governmental initiatives already put in place are:

- a) Financial Assistance Policy on Shipbuilding (2016)
- b) Grant of Infrastructure Status (2016)
- c) Atmanirbhar Bharat Policy (Revised in 2020)
- d) SOP for chartering/procurement of tugs (2020)
- e) Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (2020)

7. Vision 2030 envisions Indian ship building to become competitive with reaching the threshold on volumes by 2025 and then build the momentum in high volumes to reach "Make in India Make for World" levels and be one of the top 10 shipbuilding nations in the world. Major initiatives include channelising the cargo to improve demand, improving the ecosystem for ancillary industries, generate standardised designs for better productivity with appropriate Governmental interventions to create level playing fields to make the industry competitive in International arena. The MIV document also advocates creation of a Maritime Development Fund to provide easy access to working capital and long-term finance needs across marine sectors thus giving access to Indian shipowners to improve their capacity and shipyards to improve the infrastructure.

Some Key Sectors focused by CSL

8. Defence Shipbuilding: The Indian shipbuilding industry still continues to be driven by the defence requirements and also to some extent on the domestic demand in coastal and inland vessels. The vision of Government of India (GOI) as per the Defence Production Policy, was "to make India among the top five countries of the world in Aerospace and Defence Industries", with active participation of public and private sector, fulfilling the objective of self-reliance as well as demand of other friendly countries. In this segment, the Company after the success in obtaining a contract for 8 nos. ASW - SWC vessels (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft), CSL is declared as the lowest bidder for the New Generation Missile Vessel (NGMV) project. Both these projects are for Indian Navy.

Inland and Coastal Shipping

9. Inland Water Transport: India has increased the modal share of cargo from 0.5% to 2% and has witnessed 19% year-on-year growth in cargo volumes over the last 5 years. India has over 5,000 km of navigable inland waterways under development.
10. The future shipbuilding will be driven by green technology, autonomous vessels, and cost-efficient technologies. India

has significant opportunity to build and scale up in short sea and coastal vessel segment.

Tugs, Dredgers and Port Craft

11. In addition, the Ministry has come out with an SOP which stipulates all the service requirement of Tugs for the major ports to be reserved to Indian Built Indian Flag Tugs only, thus opening a new business avenue for the Indian shipyards to service this segment. The demand in this segment is likely to bring some opportunities for CSL also.

Cruise and Ferry Market

12. The Indian cruise industry, though in its nascent stage, is growing at over 35% due to multiple government interventions in the last 3 years. With global ocean cruise industry highly concentrated (80%+ share with top 3 players), attractive and stable policy framework is critical to attract global players to India. Over the next decade, the Indian cruise market has the potential to increase by 8X driven by rising demand and disposable incomes. However, to do so, India will have to focus on the development of infrastructure to unlock demand. Optimized development and phasing strategy are necessary for development of this sector.

Fishing Segment

13. The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) scheme was announced in June 2020 and is aimed to strengthen critical gaps in the fish production, productivity, quality, technology, post-harvest infrastructure and management, modernisation and improve the value chain and to establish a robust fisheries management framework in the entire fishing segment. With a total investment of ₹20,050 crores, out of which around ₹480 crores is set aside as a support for acquisition of deep sea fishing vessels for traditional fishermen. The pilot project of CSL under earlier 'Blue Revolution Scheme' has been a successful venture and with more allocation of funds under PMMSY, this sector is going to progress through sustainable fishing practices in the deep sea and also to provide necessary fishing infrastructural facilities to support deep sea fishing thus achieving the economic benefits for the sector. CSL is actively engaged in the programme and is also a member of the committee constituted to develop standardised design and guidelines for inspection and quality standards for the boat building yards towards manufacturing of standardised efficient deep sea fishing vessels. CSL is also gearing up to participate in this programme with different standard variants to suit the customer requirements of fishers from various states.

Ship Repair Industry

Global Ship Repair Industry

14. Global ship repair market is currently dominated by shipyards in China, Singapore and Middle East largely due to the availability of a skilled workforce and latest technology. The global market for ship repair and maintenance service is expected to witness significant growth, reaching a market value of USD 40 Billion by 2030 supported by developments in the markets in South East Asia and India. Though India's share in global ship repair is less than 1%, the country's location is favourable with 7 to 9% of the global trade passing within 300 NM of the coastline. Additionally, India is poised well to offer repair services to Indian Navy and the allies US Navy's 5th and 7th fleet in Indian Ocean & Arabian Sea.

15. The untapped potential in the Indian ship repair market can be attributed to the presence of competing international ship repair yards on major trade routes and a capability gap of Indian yards in repairing certain kinds of vessels. Other reasons of cost disadvantages include high cost of financing, lack of supply of ship spares in India and technology related issues increasing ship repair execution cycle time. To address the above gaps, under MIV 2030 the government is giving a strong push with initiatives such as channelising the domestic demand leveraging Atmanirbhar Policy, increase and improve infrastructure through better access to financial instruments, ease of doing business and improve efficiencies by creating free trade depots, maritime clusters etc.

16. Ship repair industry being labour intensive, India has got the advantage of having strong work force to cater for the requirement. However, the untapped potential in the Indian ship repair market can be attributed to the presence of competing international ship repair yards on major trade routes and a capability gap of Indian yards in repairing certain kinds of vessels. Other reasons of cost disadvantages include high cost of financing, lack of supply of ship spares in India, ancillary support and technology related issues increasing ship repair execution cycle time.

17. Ship repair industry like many other industries has been greatly affected by the prevailing COVID-19 pandemic. Ship repair facilities across the world have suffered right from the start of the pandemic.

Government of India's Initiatives & Support

18. GOI has come up with stricter, sturdy initiatives/ implementation methods to support the industry:

- a) The economic stimulus measures by Government of India and RBI is expected to boost the industry in both the supply and demand side.
- b) Atmanirbhar Bharat and the Make in India initiatives is expected to propel the industry especially with the ancillary industry.
- c) ROFR for Indian repair yards.

19. As brought out in the Maritime India Vision 2030, the government is giving a strong push with initiatives such as channelizing the domestic demand leveraging Atmanirbhar Policy, increase and improve infrastructure through better access to financial instruments, ease of doing business and improve efficiencies by creating free trade depots, maritime clusters etc. These initiatives are expected to help the ship repair business in India to grow manifold in the years to come and make India hold a major share in the global ship repair market.

CSL initiatives in Ship repair

20. CSL Ship repair business has grown leaps and bounds. The Ship Repair Division is focusing on increased business volumes (at present close to 100 ships are being refitted annually), and on niche areas such as Submarine Refits, Offshore Fabrication, Conversions etc.

21. CSL is in the final phase of completion of work at "International Ship Repair Facility (ISRF)" at Willingdon Island, Cochin which would host a state-of-the-art Ship Lift System with six independent work stations. This new Greenfield facility, in close proximity to the Southern Command in Kochi is scheduled to be up and running shortly and would be capable of accommodating vessels up to 130 Mtrs length & 6000 T displacement. The Yard is also setting up a new dry-dock within its main premises to cater for the shipbuilding and ship repair activity which includes building of larger capacity vessels and repair to offshore rigs. CSL has also expanded its foot prints across the Indian coast by setting up ship repair units at Mumbai, Kolkata & Port Blair to cater for the demand in ship repair segment.

22. As part of the expansion plans CSL entered into an agreement with Mumbai Port Trust on October 20, 2018 and commenced operations and management of the Indira Dock on January 18, 2019 and so far repaired around 49 vessels. CSL has also commenced ship repair operations at Netaji Subhas Dock of Kolkata Port Trust which was taken on lease basis. CSL has also taken over ship repair operations at Marine Dockyard facility at Port Blair which is presently being operated by A&N Administration. These initiatives would help better utilisation of existing ship

repair facilities in the country and is likely to positively impact the Company's revenue. CSL has also signed MoUs with various stakeholders, with a view to enhance business growth and technological advancement in the field.

23. With GOI, MIV 2030 in place and fuelled with the various initiatives brought out by the Yard in line with the CRUISE 2030, CSL is poised for vibrant ship repair business times in the future.

Operations

24. Our Company's performance continued to be promising in all segments. The total turnover of the Company is ₹2,818.90 crores as against the previous year of ₹3,422.49 crores. The shipbuilding income during the year is ₹2,405.60 crores as against the previous year income of ₹2,852.27 crores. During the year, CSL delivered one no. of 500 Passenger cum 150 MT Cargo Vessel for Andaman and Nicobar Administration, two nos. of Ro-Ro Ferry for Inland Waterways Authority of India (IWAI), three nos. of Marine Ambulance Boat for the Fisheries Department of Government of Kerala and five nos. of Tuna Long Liner cum Gillnetter Fishing Boat for the beneficiaries of Tamil Nadu. CSL also delivered two Brows and Pontoons for Indian Navy. Further, the construction of three nos. of Anti-Submarine

Warfare Shallow Water Craft for Indian Navy, nine nos. of Floating Border Outpost (FBOP) Vessel for the Ministry of Home Affairs, four nos. of 8000 DWT Mini General Cargo Ship for JSW Shipping & Logistics Private Limited and five nos. of Hybrid Electric – Passenger Ferry for Kochi Metro Rail Limited (KMRL) are progressing.

The Yard also completed various major milestones on the projects including, launching of five vessels at one go from its Building Dock at Kochi and also laid the keel for two vessels on the same day. The vessels launched were two 8000 DWT Mini General Cargo Ships for JSW Shipping & Logistics Private Limited and three FBOP Vessels for the Ministry of Home Affairs and the keel laying was carried out for two 8000 DWT Mini General Cargo Ships for JSW Shipping & Logistics Private Limited. Further, CSL also launched one Hybrid Electric – Passenger Ferry (100 Pax) for KMRL and carried out keel laying for three FBOP Vessels for the Ministry of Home Affairs. CSL also carried out steel cutting of three Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft for Indian Navy and five Hybrid Electric – Passenger Ferries (100 Pax) for KMRL. CSL achieved these milestones amidst the COVID-19 pandemic by working with available resources with necessary precautions. Further, final phases in the construction of Indigenous Aircraft Carrier for Indian Navy, is also progressing.

Financial Information

25. The financial information of the Company pertaining to the last decade is given below:

(Amount in ₹ Crores)

Year	Paid up capital	Nominal value of shares (₹ per share)	Capital employed	Net worth	Profit Before Tax	Tax on Profits	Net Profits	EPS (₹)	Dividend	Payout ratio
20-21	131.54	10	3921.02	3977.57	810.59	200.49	610.10	46.38	203.89	0.33
19-20	131.54	10	3784.81	3731.80	863.43	225.74	637.69	48.48	218.75	0.34
18-19	131.54	10	3017.66	3332.08	751.38	270.20	481.18	35.72	171.00	0.35
17-18	135.94	10	3212.22	3255.87	604.86	208.11	396.75	31.03	163.12	0.41
16-17	113.28	10	2089.05	2028.58	493.40	171.85	321.55	28.39	101.61	0.32
15-16	113.28	10	1695.35	1814.33	419.65	145.86	273.79	24.07	86.65	0.32
14-15	113.28	10	1621.24	1561.07	367.56	132.49	235.07	20.75	16.99	0.07
13-14	113.28	10	1389.98	1352.53	290.96	96.71	194.24	17.15	16.99	0.08
12-13	113.28	10	970.84	1175.70	275.55	90.28	185.27	16.35	16.99	0.09
11-12	152.42	10	918.68	1050.83	252.97	80.63	172.33	15.21	16.99	0.10

Key Financial Ratios

Sl. No.	Particulars	FY 2020-21	FY 2019-20	Change (in %) as compared to FY 2019-20	Detailed explanation for change of 25% or more
1.	Debtors Turnover	8.79	10.06	-12.62	N A
2.	Inventory Turnover	7.56	11.47	-34.08	#
3.	Interest Coverage	81.89	86.36	-5.18	N A
4.	Current Ratio	1.73	2.05	-15.76	N A
5.	Debt Equity Ratio	0.03	0.03	-6.18	N A
6.	Operating Profit Margin (%)	21.88	18.00	21.57	N A
7.	Net Profit Margin (%)	21.64	18.63	16.16	N A

COVID-19 Pandemic has affected production as well as revenue during the year. Decrease in turnover and piling up of stock resulting from production process slow down, has resulted in decrease in inventory turnover ratio during the year.

Return on Net Worth

Particulars	FY 2020-21	FY 2019-20	Change (in %) as compared to FY 2019-20	Detailed explanation for change
Return on Networth (%)	15.34	17.09	-10.24	##

Change is on account of decrease in PAT and increase in net worth. Shutdown of factory till May 05, 2020 has impacted revenue and profit during the year.

Proposed / Declared Dividend

26. As per Office Memorandum F.No.5/2/2016-Policy dated May 27, 2016 issued by Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), every CPSE have to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the net-worth, whichever is higher. Accordingly, your Directors are pleased to recommend a final dividend of ₹2.50/- per share on the 13,15,40,390 fully paid equity shares of ₹10/- each. Earlier, interim dividends of ₹9/- and ₹4/-, aggregating ₹13/- per equity share had been paid to the shareholders during 2020-21. Thus, the total dividend for the year 2020-21 is ₹15.50/- per equity share (155%), amounting to ₹203.89 crores.

Segment-wise/ Product-wise Performance

27. The Company is engaged in two major activities viz., shipbuilding and repair of ships/offshore rigs etc. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis. The segment wise performance is given below:

(₹ Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
Segment Assets		
Shipbuilding	3,19,484.51	2,92,812.55
Ship Repair	2,59,606.41	2,43,285.53
Others	1,60,863.06	1,04,364.17
Total	7,39,953.98	6,40,462.25
Segment Liabilities		
Shipbuilding	1,04,576.01	67,144.21
Ship Repair	11,264.54	12,715.35
Others	2,26,356.75	1,87,423.19
Total	3,42,197.30	2,67,282.75
Segment Revenue		
Shipbuilding	2,40,559.27	2,85,226.50
Ship Repair	41,330.43	57,022.89

(₹ Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31.03.2021	31.03.2020
Unallocated	19,386.07	24,750.03
Total	3,01,275.77	3,66,999.42
Segment Result		
Shipbuilding	76,229.86	66,459.10
Ship Repair	9,419.89	14,741.55
Unallocated	(4,591.11)	5,141.93
Total	81,058.64	86,342.58

28. The Company has two major business segments – “shipbuilding” and “ship repair”. Revenue under shipbuilding includes ₹2,03,736.66 lakhs (previous year: ₹2,37,746.87 lakhs) from one customer (previous year: one customer) having more than 10% revenue of the total revenue, and for ship repair includes ₹29,714.58 lakhs (previous year: ₹49,582.22 lakhs) from three customers (previous year: three customers) having more than 10% revenue of the total revenue.

SWOT

Strengths:

- Highly trained, motivated and knowledgeable manpower with an average of 15 years of experience at all levels of hierarchy resulting in extremely high quality workmanship;
- A well planned and laid out shipyard enabling smooth work flow;
- A modern ‘state-of-the-art’ design centre manned by highly trained, experienced and competent naval architects/engineers, draftsman etc.;
- Highly evolved shipbuilding processes and practices permitting modular construction of ships;
- A very good product mix compatibility comprising of defence ships, commercial ships and offshore support ships;
- Availability of quality sub-contractors and good supply chain network; and
- ‘State-of-the-art’ facilities especially in terms of craneage, transporters, covered mobile shops, covered marine coating facility, high quality welding equipment, international standard hull fabrication facilities, substantial material storage facilities etc.

Weaknesses:

- Virtually non-existent indigenous ancillary industries and consequently non-availability of major equipment/raw materials in India;

- Infrastructure constraints due to non-availability of large sized dock to build and repair ships beyond 1,10,000 DWT and 1,25,000 DWT respectively. (This will be overcome with the proposed new dry-dock);
- Difficulty to arrange long term project finance to ship owners which is offered by other overseas shipbuilding countries; and
- Comparatively higher social and employee overheads and certain restrictive labour practices especially for contracting labour.

Opportunities:

- Projected increase in requirement of ships for the domestic commercial segment, owing to the new GOI policy to encourage “Make in India”;
- Projected demand in the defence sector;
- Indian Navy, Coast Guard and other maritime security agencies have embarked on an ambitious expansion programme which will open new opportunities;
- LNG fuelled vessels, both deep sea and coastal;
- Emerging opportunities in the inland waterways and coastal shipping sector in India;
- Fishing vessels for both domestic and overseas market;
- Tap opportunities for FRP boats for coastal security; and
- Huge demand – supply gap for the repair of commercial and defence ships and virtually no competition in India.

Threats:

- Spread of contagious diseases like COVID-19 pandemic;
- Natural disasters;
- Distress pricing policies of competitors;
- Adverse reputational impact on the Indian shipbuilding industry due to under performance by Indian yards;

- Rising cost of labour; and
- Non-flexible government regulations on procurement policies delaying the product delivery timelines and cost.

CRUISE 2030

29. CSL has embarked on a bold transformation programme, CRUISE 2030 in March 2019 to achieve breakout growth along with globally competitive operations to profitably achieve the growth. We continued to drive CRUISE 2030 strongly in FY 2020-21 through our partnership with M/s. Boston Consulting Group. During the last year, CRUISE 2030 focused strongly on building the new businesses such as deep sea fishing vessels and electronic control systems, strengthening the operations maturity through ‘Shipyard 4.0’ and Project Management initiatives. The CRUISE 2030 programme also focused on CSL’s breakthrough into the Dredging and Inland Barges, and structured cost reduction initiatives across fishing vessels and other businesses. The Company is also working towards building capability in advanced technologies to tap business potential in new emerging vessel segments such as autonomous, hybrid / electric vessels and alternative fuels. CSL has formed a dedicated Center of Excellence team to drive digital transformation across the value chain, i.e. Planning, Design, Procurement and Operations. Operational transformation programmes through shop floor automation and capacity expansions are underway as per the CRUISE 2030 strategy plan.

Risks and Concerns

- Pandemics like COVID-19 and the resultant lock down also impose various risks on the operations of the Company. The scale of production will be reduced due to various factors including restricted working arrangements, travel constraints, reduction in outsourced manpower (which to a certain extent due to reduced migrant labour availability), non-availability of service engineers and OEM representatives especially related to foreign equipment on account of international and inter-state travel restrictions. Projects can also run at a delayed pace due to the factors mentioned above and also on account of issues in material availability and logistic, issues related to locked down states of origin (domestic and international) and also issues relating to cash flows from customers.
- Also, there are possibilities of withholding of future projects by clients, cancellation of running enquiries and potential projects might have to be put on hold citing liquidity issues. Additionally, impaired cargo movement through road, shipping channels and air routes (due to labour shortages, operational hurdles at ports, airlines cutting down on

operations) would add to cost of imports as well as exports further pressuring Company. The assessment of cumulative impact will be possible only once reasonable level of revival occurs.

- The risks for the Company arise from the inherent nature of the shipbuilding industry. About 20 to 30% of the Company’s revenue is from the commercial shipbuilding which is highly cyclical in nature. The commercial shipbuilding industry prospects are dependent on world trade and the cyclicity of oil, natural gas, shipping, transportation and other trade related industries. Offshore Industry continues to be in the trough. The pandemic situation arising from the last quarter of FY21 and continuance of the same has created concerns world over and the situation are on watch for the probable indications towards the tectonic shifts in the international economy with significant impact in the shipbuilding & repair industries too.
- Substantial portion of the Company’s activities involve the fabrication and refurbishment of large steel structures and its erection which would entail the operation of cranes and other heavy machinery and other operating hazards. The operational risks faced by the Company also could result in fires and explosions etc. Though the losses caused on such eventualities are covered under a standard fire and special perils policy, CSL do not have insurance for business interruption. These risks could expose the Company to substantial liability for personal injury, wrongful death, product liability, property damage, pollution and other environmental damages.
- Another high risk area for the Company is the availability and price fluctuations of major raw materials. The major raw materials include steel (the grade and quality of which, in each project, depends on the applicable classification rules) and other materials, equipment and other components such as pumps, propellers and engines. In fiscals 2019, 2020 and 2021 respectively, the Company’s material consumption costs constituted 61.61%, 63.99% and 55.39% of its total costs, respectively. In particular, bought out components accounted for nearly 94.88% of our total raw material cost in these recent fiscals.
- Shortages in the supply of raw materials may result in an increase in the price of these raw materials. For example, there are supply-side constraints in relation to steel in India which we expect will continue in future. The Indian steel industry has been unable to compete globally due to which the GOI has imposed significant duties on the import of steel from other countries such as China to protect the domestic steel industry. This has adverse impacts when CSL is unable to source steel economically. In addition, the cost of certain raw materials, such as steel, aluminium, copper

etc., may fluctuate in line with any changes in their global supply and demand and thus impacting the material cost.

36. In the event that the price of the Company's raw materials increase, the Company will not be able to pass these price increases to its customers on its existing fixed contracts and its business, financial condition and results of operations can be adversely affected.
37. Changes in currency exchange rates may influence our results of operations. Globally, a substantial part of all worldwide ship sales transactions and purchase of offshore structures is generally conducted in USD. To mitigate this risk, the Company hedges the net forex exposure on the export receivables. However, in the case of import components in respect of shipbuilding/ship repair contracts denominated in Rupee terms, CSL is exposed to exchange rate fluctuation risk unless the contract with the ship owner provides for an exchange variation reimbursement clause. Currently, some of the shipbuilding contracts do not contain such provision. Hence, adverse fluctuation in the currency rates will affect and influence our results of operations.

Product Diversification

38. With the GOI focusing on the blue revolution and the recent impetus for the upliftment of the fishing community all along the coastal India, CSL sees a surge both in the demand as well as in the quality of the fishing vessel segment in India. With the construction of 16 fishing boats delivered and performing well and with the volumes to the tune of many thousands being projected by the industry, CSL feels that this could eventually turn out to be a separate vertical by itself, if everything goes as planned by the government. To bring impetus to this segment, Company has acquired Tebma Shipyards Limited (TSL) through the statutory insolvency resolution process on September 15, 2020. CSL proposes to utilise the facilities at TSL for building fishing vessels (especially technologically advanced deep sea fishing vessels), tugs and specialized crafts of upto 80 M length which projects huge potential in domestic as well as international markets in the coming years. TSL is presently in the process of revamping the infrastructure facilities for commencing its operations.
39. There is good scope on the inland transportation segment. In this regard Company already is working closely with Inland Waterways Authority of India (IWA) by constructing 10 vessels for the inland waterways and is expecting more projects from this segment. The operationalisation of HCSL will put the Company in a better position to meet the customer demands in this segment which primarily is going to grow in NW1 and NW2 in the initial stage. Similarly,

the urban water transport segment is seeing new project initiatives and the Company has successfully won contract to build 23 nos. of battery powered boats which will put the Company in an elite group to have built such future generation vessels and thus drive the market further. Company is examining the possibility of conversion of vessels to run on alternate fuels such as methanol fuel, for which a proposal submitted is under the consideration of the Ministry/IWA.

Internal Control

40. The Company has promulgated an internal control and internal audit manual and has in place adequate internal control systems. The internal audit function is carried out by an independent firm of Chartered Accountants who carry out an in-depth review of internal control systems in critical areas based on the audit programme approved by the Board level Audit Committee headed by an Independent Director. During the financial year 2019-20, the Company had engaged M/s. Krishnamoorthy & Krishnamoorthy, Chartered Accountants (Firm Registration No. 0014885) for reviewing and installing adequate Internal Financial Controls and to ensure proper and adequate systems for compliance with the provisions of all applicable laws. Such controls were tested and no reportable material weakness in the design or operation was observed. There is no major variation in the control environment during the FY 2020-21. During FY 2020-21, the review of the Internal Financial Controls were carried out by the in-house internal audit team and no material weakness in the financial controls were reported.

Human Resource Development and Industrial Relations

41. The details regarding Human Resource Development and Industrial Relations are more specifically covered in the Directors' Report.

Women Empowerment

42. CSL has constituted an Internal Complaints Committee in accordance with the guidelines and norms prescribed by Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. A senior woman executive is the Chairperson of the Internal Complaints Committee. The Certified Standing Orders applicable to workmen include sexual harassment as an act constituting misconduct. The Internal Complaints Committee is empowered to enquire into such complaints as per the procedure laid down in the Certified Standing Orders and Industrial Employment (Standing Orders) Acts and Rules.

43. The Company ensures the participation of women in various forum including Joint Council, Shop Council, Central Safety Council, Shop Safety Council, Employees Contributory Provident Fund Trust, Employees Cochin Shipyard Recreation Club, Employees Cochin Shipyard Consumer Society etc.

Technology Conservation

44. CSL continuously strives for conservation and upgradation of technology to remain competitive in the global shipbuilding market. Towards this the Company has taken the following initiatives:
- Development of NAPA software code for automatic generation of loading conditions and intact & damage stability criteria check of these loading conditions.
 - Development of Basic Design of tugs (five standard designs for Tugs for IPA) in collaboration with Robert Allan Ltd., a leading Canadian Design Firm, specialized in Tug Design.
 - Development of three standard designs for Fishing vessels for GOI.
 - Developed concept design of 12m Autonomous Surface Vessel as feasibility study project.
 - Developed concept design of Hydrogen powered fuel cell passenger ferry boat.
 - Performed structural analysis of KMRL Catamaran ferry during lifted conditions, using Simulia, Finite Element Analysis tool that was procured as part of 3D EXPERIENCE Platform.
 - Developed concept design of battery powered Ro-Ro vessel.
 - Developed concept design for 80 Pax River Cruise Vessel for operation in Ayodhya.
 - Developed concept design for 3000 T Inland Cargo carrier for operation in NW1, NW2 and Indo Bangladesh protocol route.
 - Development of concept design of Cadet Training Ship (CTS) for Indian Navy.
 - Developed concept design for Submersible Testing Platform using a modular concept.
 - Development of concept design of 5500 T Bulk carrier.
 - Development of concept design of a Hospital ship.
 - Development of concept design of wind assisted Bulk carrier.
 - Development of concept design of Landing Craft.
 - Development of concept design of Offshore paint barge.

Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability

45. For more details, please refer the annual report on CSR activities placed at Annexure III to Directors' Report.

Micro Small and Medium Enterprises (MSME) as per the Public Procurement Policy 2012

46. The Company is making all out efforts to increase the procurement/ availing services from MSMEs. The Company has achieved a target of 43.95%, against the required target of 25% procurement of goods and services from MSMEs, out of total indigenous procurement for FY 2020-21, till March 31, 2021, in spite of COVID-19 pandemic effects and restrictions. SC/ST and women MSME entrepreneurs are also getting benefitted due to CSL's initiatives.
47. With a view to promote procurement/avail services through MSMEs as per the Public Procurement Policy 2012 promulgated by the Government of India (GOI), Cochin Shipyard Limited attended a virtual vendor meet organised by MSME – DI, Thrissur, Kerala during October 2020.
48. Other initiatives include, making CSL website user-friendly for MSME vendors, regular uploading of procurement data and other details in "MSME SAMBANDH" portal, ensuring no vendor complaint is pending in "MSME SAMADHAAN" portal on delayed payment monitoring system which implies payments to MSME vendors are effected without delay, on boarding of around 180 vendors in TReDS platform etc.

Cautionary statement

49. Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations, assumptions or predictions of the Company may be forward looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that could make a difference to the operations of the Company include economic conditions affecting demand/supply, price conditions in the domestic and international markets, Government policies and regulations, statutes and other incidental factors.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
June 11, 2021

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

About this report

In terms of Regulation 34(2)(f) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual Reports of the top one thousand listed entities based on market capitalization at the BSE and NSE shall contain a Business Responsibility Report (BRR) describing the initiatives taken by the Company from an environmental, social and governance perspective, which includes CSL.

The reporting framework is based on the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business (NVGs) released by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, in July 2011 which contains 9 Principles and Core Elements for each of the 9 Principles. Following is the Business Responsibility Report of our Company based on the format suggested by SEBI.

Section A: General Information about the Company

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company	L63032KL1972GOI002414
2. Name of the Company	Cochin Shipyard Limited
3. Registered address	Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015.
4. Website	www.cochinshipyard.in
5. E-mail id	secretary@cochinshipyard.in
6. Financial Year reported	2020-21
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Shipbuilding and Ship Repair (Industrial Group 301 and 331 as per National Industrial Classification of the Ministry of Statistics and Programme Implementation)
8. List three key products/services that the Company manufactures/ provides (as in balance sheet)	The Company is engaged in the business of shipbuilding and ship repair. Inter alia considering nature of production process and infrastructure facilities used, there are no other reportable segment.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	
a) Number of International Locations (Provide details of major 5)	Nil
b) Number of National Locations	Five
10. Markets served by the Company – Local/State/National/International	Local, State, National and International

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital	₹131.54 crores
2. Total Turnover	₹2,818.90 crores
3. Total profit after taxes	₹610.10 crores
4. Total spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	₹15.26 crores 2.50%
5. List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred	CSL's CSR activities are carried out in the following focus areas: • Healthcare and Nutrition

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	Yes, CSL has two Subsidiaries viz., Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) and Tebma Shipyards Limited (TSL).
2. Do the Subsidiary Company/ Companies participate in the BR initiatives of parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	No. HCSL was incorporated only in October 2017 and is yet to commence operations. TSL was acquired through the statutory insolvency resolution process in September 2020. Due to the financial difficulties and consequent statutory insolvency resolution process, TSL's facilities had been non-operational for the past several years. Post takeover by CSL in September 2020, TSL has initiated the process of revamping its infrastructure facilities for commencing the operations. Hence, both the Subsidiary Companies have not started to participate in the BR initiatives of CSL.
3. Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]	The Company has adopted well established procedures for outsourcing and procurement activities in order to ensure quality, on time delivery and optimum cost. Care is taken to have a panel of vendors with sound integrity. The Company has introduced e-payment, integrity pact etc., for a more transparent method of procurement. The standard terms and conditions of purchase order conforms to the Company policy on safety, environment etc., and are accepted by the vendor. Hence, majority (more than 60%) conform to the key principles of the business responsibility.

Section D: BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR

(a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies	BR function relating to corporate social responsibility and sustainability was monitored by the Corporate Social Responsibility & Sustainable Development (CSR & SD) Committee of the Board of Directors. The details of the composition of the CSR & SD Committee during 2020-21 is provided in the Corporate Governance Report.
1. DIN	As on March 31, 2021, the CSR & SD Committee of CSL was not re-constituted due to the non-appointment of Independent Directors by the Government of India (GOI). Accordingly, the BR function relating to CSR and sustainable development were directly being monitored by the Board under the Chairmanship of Shri Madhu S Nair.
2. Name	
3. Designation	
	The details of the Chairman are as follows: DIN : 07376798 Name : Shri Madhu S Nair Designation : Chairman & Managing Director Email ID : cmd@cochinshipyard.in
(b) Details of the BR head	The Board has not assigned responsibilities specifically to any Director to function as the BR head.

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

The 9 principles outlined in the National Voluntary Guidelines are as follows:

P1	Businesses should conduct and govern themselves with ethics, transparency and accountability.
P2	Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle.
P3	Businesses should promote the well-being of all employees.
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.
P5	Businesses should respect and promote human rights.
P6	Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment.
P7	Businesses when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner.
P8	Businesses should support inclusive growth and equitable development.
P9	Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

Sl. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	Do you have a policy/ policies for...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y
3	Does the policy conform to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		Various policies at CSL conform to different applicable statutes/ guidelines/ rules etc. issued by GOI, and updated from time to time. Industry practices, national/ international standards are kept in view while formulating policies.								
4	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y
		Different policies are approved by the Board/Competent Authorities as per delegation of power.								
5	Does the Company have a specified Committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	The policies are available on Company's website: https://cochinshipyard.in/Investors								
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Yes. The policies have been communicated to the stakeholders by uploading on the Company's above mentioned website. Quality, Health, Safety and Environmental Policy is uploaded in intranet of the Company as well as CSL's website. The same is also displayed at all major locations of the Company.								
8	Does the Company have in-house structure to implement the policy/ policies.	Yes								
9	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	The Board has set up a Committee to address the grievances of the stakeholders, debenture holders and other persons holding securities in the Company as required under the Companies Act, 2013 and under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Presently, the said Committee is not functional due to non-appointment of Independent Directors by the GOI. The Committee will be re-constituted on appointment of Independent Directors. In addition, the Company has also set up a vigil mechanism to address the genuine concerns, of any of the Directors and employees.								
10	Has the Company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	The Company is subject to various audits such as Statutory Audit by firm of Chartered Accountants appointed by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG), Internal Audit, C&AG Audit, Cost Audit, Secretarial Audit, Energy Audit, Safety Audit, Integrated Management Systems Audit etc. These audits ensure compliance to various internal and external policies.								

3. Governance related to BR**a) Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year**

The senior management of the Company reviews BR performance on an ongoing basis. The Board/Committees constituted by it review the same periodically.

b) Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

Yes. The Company publishes BR Report annually as part of its annual report. The hyperlink for viewing the report: <https://cochinshipyard.in/annual-report>

Section E: Principle-Wise Performance**Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with ethics, transparency and accountability****1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the Company? Yes/No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?**

The Company has positioned an Integrity Pact which is signed with bidders to enable them to raise any issues with regard to high value tenders of more than ₹100 lakhs floated from time to time. People of high repute and integrity are appointed as Independent External Monitors to oversee implementation of the said Integrity Pact.

The pact essentially envisages an agreement between the prospective vendors/bidders and CSL committing the persons/officials of both sides, not to resort to any corrupt practices in any aspect/stage of the contract. Any violation of the same would entail disqualification of the bidders and exclusion from future business dealings.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management?

During the financial year 2020-21, 4 investor complaints were received by the Company through SEBI SCORES Platform, NSE and BSE and Registrar & Transfer Agent. All these complaints were attended to and resolved on priority basis.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle.**1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.**

The Company is engaged in the business of shipbuilding and ship repair. As such the Company has only one product, which has been designed to incorporate social or environmental concerns as well as benefit from the available opportunities.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):**(a) Reduction during sourcing / production / distribution achieved since the previous year throughout the value chain.**

The Company recognizes its commitment to achieve economic development through sustainable methods. This is proposed to be achieved through employment of appropriate technology, transparency in procurement and outsourcing and participation in sustainable development programmes.

(b) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year.

CSL has implemented various energy conservation measure viz., installation of solar power plant, electrification of new buildings is carried out with LED lights instead of conventional discharge lamps, replacement of high electricity consuming light fittings with energy efficient LED fittings, replacement of conventional split air conditioner system with VRF air conditioning system, regular monitoring and rectification of leakages in the compressed air distribution system and other industrial gas lines, switching off air compressor during lunch break, switching off main power supply to shops, quays & docks momentarily at 12:15 hrs. which trips man coolers, roof extractors (controlled through starters), etc., which are not required during the lunch break, displayed energy saving stickers & posters, conducted seminar and quiz competition for inculcating awareness among employees for energy conservation aimed at optimum use of electric power, continuously monitoring and maintaining power factor near unity etc. Energy savings of approximately 8.40 lakhs units per annum have been achieved with the implementation of measures specified above.

3. Does the Company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably?

The Company has been following approved criteria for the selection of vendors to ensure sustainable sourcing which inter alia includes vendors having ISO 9000 certification, vendors approved by regulatory bodies, various authorized dealers of the manufacturer, ability to provide materials as per laid down specification and other requirements, ability to supply materials as per stipulated delivery period. Annual evaluation of the orders placed on a vendor is completed to decide the average performance. A vendor is removed / suspended from approved vendor list based on his average performance over the period of evaluation. Vendors list is reviewed and updated once in a year.

4. Has the Company taken any steps to procure goods and services from local and small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

With a view to promote procurement/avail services through local and small producers and service providers including Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) as per the Public Procurement Policy 2012 promulgated by the Government of India (GOI), the Company is making all out efforts to increase the procurement/ availing services from MSMEs. The Company has achieved a target of 43.95%, against the required target of 25% procurement of goods and services from MSMEs, out of total indigenous procurement for FY 2020-21, till March 31, 2021, in spite of COVID-19 pandemic effects and restrictions. SC/ST and women MSME entrepreneurs are also getting benefitted due to CSL's initiatives.

Further, Cochin Shipyard Limited attended a virtual vendor meet organised by MSME – DI, Thrissur, Kerala during October 2020 to promote procurement/avail services through MSMEs.

Other initiatives include, making CSL website user-friendly for MSME vendors, regular uploading of procurement data

and other details in "MSME SAMBANDH" portal, ensuring no vendor application is pending in "MSME SAMADHAAN" portal on delayed payment monitoring system which implies payments to MSME vendors are effected without delay, on boarding of around 180 vendors in TReDS platform etc.

5. Does the Company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%)?

Due to the nature of products of the Company and the waste generated, mechanism to recycle is not available. However, the wastes are disposed off through agencies dealing in such disposal or recycling and approved by the environmental authorities.

Principle 3: Businesses should promote the well being of all employees**1. Total number of employees: 1727 (permanent employees)****2. Total number of employees hired on temporary / contractual /casual basis: Average 6500 per day****3. The number of permanent women employees: 152****4. The number of permanent employees with disabilities: 57****5. Do you have an employee association that is recognized by management?**

Yes, CSL have four employee association recognised by the management viz.:

- Cochin Shipyard Officers Association (CSOA)
- Cochin Shipyard Supervisory Staff Association (CSSSA)
- Cochin Shipyard Employees Organisation (CSEO)
- Cochin Shipyard Employees Federation (CSEF)

6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?

Most executives are members of Cochin Shipyard Officers Association. In the case of permanent workmen, most of them are affiliated to various recognised unions.

7. Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the year.

Sl. No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of the financial year
1.	Child labour / forced labour/ involuntary labour	The Company does not hire child labour, forced labour or involuntary labour. No compliant.	Not Applicable
2.	Sexual harassment	1	Nil
3.	Discriminatory employment	Nil	Nil

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety and skill upgradation training in the last year?

Permanent Employees: 100%
Permanent Women Employees: 100%
Casual/Temporary/Contractual Employees: 100%
Employees with Benchmark Disabilities: 100%

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the Company mapped its internal and external stakeholders?

Yes, the Company has mapped its internal as well as external stakeholders.

2. Out of the above, has the Company identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders?

CSL's CSR projects aims at benefiting the disadvantaged, vulnerable and marginalized community who are present across Kerala particularly in remote rural/tribal communities. Further, CSL ensures that the reservation policy as advised by the Government of India (GOI) is implemented. CSL is also involved in improving the quality of life of persons for whom projects are specially designed. The Company has identified (i) SC/ST (ii) differently abled as disadvantaged, vulnerable and marginalized for employment purpose.

3. Are there any special initiatives taken by the Company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

CSL has made commitments for various projects across Kerala in its CSR thrust areas, largely catering to disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders viz., education, sanitation & smart class rooms for children, healthcare initiatives for tribal communities, several initiatives for differently abled persons, empowerment of women through income enhancing skill development programmes and other interventions in rural/tribal/semi-urban areas. The Company follows all the GOI regulations regarding reservations for SC/ST and differently abled.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the Company on human rights cover only the Company or extend to the group/joint ventures/suppliers/contractors/NGOs/others?

The human resource policies of the Company cover all aspects of human rights of its employees and others

associated with it for operation of its business and covers human rights of employees of the subsidiaries also. No complaints have been received in the past financial year on human rights.

The Company is committed to uphold and maintain the dignity of women employees and it has in place a policy which provides for protection against sexual harassment of women at work place and for prevention and redressal of such complaints. During the year under review, the Company has received one such complaint and the same was closed.

The Company is committed to comply with all human rights practices across subsidiaries and other stakeholders associated with the Company.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

During the year under review, 4 complaints were received from investors and all the complaints were resolved to their satisfaction.

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the Company or extends to the group/joint ventures/suppliers/contractors/NGOs/others?

Covers the Company. As a part of the integrated approach of the Company, our commitment to the mother nature is demonstrated through our ongoing effort to reduce the adverse impact on the environment and reinforcing the positive contribution. We strive to achieve this by identifying the significant environmental aspects of its activities and products and developing programmes and processes to reduce or control them with an aim of protecting the environment. During the reporting period, the Company has received SILVER GreenCo Rating which is the "first of its kind in the World" holistic framework that evaluates companies on the environmental friendliness of their activities using life cycle approach. The Company also persuades and encourages its business partners/vendors/contractors to move towards environmental friendly processes, right from design to disposal.

2. Does the Company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? If yes, please give hyperlink for webpage etc.

The Company has a detailed manual which describe the common procedures that need to be established

for the effective implementation of the environmental management system, meeting the requirements of the international standards ISO 14001:2015.

3. Does the Company identify and assess potential environmental risks?

Yes.

4. Does the Company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?

Presently, CSL does not have any project under Clean Development Mechanism.

5. Has the Company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc.? If yes, please give hyperlink for web page etc.

The Company has undertaken various initiatives like, installation of solar power plant, electrification of new buildings is carried out with LED lights instead of conventional discharge lamps, replacement of high electricity consuming light fittings with energy efficient LED fittings, replacement of conventional split air conditioner system with VRF air conditioning system, regular monitoring and rectification of leakages in the compressed air distribution system and other industrial gas lines, switching off air compressor during lunch break, switching off main power supply to shops, quays & docks momentarily at 12:15 hrs. which trips man coolers, roof extractors (controlled through starters), etc., which are not required during the lunch break, displayed energy saving stickers & posters, conducted seminar and quiz competition for inculcating awareness among employees for energy conservation aimed at optimum use of electric power, continuously monitoring and maintaining power factor near unity etc. These initiatives resulted in energy savings of approximately 8.40 lakhs units per annum.

6. Are the emissions/waste generated by the Company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

Yes.

7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

In the financial year 2020-21, there are no pending CPCB/SPCB show cause/legal notices.

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner.

1. Is your Company a member of any trade and chamber or association? If Yes, name only those major ones that your business deals with:

- Indian Shipbuilders Association
- Indo Japan Chamber of Commerce
- Confederation of Indian Industry (CII)
- Cochin Chamber of Commerce and Industry
- All India Management Association
- The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
- Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE)
- Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM)

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes, specify the broad areas (drop box: governance and administration, economic reforms, inclusive development policies, energy security, water, food security, sustainable business principles, others).

The above mentioned organisations act as a platform for CSL to address issues that might impact its stakeholders. CSL encourages participation in advocating policy level processes rather than lobbying on any specific issues.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development.

1. Does the Company have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.

As mentioned in the sections above, CSL's CSR projects aim at benefitting the community from low socio-economic strata across the state of Kerala and are identified as vulnerable. These projects are attempting for inclusive growth & equitable development of such communities.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?

CSL largely collaborates with various NGOs, foundations, government agencies and other professional agencies for execution of the projects on the ground.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

Yes. Impact assessment is crucial to view the effect of the activity conducted. CSL conducts impact assessment as a part of the project for the majority of projects.

4. What is your Company's direct contribution to community development projects – amount in INR and the details of the projects undertaken?

In the financial year 2020-21, the contribution to community development projects was ₹14.66 crores. Please refer to the Report on CSR Activities forming part of this Annual Report.

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

Engagement of the community is paramount for sustaining any community development program on ground. We ensure engagement of the community at the very planning stage and thereafter induct them at the implementation level. This not only ensures acceptance of the programme on ground but also its continuity and sustainability.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year?

The Company's customers are large corporate houses, corporations both national and international or Ministries of the Central Government. During the year under review the Company has not received any complaints.

2. Does the Company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A./Remarks (additional information)

Not applicable as it engages in shipbuilding and ship repair operations.

3. Is there any case filed by any stakeholder against the Company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

No cases have been filed by any stakeholders against the Company regarding unfair trade practices during the last five years.

4. Did your Company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

Yes. All the contracted vessels are conducted with a customer satisfaction survey and feedbacks are taken from owners willing to share their experience. The surveys are conducted by an independent third party firm in order to have open & genuine feedback from the customer.

Customer satisfaction survey is conducted in two phases for the vessels contracted; one during construction phase (Phase I) and one after completion of warranty period (Phase II). Phase I is intended for an interim feedback during the ongoing construction stage, in order to identify any concerns from the owner during the construction phase. This also helps the Yard to understand the area of concerns (if any), and can initiate actions appropriately for improvements to the level of owner expectations. Phase II survey is after the delivery and the completion of warranty period of the vessel where owner would have sufficient time to understand the performance & quality of construction, which will provide an overall perspective of their satisfaction for the new building contracted & delivered.

The surveys conducted cover all phases of construction starting from the pre-contract stage. Feedbacks are requested from owners regarding approachability, accessibility, quality of construction, overall technical capabilities of the Yard & post delivery services. The independent agency submits a report in each financial year for the surveys conducted and elaborates regarding the feedbacks from various clients, specifying the areas where Shipyard is performing well & areas where improvements are suggested. This independent report provides a scope to understand the strength & weakness of the Yard from the owner perspective and is much helpful while approaching the same client / similar clients.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
June 11, 2021

Madhu S Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of
Cochin Shipyard Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of Cochin Shipyard Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2021, and the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), and the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Ind AS prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Ind AS) Rules, 2015, as amended ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2021, and its profit (including Other Comprehensive Income), changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements* section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the standalone financial statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

1. Measurement of Physical Completion of Ship Building and Ship Repair activities.

The company recognises revenue from ship building and ship repair activities based on percentage of completion method. The percentage of completion is arrived at based on estimated percentage of physical completion as assessed by the management of the company which involves exercise of significant judgements. Refer Note 2.4 (Critical Accounting Estimates & Judgements) & 2.19 (a) (Revenue Recognition) to the Standalone Financial Statements. The physical completion is ascertained as per an in-house procedure developed by the management of the company. The procedure and the assumptions therein are based on certain judgements made by the management based on inputs received from the planning, design and technical departments of the company. Further, the ascertainment of the actual physical completion of each sub-activity on reporting date also involves management estimation. Our audit approach consisted of understanding the basis and assumptions made in adopting such procedure, understanding the system for capturing data and monitoring the progress of completion of various works for internal reporting to the management, evaluating the internal controls in such system, selecting samples and performing substantive checking and analytical procedures. However, we have placed substantial reliance on the technical and activity-based assessment made by the management for the purpose of recognition of income.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Director's Report, Management Discussion and Analysis, Business Responsibility Report, Report on Corporate Governance, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance / conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take necessary actions as per applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged With Governance for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance (including Other Comprehensive Income), changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified in the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant

to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government

of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraph 3 and 4 of the Order to the extent applicable.

2. Based on the verification of records of the Company and based on information and explanation given to us, we give in "Annexure B" report on the Directions and Sub-Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of sub-section (5) of Section 143 of the Companies Act, 2013
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought and obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - (c) The standalone Balance Sheet, the standalone Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the standalone Statement of Changes in Equity and standalone Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - (d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.
 - (e) In view of the exemption given vide notification no. G.S.R 463(E) dated June 5, 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of Directors, are not applicable to the Company.
 - (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C".
 - (g) With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with the requirements of Section 197(16) of the Act, we offer no comments as the Company is exempted from the provisions of Section 197 vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015.

(h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (as amended), in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Standalone financial statements (refer Note no 42,44,45,46)
- ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For **Elias George & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000801S

Chirag J Shah
Partner
Membership No. 214798
UDIN: 21214798AAAABW6356

Kochi
11 June, 2021

ANNEXURE – A TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

With reference to the Annexure A referred to in the Independent Auditors' Report to the members of the Company on the standalone financial statements for the year ended 31 March 2021, we report the following:

- (i) (a) The company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
 - (b) As explained to us, there is a regular program of physical verification of fixed assets, which in our opinion is reasonable having regard to the size of the company and the nature of assets. During the year, as informed to us, no material discrepancies have been noticed on such verification.
 - (c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the title deeds of immovable properties are held in the name of the Company. In respect of immovable properties taken on lease and disclosed as right-of-use asset in the standalone financial statements, the lease agreements are in the name of the company.
- (ii) As explained to us, the inventories were physically verified during the year in accordance with the inventory verification procedure adopted by the Management. In our opinion, the frequency of such physical verification needs to be increased. Based on information provided to us, the discrepancies noticed on such physical verification were not material.
- (iii) The company had granted unsecured loans of Rs. 10 Crores and Rs. 5 Crores to its wholly owned subsidiaries M/s Hoogly Cochin Shipyard Limited (HCSL) and M/s Tebma Shipyards Limited (TSL) respectively.
 - (a) In our opinion, the terms and conditions of the grant of such loans are not prejudicial to the company's interest.
 - (b) The schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated in the terms and conditions of the grant of such loans. M/s HCSL has

repaid the whole amount of loan during the current year itself in advance. Repayments by M/s TSL have not fallen due during the year.

- (c) No amount is overdue in respect of the loans.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanation provided to us, the company has complied with the provisions of Sections 185 and 186 of the Companies Act, 2013 in respect of loans, investments, guarantees and securities.
- (v) According to the information and explanation given to us, the company has not accepted any deposits from public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder are not applicable.
- (vi) We have broadly reviewed the books of account maintained by the company pursuant to the Rules made by the Central Government for the maintenance of cost records under section 148 of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that *prima facie*, the prescribed accounts and records have been made and maintained. We have, however, not made a detailed examination of these records with a view to determine whether they are accurate and complete.
- (vii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, in respect of statutory dues:
 - (a) The company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales tax, service tax, goods and service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other statutory dues with the appropriate authorities. According to the information and explanation given to us, no undisputed amounts payable in respect of the above were in arrears as at 31st March, 2021 for a period of more than six months from the date they become payable.

- (b) There are no dues of income tax, sales tax, service tax, goods and service tax, duty of customs, duty of excise and value added tax which have not been deposited with the appropriate authorities on account of disputes, except the following:

₹ in lakhs

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount (Rs.)	Amount paid/adjusted	Amount unpaid	Financial year to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Income Tax Act, 1961	Income Tax	1,369.11	1,369.11*	-	AY 2010-11	Commissioner of Income Tax (Appeals)
					AY 2011-12	
					AY 2014-15	
					AY 2017-18	
		700.86	700.86*	-	AY 2010-11	Income Tax Appellate Tribunal
					AY 2011-12	
Finance Act, 1994	Service Tax	4,602.12	-	4,602.12	2004-05 to 2014-15	Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, Bangalore
		363.71	15.13	348.58	2015-16	Commissioner (Appeals)
					2016-17	
Customs Act, 1962	Duty of Customs	9,555.41	6,725.48	2,829.93	2003-2004	Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, Bangalore
					2013-2014	
					2018-2019	
		50.77	-	50.77	1984-1990	
		14,961.22	-	14,961.22	2004-2005	Commissioner of Customs, Cochin
					2010-2015	
						(Case dismissed by Hon'ble High Court of Kerala directing department to file appeal under Section 130E of the Customs Act with the Hon'ble Supreme Court)
Employees' State Insurance Act, 1948	Employees' State Insurance	17.26	1	16.26	2010-2013	Hon'ble Insurance Court, Alappuzha

*Adjusted against the refund due for the subsequent years.

- (viii) According to the information and explanation given to us, the Company does not have any loans or borrowings from any public financial institutions, banks or government during the year. In respect of bonds issued, the Company has not defaulted in payment of any dues.
- (ix) In our opinion and according to the information and explanation given to us, money raised by way of initial public offer have been applied by the Company during the year for the purposes for which they are raised. The Company has not raised any term loan during the year.
- (x) To the best of our knowledge and according to the information and explanations provided to us, we report that no fraud by the Company or on the Company by its officers and employees was noticed or reported during the year.
- (xi) In view of exemption given vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015, issued by the Ministry of Corporate

Affairs, provisions of Section 197 read with Schedule V of the Companies Act, 2013 regarding managerial remuneration are not applicable to the company.

- (xii) The Company is not a Nidhi company as prescribed under Section 406 of the Companies Act, 2013 and therefore the reporting under Clause 3(xii) of the Order is not applicable.
- (xiii) In our opinion and based on the information and explanation provided to us, all transactions with the related parties are in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable, and the details have been disclosed in the standalone Financial Statements as required by the applicable Indian Accounting Standards.
- (xiv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible

debentures during the year and therefore provisions of Section 42 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

- (xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected to its directors and hence provisions of section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

(xvi) In our opinion, the company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For **Elias George & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000801S

Chirag J Shah
Partner

Kochi
11 June, 2021

Membership No. 214798
UDIN: 21214798AAAABW6356

ANNEXURE – B TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

With reference to the Annexure B referred to in the Independent Auditor's Report to the members of the Company on the audit of standalone financial statements for the year ended March 31, 2021, we report the following:

A. General Directions

1. **Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.**

In our opinion, the company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. Based on the information and explanations given to us, and based on procedures performed by us, we are of the opinion that the company has an adequate internal control system to prevent and detect processing of accounting transactions outside the IT system. As per information provided to us, there has been no such instance reported during the year.

2. **Whether there is any restructuring of any existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for?**

According to the information and explanation given to us and based on our examination of the records of the company, there has not been any restructuring of any existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company.

3. **Whether funds (grant/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.**

In our opinion, and based on the information and explanations given to us, the funds received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per their terms and conditions.

B. Sub Directions

No Sub Directions were issued for the period under audit.

For **Elias George & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000801S

Chirag J Shah
Partner
Membership No. 214798
UDIN: 21214798AAAABW6356

Kochi
11 June, 2021

ANNEXURE – C TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The Annexure referred to in our Independent Auditors' Report to the members of Cochin Shipyard Limited on the audit of standalone financial statements for the year ended 31st March 2021.

Report on the Internal Financial Controls under clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

Opinion

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Cochin Shipyard Limited ("the Company") as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating

effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls

over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

For **Elias George & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000801S

Chirag J Shah
Partner
Membership No. 214798
UDIN: 21214798AAAABW6356

Kochi
11 June, 2021

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF COCHIN SHIPYARD LIMITED, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 11 June 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2021 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

Place: Chennai
Date: 12.08.2021

(DEVIKA NAYAR)
Director General of Commercial Audit, Chennai

STANDALONE BALANCE SHEET

as at 31st March, 2021

Particulars	Note No.	As at	
		31st March, 2021	31st March, 2020
(₹ in Lakhs)			
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment	3	69,840.89	69,653.51
(b) Capital work-in-progress	4	106,164.35	76,820.65
(c) Intangible assets	5	5,748.61	5,965.58
(d) Financial assets			
(i) Investments	6	21,444.52	6,544.52
(ii) Loans	7	862.76	108.24
(iii) Other Financial Assets	8	4,331.07	864.50
(e) Income tax assets (net)	9	3,854.01	6,025.42
(f) Deferred tax assets (net)	10	7,880.94	4,635.94
(g) Other non-current assets	11	21,388.54	29,290.38
Total Non-Current assets		241,515.69	199,908.74
Current assets			
(a) Inventories	12	43,221.40	31,341.31
(b) Financial Assets			
(i) Trade receivables	13	35,330.43	28,823.21
(ii) Cash and cash equivalents	14	66,721.59	84,851.63
(iii) Bank balances other than (ii) above	15	147,916.77	132,740.27
(iv) Loans	16	57.20	30.97
(v) Other Financial assets	17	1,734.65	3,292.18
(c) Other current assets	18	203,456.25	159,473.94
Total Current assets		498,438.29	440,553.51
Total Assets		739,953.98	640,462.25
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity share capital	19	13,154.04	13,154.04
(b) Other equity	20	384,602.64	360,025.46
Total Equity		397,756.68	373,179.50
Liabilities :			
Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	21	12,300.00	12,300.00
(ii) Other financial liabilities	22	38,635.93	37,586.91
(b) Provisions	23	3,161.39	2,872.20
(c) Other non current liabilities	24	10.30	11.45
Total Non-Current Liabilities		54,107.62	52,770.56
Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Trade payables			
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	25	1,527.88	686.52
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises		42,014.71	41,185.27
(ii) Other financial liabilities	26	23,516.08	17,266.32
(b) Other current liabilities	27	164,236.68	116,081.50
(c) Provisions	28	49,484.69	38,137.13
(d) Current tax liabilities (net)	9	7,309.64	1,155.45
Total Current Liabilities		288,089.68	214,512.19
Total Equity and Liabilities		739,953.98	640,462.25

Corporate overview and Significant Accounting Policies
Notes to the Financial Statements1-2
3-58

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)**CHIRAG J SHAH**Partner
(Membership No. 214798)

Kochi

June 11, 2021

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary**JOSE V J**Director (Finance) & Chief Financial Officer
(DIN 08444440)

Kochi

June 11, 2021

BEJOY BHASKERDirector (Technical)
(DIN 08103825)**MADHU S NAIR**Chairman and Managing Director
(DIN 07376798)

STANDALONE STATEMENT OF PROFIT & LOSS

for the year ended 31st March, 2021

Particulars	Note No.	For the year ended	
		31st March, 2021	31st March, 2020
(₹ in Lakhs)			
I Income			
Revenue from operations	29	281889.70	342249.39
Other income	30	19386.07	24750.03
Total Income		301275.77	366999.42
II Expenses:			
Cost of materials consumed	31	121981.82	179599.82
Sub contract and other direct expenses	32	33631.38	36556.98
Employee benefits expense	33	29157.79	30567.32
Finance costs	34	5046.62	4459.41
Depreciation and amortisation expense	35	5307.07	4873.12
Other expenses	36	15928.33	16008.41
Provision for anticipated losses and expenditure	37	9164.12	8591.78
Total expenses		220217.13	280656.84
III Profit before tax		81058.64	86342.58
IV Tax expense:			
(1) Current tax	9	23293.20	20634.83
(2) Deferred tax	9	(3245.00)	1939.00
V Profit for the year		61010.44	63768.75
VI Other comprehensive income			
A) Items that will be reclassified to profit or loss			
i) Effective portion of gains/losses on cash flow hedging instruments		121.08	-
ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		(30.48)	-
B) Items that will not be reclassified to profit or loss			
i) Remeasurements of defined employee benefit obligations		411.01	(797.60)
ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		(103.44)	200.76
Other comprehensive income for the year		398.17	(596.84)
VII Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit and Other Comprehensive Income for the period)		61408.61	63171.91
VIII Earnings per equity share of ₹ 10 each :	38		
(1) Basic (₹)		46.38	48.48
(2) Diluted (₹)		46.38	48.48

Corporate overview and Significant Accounting Policies
Notes to the Financial Statements1-2
3-58

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)**CHIRAG J SHAH**Partner
(Membership No. 214798)

Kochi

June 11, 2021

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary**JOSE V J**Director (Finance) & Chief Financial Officer
(DIN 08444440)

Kochi

June 11, 2021

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
(DIN 08103825)**MADHU S NAIR**Chairman and Managing Director
(DIN 07376798)

STANDALONE STATEMENT OF CASH FLOWS

For the year ended 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	81,058.64	86,342.58
Adjustments for :		
Depreciation and amortisation	5,307.07	4,873.12
Interest expense	5,046.62	4,459.41
Interest income	(10,623.21)	(16,725.17)
Rental income	(63.66)	(152.48)
Dividend income	(46.56)	(0.89)
Loss on sale/write off of property, plant and equipment	1.25	1.87
Profit on sale of investments	–	(235.30)
Income recognised on Govt. assistance	(1.14)	(1.14)
Loss/(gain) on derivative contracts (net)	(123.99)	–
Net (gain) /loss on foreign currency transactions	(404.65)	502.01
Operating cash flow before working capital changes	80,150.37	79,064.01
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	(12,066.39)	(3,214.86)
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	(43,842.96)	(68,952.59)
Increase / (decrease) in trade and other payables	61,385.08	36,429.94
	85,626.10	43,326.50
Income tax paid net of refunds	(10,741.43)	(18,065.07)
Net cash flows from operating activities (A)	74,884.67	25,261.43
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment	(5,019.95)	(3,549.74)
(Increase) / decrease in capital work In progress	(29,343.70)	(42,712.93)
(Increase) / decrease in Term deposits with maturity above three months	(15,176.50)	21,711.10
Investment in Mutual Funds	–	(66,800.00)
Redemption of Mutual Funds	–	66,800.00
Dividend received	0.89	0.89
Profit on sale of investments	–	235.30
Investment in Equity shares of HCSL Subsidiary	(2,800.00)	(507.34)
Investment in Preference shares of HCSL Subsidiary	(5,600.00)	–
Investment in Equity shares of TSL Subsidiary	(6,500.00)	–
Loan to HCSL Subsidiary	(1,000.00)	–
Repayment of loans by HCSL Subsidiary	1,000.00	–
Loan to TSL Subsidiary	(500.00)	–
Sale or withdrawal of property, plant and equipment	2.49	0.66
Interest received	12,359.02	17,290.78
Rent received	63.66	152.48
Net cash flows from investing activities (B)	(52,514.09)	(7,378.80)

STANDALONE STATEMENT OF CASH FLOWS

For the year ended 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
C. Cash flow from financing activities		
Repayment of borrowings	–	–
Borrowings/ Repayment of loans by employees	(274.98)	28.72
Net gain /loss on foreign currency transactions	555.92	(857.28)
Repayment of lease liability	(2,407.38)	(2,376.78)
Dividend paid	(36,831.31)	(19,244.36)
Dividend distribution tax paid	–	(3,955.74)
Interest paid	(1,542.87)	(4,459.52)
Net cash flows from financing activities (C)	(40,500.62)	(30,864.96)
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	(18,130.04)	(12,982.33)
Cash and cash equivalent at the beginning of the Year	84,851.63	97,833.96
Cash and cash equivalent at the end of the Year	66,721.59	84,851.63

Cash and Cash Equivalents' include earmarked funds of ₹ 37749.10 lakhs as on March 31, 2021

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1-2

Notes to the Financial Statements

3-58

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)**SYAMKAMAL N**
Company Secretary**BEJOY BHASKER**
Director (Technical)
(DIN 08103825)**CHIRAG J SHAH**
Partner
(Membership No. 214798)**JOSE V J**
Director (Finance) & Chief Financial Officer
(DIN 08444440)**MADHU S NAIR**
Chairman and Managing Director
(DIN 07376798)Kochi
June 11, 2021Kochi
June 11, 2021

STANDALONE STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

For the year ended 31st March, 2021

A. Equity Share Capital

	As at April 01, 2020	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2021
	13,154.04	0.00	13,154.04
	As at April 01, 2019	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2020
	13,154.04	0.00	13,154.04

B. Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	Reserves and Surplus				Other Comprehensive Income		Total
	Capital Reserve	Securities Premium Reserve	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debt Redemption Reserve	
Balance as at April 01, 2020	263.56	93,152.32	6,322.75	246,264.63	12,353.76	1,668.44	-
Profit for the year			61,010.44				61,010.44
Other comprehensive income for the year			307.57				90.60
Total comprehensive income for the year			61,318.01				90.60
Dividends (including taxes)			(36,831.31)				(36,831.31)
Transfer from retained earnings			-				-
Amortisation of premium		(0.12)					0.00
Balance as at March 31, 2021	263.56	93,152.20	6,322.75	270,751.33	12,353.76	1,668.44	90.60

Refer Note 20 for further details

STANDALONE STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

For the year ended 31st March, 2020

B. Other Equity (Contd..)

Particulars	Reserves and Surplus				Other Comprehensive Income		Total
	Capital Reserve	Securities Premium Reserve	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debt Redemption Reserve	
Balance as at April 01, 2019	263.56	93,152.44	6,322.75	206,436.99	12,353.76	1,524.27	-
Prior period adjustments				-			-
Profit for the year			63,768.75				63,768.75
Other comprehensive income for the year			(596.84)				(596.84)
Total comprehensive income for the year			63,171.91				-
Dividends (including taxes)			(23,200.10)				(23,200.10)
Transfer from retained earnings			(144.17)			144.17	0.00
Amortisation of premium		(0.12)					(0.12)
Balance as at March 31, 2020	263.56	93,152.32	6,322.75	246,264.63	12,353.76	1,668.44	-

Refer Note 20 for further details

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.**,
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 0008015)**CHIRAG J SHAH**
Partner
(Membership No. 214798)Kochi
June 11, 2021

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary**BEJOY BHASKER**
Director (Technical)
(DIN 08103825)**JOSE V J**Director (Finance) & Chief Financial Officer
(DIN 08444440) Chairman and Managing Director
(DIN 07376798)**MADHU S NAIR**Kochi
June 11, 2021

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

1. CORPORATE OVERVIEW AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1. Corporate information

Cochin Shipyard Limited (referred to as “CSL” or “the Company”) is mainly engaged in the construction of vessels and repairs and refits of all types of vessels including upgradation of ships periodical layup repairs and life extension of ships.

The Company is a public limited company incorporated and domiciled in India. The address of its corporate office is Perumanoor, Kochi, Kerala. As at March 31, 2021, the Government of India holds 72.86% of the Company's equity share capital. The Company's equity shares are listed for trading on NSE Limited and BSE Limited in India and tax free bonds are listed for trading on BSE Limited.

The financial statements for the year ended March 31, 2021 were approved by the Board of Directors and authorised for issue on June 11, 2021.

2. Significant Accounting Policies

2.1 Statement of compliance

These financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as “Ind AS”) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

2.2 Basis of preparation of Financial Statements

These financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

2.3 Use of estimates and judgements

The preparation of the financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgements,

estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

2.4 Critical Accounting estimates and judgements:

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the financial statements have been disclosed below:

Useful lives of property, plant and equipment

The Company reviews the estimated useful lives and residual values of property, plant and equipment at the end of each reporting period. Assumptions are also made as to whether an item meets the description of asset so as to warrant its capitalisation and which component of the asset may be capitalised. Reassessment of life may result in change in depreciation expense in future periods.

Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items.

Leases

The Company evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment. The Company uses significant judgements in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee's option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialised nature of the leased asset.

Impairment of unquoted investments

The Company reviews its carrying value of investments annually, or more frequently when there is indication for impairment. If the recoverable amount is less than its carrying amount, the impairment loss is accounted for.

Recognition and measurement of provisions

The recognition and measurement of provisions are based on the assessment of the probability of an outflow of resources and on past experience and circumstance known at the balance sheet date. The actual outflow of resources at a future date may therefore vary from the figure included in provisions.

Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Company. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall in the provision made earlier, additional provisions are made.

Contingencies and commitments

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that is not recognised because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or it cannot be measured with sufficient reliability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

Recoverability of advances / receivables

The Company makes provisions for expected credit loss based on an assessment of the recoverability of trade and

other receivables. The identification of doubtful debts requires use of judgement and estimates. Where the expectation is different from the original estimate, such difference will impact the carrying value of the trade and other receivables and expenses on account of provision for doubtful debts in the period in which such estimate has been changed. At each balance sheet date, based on historical default rates observed over expected life, the management assesses the expected credit loss on outstanding receivables and advances.

Fair value measurements

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Provision for inventories

Management reviews the inventory ageing on a periodic basis. This review involves comparison of the carrying value of the aged inventory items with the respective net realisable value. The purpose is to ascertain whether a provision is required to be made in the financial statements for any obsolete and slow-moving items and that adequate provision for obsolete and slow-moving inventories has been made in the financial statements.

Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Company are recognized in the financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Revenue Recognition

The Company exercises significant judgement in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers. Provision for estimated losses if any, on the uncompleted

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date. Claims for liquidated damages against the Company are recognized based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

2.5 Property, Plant and Equipment (PPE)

The Company had applied for the one time transition exemption of considering the carrying cost on the transition date i.e. April 1, 2015 as the deemed cost under Ind AS. Hence regarded thereafter as historical cost.

Property, Plant and Equipments are stated at cost less accumulated depreciation (other than free hold land which are stated at cost) and impairment losses, if any. PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates. The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the items are material and can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognised when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Statement of

profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

2.6 Capital work in progress and intangible assets under development:

Capital work in progress and intangible assets under development are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

2.7 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which are not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalised as intangible asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

Right to use: Up-front fee paid for securing right to use of land and other facility is capitalized as intangible asset and amortised on a straight line basis over the period of lease for which the right has been obtained.

Internally generated procedure: Cost of internally generated weld procedure is capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

2.8 Leases

Indian Accounting Standard (Ind AS 116) "Leases" became effective from April 01, 2019 and the Company has adopted the same using modified retrospective transition method, where at the date of initial application, the lease liability is measured at the present value of remaining lease payments and the right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises of the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

As a Lessee:

The Company's lease asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings. The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether: (i) the contract involves the use of an identified asset (ii) the Company has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and (iii) the Company has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Company recognises a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognises the lease payments as an operating expense on a straightline basis or another systematic basis over the term of the lease. The right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made. A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets. Lease liability and RoU asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows.

As a lessor:

Leases for which the Company is a lessor is classified as a finance or operating lease. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease. The difference between the amount recognised as lease rental income and actual cashflows receivable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

2.9 Investment Properties

Investment properties are properties held to earn rentals and/or for capital appreciation. Investment properties are measured initially at cost including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Any gain or loss on disposal of investment property is determined as the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the property and is recognised in the Statement of Profit and Loss.

2.10 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below.

For the assets acquired from Cochin Port Trust for International Ship Repair Facility (ISRF), depreciation is provided on the basis of remaining useful life as assessed by technical experts. Right Of Use assets/Assets on leased premises are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of the end of the useful life of the Right Of Use asset/ Assets on leased premises or the end of the lease term.

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on derecognition of the asset is included in the Statement of profit and loss when the asset is derecognised. Fully depreciated assets still in use are retained in financial Statements at residual value.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act. Useful life considered for calculation of depreciation for various asset classes are as follows:

Asset Class	Useful Life
Buildings	3-60 years
Plant and equipment	5-15 years
Furniture and fixtures	8-10 years
Vehicles	8-10 years
Office equipment	3-10 years
Data Processing Equipments	3-6 years
Docks and quays	15 years
Railway sidings	15 years
Electrical installation	10 years
Drainage and water supply	15 years
Vessels	13-28 years

2.11 Impairment of Assets

The Company assesses the impairment of assets with reference to each cash generating unit, at each Balance Sheet date. If events or changes in circumstances based on internal and external factors indicate that the carrying value may not be recoverable in full, the loss on account and the recoverable amount, is accounted for accordingly. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use.

2.12 Non-current assets held for sale

Company classifies a non-current asset as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction. This condition is regarded as met only when the asset is available for immediate sale in its present condition and its sale is highly probable.

Non-current assets including discontinued operations, classified as held for sale are measured at the lower of the carrying amounts and fair value less costs to sell and presented separately in the financial statements. Once

classified as held for sale, the assets are not subject to depreciation or amortisation.

Any profit or loss arising from the sale or re-measurement of discontinued operations is presented as part of a single line item in statement of profit and loss.

2.13 Investment in subsidiary

The Company has accounted for its equity investments in subsidiaries at cost in its standalone financial statements in accordance with Ind AS- 27, Separate Financial Statements.

2.14 Inventories

- Raw materials, components, stores and spares are valued at weighted average cost method or net realisable value whichever is lower. However materials and other supplies held for use in the production / services are not written down below cost if the finished products/supply of services in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. Provision for obsolescence / non- usability / deterioration is determined on the basis of technical assessment made by the management. Goods in transit are valued at lower of cost and net realisable value. Stock of materials in respect of construction of defence vessels wherein the cost incurred is reimbursed by the owner are shown as reduction from the advances paid by the owner for construction of the vessel.
- Loose tools in stock are valued at cost after providing for loss on revaluation estimated at 30% of book value.
- Stock of scrap is valued at net realizable value after adjusting customs duty, if any, payable on the scrap.

2.15 Financial instruments

Financial assets and liabilities are recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in statement of profit and loss.

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 Financial Instruments, are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the Company may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value. The Company makes such election on an instrument-by- instrument basis. The classification is made on initial recognition and is irrevocable.

Investment in preference shares/debentures of the subsidiaries are treated as equity instruments if the same are convertible into equity shares. Investment in preference shares/debentures not meeting the aforesaid condition is classified as debt instruments at amortised cost.

Investment in a 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met: The asset is held within a business model whose objective is-

- To hold assets for collecting contractual cash flows, and
- Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium and fees or costs that are an integral part of the Effective Interest Rate (EIR). The EIR amortisation is included in other income in the Statement of Profit and Loss. The losses arising from impairment are recognised in the Statement of Profit and Loss.

Trade Receivables

The Company classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due.

The Company assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a group of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Company recognises lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the company uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

Full provision is made for all trade receivables considered doubtful of recovery when the debt is more than three years or if it is probable / certain that the debt is not recoverable.

Where debts are disputed in legal proceedings, provision is made if any decision is given against the company even if the same is taken up on appeal to higher authorities/courts.

Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognised at the reporting date is recognised as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Cash and cash equivalents

The Company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

Financial liabilities

Financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognised at the proceeds received net of direct issue cost.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in financial statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

Foreign Currency Transactions

Functional & Presentation Currency

The financial statements are presented in Indian Rupees ("INR"), which is the functional currency and presentation currency of the Company.

Transactions & Balances:

Foreign exchange transactions are recorded in functional currency adopting the exchange rate prevailing on the dates of respective transactions. Monetary items denominated in foreign currencies at the year end are re-measured at the exchange rate prevailing on the balance sheet date. Non monetary foreign currency items are carried at cost. Any income or expense on account of exchange difference either on settlement or on restatement is recognised in the statement of Profit and Loss.

Derivative instruments and hedge accounting:

The Company designates certain foreign exchange forward contracts as hedge instruments in respect of foreign exchange risks. These hedges are accounted for as cash flow hedges.

The use of foreign currency derivative contracts is governed by the Company's foreign exchange risk management policy approved by the Board of Directors which provide written principles on the use of such financial derivatives consistent with the Company's risk management strategy. The company does not use derivative financial instruments for speculative purposes.

The hedge instruments are designated and documented as hedges at the inception of the contract. The effectiveness of hedge instruments to reduce the risk associated with the foreign currency exposure that is being hedged is assessed and measured at inception and on an ongoing basis at fair value.

The effective portion of change in the fair value of the designated hedging instrument is recognised in the Other Comprehensive Income and accumulated under the heading cash flow hedge reserve.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or rollover (as part of hedging strategy), or if its designation as a hedge is revoked, or when the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting. Any gain or loss recognised in Other Comprehensive Income and accumulated in equity till that time remains and is recognised in Statement of Profit and Loss when the forecasted transaction ultimately affects the profit or loss. When a forecasted transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

2.16 Contract Assets

Where the Company performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Company presents the contract as a contract asset. A contract asset is Company's right to consideration in exchange for goods or services that the Company has transferred to a customer. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

2.17 Contract Liabilities

Where the Company receives consideration, or the Company has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Company transfers a good or service to the customer, the Company presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Company's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Company has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

2.18 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Provision towards guarantee claims in respect of ships/ small crafts delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case to case basis, wherever required.

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Company. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Company treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the financial statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Company does not expect them to have a materially adverse impact on our financial position or profitability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain

future events not wholly within the control of the entity. The Company does not recognize a contingent asset but discloses its existence in the financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

2.19 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Effective April 1, 2018, the Company has adopted Ind AS115 "Revenue from Contracts with Customers". In respect of contracts that were not completed on the date of initial application (April 1, 2018), the company has applied the standard retrospectively by recognizing the cumulative effect of applying the same at the effective date, as an adjustment to the Opening balance of Retained earnings and accordingly figures for earlier years have not been retrospectively adjusted.

Revenue from contracts with customers is measured based on transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable. Revenue is recognized when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship building and ship repair other than Indigenous Aircraft Carrier (IAC).

In respect of contract with Indian Navy for construction of Indigenous Aircraft Carrier, which is partly 'fixed price basis' and partly 'cost plus basis', the revenue from fixed price portion is recognized as explained above. The revenue by way of mark up from cost plus part of the contract for procuring and supply of materials and design outsourcing is recognized when performance obligations as per the terms of the contract are fulfilled upon making payments to the suppliers. The cost of materials, value of design outsourcing and other expenses incurred for the vessel which are recoverable separately from Navy are charged off to the statement of Profit and Loss when materials are consumed/ activities are performed/expenses are incurred and are simultaneously grossed up with the value of work done and recognized as income.

Other Operating Revenue is recognized at the point of time when the company satisfies performance

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

obligations by transferring promised goods and services to the customer except in the case of Ship Building Financial Assistance (SBFA) which is recognised over a period of time being output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts which are eligible under SBFA policy. Management fee is also recognised over a period of time.

In circumstances, where the Company may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Company expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, the Company recognises revenue only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation. Where current estimates of total contract costs and revenue indicate a loss, provision is made for the entire loss, irrespective of the amount of work done.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Company estimates the net amount of consideration to which the Company is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same.

b) Other income

i) Government Grants

Government grants are recognised when there is reasonable assurance that the Company will

comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government grants are recognised in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognises as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognised as deferred income, and amortised over the expected useful life of the asset. Other grants are recognised in the statement of Profit & Loss concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Company with no future related costs are recognised in statement of profit & loss in the period in which they become receivable. Ship Building Financial Assistance is accounted as revenue from operations in the manner specified in para (a).

ii) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis.

iii) Accounting for insurance claims

(i) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the financial statements in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement intimated by the insurance Company.

(ii) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the the financial statements on settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Company.

In the case of Medical insurance, claims are recognized on due basis, based on the claims submitted with the insurance company.

iv) Others

Dividend income is recognized when the Company's right to receive payment has been established.

2.20 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Post-employment benefit plans

Defined Contribution plans

Defined contribution to Employees Pension scheme for eligible employees are made to CSL Superannuation Pension Trust for Executives and Supervisors and CSL Workmen Pension Trust and are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Company does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

The Company also makes contribution towards provident fund, in substance a defined contribution retirement benefit plan. The provident fund is administered by the Trustees of the Cochin Shipyard Limited Employees Contributory

Provident Fund Trust. The rules of the Company's provident fund administered by the Trust, require that if the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Employees' Provident Fund by the Government under para 60 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 for the reason that the return on investment is less or for any other reason, then the deficiency shall be made good by the Company. The deficiency, if any assessed by the Company is provided for in the accounts.

The Company also makes contribution towards Employees Medical Assistance Trusts which are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Company does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

Defined benefit plans

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Other employee benefits

Compensated absences

The Company has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by Actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid/availed as a result of unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

2.21 Borrowing cost

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/ construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalized as part of cost of such assets upto the date when such assets are ready for the intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss in the period in which they are incurred. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs.

2.22 Corporate Social Responsibility

The Corporate Social responsibility (CSR) expenditure is charged to the Statement of Profit & Loss in the period in which it is incurred, except to the extent the Company decides to carry forward any amount in excess of the minimum required CSR expenditure for adjustment in future years in terms of Sec 135(5) of the Companies Act 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021.

2.23 Prior period adjustment

Prior period adjustments due to errors, having material impact on the financial affairs of the Company, are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for prior periods presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest period presented, by restating the opening statement of financial position.

2.24 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Current tax assets and current tax liabilities are off set when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Deferred tax

Deferred income tax is recognised using the Balance Sheet approach. Deferred income tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

2.25 Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to equity shareholders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The Company did not have any potentially dilutive securities in any of the years presented.

2.26 Segment Reporting

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Company's chief operating decision maker is the Chairman & Managing Director.

The Company has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Repair of Ships/offshore structures.

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Company as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

2.27 Statement of cash flows

Cash Flows are reported using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and

items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. Cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less (other than lien marked deposits), which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet.

2.28 Dividend to equity shareholders

Dividend to equity shareholders is recognised as a liability and deducted from shareholders' equity, in the period in which the dividends are approved by the equity shareholders in the general meeting. In the case of interim dividends, recognition is done in the period in which the same is recommended and approved by Board of the Company.

2.29 Recent pronouncements

The Indian Parliament has approved the Code on Social Security, 2020 which would impact the contributions by the company towards Provident Fund and Gratuity. The Ministry of Labour and Employment has released draft rules for the Code on Social Security, 2020 on November 13, 2020, and has invited suggestions from stakeholders which are under active consideration by the Ministry. The Company and its subsidiaries will assess the impact and its evaluation once the subject rules are notified and will give appropriate impact in its financial statements in the period in which, the Code becomes effective and the related rules to determine the financial impact are published.

On March 24, 2021, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") through a notification, amended Schedule III of the Companies Act, 2013. The amendments revise Division I, II and III of Schedule III and are applicable from April 1, 2021. The amendments are extensive and the Company will evaluate the same to give effect to them as required by law.

Note 3 : Property, Plant and Equipment

Particulars	Gross carrying amount		Depreciation		Net Carrying amount	
	As at 1st April 2020	As at 31st Mar 2021	As at 1st April 2020	For the year (withdrawal)	As at 31st Mar 2021	As at 31st Mar 2020
Owned Assets						
Land (Freehold)	587.54	587.54	-		-	587.54
Buildings	13,805.43	16,576.51	2,448.18	533.20	2,981.38	13,595.13
Plant and equipment	18,908.02	20,056.24	7,076.60	1,845.72	8,921.93	11,134.31
Furniture and fixtures	1,237.54	1,360.41	485.75	113.99	598.19	762.22
Vehicles	599.11	612.74	256.49	55.65	312.12	300.62
Office equipment	382.04	454.11	172.07	57.27	228.93	225.18
Others						
Data Processing Equipments	1,338.03	1,819.28	830.14	246.54	1,071.38	747.90
Docks and quays	4,466.45	4,466.45	1,542.55	299.41	1,841.96	2,624.49
Railway sidings	1.10	1.10	-		-	1.10
Electrical installation	1,765.00	1,831.03	864.80	117.37	982.17	848.86
Drainage and water supply	6.67	6.67	-		-	6.67
Vessels	19.74	19.74	5.72	1.36	7.08	12.66
Sub Total	43,116.67	47,791.82	13,682.30	3,270.51	16,945.14	30,846.68
Assets on leased premises						
Buildings	2,105.50	2,193.35	441.45	100.60	542.05	1,651.30
Plant and equipment	518.62	654.65	74.20	35.17	109.37	545.28
Docks and quays	9.62	9.62	8.35		8.35	1.27
Electrical installation	360.77	400.26	132.06	37.58	169.64	230.62
Sub Total	2,994.51	3,257.88	656.06	173.35	829.41	2,428.47
Right Of Use Assets						
Right of Use - Land	39,172.92	39,172.92	1,354.98	1,354.62	2,709.60	36,463.32
Right of Use - Buildings	98.11	173.07	35.36	35.29	70.65	102.42
Sub Total	39,271.03	39,345.99	1,390.34	1,389.91	2,780.25	37,880.69
Total	85,382.21	90,395.69	15,728.70	4,833.77	20,554.80	69,840.89

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 3 : Property, Plant and Equipment (Contd..)

Particulars	Gross carrying amount		Depreciation		Net Carrying amount	
	As at 1st April 2019	As at 31st Mar 2020	As at 1st April 2019	For the year (withdrawal)	As at 31st Mar 2020	As at 31st March 2019
Owned Assets						
Land (Freehold)	587.54	587.54	-		-	587.54
Buildings	13,459.99	13,805.43	1,926.33	521.85	2,448.18	11,533.66
Plant and equipment	18,115.59	18,908.02	5,591.52	1,485.63	7,076.60	11,831.42
Furniture and fixtures	1,113.31	1,237.54	372.40	114.27	485.75	751.79
Vehicles	515.38	599.11	203.19	53.30	256.49	342.62
Office equipment	234.56	382.04	133.98	39.26	172.07	209.97
Others						
Data Processing Equipments	916.58	1,338.03	668.96	161.90	830.14	507.89
Docks and quays	4,466.45	4,466.45	1,243.14	299.41	1,542.55	2,923.90
Railway sidings	1.10	1.10	-		-	1.10
Electrical installation	1,725.64	1,765.00	732.10	132.70	864.80	900.20
Drainage and water supply	6.67	6.67	-		-	6.67
Vessels	19.74	19.74	4.36	1.36	5.72	14.02
Sub Total	41,162.55	43,116.67	10,875.98	2,809.68	13,682.30	29,434.37
Assets on leased premises						
Buildings	848.99	1,260.35	333.80	110.60	441.45	1,664.05
Plant and equipment	316.00	202.75	50.28	23.96	74.20	444.42
Docks and quays	9.62	9.62	8.35		8.35	1.27
Electrical installation	331.57	360.77	97.28	34.78	132.06	228.71
Sub Total	1,506.18	1,492.30	489.71	169.34	656.06	2,338.45
Right Of Use Assets						
Right of Use - Land		39,172.92		1,354.98	1,354.98	37,817.94
Right of Use - Buildings		98.11		35.36	35.36	62.75
Sub Total	-	39,271.03	-	1,390.34	1,390.34	37,880.69
Total	42,668.73	42,722.37	11,365.69	4,369.36	15,728.70	69,653.51

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 3 : Property, Plant and Equipment (Contd..)

Freehold Land includes the value of (a) land allotted on lease basis to (i) Bharatiya Vidya Bhavan (0.69045 hectare) (ii) M/s Indian Oil Corporation Ltd (0.620 hectare) for laying pipeline (iii) land leased to M/s Cochin Air Products (0.30 hectare) and (b) land leased to Kerala State Electricity Board (0.47 hectare).

Value of land includes value of buildings acquired along with the land for which depreciation has not been provided as the value is not separately available and most of these buildings are likely to be demolished for putting up facilities for the factory.

Assets taken over from Cochin Port Trust (CoPT) (₹ 1291.52 lakhs) have been valued and life assessed by technical experts. This life has been taken as a base for arriving at the remaining useful life for providing depreciation for these assets. These assets together with assets constructed/installed on land taken on lease from CoPT, Mumbai Port Trust (MbPT) and Kolkata Port Trust (KoPT) have been disclosed separately as assets on leased premises in the note no 3 to Property, Plant & Equipments.

The Company has created mortgage for ₹ 12300 Lakhs on the landed properties of the Company as security for the tax free bonds issued by the Company during the year 2013-14.

Note 4 : Capital work -in -progress

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	
	31st March, 2021	31st March, 2020
Plant and machinery, Buildings and Civil works	98,315.49	75,687.89
Capital yard items	5,371.20	1,126.50
Goods in Transit	2,477.66	6.26
Total	106,164.35	76,820.65

Note 5 : Intangible assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount			Amortisation			Net Carrying amount			
	As at 1st April 2020	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2021	As at 1st April 2020	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2021	As at 31st Mar 2021	As at 31st March 2020
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	1,495.14	70.02	-	1,565.16	1,366.57	76.65	-	1,443.22	121.94	128.57
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00	-	-	7,000.00	1,162.99	210.34	-	1,373.33	5,626.67	5,837.01
	8,522.81	70.02	-	8,592.83	2,557.23	286.99	-	2,844.22	5,748.61	5,965.58

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 5 : Intangible assets (Contd..)

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount			Amortisation			Net Carrying amount			
	As at 1st April 2019	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2020	As at 1st April 2019	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2020	As at 31st Mar 2020	As at 31st March 2019
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	1,396.74	98.40	-	1,495.14	1,283.41	83.16	-	1,366.57	128.57	113.33
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00	-	-	7,000.00	952.65	210.34	-	1,162.99	5,837.01	6,047.35
	8,424.41	98.40	-	8,522.81	2,263.73	293.50	-	2,557.23	5,965.58	6,160.68

The Right to use of land and ship repair facility shown under Intangible Assets represents the upfront fee paid to Cochin Port Trust towards setting up of International Ship Repair Facility (ISRF) project, to be amortised over the period of lease which was further extended based on the date of obtaining of Environmental Clearance. As all environmental clearances for ISRF are obtained as on January 09, 2018, the lease period of 30 years effectively starts from this date.

Note 6 : Investments-Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	
	31st March, 2021	31st March, 2020
Unquoted (Fully Paid up)		
Investment in equity instruments		
a) At Cost		
Equity shares in subsidiary company		
Hooghly Cochin Shipyards Ltd - 5,00,00,000 Equity shares of face value of ₹ 10 each	4,935.34	2,135.34
Tebma Shipyards Ltd - 6,50,00,000 Equity shares of face value of ₹ 10 each	6,500.00	-
b) At Fair Value Through Other Comprehensive Income		
Cochin Shipyards Employees Consumer Co-operative Society Limited	2.18	2.18
2175 'B Class' shares of ₹ 100 each		
Kerala Enviro Infrastructure Limited - 70000 equity shares of ₹10 each	7.00	7.00
Cochin Waste to Energy Private Limited -100000 equity shares of ₹10 each	-	-
Investment in Debt instruments		
a) At Amortised Cost		
Investment in Cumulative Redeemable Preference Shares of M/s Hooghly Cochin Shipyards Limited (HCSL) a subsidiary of Cochin Shipyards Ltd, 5,60,00,000, 6% Cumulative Redeemable Preference Shares of ₹10 each (Redemption at any time at the option of the Company but not later than 10 years from the date of allotment.)	5,600.00	-
Investment in Non Convertible Debentures (NCD) of M/s Hooghly Cochin Shipyards Limited (HCSL) a subsidiary of Cochin Shipyards Ltd, 440000, 6.5% Unsecured Redeemable Non-convertible Debentures of ₹1000 each (Redeemable at par at the end of 60 months)	4,400.00	4,400.00
Total	21,444.52	6,544.52
Aggregate value of unquoted investment	21,444.52	6,544.52

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 6 : Investments-Non Current (Contd..)

Considering the indicators of the value of an investment such as investee's assets, results etc. a decline, other than temporary, in the value of investment in Cochin Waste to Energy (P) Ltd is noticed and accordingly fair value is considered as Nil.

M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, was incorporated on October 23, 2017 as an arrangement between M/s Cochin Shipyard Ltd (CSL) and M/s Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) wherein CSL had invested in 16280000 equity shares of face value of ₹10 each for cash (74%) and Hooghly Dock & Port Engineers Limited had invested in 5720000 equity shares of face value of ₹ 10 each for consideration other than cash (26%). During 2019-20, the Company acquired 57,20,000 (26%) equity shares of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) held by HDPEL, for an amount of ₹ 506.08 lakhs and HCSL has become a wholly owned (100%) subsidiary of CSL. The paid up equity share capital of HCSL is ₹ 50,00,00,000 divided into 5,00,00,000 equity shares of ₹ 10 each. During the year, the Company also invested on rights basis in 2,80,00,000 equity shares of face value of ₹ 10/- each fully paid up of M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) aggregating to ₹ 28,00,00,000/.The said equity shares shall rank pari passu with the existing equity shares of the Company in all respects, including dividend. Investments in equity shares of HCSL are accounted at cost as per Ind AS 27- Separate Financial Statements.

The National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai on March 04, 2020, approved the Resolution Plan submitted by CSL for acquisition of Tebma Shipyards Limited (TSL) which was undergoing Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). In compliance with the NCLT Order, Cochin Shipyard Limited (CSL) paid the bid amount for takeover of TSL on September 15, 2020 with effect from which TSL has become a wholly owned subsidiary of CSL.The paid up equity share capital of TSL is ₹ 65,00,00,000 divided into 6,50,00,000 equity shares of ₹ 10 each and this investment in TSL is accounted at cost as per Ind AS 27- Separate Financial Statements with effect from September 30, 2020.

Note 7: Loans - Non Current

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Unsecured, considered good:		
(a) Security deposits	71.16	65.40
(b) Loans to related parties		
Tebma Shipyards Ltd - Subsidiary Company	500.00	0.00
(c) Other Loans		
Employee advances		
Loans to related parties	0.00	0.00
Other employees	291.60	42.84
Total	862.76	108.24

No significant increase in credit risk or credit impairment

The Company infused ₹ 500 lakhs as unsecured loan to Tebma Shipyards Ltd, the Subsidiary company for meeting expenses during its operational phase, carrying an interest rate of 5.5% p.a. The principal amount is to be repaid at the end of 5 years from the date of disbursement i.e; on 17th September 2025. Interest repayments to be made on yearly basis from the date of disbursal.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 8: Other Financial Assets - Non Current

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Ship Building Financial Assistance Scheme Subsidy	4,255.65	835.57
Accrued Lease Rental Asset	29.75	28.93
Accrued dividend income from investments in preference shares	45.67	-
Total	4,331.07	864.50

Govt. of India approved a Financial Assistance Policy for Indian Shipyards on 9th December 2015 for grant of financial assistance to Indian Shipyards for shipbuilding contracts signed between April 1, 2016 to March 31, 2026. Recognition of revenue for this Assistance is based on measurement of physical performance of vessels under subsidy, completed to date.

Note 9: Income tax assets / liability (net)

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Non current tax assets		
Income Tax Assets net of provisions	3,854.01	6,025.42
Current tax assets / (liabilities)		
Advance income tax net of provisions	(7,309.64)	(1,155.45)

Income tax recognised in the Statement of profit and loss

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Current tax:		
Current income tax charge	24,372.08	23,895.75
Adjustment in respect of prior years	(1,078.88)	(3,260.92)
Total (A)	23,293.20	20,634.83
Deferred tax:		
In respect of current year	(3,245.00)	1,939.00
Total (B)	(3,245.00)	1,939.00
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (A+B)	20,048.20	22,573.83

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Profit before tax	81,058.64	86,342.58
Income tax expense calculated at respective applicable rates	20,400.85	21,730.70
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	7,469.50	5,916.60
Effect of expenses that are allowable in determining taxable profit	(3,909.11)	(4,131.73)
Effect of expenses incurred on Corporate Social Responsibility not deductible in determining taxable profit	374.25	319.87
Others	36.59	60.31
	24,372.08	23,895.75
Adjustments recognised in the current year in relation to the current tax of prior years	(1,078.88)	(3,260.92)
Adjustments for changes in estimates of deferred tax assets	(3,245.00)	1,939.00
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss	20,048.20	22,573.83

Note 10: Deferred tax assets (net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Deferred tax liabilities	(2,682.55)	(2,787.39)
Deferred tax assets	10,563.49	7,423.33
Total	7,880.94	4,635.94

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2020-21

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(6,425.47)	(2,578.21)	-	(9,003.68)
Property, plant and equipment	2,813.14	(115.60)	-	2,697.54
Intangible assets	(28.88)	11.02	-	(17.86)
Others	(994.73)	(562.21)	-	(1,556.94)
Total	(4,635.94)	(3,245.00)	-	(7,880.94)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2019-20

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(9,508.69)	3,083.22	0.00	(6,425.47)
Property, plant and equipment	3,958.25	(1,145.11)	0.00	2,813.14
Intangible assets	(56.94)	28.06	0.00	(28.88)
Others	(967.56)	(27.17)	-	(994.73)
Total	(6,574.94)	1,939.00	-	(4,635.94)

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 11: Other non-current assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Unsecured, considered good		
Capital advances	20,887.66	28,817.72
Advances other than capital advances:		
Security deposits	239.66	211.44
Deposits with Customs department	261.22	261.22
Total	21,388.54	29,290.38

Deposit with Customs Department of ₹ 261.22 lakhs pertains to a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) to cover a liability in respect of customs duty which is also shown as Payable to Chennai Port Trust under Note No. 22- Other Financial Liabilities- Non Current

Note 12 : Inventories

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Raw Materials and components*	40,614.93	28,145.83
Less : Provision for obsolescence, non-usability, deterioration and reduction in value of inventory	(353.87)	(391.39)
Goods-in transit*	994.01	1,964.10
	41,255.07	29,718.54
Stores & Spares*	714.45	780.18
Less : Provision for obsolescence, non-usability, deterioration and reduction in value of inventory	(11.61)	(17.06)
Goods-in transit*	393.16	37.33
	1,096.00	800.45
Loose Tools*	658.82	680.55
Scrap*	211.51	141.77
Total	43,221.40	31,341.31

* Valuation of inventories is done in accordance with Accounting Policy no. 2.14 given in Note no.2

(i) Inventory does not include stock of raw materials and bought out components procured under "Cost Plus" part of the IAC contract amounting to ₹ 14757.40 lakhs (previous year ₹ 32838.80 lakhs) held on behalf of Indian Navy lying with the Company and is adjusted against Advances from Indian Navy for Indigenous Aircraft Carrier.

(ii) Maintenance spares included in the inventory represent spares of general nature and are not related to a particular asset

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 13 : Trade Receivables-Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Unsecured		
Considered good:		
Trade Receivables considered good - Unsecured	35,330.43	28,823.21
Trade Receivables which have significant increase in Credit Risk	10,215.58	13,588.08
Less: Allowance for Expected credit loss	(10,215.58)	(13,588.08)
Trade Receivables - Credit impaired	-	-
Total	35,330.43	28,823.21

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle.

Movement in the expected credit loss allowance

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Opening balance	13,588.08	13,123.16
Add: Provision made/transfer during the year	672.78	4,149.68
Less: Amount collected/reversal of provision	4,045.28	3,684.76
Closing Balance	10,215.58	13,588.08

Note 14 : Cash and Cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Balance with Banks		
In current account	10,660.42	6,061.15
In current account on behalf of Indian Navy	37,749.10	3,641.02
In current account out of IPO Proceeds	-	5.04
Term deposits with original maturity of less than three months	18,312.07	22,088.26
Term deposits with original maturity of less than three months from IPO Proceeds	-	8,485.71
Term deposits with original maturity of less than three months earmarked for objects of IPO	-	44,570.45
Total	66,721.59	84,851.63

Funds received from Indian Navy for the construction of Indigenous Aircraft Carrier are held in a separate account and is separately disclosed.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 15 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Lien Marked Term deposits with original maturity of less than three months*	62,262.58	18,993.08
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months**	687.34	57,080.19
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months out of IPO Proceeds		5,050.00
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months earmarked for objects of IPO	84,929.09	51,597.00
Earmarked balances (Unpaid Dividend account)	37.76	20.00
Total	147,916.77	132,740.27

*Deposits with banks with maturity less than three months represents lien marked deposits in favour of Union Bank of India and State Bank of India for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company.

**Deposits with banks with maturity upto 12 months, include ₹93.01 lakhs (previous year ₹ 87.34 lakhs) lien marked in favour of The Registrar of High Court of Kerala.

Note 16 : Loans - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Unsecured, considered good		
Employee advances		
Loans to related parties	-	-
Other employees	57.20	30.97
Total	57.20	30.97

No significant increase in credit risk or credit impairment

Note 17 : Other Financial Assets - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Interest accrued on fixed deposits	1,371.77	3,122.61
Interest accrued from Others	167.17	153.58
Interest accrued on employee advances		
Related parties	-	-
Other employees	17.43	15.99
Foreign Exchange Derivatives Assets	178.28	-
Total	1,734.65	3,292.18

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 18 : Other Current Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	
	31st March, 2021	31st March, 2020
Unsecured advances		
Advances other than capital advances		
Advances to related party	0.39	0.84
Other advances	21,067.43	11,525.24
Advances considered doubtful	0.07	0.07
	21,067.89	11,526.15
Less: Provision for doubtful advances	0.07	0.07
	21,067.82	11,526.08
Others		
Contract Assets for IAC works	49,677.10	60,570.53
Contract Assets for other works	45,461.76	30,980.80
Balance with Sales Tax department and CBEC	290.66	474.80
Miscellaneous deposits	17.72	17.26
Prepaid expenditure	323.88	463.98
Input Tax Credit on GST	84,861.03	54,194.03
Miscellaneous current assets	1,756.28	1,246.47
Total	203,456.25	159,473.94

Note 19 : Equity Share Capital

Particulars	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹ 10/- each	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 10 each fully paid up	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
Total	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

19.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
Add : shares issued during the year	0	0.00	0	0.00
Less : Shares bought back during the year	0	0.00		
Equity Shares outstanding at the end of the year	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

Terms & Rights attached to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹10 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

19.2 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
The President of India	95843464	72.86	95843464	72.86
Nippon Life India Ltd (Formerly Reliance Capital Trustee Co. Ltd).	-	-	10795352	8.21

During 2019-20, Govt of India had transferred 3090978 equity shares (aggregating to 2.35% of paid up capital) on Feb 3, 2020 to the Asset Management Company, Nippon Life India Ltd formerly known as Reliance Capital Trustee Company Ltd through the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) in connection with the issue of CPSE ETF FFO - 6 and in accordance with the SEBI Regulations, 1996 and other applicable laws, rules and regulations as framed from time to time

Note 20 : Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	
	31st March, 2021	31st March, 2020
Capital Reserves	263.56	263.56
Capital Redemption Reserve	12,353.76	12,353.76
Securities Premium	93,152.20	93,152.32
Debenture Redemption Reserve	1,668.44	1,668.44
General Reserve	6,322.75	6,322.75
Cash flow Hedge Reserve	90.60	-
Retained Earnings	270,751.33	246,264.63
Total	384,602.64	360,025.46

Movement of each item in Other Equity is detailed in Statement of Changes in Equity

Capital Reserve: Capital reserve includes ₹ 263.56 lakhs being restoration charges received from Ms Indian Oil Corporation Ltd for laying pipe line through the Company's land.

Capital Redemption Reserve: Capital Redemption Reserve of ₹ 12353.76 lakhs includes ₹ 11914.20 lakhs being reserves created on redemption of preference shares and ₹ 439.56 lakhs being a sum equal to the nominal value of the shares bought back, which will be utilised for the purpose defined under the Companies Act 2013.

Securities Premium: Premium on tax free bonds is amortised on straight line basis over the period of bonds. The company had completed the Initial Public Offer (IPO) during 2017-18 and had allotted 22656000 equity shares of ₹ 10 each at premium (₹ 93929.76 lakhs). Expenses incurred net of deferred tax adjustment towards such allotment of shares amounting ₹ 777.93 lakhs has been debited in Securities Premium in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 32- Financial Instruments.

Debenture Redemption Reserve: The Company was hitherto creating Debenture Redemption Reserve at 25% of the value of bonds issued by the company over the maturity period of such debentures in accordance with Section 71(4) of the Companies Act, 2013 read with Rule 18(7) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and as per SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008. As per the amendment made to the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified vide Notification No. G.S.R. 574(E) by the Ministry of Corporate Affairs, the company is not required to create Debenture Redemption Reserves in respect of the bonds issued by it. However, the Debenture Redemption Reserve already created up to 30.09.2019, ₹ 1668.44 Lakhs, shall be retained in the books till the time of redemption of the bonds.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Cash flow Hedge Reserve: Cash flow hedge reserve represents the effective portion of change in the fair value of designated hedging instruments recognised in the Other Comprehensive Income. (Refer Note No. 41)

Interim dividend : During the year, the Company paid interim dividends of ₹ 9 per equity share of face value of ₹10 and ₹ 4 per equity share of face value of ₹ 10, as recommended at the board meetings held on 04 Jan 2021 and 12 Feb 2021 respectively.

Proposed dividend : The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of ₹ 2.50 per equity share of face value of ₹ 10 for the financial year ended March 31, 2021 at the Board meeting held on June 11, 2021.

Note 21: Borrowings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Bonds - (Secured)		
At amortised cost		
Tax Free Redeemable Non Convertible Bonds -Series 2013-14	12,300.00	12,300.00
Total	12,300.00	12,300.00

Tax Free Infrastructure Bond Series 2013-14

- a) **Tranche 1:** 1000 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹10000 lakhs with interest rate of 8.51% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 02nd December 2023
- b) **Tranche 2:** 230 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹ 2300 lakhs with interest rate of 8.72% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 28th March 2029 .

These bonds are secured against the landed properties of the Company admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala.

Utilisation : Out of the issue proceeds of ₹12300 lakhs received, the Company has fully utilised/adjusted funds towards various expenditure incurred on International Ship Repair Facility (ISRF) project.

Difference between carrying amounts and fair values of financial liabilities of borrowings is not significant in each of the year presented.

Note 22: Other Financial liabilities - Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Payable to Chennai Port Trust	261.22	261.22
Lease Liabilities under Ind AS 116	38,374.71	37,325.69
Total	38,635.93	37,586.91

Liability of ₹ 261.22 lakhs to Chennai Port Trust in respect of customs duty is covered by a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) which is also shown as deposits with Customs department under Note No. 11

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 23: Provisions - Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Provision for employee benefits - Compensated absences (Refer Note No 33)	3,161.39	2,872.20
Total	3,161.39	2,872.20

Note 24: Other Non Current Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Deferred Income arising from Government Assistance	10.30	11.45
Total	10.30	11.45

Note 25 : Trade Payables

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Trade payables (Unsecured)		
Outstanding dues of Micro enterprises and Small enterprises	1,527.88	686.52
Outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	42,014.71	41,185.27
Total	43,542.59	41,871.79

To the extent, the Company has received intimation from the vendors regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the details of trade payables are provided as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	1,527.88	686.52
Interest on above Principal	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;		
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;	-	-
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;	-	-

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 26 : Other Financial Liabilities - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Interest accrued but not due	281.98	281.95
Unpaid Dividend	37.76	20.00
Lease Liabilities	2,556.23	2,433.83
Foreign Exchange Derivatives Liabilities	57.21	
Others		
Security and other deposits	9,349.34	3,313.51
Others Payables	11,233.56	11,217.03
Total	23,516.08	17,266.32

Note 27 : Other Current Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Contract Liability for other works	160,155.13	113,330.88
Advances for other ship building contracts	114.21	114.21
Advances for ship repair and others	644.24	586.08
Income received in advance	26.46	25.33
Statutory dues	3,295.50	2,023.86
Deferred Income arising from Government Assistance	1.14	1.14
Total	164,236.68	116,081.50

Refer Note No 39 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers"

Cost of infrastructure facilities which has been met out of funds from Navy and adjusted by Indian Navy, till date.

(₹ in Lakhs)

Details	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Buildings and other civil works	13,763.77	11,507.56
Data processing equipment	1,338.51	1,324.01
Furniture and Office equipments	386.75	383.62
Plant and machinery	16,885.70	16,842.12
Total	32,374.73	30,057.31

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 28 : Provisions - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Provision for Employee benefits		
Gratuity	272.09	1,048.51
Compensated absences (Refer Note No 33)	515.45	533.22
Others	-	-
	787.54	1,581.73
Other Provisions		
Provision for Taxes and duties	2,662.17	209.12
Provision for shipbuilding loss	11,658.00	5,287.00
Provision for Expenditure / contingencies	34,376.98	31,059.28
	48,697.15	36,555.40
Total	49,484.69	38,137.13

28.1 Details of movement of provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 01.04.2020	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2021
Provision for employee benefits- Gratuity	1,048.51	272.09	(1,048.51)	-	272.09
Compensated absences	533.22	-	(17.77)	-	515.45
Provision for taxes and duties	209.12	2,560.12	(107.07)	-	2,662.17
Provision for shipbuilding loss	5,287.00	6,371.26	(0.26)	-	11,658.00
Provision for expenditure / contingencies	31,059.28	30,884.93	(25,127.66)	(2,439.57)	34,376.98

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 01.04.2019	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2020
Provision for employee benefits- Gratuity	607.90	440.61	-	-	1,048.51
Compensated absences	464.29	68.93	-	-	533.22
Others	2,997.00	-	(2,997.00)	-	-
Provision for taxes and duties	211.61	0.17	(2.66)	-	209.12
Provision for shipbuilding loss	205.00	5,287.00	-	(205.00)	5,287.00
Provision for expenditure / contingencies	32,446.60	29,783.06	(26,117.27)	(5,053.11)	31,059.28

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 29 : Revenue from operations

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Sale of products		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	200,925.37	237,746.87
Vessels other than IAC	35,831.94	46,206.78
	236,757.31	283,953.65
Sale of services		
Ship repairs	40,850.24	56,856.75
Engineering works	5.50	-
	40,855.74	56,856.75
Other operating revenue		
Sale of stock items	-	-
Ship Building Financial Assistance	3,420.09	835.57
Sale of scrap	544.23	603.42
Management fee	312.33	-
	4,276.65	1,438.99
Total	281,889.70	342,249.39

Refer Note No 39 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers"

The Company has considered the lock down period due to COVID 19 & GoI circular dated May 13, 2020, which ever is applicable to the projects and Kerala Flood natural calamity 2018 as Force Majeure period for computation of Liquidated Damages while calculating Revenue from operations.

Govt. of India approved a Financial Assistance Policy for Indian Shipyards on 9th December 2015 for grant of financial assistance to Indian Shipyards for shipbuilding contracts signed between April 1, 2016 to March 31, 2026. Recognition of revenue for this Assistance is based on measurement of physical performance of vessels under subsidy, completed to date.

Cochin Shipyard Ltd (CSL) has entered into an Agreement with the Andaman and Nicobar Administration to commence its operations at Marine Dockyard, at Port Blair, a facility that is currently being operated directly by the A&N Administration. Management fee on pro rata basis is accounted based on this agreement. Under the ambit of this Agreement signed on 28 Nov 2019, CSL shall assist the Administration to set up a Ship repair ecosystem at A&N islands. CSL shall also associate in Augmentation and Modernisation of the facility and also focus efforts towards Skill Development in the Islands in consultation with the Administration and Technical Institutions located in the Islands.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 30 : Other Income

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Training facilities	106.27	304.29
Income from sale of scrap and stores	85.90	246.42
Income from laboratory services	12.94	33.77
Rent received	259.19	303.34
Hire charges received	1.10	5.90
Interest on bank deposits	8,718.43	14,827.83
Interest from others	1,904.78	1,897.34
Dividend income from Preference shares	45.67	-
Dividend income from equity investments/ Mutual Funds	0.89	0.89
Profit on sale of Mutual Funds	-	235.30
Net gain on foreign currency transactions	404.65	-
Net gain on derivative contracts	123.99	-
Provision no longer required	4,365.45	5,159.25
Miscellaneous income	3,356.81	1,735.70
Total	19,386.07	24,750.03

Miscellaneous income includes ₹ 1.14 lakhs being deferred government assistance in the form of subsidy relating to installation of Solar Power plant inside the yard. The same has been accounted as per the requirements of Ind AS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

Note 31 : Cost of Materials Consumed

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Raw Materials		
Steel	3,965.41	5,760.00
Pipe	966.05	798.84
Paint	1,312.48	1,495.32
Bought out components	115,737.88	171,545.66
Total	121,981.82	179,599.82

Note 32 : Sub Contract and Other Direct Expenses

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Sub contract and off loaded jobs	26,544.41	28,818.23
Hull insurance	849.62	530.97
Other direct expenses	6,237.35	7,207.78
Total	33,631.38	36,556.98

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 33 : Employee Benefits Expense

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	25,416.91	26,145.73
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	1,719.52	2,020.40
Gratuity	345.54	305.67
Staff welfare expenses	1,675.82	2,095.52
Total	29,157.79	30,567.32

Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund includes provident fund inspection and administration charges ₹ 19.23 lakhs (previous year ₹20.52 lakhs)

Salaries, Wages, bonus/exgratia and allowances includes provision for encashment of half pay compensated absences for workmen amounting to ₹ 72.62 lakhs (previous year ₹ 512.42 lakhs)

Employee benefit expenses includes ₹ 6.15 Lakhs (previous year ₹ 33.03 Lakhs) being secondment to subsidiary (Hooghly Cochin Shipyard Ltd)

Employee benefit expenses includes ₹ 13.05 Lakhs (previous year Nil) being secondment to subsidiary (Tebma Shipyards Ltd)

The employee benefits accruing to the employees on deputation from Cochin Port Trust and Mumbai Port Trust are being accounted based on demands received from Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust as per tripartite agreement between the Company, Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust and the recognised Trade unions of the Port and not based on actuarial valuation except for gratuity which is actuarially valued.

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Discount Rate (p.a)	6.97%	6.66%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate- Half Pay Leave	0.70%	0.70%
Attrition Rate- Earned Leave	0.70%	0.70%

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	8.23	7.94

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Service Cost:		
Current Service Cost	244.95	213.89
Net Interest expense	205.06	196.63
Actuarial (Gain)/Loss recognised during the period	474.16	767.32
Expenses recognised in the statement of profit and loss	924.17	1177.84

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	3676.83	3405.42
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	3,676.83	3,405.42

(₹ in Lakhs)

Type of Employee Benefit	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Current Component of PVO	515.44	533.22
Non-Current Component of PVO	3161.39	2872.20
TOTAL PVO	3676.83	3405.42

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	3405.42	2893.00
Current & Past Service Cost	244.95	213.89
Current Interest Cost	205.06	196.63
Actuarial (Gain)/ Loss	474.16	767.32
Benefits paid	(652.76)	(665.42)
Defined Benefit Obligation at end of the year	3,676.83	3,405.42

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	652.76	665.42
Benefits paid	(652.76)	(665.42)
Fair Value of the Assets at the end of the year	-	-

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in Lakhs)

Year	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Year 1	87.43	484.41
Year 2	401.76	83.24
Year 3	89.56	203.95
Year 4	74.69	86.45
Year 5	126.07	74.63
Next 5 Years	438.26	472.06

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in Lakhs)

Year	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Year 1	87.43	484.41
Year 2	401.76	83.24
Year 3	89.56	203.95
Year 4	74.69	86.45
Year 5	126.07	74.63
Next 5 Years	438.26	472.06

(₹ in Lakhs)

Sensitivity Analysis - Half Pay Leave	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
A. Discount Rate + 50 BP	7.47%	7.16%
Defined Benefit Obligation [PVO]	2,988.16	355.85
Current Service Cost	128.15	104.81
B. Discount Rate - 50 BP	6.47%	6.16%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,225.63	389.41
Current Service Cost	140.20	113.84
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,229.92	389.98
Current Service Cost	140.42	113.99
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	2,983.37	355.23
Current Service Cost	127.91	104.64

BP denotes "Basis Points"

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

Sensitivity Analysis - Earned Leave	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
A. Discount Rate + 50 BP	7.47%	7.16%
Defined Benefit Obligation [PVO]	2,988.16	2,927.06
Current Service Cost	128.15	130.04
B. Discount Rate - 50 BP	6.47%	6.16%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,225.63	3,148.26
Current Service Cost	140.20	142.08
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,229.92	3,151.90
Current Service Cost	140.42	142.28
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	2,983.37	2,922.90
Current Service Cost	127.91	129.82

BP denotes "Basis Points"

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows (Head office):	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Discount Rate (p.a)	6.97%	6.66%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	0.70%	0.70%
Expected Rate of Return on Plan Asset	6.97%	6.66%

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	8.50	7.21

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Service Cost:		
Current Service Cost	252.11	223.48
Past Service Cost	–	–
Net Interest expense	34.92	23.34
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	287.02	246.82
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(76.82)	636.50
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	(308.94)	165.18
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	(385.76)	801.68

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	4,664.16	5,240.37
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	4,762.90	4,191.87
Net Liabilities/(Assets) recognized in the Balance Sheet	(98.74)	1,048.50

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	5,240.37	5,078.89
Current Service Cost	252.11	223.48
Current Interest Cost	313.54	349.80
Past Service Cost	–	–
Actuarial (Gain)/ Loss	(76.82)	636.50
Benefits paid	(1,065.04)	(1,048.30)
Defined Benefit Obligation at end of the year	4,664.16	5,240.37

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	4,191.87	4,471.00
Expected Return on Plan Assets	278.63	326.46
Actuarial Gain/(Loss)	308.94	(165.18)
Contributions from the employer	1,048.51	607.90
Benefits paid	(1,065.04)	(1,048.32)
Fair Value of the Assets at the end of the year	4,762.90	4,191.86

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in Lakhs)

Year	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in Lakhs)

Year	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Year 1	324.46	1,942.66
Year 2	1,561.59	293.47
Year 3	350.89	698.96
Year 4	261.87	327.89
Year 5	370.83	240.10
Next 5 Years	1,203.18	1,242.55

(₹ in Lakhs)

Sensitivity Analysis	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
A. Discount Rate + 50 BP	7.47%	7.16%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,487.42	5,071.31
Current Service Cost	235.32	236.07
B. Discount Rate - 50 BP	6.47%	6.16%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,855.15	5,423.06
Current Service Cost	269.48	269.81
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,835.23	5,403.33
Current Service Cost	267.74	267.13
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,504.03	5,086.36
Current Service Cost	237.00	238.93

BP denotes "Basis Points"

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (As Percentage of Total Plan Assets)	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Government of India Securities	36.77%	29.90%
State Government Securities	27.10%	30.96%
High Quality Corporate Bonds	0.00%	0.00%
Equity shares of listed companies	24.48%	10.90%
Property	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	0.25%	0.25%
Others (to specify)	11.39%	27.99%
Total	100.00%	100.00%

The plan assets are managed by the Gratuity Trust formed by the Company.

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation of International Ship Repair Facility (ISRF) and CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) were as follows:	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Discount Rate (p.a)-ISRF	5.65%	6.00%
Discount Rate (p.a)-CMSRU	5.00%	5.70%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	2.00%	2.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	NA	NA

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
(₹ in Lakhs)		
Service Cost:		
Current Service Cost	44.24	45.08
Past Service Cost	-	-
Net Interest expense	14.28	13.77
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	58.52	58.85
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(25.26)	(4.08)
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	-	-
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	(25.26)	(4.08)

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
(₹ in Lakhs)		
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	272.09	238.83
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	272.09	238.83

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
(₹ in Lakhs)		
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	238.83	184.06
Current Service Cost	44.24	45.08
Current Interest Cost	14.28	13.77
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(25.26)	(4.08)
Benefits paid	-	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	272.09	238.83

ISRF & CMSRU gratuity is self managed by the Company.

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	ISRF	CMSRU
(₹ in Lakhs)		
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	ISRF	CMSRU
(₹ in Lakhs)		
Year 1	71.07	13.06
Year 2	40.48	6.17
Year 3	15.32	2.23
Year 4	30.73	1.59
Year 5	15.51	0.12
Next 5 Years	71.70	4.09

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Sensitivity Analysis

Particulars	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	6.65%	6.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	235.97	26.71
Variation	(3.61%)	(2.06%)
B. Discount Rate - 100 BP	4.65%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	254.48	27.87
Variation	3.95%	2.20%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	253.41	27.74
Variation	3.51%	1.73%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	236.82	26.82
Variation	(3.27%)	(1.64%)

BP denotes "Basis Points"

Note 34 : Finance Costs

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Interest expense on lease liabilities	3,503.84	3,406.62
Interest others	491.34	1.35
Interest on tax free bonds	1,051.44	1,051.44
Total	5,046.62	4,459.41

Note 35 : Depreciation and Amortisation Expense

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Depreciation on property, plant and equipments	3,443.86	2,979.02
Depreciation on RoU Assets	1,389.91	1,390.34
Amortisation of other intangible asset	286.99	293.50
Total	5,120.76	4,662.86
Add : Loss on revaluation of tools	186.31	210.26
Total	5,307.07	4,873.12

COVID-19 pandemic had prompted a lockdown resulting in a temporary disruption of operations of the Company from March 23, 2020 to May 5, 2020. The Company continued to work on a reduced time scale for a significant period of the Quarter I which further effected the financial results of the Company during that quarter. From Quarter II onwards, in order to meet the challenges facing the Company, the Company extended hours of operations by working in two shifts. This has impacted depreciation to the tune of ₹388.11 lakhs during the year.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 36 : Other Expenses

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Consumption of stores	1,592.62	2,087.39
Consumption of spares	54.51	47.44
Rates and taxes	500.00	19.66
Power	1,920.42	2,134.70
Fuel	1,340.70	792.76
Water	303.95	242.26
Repairs and maintenance:		
Building and roads	449.05	638.75
Plant and machinery	158.23	104.92
Others	1,214.20	1,062.04
Maintenance dredging	467.32	299.50
Transport and stores handling	170.91	167.05
Travelling and conveyance expenses	491.24	849.58
Printing and stationery	75.02	98.66
Postage, telephone and telex	45.52	64.03
Advertisement and publicity	161.12	477.30
Lease rent	11.28	11.58
Guaranteed Amount under lease agreement	–	–
Hire charges	268.01	363.50
Insurance charges	744.77	427.26
Security expenses	1,996.50	1,393.59
Payments to Auditors	26.70	24.50
Training expenses	359.40	624.37
Legal expenses	29.02	58.07
Consultancy	82.56	130.46
Bank charges	699.18	496.09
Net loss on foreign currency transactions	–	502.01
Corporate social responsibility (Refer Note no.46)	1,486.98	1,270.94
Loss on sale/write off of property, plant and equipments	1.25	1.87
Miscellaneous expenses	1,277.87	1,618.13
Total	15,928.33	16,008.41

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and Miscellaneous expenses include:

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
For Audit Fees	15.00	12.50
For Limited Review/other services	7.50	7.50
For Certifications	4.20	4.50
Total	26.70	24.50

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 37 : Provision for Anticipated Losses and Expenditure

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Provision for:		
Doubtful debts / advances	98.18	3,286.89
Non moving / perpetual inventory verification	2.92	1.98
Expenses and contingencies	2,692.02	220.91
Provision for loss on Ship Building	6,371.00	5,082.00
Total	9,164.12	8,591.78

Note 38 : Earnings per Equity Share

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Net Profit after tax (₹ in lakhs)	61,010.44	63,768.75
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	46.38	48.48
Face value per share (in ₹)	10.00	10.00

Note 39: Additional Disclosures under Ind AS 115-“Revenue from Contract with Customers”

Disclosures of Disaggregated revenue as per IND AS 115

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Revenue from Contracts with customers		
A. Revenue from goods or services transferred over time		
(i) Sale of products (Including Excise Duty Nil)		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	200925.37	237746.87
Vessels other than IAC	35831.94	46206.78
Other operating revenue		
Ship Building Financial Assistance	3420.09	835.57
Management fee	312.33	0.00
(ii) Sale of services		
Ship repairs		
Engineering works	40850.24	56856.75
	5.50	0.00
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time		
Other operating revenue		
Sale of Ship Building Scrap	381.88	437.29
Sale of Ship Repair Scrap	162.35	166.13
Total	281889.70	342249.39

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to ₹ 784884.10 lakhs (excluding Cost Plus Part of IAC contract). The amount of transaction price relating to unsatisfied performance obligation that are part of a contract that has an original expected duration of one year or less has not been included in the above disclosure as permitted under Ind AS 115. Further the estimate of the transaction price as above would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained. Management expects that 19.59% of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied contracts as of 31.03.2021, as stated above, will be recognised as revenue during FY 2021-22 and the remaining thereafter.

During the year ended March 31, 2021 the Company recognised revenue of ₹ 15618.72 lakhs arising from opening Contract Liability as of April 01, 2020

Reconciliation of contracted price with revenue during the year

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Opening contracted price of orders	1504739.51	1176242.66
Add:		
Fresh orders/change orders received (net)	11336.93	341069.70
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	1766.45	7920.74
Increase due to exchange rate movements (net)	250.84	1430.22
Less:		
Other deductions including variations, change orders etc.	15654.69	13747.52
Orders completed during the year	6940.80	8176.29
Closing contracted price of orders	1495498.24	1504739.51
Total Revenue recognised during the year:	137551.03	136469.80
Less: Revenue out of orders completed during the year	2613.13	6709.06
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	134937.90	129760.74
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	575676.232	449884.96
Decrease due to exchange rate movements (net) (III)	0.00	0.00
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	784884.10	925093.81
Closing contracted price of orders (I+II+III+IV)	1495498.24	1504739.51

Note 40: Additional Disclosures under Ind AS 116-“Leases”

Rent and Hire charges Expense includes expense incurred for the year ended 31.03.2021 relating to Short term leases and leases of low value assets amounting to ₹39.93 lakhs.

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31, 2021 including outflow for short term and low value leases is ₹2439.02 lakhs.

The Company has lease term extension options that are not reflected in the measurement of lease liabilities.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2021 on an undiscounted basis are as follows

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Less than one year	2,567.03	2,440.69
One to five years	11,079.59	10,686.34
More than five years	119,899.03	122,762.30
Total	133,545.65	135,889.33

The details of the contractual maturities of leased assets as at March 31, 2021 on an undiscounted basis are as follows

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Less than one year	191.23	182.35
One to five years	313.02	465.19
More than five years	287.82	326.87
Total	792.07	974.41

Note 41: Additional Disclosures for Hedge Accounting

The company enters into foreign exchange derivative contracts to offset the foreign currency risks arising from the amounts denominated in currencies other than Indian Rupee. The counter party to the company's foreign currency forward contracts is generally a bank.

The company has the following outstanding forward contracts, which have been designated as Cash Flow Hedges, as on 31 Mar 21:

(₹ in Lakhs)

Currency	No. of contracts	31-Mar-21		No. of contracts	31-Mar-20	
		Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)		Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)
Euro	2	2982.30	(24.62)	-	-	-
NOK	2	4319.34	145.70	-	-	-
Total	4	7301.64	121.08	-	-	-

The movement in Hedge reserve during the year ended 31 Mar 21 for derivatives designated as cash Flow Hedges is as follows:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended	For the year ended
	31st March, 2021	31st March, 2020
Balance at the beginning of the year Cr/(Dr)	0.00	0.00
Changes in the fair value of effective portion of outstanding cash flow derivatives (Net)	121.08	0.00
Balance at the end of the year	121.08	0.00

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 42: Contingent Liabilities and Commitments

Particulars	As at	As at	Brief Description of the nature and obligation
	31 Mar 2021	31 Mar 2020	
	(₹ in Lakhs)	(₹ in Lakhs)	
A CONTINGENT LIABILITY			
(To the extent not provided for)			
a Guarantees			
i Letters of Credit	12,356.31	13,345.68	Represents Letter of Credit opened by the Company in various banks for procurement of materials/assets.
ii Bank Guarantees	353,929.06	272,384.71	
iii "Corporate Performance Guarantee to Cochin Port Trust"	3,925.00	3,925.00	Performance guarantee given by Company to CoPT for performance of obligations under the contract agreement entered with CoPT during the contract period.
b Other money for which the company is contingently liable			
i Greater Cochin Development Authority (GCDA)	69.06	69.06	Claim raised by GCDA for the land acquired for the Company is settled. However 8 land acquisition revision petition cases (Valued at ₹69.06 lakhs) filed by evictees is pending with the Hon'ble Supreme Court and High Court.
ii Customs duties	17,984.48	21,930.58	Customs duty for materials under Bond and indigenous vessels delivered. Includes an amount of ₹ 69.83 lakhs being Customs duty refund granted by CESTAT, Bangalore, against which an appeal was filed by the Department before the Hon'ble High Court of Kerala. The Hon'ble High Court of Kerala has since disposed off the appeal with a direction to the Department to prefer the appeal before the Hon'ble Supreme Court of India. In absence of any further information on the departmental appeal, the same has been retained as Contingent Liability.
iii Sales Tax/Kerala Value Added Tax	0.00	657.51	2000-01 - ₹ 111.93 Lakhs 2001-02 - ₹ 73.44 Lakhs 2004-05 - ₹ 195.67 Lakhs 2007-08 - ₹ 276.47 Lakhs (Under appeal.) Stay of collection of tax obtained in all cases. Demand reduced to the extent of amount paid and appeal allowed by Deputy Commissioner (Appeals). Cases are settled under Amnesty scheme 2020. Note no. 42.1 (II & III)
	0.00	12.10	VAT credit for the year 1996-97 which has not been considered in the demand, for which no provision exists in the books. Case settled under KVAT Amnesty scheme 2020.
iv Income Tax	2,069.97	2,107.27	Demand relating to Assessment Years: "AY 2010-11 - ₹ 457.63 Lakhs AY 2011-12 - ₹ 369.50 Lakhs AY 2014-15 - ₹ 911.07 Lakhs AY 2017-18 - ₹ 331.77 Lakhs Detailed notes in Note no. 42.1 (I)

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Particulars	As at 31 Mar 2021 (₹ in Lakhs)	As at 31 Mar 2020 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
v Service Tax	1,647.47	1,647.47	Demand of Service Tax on IAC (Design Consultancy) as per Show Cause Notice issued. Adjudication pending.
	376.88	376.88	Refund claim of Service Tax on IAC granted by Commissioner (Appeal). However Department filed Appeal before CESTAT against the order of Commissioner(Appeals). Also issued Show Cause Notice on CSL & adjudication pending.
	323.04	323.04	Demand of Service Tax on IAC (Management Fee/Handling Charges) as per Show Cause Notice issued. Adjudication pending.
	2,339.64	2,339.64	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-18-17-18 dt 19.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
	1,885.60	1,885.60	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-11-17-18 dt 07.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
	513.71	513.71	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2015-16 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
	734.93	734.93	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2016-17 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
	150.56	79.22	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2015-16 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Joint Commissioner vide OIO No.48/2020-ST(JC) dt 31.12.2020 confirmed demand. Appeal filed to Commissioner (Appeals) against OIO.
	286.85	286.85	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2016-17 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit.
	279.46	279.46	Show Cause Notice issued for non payment of service tax on availing services of persons in non-taxable territory for meeting contractual warranty obligations and on cost of security provided to the transportation of Barge from Cochin to Abu Dhabi.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Particulars	As at 31 Mar 2021 (₹ in Lakhs)	As at 31 Mar 2020 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
vi Alekton Engineering Industries Ltd	165.91		The petitioner approached MSME Council for recovery of Liquidation damages with interest deducted by CSL for delay in submission of drawings and supply of goods. MSME Council, Chennai referred to arbitration by Madras High Court Arbitration Centre. Madras High Court Arbitration Centre has appointed Mr. Suhrith Parthsarrathy as the sole arbitrator. Claim petition filed by the petitioner.
vii Employee State Insurance Corporation	17.26	—	Claims towards interest and damages in respect of delayed payments of ESI contributions payable in respect of advanced trainees during the period from June 2010 to Jul 2013. Aggrieved, CSL filed cases I.C No.60/2016, IC No: 09/2020, IC No: 03/2021 challenging the illegality and violation of instructions and the manner in which the claims were preferred by ESI Corporation.
B COMMITMENTS (To the extent not provided for)			
a Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	115,886.00	134,742.67	
b Other commitments			
i Investment in subsidiary (Hooghly Cochin Shipyard Ltd) for which the company has restriction for their disposal for 5 years from the effective date date of the concession agreement.	—	2,135.34	
ii Unutilised amount of Initial Public Offer (IPO) proceeds (Pending utilisation amount deposited with various banks in current account and term deposits)	—	4,737.06	Detailed notes in Note no. 43

Note 42.1. Contingencies And Commitments

(I) Income Tax Assessments

The Income Tax Assessment of the company have been completed up to AY 2017-18.

Demands raised as per the assessment orders totaling to ₹ 1369.11 lakhs for the Assessment Years 2010-11, 2011-12, 2014-15 and 2017-18 are shown under Contingent Liability pending disposal of the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals). The demands are mainly due to disallowance of certain genuine claims. However the above demands have been adjusted against the refund due for the subsequent years.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

For the Assessment years 2010-11 and 2011-12 although the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals) has been disposed in favour of the company, the Income Tax Department has gone for appeal against the order of Commissioner of Income Tax (Appeals) before the ITAT, the amount involved under appeal before the ITAT amounts to ₹700.86 lakhs.

(II) Sales Tax Assessment under KGST Act

The pending cases have been settled under Amnesty scheme 2020, of Govt. of Kerala.

(III) Sales Tax Assessments under KVAT Act

The pending cases have been settled under Amnesty scheme 2020, of Govt. of Kerala.

Note 43 : The Utilisation of IPO proceeds is summarised below

(₹ in Lakhs)

Particulars	IPO proceeds received -Based on Final allotment	Actual cash outflow upto March 31, 2021	Unutilised amount as at March 31, 2021
Setting up of Dry Dock	51000.00*	51000.00	0.00
Setting up of ISRF	26500.00*	26500.00	0.00
General corporate purposes	16523.26	16523.26	0.00
Issue related expenses (Attributable to the Company)	2172.10**	2172.10	0.00
Total	96195.36	96195.36	0.00

* As per Prospectus Filed

** Increase in IPO expenditure (₹172.10 lakhs) compared to the estimates is adjusted against amount specified for General Corporate Purpose

Note 44 :

The dispute between M/s Apeejay Shipping Ltd (formerly known as Surendra Overseas Ltd) and the Company, in the matter of ship 005 was referred for arbitration by the Hon'ble Supreme Court of India. The arbitration award (July 2009) was in favour of the Company under which the Company is to receive ₹2803.64 lakhs from M/s Apeejay Shipping Ltd. The company has filed a petition before Sub Court, Ernakulam for passing a decree. M/s Apeejay Shipping Ltd has moved to the Sub Court to quash the Award of the Umpire and the Company has filed Counter Affidavit against this move. Petition is dismissed by the Sub Court. Petitioners have filed appeal before the High Court against the order of the Sub- Court. The matter is pending before the court. No credit has been taken in the books of account, pending final decree of the Court.

Note 45 :

Permanent Machinery for Arbitration, Department of Public Enterprises, Govt. of India, has notified award in favour of the Company in the dispute between the Company and M/s Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) on the Works Contract Tax issue and ONGC has paid to the Company the disputed sum along with interest amounting to ₹ 2642.22 Lakhs as per the award. ONGC has gone on appeal before the Law Secretary, Ministry of Law & Justice against the award. Pending disposal of ONGC appeal, no adjustment has been made in the accounts.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 46 : Litigations

The Company is subject to legal proceedings and claims, in the ordinary course of business. The Company's Management does not reasonably expect that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will have material and adverse effect on the Company's results of operation.

Details of material litigation as on 31 March 2021

M/s. Vigil Marine Services in 2004 raised claims towards Agency Commission payable for winning orders for ATCO Tugs. The arbitration proceedings commenced on 10 Oct 2004. Examination and cross examination of witnesses completed and posted the matter for arguments on 01 and 02 Feb 2014. The Arbitrator completed the proceedings and passed his award directing the Company to pay commission to M/s Vigil Marine Services at the rate of 5% of the ATCO contract value of U S Dollar 18.25 Million with interest @ 8% per annum. Aggrieved on this CSL filed Original Suit No 187/2016 before Sub Court, Ernakulam and obtained an interim order staying execution of the award. However the Company has already provided for the principal amount and interest thereon.

Note 47 : Corporate Social Responsibility (CSR)

As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and those specified in Schedule VII of the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done through direct spending as per the recommendations of CSR committee. Details of amount required to be spent and the amount utilised are given below:

(a) Gross amount required to be spent by the Company during the period ended March 31, 2021	₹ 1479.77 Lakhs
(b) Amount spent during the year	₹ 1526.98 Lakhs

(₹ in Lakhs)

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset	1,280.03	–	1,280.03
(ii) On purposes other than (i) above	246.95	–	246.95

In case of Sec.135(5) Excess amount spent

(₹ in Lakhs)

Amount carry forwarded from previous financial years	Amount spent during the year	Amount charged to P&L as CSR expenses	Amount carry forwarded to succeeding financial years
0.00	1526.98	1486.98	40.00

Note 48 : Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship	
	2020-21	2019-20
Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Paul Ranjan D (Up to July 31, 2019) Director (Finance) & Chief Financial Officer	–	Key Managerial Personnel
Shri Suresh Babu N V Director (Operations)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Related Party	Nature of Relationship	
	2020-21	2019-20
Shri Bejoy Bhasker Director (Technical)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J (From August 01, 2019) Director (Finance) & Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Satinder Pal Singh (Upto February 03, 2020) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	–	Key Managerial Personnel
Shri Sanjay Bandopadyaya (From February 03, 2020) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	–
Shri Sanjay Bandopadyaya (From February 03, 2020) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri K R Jyothilal Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Smt. Roopa Shekhar Rai (From July 29, 2019 to March 20, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	–	Key Managerial Personnel
Shri Radhakrishna Menon (From July 29, 2019 to March 20, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	–	Key Managerial Personnel
Shri Krishna Das E (From July 29, 2019 to March 20, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	–	Key Managerial Personnel
Shri Jiji Thomson (Upto July 14, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Pradipta Banerjee (Upto July 14, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Nanda Kumaran Putezhath (Upto July 14, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Smt V Kala (Upto January 31, 2020) Company Secretary	–	Key Managerial Personnel
Shri Syamkamal N (From February 01, 2020) Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Hooghly Cochin Shipyard Limited (Principal place of business:Kolkata)	Subsidiary Company	Subsidiary Company
Tebma Shipyards Limited (Principal place of business:Malpe)	Subsidiary Company	–

Nature of transaction-Remuneration to Key Managerial Person*

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Short term benefit	251.05	353.83
Post employment Benefit	34.00	38.89
Total	285.05	392.72

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Nature of transaction-Advances

(₹ in Lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2020	Loans/advances Taken during 2020-21	Repayment	Balance as on 31/03/21	Interest accrued as on 31/03/21
SURESH BABU N V	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
BEJOY BHASKER	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
JOSE V J	0.20	0.40	0.49	0.11	0.00
SYAMKAMAL N	0.24	0.40	0.52	0.12	0.00

(₹ in Lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2019	Loans/advances Taken during 2019-20	Repayment	Balance as on 31/03/20	Interest accrued as on 31/03/20
MADHU S NAIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAUL RANJAN D	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00
SURESH BABU N V	0.19	0.50	0.49	0.20	0.00
BEJOY BHASKER	0.52	0.50	0.82	0.20	0.00
JOSE V J	0.18	0.50	0.48	0.20	0.00
KALA V	0.15	0.50	0.65	0.00	0.00
SYAMKAMAL N	0.18	0.60	0.54	0.24	0.00

Loan balances have been considered from the year of attaining KMP status.

Nature of transaction-Sitting Fee to Independent Directors

(₹ in Lakhs)

Name of the meeting	Jiji Thomson	Nandakumaran Putezhath	Pradipta Banerji
Board Meeting	0.15	0.15	0.15
Audit Committee	0.15	0.15	0.15
Corporate Social Responsibility Committee	0.15	0.15	
Nomination and Remuneration Committee	0.15	0.15	0.15
Contracts and Capex Committee	0.15	0.15	0.15
Total payment for 2020-21	0.75	0.75	0.60

Nature of transaction - Transaction with other related parties

As CSL is a Government company under the control of Ministry of Shipping (MoS), the Company has availed exemption from detailed disclosures prepared under Ind AS 24 with respect to related party transactions with Government and Government related entities.

However, as required under Ind AS 24, following are the individually significant transactions:

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Transactions with Government and Government related entities by the parent company.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	March 31,2021	March 31,2020
Secondment to subsidiary - Hooghly Cochin Shipyard Ltd.(HCSL)	6.15	33.03
Secondment to subsidiary - Tebma Shipyards Ltd.(TSL)	13.05	
Investment in NCDs issued by subsidiary - HCSL	4400.00	4400.00
Investment in Right Issue in subsidiary - HCSL	2800.00	0.00
Investment in Cumulative Redeemable Preference Shares in subsidiary -HCSL	5600.00	0.00
Loans to subsidiary HCSL	1000.00	0.00
Repayment by subsidiary HCSL	1000.00	0.00
Loans to subsidiary TSL	500.00	0.00
Amount payable to Government of India	234.19	235.40
Amount paid as dividend during the year to Govt. of India	26836.17	14474.11
Interest on NCD issued by HCSL	286.00	286.00
Interest on loan to HCSL	20.12	0.00
Interest on loan to TSL	14.69	0.00
Dividend on preference shares issued by HCSL	45.67	0.00

In addition to the above, around 92.01 % of the companies turnover and 95.98 % (approx) of trade receivables and customer advance is with respect to Government and Government related entities.

Shares held by Nominee Directors in HCSL on behalf of CSL	As at	As at
	March 31,2021	March 31,2020
	No of Shares	
MADHU S NAIR (First Director)	10	10
SURESH BABU N V (First Director)	10	10
BEJOY BHASKER (Director)	10	10
JOSE V J (Director)	10	10
SYAMKAMAL N (Company Secretary, CSL)	10	10
K J RAMESH (Subscriber to Memorandum)	10	10

Shares held by Nominee Directors in TSL on behalf of CSL	As at	As at
	March 31,2021	March 31,2020
	No of Shares	
MADHU S NAIR (First Director)	10	--
SURESH BABU N V (First Director)	10	--
BEJOY BHASKER (Director)	10	--
JOSE V J (Director)	10	--
SHIBU JOHN (DGM FIN i/c, CSL)	10	--
ASWIN SARMA M (Asst. Company Secretary, CSL)	10	--

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 49 : Financial Instruments

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis (but fair value disclosures are required)

(₹ in Lakhs)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at March 31,2021	As at March 31,2020	
Financial Assets			
Non Current			
(i) Investments	21,444.52	6,544.52	Level III
(ii) Loans	862.76	108.24	Level II
(iii) Others	4,331.07	864.50	Level II
Current			
(i) Trade Receivables	35,330.43	28,823.21	Level II
(ii) Cash & Cash equivalents	66,721.59	84,851.63	Level II
(iii) Bank Balances other than (ii)	147,916.77	132,740.27	Level II
(iv) Loans	57.20	30.97	Level II
(v) Others	1,734.65	3,292.18	Level II
Total Financial Assets	278,398.99	257,255.52	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	12,300.00	12,300.00	Level I
(ii) Other financial liabilities	38,635.93	37,586.91	Level II
Current			
(i) Trade Payables	43,542.59	41,871.79	Level II
(ii) Other financial liabilities	23,516.08	17,266.32	Level II
Total Financial Liabilities	117,994.60	109,025.03	

Note:

- The investments in equity instruments are not held for trading. Instead, they are held for medium or long term strategic purpose. The Company has chosen to designate these investments in equity instruments of Subsidiary at cost (as per Ind AS 27)and other equity instruments at FVTOCI(as per Ind AS 109), as the directors believe that this provides a more meaningful presentation of medium or long term strategic investments, than reflecting changes in fair value immediately in profit or loss. The investments in debt instruments are not held for trading. Upon the application of Ind AS 109, the Company has chosen to designate these investments at Amortised Cost

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Investments included in level 3 of fair value hierarchy have been valued using the cost approach to arrive at their fair value. The cost of unquoted investments approximate the fair value because there is a wide range of possible fair value measurements and the cost represents estimate of fair value within that range.

There were no transfers between Level 1 and 2 in the period.

- Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.
- The carrying amount of trade receivables, trade and other payables and short term loans are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets, other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented

Financial Instruments by category

(₹ in Lakhs)

	31st March 2021			31st March 2020		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost
Financial Assets						
Investments (Non-current)						
-Equity instruments		9.18	11,435.34		9.18	2,135.34
-Debt instruments			10,000.00			4,400.00
-Preference shares						
Investments (Current)						
-Mutual Funds						
Trade receivables			35,330.43			28,823.21
Cash & Cash equivalents			66,721.59			84,851.63
Bank Balances			147,916.77			132,740.27
Other Financial Assets			6,985.68			4,295.89
Total Financial Assets	0.00	9.18	278,389.81	0.00	9.18	257,246.34
Financial liabilities						
Borrowings			12,300.00			12,300.00
Trade payables			43,542.59			41,871.79
Capital creditors						
Other financial liabilities			62,152.01			54,853.23
Total Financial Liabilities			117,994.60	0.00	0.00	109,025.03

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 50 : Financial Risk Management Policy

Financial Risk Management Objective and Policies:

The Company's principal financial liabilities, other than derivatives, comprise of loans and borrowings, trade and other payables and advances from customers. The main purpose of these financial liabilities is to finance the Company's operations, projects under implementation and to provide guarantees to support its operations. The Company's principal financial assets include Investment, loans and advances, trade and other receivables and cash and bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. All derivative activities for risk management purposes are carried out based on the forex risk management policy approved by the Board. As per the policy trading in derivatives for speculative purposes are not allowed. The Board of Directors reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are summarised below.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial assets will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, currency risk and other price risk, such as equity price risk and commodity risk. Financial Assets affected by market risk include loans and borrowings, deposits and derivative financial instruments.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's long-term debt obligations with floating interest rates.

Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company's operating activities (when revenue or expense is denominated in a foreign currency).

Foreign currency risk of the company is managed through a properly documented risk management policy approved by the board. The Board of directors also reviews the foreign currency exposure of the Company on quarterly basis.

Commodity Price Risk

The Company is affected by the price volatility of certain commodities. Its operating activities require the purchase of steel, major machineries, equipments etc. Therefore, the Company plans its purchases closely to optimise the price.

Credit Risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables and advances to suppliers) and from its financing activities, including deposits with banks and financial institutions, foreign exchange transactions and other financial instruments.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 51 : Segment Reporting

The Company has identified two major operating segments viz, Shipbuilding and Repair of ships/ offshore structures. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis.

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at March 31, 2021	As at March 31, 2020
Segment Assets		
Ship building	319484.51	292812.55
Ship Repair	259606.41	243285.53
Others	160863.06	104364.17
Total	739953.98	640462.25
Segment Liability		
Ship building	104576.01	67144.21
Ship Repair	11264.54	12715.35
Others	226356.75	187423.19
Total	342197.30	267282.75
Segment Revenue		
Ship building	240559.27	285226.50
Ship Repair	41330.43	57022.89
Unallocated	19386.07	24750.03
Total	301275.77	366999.42
Segment Result		
Ship building	76229.86	66459.10
Ship Repair	9419.89	14741.55
Unallocated	(4591.11)	5141.93
Total	81058.64	86342.58

The Company has two major business segments – “Ship Building” and “Ship Repair”. Revenue under Ship building includes ₹ 203736.66 lakhs (Previous year: ₹ 237746.87 lakhs) from one customer (Previous year: one customer) having more than 10 % revenue of the total revenue, and for Ship repair includes ₹ 29714.58 lakhs (Previous year: ₹49582.22 lakhs) from three customers (Previous year: three customers) having more than 10% revenue of the total revenue.

Note 52 : Capital Management

The company’s objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Long term borrowings	12300.00	12300.00
Net Debt	12300.00	12300.00
Equity Share Capital	13154.04	13154.04
Other equity	384602.64	360025.46
Total Equity	397756.68	373179.50
Gearing Ratio	3.09%	3.30%

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended March 31, 2021 and March 31, 2020.

Note 53 :

The Coronavirus disease (COVID-19) is turning out to be a human tragedy and a global pandemic impacting the society and the economy at large. It is adversely affecting the health of people worldwide as well as on the state of economy and commerce. It continues to be a matter of major concern for all the business organizations even though the vaccination of the masses has already started. The COVID-19 outbreak in waves has already had a significant effect on the economies of affected countries and international financial markets. Supply Chain disruptions in India as a result of the outbreak started with restrictions on movement of goods, closure of borders etc., in several states followed by a nationwide lockdown from the 25th of March 2020 announced by the Indian Government, to stem the spread of COVID-19. Due to this the operation at CSL’s facilities and its subsidiaries was temporarily disrupted from 23rd March 2020 to 5th May 2020. This was followed by a period of low infection which helped open the industries and economy. The Company also ramped up the production significantly in the ensuing quarters. There were some delay in the running projects including Capex but impact is lessened to a great extent by invocation and grant of the Force Majeure clause in contracts and GoI circular dated 13 May 2020. However, the second wave which started from February 2021 is again forcing states to lockdown for extended periods. The impact of the second wave is still unfolding. The business landscape presents a challenge because of the likely shelving/withholding of the pipeline projects by the potential clients but the Company expects sufficient business for it. The unfolding pandemic scenario still presents a challenge for the company in assessing the future despite the renewed vaccination drive across the globe and the Company will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

Note 54 :

In the case of contracts/sub-contracts, wherever final bills are not submitted by the contractors for the work done as at the close of the year, liability is estimated and provided based on the work done.

Note 55 :

Balance shown under Trade Receivables, Trade Payables , loans, deposits and claims are subject to confirmation and consequent reconciliation, if any.

Notes

to the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 56 :

The Company has made adequate provision towards material foreseeable losses wherever required, in respect of long term contracts. The Company do not have any long term derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

Note 57 :

Figures in brackets denote negative figures.

Note 58 :

Previous year figures have been regrouped and classified wherever necessary to conform to the current year presentation.

Corporate overview and Significant Accounting Policies	1-2
Notes to the Financial Statements	3-58

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)

SYAMKAMAL N
Company Secretary

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
(DIN 08103825)

CHIRAG J SHAH
Partner
(Membership No. 214798)

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
(DIN 08444440)

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
(DIN 07376798)

Kochi
June 11, 2021

Kochi
June 11, 2021

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To
The Members of
Cochin Shipyard Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as the "Holding Company") and its subsidiaries (Holding company and its subsidiaries together referred to as "the Group") which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2021, and the consolidated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), and the consolidated Statement of Changes in Equity and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Ind AS prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Ind AS) Rules, 2015, as amended ("Ind AS") and accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2021, of its consolidated profit (including Other Comprehensive Income), its consolidated changes in equity and its consolidated cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements* section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements under the provisions of the Act and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the

audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

1. Measurement of Physical Completion of Ship Building and Ship Repair activities.

The company recognises revenue from ship building and ship repair activities based on percentage of completion method. The percentage of completion is arrived at based on estimated percentage of physical completion as assessed by the management of the company which involves exercise of significant judgements. Refer Note 2.4 (Critical Accounting Estimates and Judgements) & 2.18(a) (Revenue Recognition) to the Consolidated Financial Statements. The physical completion is ascertained as per an in-house procedure developed by the management of the company. The procedure and the assumptions therein are based on certain judgements made by the management based on inputs received from the planning, design and technical departments of the company. Further, the ascertainment of the actual physical completion of each sub-activity on reporting date also involves management estimation. Our audit approach consisted of understanding the basis and assumptions made in adopting such procedure, understanding the system for capturing data and monitoring the progress of completion of various works for internal reporting to the management, evaluating the internal controls in such system, selecting samples and performing substantive checking, and analytical procedures. However, we have placed substantial reliance on the technical and activity based assessment made by the management for the purpose of recognition of income.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Director's Report, Management Discussion and Analysis, Business Responsibility Report, Report on Corporate Governance, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take necessary actions as per applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged With Governance for the Consolidated Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements in terms of the requirements of the Act that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance (including Other Comprehensive Income) and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under section 133 of the Act. The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; the selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and

fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Holding Company, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for assessing the ability of the Group to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance of the Holding Company regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements

of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

We did not audit the financial statements of the company's subsidiaries (Hooghly Cochin Shipyard Limited and Tebma Shipyards Limited), whose Standalone financial statements reflect total assets of ₹18,133.57 Lakhs and ₹16,888.09 Lakhs as at March 31, 2021, total revenues of ₹40.77 Lakhs and ₹74.74 Lakhs and net cash outflows amounting ₹1,791.07 Lakhs and ₹2,439.70 Lakhs for the year ended on that date respectively, as considered in the consolidated financial statements (before eliminating inter Company balances and transactions). These financial statements have been audited by another auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, and our report in terms of sub-section (3) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries, is based solely on the reports of the other auditors.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

- (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.
- (b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors.
- (c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the consolidated Statement

of Changes in Equity and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.

- (d) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.
- (e) In view of exemption given vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of Section 164(2) of the Act, regarding disqualification of Directors, are not applicable to the Holding Company and its subsidiary, since they are Government Companies.
- (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure.
- (g) With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under Section 197(16) of the Act, we offer no comments as the Holding Company and its Subsidiary are exempted from the provisions of Section 197 vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015.

(h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the Group.
- ii. The Group has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
- iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Group.

For **Elias George & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000801S

Chirag J Shah
Partner
Membership No. 214798
UDIN: 21214798AAAABY5666

Kochi
11 June, 2021

Annexure to the Independent Auditor's Report of even date on the Consolidated Financial Statements of Cochin Shipyard Limited

Report on the Internal Financial Controls under clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

Opinion

In conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the Company as of and for the year ended March 31, 2021, we have audited the internal financial controls over financial reporting of Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as "the Holding Company") and its subsidiary companies incorporated in India, as of that date.

In our opinion to the best of our information and according to the explanation given to us, the Holding Company and its subsidiary companies incorporated in India, have, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Board of Directors of the Holding company and its subsidiary companies incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the company incorporated in India considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Holding company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the 'Guidance Note') issued by the ICAI and the Standards on Auditing deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating

the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and audit evidence obtained by other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over

financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matters

Our aforesaid report under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting insofar as it relates to the subsidiary companies incorporated in India is based on the corresponding reports of the auditors of the subsidiary companies incorporated in India.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For **Elias George & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000801S

Chirag J Shah
Partner
Membership No. 214798
UDIN: 21214798AAAABY5666

Kochi
11 June, 2021

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 11 June 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act of the consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2021. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Cochin Shipyard Limited, Tebma Shipyards Limited and Hooghly Cochin Shipyard Limited for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

Place: Chennai
Date: 12.08.2021

(DEVIKA NAYAR)
Director General of Commercial Audit, Chennai

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

as at 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment	3	80,397.83	70,047.69
(b) Capital work-in-progress	4	117,585.19	79,925.40
(c) Intangible assets	5	6,317.69	6,313.91
(d) Financial assets			
(i) Investments	6	9.18	9.18
(ii) Loans	7	363.09	108.55
(iii) Other Financial Assets	8	4,285.40	864.50
(e) Income tax assets (net)	9	3,917.02	6,025.42
(f) Deferred tax assets (net)	10	12,024.94	4,698.58
(g) Other non-current assets	11	21,436.19	29,769.41
Total Non-Current assets		246,336.53	197,762.64
Current assets			
(a) Inventories	12	43,410.32	31,341.31
(b) Financial Assets			
(i) Trade receivables	13	35,336.95	28,823.21
(ii) Cash and cash equivalents	14	72,870.14	86,682.14
(iii) Bank balances other than (ii) above	15	148,023.19	132,840.27
(iv) Loans	16	57.20	30.97
(v) Other Financial assets	17	1,574.24	3,145.35
(c) Current tax assets (net)	9		44.52
(d) Other current assets	18	204,311.07	160,002.12
Total Current assets		505,583.11	442,909.89
Total Assets		751,919.64	640,672.53
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity share capital	19	13,154.04	13,154.04
(b) Other equity	20	390,191.08	359,134.31
Total Equity		403,345.12	372,288.35
Liabilities :			
Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	21	12,300.00	12,300.00
(ii) Other financial liabilities	22	39,360.69	37,586.91
(b) Provisions	23	3,161.39	2,872.20
(c) Other non current liabilities	24	10.30	11.45
Total Non-Current Liabilities		54,832.38	52,770.56
Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Trade payables			
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	25	1,527.88	686.52
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises		42,015.54	41,185.27
(ii) Other financial liabilities	26	25,284.73	17,801.48
(b) Other current liabilities	27	164,278.09	116,098.27
(c) Provisions	28	53,326.26	38,686.63
(d) Current tax liabilities (net)	9	7,309.64	1,155.45
Total Current Liabilities		293,742.14	215,613.62
Total Equity and Liabilities		751,919.64	640,672.53

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1-2

Notes to the Financial Statements

3-62

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For **M/s Elias George and Co.,****SYAMKAMAL N**

Chartered Accountants

Company Secretary

(Firm Registration No. 000801S)

CHIRAG J SHAH**JOSE V J**

Partner

Director (Finance) & Chief Financial Officer

(Membership No. 214798)

(DIN 08444440)

Kochi

Kochi

June 11, 2021

June 11, 2021

BEJOY BHASKER

Director (Technical)

(DIN 08103825)

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director

(DIN 07376798)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT & LOSS

for the year ended 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
I Income			
Revenue from operations	29	281889.70	342249.39
Other income	30	19082.67	24508.13
Total Income		300972.37	366757.52
II Expenses:			
Cost of materials consumed	31	121981.82	179599.82
Sub contract and other direct expenses	32	33631.38	36556.98
Employee benefits expense	33	29228.30	30591.03
Finance costs	34	5126.10	4492.41
Depreciation and amortisation expense	35	5983.08	4893.89
Other expenses	36	16308.17	16259.61
Provision for anticipated losses and expenditure	37	9164.12	8591.78
Total expenses		221422.97	280985.52
III Profit before exceptional items and tax (I-II)		79549.40	85772.00
IV Exceptional Items			
Profit before Tax (III-IV)	38	1263.40	0.00
IV Tax expense:			
(1) Current tax	9	23293.20	20634.83
(2) Deferred tax	9	(3346.84)	1936.18
V Profit for the year		60866.44	63200.99
VI Other comprehensive income			
A) Items that will be reclassified to profit or loss			
i) Effective portion of gains/losses on cash flow hedging instruments		121.08	-
ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		(30.48)	-
A) Items that will not be reclassified to profit or loss			
i) Remeasurements of defined employee benefit obligations		411.01	(797.60)
ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		(103.44)	200.76
Other comprehensive income for the year		398.17	(596.84)
VII Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit and Other Comprehensive Income for the period)		61264.61	62604.15
Profit attributable to:			
Owners of the Company		60866.44	63200.99
Non-controlling interest		0.00	0.00
Profit for the year		60866.44	63200.99
Other comprehensive income attributable to:			
Owners of the Company		398.17	(596.84)
Non-controlling interest		0.00	0.00
Other comprehensive income for the year		398.17	(596.84)
Total Comprehensive Income			
Owners of the Company		61264.61	62604.15
Non-controlling interest			
Total Comprehensive income for the year		61264.61	62604.15
VIII Earnings per equity share of ₹ 10 each :			
(1) Basic (₹)	39	46.27	48.05
(2) Diluted (₹)		46.27	48.05

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1-2

Notes to the Financial Statements

3-62

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For **M/s Elias George and Co.,****SYAMKAMAL N**

Chartered Accountants

Company Secretary

(Firm Registration No. 000801S)

CHIRAG J SHAH**JOSE V J**

Partner

Director (Finance) & Chief Financial Officer

(Membership No. 214798)

(DIN 08444440)

Kochi

Kochi

June 11, 2021

June 11, 2021

BEJOY BHASKER

Director (Technical)

(DIN 08103825)

MADHU S NAIR

Chairman and Managing Director

(DIN 07376798)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

for the year ended 31st March, 2021

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	80,812.80	85,772.00
Adjustments for :		
Depreciation and amortisation	5,983.08	4,893.89
Interest expense	5,126.10	4,492.41
Interest income	(10,346.50)	(16,497.02)
Rental income	(63.66)	(64.46)
Dividend income	(0.89)	(0.89)
Loss on sale/write off of property, plant and equipment	1.25	1.87
Profit on sale of investments	-	(235.30)
Income recognised on Govt. assistance	(1.14)	(1.14)
Loss/(gain) on derivative contracts (net)	(123.99)	-
Net (gain) /loss on foreign currency transactions	(404.65)	502.01
Operating cash flow before working capital changes	80,982.40	78,863.37
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	(12,255.31)	(3,214.86)
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	(43,717.02)	(69,414.09)
Increase / (decrease) in trade and other payables	64,686.89	37,119.91
	89,696.96	43,354.33
Income tax paid net of refunds	(10,747.97)	(18,088.36)
Net cash flows from operating activities (A)	78,948.99	25,265.97
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment	(5,310.63)	(3,796.53)
(Increase) / decrease in capital work In progress	(37,659.79)	(45,688.34)
(Increase) / decrease in Term deposits with maturity above three months	(15,182.11)	22,817.20
Investment in Mutual Funds	-	(66,800.00)
Redemption of Mutual Funds	-	66,800.00
Transaction costs on investments	-	(1.27)
Dividend received	0.89	0.89
Profit on sale of investments	-	235.30
Acquisition of Non Controlling Interest	-	(506.08)
Acquisition of subsidiary net of cash acquired	(6,250.26)	-
Sale or withdrawal of property, plant and equipment	2.49	0.66
Interest received	12,095.89	17,133.11
Rent received	63.66	64.46
Net cash flows from investing activities (B)	(52,239.86)	(9,740.60)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

for the year ended 31st March, 2021

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
C. Cash flow from financing activities		
Borrowings/ Repayment of loans by employees	(274.98)	28.72
Net gain /loss on foreign currency transactions	555.92	(857.28)
Repayment of lease liability	(2,427.89)	(2,388.81)
Dividend paid	(36,831.31)	(19,244.36)
Dividend distribution tax paid	-	(3,955.74)
Interest paid	(1,542.87)	(4,492.53)
Net cash flows from financing activities (C)	(40,521.13)	(30,910.00)
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	(13,812.00)	(15,384.63)
Cash and cash equivalent at the beginning of the Year	86,682.14	102,066.77
Cash and cash equivalent at the end of the Year	72,870.14	86,682.14

Cash and Cash Equivalents' include earmarked funds of ₹ 37749.10 lakhs as on March 31, 2021

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1-2

Notes to the Financial Statements

3-62

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)

SYAMKAMAL N
Company Secretary

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
(DIN 08103825)

CHIRAG J SHAH
Partner
(Membership No. 214798)

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
(DIN 08444440)

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
(DIN 07376798)

Kochi
June 11, 2021

Kochi
June 11, 2021

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

For the year ended 31st March, 2021

A. Equity Share Capital

	As at 01.04.2020	Changes in equity share capital during the year	As at 31.03.2021
	13,154.04	0.00	13,154.04
As at 01.04.2019	13,154.04	0.00	13,154.04

B. Other Equity

	Reserves and Surplus			Other Comprehensive Income		Total attributable to the Parent Company	Attributable to NCI	Total other equity
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve			
Balance as at April 01, 2020	263.56	93152.32	6322.75	245373.48	12353.76	1668.44	359134.31	359134.31
Changes in accounting policy or prior period errors								0.00
Restated balance at the beginning of the reporting period	263.56	93152.32	6322.75	245373.48	12353.76	1668.44		0.00
Profit for the year			60866.44				60866.44	60866.44
Other comprehensive income for the year			307.57		90.60		398.17	398.17
Total comprehensive income for the year			61174.01	0.00	90.60	0.00	61264.61	61264.61
Dividends (including taxes)			(36831.31)				(36831.31)	(36831.31)
Amortisation of premium		(0.12)					(0.12)	(0.12)
Acquisition of subsidiary	6623.59						6623.59	6623.59
Balance as at March 31, 2021	6887.15	93152.20	6322.75	269716.18	12353.76	1668.44	390191.08	390191.08

Refer Note 20 for further details

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

For the year ended 31st March, 2021

B. Other Equity (Contd..)

	Reserves and Surplus			Other Comprehensive Income		Total attributable to the Parent Company	Attributable to NCI	Total other equity
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve			
Balance as at April 01, 2019	263.56	93152.45	6322.75	206093.22	12353.76	1524.27	319710.00	527.73
Profit for the year			63200.99				63200.99	0.00
Other comprehensive income for the year			(596.84)				(596.84)	0.00
Total comprehensive income for the year			62604.15				62604.15	(596.84)
Dividends (including taxes)			(23200.10)				(23200.10)	62604.15
Transfer from retained earnings			(144.17)		144.17		(3200.10)	(23200.10)
Amortisation of premium		(0.12)					0.00	0.00
Stamp Duty			(1.27)				(0.12)	(1.27)
NCI transfer to Retained Earnings			21.65				21.65	(21.65)
Acquisition of NCI							0.00	(506.08)
Balance as at March 31, 2020	263.56	93152.33	6322.75	245373.48	12353.76	1668.44	359112.67	0.00

Refer Note 20 for further details

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)**CHIRAG J SHAH**Partner
(Membership No. 214798)Kochi
June 11, 2021

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary**JOSEV J**Director (Finance) & Chief Financial Officer
(DIN 084444440)Kochi
June 11, 2021**BEJOY BHASKER**
Director (Technical)
(DIN 08103825)**MADHU S NAIR**Chairman and Managing Director
(DIN 07376798)

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

1. CORPORATE OVERVIEW AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1. Corporate information

Cochin Shipyard Limited (referred to as "CSL" or "the Group") is mainly engaged in the construction of vessels and repairs and refits of all types of vessels including upgradation of ships periodical layup repairs and life extension of ships.

The Group is a public limited Group incorporated and domiciled in India. The address of its corporate office is Perumanoor, Kochi, Kerala. As at March 31, 2021, the Government of India holds 72.86% of the Group's equity share capital. The Group's equity shares are listed for trading on NSE Limited and BSE Limited in India and tax free bonds are listed for trading on BSE.

The consolidated financial statements relate to Cochin Shipyard Limited (Parent Group) and its Subsidiary Groups, Hooghly Cochin Shipyard Limited and Tebma Shipyards Ltd..

The Group and its Subsidiary are together referred to as "Group".

The consolidated financial statements for the year ended March 31, 2021 were approved by the Board of Directors and authorised for issue on Jun 11, 2021.

Details of Subsidiary Groups	Share holding
Hooghly Cochin Shipyard Ltd. incorporated on October 23, 2017 is proposed to be mainly engaged in the business of construction and repair of vessels of all types. (hereinafter referred to as HCSSL)	100%
Tebma Shipyards Limited (TSL), acquired on September 15, 2020 through NCLT process, is proposed to be mainly engaged in the business of construction and repair of vessels of all types (hereinafter referred to as TSL).	100%

2. Significant Accounting Policies

2.1 Statement of compliance

These consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards

(referred to as "Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements

These financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

2.2.1 Basis of consolidation of consolidated financial statements

Subsidiaries are entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power to direct the relevant activities of the entity. Subsidiaries are fully consolidated commencing from the date on which control is transferred to the Group until the date on which control ceases.

The Group consolidate the consolidated financial statements of the parent and its subsidiaries on line by line basis adding together like items of assets, liabilities, equity, income and expenses. InterGroup transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the transferred asset. Accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Non-controlling interests, in the results and equity of subsidiaries are shown separately in the Consolidated Statement of Profit and Loss, Consolidated Statement of Changes in Equity and Consolidated Balance Sheet respectively.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

2.2.2 Business Combinations

Business combinations have been accounted for using the acquisition method under the provisions of Ind AS 103, Business Combinations. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair value on the date of acquisition. Purchase consideration in excess of the Company's interest in the acquiree's net fair value of identifiable assets and liabilities is recognised as goodwill. Excess of the Company's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets and liabilities over the purchase consideration is recognised in the Capital Reserve. Acquisition related transaction costs are recognised as expense in the statement of profit and loss as and when incurred.

2.3 Use of estimates and judgements

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the consolidated financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

2.4 Critical Accounting estimates and judgements:

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgements and the use of assumptions in the consolidated financial statements have been disclosed below:

Useful lives of property, plant and equipment

The Group reviews the estimated useful lives and residual values of property, plant and equipment at the end of each reporting period. Assumptions are also made as to whether an item meets the description of asset so as to warrant its capitalisation and which component of the asset may be capitalised. Reassessment of life may result in change in depreciation expense in future periods.

Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Group reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items.

Leases

The Group evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment. The Group uses significant judgements in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee's option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialised nature of the leased asset.

Impairment of unquoted investments

The Group reviews its carrying value of investments annually, or more frequently when there is indication for impairment. If the recoverable amount is less than its carrying amount, the impairment loss is accounted for.

Recognition and measurement of provisions

The recognition and measurement of provisions are based on the assessment of the probability of an outflow of resources and on past experience and circumstance known at the balance sheet date. The actual outflow of resources at a future date may therefore vary from the figure included in provisions.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Group. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall in the provision made earlier, additional provisions are made.

Contingencies and commitments

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Group or a present obligation that is not recognised because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or it cannot be measured with sufficient reliability. The Group does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the consolidated financial statements.

Recoverability of advances / receivables

The Group makes provisions for expected credit loss based on an assessment of the recoverability of trade and other receivables. The identification of doubtful debts requires use of judgement and estimates. Where the expectation is different from the original estimate, such difference will impact the carrying value of the trade and other receivables and expenses on account of provision for doubtful debts in the period in which such estimate has been changed. At each balance sheet date, based on historical default rates observed over expected life, the management assesses the expected credit loss on outstanding receivables and advances.

Fair value measurements

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Provision for inventories

Management reviews the inventory ageing on a periodic basis. This review involves comparison of the carrying value of the aged inventory items with the respective net realisable value. The purpose is to ascertain whether a provision is required to be made in the consolidated financial statements for any obsolete and slow-moving items and that adequate provision for obsolete and slow-moving inventories has been made in the consolidated financial statements.

Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Group are recognized in the financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Revenue Recognition

The Group exercises significant judgement in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers. Provision for estimated losses if any, on the uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date. Claims for liquidated damages against the Group are recognized based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

2.5 Property, Plant and Equipment (PPE)

The parent company had applied for the one time transition exemption of considering the carrying cost on the transition

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

date i.e. April 1, 2015 as the deemed cost under Ind AS 16. Hence the same is regarded thereafter as historical cost. However in case of TSL (subsidiary), fair value has been adopted as deemed cost on the transition date to IndAS.

Property, Plant and Equipments are stated at cost less accumulated depreciation (other than free hold land which are stated at cost) and impairment losses, if any. PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates. The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the items are material and can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognised when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Statement of profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

2.6 Capital work in progress and intangible assets under development:

Capital work in progress and intangible assets under development are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

2.7 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which are not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalised as intangible asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

Right to use: Up-front fee paid for securing right to use of land and other facility is capitalized as intangible asset and amortised on a straight line basis over the period of lease for which the right has been obtained.

Internally generated procedure: Cost of internally generated weld procedure is capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

2.8 Leases

Indian Accounting Standard (Ind AS 116) "Leases" became effective from April 01, 2019 and the Group has adopted the same using modified retrospective transition method, where at the date of initial application, the lease liability is measured at the present value of remaining lease payments and the right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises of the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted.

As a Lessee:

The Group's lease asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings. The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether: (i) the contract involves the use of an identified asset (ii) the Group has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and (iii) the Group has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Group recognises a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Group

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

recognises the lease payments as an operating expense on a straightline basis or another systematic basis over the term of the lease. The right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset. The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made. A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets. Lease liability and RoU asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows.

As a lessor:

Leases for which the Group is a lessor is classified as a finance or operating lease. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease. The difference between the amount recognised as lease rental income and actual cashflows receivable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

2.9 Investment Properties

Investment properties are properties held to earn rentals and/or for capital appreciation. Investment properties are measured initially at cost including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and

impairment losses. Any gain or loss on disposal of investment property is determined as the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the property and is recognised in the Statement of Profit and Loss.

2.10 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below.

For the assets acquired from Cochin Port Trust for International Ship Repair Facility (ISRF), depreciation is provided on the basis of remaining useful life as assessed by technical experts. Right Of Use assets/Assets on leased premises are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of the end of the useful life of the Right Of Use asset/ Assets on leased premises or the end of the lease term.

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on derecognition of the asset is included in the Statement of profit and loss when the asset is derecognised. Fully depreciated assets still in use are retained in consolidated financial statements at residual value.

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act. Useful life considered for calculation of depreciation for various asset classes are as follows:

Asset Class	Useful Life
Buildings	3-60 years
Plant and equipment	5-15 years
Furniture and fixtures	8-10 years
Vehicles	8-10 years
Office equipment	3-10 years

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Asset Class	Useful Life
Data Processing Equipments	3-6 years
Docks and quays	15 years
Railway sidings	15 years
Electrical installation	10 years
Drainage and water supply	15 years
Vessels	13-28 years

2.11 Impairment of Assets

The Group assesses the impairment of assets with reference to each cash generating unit, at each Balance Sheet date. If events or changes in circumstances based on internal and external factors indicate that the carrying value may not be recoverable in full, the loss on account and the recoverable amount, is accounted for accordingly. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use.

2.12 Non-current assets held for sale

Group classifies a non-current asset as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction. This condition is regarded as met only when the asset is available for immediate sale in its present condition and its sale is highly probable.

Non-current assets including discontinued operations, classified as held for sale are measured at the lower of the carrying amounts and fair value less costs to sell and presented separately in the consolidated financial statements. Once classified as held for sale, the assets are not subject to depreciation or amortisation.

Any profit or loss arising from the sale or re-measurement of discontinued operations is presented as part of a single line item in statement of profit and loss.

2.13 Inventories

(a) Raw materials, components, stores and spares are valued at weighted average cost method or net realisable value whichever is lower. However materials and other supplies held for use in the production / services are not written down below cost if the finished products/supply of services in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. Provision for obsolescence / non- usability /

deterioration is determined on the basis of technical assessment made by the management. Goods in transit are valued at lower of cost and net realisable value. Stock of materials in respect of construction of defence vessels wherein the cost incurred is reimbursed by the owner are shown as reduction from the advances paid by the owner for construction of the vessel.

(b) Loose tools in stock are valued at cost after providing for loss on revaluation estimated at 30% of book value.

(c) Stock of scrap is valued at net realizable value after adjusting customs duty, if any, payable on the scrap.

2.14 Financial instruments

Financial assets and liabilities are recognised when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability.

Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in statement of profit and loss.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 Financial Instruments, are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the Group may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value. The Group makes such election on an instrument-by-instrument basis. The classification is made on initial recognition and is irrevocable.

Investment in preference shares/debentures of the subsidiaries are treated as equity instruments if the same are convertible into equity shares. Investment in preference shares/debentures not meeting the aforesaid condition is classified as debt instruments at amortised cost.

Investment in a 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met: The asset is held within a business model whose objective is -

- (1) To hold assets for collecting contractual cash flows, and
- (2) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium and fees or costs that are an integral part of the Effective Interest Rate (EIR). The EIR amortisation is included in other income in the Statement of Profit and Loss. The losses arising from impairment are recognised in the Statement of Profit and Loss.

Trade Receivables

The Group classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as contract asset.

A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due.

The Group assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a group of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Group recognises lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the Group uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

Full provision is made for all trade receivables considered doubtful of recovery when the debt is more than three years or if it is probable / certain that the debt is not recoverable.

Where debts are disputed in legal proceedings, provision is made if any decision is given against the Group even if the same is taken up on appeal to higher authorities/courts.

Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognised at the reporting date is recognised as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

Cash and cash equivalents

The Group considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

Financial liabilities

Financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognised at the proceeds received net of direct issue cost.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in consolidated financial statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

Foreign Currency Transactions

Functional & Presentation Currency

The consolidated financial statements are presented in Indian Rupees ("INR"), which is the functional currency and presentation currency of the Group.

Transactions & Balances:

Foreign exchange transactions are recorded in functional currency adopting the exchange rate prevailing on the dates of respective transactions. Monetary items denominated in foreign currencies at the year end are re-measured at the exchange rate prevailing on the balance sheet date. Non monetary foreign currency items are carried at cost. Any income or expense on account of exchange difference either on settlement or on restatement is recognised in the statement of Profit and Loss.

Derivative instruments and hedge accounting:

The Group designates certain foreign exchange forward contracts as hedge instruments in respect of foreign exchange risks. These hedges are accounted for as cash flow hedges.

The use of foreign currency derivative contracts is governed by the Company's foreign exchange risk management policy approved by the Board of Directors which provide written principles on the use of such financial derivatives consistent with the Company's risk management strategy. The company does not use derivative financial instruments for speculative purposes.

The hedge instruments are designated and documented as hedges at the inception of the contract. The effectiveness of hedge instruments to reduce the risk associated with the foreign currency exposure that is being hedged is assessed and measured at inception and on an ongoing basis at fair value.

The effective portion of change in the fair value of the designated hedging instrument is recognised in the Other Comprehensive Income and accumulated under the heading cash flow hedge reserve.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or rollover (as part of hedging strategy), or if its designation as a hedge is revoked, or when the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting. Any gain or loss recognised in Other Comprehensive Income and accumulated in equity till that time remains and is recognised in Statement of Profit and Loss when the forecasted transaction ultimately affects the profit or loss. When a forecasted transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

2.15 Contract Assets

Where the Group performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Group presents the contract as a contract asset. A contract asset is Group's right to consideration in exchange for goods or services that the Group has transferred to a customer. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

2.16 Contract Liabilities

Where the Group receives consideration, or the Group has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Group transfers a good or service to the customer, the Group presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Group's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Group has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

2.17 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Provision towards guarantee claims in respect of ships/ small crafts delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case to case basis, wherever required.

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Group. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Group treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the consolidated financial statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Group does not expect them to have a materially adverse impact on our financial position or profitability. The Group does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the consolidated financial statements.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. The Group does not recognize a contingent asset but discloses its existence in the financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

2.18 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Effective April 1, 2018, the Group has adopted Ind AS115 "Revenue from Contracts with Customers". In respect of contracts that were not completed on the date of initial application (April 1, 2018), the Group has applied the standard retrospectively by recognizing the cumulative effect of applying the same at the effective date, as an adjustment to the Opening balance of Retained earnings and accordingly figures for earlier years have not been retrospectively adjusted.

Revenue from contracts with customers is measured based on transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable. Revenue is recognized when the Group satisfies performance

obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship building and ship repair other than Indigenous Aircraft Carrier (IAC).

In respect of contract with Indian Navy for construction of Indigenous Aircraft Carrier, which is partly 'fixed price basis' and partly 'cost plus basis', the revenue from fixed price portion is recognized as explained above. The revenue by way of mark up from cost plus part of the contract for procuring and supply of materials and design outsourcing is recognized when performance obligations as per the terms of the contract are fulfilled upon making payments to the suppliers. The cost of materials, value of design outsourcing and other expenses incurred for the vessel which are recoverable separately from Navy are charged off to the statement of Profit and Loss when materials are consumed/ activities are performed/ expenses are incurred and are simultaneously grossed up with the value of work done and recognized as income.

Other Operating Revenue is recognized at the point of time when the Group satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer except in the case of Ship Building Financial Assistance (SBFA) which is recognised over a period of time being output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts which are eligible under SBFA policy. Management fee is also recognised over a period of time.

In circumstances, where the Group may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Group expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, the Group recognises revenue only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation. Where current estimates of total contract costs and revenue indicate a loss, provision is made for the entire loss, irrespective of the amount of work done.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Group estimates the net amount of consideration to which the Group is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same.

b) Other income

i) Government Grants

Government grants are recognised when there is reasonable assurance that the Group will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government grants are recognised in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Group recognises as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognised as deferred income, and amortised over the expected useful life of the asset. Other grants are recognised in the statement of Profit & Loss concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Group with no future related costs are recognised in statement of profit & loss in the period in which they become receivable. Ship Building Financial Assistance is accounted as revenue from operations in the manner specified in para (a).

ii) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis.

iii) Accounting for insurance claims

(i) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the financial statements in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement intimated by the insurance Company.

(ii) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the the financial statements on settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Company.

In the case of Medical insurance, claims are recognized on due basis, based on the claims submitted with the insurance Company.

iv) Others

Dividend income is recognized when the Group's right to receive payment has been established.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

2.19 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Post-employment benefit plans

Defined Contribution plans

In respect of parent company, defined contribution to Employees Pension scheme for eligible employees are made to CSL Superannuation Pension Trust for Executives and Supervisors and CSL Workmen Pension Trust and are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Group does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

The parent company also makes contribution towards provident fund, in substance a defined contribution retirement benefit plan. The provident fund is administered by the Trustees of the Cochin Shipyard Limited Employees Contributory Provident Fund Trust. The rules of the Group's provident fund administered by the Trust, require that if the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Employees' Provident Fund by the Government under para 60 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 for the reason that the return on investment is less or for any other reason, then the deficiency shall be made good by the company. The deficiency, if any assessed by the parent company is provided for in the accounts.

The parent company also makes contribution towards Employees Medical Assistance Trusts which are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Group does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

In respect of subsidiaries, contributions to Provident Fund are made to the Regional Provident Fund Commissioner and are charged to the Profit and Loss account. The Company has no further obligations for future Provident Fund benefits other than its monthly contributions.

Defined benefit plans

The Group provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

Other employee benefits

Compensated absences

The Group has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by Actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid/availed as a result of unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

2.20 Borrowing cost

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/ construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalized as part of cost of such assets upto the date when such assets are ready for the intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss in the period in which they are incurred. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs.

2.21 Corporate Social Responsibility

The Corporate Social responsibility (CSR) expenditure is charged to the Statement of Profit & Loss in the period in which it is incurred, except to the extent the Company decides to carry forward any amount in excess of the minimum required CSR expenditure for adjustment in future years in terms of Sec 135(5) of the Companies Act 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021.

2.22 Prior period adjustment

Prior period adjustments due to errors, having material impact on the financial affairs of the Group, are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for prior periods presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest period presented, by restating the opening statement of financial position.

2.23 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Current tax assets and current tax liabilities are off set when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Deferred tax

Deferred income tax is recognised using the Balance Sheet approach. Deferred income tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

2.24 Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to equity shareholders of the Group by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The Group did not have any potentially dilutive securities in any of the years presented.

2.25 Segment Reporting

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Group's chief operating decision maker is the Chairman & Managing Director.

The Group has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Repair of Ships/offshore structures.

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Group as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

2.26 Consolidated Statement of cash flows

Cash Flows are reported using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. Cash flows from operating, investing and financial activities of the Group are segregated based on the available information.

For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less (other than lien marked deposits), which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet.

2.27 Dividend to equity shareholders

Dividend to equity shareholders is recognised as a liability and deducted from shareholders' equity, in the period in which the dividends are approved by the equity shareholders in the general meeting. In the case of interim dividends, recognition is done in the period in which the same is recommended and approved by Board of the Company.

2.28 Recent pronouncements

The Indian Parliament has approved the Code on Social Security, 2020 which would impact the contributions by the company towards Provident Fund and Gratuity. The Ministry of Labour and Employment has released draft rules for the Code on Social Security, 2020 on November 13, 2020, and has invited suggestions from stakeholders which are under active consideration by the Ministry. The Company and its subsidiaries will assess the impact and its evaluation once the subject rules are notified and will give appropriate impact in its financial statements in the period in which, the Code becomes effective and the related rules to determine the financial impact are published.

On March 24, 2021, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") through a notification, amended Schedule III of the Companies Act, 2013. The amendments revise Division I, II and III of Schedule III and are applicable from April 1, 2021. The amendments are extensive and the Group will evaluate the same to give effect to them as required by law.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 3 : Property, Plant and Equipment

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation			Net Carrying amount	
	As at 1st April 2020	On Acquisition of Subsidiary	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2021	For the year (withdrawal)	As at 31st Mar 2021	As at 31st Mar 2020	As at 31st Mar 2020
Owned Assets									
Land (Freehold)	587.54	2,607.87	-	-	3,195.41	-	-	3,195.41	587.54
Buildings	13,832.24	2,060.41	2,773.63	-	18,666.28	588.70	3,189.25	15,477.03	11,372.98
Plant and equipment	18,909.92	4,657.45	1,170.61	0.61	24,737.37	2,118.52	10,011.90	14,725.47	11,833.26
Furniture and fixtures	1,237.82	20.06	147.17	2.22	1,402.83	116.71	608.72	794.11	752.02
Vehicles	599.11	7.33	13.67	0.04	620.07	56.34	312.81	307.26	342.62
Office equipment	382.21	19.42	94.13	0.66	495.10	59.80	237.18	257.92	210.12
Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data Processing Equipments	1,345.71	17.26	490.01	7.88	1,845.10	251.28	1,087.94	757.16	512.24
Docks and quays	4,466.45	-	-	-	4,466.45	299.41	1,841.96	2,624.49	2,923.90
Railway sidings	1.10	-	-	-	1.10	-	-	1.10	1.10
Electrical installation	1,765.00	-	66.03	-	1,831.03	117.37	982.17	848.86	900.20
Drainage and water supply	6.67	-	-	-	6.67	-	-	6.67	6.67
Vessels	19.74	-	-	-	19.74	1.36	7.08	12.66	14.02
Sub Total	43,153.51	9,389.80	4,755.25	11.41	57,287.15	3,609.49	18,279.01	39,008.14	29,456.67
Assets on leased premises									
Buildings	2,105.50	1,830.40	87.85	-	4,023.75	287.60	1,291.08	2,732.67	1,664.05
Plant and equipment	518.62	-	136.03	-	654.65	35.17	109.37	545.28	444.42
Docks and quays	9.62	-	-	-	9.62	-	8.35	1.27	1.27
Electrical installation	360.77	-	39.49	-	400.26	37.58	169.64	230.62	228.71
SUP WAY	1,108.00	-	(0.00)	-	1,108.00	113.19	453.40	654.60	-
Sub Total	2,994.51	2,938.40	263.37	-	6,196.28	473.54	2,031.84	4,164.44	2,338.45
Right Of Use Assets									
Right of Use - Land	39,550.14	95.90	228.91	-	39,874.95	1,378.87	2,752.12	37,122.83	38,189.82
Right of Use - Buildings	98.11	74.96	74.96	-	173.07	35.29	70.65	102.42	62.75
Sub Total	39,648.25	95.90	303.87	-	40,048.02	1,414.16	2,822.77	37,225.25	38,252.57
Total	85,796.27	12,424.10	5,322.49	11.41	103,531.45	5,497.19	23,133.62	80,397.83	70,047.69

(₹ in lakhs)

Note 3 : Property, Plant and Equipment (Contd..)

Particulars	Gross carrying amount			Depreciation			Net Carrying amount		
	As at 1st April 2019	On Acquisition of subsidiary	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2020	On Acquisition of subsidiary	For the year (withdrawal)	As at 31st Mar 2020	As at 31st Mar 2020	As at 31st March 2019
Owned Assets									
Land (Freehold)	587.54	-	-	587.54	-	-	-	587.54	587.54
Buildings	13,476.97	355.27	-	13,832.24	1,929.32	529.94	2,459.26	11,372.98	11,547.65
Plant and equipment	18,115.83	795.16	1.07	18,909.92	5,591.53	1,485.68	7,076.66	11,833.26	12,524.30
Furniture and fixtures	1,113.59	125.88	1.65	1,237.82	372.42	114.30	485.80	752.02	741.17
Vehicles	515.38	83.73	-	599.11	203.19	53.30	256.49	342.62	312.19
Office equipment	234.56	149.06	1.41	382.21	133.98	39.28	172.09	210.12	100.58
Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data Processing Equipments	923.71	422.79	0.79	1,345.71	670.02	164.17	833.47	512.24	253.69
Docks and quays	4,466.45	-	-	4,466.45	1,243.14	299.41	1,542.55	2,923.90	3,223.31
Railway sidings	1.10	-	-	1.10	-	-	-	1.10	1.10
Electrical installation	1,725.64	39.36	-	1,765.00	732.10	132.70	864.80	900.20	993.54
Drainage and water supply	6.67	-	-	6.67	-	-	-	6.67	6.67
Vessels	19.74	-	-	19.74	4.36	1.36	5.72	14.02	15.38
Sub Total	41,187.18	1,971.25	4.92	43,153.51	10,880.06	2,820.14	13,696.84	29,456.67	30,307.12
Assets on leased premises									
Buildings	848.99	1,260.35	3.84	2,105.50	333.80	110.60	441.45	1,664.05	515.19
Plant and equipment	316.00	202.75	0.13	518.62	50.28	23.96	74.20	444.42	265.72
Docks and quays	9.62	-	-	9.62	8.35	-	8.35	1.27	1.27
Electrical installation	331.57	29.20	-	360.77	97.28	34.78	132.06	228.71	234.29
Sub Total	1,506.18	1,492.30	3.97	2,994.51	489.71	169.34	656.06	2,338.45	1,016.47
Right Of Use Assets									
Right of Use - Land	-	39,550.14	-	39,550.14	-	1,360.32	1,360.32	38,189.82	-
Right of Use - Buildings	-	98.11	-	98.11	-	35.36	35.36	62.75	-
Sub Total	-	39,648.25	-	39,648.25	-	1,395.68	1,395.68	38,252.57	-
Total	42,693.36	43,111.80	8.89	85,796.27	11,369.77	4,385.16	15,748.58	70,047.69	31,323.59

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 3 : Property, Plant and Equipment (Contd..)

Freehold Land of parent company includes the value of (a) land allotted on lease basis to (i) Bharatiya Vidya Bhavan (0.69045 hectare) (ii) M/s Indian Oil Corporation Ltd (0.620 hectare) for laying pipeline (iii) land leased to M/s Cochin Air Products (0.30 hectare) and (b) land leased to Kerala State Electricity Board (0.47 hectare).

Value of land includes value of buildings acquired along with the land for which depreciation has not been provided as the value is not separately available and most of these buildings are likely to be demolished for putting up facilities for the factory.

Assets taken over from Cochin Port Trust (CoPT) (₹ 1291.52 lakhs) have been valued and life assessed by technical experts. This life has been taken as a base for arriving at the remaining useful life for providing depreciation for these assets. These assets together with assets constructed/installed on land taken on lease from CoPT, Mumbai Port Trust (MbPT) and Kolkata Port Trust (KoPT) have been disclosed separately as assets on leased premises in the note no 3 to Property, Plant & Equipments.

The Company has created mortgage for ₹ 12300 Lakhs on the landed properties of the Company as security for the tax free bonds issued by the Company during the year 2013-14.

Revaluation of assets of TSL (subsidiary) was carried out as part of take over dated 15th September 2020. All categories of assets were revalued and life was assessed by technical experts. This life has been taken as a base for arriving at the remaining useful life for providing depreciation for these assets.

TSL (subsidiary) has entered into agreements with Kundapura Port & Govt of Karnataka for lands taken on lease at Malpe and Hangarkatta. The lease agreement for land at Malpe will expire in 2023, while the lease period for Hangarkatta land has already expired in 2019. Discussions are currently underway with the Government of Karnataka to renew the lease licenses. Meanwhile Company paid during the year an amount of ₹ 20.51 Lakhs towards Malpe lease rent and ₹ 1.86 lakhs towards Hangarkatta Lease rent. Ind AS 116 is applied only for Malpe leasehold land.

Assets of TSL (subsidiary) which cannot be detached and transported for alternate use ("Non Removable Assets") constructed on leasehold land at Malpe yard are amortized/ depreciated over the lower of the period of lease and useful life of those assets.

Also the value of Land at Kulpi (Kolkata- 2.31 cents) and 0.78 cents of land at Hangarkatta have not been recognized in accounts of TSL due to pending verification & valuation of the same.

Note 4 : Capital work-in-progress

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Plant and machinery, Buildings and Civil works	98,419.10	75,687.89
Capital yard items	5,371.20	1,126.50
Project Management fees and miscellaneous capital expenditure	11,317.23	3,104.75
Goods in Transit	2,477.66	6.26
Total	117,585.19	79,925.40

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 5 : Intangible assets

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount			
	As at 1st April 2020	On Acquisition of Subsidiary	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2021	As at 1st April 2020	On Acquisition of Subsidiary	For the year (withdrawal)	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2021	As at 31st Mar 2020	As at 31st Mar 2020
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	-	27.67	27.67	-	-	-	27.67	-	-
Computer software	1,495.14	-	70.02	-	1,565.16	1,366.57	-	76.65	-	1,443.22	121.94	128.57
Right to use - land and ship repair facility (ISRF)	7,000.00	-	-	-	7,000.00	1,162.99	-	210.34	-	1,373.33	5,626.67	5,837.01
Tally Software	0.53	-	-	-	0.53	0.01	-	0.17	-	0.18	0.35	0.52
Leased land at Nazirgunge (5.31 Acres)- Right to use	118.94	-	-	-	118.94	2.22	-	1.98	-	4.20	114.74	116.72
Leased land at Nazirgunge (10.45 Acres)- Right to use	234.07	-	-	-	234.07	2.98	-	3.96	-	6.94	227.13	231.09
Leased Land at Salikia (9.91 Acres)-Right to use	-	-	221.99	-	221.99	-	-	4.09	-	4.09	217.90	-
Right to Use - land (Malpe)	-	16.68	-	-	16.68	-	5.32	2.40	-	7.72	8.96	-
Total	8,876.35	16.68	292.01	-	9,185.04	2,562.44	5.32	299.59	-	2,867.35	6,317.69	6,313.91

(₹ in lakhs)

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount			
	As at 1st April 2019	On Acquisition of Subsidiary	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2020	As at 1st April 2019	On Acquisition of Subsidiary	For the year (withdrawal)	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2020	As at 31st Mar 2019	As at 31st Mar 2019
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	-	27.67	27.67	-	-	-	27.67	-	-
Computer software	1,396.74	-	98.40	-	1,495.14	1,283.41	-	83.16	-	1,366.57	128.57	113.33
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00	-	-	-	7,000.00	952.65	-	210.34	-	1,162.99	5,837.01	6,047.35
Tally Software	-	-	0.53	-	0.53	-	-	0.01	-	0.01	0.52	-
Leased land at Nazirgunge (5.31 Acres)- Right to use	118.94	-	-	-	118.94	0.24	-	1.98	-	2.22	116.72	118.70
Leased land at Nazirgunge (10.45 Acres)- Right to use	-	-	234.07	-	234.07	-	-	2.98	-	2.98	231.09	-
Total	8,543.35	-	333.00	-	8,876.35	2,263.97	-	298.47	-	2,562.44	6,313.91	6,279.38

The Right to use of land and ship repair facility shown under Intangible Assets represents the upfront fee paid to Cochin Port Trust towards setting up of International Ship Repair Facility (ISRF) project, to be amortised over the period of lease which was further extended based on the date of obtaining of Environmental Clearance. As all environmental clearances for ISRF are obtained as on January 09, 2018, the lease period of 30 years effectively starts from this date.

The Right to use of land shown under Intangible Assets of TSL subsidiary represents the upfront fee paid to Port Officer Kundapura towards using Malpe leasehold land, which is amortised over the lease period.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 6 : Investments-Non Current

Particulars	As at	
	31st March, 2021	31st March, 2020
Unquoted (Fully Paid up)		
Investment in equity instruments		
At Fair Value Through Other Comprehensive Income		
Cochin Shipyards Employees Consumer Co-operative Society Limited 2175 'B Class' shares of ₹ 100 each	2.18	2.18
Kerala Enviro Infrastructure Limited - 70000 equity shares of ₹10 each	7.00	7.00
Cochin Waste to Energy Private Limited -100000 equity shares of ₹10 each	-	-
Total	9.18	9.18
Aggregate value of unquoted investment	9.18	9.18

(₹ in Lakhs)

Considering the indicators of the value of an investment such as investee's assets, results etc. a decline, other than temporary, in the value of investment in Cochin Waste to Energy (P) Ltd is noticed and accordingly fair value is considered as Nil.

Note 7: Loans - Non Current

Particulars	As at	
	31st March, 2021	31st March, 2020
Unsecured, considered good:		
(a) Security deposits		
Employee advances	71.49	65.71
(b) Other Loans		
Loans to related parties	0.00	0.00
Other employees	291.60	42.84
Total	363.09	108.55

(₹ in Lakhs)

No significant increase in credit risk or credit impairment

Note 8: Other Financial Assets - Non Current

Particulars	As at	
	31st March, 2021	31st March, 2020
Ship Building Financial Assistance Scheme Subsidy	4,255.65	835.57
Accrued Lease Rental Asset	29.75	28.93
Total	4,285.40	864.50

(₹ in Lakhs)

Govt. of India approved a Financial Assistance Policy for Indian Shipyards on 9th December 2015 for grant of financial assistance to Indian Shipyards for shipbuilding contracts signed between April 1, 2016 to March 31, 2026. Recognition of revenue for this Assistance is based on measurement of physical performance of vessels under subsidy, completed to date.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 9: Income tax assets / liability (net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Non current tax assets		
Income Tax Assets net of provisions	3,917.02	6,025.42
Current tax assets / (liabilities)		
Advance income tax net of provisions	(7,309.64)	(1,155.45)
Tax Deducted at source	-	44.52

Income tax recognised in the Statement of profit and loss

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Current tax:		
Current income tax charge	24,372.08	23,895.75
Adjustment in respect of prior years	(1,078.88)	(3,260.92)
Total (A)	23,293.20	20,634.83
Deferred tax:		
In respect of current year	(3,346.84)	1,936.18
Total (B)	(3,346.84)	1,936.18
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (A+B)	19,946.36	22,571.01

The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Profit before tax	80,812.80	85,772.00
Income tax expense calculated at respective applicable rates	20,338.97	21,730.70
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	7,830.83	5,916.60
Effect of expenses that are allowable in determining taxable profit	(4,089.02)	(4,131.73)
Effect of expenses incurred on Corporate Social Responsibility not deductible in determining taxable profit	374.25	319.87
Set off of carried forward business losses	(133.35)	
Others	50.40	60.31
	24,372.08	23,895.75
Adjustments recognised in the current year in relation to the current tax of prior years	(1,078.88)	(3,260.92)
Adjustments for changes in estimates of deferred tax assets	(3,346.84)	1,936.18
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss	19,946.36	22,571.01

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 10: Deferred tax assets (net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Deferred tax liabilities	(3,500.25)	(2,787.39)
Deferred tax assets	15,525.19	7,485.97
Total	12,024.94	4,698.58

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2020-21

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(6,425.48)	(2,568.00)	(325.00)	(9,318.48)
Property, plant and equipment	2,813.16	(274.74)	971.29	3,509.71
Carry forward losses	-	133.39	(4,625.81)	(4,492.42)
Intangible assets	(28.88)	11.02		(17.86)
Others	(1,057.38)	(648.51)	0.00	(1,705.89)
Total	(4,698.58)	(3,346.84)	(3,979.52)	(12,024.94)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2019-20

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(9,508.70)	3,083.22	0.00	(6,425.48)
Property, plant and equipment	3,959.20	(1,146.04)	0.00	2,813.16
Intangible assets	(56.94)	28.06	0.00	(28.88)
Others	(1,028.32)	(29.06)	0.00	(1,057.38)
Total	(6,634.76)	1,936.18	-	(4,698.58)

Note 11: Other non-current assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Unsecured, considered good		
Capital advances	20,887.66	28,817.72
Advances other than capital advances:		
Security deposits	249.56	222.67
Advance lease rentals	37.75	38.41
Deposits with Customs department	261.22	261.22
Other long term advances		429.39
Subsidy Receivable	179.36	
Less : Provision for Subsidy receivable	(179.36)	
Total	21,436.19	29,769.41

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Deposit with Custom Department of ₹ 261.22 lakhs pertains to a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) to cover a liability in respect of customs duty which is also shown as Payable to Chennai Port Trust under Note No. 22- Other Financial Liabilities- Non Current.

The subsidy amount receivable is calculated as per the Ship Building Subsidy Scheme issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India vide Press Note (2003).

Note 12 : Inventories

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Raw Materials and components*	43,431.69	28,145.83
Less : Provision for obsolescence, non-usability, deterioration and reduction in value of inventory	(2,981.71)	(391.39)
Goods-in transit*	994.01	1,964.10
	41,443.99	29,718.54
Stores & Spares*	714.45	780.18
Less : Provision for obsolescence, non-usability, deterioration and reduction in value of inventory	(11.61)	(17.06)
Goods-in transit*	393.16	37.33
	1,096.00	800.45
Loose Tools*	658.82	680.55
Scrap*	211.51	141.77
Total	43,410.32	31,341.31

* Valuation of inventories is done in accordance with Accounting Policy no. 2.13 given in Note no.2

- (i) Inventory does not include stock of raw materials and bought out components procured under "Cost Plus" part of the IAC contract amounting to ₹ 14757.40 lakhs (previous year ₹ 32838.80 lakhs) held on behalf of Indian Navy lying with the Company and is adjusted against Advances from Indian Navy for Indigenous Aircraft Carrier.
- (ii) Maintenance spares included in the inventory represent spares of general nature and are not related to a particular asset.

Note 13 : Trade Receivables-Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Unsecured		
Considered good:		
Trade Receivables considered good - Unsecured	35,336.95	28,823.21
Trade Receivables which have significant increase in Credit Risk	10,215.58	13,588.08
Less: Allowance for Expected credit loss	(10,215.58)	(13,588.08)
Trade Receivables - Credit impaired	-	-
Total	35,336.95	28,823.21

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Movement in the expected credit loss allowance

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Opening balance	13,588.08	13,123.16
Add: Provision made/transfer during the year	672.78	4,149.68
Less: Amount collected/reversal of provision	4,045.28	3,684.76
Closing Balance	10,215.58	13,588.08

Note 14 : Cash and Cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Balance with Banks		
In current account	10,944.37	6,145.94
In current account on behalf of Indian Navy	37,749.10	3,641.02
In current account out of IPO Proceeds	-	5.04
Term deposits with original maturity of less than three months	24,176.67	23,833.98
Term deposits with original maturity of less than three months out of IPO Proceeds	-	8,485.71
Term deposits with original maturity of less than three months earmarked for objects of IPO	-	44,570.45
Total	72,870.14	86,682.14

Funds received from Indian Navy for the construction of Indigenous Aircraft Carrier are held in a separate account and is separately disclosed.

Note 15 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Lien Marked Term deposits with original maturity of less than three months*	62,262.58	18,993.08
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months**	793.76	57,180.19
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months out of IPO Proceeds	-	5,050.00
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months earmarked for objects of IPO	84,929.09	51,597.00
Earmarked balances (Unpaid Dividend account)	37.76	20.00
Total	148,023.19	132,840.27

*Deposits with banks with maturity less than three months represents lien marked deposits in favour of Union Bank of India for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company.

**Deposits with banks with maturity upto 12 months, include ₹93.01 lakhs (previous year ₹ 87.34 lakhs) lien marked in favour of The Registrar of High Court of Kerala.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 16 : Loans - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	
	31st March, 2021	31st March, 2020
Unsecured, considered good		
Employee advances		
Loans to related parties	–	–
Other employees	57.20	30.97
Total	57.20	30.97

No significant increase in credit risk or credit impairment

Note 17 : Other Financial Assets - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	
	31st March, 2021	31st March, 2020
Interest accrued on fixed deposits	1,378.53	3,129.36
Interest accrued on employee advances		
Related parties	–	–
Other employees	17.43	15.99
Foreign Exchange Derivatives Assets	178.28	–
Total	1,574.24	3,145.35

Note 18 : Other Current Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	
	31st March, 2021	31st March, 2020
Unsecured advances		
Advances other than capital advances		
Advances to related party	0.39	0.84
Other advances	21,068.21	11,520.97
Advances considered doubtful	0.07	0.07
	21,068.67	11,521.88
Less: Provision for doubtful advances	0.07	0.07
	21,068.60	11,521.81
Others		
Contract Assets for IAC works	49,677.10	60,570.53
Contract Assets for other works	45,461.76	30,980.80
Balance with Sales Tax department and CBEC	290.66	474.80
Miscellaneous deposits	19.14	17.26
Prepaid expenditure	350.18	469.67
Input Tax Credit on GST	85,599.59	54,341.77
Other Receivables	24.17	
Miscellaneous current assets	1,819.87	1,625.49
Total	204,311.07	160,002.12

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 19 : Equity Share Capital

Particulars	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹ 10/- each	250000000	25,000.00	250000000	25,000.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 10 each fully paid up	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
Total	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

19.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04
Add : shares issued during the year	0	0.00	0	0.00
Less : Shares bought back during the year	0	0.00	0	0.00
Equity Shares outstanding at the end of the year	131540390	13,154.04	131540390	13,154.04

Terms & Rights attached to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹10 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

19.2 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at 31st March, 2021		As at 31st March, 2020	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
The President of India	95843464	72.86	95843464	72.86
Nippon Life India Ltd (Formerly Reliance Capital Trustee Co. Ltd).	–	–	10795352	8.21

During 2019-20, Govt of India had transferred 3090978 equity shares (aggregating to 2.35% of paid up capital) on Feb 3, 2020 to the Asset Management Company, Nippon Life India Ltd formerly known as Reliance Capital Trustee Company Ltd through the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) in connection with the issue of CPSE ETF FFO - 6 and in accordance with the SEBI Regulations, 1996 and other applicable laws, rules and regulations as framed from time to time

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 20 : Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Capital Reserves	6,887.15	263.56
Capital Redemption Reserve	12,353.76	12,353.76
Securities Premium	93,152.20	93,152.33
Debenture Redemption Reserve	1,668.44	1,668.44
General Reserve	6,322.75	6,322.75
Cash flow Hedge reserve	90.60	-
Retained Earnings	269,716.18	245,373.48
Total	390,191.08	359,134.31

Movement of each item in Other Equity is detailed in Statement of Changes in Equity

Capital Reserve: Capital reserve includes ₹ 263.56 lakhs being restoration charges received from Ms Indian Oil Corporation Ltd for laying pipe line through the Company's land. It also includes gain on acquisition of subsidiary M/s Tebma Shipyards Limited as explained below.

The National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai on March 04, 2020, approved the Resolution Plan submitted by holding company for acquisition of Tebma Shipyards Limited (TSL) which was undergoing Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). In compliance with the NCLT Order, holding company paid the bid amount for takeover of TSL on September 15, 2020 with effect from which date TSL has become a wholly owned subsidiary of CSL. Accordingly, the excess of the Company's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets and liabilities over the purchase consideration is recognised, in the Capital Reserve.

(₹ in Lakhs)

Particulars	Carrying value as at acquisition date	Fair Value Adjustments	Purchase Price Allocated	Capital Reserve
Net Assets acquired (including cash and cash equivalents)	13123.59	0	6500.00	6623.59

Major components of net assets acquired include Property, Plant and Equipment ₹ 10528.58 Lakhs and Deferred Tax Assets ₹ 3979.52 Lakhs

Capital Redemption Reserve: Capital Redemption Reserve of ₹ 12353.76 lakhs includes ₹ 11914.20 lakhs being reserves created on redemption of preference shares and ₹ 439.56 lakhs being a sum equal to the nominal value of the shares bought back, which will be utilised for the purpose defined under the Companies Act 2013.

Securities Premium: Premium on tax free bonds is amortised on straight line basis over the period of bonds. The company had completed the Initial Public Offer (IPO) during 2017-18 and had allotted 22656000 equity shares of ₹ 10 each at premium (₹ 93929.76 lakhs). Expenses incurred net of deferred tax adjustment towards such allotment of shares amounting ₹ 777.93 lakhs has been debited in Securities Premium in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 32- Financial Instruments.

Debenture Redemption Reserve: The Company was hitherto creating Debenture Redemption Reserve at 25% of the value of bonds issued by the company over the maturity period of such debentures in accordance with Section 71(4) of the Companies Act, 2013 read with Rule 18(7) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and as per SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008. As per the amendment made to the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified vide Notification No. G.S.R. 574(E) by the Ministry of Corporate Affairs, the company is not required to create Debenture Redemption Reserves in respect of the bonds issued by it. However, the Debenture Redemption Reserve already created up to 30.09.2019, ₹ 1668.44 Lakhs, shall be retained in the books till the time of redemption of the bonds.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Cash flow Hedge Reserve: Cash flow hedge reserve represents the effective portion of change in the fair value of designated hedging instruments recognised in the Other Comprehensive Income. (Refer Note No.42)

Interim dividend : During the year, the Company paid interim dividends of ₹ 9 per equity share of face value of ₹10 and ₹ 4 per equity share of face value of ₹ 10, as recommended at the board meetings held on 04 Jan 2021 and 12 Feb 2021 respectively.

Proposed dividend : The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of ₹ 2.50 per equity share of face value of ₹ 10 for the financial year ended March 31, 2021 at the Board meeting held on June 11, 2021.

Note 21: Borrowings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Bonds - (Secured)		
At amortised cost		
Tax Free Redeemable Non Convertible Bonds -Series 2013-14	12,300.00	12,300.00
Total	12,300.00	12,300.00

Tax Free Infrastructure Bond Series 2013-14

- Tranche 1:** 1000 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹10000 lakhs with interest rate of 8.51% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 02nd December 2023
- Tranche 2:** 230 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹ 2300 lakhs with interest rate of 8.72% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 28th March 2029 .

These bonds are secured against the landed properties of the Company admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala.

Utilisation : Out of the issue proceeds of ₹12300 lakhs received, the Company has fully utilised/adjusted funds towards various expenditure incurred on International Ship Repair Facility (ISRF) project.

Difference between carrying amounts and fair values of financial liabilities of borrowings is not significant in each of the year presented.

Note 22: Other Financial liabilities - Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Payable to Chennai Port Trust	261.22	261.22
Lease Liabilities under Ind AS 116	39,099.47	37,325.69
Total	39,360.69	37,586.91

Liability of ₹ 261.22 lakhs to Chennai Port Trust in respect of customs duty is covered by a refund appeal lying before Commissioner (Appeals) which is also shown as deposits with Customs department under Note No. 11

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 23: Provisions - Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Provision for employee benefits - Compensated absences (Refer Note No 33)	3,161.39	2,872.20
Total	3,161.39	2,872.20

Note 24: Other non current liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Deferred Income arising from Government Assistance	10.30	11.45
Total	10.30	11.45

Note 25 : Trade Payables

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Trade payables (Unsecured)		
Outstanding dues of Micro enterprises and Small enterprises	1,527.88	686.52
Outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	42,015.54	41,185.27
Total	43,543.42	41,871.79

To the extent, the Company has received intimation from the vendors regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the details of trade payables are provided as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	1,527.88	686.52
Interest on above Principal	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;		
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;	-	-
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;	-	-

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 26 : Other Financial Liabilities - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Interest accrued but not due	281.98	281.95
Unpaid Dividend	37.76	20.00
Lease Liabilities	2,564.67	2,833.72
Foreign Exchange Derivatives Liabilities	57.21	-
Others		
Security and other deposits	9,431.56	3,434.08
Others Payables	12,911.55	11,231.73
Total	25,284.73	17,801.48

Note 27 : Other Current Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Contract Liability for other works	160,155.13	113,330.88
Advances for other ship building contracts	114.21	114.21
Advances for ship repair and others	644.24	586.08
Income received in advance	26.46	25.33
Statutory dues	3,336.91	2,040.63
Deferred Income arising from Government Assistance	1.14	1.14
Total	164,278.09	116,098.27

Refer Note No 40 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers"

Cost of infrastructure facilities which has been met out of funds from Navy and adjusted by Indian Navy, till date.

(₹ in Lakhs)

Details	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Buildings and other civil works	13,763.77	11,507.56
Data processing equipment	1,338.51	1,324.01
Furniture and Office equipments	386.75	383.62
Plant and machinery	16,885.70	16,842.12
Total	32,374.73	30,057.31

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 28 : Provisions - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Provision for Employee benefits		
Gratuity	272.09	1,048.51
Compensated absences (Refer Note No 33)	515.45	533.22
	787.54	1,581.73
Other Provisions		
Provision for Taxes and duties	2,662.17	209.12
Provision for Ship building loss	11,658.00	5,287.00
Provision for Expenditure / contingencies	38,218.55	31,608.78
	52,538.72	37,104.90
Total	53,326.26	38,686.63

28.1 Details of movement of provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 01.04.2020	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2021
Provision for employee benefits- Gratuity	1,048.51	272.09	(1,048.51)		272.09
Compensated absences	533.22	–	(17.77)		515.45
Provision for taxes and duties	209.12	2,560.12	(107.07)		2,662.17
Provision for shipbuilding loss	5,287.00	6,371.26	(0.26)		11,658.00
Provision for expenditure / contingencies	31,608.78	34,765.74	(25,716.40)	(2,439.57)	38,218.55

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 01.04.2019	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2020
Provision for employee benefits- Gratuity	607.90	440.61	–	–	1,048.51
Compensated absences	464.29	68.93	–	–	533.22
Others	2,997.00	–	(2,997.00)	–	–
Provision for taxes and duties	211.61	0.17	(2.66)	–	209.12
Provision for shipbuilding loss	205.00	5,287.00	–	(205.00)	5,287.00
Provision for expenditure / contingencies	32,446.62	30,332.54	(26,117.27)	(5,053.11)	31,608.78

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 29 : Revenue from operations

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Sale of products		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	200925.37	237746.87
Vessels other than IAC	35831.94	46206.78
	236,757.31	283,953.65
Sale of services		
Ship repairs	40850.24	56856.75
Engineering works	5.50	0.00
	40,855.74	56,856.75
Other operating revenue		
Sale of stock items	–	–
Ship Building Financial Assistance	3420.09	835.57
Sale of scrap	544.23	603.42
Management fee from A&N Administration	312.33	–
	4,276.65	1,438.99
Total	281,889.70	342,249.39

Refer Note No 40 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers"

The Company has considered the lock down period due to COVID 19 & GoI circular dated May 13, 2020, which ever is applicable to the projects and Kerala Flood natural calamity 2018 as Force Majeure period for computation of Liquidated Damages while calculating Revenue from operations.

Govt. of India approved a Financial Assistance Policy for Indian Shipyards on 9th December 2015 for grant of financial assistance to Indian Shipyards for shipbuilding contracts signed between April 1, 2016 to March 31, 2026. Recognition of revenue for this Assistance is based on measurement of physical performance of vessels under subsidy, completed to date.

Cochin Shipyards Ltd (CSL) has entered into an Agreement with the Andaman and Nicobar Administration to commence its operations at Marine Dockyard, at Port Blair, a facility that is currently being operated directly by the A&N Administration. Management fee on pro rata basis is accounted based on this agreement. Under the ambit of this Agreement signed on 28 Nov 2019, CSL shall assist the Administration to set up a Ship repair ecosystem at A&N islands. CSL shall also associate in Augmentation and Modernisation of the facility and also focus efforts towards Skill Development in the Islands in consultation with the Administration and Technical Institutions located in the Islands.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 30 : Other Income

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Training facilities	106.27	304.29
Income from sale of scrap and stores	85.90	246.42
Profit on sale of fixed assets	-	-
Income from laboratory services	12.94	33.77
Rent received	261.26	305.55
Hire charges received	1.10	5.90
Interest on bank deposits	8,750.56	14,885.29
Interest from others	1,595.94	1,611.73
Dividend income from Preference shares	0.00	-
Dividend income from equity investments/ Mutual Funds	0.89	0.89
Profit on sale of Mutual Funds	-	235.30
Net gain on foreign currency transactions	404.65	-
Net gain on derivative contracts	123.99	-
Provision no longer required	4,365.45	5,159.25
Miscellaneous income	3,338.24	1,719.74
Income from Charter Hire	35.48	-
Total	19,082.67	24,508.13

Miscellaneous income includes ₹ 1.14 lakhs being deferred government assistance in the form of subsidy relating to installation of Solar Power plant inside the yard. The same has been accounted as per the requirements of Ind AS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

Note 31 : Cost of Materials Consumed

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Raw Materials		
Steel	3,965.41	5,760.00
Pipe	966.05	798.84
Paint	1,312.48	1,495.32
Bought out components	115,737.88	171,545.66
Total	121,981.82	179,599.82

Note 32 : Sub Contract and Other Direct Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Sub contract and off loaded jobs	26,544.41	28,818.23
Hull insurance	849.62	530.97
Other direct expenses	6,237.35	7,207.78
Total	33,631.38	36,556.98

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 33 : Employee Benefits Expense

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	25,477.44	26,166.40
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	1,720.72	2,020.40
Gratuity	345.54	305.67
Staff welfare expenses	1,684.60	2,098.56
Total	29,228.30	30,591.03

Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund includes provident fund inspection and administration charges ₹ 19.23 lakhs (previous year ₹20.52 lakhs)

Salaries, Wages, bonus/exgratia and allowances includes provision for encashment of half pay compensated absences for workmen amounting to ₹ 72.62 lakhs (previous year ₹ 512.42 lakhs)

The employee benefits accruing to the employees on deputation from Cochin Port Trust and Mumbai Port Trust are being accounted based on demands received from Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust as per tripartite agreement between the Company, Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust and the recognised Trade unions of the Port and not based on actuarial valuation except for gratuity which is actuarially valued.

In respect of subsidiaries, contribution towards Provident fund is remitted to Employee Provident Fund Organisation.

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Discount Rate (p.a)	6.97%	6.66%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate- Half Pay Leave	0.70%	0.70%
Attrition Rate- Earned Leave	0.70%	0.70%

Particulars	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	8.23	7.94

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Service Cost:		
Current Service Cost	244.95	213.89
Net Interest expense	205.06	196.63
Actuarial (Gain)/Loss recognised during the period	474.16	767.32
Expenses recognised in the statement of profit and loss	924.17	1177.84

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	3676.83	3405.42
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities / (Assets) recognized in the Balance Sheet	3,676.83	3,405.42

Type of Employee Benefit	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Current Component of PVO	515.44	533.22
Non-Current Component of PVO	3161.39	2872.20
TOTAL PVO	3676.83	3405.42

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	3405.42	2893.00
Current & Past Service Cost	244.95	213.89
Current Interest Cost	205.06	196.63
Actuarial (Gain)/ Loss	474.16	767.32
Benefits paid	(652.76)	(665.42)
Defined Benefit Obligation at end of the year	3,676.83	3,405.42

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	652.76	665.42
Benefits paid	(652.76)	(665.42)
Fair Value of the Assets at the end of the year	-	-

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Year 1	87.43	484.41
Year 2	401.76	83.24
Year 3	89.56	203.95
Year 4	74.69	86.45
Year 5	126.07	74.63
Next 5 Years	438.26	472.06

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Year 1	87.43	484.41
Year 2	401.76	83.24
Year 3	89.56	203.95
Year 4	74.69	86.45
Year 5	126.07	74.63
Next 5 Years	438.26	472.06

Sensitivity Analysis - Half Pay Leave	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
A. Discount Rate + 50 BP	7.47%	7.16%
Defined Benefit Obligation [PVO]	2,988.16	355.85
Current Service Cost	128.15	104.81
B. Discount Rate - 50 BP	6.47%	6.16%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,225.63	389.41
Current Service Cost	140.20	113.84
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,229.92	389.98
Current Service Cost	140.42	113.99
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	2,983.37	355.23
Current Service Cost	127.91	104.64

BP denotes "Basis Points"

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Sensitivity Analysis - Earned Leave		
A. Discount Rate + 50 BP	7.47%	7.16%
Defined Benefit Obligation [PVO]	2,988.16	2,927.06
Current Service Cost	128.15	130.04
B. Discount Rate - 50 BP	6.47%	6.16%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,225.63	3,148.26
Current Service Cost	140.20	142.08
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	3,229.92	3,151.90
Current Service Cost	140.42	142.28
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	2,983.37	2,922.90
Current Service Cost	127.91	129.82

BP denotes "Basis Points"

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows (Head office):

	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Discount Rate (p.a)	6.97%	6.66%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	0.70%	0.70%
Expected Rate of Return on Plan Asset	6.97%	6.66%

Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	8.50	7.21

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

	(₹ in Lakhs)	
Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Service Cost:		
Current Service Cost	252.11	223.48
Past Service Cost	-	-
Net Interest expense	34.92	23.34
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	287.02	246.82
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(76.82)	636.50
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	(308.94)	165.18
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	(385.76)	801.68

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

	(₹ in Lakhs)	
Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	4,664.16	5,240.37
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	4,762.90	4,191.87
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	(98.74)	1,048.50

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

	(₹ in Lakhs)	
Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	5,240.37	5,078.89
Current Service Cost	252.11	223.48
Current Interest Cost	313.54	349.80
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(76.82)	636.50
Benefits paid	(1,065.04)	(1,048.30)
Defined Benefit Obligation at end of the year	4,664.16	5,240.37

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

	(₹ in Lakhs)	
Particulars	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	4,191.87	4,471.00
Expected Return on Plan Assets	278.63	326.46
Actuarial Gain/(Loss)	308.94	(165.18)
Contributions from the employer	1,048.51	607.90
Benefits paid	(1,065.04)	(1,048.32)
Fair Value of the Assets at the end of the year	4,762.90	4,191.86

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Year 1	324.46	1,942.66
Year 2	1,561.59	293.47
Year 3	350.89	698.96
Year 4	261.87	327.89
Year 5	370.83	240.10
Next 5 Years	1,203.18	1,242.55

Sensitivity Analysis	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
A. Discount Rate + 50 BP	7.47%	7.16%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,487.42	5,071.31
Current Service Cost	235.32	236.07
B. Discount Rate - 50 BP	6.47%	6.16%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,855.15	5,423.06
Current Service Cost	269.48	269.81
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,835.23	5,403.33
Current Service Cost	267.74	267.13
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,504.03	5,086.36
Current Service Cost	237.00	238.93

BP denotes "Basis Points"

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (As Percentage of Total Plan Assets)

	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Government of India Securities	36.77%	29.90%
State Government Securities	27.10%	30.96%
High Quality Corporate Bonds	0.00%	0.00%
Equity shares of listed companies	24.48%	10.90%
Property	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	0.25%	0.25%
Others (to specify)	11.39%	27.99%
Total	100.00%	100.00%

The plan assets are managed by the Gratuity Trust formed by the Company.

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation of International Ship Repair Facility (ISRF) and CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) were as follows:

	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Discount Rate (p.a)-ISRF	5.65%	6.00%
Discount Rate (p.a)-CMSRU	5.00%	5.70%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	2.00%	2.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	NA	NA

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Service Cost:		
Current Service Cost	44.24	45.08
Past Service Cost	-	-
Net Interest expense	14.28	13.77
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	58.52	58.85
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(25.26)	(4.08)
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	-	-
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	(25.26)	(4.08)

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	272.09	238.83
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities/(Assets) recognized in the Balance Sheet	272.09	238.83

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	238.83	184.06
Current Service Cost	44.24	45.08
Current Interest Cost	14.28	13.77
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(25.26)	(4.08)
Benefits paid	-	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	272.09	238.83

ISRF & CMSRU gratuity is self managed by the Company.

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA" denoted "Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	ISRF	CMSRU
Year 1	71.07	13.06
Year 2	40.48	6.17
Year 3	15.32	2.23
Year 4	30.73	1.59
Year 5	15.51	0.12
Next 5 Years	71.70	4.09

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Sensitivity Analysis

Particulars	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	6.65%	6.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	235.97	26.71
Variation	(3.61%)	(2.06%)
B. Discount Rate - 100 BP	4.65%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	254.48	27.87
Variation	3.95%	2.20%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	253.41	27.74
Variation	3.51%	1.73%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	236.82	26.82
Variation	(0.03)	(0.02)

BP denotes "Basis Points"

Note 34 : Finance Costs

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Interest expense on lease liabilities	3,583.32	3,439.62
Interest others	491.34	1.35
Interest on tax free bonds	1,051.44	1,051.44
Total	5,126.10	4,492.41

Note 35 : Depreciation and Amortisation Expense

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Depreciation on property, plant and equipments	4,083.04	2,989.48
Depreciation on RoU Assets	1,414.14	1,395.68
Amortisation of other intangible asset	299.59	298.47
Total	5,796.77	4,683.63
Add : Loss on revaluation of tools	186.31	210.26
Total	5,983.08	4,893.89

COVID-19 pandemic had prompted a lockdown resulting in a temporary disruption of operations of the Company from March 23, 2020 to May 5, 2020. The Company continued to work on a reduced time scale for a significant period of the Quarter I which further effected the financial results of the Company during that quarter. From Quarter II onwards, in order to meet the challenges facing the Company, the Company extended hours of operations by working in two shifts. This has impacted depreciation to the tune of ₹ 388.11 lakhs during the year.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 36 : Other Expenses

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Consumption of stores	1,592.62	2,087.39
Consumption of spares	54.51	47.44
Rates and taxes	507.46	21.97
Power	1,942.79	2,156.61
Fuel	1,340.87	792.76
Water	303.95	242.26
Repairs and maintenance:		
Building and roads	457.78	643.18
Plant and machinery	158.23	104.92
Others	1,232.57	1,063.39
Docks	12.18	–
Maintenance dredging	467.32	299.50
Transport and stores handling	170.91	167.05
Travelling and conveyance expenses	497.21	852.51
Printing and stationery	75.92	100.73
Postage, telephone and telex	46.47	64.80
Advertisement and publicity	168.59	507.64
Lease rent	14.82	14.56
Hire charges	288.66	386.62
Insurance charges	744.93	427.26
Security expenses	2,154.69	1,538.30
Payments to Auditors	33.40	26.95
Fee for statutory compliances	2.71	
Training expenses	359.40	624.37
Legal expenses	38.63	58.07
Consultancy	86.86	134.78
Bank charges	699.91	496.31
Net loss on foreign currency transactions	–	502.01
Corporate social responsibility (Refer Note no.48)	1,486.98	1,270.94
Loss on sale/write off of property, plant and equipments	1.25	1.87
Miscellaneous expenses	1,366.55	1,625.42
Total	16,308.17	16,259.61

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and Miscellaneous expenses include:

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
For Audit Fees	19.50	14.71
For Limited Review/other services	12.85	7.74
For Certifications	5.90	4.50
Total	38.25	26.95

Note 37 : Provision for Anticipated Losses and Expenditure

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Provision for:		
Doubtful debts / advances	98.18	3,286.89
Non moving / perpetual inventory verification	2.92	1.98
Expenses and contingencies	2,692.02	220.91
Provision for loss on Ship Building	6,371.00	5,082.00
Total	9,164.12	8,591.78

Note 38 : Exceptional Items

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Provision for Inventory written back / (Provision for inventory)	188.92	–
Provision for Subsidy Receivable written back / (Provision for subsidy receivable)	1,074.48	–
Total	1,263.40	–

Note 39 : Earnings per Equity Share

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Net Profit after tax (₹ in lakhs)	60,866.44	63,200.99
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	46.27	48.05
Face value per share (in ₹)	10.00	10.00

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 40: Additional Disclosures under Ind AS 115 - "Revenue from Contract with Customers"

Disclosures of Disaggregated revenue as per IND AS 115

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the year ended 31st March, 2021	For the year ended 31st March, 2020
Revenue from Contracts with customers		
A. Revenue from goods or services transferred over time		
(i) Sale of products (Including Excise Duty Nil)		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	200925.37	237746.87
Vessels other than IAC	35831.94	46206.78
Other operating revenue		
Ship Building Financial Assistance	3420.09	835.57
Management fee	312.33	
(ii) Sale of services		
Ship repairs		
Engineering works	40850.24	56856.75
	5.50	0.00
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time		
Other operating revenue		
Sale of Ship Building Scrap	381.88	437.29
Sale of Ship Repair Scrap	162.35	166.13
Total	281889.70	342249.39

Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to ₹ 784884.10 lakhs (excluding Cost Plus Part of IAC contract). The amount of transaction price relating to unsatisfied performance obligation that are part of a contract that has an original expected duration of one year or less has not been included in the above disclosure as permitted under Ind AS 115. Further the estimate of the transaction price as above would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained. Management expects that 19.59% of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied contracts as of 31.03.2021, as stated above, will be recognised as revenue during FY 2021-22 and the remaining thereafter.

During the year ended March 31, 2021 the Company recognised revenue of ₹ 15618.72 lakhs arising from opening Contract Liability as of April 01, 2020

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Reconciliation of contracted price with revenue during the year

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Opening contracted price of orders	1504739.51	1176242.66
Add:		
Fresh orders/change orders received (net)	11336.93	341069.70
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	1766.45	7920.74
Increase due to exchange rate movements (net)	250.84	1430.22
Less:		
Other deductions including variations, change orders etc.	15654.69	13747.52
Orders completed during the year	6940.80	8176.29
Closing contracted price of orders	1495498.24	1504739.51
Total Revenue recognised during the year:	137551.03	136469.80
Less: Revenue out of orders completed during the year	2613.13	6709.06
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	134937.90	129760.74
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	575676.23	449884.96
Decrease due to exchange rate movements (net) (III)	0.00	0.00
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	784884.10	925093.81
Closing contracted price of orders (I+II+III+IV)	1495498.24	1504739.51

Note 41: Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

Rent and Hire charges Expense includes expense incurred for the year ended 31.03.2021 relating to Short term leases and leases of low value assets amounting to ₹50.13 lakhs.

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31, 2021 including outflow for short term and low value leases is ₹2463.53 lakhs.

The Company has lease term extension options that are not reflected in the measurement of lease liabilities.

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2021 on an undiscounted basis are as follows

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Less than one year	2,649.25	2,465.45
One to five years	11,314.36	10,819.77
More than five years	124,865.12	125,971.91
Total	138,828.73	139,257.13

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

The details of the contractual maturities of leased assets as at March 31, 2021 on an undiscounted basis are as follows

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Less than one year	191.23	182.35
One to five years	313.02	465.19
More than five years	287.82	326.87
Total	792.07	974.41

Note 42: Additional Disclosures for Hedge Accounting

The company enters into foreign exchange derivative contracts to offset the foreign currency risks arising from the amounts denominated in currencies other than Indian Rupee. The counter party to the company's foreign currency forward contracts is generally a bank.

The company has the following outstanding forward contracts, which have been designated as Cash Flow Hedges, as on 31 Mar 21:

(₹ in Lakhs)

Currency	No. of contracts	31-Mar-21		No. of contracts	31-Mar-20	
		Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)		Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)
Euro	2	2982.30	(24.62)	–	–	–
NOK	2	4319.34	145.70	–	–	–
Total	4	7301.64	121.08	–	–	–

The movement in Hedge reserve during the year ended 31 Mar 21 for derivatives designated as cash Flow Hedges is as follows:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the year ended	For the year ended
	31st March, 2021	31st March, 2020
Balance at the beginning of the year Cr/(Dr)	0.00	0.00
Changes in the fair value of effective portion of outstanding cash flow derivatives (Net)	121.08	0.00
Balance at the end of the year	121.08	0.00

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 43: Contingent Liabilities and Commitments

Particulars	As at	As at	Brief Description of the nature and obligation
	31 Mar 2021	31 Mar 2020	
	(₹ in Lakhs)	(₹ in Lakhs)	
A CONTINGENT LIABILITY (To the extent not provided for)			
a Guarantees			
i Letters of Credit	12,356.31	13,345.68	Represents Letter of Credit opened by the Company in various banks for procurement of materials/assets
ii Bank Guarantees	353,929.06	272,384.71	
iii Corporate Performance Guarantee to Cochin Port Trust	3,925.00	3,925.00	Performance guarantee given by Company to CoPT for performance of obligations under the contract agreement entered with CoPT during the contract period.
b Other money for which the company is contingently liable			
i Greater Cochin Development Authority (GCDA)	69.06	69.06	Claim raised by GCDA for the land acquired for the Company is settled. However 8 land acquisition revision petition cases (Valued at ₹69.06 lakhs) filed by evictees is pending with the Hon'ble Supreme Court and High Court.
ii Customs duties	17,984.48	21,930.58	Customs duty for materials under Bond and indigenous vessels delivered. Includes an amount of ₹ 69.83 lakhs being Customs duty refund granted by CESTAT, Bangalore, against which an appeal was filed by the Department before the Hon'ble High Court of Kerala. The Hon'ble High Court of Kerala has since disposed off the appeal with a direction to the Department to prefer the appeal before the Hon'ble Supreme Court of India. In absence of any further information on the departmental appeal, the same has been retained as Contingent Liability.
iii Sales Tax/Kerala Value Added Tax	0.00	657.51	2000-01 - ₹ 111.93 Lakhs 2001-02 - ₹ 73.44 Lakhs 2004-05 - ₹ 195.67 Lakhs 2007-08 - ₹ 276.47 Lakhs (Under appeal.) Stay of collection of tax obtained in all cases. Demand reduced to the extent of amount paid and appeal allowed by Deputy Commissioner (Appeals). Cases are settled under Amnesty scheme 2020. Note no. 43.1 (II & III)
	0.00	12.10	VAT credit for the year 1996-97 which has not been considered in the demand, for which no provision exists in the books. Case settled under KVAT Amnesty scheme 2020.
iv Income Tax	2,069.97	2,107.27	Demand relating to Assessment Years: AY 2010-11 - ₹ 457.63 Lakhs AY 2011-12 - ₹ 369.50 Lakhs AY 2014-15 - ₹ 911.07 Lakhs AY 2017-18 - ₹ 331.77 Lakhs Detailed notes in Note no. 43.1 (I)

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Particulars	As at 31 Mar 2021 (₹ in Lakhs)	As at 31 Mar 2020 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
v Service Tax	1,647.47	1,647.47	Demand of Service Tax on IAC (Design Consultancy) as per Show Cause Notice issued. Adjudication pending.
	376.88	376.88	Refund claim of Service Tax on IAC granted by Commissioner (Appeal). However Department filed Appeal before CESTAT against the order of Commissioner(Appeals). Also issued Show Cause Notice on CSL & adjudication pending.
	323.04	323.04	Demand of Service Tax on IAC (Management Fee/Handling Charges) as per Show Cause Notice issued. Adjudication pending.
	2,339.64	2,339.64	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-18-17-18 dt 19.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
	1,885.60	1,885.60	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Proceedings under the show cause has been dropped vide order no. COC-EXCUS-000-COM-11-17-18 dt 07.03.2018. Department filed appeal to CESTAT.
	513.71	513.71	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2015-16 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
	734.93	734.93	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2016-17 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/212-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments.
	150.56	79.22	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2015-16 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Joint Commissioner vide OIO No.48/2020-ST(JC) dt 31.12.2020 confirmed demand. Appeal filed to Commissioner (Appeals) against OIO.
	286.85	286.85	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2016-17 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit.
	279.46	279.46	Show Cause Notice issued for non payment of service tax on availing services of persons in non-taxable territory for meeting contractual warranty obligations and on cost of security provided to the transportation of Barge from Cochin to Abu Dhabi.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Particulars	As at 31 Mar 2021 (₹ in Lakhs)	As at 31 Mar 2020 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
vi Alekton Engineering Industries Ltd	165.91		The petitioner approached MSME Council for recovery of Liquidation damages with interest deducted by CSL for delay in submission of drawings and supply of goods. MSME Council, Chennai referred to arbitration by Madras High Court Arbitration Centre. Madras High Court Arbitration Centre has appointed Mr. Suhrith Parthsarrathy as the sole arbitrator. Claim petition filed by the petitioner
vii Employee State Insurance Corporation	17.26	—	Claims towards interest and damages in respect of delayed payments of ESI contributions payable in respect of advanced trainees during the period from June 2010 to Jul 2013. Aggrieved, CSL filed cases I.C No.60/2016, IC No: 09/2020, IC No: 03/2021 challenging the illegality and violation of instructions and the manner in which the claims were preferred by ESI Corporation.
B COMMITMENTS (To the extent not provided for)			
a Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	117,275.12	143,692.62	
b Other commitments			
i Unutilised amount of Initial Public Offer (IPO) proceeds (Pending utilisation amount deposited with various banks in current account and term deposits)	—	4,737.06	Detailed notes in Note no. 44

Note 43.1. Contingencies And Commitments

(I) Income Tax Assessments

The Income Tax Assessment of the company have been completed up to AY 2017-18.

Demands raised as per the assessment orders totaling to ₹ 1369.11 lakhs for the Assessment Years 2010-11, 2011-12, 2014-15 and 2017-18 are shown under Contingent Liability pending disposal of the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals). The demands are mainly due to disallowance of certain genuine claims. However the above demands have been adjusted against the refund due for the subsequent years.

For the Assessment years 2010-11 and 2011-12 although the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals) has been disposed in favour of the company, the Income Tax Department has gone for appeal against the order of Commissioner of Income Tax (Appeals) before the ITAT, the amount involved under appeal before the ITAT amounts to ₹700.86 lakhs.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

(II) Sales Tax Assessment under KGST Act

The pending cases are settled under Amnesty scheme 2020, of Govt. of Kerala.

(III) Sales Tax Assessments under KVAT Act

The pending cases are settled under Amnesty scheme 2020, of Govt. of Kerala.

Note 44 : The Utilisation of IPO proceeds is summarised below:

(₹ in Lakhs)

Particulars	IPO proceeds received -Based on Final allotment	Actual cash outflow upto March 31, 2021	Unutilised amount as at March 31, 2021
Setting up of Dry Dock	51000.00*	51000.00	0.00
Setting up of ISRF	26500.00*	26500.00	0.00
General corporate purposes	16523.26	16523.26	0
Issue related expenses (Attributable to the Company)	2172.10**	2172.10	0.00
Total	96195.36	96195.36	0.00

* As per Prospectus Filed

** Increase in IPO expenditure (₹172.10 lakhs) compared to the estimates is adjusted against amount specified for General Corporate Purpose

Note 45 :

The dispute between M/s Apeejay Shipping Ltd (formerly known as Surendra Overseas Ltd) and the Company, in the matter of ship 005 was referred for arbitration by the Hon'ble Supreme Court of India. The arbitration award (July 2009) was in favour of the Company under which the Company is to receive ₹2803.64 lakhs from M/s Apeejay Shipping Ltd. The company has filed a petition before Sub Court, Ernakulam for passing a decree. M/s Apeejay Shipping Ltd has moved to the Sub Court to quash the Award of the Umpire and the Company has filed Counter Affidavit against this move. The matter is pending before the court. No credit has been taken in the books of account, pending final decree of the Court.

Note 46 :

Permanent Machinery for Arbitration, Department of Public Enterprises, Govt. of India, has notified award in favour of the Company in the dispute between the Company and M/s Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) on the Works Contract Tax issue and ONGC has paid to the Company the disputed sum along with interest amounting to ₹ 2642.22 Lakhs as per the award. ONGC has gone on appeal before the Law Secretary, Ministry of Law & Justice against the award. Pending disposal of ONGC appeal, no adjustment has been made in the accounts.

Note 47 : Litigations

The Company is subject to legal proceedings and claims, in the ordinary course of business. The Company's Management does not reasonably expect that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will have material and adverse effect on the Company's results of operation.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Details of material litigation as on 31 March 2021

M/s. Vigil Marine Services in 2004 raised claims towards Agency Commission payable for winning orders for ATCO Tugs. The arbitration proceedings commenced on 10 Oct 2004. Examination and cross examination of witnesses completed and posted the matter for arguments on 01 and 02 Feb 2014. The Arbitrator completed the proceedings and passed his award directing the Company to pay commission to M/s Vigil Marine Services at the rate of 5% of the ATCO contract value of U S Dollar 18.25 Million with interest @ 8% per annum. Aggrieved on this CSL filed Original Suit No 187/2016 before Sub Court, Ernakulam and obtained an interim order staying execution of the award. However the Company has already provided for the principal amount and interest thereon.

Note 48 : Corporate Social Responsibility (CSR)

As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and those specified in Schedule VII of the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done through direct spending as per the recommendations of CSR committee. Details of amount required to be spent and the amount utilised are given below:

(a) Gross amount required to be spent by the Company during the period ended March 31, 2021	₹ 1479.77 Lakhs
(b) Amount spent during the year	₹ 1526.98 Lakhs

(₹ in Lakhs)

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset	1,280.03	–	1,280.03
(ii) On purposes other than (i) above	246.95	–	246.95

In case of Sec.135(5) Excess amount spent

(₹ in Lakhs)

Amount carry forwarded from previous financial years	Amount spent during the year	Amount charged to P&L as CSR expenses	Amount carry forwarded to succeeding financial years
0.00	1526.98	1486.98	40.00

Note 49 : Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship	
	2020-21	2019-20
Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Paul Ranjan D (Up to July 31, 2019) Director (Finance) & Chief Financial Officer	–	Key Managerial Personnel
Shri Suresh Babu N V Director (Operations)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker Director (Technical)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J (From August 01, 2019) Director (Finance) & Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Related Party	Nature of Relationship	
	2020-21	2019-20
Shri Satinder Pal Singh (Upto February 03, 2020) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	–	Key Managerial Personnel
Shri Sanjay Bandopadyaya (From February 03, 2020) Official Part Time (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	–
Shri K R Jyothishilal Official Part Time (Nominee) Director, Government of Kerala	–	Key Managerial Personnel
Smt. Roopa Shekhar Rai (From July 29, 2019 to March 20, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	–	Key Managerial Personnel
Shri Radhakrishna Menon (From July 29, 2019 to March 20, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	–	Key Managerial Personnel
Shri Krishna Das E (From July 29, 2019 to March 20, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	–	Key Managerial Personnel
Shri Jiji Thomson Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Pradipta Banerjee (Upto July 14, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Nanda Kumaran Putezhath (Upto July 14, 2020) Non Official Part Time (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Smt V Kala (Upto January 31, 2020) Company Secretary	–	Key Managerial Personnel
Shri Syamkamal N (From February 01, 2020) Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri S Balaji Arunkumar Director (Upto May 29, 2020)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Rajesh Gopalakrishnan, Chief Executive Officer, HCSL	Key Managerial Personnel	–
Shri.Balakrishnan Poovathra Chief Financial Officer, HCSL (From October 16, 2020)	Key Managerial Personnel	–
Shri Kiran.K.A, Company Secretary, HCSL (From October 16, 2020)	Key Managerial Personnel	–
Shri Harikumar A, Chief Executive Officer, TSL	Key Managerial Personnel	–
Shri Shibu John Chief Financial Officer, TSL (CFO of HCSL upto October 15, 2020)	Key Managerial Personnel	–
Shri Aswin Sarma M Company Secretary, TSL (CS of HCSL upto October 15, 2020)	Key Managerial Personnel	–
Hooghly Cochin Shipyard Limited (Principal place of business:Kolkata)	Subsidiary Company	Subsidiary Company
Tebma Shipyards Limited (Principal place of business:Malpe)	Subsidiary Company	–

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Nature of transaction-Remuneration to Key Managerial Person*

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	31st March, 2021	31st March, 2020
Short term benefit	256.83	353.83
Post employment Benefit	34.00	38.89
Total	290.83	392.72

Nature of transaction-Advances

(₹ in Lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2020	Loans/advances Taken during 2020-21	Repayment	Balance as on 31/03/21	Interest accrued as on 31/03/21
SURESH BABU N V	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
BEJOY BHASKER	0.20	0.25	0.37	0.08	0.00
JOSE V J	0.20	0.40	0.49	0.11	0.00
SYAMKAMAL N	0.24	0.40	0.52	0.12	0.00

(₹ in Lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2019	Loans/advances Taken during 2019-20	Repayment	Balance as on 31/03/20	Interest accrued as on 31/03/20
MADHU S NAIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAUL RANJAN D	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00
SURESH BABU N V	0.19	0.50	0.49	0.20	0.00
BEJOY BHASKER	0.52	0.50	0.82	0.20	0.00
JOSE V J	0.18	0.50	0.48	0.20	0.00
KALA V	0.15	0.50	0.65	0.00	0.00
SYAMKAMAL N	0.18	0.60	0.54	0.24	0.00

Loan balances have been considered from the year of attaining KMP status.

Nature of transaction-Sitting Fee to Independent Directors

(₹ in Lakhs)

Name of the meeting	Jiji Thomson	Nandakumaran Putezhath	Pradipta Banerji
Board Meeting	0.15	0.15	0.15
Audit Committee	0.15	0.15	0.15
Corporate Social Responsibility Committee	0.15	0.15	
Nomination and Remuneration Committee	0.15	0.15	0.15
Contracts and Capex Committee	0.15	0.15	0.15
Total payment for 2020-21	0.75	0.75	0.60

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Nature of transaction - Transaction with other related parties

As CSL is a Government company under the control of Ministry of Shipping (MoS), the Company has availed exemption from detailed disclosures prepared under Ind AS 24 with respect to related party transactions with Government and Government related entities.

However, as required under Ind AS 24, following are the individually significant transactions:

Transactions with Government and Government related entities by the parent company.

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at March 31,2021	As at March 31,2020
Amount payable to Government of India	234.19	235.40
Amount paid as dividend during the year to Govt. of India	26836.17	14474.11

In addition to the above, around 92.01 % of the companies turnover and 95.98 % (approx) of trade receivables and customer advance is with respect to Government and Government related entities.

Note 50 : Financial Instruments

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis (but fair value disclosures are required)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at March 31,2021	As at March 31,2020	
Financial Assets			
Non Current			
(i) Investments	9.18	9.18	Level III
(ii) Loans	363.09	108.55	Level II
(iii)Others	4,285.40	864.50	Level II
Current			
(i) Trade Receivables	35,336.95	28,823.21	Level II
(ii)Cash & Cash equivalents	72,870.14	86,682.14	Level II
(iii)Bank Balances other than (ii)	148,023.19	132,840.27	Level II
(iv) Loans	57.20	30.97	Level II
(v)Others	1,574.24	3,145.35	Level II
Total Financial Assets	262,519.39	252,504.17	

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at March 31,2021	As at March 31,2020	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	12,300.00	12,300.00	Level I
(ii) Other financial liabilities	39,360.69	37,586.91	Level II
Current			
(i) Trade Payables	43,543.42	41,871.78	Level II
(ii) Other financial liabilities	25,284.73	17,801.48	Level II
Total Financial Liabilities	120,488.84	109,560.17	

Note:

- The investments in equity instruments are not held for trading. Instead, they are held for medium or long term strategic purpose. The Company has chosen to designate these investments in equity instruments at FVTOCI(as per Ind AS 109), as the directors believe that this provides a more meaningful presentation of medium or long term strategic investments, than reflecting changes in fair value immediately in profit or loss.

Investments included in level 3 of fair value hierarchy have been valued using the cost approach to arrive at their fair value. The cost of unquoted investments approximate the fair value because there is a wide range of possible fair value measurements and the cost represents estimate of fair value within that range.

There were no transfers between Level 1 and 2 in the period.

- Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.
- The carrying amount of trade receivables, trade and other payables and short term loans are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets, other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented

Financial Instruments by category

Financial assets/ financial liabilities	31st March 2021			31st March 2020		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost
Financial Assets						
Investments (Non-current)						
-Equity instruments		9.18			9.18	
Loans			363.09			108.55
Others			4,285.40			864.50
Trade receivables			35,336.95			28,823.21
Cash & Cash equivalents			72,870.14			86,682.14
Bank Balances			148,023.19			132,840.27
Loans			57.20			30.97
Other Financial Assets			1,574.24			3,145.35
Total Financial Assets	0.00	9.18	262,510.21	0.00	9.18	252,494.99

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

	31st March 2021			31st March 2020		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost
Financial liabilities						
Borrowings			12,300.00			12,300.00
Other financial liabilities			39,360.69			37,586.91
Trade payables			43,543.42			41,871.78
Other financial liabilities			25,284.73			17,801.48
Total Financial Liabilities	0.00	0.00	120,488.84	0.00	0.00	109,560.17

Note 51 : Financial Risk Management Policy

Financial Risk Management Objective and Policies:

The Company's principal financial liabilities, other than derivatives, comprise of loans and borrowings, trade and other payables and advances from customers. The main purpose of these financial liabilities is to finance the Company's operations, projects under implementation and to provide guarantees to support its operations. The Company's principal financial assets include Investment, loans and advances, trade and other receivables and cash and bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. All derivative activities for risk management purposes are carried out based on the forex risk management policy approved by the Board. As per the policy trading in derivatives for speculative purposes are not allowed. The Board of Directors reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are summarised below.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial assets will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, currency risk and other price risk, such as equity price risk and commodity risk. Financial Assets affected by market risk include loans and borrowings, deposits and derivative financial instruments.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's long-term debt obligations with floating interest rates.

Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company's operating activities (when revenue or expense is denominated in a foreign currency).

Foreign currency risk of the company is managed through a properly documented risk management policy approved by the board. The Board of directors also reviews the foreign currency exposure of the Company on quarterly basis.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Commodity Price Risk

The Company is affected by the price volatility of certain commodities. Its operating activities require the purchase of steel, major machineries, equipments etc. Therefore, the Company plans its purchases closely to optimise the price.

Credit Risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables and advances to suppliers) and from its financing activities, including deposits with banks and financial institutions, foreign exchange transactions and other financial instruments.

Note 52 : Segment Reporting

The Company has identified two major operating segments viz, Shipbuilding and Repair of ships/ offshore structures. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	March 31,2021	March 31,2020
Segment Assets		
Ship building	319484.51	292812.55
Ship Repair	259606.41	243285.53
Others	172828.72	104574.45
Total	751919.64	640672.53
Segment Liability		
Ship building	104576.01	67144.21
Ship Repair	11264.54	12715.35
Others	232733.97	188524.62
Total	348574.52	268384.18
Segment Revenue		
Ship building	240559.27	285226.50
Ship Repair	41330.43	57022.89
Unallocated	19082.67	24508.13
Total	300972.37	366757.52
Segment Result		
Ship building	76229.86	66459.10
Ship Repair	9419.89	14741.55
Unallocated	(4836.95)	4571.35
Total	80812.80	85772.00

The Company has two major business segments – "Ship Building" and "Ship Repair". Revenue under Ship building includes ₹ 203736.66 lakhs (Previous year: ₹ 237746.87 lakhs) from one customer (Previous year: one customer) having more than 10 % revenue of the total revenue, and for Ship repair includes ₹ 29714.58 lakhs (Previous year: ₹49582.22 lakhs) from three customers (Previous year: three customers) having more than 10% revenue of the total revenue.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 53 : Capital Management

The company's objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	As at 31st March, 2021	As at 31st March, 2020
Long term borrowings	12300.00	12300.00
Net Debt	12300.00	12300.00
Equity Share Capital	13154.04	13154.04
Other equity	390191.08	359134.31
Total Equity	403345.12	372288.35
Gearing Ratio	3.05%	3.30%

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended March 31, 2021 and March 31, 2020.

Note 54 :

The Coronavirus disease (COVID-19) is turning out to be a human tragedy and a global pandemic impacting the society and the economy at large. It is adversely affecting the health of people worldwide as well as on the state of economy and commerce. It continues to be a matter of major concern for all the business organizations even though the vaccination of the masses has already started. The COVID-19 outbreak in waves has already had a significant effect on the economies of affected countries and international financial markets. Supply Chain disruptions in India as a result of the outbreak started with restrictions on movement of goods, closure of borders etc., in several states followed by a nationwide lockdown from the 25th of March 2020 announced by the Indian Government, to stem the spread of COVID-19. Due to this the operation of the Group was temporarily disrupted from 23rd March 2020 to 5th May 2020. This was followed by a period of low infection which helped open the industries and economy. The Company also ramped up the production significantly in the ensuing quarters. There were some delay in the running projects including Capex but impact is lessened to a great extent by invocation and grant of the Force Majeure clause in contracts and GoI circular dated 13 May 2020. However, the second wave which started from February 2021 is again forcing states to lockdown for extended periods. The impact of the second wave is still unfolding. The business landscape presents a challenge because of the likely shelving/withholding of the pipeline projects by the potential clients but the Group expects sufficient business for it. The unfolding pandemic scenario still presents a challenge for the company in assessing the future despite the renewed vaccination drive across the globe and the Group will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.

Note 55 : Details of Subsidiaries

	Name	Relationship	Nature of activity	Principal place of business	As at 31st March 2021 Proportionate ownership in %
1	Hooghly Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	Construction of vessels of various types and repairs thereof	Kolkata, India	100%
2	Tebma Shipyards Limited	Subsidiary	Construction of vessels of various types and repairs thereof	Malpe, India	100%

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 56 : Summarised financial information of subsidiary company is as follows:

The amounts disclosed for subsidiary are before inter-company eliminations

A. HOOGHLY COCHIN SHIPYARD LIMITED

Summarised Balance sheet	(₹ in Lakhs)	
	2020-21	2019-20
Non-current assets	13626.34	4970.53
Current assets	4507.23	2459.55
Total Assets	18133.57	7430.08
Non-current liabilities	10649.37	4789.74
Current liabilities	3218.92	859.36
Total Liabilities	13868.29	5649.10
Net Assets	4265.28	1780.98
Accumulated NCI	0.00	0.00

Summarised Statement of Profit & Loss	(₹ in Lakhs)	
	2020-21	2019-20
Revenue	0.00	0.00
Profit/(Loss) for the year	(315.70)	(248.76)
Other Comprehensive Income	0.00	0.00
Total Comprehensive Income	(315.70)	(248.76)
Profit/(Loss) attributable to NCI	0.00	0.00

Summarised Cashflows	(₹ in Lakhs)	
	2020-21	2019-20
Cashflows from operating activities	1941.32	(284.46)
Cashflows from investing activities	(8550.25)	(2128.07)
Cashflows from financing activities	8400.00	10.22
Net increase/decrease in cash and cash equivalents	1791.07	(2402.31)

B. TEBMA SHIPYARDS LIMITED

Summarised Balancesheet	(₹ in Lakhs)	
	2020-21*	
Non-current assets	14070.24	
Current assets	2817.85	
Total Assets	16888.09	
Non-current liabilities	575.39	
Current liabilities	2659.49	
Total Liabilities	3234.88	
Net Assets	13653.21	
Accumulated NCI	0.00	

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

(₹ in Lakhs)

Summarised Statement of Profit & Loss	2020-21*
Revenue	0.00
Profit/(Loss) for the year	529.62
Other Comprehensive Income	0.00
Total Comprehensive Income	529.62
Profit/(Loss) attributable to NCI	0.00

(₹ in Lakhs)

Summarised Cashflows	2020-21*
Cashflows from operating activities	1978.62
Cashflows from investing activities	(166.18)
Cashflows from financing activities	(35.20)
Net increase/decrease in cash and cash equivalents	1777.24

* From the date of consolidation ie September 30, 2020

Note 57 : Information required by Schedule III of the Companies Act 2013, with respect to Consolidated Financial Statements

(₹ in lakhs)

Name of the entity in the group	Net Asset		Share in Profit or (Loss)		Share in Other Comprehensive Income		Share in Total Comprehensive Income		
	Ownership in % As at March 31, 2021	Proportionate Share	As % of Consolidated Net Asset	Share in Profit/(Loss)	As % of Consolidated Profit/(Loss)	Share in Other Comprehensive Income	As % of Consolidated Other Comprehensive Income	Share in Total Comprehensive Income	As % of Consolidated Total Comprehensive income
Cochin Shipyards Limited	100.00%	397756.68	98.61%	61010.44	100.24%	398.17	100.00%	61408.61	100.24%
Subsidiary									
Hooghly Cochin Shipyards Limited	100.00%	4265.28	1.06%	(315.70)	(0.52%)	0.00	0	(315.70)	(0.52%)
Tebma Shipyards Limited	100.00%	13653.21	3.38%	529.62	0.87%	0.00	0	529.62	0.86%
Consolidation adjustments		(12330.05)	(3.06%)	(357.92)	(0.59%)	0	0	(357.92)	(0.58%)
Grand Total		403345.12	100%	60866.44	100.00%	398.17	100.00%	61264.61	100.00%

Note 58 :

In the case of contracts/sub-contracts, wherever final bills are not submitted by the contractors for the work done as at the close of the year, liability is estimated and provided based on the work done.

Note 59 :

Balance shown under Trade Receivables, Trade Payables, loans, deposits and claims are subject to confirmation and consequent reconciliation, if any.

Notes

to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021

Note 60 :

The Company has made adequate provision towards material foreseeable losses wherever required, in respect of long term contracts. The Company do not have any long term derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

Note 61 :

Figures in brackets denote negative figures.

Note 62 :

Previous year figures have been regrouped and classified wherever necessary to conform to the current year presentation.

Corporate overview and Significant Accounting Policies	1-2
Notes to the Financial Statements	3-62

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)

CHIRAG J SHAH
Partner
(Membership No. 214798)

Kochi
June 11, 2021

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
(DIN 08444440)

Kochi
June 11, 2021

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
(DIN 08103825)

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
(DIN 07376798)

Annexure

FORM AOC 1

Statement containing salient features of the financial statement of Subsidiaries/associate companies/joint ventures
(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Part "A" : Subsidiaries

Sl No	Particulars	Details	Details
		1	2
1	Sl No		
2	Name of the subsidiary	Hooghly Cochin Shipyard Ltd	Tebma Shipyards Ltd
3	The date since when subsidiary was acquired	October 23, 2017	September 15, 2020
4	Reporting Period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	No	No
5	Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant financial year in the case of foreign subsidiaries	Not Applicable	Not Applicable
6	Share Capital	₹5000 Lakhs	₹6500 Lakhs
7	Reserves and Surplus	₹(734.72) Lakhs	₹7153.21 Lakhs
8	Total Assets	₹18133.57 Lakhs	₹16888.09 Lakhs
9	Total Liabilities	₹18133.57 Lakhs	₹16888.09 Lakhs
10	Investments	Nil	Nil
11	Turnover	Nil	Nil
12	Profit Before Taxation	₹(407.54) Lakhs	₹(146.04)Lakhs
13	Provision for taxation		
	(i) Current Tax		
	(ii) Deferred Tax	₹(91.84) Lakhs	₹(10) Lakhs
14	Profit after taxation	₹(315.70) Lakhs	₹(136.04) Lakhs
15	Proposed Dividend	Nil	Nil
16	Extent of shareholding (in %)	100%	100%

Notes:

- Hooghly Cochin Shipyard Ltd, 100% subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, is yet to commence operations
- Tebma Shipyards Ltd, 100% subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, is yet to commence operations

Part "B": Associates and Joint Ventures :

Not applicable

As per our report attached

For and on behalf of Board of Directors

For **M/s Elias George and Co.,**
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 000801S)

SYAMKAMAL N
Company Secretary

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
(DIN 08103825)

CHIRAG J SHAH
Partner
(Membership No. 214798)

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
(DIN 08444440)

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
(DIN 07376798)

Kochi
June 11, 2021

Kochi
June 11, 2021

**COCHIN SHIPYARD LIMITED**

Corporate Identity Number: L63032KL1972GOI002414

Registered Office: Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015

Tel: +91 (484) 2501306 **Fax:** +91 (484) 2384001

E-mail: secretary@cochinshipyard.in **Website:** www.cochinshipyard.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 49th Annual General Meeting (AGM) of Cochin Shipyard Limited (CSL) will be held on Wednesday, September 29, 2021 at 11:00 hrs. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

Ordinary Business

- To receive, consider and adopt the audited standalone financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2021, together with the Reports of the Board of Directors' and the Auditors' thereon.
- To receive, consider and adopt the audited consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2021, together with the Report of the Auditors' thereon.
- To confirm the payment of first interim dividend of ₹9.00 (90%) per equity share and second interim dividend of ₹4.00 (40%) per equity share and to declare final dividend of ₹2.50 (25%) per equity share (face value ₹10/-) for the financial year 2020-21.
- To appoint a Director in place of Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
- To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2021-22.

Special Business**6. Ratification of Remuneration of Cost Auditors**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), as amended from time to time, the Company hereby ratifies the remuneration of ₹1,50,000/- (Rupees One Lakh Fifty Thousand Only) per annum plus applicable tax payable to M/s. BBS & Associates, Cost Accountants (Firm Registration No.: 00273), who are appointed by the Board of Directors as Cost Auditors of the Company to conduct audits relating to cost records of the Company under the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 for the year ending March 31, 2022."

"RESOLVED FURTHER THAT any one of the Directors or the Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to do all acts and take all such steps as may be necessary, proper or expedient to give effect to the above resolution."

By Order of the Board of Directors

Kochi
September 06, 2021

Syamkamal N
Company Secretary
M. No. A25337

Notes:

1. In view of the COVID-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, and all other relevant Circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, MCA Circulars, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and SEBI Circulars, the 49th AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The Registered Office of the Company shall be deemed to be the venue for the AGM.
2. The statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 with respect to the special business set out in the Notice is annexed and forms part of the Notice.
3. The relevant details, pursuant to Regulation 36(3) of the SEBI Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"), in respect of Director seeking re-appointment at this AGM is annexed to this Notice.
4. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. Since, this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with and hence the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM. Therefore, the proxy form, attendance slip and route map are not annexed to this Notice. However, in pursuance of Section 112 and 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the Members such as the President of India or the Governor of a State or body corporate can attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through e-voting.
5. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars dated January 15, 2021 and May 12, 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Depositories/ Company's Registrar and Transfer Agents (RTA). Members may note that the Notice and Annual Report 2020-21 will also be available on the Company's website www.cochinshipyard.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depositories Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.
6. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialized mode with effect from April 01, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, Members holding shares in physical mode are requested to consider converting their holdings to dematerialized mode. Members can contact the Company or Company's Registrar and Transfer Agents (RTA), Link Intime India Private Limited for assistance in this regard.
7. Members who have not yet registered/updated their e-mail addresses are requested to register/update the same with their Depository Participants (DP) in case the shares are held in demat mode and with Link Intime India Private Limited, Company's RTA, in case the shares are held in physical mode. Members are requested to register/update their e-mail addresses to enable the Company/RTA to send communications through e-mail.
8. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC etc., to their DPs in case the shares are held in demat mode and to Link Intime India Private Limited, Company's RTA, in case the shares are held in physical mode.
9. As per the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2013, the facility for making nomination is available to the Members in respect of the shares held by them. Members who have not yet registered their nomination are requested to register the same by submitting Form No. SH-13 prescribed under Rule 19 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014. If a Member desires to cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/she may submit the same in Form No. SH-14 prescribed under Rule 19 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014. On request, the necessary forms can be obtained from the Company's RTA, Link Intime

India Private Limited. Members are requested to submit the said details to their DP in case the shares are held in demat mode and to Link Intime India Private Limited in case the shares are held in physical mode.

10. Book Closure and Dividend

- (i) The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Thursday, September 23, 2021 to Wednesday, September 29, 2021, both days inclusive.
- (ii) The final dividend for the financial year 2020-21, as recommended by the Board of Directors, if approved at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source, by October 28, 2021 i.e. within 30 days from the date of approval to those Members whose names appear in the Register of Members/Depositories' records, as the case may be, at the close of business hours on Wednesday, September 22, 2021.
- (iii) Company will be making the dividend payment by electronic mode wherever possible and by dividend warrants/demand drafts in other cases. In respect of shares held in demat mode, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details furnished by the Depositories (NSDL & CDSL) as at the close of business hours on Wednesday, September 22, 2021. Members holding shares in demat mode may note that the bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members holding shares in demat mode for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. Members who have changed their bank account after opening the demat account and want to receive dividend in an account other than the one specified while opening the demat account, are requested to change/correct their bank account details (including the nine digit Bank code) with their Depository Participant, before September 22, 2021.
- (iv) As per the Finance Act, 2020, dividend paid and distributed by a Company will be taxable in the hands of Shareholders with effect from April 01, 2020. Therefore, the Company will be required to deduct taxes at source (TDS) at the rates applicable to each category of Shareholder under the provisions of the Income Tax Act, 1961 as explained below:

A. Resident Shareholders

- (a) TDS would not apply in case of individuals if the aggregate dividend distributed to them during the financial year 2021-22 does not exceed ₹5,000.
- (b) Tax at source will not be deducted in cases where a Shareholder provides
 - Form 15G (applicable to any person other than a Company or a Firm)
 - Form 15H (applicable to an individual above the age of 60 years), provided that the eligibility conditions are being met.
 - The Form 15H/15G is available for download at the Company's website at www.cochinshipyard.in.
- (c) Tax will be deducted at source ("TDS") under Section 194 of the Income Tax Act, 1961 @ 10% on the amount of dividend payable unless exempted under any of its provisions.
- (d) In case of "specified person" under Section 206AB of the Income Tax Act, the TDS shall be deducted at twice the rates specified in the relevant provisions of the Income Tax Act, 1961.
- (e) If PAN is not submitted, TDS would be deducted @ 20% as per Section 206AA of the Income Tax Act, 1961. Shareholders are requested to update their PAN with the Company's RTA, Link Intime India Private Limited (in case of shares held in physical mode) and Depository Participants (in case of shares held in demat mode).
- (f) Shareholders holding shares under multiple accounts under different status/ category and single PAN, may note that, higher of the tax as applicable to the status in which shares held under a PAN will be considered on their entire holding in different accounts.
- (g) Shareholders are requested to kindly verify the correctness of the records and update the same with the Depository Participant (if shares are held in demat mode) or the Company's RTA (if shares are held in physical mode), at the earliest.
- (h) Eligible Shareholders are also requested to submit the following documents as prescribed under the Income Tax Act, 1961 latest by 23:59 hrs. on September 21, 2021 at the portal of the Company's RTA, Link Intime India Private Limited at <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> to avail the benefit of exemption or lower deduction from withholding tax.

Category	Documents required	Remarks
General	Self-attested copy of withholding tax certificate for lower deduction u/s 197	If lower rate of tax is to be claimed
Individual	Duly signed Form 15G or 15H (as may be applicable) along with the self-attested copy of the PAN card	If tax exemption is to be claimed
Insurance Company	Self-declaration* that it has full beneficial interest with respect to shares owned, along with self-attested copy of PAN card and registration certificate	If tax exemption is to be claimed
Mutual Funds	Self-declaration* that they are specified in Section 10(23D) of the Income Tax Act, 1961, along with self-attested copy of PAN card and registration certificate	If tax exemption is to be claimed
Corporation established by or under a Central Act which is, under any law for the time being in force, exempt from income-tax on its income	Self-attested copy of the documentary evidence supporting the exemption status along with self-attested copy of PAN card	If tax exemption is to be claimed
Alternative Investment Fund (AIF) established/ incorporated in India	Self-declaration* that its income is exempt under Section 10(23FBA) of the Income Tax Act, 1961 and that they are governed by SEBI Regulations as Category I or Category II AIF along with self-attested copy of the PAN card and registration certificate	If tax exemption is to be claimed

*The format of self-declaration is available at Company's website at www.cochinshipyard.in.

B. Non-Resident Shareholders

- Tax is required to be deducted at source in accordance with the provisions of Section 195 of the Income Tax Act, 1961 at applicable rates in force. As per the relevant provisions of the Income Tax Act, 1961, the tax shall be deducted at source @ 20% (plus applicable surcharge and cess) on the amount of dividend payable.
- Shareholders are requested to kindly verify the correctness of the records and update the same with the Depository Participant (if shares are held in demat mode) or the Company's RTA (if shares are held in physical mode), at the earliest.
- Eligible Shareholders are also requested to submit the following documents as prescribed under the Income Tax Act, 1961 latest by 23:59 hrs. on September 21, 2021 at the portal of the Company's RTA, Link Intime India Private Limited at <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> to avail the benefit of Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) between India and their country of residence.

Category of Shareholder	Documents
Investments made by routes other than FPI route	Individual <ul style="list-style-type: none"> Self-attested copy of Tax Residency Certificate issued by the country in which the Shareholder is a resident Form 10F* Self-declaration* Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any.
	Partnerships, Trusts <ul style="list-style-type: none"> Self-attested copy of Tax Residency Certificate issued by the country in which the Shareholder is a resident Form 10F* List of partners/ beneficiaries, their respective shares in the income of the partnership/ trust and their respective residential status (if not forming part of TRC) Self-declaration* Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any.

Category of Shareholder	Documents
Companies	<ul style="list-style-type: none"> Self-attested copy of Tax Residency Certificate issued by the country in which the Shareholder is a resident Form 10F* Proof of satisfaction of LoB wherever required as per treaty (for example, in case the foreign company is registered on the stock exchange of the other country – the listing certificate of the company) Self-declaration* Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any.
Investments made through FPI route	FPIs (if shares are held under the FDI regime) <ul style="list-style-type: none"> Self-attested copy of Tax Residency Certificate issued by the country in which the Shareholder is a resident Form 10F* Proof of satisfaction of LoB wherever required as per treaty (for example, in case the foreign company is registered on the stock exchange of the other country – the listing certificate of the company) Self-declaration* Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any.
	FPIs (other than above) <ul style="list-style-type: none"> Self-attested declaration that investment has been made under FPI route Self-attested copy of lower/ nil withholding tax certificate provided under Section 197 of the Income Tax Act, 1961, if any.

*The Form 10F and the format of Self-declaration is available at Company's website at www.cochinshipyard.in.

- Kindly note that the Company is not obligated to apply the beneficial DTAA rates at the time of tax deduction/ withholding on dividend amounts. Application of beneficial DTAA rate shall depend upon the completeness and satisfactory review by the Company of the documents submitted by non-resident shareholders.
- Tax shall be deducted at source @ 20% (plus applicable surcharge and cess) on dividend paid to Foreign Institutional Investors and Foreign Portfolio Investors under Section 196D of the Income Tax Act, 1961. Such TDS rate shall not be reduced on account of the application of the lower DTAA rate, if any.
- Kindly note that the aforementioned documents should be uploaded at the portal of the Company's RTA, Link Intime India Private Limited at <https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> latest by 23:59 hrs. on September 21, 2021. Documents submitted through e-mail or any other form will not be considered.
- No communication on the tax determination/ deduction shall be entertained after September 21, 2021.
- In case tax on dividend is deducted at a higher rate in the absence of receipt of the aforementioned details/ documents, Shareholders would still have the option of claiming refund of the excess tax deducted at the time of filing the income tax return by consulting a tax advisor. No claim shall lie against the Company for such taxes deducted.
- Shareholders are requested to register/update their e-mail addresses with their Depository Participant (DP) in case the shares are held in demat mode and with Link Intime India Private Limited, Company's RTA, in case the shares are held in physical mode to enable the Company to send Form 16A with respect to the TDS on Dividend. Shareholders will be able to see the credit of TDS in Form 26AS, which can be downloaded from their e-filing account at <https://eportal.incometax.gov.in>.
- Disclaimer:** This communication shall not be treated as an advice from the Company. For the tax related matters Shareholders should obtain the tax advice from a tax professional.

11. Unclaimed Dividend

- (i) Members are hereby informed that under the Companies Act, 2013, the Company is obliged to transfer any money lying in the Unpaid Dividend Account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer to the Unpaid Dividend Account, to the credit of the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") established by the Central Government.
- (ii) Further, pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("IEPF Rules"), all the shares on which dividend remain unpaid/unclaimed for a period of seven consecutive years or more shall be transferred to the demat account of the IEPF Authority as notified by the Ministry of Corporate Affairs. Hence, the Company urges all the Shareholders to encash/claim their respective dividend during the prescribed period.
12. In case of joint holders, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the AGM.
13. To prevent fraudulent transactions, Members are advised to exercise due diligence and notify the Company of any change in address or demise of any Member as soon as possible. Periodic statement of holdings should be obtained from the concerned DP and holdings should be verified from time to time.
14. Members are requested to:
- (i) Intimate to the Company/RTA, changes if any, in their respective addresses along with the pincode at an early date.
- (ii) Quote folio numbers in all their correspondences.
- (iii) Consolidate holdings into one folio in case of multiplicity of folios with names in identical orders.
15. Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Company immediately the change in the residential status on return to India for permanent settlement.
16. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding, maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts or Arrangements in which the Directors are interested,

maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 will be available electronically for inspection to the Members during the AGM. All documents referred to in the Notice will also be available for electronic inspection by the Members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to secretary@cochinshipyard.in.

17. Members are requested to send all communications relating to shares to the Company's Registrar and Transfer Agents (RTA) at the following address:

Link Intime India Private Limited

"Surya", 35, Mayflower Avenue
Behind Senthil Nagar
Sowripalayam Road
Coimbatore, Tamil Nadu – 641028
Phone: +91 (422) 2314792, 2315792
E-mail: coimbatore@linkintime.co.in

18. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a Member using remote e-voting system as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by NSDL.

19. Instructions to Shareholders for remote e-voting

- (i) The remote e-voting period begins on Sunday, September 26, 2021 at 09:00 hrs. and ends on Tuesday, September 28, 2021 at 17:00 hrs. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members whose names appear in the Register of Members/Depositories' records, as the case may be, as on the cut-off date, Wednesday, September 22, 2021, may cast their vote electronically. The voting right of Shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being Wednesday, September 22, 2021. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

- (ii) Shareholders who have already voted prior to the Meeting date would not be entitled to vote at the Meeting venue.
- (iii) Process and manner of voting by electronic means

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system**A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual Shareholders holding securities in demat mode**

In terms of SEBI Circular dated December 09, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual Shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail address in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual Shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	<ol style="list-style-type: none"> Existing IDEAS user can visit the e-Services website of NSDL viz., https://eservices.nsdl.com either on a personal computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the Beneficial Owner icon under Login which is available under IDEAS section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on Access to e-Voting under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the Meeting. If you are not registered for IDEAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select Register Online for IDEAS Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the URL https://www.evoting.nsdl.com either on a personal computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon Login which is available under Shareholder/Member section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository website wherein you can see the e-Voting page. Click on Company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the Meeting. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App NSDL Speede facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.

NSDL Mobile App is available on



Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	<ol style="list-style-type: none"> Existing users who have opted for Easi/Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi/Easiest is https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi under the tab Login. After successful login of Easi/Easiest the user will be also able to see the e-Voting menu. The menu will have links of e-Voting service provider i.e. NSDL. Click on NSDL to cast your vote. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat account number and PAN and the link for the same is https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin or click on E Voting Tab in CDSL website www.cdslindia.com. The system will authenticate the user by sending OTP on registered mobile and e-mail as recorded in the demat account. After successful authentication, user will be provided links for the respective e-Voting service provider i.e. NSDL where the e-Voting is in progress.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option . Click on e-Voting option , you will be redirected to NSDL/CDSL Depository website after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on Company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the Meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use **Forget User ID/Forget Password** option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022 – 23058738 or 022 – 23058542 – 43.

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for Shareholders other than Individual Shareholders holding securities in demat mode and Shareholders holding securities in physical mode

How to Login to NSDL e-Voting website?

- Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the URL <https://www.evoting.nsdl.com> either on a personal computer or on a mobile.
- Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon **Login** which is available under **Shareholder/Member** section.

- A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

*Alternatively, if you are registered for NSDL e-Services i.e. **IDeAS**, you can login at <https://eservices.nsdl.com> with your existing IDeAS login. Once you login to NSDL e-Services using your login credentials, click on **e-Voting** and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.*

- Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
(a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your User ID is IN300***12*****.
(b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12***** then your User ID is 12*****.
(c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Company For example, if your folio number is 001*** and EVEN is 101456 then your User ID is 101456001***.

- Password details for Shareholders other than Individual Shareholders are given below:

- If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- How to retrieve your 'initial password'?

- If your e-mail address is registered in your demat account or with the Company, your 'initial password' is communicated to you on your e-mail address. Trace the e-mail sent to you from NSDL from your mailbox. Open the e-mail and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit Client ID for NSDL account, last 8 digits of Client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
- If your e-mail address is not registered, please follow steps mentioned below in **process**

for those Shareholders whose e-mail addresses are not registered.

- If you are unable to retrieve or have not received the 'Initial password' or have forgotten your password.
 - Click on **Forgot User Details/Password?** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - Physical User Reset Password?** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

- After entering your password, tick on **Agree to Terms and Conditions** by selecting on the check box.
- Now, you will have to click on **Login** button.

9. After you click on the **Login** button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the Companies' 'EVEN' in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
 2. Select 'EVEN' of the Company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on **VC/OAVM** link placed under **Join General Meeting**.
 3. Now you are ready for e-Voting as the voting page opens.
 4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on **Submit** and also **Confirm** when prompted.
 5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
 6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the **print** option on the confirmation page.
 7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (iv) General Guidelines for Shareholders
1. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to cochin@mehta-mehta.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
 2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the **"Forgot User Details/Password?"**

or **"Physical User Reset Password?"** option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries/grievance, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Download section of www.evoting.nsdl.com. You may also send a request to Shri Amit Vishal, Assistant Vice President, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai – 400 013 at the e-mail address evoting@nsdl.co.in or call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.
- (v) Process for those Shareholders whose e-mail addresses are not registered with the depositories for procuring User ID and Password and registration of e-mail addresses for e-voting for the resolutions set out in this notice
1. In case shares are held in physical mode please provide folio no., name of Shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to Company's RTA at coimbatore@linkintime.co.in.
 2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (NSDL – 16 digit DPID + CLID or CDSL – 16 digit Beneficiary ID), name, client master or copy of consolidated account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by e-mail to Company's RTA at coimbatore@linkintime.co.in. If you are an Individual Shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **Step 1 (A)** above i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual Shareholders holding securities in demat mode.**
 3. Alternatively, Shareholders/Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring User ID and Password for e-voting by providing above mentioned documents.
 4. In terms of SEBI Circular dated December 09, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual Shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and e-mail address correctly in their

demat account in order to access e-Voting facility.

20. Instructions for Members for e-voting on the day of the AGM

- (i) The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
- (ii) Only those Members/Shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
- (iii) Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- (iv) The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for remote e-voting.

21. Instructions for Members for attending the AGM through VC/OAVM

- (i) Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the time scheduled for the AGM by following the procedure mentioned hereinafter. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to at least 1000 Members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc., who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
- (ii) The facility to attend the AGM through VC/OAVM is provided to the Members through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for access to NSDL e-Voting system. After successful login, Members are requested to click on **VC/OAVM** link placed under **Join General Meeting** menu against Company name. The link for VC/OAVM will be available in **Shareholder/Member** login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the Members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the

remote e-Voting instructions mentioned above to avoid last minute rush.

- (iii) The attendance of the Members in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
 - (iv) Members are encouraged to join the Meeting through laptops for better experience.
 - (v) Further, Members will be required to allow camera, if any, and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the Meeting.
 - (vi) Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptops connecting via mobile hotspot may experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
 - (vii) Shareholders who would like to express their views/ ask questions during the Meeting may register themselves as a speaker by sending their request from their registered e-mail address mentioning their name, demat account no./folio no., e-mail address and mobile no. at speakers@cochinshipyard.in from September 21, 2021 (08.00 hrs.) to September 23, 2021 (16:00 hrs.). The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.
 - (viii) Those Shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ ask questions during the Meeting. Relevancy of the question and the order of speakers will be decided by the Chairman.
 - (ix) Members seeking any information with regard to annual accounts at the time of Meeting are requested to send their queries to the Company at least seven days before the date of Meeting so as to enable the management to keep the information ready.
- ### 22. Other Instructions
- (i) Persons who have acquired shares and become Members of the Company after the dispatch of Notice and hold shares as on cut-off date of September 22, 2021, may obtain the Notice and e-voting instructions by sending request to the Company's RTA, Link Intime India Private Limited at their e-mail address

coimbatore@linkintime.co.in or download Notice and e-voting instructions from www.evoting.nsdl.com or Company's website www.cochinshipyard.in.

- (ii) The results declared along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the website of the Company www.cochinshipyard.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com immediately after the declaration of results by the Chairman or a person authorised by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The results shall also be displayed on the notice board at the Registered Office of the Company.

www.evoting.nsdl.com immediately after the declaration of results by the Chairman or a person authorised by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The results shall also be displayed on the notice board at the Registered Office of the Company.

STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Item No. 6

In pursuance of Section 148 of the Companies Act, 2013 and Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the Company is required to appoint a Cost Auditor to audit the cost records of the applicable products of the Company.

The Board at its 260th Meeting held on June 11, 2021 has appointed M/s. BBS & Associates, Cost Accountants (Firm Registration No.: 00273), as the Cost Auditors of the Company for the financial year 2021-22 at a remuneration of ₹1,50,000/- (Rupees One Lakh Fifty Thousand Only) per annum plus applicable taxes. As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013, the remuneration of Cost Auditors is required to be ratified by the Members.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 6 of the accompanying Notice for the approval of the Members of the Company by way of an ordinary resolution.

None of the Directors/Key Managerial Personnel of the Company/their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 6 of the Notice.

By Order of the Board of Directors

Syamkamal N
Company Secretary
M. No. A25337

Kochi
September 06, 2021


Registered Office

Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
CIN: L63032KL1972GOI002414
Tel: +91 (484) 236 1306
E-mail: secretary@cochinshipyard.in
Website: www.cochinshipyard.in

DETAILS OF THE DIRECTOR SEEKING RE-APPOINTMENT AT THE 49TH AGM

[PURSUANT TO REGULATION 36(3) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015 AND SECRETARIAL STANDARD – 2 ON GENERAL MEETINGS]

Name of the Director	Shri Bejoy Bhasker
DIN	08103825
Age	56 years
Date of Birth	May 07, 1965
Date of first appointment on the Board	April 05, 2018
Brief Resume	Shri Bejoy Bhasker assumed charge as the Director (Technical) of the Company on April 05, 2018. He was appointed to the position of Director (Technical) by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (formerly Ministry of Shipping) through a selection process of Public Enterprises Selection Board. He joined the Company as an executive trainee on June 29, 1988 and has more than 33 years of work experience with the Company. His profile is given in the first part of the accompanying Annual Report.
Qualifications	He holds a Degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a Degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He has completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University.
Expertise in specific functional areas	Shri Bejoy Bhasker is the Director (Technical) of the Company from April 05, 2018. He joined the Company as an executive trainee on June 29, 1988. He has more than 33 years of work experience with the Company wherein he was involved in Ship Design, Ship Building, Outfit and Ship Repair divisions of the Company. He was awarded the "Manager of the Year" award in 2014 by Kerala Management Association.
Terms and conditions of appointment or reappointment	He was appointed on April 05, 2018 pursuant to Ministry of Ports, Shipping and Waterways (formerly Ministry of Shipping) Order F. No. SY-11012/4/2017-CSL dated April 04, 2018. The current terms and conditions of his employment are prescribed by Ministry of Ports, Shipping and Waterways Order No. SY-11012/4/2017-CSL dated September 13, 2018.
Details of remuneration last drawn (FY 2020-21)	₹ 57.38 lakhs
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL) Tebma Shipyards Limited (TSL) (wholly owned subsidiaries of CSL)
Membership / Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2020-21	6/6
No. of shares held in the Company:	
(a) Own	510
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil
Relationship with other Directors/ Key Managerial Personnel	Nil



COCHIN SHIPYARD LIMITED

REGISTERED OFFICE

Administrative Building
Cochin Shipyards Premises
Perumanoor, Kochi – 682015
Kerala, India

